(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का 19वां दिवस [संख्या 12

सोमवार,

दिनांक 17 जुलाई, 1989

(विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रसिंह ।

भरतपुर जिले की सिंचाई व्यवस्था

356. **श्री बृजेन्द्रसिंह** (बयाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार की भरतपुर जिले में सिंचाई हेतु ट्यूब वैल कार्पोशन द्वारा ट्यूब वैल्स खोदने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) भरतपुर जिले में सिंचाई व्यवस्था के सुधार हेतु सरकार क्या विचार रखती है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री शीशराम ओला) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अण्डर ग्राउण्ड डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है, मुझसे सम्बन्धित नहीं है इसलिये उस विभाग को लिखने के लिये आपसे निवेदन किया है ।

श्री बृजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसका या तो अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से जवाब दिल–वाइये या इसको स्थगित करिये । जैसा भी हो मुझे जवाब दिलवाया जाये और नीचे का भाग तो सिंचाई विभाग से ही सम्ब–न्धित है ।

श्री अध्यक्ष : यह उस विभाग का था तो पहले ही विभाग को, सम्बन्धित विभाग को, भेज देना चाहिये था ।

श्री शीशराम ओला : आते ही भेज दिया और आपको निवेदन कर दिया....

श्री बृजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसी सत्र में लगना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं मानता हूं कि यह महत्वपूर्ण है, जल्दी ही इसको दूसरे नम्बर पर लगायेंगे ।

श्री बृजेन्द्र सिंह : इसी विधान सभा सत्र में लगना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : जी, हां ।

श्री हीरालाल आर्य ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 जुलाई, 1989)

धौलपुर स्टोन कम्पनी

42. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) खनन लीज सम्बन्धी नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति या फर्म को कुल कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खनन कार्य हेतु दिया जा सकता है ? धौलपुर स्टोन कम्पनी कुल कितने क्षेत्र में खनन कार्य कर रही है तथा क्यों और कब से ?

(2) धौलपुर स्टोन कम्पनी का नवीनीकरण कब-कब तथा कितने-कितने क्षेत्रफल के लिये किया गया तथा उसका कितना किराया विभाग को प्राप्त हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मामले में भारी अनियमितताएं पायी गई हैं, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की शीघ्र जांच कर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री हीरालाल इन्दौरा) : (1) राजस्थान खनिज रियायती नियम, 1986 के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा फर्म को किसी भी खनिज हेतु अधिकतम 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लीज पर दिया जा सकता है किन्तु यदि राज्य सरकार खनिज विकास की दृष्टि से उचित समझे तो इस सीमा से अधिक भी क्षेत्र स्वीकृत किया जा सकता है । धौलपुर स्टोन कम्पनी वर्तमान में 77.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कार्य कर रही है ।

(2) धौलपुर स्टोन कम्पनी के खनन पट्टे का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 1-5-60 से 30-4-1970 की अवधि के लिये 96.7 वर्ग मील क्षेत्र पर 144712/- रुपये वार्षिक स्थिर भाटक पर किया गया था । इसके बाद द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 1-5-70 से 30-4-1980 तक की अवधि के लिये 77.36 वर्ग मील क्षेत्र पर 2,00,000/- रुपये वार्षिक स्थिर भाटक पर किया गया ।

(3) पार्टी द्वारा खनन पट्टा की संविदा की कुछ धाराओं की पालना नहीं की जा रही थी जिसके कारण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26-10-78 द्वारा खनन पट्टा खण्डित कर दिया गया था परन्तु विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश के कारण क्षेत्र का कब्जा पार्टी के पास रहा है ।

(4) राज्य सरकार न्यायालय को वाद के शीघ्र अन्तिम निपटारे हेतु निवेदन करेगी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता पहले ।

श्री हीरालाल आर्य : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एक व्यक्ति को 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दिया जा सकता है ? यदि नहीं तो आपके इस पर्टीकुलर धौलपुर स्टोन कम्पनी को इतना बड़ा भू-खण्ड देने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि यह खान किसी

(श्री हीरालाल आर्य)
+++ की है इसलिये आपने इसको उचित समझा....(व्यवधान)

दूसरा, नवीनीकरण राशि जैसा उत्तर में बताया गया है केवल 1,44,712 रुपए है और दूसरा नवीनीकरण 2 लाख रुपये का ही है। इतनी कम राशि क्यों तय की गयी जबकि पड़ौस में जो दूसरी खाने हैं उनमें 50 हजार से 1 लाख रुपये तक केवल एक भू-खण्ड पर हैं? इतने बड़े भू-खण्ड के लिये इतनी कम राशि तय क्यों की गयी, इसके क्या कारण हैं? तीसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नवीनीकरण पहला और दूसरा किया गया केवल 1980 तक, 1980 से अभी तक इतने बड़े भू-खण्ड पर बिना नवीनीकरण के एक पार्टी विशेष ही क्यों इस पर कब्जा किये हुये बैठी है? चौथा, मेरा प्रश्न है कि क्या यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के गरीब व्यक्तियों के हितों पर कुठाराघात नहीं है कि इतने बड़े भू-खण्ड पर एक ही व्यक्ति कब्जा किये हुये बैठा है? यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के गरीब लोग जो भू-खण्ड चाहते हैं उनके हितों पर कुठाराघात है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि ए. डी. जे. ने 24-4-1986 को पार्टी के फेवर में दिया है लेकिन राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 30 दिन के अन्दर अन्दर इस मामले का नवीनीकरण का मामला तय करे और अगर 30 दिन में तय कर दिया जायेगा तो यह स्टे स्वयं अपने आप ही खारिज हो जायेगा? क्या यह सही है कि उसके बाद भी 30 दिन के अन्दर अन्दर राज्य सरकार ने उसका नवीनीकरण नहीं किया? आज तक इतने किलोमीटर का एरिया उस पार्टी के पास है जबकि एम. एम. सी. आर., 1986 के रूल्स के अन्तर्गत केवल 10 किलोमीटर एरिया होना चाहिये था। यदि राज्य सरकार 30 दिन के अन्दर अन्दर नवीनीकरण का मामला तय कर देती नियमानुसार तो क्या यह इतने किलोमीटर का एरिया इस पार्टी के पास रहता? जिसके कारण राज्य सरकार को कम से कम भी 2-3 करोड़ रुपये का नुकसान हो हो रहा है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस मामले को राज्य सरकार ने उचित समझा? यदि हां, तो क्यों? तीसरा मेरा सवाल है, क्या यह सही है कि जब यह मामला नीचे सिविल कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन की गई उस समय हाई कोर्ट ने उस रिट को तो खारिज कर दिया कि सिविल कोर्ट में मामला चल रहा था लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ स्ट्रेक्चर पास करते हुए कहा है कि जिस तरह से विलम्ब और आराम के साथ इस मामले की मुख्य मन्त्री विधि मन्त्री, मुख्य सचिव और खान निदेशक ने लिया है उस तरह से नहीं होना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा है कि यह मामला राज्य सरकार के लिये आंख खोलने वाला है तथा आश्चर्य की बात यह है कि वास्तविक रिपोर्ट होने के बावजूद केन्द्र और राज्य इस मामले को इतने हल्के ढंग से कैसे ले रहे हैं। उच्च न्यायालय ने यह

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथूसिंह)

भी टिप्पणी की कि इस मामले में विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि यह क्षेत्र समाज के कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आवंटित किया जा सकता है, यह जनहित में होगा....

श्री अध्यक्ष : पढ़िये मत, बस हो गया आपका।

श्री नाथूसिंह : तथा इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों सवालों का आप जवाब दिलवायें कि दिनांक 24.4.1986 को जो ए. डी. जे. का आदेश था उसकी पालना में राज्य सरकार ने जान-बूझकर इसमें देरी क्यों की ? इसके लिये कौन लोग उत्तरदायी हैं और उन लोगों के विरूद्ध अब क्या कार्यवाही करेगी ? दूसरा जब हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया उसके बाद राज्य सरकार ने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया ? अब इस मामले में राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है या इसको इसी तरह से पेण्डिंग लटकाकर रखना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अभी उत्तर में बताया कि कम्पनी 78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में खनन कर रही है जबकि वास्तविकता यह है कि कम्पनी खनन कर रही है 198.041 वर्ग किलोमीटर में....

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अखबार में होगा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह अखबारों में नहीं है, कागजों में और आपके दिमाग पर भी लिखा हुआ है, यह मैं बता देता हूं आपको।

श्री सी. पी. जोशी : इसका मतलब मंत्री फिर सही बात नहीं कह रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब जिसके दिमाग में नहीं लिखा है, जिसके लिखा है उसके लिखा हुआ है आप बैंक में देख लीजिये। मैं तो आपको दिमाग वाला ही समझ रहा था।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न यह है—क्या यह सही है कि इन्होंने सब लीज दे रखी है और सब लीज गैर कानूनी है यह रिपोर्ट आपके पास आयी हुई है। तीसरा, आप मुझे बता दीजिये कि क्या यह सही है कि धौलपुर स्टोन कम्पनी की फाइल थी, वह फाइल गायब हो गयी है ?

यह फाइल खान सचिव के यहां से उसकी सारी रिपोर्ट लग कर आयी थी तत्कालीन खान मन्त्री के पास। खान मंत्री के यहां से न तो यह फाइल मुख्य मन्त्री के पास गयी और न यह फाइल खान सचिव के पास गई और आज भी सचिवालय में फाइल उपलब्ध नहीं।

चौथा मेरा प्रश्न यह है कि क्या कम्पनी एक लीगल परसन है इसलिए कम्पनी को भी एक व्यक्ति के जितना ही क्षेत्रफल मिलना चाहिए और धौलपुर स्टोन कम्पनी भी एक कम्पनी है इसलिए 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल होना उसके लिए गलत है ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार, इस कम्पनी के जो पार्टनर थे चार भाई, उनको अलग–अलग मानकर और विशेष आदेश का प्रयोग करके 15–15 किलोमीटर, इस प्रकार से 60 किलोमीटर की लीज देना चाहती है। इस प्रकार का प्रपोजल आपके पास है जो कि सरासर गैर-कानूनी है।

अन्तिम मेरा प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हाई–कोर्ट के आदेश के बाद और ए. डी. जे. के आदेश के बाद 1978 से लेकर इतने दिन तक अवैध खनन राज्य सरकार ने जानबूझकर कराया है। अवैध खनन से राज्य सरकार का जो नुकसान हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन्होंने सब–लीज दे रखी है जो कि प्रमाणित हो चुकी है, क्या राज्य सरकार वसूल करने का मानस रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार से ? और नहीं, तो क्यों ? इसका जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष : विद्या जी।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं क्या यह सही है कि जो आपने यह 10 किलोमीटर का कहा है कि पार्टनरशिप में 198 किलोमीटर खान दे रखी है और इसके लिए धौलपुर ए. डी. ने यह भी कहा है कि बंधुआ मजदूर रखते हैं और सब–लेटिंग का काम भी करते हैं जो गैर–कानूनी है ? दूसरा मैं यह पूछना चाहती हूं कि ए. डी. जे. ने आदेश दिये हैं 24 अप्रेल, 86 को जब कि यह खान सस्पैण्ड की है 26.10.78 को, तो यह 1978 से 1986 तक आप लोग इस कम्पनी को क्यों चलाते रहे, उनको लीज पर क्यों देते रहे? करोड़ों रुपया स्टेट चैकर्स को, खजाने को नुकसान क्यों पहुंचाते रहे ? उसके बाद भी उस ए. डी. जे. ने लिखा अपने आदेश में कि सरकार को कम्पनी को बेदखल भी नहीं करना है और उसके काम में दखल भी नहीं करनी है। प्रत्येक कम्पनी के पट्टे के नवीनीकरण का फैसला तुरन्त करना चाहिए। उस हालात में 30 दिन में यह अपने आप सस्पैण्ड हो जायेगा। मैं यह पूछना चाहती हूं, 86 को भी तीन वर्ष हो गये, कि 1978 से 1986 तक आप बिना कोर्ट के आदेश के चलाते रहे यानी लिगर–आन करते रहे 1986 के कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक आप लिगर–आन करते रहे इसके क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : रिपीट हो रहा है। माननीय ज्वाला प्रसाद जी।

श्री ज्वाला प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राज्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह धौलपुर स्टोन कम्पनी वाला प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है और सब–जुडिस मैटर होने से इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए ? दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि धौलपुर स्टोन कम्पनी को जो एरिया दिया हुआ है खनन के लिए, क्या इसमें मिनरल डिपोजिट केवल तीन फुट ही है और इसके कारण इसका जो एरिया है वह गवर्नमेंट ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए 10 किलोमीटर से ज्यादा दिया है ? तीसरा मेरा प्रश्न है कि धौलपुर स्टोन कम्पनी की तरफ से एक्सेस एरिया राज्य सरकार को सौंपने के लिए, सरण्डर करने के लिए आवेदन किया हुआ है ?

श्री शोपतसिंह : +++

श्री ज्वाला प्रसाद : +++ मैं तो सही स्थिति को सदन में रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुष्पा जी।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से जानना चाहती हूं कि राज्य सरकार के जब कि स्पष्ट नियम हैं कि 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक एरिया नहीं दिया जा सकता तो इस कम्पनी को दिया गया तो किस आधार पर व कौन से मापदण्ड थे ? हालांकि ज्वाला प्रसाद जी ने ऐसा एक प्रश्न पूछा है लेकिन मैं राज्य सरकार से जानना चाहती हूं कि कौन से मापदण्ड थे जिनके आधार पर धौलपुर स्टोन कम्पनी का एरिया आपने बढ़ाया है ? दूसरा, मंत्री महोदय, यह बतायेंगे कि स्टे मिला 24.4.86 को और आपने इसका खनन रद्द किया 26.10.78 को, तो 1978 से 1986 तक के जो आठ साल थे उन आठ सालों में राज्य सरकार क्या करती रही ? क्यों नहीं राज्य सरकार ने इस कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की ? कौन अधिकारी दोषी हैं ? इसके लिए आपने कोई रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की है? राज्य सरकार ने स्थगन आदेश की आड़ में जो अपनी मजबूरियां जाहिर की हैं हम चाहेंगे कि उस स्थगन आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें या मंत्री महोदय उसको पढ़े ताकि उससे स्पष्ट हो सके कि किस तरह का स्थगन आदेश दिया गया था और राज्य सरकार के एडवोकेट या जो भी वकील हैं उन्होंने उस स्थगन आदेश करने के बाद क्या कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसके साथ ही मैं पूछ लेता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री हीरालाल आर्य : जवाब आ जाने दीजिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि एक दफा सन् 70 से 80 तक के लिए लीज का जो रिन्यूअल आपने कर दिया तो क्या राज्य सरकार इन्हीं आधारों पर रिन्यूअल करने के बाद उस लीज के आदेश को पुनर्विचार करके निरस्त कर सकती है ? अगर कर सकती है तो 70 और 80 के बीच में आपकी सरकार और दूसरी सरकार रही उन्होंने क्या–क्या कदम उठाये ?

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए राज्य सरकार खनिज विभाग में कौन सी पालिसी अपनायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा (खनिज राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह जी ने फर्माया कि सरकार इस धौलपुर स्टोन कम्पनी को प्रोत्साहित कर रही है और कांग्रेसी एम. एल. ए. होने के नाते इसको प्रोत्साहित कर

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

रही है। मैं कहना चाहूंगा कि रियासत के समय तो कोई कांग्रेस का सवाल ही नहीं था। जब रियासत के समय में पूरा धौलपुर क्षेत्र ही, पूरा डिस्ट्रिक्ट ही, पूरी रियासत ही इस कम्पनी के कार्य क्षेत्र में थी तो यह कहना वाजिब नहीं है कि कांग्रेसी एम.एल.ए. को कोई रियायत सरकार दे रही है। (व्यवधान) जहां तक वह सवाल है कि इतने बड़े क्षेत्र में एक कम्पनी लगातार कार्य करती आ रही है और एम. एम. सी. आर. रूल्स के मुताबिक इतना क्षेत्र नहीं होना चाहिए।

श्री डूंगरराम पंवार : कांग्रेसी कम्पनी है क्या है ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : 1908 में जब धौलपुर रियासत थी तब भी कांग्रेस ही थी क्या ? डूंगरराम जी। (व्यवधान) आप कृपया मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद में सप्लीमेन्टरी कर लीजिए। (व्यवधान) यह भी कहा गया कि सरकार कम्पनी को बहुत रियायत दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बिलकुल रियायत नहीं कर रही है, सरकार समय–समय पर इस पर चैक–अप करती आ रही है। फर्स्ट रिन्यूअल के टाइम पर कम्पनी के पास में 96.7 वर्ग मील क्षेत्र था और सैकण्ड रिन्यूअल के टाइम पर कम्पनी ने इस कन्डीशन के साथ में 96 वर्ग किलोमीटर को कम करके यह शर्त रखी कि कम्पनी 20 प्रतिशत क्षेत्र सरकार को सरण्डर करेगी। 1970 से 1980 के बीच का जो रिन्यूअल है उसमें यह कन्डीशन थी और जब कम्पनी ने कन्डीशन पूरी नहीं की, उसका 20 प्रतिशत क्षेत्र सरकार को देना था, उसके नक्शे को पेश करना था वे पेश नहीं किये तो फिर कम्पनी से 1975 में इसका सीमांकन करके 77 दशमलव कुछ वर्ग मील कर दिया यानी कि दो सौ स्क्वायर मील कम्पनी को दे दिया। तो यह कहना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा।

फिर सरकार यह दृष्टिकोण रखकर कि जो एम. एम. सी. आर. एक्ट है 1988 का और जब यह 70–80 के बीच में, कम्पनी के सब–लेटिंग के मामले को लेकर, रॉयल्टी जमा नहीं की इस मामले को लेकर, बहुत सी औपचारिकतायें पूरी करनी थी कम्पनी को, वह नहीं की तो फिर सरकार ने उसका एक पट्टा खण्डित किया। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, खण्डित करने के बाद वह पोजीशन आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पट्टा 1978 में खण्डित किया गया तो पार्टी ने दो रास्ते अपनाये। एक रास्ता तो पार्टी ने अपनाया, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बाड़ी के द्वारा और दूसरा रास्ता कम्पनी ने अपनाया भारत सरकार में रिवीजन करके। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां पर उन्होंने एप्लीकेशन पेश की, जैसे ही हमने 78 में इसको खण्डित किया ये मुन्सिफ न्यायालय में गये। मुन्सिफ न्यायालय ने स्टे दे दिया कि पार्टी खनन करती रहेगी और रेन्ट और रॉयल्टी सरकार को देती रहेगी और स्टे चलता रहा। कम्पनी भारत सरकार के यहां रिवीजन में गई। भारत सरकार ने राज्य सरकार के विरुद्ध कम्पनी के पक्ष में फैसला दिया। हमारा जो खण्डित करने का आदेश था भारत सरकार ने उसको निरस्त करते हुए यह फ़ैसला पार्टी के हक में दिया और यह कहा कि पार्टी अपने क्षेत्र में कार्य करती रहेगी और डेड रेन्ट और रॉयल्टी जमा कराती रहेगी। तब

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

तक यह चलता रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा से ज्यादा सरकार ने इस मामले को सामने लाने की कोशिश की है, उसके क्षेत्र को कम करने की कोशिश की है। तब तक विभिन्न न्यायालय सरकार के सामने आते रहे।

एक पोजीशन, माननीय अध्यक्ष महोदय, थर्ड रिन्यूअल के समय सामने आती है। जब तीसरा रिन्यूअल 10-5-78 से 30-4-79 तक का होना था, उस समय एम. एम. सी आर. एक्ट, 1977 के मुताबिक 6 महीने में रिन्यूअल की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए थी और टाइमली वह एप्लीकेशन रिन्यूअल के लिए आ गई। आने के बाद एप्लीकेशन डी. एम. टी. रिफ्यूज हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहते हैं सरकार कुछ नहीं कहती, हमने तीसरे रिन्यूअल में भी एप्लीकेशन को डी. एम. टी. रिफ्यूज किया है। इसलिए यह कहना कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है या सरकार किसी कम्पनी को प्रोत्साहन दे रही है, इस कम्पनी को फायदा दे रही है, उचित नहीं होगा। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि यदि सरकार इस तरफ कोई रुचि रखती या सरकार इसको प्रोत्साहन देने की बात सोचती तो तीसरे रिन्यूअल पर हम इसकी एप्लीकेशन को डी. एम. टी. रिफ्यूज नहीं करते। हमने उसका डी. एम. टी. रिफ्यूज किया। अब जब डी. एम. टी. रिफ्यूज किया तो सवाल ही क्या है? प्रजातन्त्र में जो एक्ट और कानून बने हैं, उसके मुताबिक पार्टी न्यायालय में जाती है तो न तो मैं इसको रोक सकता हूं, न सरकार रोक सकती है, और न माननीय सदस्य रोक सकते हैं। जो उसका राइट है, एक्ट और कानून के मुताबिक पार्टी न्यायालय में जायेगी। पार्टी धौलपुर के ए. डी. जे. के न्यायालय में गई।

एक माननीय सदस्य : थक कर रह गई। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप सुनिये, मिढा जी।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ रहा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह गंग कैनाल का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, यस प्लीज।

श्री हीरालाल इन्दौरा : जब सरकार ने एप्लीकेशन रिजक्ट कर दी थर्ड रिन्यूअल की तो कम्पनी इसके अगेंस्ट में कोर्ट में गई। जब 29/10 को कोर्ट में गई तो ए. डी. जे., धौलपुर ने स्टे दे दिया। स्टे देते हुए कहा कि सरकार इनके कार्य में बाधा नहीं पहुंचायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं पहुंचा रही है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कैसे पहुंचायेगी? आप कोर्ट के अगेंस्ट में चले जायेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल इन्दौरा : बाधा नहीं पहुंचायेगी। हमारे डी. एम. टी. के रिफ्यूजल को रिजैक्ट कर दिया।

श्री सी.पी. जोशी : यह नाथू सिंह जी ने पढ़ा ही नहीं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : वह पढ़ा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया जवाब आने दें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : शुरू से नेता–गिरी करते रहे तो पढ़ने का काम क्या है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उन्होंने हमारे डी.एम.टी. रिफ्यूजल को निरस्त कर दिया और स्टे दे दिया। स्टे देने के बाद जैसा कि माननीय सदस्य ने फर्माया, 24.4.86 को ए.डी.जे. कोर्ट ने एक आदेश पारित किया।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी): डिमांड पर बोल रहे हो क्या ?

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सुन लें, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : सारे प्रश्नों का जवाब एक साथ आ जायगा। तो जब हमारे डी.एम.टी. रिफ्यूजल को कोर्ट ने निरस्त कर दिया और उसको बहाल मान-कर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल इन्दौरा : राज्य सरकार को आदेश दिया कि राज्य सरकार गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय करे। जज-मेन्ट, जैसा कि माननीय पुष्पा जी ने कहा, मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : छोड़िये, उसका हवाला दे दिया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : "I therefore, accept the applicant's application (for stay) and hereby prohibit/prevent non-applicant from interfereing in possession....over 77.36 sq. miles....during pendency of civil suit No.9/81....This injunction order shall stand vacated after a period of 30 days from the date of service or decision of Government on applicants notwithstanding the fact that civil suit No. 9/81 remaining un-decided.

यह निर्णय अदालत ने दिया। इस निर्णय के अन्तर्गत सरकार ने 1982 में एक कमेटी बनाई। डी.एम.जी., डिप्टी सेक्रेटरी (माइन्स), कार्पोरेशन का एक रिप्रजेण्टेटिव और हमारा माइनिंग डिपार्ट-मेन्ट को लेकर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में यह मामला डिस्कस हुआ। डिसी-जन यह था कि राज्य सरकार कोई डिसी-जन लेगी उसके तीस दिन बाद यह स्टे आटोमेटिकली वेकेट हो जायगा। तब यह जरूरी था कि राज्य सरकार इसमें कोई निर्णय करे। कमेटी बनी और कमेटी ने कुछ बातें फाइण्ड आउट की। मतलब, कुछ बातों पर निर्णय किया। कमेटी ने यह तय किया क्योंकि कम्पनी के 6 पार्टनर थे शुरू में, घटते-घटते चार रह गये। जैसा कि माननीय घनश्याम जी ने कहा था कि कम्पनी एक मानेंगे या कम्पनी के पार्टनर्स को अलग-अलग मानेंगे। लीगली कम्पनी को वन पर्सन मानेंगे। लेकिन मेरे जवाब में मैंने

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

यह पढ़ा है कि यदि राज्य सरकार खनिज के विकास की दृष्टि से उचित समझे तो इस सीमा से अधिक भी क्षेत्र स्वीकृत किया जा सकता है।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : किस नियम के अन्तर्गत ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : एम.एम.सी. आर. एक्ट के अन्तर्गत।

श्री डूंगरराम पंवार : कमाण्डर कौन है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शोर मचाने से चोरी नहीं रुकेगी। चोरी को बाहर निकालेंगे यहां पर।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सुन लें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : जो एक्ट बता है उस एक्ट के तहत।

श्री शिवचरण सिंह : यह कमेटी किस नियम के अन्तर्गत अपाइंट की ? एम.एम. सी.आर. के कौनसे नियम के अन्तर्गत की ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह नियम नहीं है, गवर्नमेन्ट का इनीशियेटिव है। (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : एम.एम.सी.आर. के किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : इसमें एम. एम.सी.आर. गवर्न नहीं है। उस डिसीजन को मद्दे नजर रखते हुए जो ए.डी.जे. धौलपुर ने दिया, उसमें गवर्नमेन्ट ने इनीशियेटिव लिया कि इस निर्णय के अनुसार एक कमेटी को फार्म किया जाय। Understand.

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री शिवचरण सिंह : ए.डी.जे. धौलपुर का तो ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष : क्या कर रहे है ? आधा घण्टा हो गया।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कमेटी ने इस प्रकार से, दो-तीन बातें डिसाइड कीं, क्योंकि पार्टनर 6 थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं देख रहा हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सारा जवाब आ गया।

श्री अध्यक्ष : कन्फ्यूज हो रहे हैं, नो इण्टरप्शन।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसी भी चीज का जवाब नहीं है और आप कह रहे हैं सबका जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : कोर्ट का डिसीजन था....

श्री शिवचरण सिंह : एक प्रश्न केवल..

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने पूछा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे दिया है।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने एक प्रश्न भी नहीं पूछा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय मन्त्री जी, आप कृपया मुझे यह बता दें एक एम.एम.आर.डी. एक्ट और एम.एम.सी.आर. की सीलिंग लिमिट्स से जो ज्यादा एरिया है उसका पजेशन कब तक लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय, जरा सुन लें। क्या यह सही है कि सरकार की यह पालिसी है कि दस स्कवायर किलोमीटर से ज्यादा किसी इन्डिवीजुअल को किसी प्रकार की लीज नहीं दी जाये, एक ? क्या यह सही है कि सरकार की पालिसी के अगेंस्ट में 70,88 या 98 जितने भी किलोमीटर आप मानें उतने किलो मीटर तक धौलपुर स्टोन कम्पनी का कब्जा है, दो ? क्या यह सही है कि 1986 में एडीशनल सैशन जज ने जो स्टे दिया है वह स्टे यह था कि राजस्थान की सरकार इसके रिन्युअल पर विचार करें, रिन्युअल का फैसला करे और जिस दिन फैसला हो जायेगा उसके तीस दिन के बाद यह स्टे आर्डर अपने आप वेकेट हो जायेगा, तीन ? क्या यह सही है कि जो रिन्युअल आपने नहीं किया और जिस के लिये आप कह रहे हैं डी.एम.टी. भी रिफ्यूज्ड हमने यह मान लिया कि यह हुआ है 1988 में, I am subject to correction. 1980 में। तो 1980 से लेकर 1986 तक जब तक एडीशनल सैशन जज का स्टे नहीं आया उस समय तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ? इसके रिन्युअल के केस को अब तक आपने डिसाइड क्यों नहीं किया, सैशन कोर्ट के डिसीजन के अनुसार ?

श्री सी.पी. जोशी : माननीय भैरोंसिंह जी ने कोई नया पाइंट तो बोला नहीं। नाथूसिंह जी बोल चुके हैं। रिपीट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क): अध्यक्ष महोदय, जब सारी फाइले विपक्ष के नेता महोदय के पास थीं तो अब यह क्या पूछ रहे हैं ? फाइलें सारी इनके पास पहुंच गई थीं...

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इनकी एप्लीकेशन 1980 में रिफ्यूज में चली गई तो पार्टी कोर्ट में चली गई (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह धीरे–धीरे क्या कर रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह +++ कैसे बोल रहे हो ? आपने पैसे खाये हैं क्या ? 20 करोड़ रुपया साल का सरकार का जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : गलत बात है, यह +++ एक्सपंज करेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ शब्द को एक्सपंज करिये....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++ वह

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं जो दो करोड़ साल का सरकार को चूना लगवा रहे हैं +++ वह हैं....

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, +++ आते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : +++ शब्द एक्सपंज किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं तो आप सुनने की हिम्मत रखिये।

श्री हीरालाल आर्य : तरह तरह की अनियमिततायें हैं, जांच की जरूरत नहीं। दस करोड़ की हानि हो रही है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : कम्पनी में करंट आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री जी, जवाब दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : जवाब सुनना नहीं चाहते, सेम बातें रिपीटीशन में आ रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : जब पार्टी अदालत में चली गई तो राज्य सरकार क्या करती रही ? क्या राज्य सरकार से पैरवी करने वाला कोई नहीं था ? आपने क्या पैरवी की ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : हम पैरवी करते रहे हैं, 80 में जब ऐप्लीकेशन रिफ्यूज में चली गई तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में चले गये....

श्रीमती विद्या पाठक : इसको चलने दो, यह पैरवी कर रहे हो, खान वालों की तरफ से पैरवी कर रहे हो आप तो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया....

श्री अध्यक्ष : जवाब तो कोई सुनना नहीं चाहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब तो सब सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी का जवाब टू दी पाइन्ट आ रहा है, I am feeling.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने टू दी पाइण्ट मान लिया।

श्री अध्यक्ष : स्लो है, लेकिन टू दी पाइण्ट है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह स्लो के कारण टू दी पाइण्ट नहीं रहा। मैं एक ही जानकारी करना चाहता हूं। ए.डी.जे. ने जो जजमेंट दिया कि गवनमेंट यदि इसकी एप्लीकेशन के रिन्युअल का फाइनल डिसीजन कर लेगी तो उसके तीस दिन के अन्दर अन्दर स्टे आर्डर वैकेट हो जायेगा। गवनमेंट ने यह फाइनल डिसीजन क्यों नहीं लिया ?

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : उसी का जवाब भी दे रहे थे कि कमेटी बनाई थी....

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह बात सही है, माननीय विपक्ष के नेता महोदय का कहना है गवनमेंट ने डिसीजन क्यों नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले कह चुका हूं कि जब ए.डी.जे. कोर्ट ने 1986 में जब निर्णय दिया उसके अन्तर्गत हमने एक कमेटी बनाई...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मन्त्री महोदय, कमेटी बनाई है 1982 में, फैसला हुआ है 1986 में....

श्री हीरालाल इन्दौरा : सही है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : सही है तो आप क्या कर रहे हो ? फैसला हुआ है 1986 में और कमेटी बनी हैं 1982 में, उसका रैफरेंस दे रहे हैं ?

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष जी, यह मुश्किल सवाल छोडो, मैंने आसान सवाल पूछा है आर्थिक समानता का, उसका उत्तर दे दीजिये आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह सही है न कि कमेटी 1982 में बनाई....

श्री अध्यक्ष : इसका कन्फर्म कर लो, कोई बात नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मंत्री महोदय, यह सही है कि कमेटी 1982 में बनाई ? यह भी सही है कि फैसला 1986 में हुआ। 1986 के फैसले के अनुपालन में आपने 1982 में कमेटी कैसे बना दी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Let him be briefed. He has got the right to be briefed. He can get another information also.

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह सही है कि 1986 में डिसीजन हुआ और 1982 में सरकार ने कमेटी बनाई। चार साल का जो गेप है सरकार उस एरिया को देखती रही है....(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन करें। इस सवाल को दुबारा रख दीजिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय यह गलत जवाब दिया गया है 1986 के बाद में कमेटी बनी....

श्री शोपत सिंह : इस सवाल को दुबारा रखा जाये, इसको स्थगित किया जाये।

श्री बिरदमल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया है कि 1986 के बाद में कमेटी बनी है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, 24 अप्रेल, 1984 को जो ए.डी.जे का जजमेंट है....

श्री अध्यक्ष : वह कमेटी कार्य कर रही होगी....

श्री बिरदमल सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया गया है। 1986 के बाद में कमेटी बनी है....

श्री अध्यक्ष : कमेटी कार्य कर रही है।

(14)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : लूट–मार होती रही लूटमार, सरकार आंखें बन्द करके बैठे रही और वह लूटते रहे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : धौलपुर स्टोन कम्पनी एक मन्त्री को खा चुकी है अब की बारी आपकी है। अगर गलत जवाब दोगे तो आप मरोगे।

श्री डूंगरराम पंवार : यह कह रहे हैं कि सरकार अब सरकने वाली है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं तो आपकी राय लेकर क्या करूंगा। वैसे चार साल में जो पीरियड था, कम्पनी जिस एरिया को सरेन्डर करना चाहती थी 200 स्कवेयर किलोमीटर में से 140 स्कवेयर कि.मी. सरेन्डर करना था। यह वन क्षेत्र में आता है, उसकी फिजिकल रिपोर्ट बनाने में और देखने में टाइम लग गया....(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, 40 मिनट हो गये हैं लेकिन आपको भी सन्तोष नहीं हुआ, विपक्ष को भी सन्तोष नहीं हुआ और मंत्री महोदय, आपको भी संतोष नहीं है। यह प्रश्न एक–दो रुपये का नहीं है, राजस्थान में रिसोर्सेज की कितनी कमी हो रही है, वह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को माननीय मुख्य मन्त्री जी हों उस दिन ले लिया जावे। इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस स्थगित प्रश्न को मुख्य मन्त्री जी के आने तक स्थगित रखा जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बैठे हैं, आप भी इस प्रश्न के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वे भी सन्तुष्ट नहीं हैं लेकिन शायद बोल रहे हैं कि किस कारण से, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रश्न पर हाफ एन आवर का डिस्कसन हो, काल अटेन्शन हो परन्तु इस प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय सिद्धान्ततः माननीय जोशी जी भी मानते हैं कि इस प्रश्न पर ध्यान आकर्षण या हॉफ एन आवर का डिस्कसन हो। इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन का जिस तरह से रिप्लाई होना चाहिये वह नहीं आ सका है। मैं यह कहना चाहूंगा कि असेम्बली का जितना समय रहा है उसमें न तो हाफ एन आवर डिस्कशन हो सकता है और न काल अटेन्शन मोशन आ सकता है। इसलिये इस क्वेश्चन को पोस्टपोन कर दिया जाये और मुख्य मंत्री जी आ जावें उस समय इसका रिप्लाई दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री जी आ जायेंगे तब आप, मैं और मुख्य मन्त्री जी बैठ कर इस प्रश्न के बारे में तय कर लेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तीनों में सन्तोष नहीं होगा तो आप हाउस को रेफर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, तय हो जायेगा।

श्री शोपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता और मुख्य मन्त्री जी बैठ कर तय कर लेंगे, फिर क्या रह जाता है ? यह प्रश्न सदन की प्रोपर्टी है। सदन को इस बात का अधिकार है और अगर सदन सन्तुष्ट नहीं है तो इसके जवाब लेने के लिये हमको पूरा अधिकार है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य बात केवल इतनी ही है कि क्वेश्चन को पोस्टपोन्ड किया जाये, ऑफ एन आवर या काल अटेन्शन मोशन से उठाया जाये ? केवल इस बात पर ही चर्चा करेंगे और कोई बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह प्रश्न संख्या 357।

श्री घनश्याम तिवाड़ी :....(व्यवधान) जवाब इस सदन के अन्दर देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी। प्रश्न संख्या 357.

छीपा बड़ोद नगरपालिका

357. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) (श्री प्रतापसिंह के स्थान पर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) छीपा बड़ौद नगरपालिका के किस-किस कर्मचारी का कितना–कितना वेतन व पी.एफ. कब-कब से देय है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पालिका कर्मचारियों का वेतन व पी.एफ. का भुगतान करने में सक्षम है ? यदि हां, तो वतन व पी.एफ. के भुगतान नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) यदि सक्षम नहीं है तो क्या राज्य सरकार की ओर से पालिका को विशेष अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां तो कब तक ?

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर शर्मा) (1) छीपाबड़ोद नगर पालिका में जिन–जिन कर्मचारियों के वेतन व पी. एफ. की राशि जब–जब से बकाया है, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। इस नगरपालिका की मासिक आय प्रति माह होने वाले व्यय की राशि से कम होने के कारण कर्मचारियों के बकाया वेतन व पी.एफ. की राशि चुकाने में कठिनाई आ रही है।

(3) जी नहीं। नगरपालिका में बकाया वेतन भत्तों का भुगतान कराने के लिये कोई विशेष अनुदान नहीं दिया जाता है। नगरपालिका को अपनी आय में वृद्धि करने या इस हेतु ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही करनी होगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय कृपा कर बतलाने का कष्ट करें कि मई और जून के करीब पोने दो लाख रुपया बकाया है, जिसमें से 57 हजार रुपया हरिजनों को देना बाकी है। इसके अलावा जुलाई का वेतन बाकी है।

मंत्री महोदय आप स्वयं विचार कर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

लीजिये कि हरिजनों को तीन-तीन माह तक तनख्वाह न मिले तो उसकी क्या दयनीय स्थिति होगी। दूसरा प्रश्न यह है कि पी. एफ. का चार लाख रुपया बकाया चल रहा है। मंत्री महोदय आपने बताया है कि हम अनुदान की राशि वेतन चुकाने के लिये नहीं दे सकते हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि क्या आपने अनुदान देने के लिये कोई नियम, प्रक्रिया अपना रखी है? या अपनी मर्जी से अनुदान देते है। नगरपालिका को अनुदान नहीं देते हैं, नगरपालिका में वेतन चुकाने की व्यवस्था नहीं होती है, उसकी आय के स्रोत बढ़ाने की बात नहीं की जाती है? मुखर्जी आयोग ने छोटी-छोटी नगरपालिकाओं, करीब 57 नगरपालिकाओं को ग्राम पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, इस बात को रटते रटते दो साल हो गये हैं, तो क्या आप इन नगरपालिकाओं को ग्राम पंचायत में परिवर्तित करने का विचार कर रहे हैं। कृपया इसका स्पष्ट उत्तर दें।

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आम तौर से राजस्थान की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति खराब है। क्या ऐसी नगरपालिकाओं की आय बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है जिससे कि नगरपालिकाएं सक्षम हों सकें।

श्री चन्द्रशेखर शर्मा : कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि मई और जून का कर्मचारियों का वेतन बकाया है। मैं आपको जानकारी दूं कि एक लाख एक हजार 150 रुपये इस समय बकाया है उसमें ये 38 हजार रुपये की हम ग्रान्ट इन एड दे चुके हैं। ग्रांट इन एड देने का मुख्य उद्देश्य डवलपमेन्ट से है लेकिन जो नगरपालिकाएं सक्षम नहीं होती हैं वे इनको वेतन में एडजस्ट करती हैं। हमने 35 हजार रुपये की ग्रान्ट इन एड और सेंक्सन की है और शीघ्र भेज रहे हैं। जहां तक अनुदान देने का प्रश्न है, मैं आपको जानकारी दूं कि दस रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। जहां तक नगरपालिकाओं के विकास और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का सवाल है, आप सब जानते हैं कि प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। पिछले दिनों स्वायत्त शासन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस तरह से इस प्रश्न पर एक बहस राष्ट्रीय स्तर पर उठी है और संविधान में संशोधन भी आने वाला है कि किस तरह से हम नगरपालिकाओं को पंचायतों की तरह से विकास कार्यों से जोड़ें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : तीन तीन महिनों से हरिजनों को वेतन नहीं चुका है और राजीव गांधी की बात कह रहे हो। आप तो यह बताइये कि आप इन गरीबों को तनख्वाह चुका देंगे या नहीं। राजीव गांधी कहां से आ गया। दो लाख रुपया बकाया है, चार लाख पी. एफ. का बकाया है और +++

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी ।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, रायपुर नगरपालिका की हालत भी ऐसी है । वहां वेतन नहीं मिल रहा है और हरिजन दस बार हड़ताल कर चुके हैं । माननीय अध्यक्ष मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं । सरकार क्यों नहीं मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को लागू करती है और इन छोटी छोटी नगरपालिकाओं को बंद करती है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप मुखर्जी रिपोर्ट का कब तक लागू कर देंगे ?

श्री चन्द्रशेखर शर्मा : मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वर्तमान में हमारी नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सन्तोषजनक नहीं है । इसी कारण से राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस हो रही है और सविधान में संशोधन लाने की बात हो रही है ताकि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके । माननीय सदस्य जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि नगरपालिकाओं की आय किस तरह से बढ़े, चुंगी की सही वसूली हो और नगरपालिका क्षेत्र का विकास हो । यह हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिये । आने वाले समय में संविधान में एक संशोधन लाने की बात चल रही है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट लागू करें । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि मुखर्जी रिपोर्ट पर मंत्री मण्डल स्तर की कमेटी ने निर्णय ले लिया है और मुख्य मंत्री को घोषणा करना है । वह कब तक कर देंगे ।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारा एक मात्र सवाल यह है कि आप मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट को कब तक लागू कर देंगे ।

सहकारी गोदामों का उपयोग

358. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहकारी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक राज्य में किस किस वर्ष में कितने गोदामों का निर्माण कराया जा चुका है तथा इनकी कुल क्षमता कितनी है ?

(2) क्या इन गोदामों की कुल क्षमता का पूरा उपयोग हो रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामसिंह विश्नोई) : (1) राज्य के सहकारिता क्षेत्र में चार योजनाओं में अब तक 4557 गोदामों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 4,66,353 मैट्रिक टन है । इनमें से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य योजना में प्रारम्भ से 1978-79 तक 1354 गोदाम 1,57,250 मैट्रिक टन क्षमता के यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता परियोजना में 1979-80 से 1984-85 तक में 2726 गोदाम 246950 मैट्रिक टन क्षमता के जनताति क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत 1976-77 से 1986-87 तक 106

(श्री रामसिंह विश्नोई)

गोदाम 7700 मैट्रिक टन क्षमता के तथा विश्व बैंक एन. सी. डी. सी. तृतीय परि-योजना के अन्तर्गत 1985-86 से 1988-89 तक 371 गोदाम 54450 मैट्रिक टन क्षमता के निर्मित हो चुके हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त 220 गोदाम 30650 मैट्रिक टन क्षमता के इन चारों योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। योजनावार, वर्षवार गोदामों की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रदेश में पड़ रहे अकाल के कारण अनाज का उत्पादन नगण्य होना, सहकारी समितियों की कमजोर स्थिति, नियंत्रित मूल्यों की वस्तुओं का सीमित मात्रा में उपलब्धि, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं समुचित मात्रा में खरीदने की क्षमता नहीं होना, कृषि विपणन का कार्य समितियों द्वारा आंशिक रूप से करना आदि इसके मुख्य कारण हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन गोदामों के निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था। क्या यह सही है कि गांव के किसानों को अपनी उपज के भण्डारण की सुविधा अधिक से अधिक देने के लिये मुख्यतया इन गोदामों का निर्माण किया गया है। यदि यह बात सही है तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इन गोदामों में किसानों की उपज कितनी प्रतिशत रही, व्यापारियों ने इसका कितना प्रतिशत उपयोग किया, फूड कार्पोरेशन ने इसका कितना प्रतिशत उपयोग किया और अन्य संस्थाओं ने इसका कितना प्रतिशत उपयोग किया ? दूसरा सवाल यह है कि क्या यह सही है कि इन गोदामों में किसान अपनी उपज रखने के बाद उनको जो बैंकों से ऋण मुहैय्या करने की व्यवस्था है, वह व्यवस्था कारगर नहीं है, समुचित नहीं है। इस वजह से किसान इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। इन दो प्रश्नों का जवाब दिलवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वह तो जैसा आपने खुद ही बता दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर पांच लाख मैट्रिक टन के ये जो गोदाम बने हैं, स्टोरेज केपेसिटी जो बनी है उसमें उसका उपयुक्त गांव के अन्दर जब प्रचार होगा, गांवों के अन्दर अकाल जो पड़ते हैं, वे बन्द होंगे, अनाज का उत्पादन होगा, लोगों में समझ होगी तभी इसकी जा करके उपयोगिता साबित होगी। जहां तक इसका कितना उपयोग हुआ है, यह बात सही है कि अकाल के कारण जितना उपयोग होना चाहिये वह नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्र में 100, 50 मैट्रिक टन के जो गोदाम हैं वह करीब सवा दो प्रतिशत का उपयोग हुआ है लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में या मार्केटिंग के अन्दर जो गोदाम है उसका करीब 86 पर्सेन्ट उपयोग हुआ है। बड़े गोदाम जो थे 100 मैट्रिक टन के और 250 मैटिक बीच में हैं उसके अन्दर करीब 86 पर्सेन्ट का उपयोग हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर वाकई में केवल दो, सवा दो पर्सेन्ट का ही उपयोग हुआ है क्योंकि लगातार चार-पांच साल से अकाल

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पड़ रहा है । अब लोग उसमें रखे तो क्या रखें । जब गेहूं है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, तिलहन है, कोई चीज पैदा ही नहीं होती है तो उसके अन्दर क्या रखें । लेकिन आज पांच लाख मैट्रिक टन की जो क्षमता है वह इतनी बड़ी गांवों के अन्दर एक केन्द्र बन गया है ग्रामीण स्तर पर जहां पर गांव में शक्कर है, अनाज है दूसरी आवश्यकता की चीजें हैं वे लाकर गोदाम में रखने की जो प्रवृति लोगों में जो जाग्रत की है, मेरे ख्याल से इसका आज तो उपयोग कम हो रहा है लेकिन भविष्य में ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग होगा और किसानों को फायदा होगा । इसको ग्राम स्तर पर ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता है । प्रचार भी किया जा रहा है लेकिन कुछ अकाल के कारण, आप सही बता रहे हैं कि उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसका सही ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा पूरा जवाब तो आने दीजिये । (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : क्या यह सही है कि गोदाम खाली पड़े हैं जिनमें चौमासे में मक्खियां, मच्छर और भेड़ बकरियां बैठी हैं उनमें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डूंगर राम जी आपको तो हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है । सीधे खड़े हो जाते हैं ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ शब्दों में पूछा है कि इन गोदामों की क्षमता का उपयोग किसानों ने कितना प्रतिशत किया, व्यापारियों ने कितना प्रतिशत किया, फूड कार्पोरेशन ने कितना प्रतिशत किया व अन्य संस्थाओं ने कितना प्रतिशत किया, इस बारे में वे चुप हैं....(व्यवधान)

दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि इन गोदामों में किसान जो अपनी उपज रखते हैं, उस पर बैंक से ऋण जो मुहैय्या करने की सुविधा किसानों को है वह पर्याप्त नहीं है । इस वजह से किसान इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्या यह सही है ? फिर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गत वर्ष राजस्थान में उपज कम हुई थी और क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान में पिछले चार सालों से गत वर्ष बम्पर क्राप थी तो गत वर्ष का ही बता दीजिये । आप तो पिछले काल की बात कह रहे हैं और अकाल में नहीं हुआ, समझ में आ गई, लेकिन गत वर्ष जब इतनी क्राप हुई तो उसमें गांवों में आपने दो प्रतिशत क्षमता का उपयोग बताया है, इस दो प्रतिशत में किसान कितना है, फूड कार्पोरेशन कितना है और दूसरे व्यापारिक कितने है व अन्य संस्थाएं कितनी हैं । इसका स्पष्ट जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह ।

श्री हीरा सिंह चौहान : इसका स्पष्ट जवाब आने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है, अभी आ रहा है । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं और आप मुझे भाषण दिलवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं टाइम सेव करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, दीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसान के द्वारा इसके उपयोग करने का प्रश्न है जब बाजार में अगर अच्छे भाव मिलते हैं तो मेरे ख्याल से किसान को इसमें रखने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो दूसरा चार साल में कुछ पैदा ही नहीं हुआ है, जब प्रान्त के अन्दर पैदावार अच्छी नहीं है तो बाजार में भाव बढ़ गये और जब भाव ज्यादा बढ़ गये तो किसान को गोदाम में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह मार्केट में गया और उसका माल बिक गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने पिछली साल का पूछा है। पिछले साल का.... (व्यवधान)

मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिये पहले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनको पता है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने पिछली साल का पूछा है। ये चार साल का बता रहे हैं पिछले साल का बताइये।

श्री अध्यक्ष : वे पिछली साल का भी कह रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पिछले साल बाजरा हुआ उस बाजरे की कीमत बाजार की कीमत से नीचे गई....(व्यवधान)

हां, नहीं मिले बाजार में। आप भी खरीद नहीं सके। उसके बावजूद भी कितना उपयोग इन गोदामों का भण्डारण के लिये हो रहा है, यह जवाब दीजिये न।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूं बाजरे का भाव नीचे नहीं गया। आप कह रहे हैं कि बाजरे का भाव नीचे गया वाकई में तो आप बताइये कौनसे किसान ने किस गोदाम के अन्दर मांग की, बता दीजिये। आपके चूरू के अन्दर, सीकर के अन्दर। कहां पर मांग की और कहां पर....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप स्तीफा देकर मुझे मंत्री बनाइये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरे सवाल का जवाब मैं ही दूंगा या ये देंगे....(व्यवधान) जवाब तो दे नहीं रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : I want to close it You can differ. Now let him reply.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको सवाल नहीं पूछ रहा हूं। आप बताइये कि आपके

(श्री रामसिंह विश्नोई)

एरिया के अन्दर, आपके क्षेत्र के अन्दर, आपके जिले के कितने किसानों ने कौनसे गोदामों के व्यवस्थापकों से मांग की थी कि हमारा माल प्लेज करना चाहते हैं। आप बताइये कोई शिकायत हो तो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरे ऐरिया के अन्दर एक हजार किसानों ने मांग की थी और उनको मिला नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं राजस्थान में कहां-कहां गोदाम बने हुए नहीं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, क्या सरकार ने इसका सर्वे करवाया है ?

दूसरा सवाल, क्या जहां गोदाम भी बने हुए हैं लेकिन किसानों की इतनी उपज होती है उसके रख रखाव के लिए अतिरिक्त गोदामों की जरूरत है, इस बात का भी आपने सर्वे करवाया है या करवाना चाहते हैं ?

राज्य के इस साल के बजट में कितने गोदाम और राजस्थान में बनने प्रस्तावित हैं ?

चौथा सवाल है लास्ट, जो गोदाम बने हुए हैं वह बहुत सारे टूट गये हैं, उनके रख रखाव की पोजिशन खराब है, क्या उनकी आप जांच करवा कर मरम्मत कराने की सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीरामजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, काश्तकार गोदामों में अनाज रखने के लिये नहीं आये, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, कोई काश्तकार माल रखने आये तो क्या आपने व्यवस्था कर रखी है कि समिति उनका माल रखने पर पैसा देती है ? ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा फर्जी उत्तर दिया गया है। अभी तक राज्य सरकार ने या सहकारी विभाग ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। आज अगर कोई काश्तकार माल लेकर जाय तो यह न रख सकते हैं, न कोई ऐसी व्यवस्था है, न कोई नियम हैं। यह सरासर गलत उत्तर है।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र शास्त्री। (व्यवधान) वही सवाल है, वही उत्तर है। अब ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं उठायेंगे।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता था, सहकारी समितियों पर इन बने हुए गोदामों का कुल कितना कर्जा और ब्याज बाकी है ? हर साल कितना ब्याज उस पर बढ़ता जाता है ? एक।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री महेन्द्र शास्त्री : नहीं, साहब, अलग क्यों है, गोदामों के निर्माण का सवाल है।

दूसरा, इनमें से कितने गोदाम ऐसे हैं कि जो कि काम में न आने के कारण आज काम में न आने की स्थिति में हैं ?

श्री अध्यक्ष : देवीसिंह जी, आप भी करेंगे ? देवीसिंहजी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): आपने एक तो बता दिया, लगातार चार साल से अकाल पड़ रहा है इसलिये अनाज का उत्पादन नहीं हुआ। मैं आपकी यह जानकारी में लाना चाहता हूं कि बीकानेर के नहरी क्षेत्र में जहां आपके गोदाम बने हुए हैं, वहां स्वयं मैंने जानकारी की है, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो हमारा कबाड़ा पड़ा हुआ है। जो सहकारी समिति हैं उनका कबाड़ा वहां रखा हुआ है। अगर हम किसान का कोई अनाज यहां रखना चाहें तो हमारे पास साधन नहीं हैं, पैसा नहीं है, हम किस का सामान रख दें। गोदाम जरूर बनाये हुए हैं। तो नहरी क्षेत्र में भी यही स्थिति है कि पूंजी आपके पास है नहीं, गोदाम जरूर आपके छोटे–छोटे बने हुए हैं जो कि नहरी क्षेत्र के उत्पादन को देखते हुए नगण्य हैं। इसके लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं और पूंजी के लिये आप विशेष तौर से बताइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: एक और है।

श्री रामसिंह विश्नोई: यह काफी हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो इसकी उपयुक्तता के बारे में पूछा, वाकई में यह मैंने बता दिया था अकाल के कारण यह स्थिति हुई है। कुछ सोसायटीज की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वह लोगों का माल आवे तो प्लेज करके उनको रकम दे सकें। ऐसी सोसायटीज कम हैं। लेकिन यह भी बात सही है कि राजस्थान के अन्दर काफी ऐसी सोसायटीज हैं जहां पर प्लेज करने का, किसानों को वापस उसके मुकाबले में ऋण देने का व्यवसाय कर रही हैं। इसके अलावा प्लेज करने का भी नहीं है। खाद है, बीज है, शक्कर है, बीस तरह की चीजें हैं जो किसानों के काम में आने वाली चीजें हैं वह भी गोदाम के अन्दर रखने के काम आती हैं। जहां पर इन्होंने बताया, कोई सोसायटी है, मैं कहता हूं कोई आप सोसायटी बताओ जिसका मैं जवाब दूं। अब जहां साढ़े चार हजार गोदाम बने हुए हैं, पर्टीकुलर सोसायटी का बतायें तो उसका तो मैं जवाब दे सकता हूं, अलग से आप कहते हो कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे मैं कैसे बता सकता हूं।

इन्होंने जो नहरी क्षेत्र की बात कही है, नहरी क्षेत्र में खाद, बीज, बेशुमार चीजें गोदामों में रखने की हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इसका उपयोग नहीं होता है। लेकिन सोसायटी पर निर्भर करता है। जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जैसी आपकी व्यवस्था है वहां पर, जो चुने हुए आदमी हैं वहां पर, सोसायटी जैसा काम करती है, अपने क्षेत्र के अन्दर ऐसा उपयोग करने के लिये आप भी उनको समझाइये किसी क्षेत्र में अच्छा काम होता है, आपके क्षेत्र में नहीं होता है तो आपका फर्ज भी बनता है कि लोगों का मानस बनायें, वहां ले जाकर उनको समझाइये, भाई, गोदाम में रखें, करें। किसान के भाव जब डाउन हो जाते हैं तो उनकी गोदाम में रखने की प्रवृत्ति आप बनायेंगे तो जब चार–पांच किसान जायेंगे, तो मेरे ख्याल से वहां के जो व्यवस्थापक हैं, बोर्ड है, वह अपने जिले के जो बैंक हैं वहां पर जायेंगे और उनसे व्यवस्था करेंगे, पैसे लायेंगे। यह प्रवृत्ति बढ़ायेंगे तो इसमें

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जरूर आपको सहयोग मिलेगा। बाकी आज जो गोदाम पांच लाख टन क्षमता के बने हैं, यह अगर पांच साल बाद बनते तो करोड़ों रुपये इसमें खर्च होते। इसलिये बहुत बढ़िया यह प्रोग्राम है और इसका बहुत ज्यादा फायदा है। जो सोसायटी अच्छा काम करती है, जो चुने हुए आदमी अच्छा काम करते हैं उनके लिये यह बहुत काम की चीज है और आप उसका उपयोग नहीं करना चाहो उसके लिये आप कितनी ही बुराई करो तो इसमें कोई सार है नहीं।

एक माननीय सदस्य: बाकी के जो बचे हुए हैं, कब तक बना देंगे?

श्री डूंगरराम पंवार: फसल रखने के कमाण्ड एरिया में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट–3 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना गन्धेली की वित्तीय स्वीकृति

488. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना गन्धेली-साहवा के द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी करने की घोषणा गत सत्र में 31 मार्च, 1989 को तत्कालीन मन्त्री महोदय ने की थी? यदि हां, तो कब तक? क्या स्वीकृति जारी कर दी गई है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक स्वीकृति जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों और अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब कोई कार्यवाही करने की सोच रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों।

(4) अब कब तक स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 3.5.88 को नीति निर्धारण समिति की 45वीं मीटिंग में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

(2) जी हां। प्रथम वरियता के पैकेज की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 15.7.89 को तकनीकी समिति द्वारा जारी कर दी गई है।

(3) जी नहीं। प्रथम वरियता के पैकेज की तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई हैं।

(4) योजना की स्वीकृति जारी कर दी गई है, एवं कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामों में खारा पानी

489. **श्री जगजीत सिंह** (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम सिनोदिया व जालियों की ढाणी व अराई के ग्राम बिरद-पुरा व मोतीपुरा में खारा पानी है ?

(2) यदि हां, तो सरकार इन गांवों के लिये कब तक पेयजल योजना बनाकर मीठा पेयजल उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन ग्रामों के लिये पेयजल योज–नाऐं तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत कर क्रियान्वित की जावेगी।

पाली जिले के धार्मिक स्थलों पर चोरियां

490. **श्री भोलाराम सैनी** (गुढ़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पाली जिले के बाली उप अधीक्षक पुलिस के क्षेत्राधिकारी के गांवों में वर्ष 1985 से 1988-89 तक धार्मिक मन्दिरों/स्थलों में किस–किस स्थान पर चोरियां हुई जिनके मुकदमें दर्ज हुये व क्या–क्या माल चोरी गया ? कितनी बरामदगियां हुई और कितने मामलों में अब तक बरामदगी नहीं हुई या शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वांछित विवरण परिशिष्ट-अ में अंकित है जो संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

पीपल्दा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री वितरण की व्यवस्था

491. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)
श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पीपल्दा तहसील में पंचायतों में शक्कर, मिट्टी का तेल, कपड़ा सीमेंट आदि वितरण की क्या व्यवस्था है ? पंचायतवार डीलर का नाम, पिता का नाम, जाति एवं पता की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त खाद्य सामग्री पंचायत मुख्यालय पर एवं समय पर वितरित नहीं की जाती जिससे ग्रामीणों को खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं होती ?

(3) क्या सरकार खाद्य सामग्री एवं तेल आदि वस्तुओं के ग्रामीण क्षेत्रों में वित-रण की समुचित व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) पीपल्दा तहसील में पंचायतों में शक्कर, मिट्टी का तेल, कपड़ा आदि की वितरण उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से कराया जाता है। मिट्टी के तेल का वित-रण उचित मूल्य के दुकानदारों के अलावा अन्य लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के द्वारा भी कराया जाता है। सीमेंट के मूल्यों एवं

(खाद्य मंत्री)

वितरण पर 1-3-89 से केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रण समाप्त कर देने से अब वितरण नहीं कराया जाता है। पंचायतवार डीलर का नाम, पिता का नाम, जाति एवं पता की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। केरोसीन तेल विक्रेताओं की पंचायतवार सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। ग्रामीणों को खाद्य सामग्री उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवंटित मात्रा के अनुसार उपलब्ध करवाई जाती है।

(3) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सामग्री एवं तेल आदि वस्तुओं के वितरण की समुचित व्यवस्था कर रखी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

तहसील शेरगढ़ में पेयजल व्यवस्था

492. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़) **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला जोधपुर के शेरगढ़ तहसील में कलाऊ से शेरगढ़ के लिए पेय–जल की कोई योजना बनी व स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजी गई ? यदि हां, तो कब ? उस योजना की क्या प्रगति है ! यदि योजना स्वीकृत नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या इस क्षेत्र में गरीब अनुसूचित व जनजाति के मेघवाल व भीलों की पर्याप्त संख्या है ? हां, तो कितना प्रति–शत ?

(3) क्या इस क्षेत्र में मीठे पानी का एक भी कुंआ नहीं है ? पानी की इस क्षेत्र में विकट समस्या के हल के लिए क्या निदान विचाराधीन है। व उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

(4) शेरगढ़ के मेघवालों का खारा बेरा, सिडेसों की खारी बेरी, रावली खारा बेरा, हाडो की पोलोजी, मेघवालों की ढाणियां, मूगरा रेला भीलों का खारिया बेरा पालोगी मंगवाल, खरला रोड, सुवा-लिया में चनुरियों की ढाणी, सोलकिया तला सूवानिया, दासानिया, पल्सूड सोपेसर आदि स्थानों पर पेयजल की क्या व्यवस्था है ? इन ग्रामों में मीठा पेयजल कब तक व कहां से उपलब्ध कराया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। शेरगढ़ ग्राम को अन्य स्रोत से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी हां। मेघवाल व भीलों की संख्या 1981 को जनगणना के अनुसार करीब 21.90 प्रतिशत है।

(3) जी हां। कलाऊ से शेरगढ़ के बीच के ग्रामों में मीठे पानी का कोई कुआ नहीं है किन्तु रास्ते के ग्रामों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। 5 ग्राम व चार ढाणीयों के लिये संवर्धन क्षेत्रीय पेयजल योजना सोमेसर सुआलिया का कार्य प्रगति पर है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

(4) ग्राम सोलंकिया तला सुआलिया एवं सोमेसर को क्षेत्रीय पेयजल योजना द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। चतुराणियों की ढाणी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य प्रगति पर है। शेष ढाणियों को तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धि के अनुसार योजनाएं स्वीकृत कर पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

पंचायत समितियों के राजपत्रित अधिकारियों के वेतन

493. **श्री सुन्दरलाल** (सूरजगढ़) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार के इस प्रकार के कोई आदेश हैं जिनके अनुसार पंचायत समितियों में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बिल मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों द्वारा पारित करने के आदेश हैं ?

(2) क्या राजस्थान के सभी जिलों में इस प्रकार के बिल मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ही पारित करते हैं ?

(3) यदि नहीं, तो कौन-कौन से जिले में बिल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित किये जा रहे हैं। इसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद, झुंझुनूं द्वारा ही इनके वेतन एवं भत्तों के बिल पारित किये जाने की व्यवस्था कर रखी है, जो नियमानुसार सही नहीं है।

(3) केवल जिला झुंझुनूं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद द्वारा उक्त व्यवस्था कर रखी है। इस व्यवस्था को हटाने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अन्य जिलों में ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं है।

बारां भवन निर्माण वस्तु उत्पादक सोसायटी

494. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बारां चूना ईंट भवन निर्माण वस्तु उत्पादक सोसायटी (रजि. 917 आर. बी.) बारां किन–किन वस्तुओं का उत्पादन करती है।

(2) क्या बारां चूना ईंट भवन निर्माण वस्तु उत्पादक सोसायटी को सरकारी वित्तीय संस्थाओं से एवं खादी ग्रामोद्योग से वित्तीय ऋण प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस समय में कितना-कितना ऋण प्रदान किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सोसायटी की कार्यकारिणी ने उस ऋण को वापिस लौटाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सोसायटी के नियमों में यह प्रावधान है कि उत्पादन करने वाले साधनों

(श्री हरीश शर्मा)

को किराये पर दे सकते हैं ? यदि किराये पर दिये गये हैं, तो क्यों ?

(5) क्या सोसायटी के लिये चूने भट्टे के लिये जमीन का अलाटमेंट उपखण्ड अधिकारी कर सकता है ? यदि कर सकता है तो किन नियमों के तहत ?

उत्तर

(1) समिति द्वारा ईंट, चूना के उत्पादन का कार्य किया जाता था, किन्तु वर्तमान में समिति निष्क्रिय अवस्था में है।

(2) जी, हां। सूचना सदन की मेज पर परिशिष्ट 'अ' अनुसार रख दी गई है।

(3) समिति द्वारा 7805/- के ऋण का चुकारा कर दिया गया है। वर्तमान में केवल 195.00 रुपये ऋण राशि चुकानी शेष है।

(4) समिति कार्यशील पूंजी के अभाव के कारण अपना उत्पादन कार्य चालू नहीं रख सकती थी अतः 300/– माहवार पर भट्टा किराये पर दिया गया।

(5) इस प्रकार के प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन के नियम बने हुए हैं किन्तु इस समिति को चूने भट्टे की भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटित नहीं की गई है। जमीन समिति ने क्रय की है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)।

अता. प्रश्न सं. 495
(स्थगित)

न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन के मालखाने से हथियार चोरी

496. **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुआ) **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) **एवम् श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि न्यायिक मजिस्ट्रेज हिण्डौन के मालखाने से कुछ जब्त हथियार चोरी गये थे ? यदि हां, तो कब कितनी मात्रा में किसकी लापरवाही से ?

(2) क्या कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। इस बाबत अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। हिण्डौन ए. एम. जे. के न्यायालय के मालखाने से कुछ हथियार चोरी गये थे। इनकी मात्रा सूची 'अ' में संलग्न है।

(2) जी हां। एफ. आई. आर. की नकल अनुसूचि 'ब' संलग्न है। इस रिपोर्ट पर दर्ज अभियोग में दिनांक 3.12.86 को एफ. आर. नं. 75 अदम पता माल मुलजिमान दी गई। अभियोग की तफ्तीश समाप्त कर दिये जाने के बाद भी अन्य चोरियों के मुकदमात के साथ इसके लिऐ भी पतारसी की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

नागौर जिले में जल योजना हेतु स्वीकृत राशि

497. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह

(श्री हरजीराम बुरड़क)

बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विगत कुछ वर्षों से नागौर जिले से जल योजनाओं के लिए कुछ राशि जिला विकास अभिकरण नागौर द्वारा दी गई थी ? यदि हां, तो किस-किस योजना के लिये कितनी राशि कब-कब दी गई ? उपखण्ड वार सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राशि में से कुछ राशि कार्यों पर खर्च भी की गई ? यदि हां, तो किस-किस कार्य पर कितनी–कितनी राशि कब-कब खर्च की गई और कौन-कौन सा कार्य कब–कब पूरा हुआ ? उप खण्ड वार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यों में कुछ कार्य अधूरे भी रहे है ? यदि हां, तो कौन-कौन सा कितनी-कितनी राशि का तथा उनको पूरा किस प्रकार से कब तक कराया जायेगा ? योजना बन्द होने के बाद इन्हें पूरा कराने के क्या-क्या प्रयास किये गये ? उप खण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । वांछित सूचना परिशिष्ट 'अ' में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । विवरण परिशिष्ट 'ब' में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जी हां । विवरण परिशिष्ट 'ब' में दे दिया गया है । शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु नवम वित्त आयोग के तहत प्रस्ताव लिये गये हैं ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर स्थित शराब के ठेकों पर छापे

498. श्री **चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़)

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मार्च 1988 से दिसम्बर 1988 तक आबकारी विभाग ने जयपुर स्थित शराब के ठेकों पर कितने छापे कब-कब मारे व इस दौरान किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया ?

(2) सरकार को जयपुर नगर में शराब के ठेकों से प्रति वर्ष कितनी आय औसतन होती है ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) सरकार को वर्ष 1987-88 में रुपये 17,48,23,522.00 एवं वर्ष 1988–89 में रु. 19,41,89,527.00 आय प्राप्त हुई । इन दो वर्षों की औसतन आय रु. 18.45 करोड़ के करीब होती है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

गंगानगर जिले के अध्यापकों के विरूद्ध रिपोर्ट

499. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की करणपुर समिति के तत्कालीन विकास अधिकारी श्री ओंकार नाथ ने फर्जी डिग्रियों से नौकरी प्राप्त करने के आरोप में 29 अध्यापकों के विरूद्ध करणपुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मामले में कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

(3) अब तक के अनुसंधान से 24 व्यक्तियों की डिग्रियां फर्जी होना पाया गया है। अनुसंधान पूर्ण करना शेष है।

राजस्थान में सड़क दुर्घटनायें

500. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में 1.4.1988 से 31.3.1989 तक कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इसमें कितने लोग मरे व कितने घायल हुए। दुर्घटनाओं की जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) इन दुर्घटनाओं में सरकारी वाहन कितनी-कितनी दुर्घटनाओं में थे ? उनको कुल कितनी क्षति पहुंची।

(3) बढ़ती दुर्घटनाओं के कारणों पर सरकार ने विचार किया है। उसे दूर करने के क्या उपाय कर रही है ?

(4) दुर्घटना के प्रमुख स्थानों पर वाहनों विशेष कर ट्रकों के आवागमन व पार्किंग व उस स्थान पर सड़कों को चौड़ी बनाने के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में दिनांक 1.4.1988 से 31.3.1989 तक कुल 8465 सड़क दुर्घटनायें हुयी जिनमें 2567 व्यक्ति मरे एवं 9828 व्यक्ति घायल हुये। जिलेवार संख्या सूची संलग्न है।

(2) इन दुर्घटनाओं में 503 सरकारी वाहन थे। क्षति का आंकलन सम्बन्धित विभाग में ही उपलब्ध रहता है।

(3) बढ़ती हुयी दुर्घटनाओं को देखते हुये दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु बाईपास बनाये गये है बाईपास से लगी कच्ची बस्तीयों व कालोनियों के सहारे रेलिंग लगायी गयी है, स्पीड ब्रेकर उपयुक्त स्थानों पर बनाये गये हैं। जगह-जगह गति नियंत्रण हेतु स्पीड चैक बेरियर लगाये गये हैं। वाहनों की चैकिंग की जाती है और चालान किये जाते हैं। सड़क का उपयोग करने वालों को

(गृह मन्त्री)

ट्रैफिक नियमों से आगाह कराने हेतु समय-समय पर अभियान चलाये जाते हैं।

(4) वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यक्रम विभिन्न विभागों द्वारा लिया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

जयपुर में पेयजल हेतु लगाये गये हैण्ड पम्प्स

501. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या जलदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर नगर में पेयजल समस्या समाधान हेतु चौकड़ी अनुसार कितने कितने हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं ? प्रत्येक चौकड़ी में कितने चालू व अनुपयोगी हैं। खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या सरकार जल संकट निवारण हेतु 500 नए हैण्ड पम्प और लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

(3) नगर में किन–किन मोहल्लों व उपनगरों में जल व्यवस्था (प्रेशर) में सुधार के लिए बड़ी पाइप लाइन द्वारा मकानों के कनेक्शन कर दिये गये हैं ?

(4) शेष कहां–कहां और लाइन डाला जाना आवश्यक है ? शेष कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में कुल 406 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। जिनमें से 392 चालू स्थिति में हैं एवं 14 हैण्डपम्प स्थाई रूप से अनुपयोगी हैं। अस्थाई रूप से खराब होने वाले हैण्डपम्पों को समय–समय पर ठीक कर दिया जाता है। चौकड़ी अनुसार वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दे दिया गया है।

(2) जयपुर शहर में पेयजल का कोई संकट नहीं है, अतः वर्तमान में नये हैंण्डपम्प लगाये जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जल वितरण व्यवस्था के सुधार हेतु पिछले एक वर्ष में डाली गई पाइप लाइनों का विवरण परिशिष्ट "ख" में दे दिया गया है।

(4) शेष स्थानों पर जहां पाइप लाइन डाला जाना आवश्यक है, उनका विवरण परिशिष्ट "ग" में दे दिया गया है। क्रम संख्या 1 से 11 तक की पाइप लाइनों के डालने का कार्य प्रगति पर है शेष लाइने धन उपलब्धि के अनुसार डाली जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखे।)

नगरपालिका नवलगढ़ में कार्यरत कर्मचारी

502. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगरपालिका नवलगढ़ में कबसे कितने कर्मचारी अस्थाई हैं और फिक्स्ड

(श्री नवरंग सिंह)

वेतन पर कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उन्हें कब तक स्थाई कर दिया जावेगा और नियमित वेतन श्रृंखला दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) नगरपालिका नवलगढ़ में 14 अस्थाई कर्मचारी हैं। फिक्सड वेतन पर कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं। दैनिक वेतन पर सात कर्मचारी है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इन अस्थाई कर्मचारियों को चयन समिति द्वारा नियमानुसार चयनित करने पर नियमित वेतन श्रृंखला दी जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

नगर सुधार न्यास, हिण्डौन की योजनाओं में निरापत्ति प्रमाण-पत्र

503. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

नगरपालिका हिण्डौन सिटी द्वारा नगर सुधार न्यास की योजनाओं में वर्ष 1988–89, 1989–90 में किन–किन व्यक्तियों को निरापत्ति प्रमाण-पत्र (एन. ओ. सी.) जारी किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को भेजे गये मूल प्रारूप की प्रति भी सदन की मेज रखें।

उत्तर

नगरपालिका हिण्डौन सिटी द्वारा नगर सुधार न्यास की योजनाओं में वर्ष 1988–89 एवं 1989–90 में जिन व्यक्तियों को निरापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को भेजे गए मूल प्रारूप की प्रति भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, लालसोट के ग्राम मौलाई में प्राथमिक विद्यालय

504. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले की पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मौलाई में प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय को गांव की मुख्य आबादी में नहीं खोलकर गांव से 2 कि. मी. दूर एक ढाणी में शुरू किया गया है ? जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने कई बार जिला-प्रमुख, विकास अधिकारी एवं पंचायत राज मंत्री से की गई है ? यदि हां, तो जिस ढाणी में विद्यालय चलाया जा रहा है उसकी जनसंख्या क्या है एवं गांव की मुख्य आबादी की जनसंख्या क्या है ?

(3) क्या सरकार गांव की मुख्य

32

(श्री परसादी लाल मीणा)

आबादी सड़क के पास स्कूल खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम मौलाई पंचायत समिति, लालसोट में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दिनांक 3.2.89 को जारी की गई थी ।

(2) जी नहीं । संबंधित पंचायत राहूवास के प्रस्ताव दिनांक 28 मार्च, 1989 के अनुसार मौलाई में ही स्कूल खोला गया है । जो मुख्य सड़क से 1 कि. मी. दूर है । इस स्कूल के स्थान के बारे में पंचायत के एक वर्ग को आपत्ति थी । जिसकी शिकायत प्राप्त हुई थी परन्तु पंचायत समिति ने वर्तमान स्थान को सर्वोत्तम मानते हुए स्थान परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं समझा । ग्राम 5 ढाणियों में बसा हुआ है जिसकी आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार कुल 271 है ।

(3) ग्राम पंचायत ने सभी मुखिया ग्रामीणों और पंचायत के पंचों की सर्व सम्मत राय से प्रस्ताव पास कर स्कूल के स्थान का चयन किया है । स्कूल के लिए 2 बीघा जमीन श्री रामसहाय द्वारा दान में दी गई है । अत: स्कूल के स्थान बदलने का कोई औचित्य नहीं ।

पृथ्वीराज नगर परियोजना (जयपुर) का ब्ल्यू प्रिन्ट

505. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराज नगर योजना में कितने आवास किस–किस वर्ग के बनाने का प्रस्ताव है ?

(2) उक्त योजना के लिए विभाग के पास वर्तमान में कुल कितनी भूमि स्पष्ट उपलब्ध है ? कृपया योजना का ब्ल्यू प्रिन्ट सार्वजनिक हित के स्थानों को दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त योजना को लागू होने पर कितने आवास उपलब्ध होंगे व कब तक ?

उत्तर

(1) इस योजना का प्रारूप अभी तैयार किया जा रहा है । इस प्रारूप के तैयार होने के पश्चात विभिन्न वर्ग के आवासों की सही संख्या बताई जा सकती है । योजना में मुख्यतया अल्प आयवर्ग, निम्न आयवर्ग एवं मध्यम आयवर्ग के लोगों के लिए आवासों का प्रावधान रखा जावेगा ।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये अवाप्ति हेतु राजस्थान राजपत्र दिनांक 6–1–88 में 10721.17 बीघा भूमि की अधिसूचना प्रकाशित करवाई है । अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात स्पष्ट रूप से कब्जे में उपलब्ध भूमि का विवरण दिया जाना संभव है योजना का प्रारूप तैयार हो जाने के पश्चात मानचित्र उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

(3) इस संबंध में भूमि अवाप्ति हो जाने एवम् प्रारूप तैयार हो जाने के पश्चात ही कुछ बताना संभव है ।

कोटा नगर के घण्टाघर की बन्द घड़ी

506. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा नगर में स्थित घड़ी घन्टा-घर कब से बन्द पड़ी है ? उसे प्रारम्भ करवाने हेतु कब–कब क्या–क्या प्रयत्न किये गये और जब से वह बंद है किस-किस कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि उक्त कार्य पर खर्च हो चुकी है ?

(2) क्या उक्त घण्टाघर हेतु नई घड़ी खरीदी जा सकती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा नगरपरिषद में स्थित घंटा–घर की घड़ी 1977 से बन्द पड़ी हुई है और आज तक बन्द है । उसे प्रारम्भ करवाने हेतु प्रथम प्रयास 1979 में किये गये जिसमें 249.20 रुपये व्यय किये गये, परन्तु प्रयास सफल नहीं हुए घड़ी कुछ दिन चल कर पुनः बन्द हो गई । दूसरा प्रयास 1982 में किया गया । इस हेतु वेस्टर्न वाच कम्पनी को लिखा गया । जिसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और घड़ी बन्द ही रही । सन् 1985 मे स्थानीय घड़ीसाजों से इसे ठीक कराने का प्रयास किया गया जिसमें 460/– रुपये व्यय किये गये और कुछ दिन चलकर फिर बन्द हो गई । अंतिम प्रयास सन् 1988 में किया गया तब स्था–नीय घड़ीसाजों ने बताया कि यह घड़ी अब काम नहीं देगी, क्योंकि इसके खराब पुर्जे बाजार में उपलब्ध नहीं होने के कारण बदले नहीं जा सकते ।

(2) जी हां । नई घड़ियां खरीदने का अब निर्णय ले लिया गया है । इसी वर्ष इस घण्टाघर में नई घड़ी लगाने का प्रयास हो रहा है ।

पं. सं., लालसोट के ग्राम बगड़ी में पेयजल संकट

507. **श्री परसादी लाल मीणा** (लाल-सोट) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पंचायत समिति लालसोट के ग्राम बगड़ी में काफी समय से पेयजल का संकट है जिसके समाधान के लिए विभाग द्वारा जल–प्रदाय योजना के तहत कुएं का निर्माण आदि कार्य करवा लिया है ? परन्तु पीने का पानी अब तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है ?

(2) यदि हां, तो अब कब तक पीने का पानी गांव वालों को सुलभ करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । वर्तमान में ग्राम बगडी को 4 हैण्डपम्पों के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा हैं । मूल योजना के अनुसार कुए का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु आव–श्यक कार्यवाही की जा रही हैं ।

(2) मूल योजना को शीघ्र पूर्ण कर पीने का पानी उपलब्ध करवाया जावेगा ।

नागौर जिले में मीठे पानी का संयंत्र

508. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह

85

(श्री हरजी राम बुरड़क)

बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा खारे पानी को मीठा करने का संयंत्र लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो नागौर जिले में किस-किस गांव में कब-कब लगाया गया और अब किस-किस गांव में लगाया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिले के जिन गांवों में उक्त संयंत्र लगाये जा रहे हैं या लगाये गये हैं उनकी आबादी कितनी–कितनी है और उक्त संयंत्रों की क्षमता आठ घण्टे बिजली मिलने पर कितनी-कितनी है और विभाग के मानदण्डों के अनुसार उक्त ग्रामों की आवश्यकता कितने-कितने पानी की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग का यह मानना है कि उक्त संयंत्र लगाने से खारे पानी की समस्या का समाधान हो जायेगा ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो यह संयंत्र क्यों लगाये जा रहे हैं।

(4) क्या यह सही है कि संयंत्रों की क्षमता कम होने के कारण कम आबादी वाले गांवों में ही यह कारगर साबित हो सकते हैं ? यदि हां, तो बड़े गांवों में क्यों लगाया जा रहा है ?

(5) क्या ग्राम भाडेली तहसील जायल जिला नागौर में भी यह संयंत्र लगाया जा रहा है ? यदि हां तो इस ग्राम की आबादी को देखते हुए इससे समस्या का समाधान कैसे होगा जबकि मुख्य अभियन्ता जलदाय विभाग जोधपुर ने इस गांव को ग्राम मीठा मांजरा से पाइप लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था ?

उत्तर

(1) जी हां। चलित डिसेलीनेशन डिमोस्ट्रेशन प्लांट ग्राम अलाय तहसील नागौर में जनवरी, 88 में लगाया गया था। नागौर जिले में 20 डिसेलीनेशन प्लांट लगाये जाने प्रस्तावित हैं। वांछित विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) ग्रामों की आबादी एवं प्रस्तावित संयंत्रों की जल शुद्ध करने की क्षमता का विवरण प्रपत्र "क" में दे दिया गया है। विभागीय मानदण्डों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पानी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं, किन्तु पीने के लिए 10 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पर्याप्त है। वांछित विवरण (क) में दे दिया गया है।

(3) जी हां। पीने के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 10 लीटर पानी पर्याप्त है, जिसकी पूर्ति इस संयंत्र से हो सकेगी।

(4) जी नहीं।

(5) ग्राम भाडेली में संयंत्र लगाने का मामला विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

अतारांकित प्रश्न सं. 509

(स्थगित)

चम्बल नहर की लिफ्ट सिचाई योजनाएं

510. श्री शिव नारायण (बारां) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या चम्बल बाई नहर पर तह–सील मांगरोल पंचायत समिति अन्ता में नम्बर 7 ब्लाक ताखा लिफ्ट योजना के साथ भेजी गई अन्य लिफ्ट योजनाओं की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग से मिल गयी है ? यदि हां, तो इस परियोजना की स्वीकृति क्यों नहीं मिली ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(2) क्या चम्बल बैराज की भराव क्षमता को विगत वर्षों में गेटों को दो फीट ऊंचा करके लिफ्ट परियोजनाओं को अति–रिक्त पानी देने हेतु बढ़ाया गया है ?

(3) क्या इस योजना के लिए जल उपलब्ध नहीं है अथवा समस्त योजनाओं की यही स्थिति है ? यदि जल उपलब्ध नहीं था तो योजना बनाकर केन्द्रीय जल आयोग को क्यों प्रस्तुत की गयी और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(4) क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सर–कार से पेशकश कर यथा शीघ्र इस लिफ्ट परियोजना के लिये भी स्वीकृति प्राप्त करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किसी भी लिफ्ट योजना की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी भी अधिकारी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं। चम्बल बैराज के गेटों को दो फुट ऊंचा करना व लिफ्ट परियोज-नाओं को अतिरिक्त पानी देने में कोई सम्बन्ध नहीं है।

(3) चम्बल की सभी लिफ्ट योजनाओं का आंकलन उस समय जल की उपलब्धि आंकते हुए केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया था। अब जल की उपलब्धि केन्द्रीय जल आयोग, मध्यप्रदेश व राजस्थान के सामूहिक अध्ययन के बाद कम हुई है। किसी अधिकारी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लीजमनी वसूली

511. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार एक मुश्त रोड टैक्स की भांति जयपुर विकास प्राधि-करण में दस वर्ष की एक मुश्त लीज मनी जमा कराने वाले व्यक्ति को शेष अवधि के लिए छूट देने की आज्ञा प्रसारित करने के मामले में गत कई वर्षों से विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब से लागू हो जावेगा ?

(2) क्या प्राधिकरण ने लीज मनी राशि में राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना चौगुनी बढ़ोतरी कर दी है व वसूली चालू है ?

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

द्वारा आवंटित भू-खण्डों पर वसूल की जाने वाली लीज मनी समय पर जमा नहीं कराने पर चक्रवर्ती ब्याज वसूल कर रहा है ? यदि हां, तो किस कारण से ?

उत्तर

(1) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) राजस्थान शहरी भूमि निस्तारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जिन भू-खण्डों को आवंटित किये गये 15 वर्ष से अधिक हो गये हैं उनमें वर्ष 89–90 से शहरी जमाबन्दी की वर्तमान दर में 25 प्रतिशत वृद्धि कर वसूली की जा रही है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों पर वसूल की जाने वाली लीजमनी समय-समय पर जमा नहीं कराने के फलस्वरुप चक्रवर्ती ब्याज वसूल नहीं किया जा रहा है।

अता. प्रश्न सं. 512
(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़ में बांध निर्माण की स्वीकृति

513. श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़ में सिंगला बांध का कार्य कौन-कौन से वर्ष में शुरू किया गया और बांध के निर्माण कार्य में कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध के निर्माण कार्य शुरू होने से अब तक कौन–कौन अधिकारी किस पद पर कितनी–कितनी अवधि तक कार्यरत रहे ? वर्षवार नाम व पद कार्यकाल की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सिंगला बांध का निर्माण कार्य विभाग के मापदण्ड के अनुसार ही रहा है ? यदि हां, तो विभाग के क्या मानदण्ड इस बाबत निर्धारित हैं ?

(4) वर्तमान में सिंगला बांध की चादर निर्माण हेतु क्या कोई राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि ?

(5) वर्तमान में इस बांध का निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है या ठेकेदार द्वारा ? उपरोक्त बांध का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) सिंगला बांध (रूपनगढ़ योजना) का निर्माण कार्य वर्ष 1985–86 से प्रारम्भ किया गया था, तभी से यह कार्य निरन्तर निर्माणाधीन है।

(2) बांध के निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति 178.07 लाख रुपये की प्राप्त हुई। इस कार्य पर प्राप्त बजट राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैं:–

वर्ष	बजट आवंटन(लाख रु.)
1984-85	0.40
1985-86	0.25
1986-87	16.00
1987-88	18.00

(सिंचाई मन्त्री)

1	2
1988-89	21.00
योग:	59.65

बांध के निर्माण के दौरान विभिन्न अधिकारी जो कार्यरत रहे हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से हैं।

अधिशाषी अभियन्ता

1. श्री ओ.पी.यादव 1.4.84 से 15.6.85
2. श्री एन.एच.गजवानी 15.6.85 से 30.11.87
3. श्री ओ.पी.यादव 1.12.87 से 15.12.88
4. श्री शंकर सुखानी 16.12.88 से 8.7.89
5. श्री ओ.पी.यादव 8.7.89 से लगातार

सहायक अभियन्ता

1. श्री आर.एस. गुप्ता 19.6.85 से 6.8.86
2. श्री ए.बी. माथुर 7.8.86 से 17.5.88
3. श्री जी.जी.कौशिक 18.5.88से लगातार

(3) जी हां, निर्धारित मापदण्ड की प्रति संलग्न है।

(4) चालू वित्तीय वर्ष में सिंगला बांध के लिए 10 लाख रु. बजट प्रस्तावित है। चादर का निर्माण कार्य भी इसी में शामिल है।

(5) वर्तमान में इस कार्य का निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। वांछित धनराशि के आवंटन होने पर बांध का निर्माण पूर्ण होना निर्भर रहेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजस्थान में नगर निगम की स्थापना

514. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या नगर विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कहां–कहां नगर निगम की स्थापना की जावेगी ?

(2) क्या मुखर्जी समिति ने नगर निगमों की स्थापना बाबत कुछ सिफारिशें की हैं ? यदि हां, तो क्या ? सदन की मेज पर रखें।

(3) नगर निगमों की स्थापना के लिये स्थानों के चयन का क्या मापदण्ड होगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान में नगर निगम की स्थापना करने के लिए अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी हां। मुखर्जी समिति की सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अभी नगर निगम की स्थापना के लिए अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए स्थानों के चयन हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं हुई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगरपालिका कर्मचारियों को पेन्शन लाभ

515. **श्रीमती पुष्पा देवी** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान के नगरपालिका कर्मियों को दिनांक 1.10.1987 से पेन्शन का लाभ देने के नियम प्रभावशाली कर दिये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त तिथि के बाद राजस्थान में कितनी नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को नये नियमों के अन्तर्गत पेन्शन का लाभ दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें। अलवर नगर-परिषद् में दिनांक 1.10.1987 से 31.5.1989 तक कितने पालिका कर्मचारी किस-किस दिनांक को सेवानिवृत्त हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उनमें से कितने कर्मचारियों को पेन्शन का लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त अवधि में जिन सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन का लाभ नहीं दिया गया उन्हें कब तक पेन्शन का लाभ दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दिनांक 1.10.87 के बाद सेवानिवृत होने वाले ऐसे कर्मचारियों को नये पेंशन नियमों के तहत अभी तक पेन्शन का लाभ नहीं दिया जा सका है। इनके पेन्शन प्रकरण विचाराधीन है। अलवर नगर परिषद में दिनांक 1.10.87 से 31.5.89 तक सेवानिवृत हुए कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अभी तक किसी भी कर्मचारी को पेन्शन का लाभ नहीं दिया गया है। क्योंकि इन नियमों के अन्तर्गत पेन्शन स्वीकृति सम्बन्धी अन्य प्रक्रियाऐं निश्चित की जा रही हैं।

(4) इन नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण होते ही ये सभी पेंशन प्रकरण शीघ्र निपटा दिये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें।)

नगरपालिका, बालोतरा द्वारा रसायन पर चुंगी

516. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 144 दिनांक 1 जुलाई, 1969 के अनुसार रसायन पर 75 पैसा प्रतिशत चुंगी लगाये जाने का प्रावधान है ?

(2) यदि हां, तो नगरपालिका बालोतरा द्वारा रसायन पर 1.50 रुपये की दर से चुंगी वसूली के क्या कारण हैं ?

(3) क्या लघु उद्योग मण्डल बालोतरा द्वारा उक्त संदर्भ में निदेशक, स्थानीय निकाय का ध्यान बार–बार इस ओर आकर्षित किया है ? यदि हां, तो तत्संदर्भ में

(श्री चम्पालाल बांठिया)

कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) वर्तमान में नगरपालिका द्वारा किन-किन जिन्स/वस्तुओं पर किस-किस दर से चुंगी वसूली जा रही है ? विवरण मद-वार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार प्रदेश की अन्य नगरपालिकाओं के अनुरूप बालोतरा में समान रूप से चुंगी वसूलने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका बालोतरा की चुंगीकर अनुसूची दि: 1.7.69 के क्रम संख्या 144 के अन्तर्गत रसायनों पर 75 पैसा प्रति सैंकड़ा की दर से चुंगी लगाये जाने का प्रावधान है।

(2) नगरपालिका, बालोतरा द्वारा क्रम संख्या 144 के अन्तर्गत आने वाले रसायनों पर 75 पैसा की दर से ही चुंगी वसूल की जा रही हैं। अन्य रसायन जैसे रंग, रंग का मसाला आदि उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 155 के अन्तर्गत आते हैं इस कारण नगरपालिका द्वारा इन पर 1.50 प्रतिशत की दर से चुंगी वसूल कर रही हैं।

(3) जी हां, राज्य सरकार द्वारा राज्य में चुंगी की एक समान दरें करने के संबंध में उच्च स्तर पर परीक्षण होने के कारण तथा इसी के संदर्भ में बालोतरा की कुछ फर्मों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के फलस्वरूप इन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(4) वर्तमान में नगरपालिका, द्वारा जिन जिन्सों पर चुंगी वसूल की जा रही है उनकी दरों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) जी हां। चुंगी दरों में समानता व एकरूपता लाने का प्रश्न उच्च स्तर पर विचाराधीन है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 517
(स्थगित)

तहसील, मुण्डावर (अलवर) के ग्रामों को पंचायत मुन्डवाडा से हटाना

518. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम-भोजपुरी/हुलनाला कलां/हुलनामा खुर्द को ग्राम पंचायत मुन्डवाडा, तहसील मुण्डावर (अलवर) में लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि साबी नदी के तीन किलोमीटर लम्बे क्षेत्र पार इन्हें ग्रास पंचायत, मुन्डवाड़ा से जोड़ने का उक्त ग्रामों के निवासियों ने कई बार विरोध किया है तथा प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों की परेशानी को देखते हुए इन्हें ग्राम पंचायत जालावास/बीजवाड चौहान में सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(पंचायत राज्य मन्त्री)

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने एक विरोध पत्र जिला कलक्टर के कार्यालय में माह जून, 1989 में प्रस्तुत किया है। उक्त पत्र जिला कलक्टर द्वारा पंचायत समिति मुण्डावर को भिजवाने पर पंचायत समिति ने अपनी आगामी बैठक में उक्त पत्र विचारार्थ रखा है। राज्य सरकार जिला स्तर से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी।

थानेदार खाजना डूंगर (सवाई माधोपुर) के विरुद्ध अभियोग

519 **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुआ)
श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)
श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि सूरज देवी हरिजन पत्नी प्रहलाद ने थानेदार खाजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध दिनांक 3.4.1989 को भा.दं.सं. की धारा 339, 354 व 376/511 का मामला दर्ज कराया था? यदि हां, तो अपराधी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? एफ.आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सूरज देवी के पति प्रहलाद इस कृत्य के समय वहां नहीं थे? वे वर्तमान में कहां कार्यरत हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। अतः कार्यवाही करने अथवा एफ.आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) पुलिस को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

सीकर क्षेत्र में सड़कों पर गन्दा पानी

520. **श्री केशरदेव महरड़ा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ सीकर क्षेत्र में सड़कों पर गन्दा पानी भरा पड़ा रहता है और सड़कें टूटी हुई हैं जिन पर गड्ढे हैं तथा रात्रि को जगह–जगह पर रोशनी नहीं होने के कारण नगरवासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो यह स्थिति क्यों है?

(2) नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ सीकर द्वारा विगत पांच वर्षों में क्या सार्वजनिक कार्य किए गये हैं? उनका विवरण तथा उन पर खर्च राशि का विवरण वर्ष वाइज मय कार्य का नाम विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगरपालिका प्रशासक लक्ष्मणगढ़ सीकर के अधीन वर्तमान में कौन–कौन से सार्वजनिक निर्माण एवं मरम्मत के कार्य किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अधिक वर्षा हो जाने पर कभी–कभी पानी भर जाता है जिसे निकलवा दिया जाता है। सडकें मरम्मत योग्य है। स्ट्रीट लाइट के अभी 936 पाइन्ट है जो शहर के लिए पर्याप्त हैं।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ द्वारा गत पांच वर्षों में किए गए सार्वजनिक कार्य पर हुए व्यय की राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) अभी सार्वजनिक निर्माण एवं मरम्मत का कार्य नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ द्वारा हाथ में नहीं लिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट---14 देखें।)

जिला बांसवाड़ा में अधूरे एनीकट

521. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में 1986-87, 1987-88, 1988-89 में कितने ऐनीकट सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये हैं ? पंचा-यत समिति व गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्कीम में लिये गये व अकाल राहत के तहत लिये कितने ऐनीकट अधूरे पड़े हुये हैं और उन पर कितनी धन राशि व्यय हो चुकी है ? अलग-अलग गांव व पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 14 पिक अप वियरों का निर्माण आरम्भ कराया गया था। विवरण सूची प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त सभी पिकअप वीयर अभी अधूरे हैं इन पर कुल 29.51 लाख रु. की राशि व्यय हो चुकी है। कार्यवार उपरोक्त सूची में दिखाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट---15 देखें।)

रूपारेल नदी के पानी का बंटवारा

522. **श्री सम्पत सिंह** (नगर)
श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रियासती समय में रूपारेल नदी के पानी का हिस्सा अलवर, भरतपुर के मध्य तय किया गया था ? क्या रूपारेल नदी की मुख्य धारा को बारा बांध के पास रोक कर योजना तैयार की जा रही है, जिससे भरतपुर को पानी मिलना बन्द हो जायेगा ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि कम पानी के समय केवल अलवर को ही पानी मिलेगा और अधिक पानी होने की स्थिति में ही भरतपुर को पानी मिलेगा ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में सरकार भरत-पुर जिले के किसानों के हितों की किस प्रकार रक्षा करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां, बारा वियर पर बांध के द्वारा पानी रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः भरतपुर को पानी नहीं मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) पानी का बंटवारा पूर्वानुसार यथावत है।

करौली उप–खण्ड के अन्तर्गत सिंचाई योजनायें

523. **श्री शिवचरण सिंह** (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) करौली उप–खण्ड के अन्तर्गत कौन–कौन सी सिंचाई योजनायें मास्टर प्लान में हैं ?

(2) कौन–कौन सी योजनाओं का सर्वे हो चुका है व किन–किन का सर्वे होना शेष है ?

(3) इस वर्ष कौन–कौन सी योजना का कार्य प्रारम्भ होगा और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त उप-खण्ड की सारी योजनायें उपयुक्त व लाभकारी हैं ?

उत्तर

(1) यह सूचना संलग्न प्रपत्र में दिखाई गई है।

(2) प्रपत्र में दिखाई गई प्रस्तावित योजनाओं का सर्वे कार्य अभी होना है।

(3) इस वर्ष कोई नई योजना प्रारंभ होने की संभावना नहीं है। मध्यम क्षेत्रों की पाचना परियोजना का कार्य निर्माणाधीन है।

(4) प्रस्तावित योजनाओं के बारे में सर्वे पूर्ण होने व जांच के बाद उनकी उपयोगिता का पता लगेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

कल्याण आदर्श विद्या मन्दिर डिग्गी में छुआछूत

524. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले के कल्याण आदर्श विद्या मन्दिर डिग्गी के अध्यापक श्री प्रकाशचन्द रेगर को स्कूल में बाल्टी छू लेने से उससे नौकरी से पृथक् कर दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले की शिकायत श्री रेगर ने उप-खण्ड अधिकारी मालपुरा को की है ?

(3) यदि हां, तो उक्त मामले में कौन–कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) उक्त अध्यापक की परिवाद उप–खण्ड अधिकारी, मालपुरा के माध्यम से थाना मालपुरा पर प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई। जांच से श्री प्रकाश चन्द शर्मा एवं श्री बाबूलाल यादव अध्यापक के विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त होने पर मु. नं. 66/89 धारा 4/7 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में दिनांक 6.7.89 को पंजीबद्ध किया गया उप अधीक्षक पुलिस मालपुरा इसका अनुसंधान कर रहे हैं।

कुड़ गांव में हुए बलात्कार की रिपोर्ट

525. **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुआ) **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाईमाधोपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही हैं कि जून, 1989 में मध्यप्रदेश की युवती के साथ कुड़ गांव में हुए बलात्कार की रिपोर्ट नं. 69/89 थाना सपोटरा में दर्ज हुई ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बलात्कार से मरने के बाद युवती की लाश पेड़ से लटका दी गई ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? एवं वर्तमान में उसकी मां कहां है ? पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एफ. आई. आर. की प्रति संलग्न है।

(2) यह सही है कि युवती की लाश पेड से लटकी मिली थी। अन्वेषण सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर में अनुसंधानाधीन है। युवती की मां की तलाश की जा रही हैं। पोस्टमार्टम की प्रति संलग्न है।

(कृपया सूची के लिए परिशिष्ट–17 देखें)

अतारांकित प्रश्न सं. 526

(स्थगित)

जयपुर विकास प्राधिकरण में जोन्स

527. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य निष्पादन की दृष्टि से जोन्स बनाये गये हैं ? यदि हां, तो इससे प्राधिकरण के कार्य निष्पादन में क्या प्रगति हुई ?

(2) क्या यह सही है कि जोन्स में स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था न हो व कार्य विभाजन सही न होने के कारण कार्य सम्पादन में विलम्ब हो रहा है ? वर्तमान में जोन्स के आधार पर प्रति व्यक्ति कार्य विभाजन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जोन्स के आधार पर पर्याप्त स्टाफ लगाकर समस्या का समाधान कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) वर्तमान में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें जोन्स से बाहर रखा हुआ है व क्यों? क्या इस कारण जोन्स में लगे स्टाफ को अधिक कार्य करना पड़ रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनता के कार्य का द्रुत गति से निपटाने की दृष्टि से जोन्स प्रणाली शुरू की गई है। जोन्स प्रणाली कायम करने के बाद जनता के दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के निपटारा में काफी अच्छी प्रगति हुई है। जोन्स बनने के बाद जो कार्य में प्रगति हुई है। उसकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(नगरीय विकास मंत्री)

(2) यह सही नहीं है कि जोन्स में स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था न होने व कार्य विभाजन न होने के कारण कार्य सम्पादन में विलम्ब हो रहा है। प्रत्येक जोन्स में कार्य को देखते पर्याप्त स्टाफ दिया गया है।

जोन्स में जो स्टाफ दिया गया है वह पर्याप्त है। उसका कार्य जोन प्रभारी अधिकारी द्वारा किया गया है जिसका विवरण। परिशिष्ट-2

(3) प्रत्येक जोन्स में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगा हुआ है। फिर भी यदि प्रभारी अधिकारी की यह रिपोर्ट प्राप्त होगी कि स्टाफ और लगावें तो लगा दिया जावेगा।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण में जोन्स से बाहर 518 व्यक्ति हैं। इन व्यक्तियों को जोन्स से बाहर इसलिये रखा हुआ है कि जो कार्य जोन्स में होता है उसके अलावा अन्य कार्य में लोग लगे हुए हैं। जैसे कार्मिक शाखा, लेखा शाखा, विधि शाखा, अभियांत्रिकी शाखा आदि।

कार्य के अनुपात में ही जोन्स में स्टाफ पदस्थापित किया गया है। जोन्स में लगे स्टाफ को अधिक कार्य नहीं करना पड़ता हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें)

नगरपालिका सुजानगढ़ में बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत भू–खण्ड आवंटन

528. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सुजानगढ़ नगरपालिका ने बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत वर्ष 1976 में कितने लोगों को मकान बनाने हेतु भू-खण्ड आवंटित किये थे ?

(2) क्या इन आवंटित भू-खण्डों पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो इनको हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सुजानगढ़ नगरपालिका ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1976 में 35 लोगों को मकान बनाने हेतु भू-खण्ड आवंटित किये थे।

(2) उक्त सभी 35 व्यक्तियों को आवंटित भूखण्डों का कब्जा पालिका ने दे दिया था। उसके बाद आवंटित भूखण्डों पर अन्य व्यक्तियों ने कब्जा किया था अतएव संबंधित आवंटी ही उनके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही हेतु सक्षम हैं।

जयपुर शहर में पार्क, स्टेच्यू व फव्वारे बनाने की योजना

529. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जयपुर शहर में नये पार्क, स्टेच्यू व फव्वारे बनाये जाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब तक ? लागत बताते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(2) जयपुर नगर में कुल कितने उद्यान पार्क, स्टेच्यू व फव्वारे बने हुए हैं और कौन-कौन सा विभाग इनकी देखरेख करता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू मार्ग के दक्षिणी छोर पर जवाहर सर्किल तथा गोपालपुरा बाई पास पर जयपुर गार्डन के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। जवाहर सर्किल योजना के अधीन लगभग 85 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर म्यूजिकल फाउण्टेन, टेरस गार्डन व रोज गार्डन 243000 लाख रुपये की लागत से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 85 बीघा क्षेत्र में जयपुर गार्डन की योजना विचाराधीन है। वर्तमान में अधिकांश भाग पर अतिक्रमण होने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रगति पर है। इस योजना के प्रारूप को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(2) प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में 153 पार्क व 14 सर्किलों का विकास किया जाकर उनके संधारण का कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। प्राधिकरण के 4 पार्कों एवं 2 सर्किलों पर स्टेच्यू लगी हुई है जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर है। प्राधिकरण में 1 पार्क एवं 4 सर्किलों पर फव्वारे लगे हुए हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है, जिनको प्रतिदिन सुबह शाम चलाया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें।)

खाद्य एवं रसद विभाग को प्राप्त अधिकार

530. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कभी पैट्रोल एवं डीजल पम्पों पर प्रवेश, तलाशी, मिलावट की जांच एवं अधिग्रहण के अधिकार खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के अधिकारियों को प्राप्त थे ? क्या यह अधिकार वर्तमान में भी प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि यह अधिकार समाप्त कर दिये गए हैं तो कब से और क्यों समाप्त किए गए ?

(2) क्या उपरोक्त अधिकार समाप्त करने से पूर्व कई पैट्रोल पम्पों पर जांच न करने का कोई आदेश विभाग ने जारी किया था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति-लिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पहले खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के अधिकारियों को प्रवेश, तलाशी और अधिग्रहण के अधिकार प्राप्त थे। राज्य में पैट्रोलियम उत्पाद की उपलब्धि सुगम होने से राज्य सरकार ने राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा-नियंत्रण) आदेश, 1979 को दिनांक 25-10-88 को समाप्त कर दिया उसके बाद यह अधिकार नहीं है।

(2) जी हां। जारी किये गये आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें।)

(५०)

राजगढ़ (चूरू) के कमीशन्ड ग्राम

531. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर):** क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील राजगढ़, तारानगर जिला चूरू में जून, 1989 तक कितने गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी है ? कृपया कमीशन्ड गांवों के नामों की सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भारत सरकार ने तहसील राजगढ़, तारानगर जिला चूरू के शेष अन-कमीशन्ड गांवों को कमीशन्ड करने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो किन-किन गांवों को तथा इन गांवों के लिए क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या शेष अनकमीशन्ड गांवों में बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में इन गांवों को बिजली उपलब्ध करवा देगी ? यदि हां, तो शिड्यूल्ड प्रोग्राम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार इन गांवों के लिये आवश्यक टी. आर. एन. पी. विशेष तौर से रेतीले रास्तों के लिये 4×4 के ट्रक और गाड़ियां देवेगी ?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ व तारानगर जिला चूरू में जून, 1989 तक 192 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। तहसीलवार कमीशन्ड गांवों की सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। वर्ष 1989–90 में पेयजल से लाभान्वित किया जाने ग्राम एवं प्रस्तावित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। कुछ ग्रामों के लिये विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होगी। तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धि के अनुसार विद्युत कनेक्शन लिये जायेंगे।

(4) धन उपलब्धि के अनुसार आवश्यक टी. एण्ड पी. एवं वाहन उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मदरामपुरा मजदूर नगर कालोनी (जयपुर) का विकास

532. **श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अजमेर रोड स्थित मदरामपुरा (मजदूर नगर) कालोनी में निवास करने वाले लोगों को क्या-क्या नागरिक सुविधाएं दी गई ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में सरकार सड़क निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त कालोनी कच्ची बस्ती कालोनी है ? क्या यहां पानी, बिजली तथा सड़क की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं,

(श्री चम्पालाल बांठिया)

तो क्यों ? उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) अजमेर रोड स्थित मदरामपुरा (मजदूर नगर) कालोनी, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 142 बस्तियों में से नहीं है। मुख्य नगर मदरामपुरा के नाम अनुमोदित बस्ती में कुछ विकास कार्य कराये गये हैं।

(2) विकसित कच्ची बस्ती की सूची में न होने के कारण इस बस्ती में वर्तमान में किसी भी प्रकार के नये निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) बस्ती में कच्चे व पक्के दोनों तरह के मकान बने हुए हैं। मकानों में बिजली व पानी के कनेक्शन उपलब्ध हैं। विकसित कच्ची बस्ती की सूची में न होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कें आदि नहीं बनायी गयी हैं।

अजमेर में नये पुलिस थाने खोलने का प्रस्ताव

533. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष राज्य सरकार ने अजमेर जिले में नये पुलिस थाने खोलने का निर्णय लिया था ?

(2) यदि हां, तो किस-किस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नये पुलिस थाने खोलने की सूची में पुलिस चौकी बांदनवाड़ा को भी सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो इस चौकी को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पुलिस चौकी बांदनवाड़ा और बांदर-सिंदरी को थाने में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव हैं जिन्हे नवे वित्त आयोग को प्रस्तुत होने वाले प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना विचाराधीन है।

(3) जी हां। विचाराधीन है। समय अवधि निश्चित करना कठिन है।

जलोत्थान सिंचाई परियोजना कोटा पर अनुमानित व्यय

534. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा जिले की परवन जलोत्थान सिंचाई परियोजना तुलसा पर कितना व्यय होना अनुमानित है ?

(2) अब तक इस पर कितना व्यय किया गया है और इसको कब तक पूरा करने का प्रस्ताव है ?

(3) क्या इस परियोजना के साथ शुरू की गयी, सावन भादो एवं बिलास परि–योजना से इस वर्ष सिंचाई प्रस्तावित है ?

(4) परवन परियोजना के समय पर पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

(श्री शिवनारायण)

(5) इससे सिंचाई कब तक शुरू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में परवन जलोत्थान सिंचाई परियोजना (तुलसा) कोटा की अनुमानित लागत 1297.00 लाख रुपये है।

(2) अब तक इस योजना पर मार्च, 1989 तक 279.20 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(3) केवल सावन भादो परियोजना से इस वर्ष 1000 हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित होना प्रस्तावित है।

(4) परियोजना के समय पर पूरा न होने का मुख्य कारण आवश्यकता अनुसार धनराशि का समय पर उपलब्ध न होना है।

(5) वांछित धनराशि के उपलब्ध होने पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में कार्य पूर्ण होने पर सिंचाई होना सम्भावित है।

अतारांकित प्रश्न सं. 535
(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न सं. 536
(स्थगित)

स्थगित प्रश्न
(6 जुलाई, 1989)

राज्य में होटलों के निर्माण की स्वीकृति

219. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में वर्ष 1985 से 1989 मार्च तक कुल कितने होटलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई ? कृपया जिलेवार, स्थान जहां पर दी, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर में होटलों के निर्माण हेतु "अलसर" शहरी भूमि हद बन्दी कानून के तहत राज्य सरकार ने छूट दी है ? यदि हां, तो किन-किन को और कितनी भूमि पर दी गई है ?

(3) क्या जिन होटल निर्माताओं या भूमिधारियों को छूट दी गई है उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ? यदि नहीं, तो यह छूट निरस्त क्यों नहीं की जाती ?

(4) राम बाग पैलेस होटल, जो डीलक्स वर्गीकृत है, को उक्त अधिनियम से छूट क्यों नहीं दी जाती है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस होटल की विकास योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर निर्णय नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यासों द्वारा होटल के निर्माण हेतु दी गई स्वीकृति की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। निम्न को होटलों के निर्माण हेतु उनके सामने अंकित भूमि की नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा–20 के तहत राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है:-

(राज्य मन्त्री, पर्यटन)

1. मैसर्स राजपूताना होटल्स प्रा. लि., जयपुर 1628 वर्ग मीटर
2. श्री ओंकार सिंह,जयपुर 3096व.मी.
3. श्री जे.के.अटल,जयपुर 24,533व.मी.
4. श्री वी.एन.काक,जयपुर 13,334व.मी.
5. मैसर्स यूनाइटेड होटल्स 7,795व.मी,
6. श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल, जयपुर 2316.17व.मी.
7. श्री महेंद्र नारायण शर्मा 1,646व मी.
8. श्री नवल किशोर पटेल 1,646व.मी.

(3) निम्न द्वारा निर्माण कार्य चालू किये गये परन्तु निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ :

1. राजपूताना होटल्स, प्रा. लि. जयपुर
2. श्री जे.के. अटल, जयपुर
3. श्री वी.एन. काक, जयपुर

निम्न द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया :

1. श्री ओंकार सिंह, जयपुर
2. श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल,जयपुर
3, मै. यूनाइटेड होटल्स, जयपुर
4. श्री महेंद्र नारायण शर्मा, जयपुर
5. श्री नवल किशोर पटेल, जयपुर।

(4) रामबाग पैलेस होटल की भूमि को छूट देने का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(5) राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस मामले में प्रार्थी को सुनकर निर्णय लिया जाना है। मामला सुनवाई में चल रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—21 देखें।)

तहसील रायपुर (पाली) की ग्राम सहकारी समितियों की बकाया राशि

537. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील में किस–किस ग्राम सेवा सहकारी समितियों का ऑडिट होने के बाद किस–किस समितियों के अध्यक्ष, व्यवस्थापक व अन्य व्यक्तियों में बकाया राशि नियम विरुद्ध निकल रही है ? सूची सदन की मेज पर बकाया राशि सहित रखें।

(2) क्या सरकार ने इस बकाया वसूली की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो वर्ष 1985–86 से 1988–89 तक पिछले 4 वर्ष में किस-किस अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक से कितनी-कितनी राशि सरकार में जमा हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में किस–किस के खिलाफ वसूली की कार्यवाही जारी है तथा किस प्रक्रिया से सहकारी विभाग वसूली कार्यवाही कर रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट (1) पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) गत 4 वर्षों में वसूल शुदा राशि

(सहकारिता मन्त्री)

का विवरण परिशिष्ट (2) पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 118 एवं राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1966 के नियम 92 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में जिनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही जारी है उसका विवरण परिशिष्ट 3 पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–22 देखें।)

पाली जिले की रायपुर एवं सोजत तहसील में राशन वितरण व्यवस्था

538. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले की रायपुर एवं सोजत तहसीलों में खाद्य सामग्री वितरण के लिए कौन–कौन संस्थाएं एवं व्यक्ति अधिकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों तहसीलों में क्या–क्या खाद्य सामग्री जनवरी 1988 से जून 1989 तक वितरित की गयी ? दुकानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रायपुर तहसील के राजस्व गांव बगड़ी, सराधना, अमरपुरा, दिपावास, मेगदड़ा, सोड़पुरा, बड़ीपोल, खेड़ा मावावास, रामवास, नगरपालिका रायपुर का राजस्व गांव खीवल, कालबखुर्द में अलग से राशन वितरण व्यवस्था नहीं है ? जबकि वहां के निवासियों की मांग रही है ?

(4) सरकार अब कब तक वहीं नियन्त्रित मूल्य की दुकान खोल देगी ?

उत्तर

(1) पाली जिले की रायपुर एवं सोजत तहसीलों में खाद्य सामग्री वितरण के लिए जो संस्थाएं एवं व्यक्ति अधिकृत हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त दोनों तहसीलों में जो खाद्य सामग्री जनवरी, 1988 से जून, 1989 तक वितरित की गई उसका दुकानवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) रायपुर तहसील के राजस्व गांव दीपावास में अलग से राशन वितरण की व्यस्वथा है तथा बगड़ी गांव में आवेदन प्राप्त होने पर इस माह उचित मूल्य की दुकान की स्वीकृति जारी कर दी गई है। शेष गांवों में अलग से राशन वितरण की व्यवस्था नहीं होकर सम्बन्धित पंचायत क्षेत्र में नियुक्त डीलर के द्वारा वितरण व्यवस्था कराई जा रही है। इन गांवों के निवासियों की अलग से राशन वितरण व्यवस्था की कोई मांग नहीं है।

(4) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रार्थना पत्र एवं पंचायतों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियंत्रित मूल्य की दुकान खोलने सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखें।)

पंचायत समिति, अंता (कोटा) में पेयजल समस्या

539. श्री हरीश शर्मा (खानपुर) एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही कि कोटा जिले की पंचायत समिति अंता की निम्न ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में पेयजल का भारी अभाव है ?

1. सौरसन 2. मिर्जापुर 3. जयनगर 4. बिजारों

(2) क्या यह सही है कि ग्रीष्मकाल में उक्त ग्राम पंचायतों के निवास तथा पशुओं को पेयजल के अभाव में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? कई गांववासी गांव छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं ?

(3) यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कब तक पेयजल की व्यवस्था की जायेगी और किस योजनान्तर्गत ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) ग्राम पंचायत क्षेत्र सोरसन के 10 ग्रामों में से 9 ग्रामों को, मिर्जापुर के 8 ग्रामों में से 8 ग्रामों को, जयनगर के 6 ग्रामों में से 6 ग्रामों को एवं बिजारों के 6 ग्रामों में से 6 ग्रामों को हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत के ग्राम बीलंडी की 1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या केवल 34 होने के कारण पेयजल योजना स्वीकृत नहीं की गई हैं।

स्थगित प्रश्न

(5 जुलाई, 1989)

राज्य में ग्राम सेवकों के रिक्त पद

171. श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कितने ग्राम सेवकों के पद रिक्त हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रशिक्षित ग्राम सेवक उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कितने और कब से ?

(3) क्या प्रशिक्षित ग्राम सेवक उपलब्ध होते हुए भी अप्रशिक्षित ग्राम सेवक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या यह नियम सम्मत है ? क्या अप्रशिक्षितों को हटाकर प्रशिक्षितों को नियुक्ति दी जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में ग्राम सेवकों के 128 पद रिक्त हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। 7 ग्राम सेवक भरतपुर में, 2 अलवर में, 1 पाली में, 4 ग्राम सेवक टोंक में अधिक्य कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 322 ग्राम सेवक डेपुटेशन पर कृषि विभाग में व सी.ए.डी. में कार्यरत हैं जिन्हें उक्त रिक्त पदों के विरुद्ध लगाया जाना प्रस्तावित है।

(पंचायत राज मंत्री)

(2) जी हां । 110 प्रशिक्षित ग्राम सेवक दिसम्बर 1986 से उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। 117 अप्रशिक्षित ग्राम सेवक कार्यरत हैं इनकी नियुक्तियां 31.12.85 से पूर्व में की गई थी। इन्हें हटाना उपयुक्त नहीं होगा। प्रशिक्षित ग्राम सेवकों को नियुक्तियां दी जाने हेतु निम्नांकित जिलों के लिये पद आवंटित किये जा चुके हैं।

क्र.सं.	नाम जिला	आवंटित पद
1–	जोधपुर	33
2–	बाडमेर	22
3–	जैसलमेर	20
4–	नागौर	5
5–	चूरू	2
6–	बीकानेर	2
7–	झुंझुनूं	6
8–	उदयपुर	1
9–	जालौर	11
		102

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री जगतसिंह दायमा, श्री यदुनाथ सिंह और सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम खुसकड़ा तहसील तिजारी, जिला अलवर में भिवाड़ी निवासी बता कर कई व्यक्तियों को नियमविरुद्ध 109 बीघा भूमि आवंटित करने के संबंध में।

(2) श्री भंवरलाल शर्मा और श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अन्तर्गत रिक्त पदों को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री शोपतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से इस वर्ष मानसून विलम्ब से आने और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के उपरान्त भी बिजली विभाग द्वारा किसानों के ट्यूब वैल के कनेक्शन काटे जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मिल मालिकों को छूट देने के कारण राज्य में चीनी अत्यधिक महंगी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित कक्षा 3 से 10 की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री फूलचन्द, श्री हंसराज मिढा, श्री डूंगरराम पंवार, श्री नवनीतलाल नीनामा, श्री चुन्नीलाल मेघवाल, श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल, श्री परसादीलाल मीणा, श्री जगजीतसिंह, श्री हीरासिंह चौहान, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्रीमती सुमित्रासिंह, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री गिरधारीलाल भार्गव, सुश्री पुष्पा जैन।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को केवल पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री फूलचन्द।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नो पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : 109 बीघा जमीन तिजारा तहसील में जो बेनामी जमीन अलाट की गई है, अध्यक्ष महोदय, वह बेनामी जमीन +++ मैं यह कहना चाहता हूं सदन में, इसकी जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर। पहले बैठिये। पाइन्ट आफ आर्डर। पहले पाइन्ट आफ आर्डर हुआ करता है कि पहले आपका हुआ करता है। आप नियमों को देख लिया करें कभी कभी, पढ़ लिया करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज मैंने नियम 50 के अन्तर्गत +++

श्री अध्यक्ष : नाट अलाउड।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : I have gone through it.

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, मुझे तथ्य दीजियेगा। I have not referred to it. मैंने यह रेफर नहीं किया है।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : दिया है, मैंने रेफर नहीं किया है। आप तथ्य दीजियेगा मुझे। मैंने इसको रेफर यहां नहीं किया है। मुझे आप तथ्य देंगे, मैं देख करके विचार करूंगा।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : Nothing. No vague allegations. I will not allow vague allegations.

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : No, No.

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : नहीं, नाम पढ़ने का कोई सवाल नहीं है। बैठिये, आप बैठिये। यह नहीं कि कोई बेनामी आप कर रहे हैं। बेनामी है तो आप मुझे तथ्य दीजिये। गलत बात है। माननीय सदस्य नो, नो-

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : मुझे तफसील दीजिएगा कि किस तरह से क्यों बेनामी मानते हैं।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री जगतसिंह दायमा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने तथ्य मांगे हैं। I will not allow the allegations to be recorded.

श्रीमती कमला : यह बात बिलकुल निराधार और असत्य है।

श्री महादेव सिंह : × × ×

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं, तथ्य देंगे आप, वैसे मैं नहीं बोलने दूंगा। रोज एक्सपंज करने पड़ते हैं, मुझे कार्यवाही से निकालने पड़ते हैं एलीगेशंस।

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : गलत बात है किसी पर वैसे ही नहीं लगाएंगे बिना तथ्य के। वह कोई हाउस के मैम्बर नहीं हैं-He is speaker.

श्री महादेव सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : मुझे जानकारी चैम्बर में देंगे। मैं उसको देखूंगा, एग्जामिन करूंगा। नोट मत कीजिए।

श्री जगतसिंह दायमा : × × ×

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : अगर किसी बाहर के व्यक्ति को अलाट की गई है तो मैं देखूंगा उस चीज को, उस पर एक्शन लिया जाएगा। नोट करें, कृपया नोट करिये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, 318 बीघा 10 बिस्वा जमीन भिवाड़ी गांव की जो राजस्थान के बाहर के लोगों को अलाट कर दी गई। पंचायत के विरोध के बावजूद। पंचायत ने प्रोटेक्ट किया है, उन्होंने चरागाह की जमीन मांगी थी। उन्होंने स्कूल के निर्माण के लिए वह जमीन मांगी थी। न तो स्कूल के निर्माण के लिए दी गई, न चरागाह के लिए दी गई, न हरिजनों को और न विधवाओं को दी गई, न एक्स-आर्मी-मेन और न गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को दी गई बल्कि राजस्थान के बाहर के 11 लोगों को यह जमीन दे दी गई। मैं जानना चाहती हूं कि राजस्थान के लोग आज रोजी-रोटी के लिए मोहताज हैं उनके पास खाने को रोटी नहीं और तन ढकने को कपड़ा नहीं। ऐसे हालत में राजस्थान के बाहर के लोगों को

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(सुश्री पुष्पा जैन)

जमीन अलाट की जाय तो मैं कहना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली जमीन नहीं है हरियाणा की सीमा में दारूहेड़ा के पास जहां करीब 10–15 लाख रुपये एकड़ के भाव हैं, ऐसी बेशकीमती जमीन को आखिरकार बाहर के लोगों को दी। पंचायत ने विरोध किया है, राजस्थान सरकार को लिखा है। मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : जानकारी ले रहा हूं। जानकारी लेकर बताऊंगा। किसी का नोट नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : × × ×

श्री भंवरराम सूपका : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय दायमा जी, आप भाषण देना चाह रहे हैं क्या ?

श्री जगतसिंह दायमा : ×××

श्री भंवरराम सूपका : ×××

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : ×××

श्री महादेव सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैं देख रहा हूं।

श्री जगतसिंह दायमा : ×××

श्री भंवरराम सूपका : ×××

श्री अध्यक्ष : गलत है। यह नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे।

No charge. I will not allow.

मैं अंकित नहीं होने दे रहा हूं। मुझे दीजिए आप कैसे लगा देंगे। नहीं नोट करेंगे– I will not allow. There are rules. I will go by the rules. आप किसी की टोपी नहीं उछाल सकते ऐसे बिना अधिकार के, I will not allow it.

आप मुझे दीजियेगा पहले। मैं नहीं सुनूंगा। (व्यवधान) कुछ पट्टों के लिए कह रहे हैं, किसी के नाम अलाट हुए हैं, दूसरे के नाम, यह नोट करेंगे। (व्यवधान)

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनता दल के सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि आसन ने जो व्यवस्था दी है उसमें माननीय सदस्य सहयोग करें ताकि सदन की गरिमा बनी रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय दायमा जी, आप जिन पट्टों के बारे में कहना चाहते हैं उनको पुष्पाजी ने कह दिया है। मैं उसकी जांच करवा रहा हूं। अगर दूसरी स्टेट वालों को गलत पट्टे दिये हैं तो मैं उसकी जांच करवा रहा हूं। स्टेट के बाहर के लोगों को हरियाणा के लोगों को अलाट हो गये हैं तो मैं सरकार से इसकी जानकारी ले रहा हूं। पुष्पाजी ने प्रश्न को स्ट्रांगली रख दिया है। (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, 125 लोगों के आवेदन-पत्र खारिज कर दिये और उन 12 लोगों को जमीनें अलाट हो गई....(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। सरकार से कहूंगा कि जो पट्टों का सवाल आया है कि स्टेट के बाहर के लोगों को दे दिये । मैंने जानकारी चाही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी 3 दिन के भीतर इसका जवाब मंगा लें ताकि वह सेटिस्फाई हो जायें। जिनके नाम उस गांव में नहीं हैं वह वहां के वासिन्दे नहीं हैं, जिनका राशन कार्ड वहां पर नहीं हैं ऐसे आदमियों को अलाट कर दी गई है, आखिर क्यों और क्या कारण हैं ? न वोटर लिस्ट में नाम है, कुछ भी नहीं है....

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : 295, श्री फूलचन्द।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है, मैं बहुत देर से खड़ी हूं। मेरा निवेदन है कि मैंने डेढ़ हफ्ते पहले महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव दिया। चीनी का स्थगन-प्रस्ताव आज आया है। आप सरकार से कितने हफ्ते में जानकारी लेना चाहते हैं। मैंने स्थगन–प्रस्ताव दिया था कि राजस्थान में बीमारियां बढ़ रही हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह सब को जानकारी है, आप क्या जानकारी लेंगे ? इन दोनों विषयों पर आप अलाउ करें। सरकार से क्या जानकारी आने वाली हैं ? सरकार इज इन डॉक। यह जानकारी क्या देगी।

श्री अध्यक्ष : सरकार इसको देखे जरा।

श्रीमती विद्या पाठक : यह देखने का नहीं है, यह तो हमको बताना है कि यह देख नहीं रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, चीनी महंगी हो रही है, 10 रुपये किलो चीनी बिक रही है यहां और 15 रुपये किलो गांव में बिक रही है, राशन की चीनी गायब हो गयी है। इस पर सरकार जवाब क्यों नहीं देती ? डेढ़ सप्ताह पहले इनका आया था तो मैंने आपको दिया। तो चीनी के बारे में सरकार को वक्तव्य देना चाहिये। जानकारी क्या करवायेंगे। 15 रुपये किलो के भाव से लोगों को चीनी दे रहे हैं।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो हकीकत है, मैं भी लम्बे क्षेत्र में जाकर आया हूं, वहां पर 15 रुपये किलो से कम गांव में चीनी मिलती ही नहीं है। सरकार कहती है कि हमने सस्ती की है। हमारे कार्यकाल में जब चरणसिंहजी थे तो दो-ढाई रुपये हुए तो इन्होंने कहा, चीनी खा रहे हैं। आज 15 रुपये किलो गांव में चीनी नहीं मिल रही है, कन्ट्रोल की चीनी है यह ब्लैक कर रहे हैं। इसलिए इस सारे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए।....

श्री डूंगरराम पंवार : चुनाव आ रहे हैं, मिल मालिकों को छूट दी है लूटने की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : घनश्यामजी, मैं कहता हूं कि क्या वजह है और इसका क्या किया जा सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारा माल किसान का सस्ते.... (व्यवधान) चीनी महंगी हो रही है, गांव में 15 रुपये किलो चीनी मिलती है। आप गांव की भावनाओं को जरा सोचें। राशन की दुकानों से 100 ग्राम चीनी गांव के आदमी को नहीं मिलती

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। ऐसी इसमें जानकारी की चीज क्या है साहब ?

श्रीमती विद्या पाठक : इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। आप हमको अलाउ कर दीजिये ताकि इनको बतायें कि लोग कितने पीड़ित हैं।

श्री अध्यक्ष : विद्याजी, मैंने कह दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हर वक्त जानकारी के लिए कहेंगे आप तो। आपको इस पर वक्तव्य दिलाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतसिंहजी।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी आपने सरकार को हिदायत दी है कि तीन दिन के अन्दर अलवर जिले के गांव खुसकड़ा में जो आवंटन हुआ है उसकी जानकारी आपको और सदन को दें। अध्यक्ष महोदय, श्री नाथूसिंहजी के साथ साथ मैंने भी नियम 50 के अन्तर्गत आपको दरखास्त की है और उसमें 15.6 1989 को जो प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम में जो पट्टे हुए थे, उन्होंने एक प्रगति रिपोर्ट भेजी, उन बिन्दुओं पर भी आप खास तौर से जानकारी लें। जो हम निवेदन करना चाहते थे, न तो आपने पहले माननीय सदस्यों की बात सुनी। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि खास-खास बिन्दुओं पर आप जानकारी लें। अगर वेग रिपोर्ट आयेगी तो फिर भी सदन का वक्त जाया होगा।

मैं दो-तीन बातें निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रगति रिपोर्ट में उस दिन शाम को जो अलाटमेण्ट कमेटी है, उन्होंने जो चस्पा किया है, वह क्या है, 31 बीघा 16 बिस्वा जमीन हमने अलाट करी है कुछ आदमियों को और इसके अलावा 98 बीघा जमीन है दूसरे दिन जानकारी में आया। तो कायदे से उसी दिन जमीन का जो अलाटमेण्ट हुआ है वह चस्पा होनी चाहिए थी और प्रगति रिपोर्ट में उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए थी। इन बिन्दुओं पर सरकार जानकारी करें और जो भिवाड़ी गांव के निवासी बतायें हैं मय जाति के वल्दियत के, वोटर लिस्ट में, राशन कार्ड में नाम और वह भी कितने दिन से, यह नहीं कि 15 दिन में दर्ज किया हुआ हो, विस्तार से जानकारी दें सरकार आपको और सदन को कि कितने अर्से से इन तीनों चीजों में राशन कार्ड में, वोटर लिस्ट में और गांव में इनका नाम है, परिवार के जैसे सदस्य यह नहीं कि एक आदमी....

श्री अध्यक्ष : पुष्पाजी ने कह दिया है।

श्री सम्पतसिंह : पुष्पाजी ने यह नहीं कहा है और मैं पुष्पाजी का कोई एलिबी नहीं हूं।....

श्री अध्यक्ष : पुष्पाजी ने कह दिया है।

श्री सम्पतसिंह : वह कह रही हैं कि मैंने नहीं कहा, माननीय सदस्या कह रही है कि मैंने ऐसा नहीं कहा।....

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है, आप कह दीजिये।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरा हाथ जोड़ कर आपसे गुजारिश यह है कि आप इतना क्यों विचलित हो रहेहैं।

(श्री सम्पतसिंह)

किसी बड़े आदमी का नाम इसमें नहीं आयेगा भगवान ने चाहा तो, खास तौर से स्पीकर जैसी हैसियत का नाम नहीं आयेगा लेकिन इसके अलावा भी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि जिनका नाम इससे जोड़ने की बात हो रही है वह इस सदन में जल्दी स्पष्टीकरण करें....

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और जब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा तो नाम रोज आते रहेंगे, रोज चर्चा होती रहेगी । जगमालसिंहजी के स्टेटमेण्ट के बाद में सरकार को स्वयं अपनी ओर से स्टेटमेण्ट देकर उनकी स्थिति को साफ करना चाहिए । उन्होंने तो अपनी स्थिति को साफ नहीं किया....

श्री शोपतसिंह : वे साफ करना नहीं चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे नहीं करना चाहते दूसरी बात है लेकिन आपको तो करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैं एक निवेदन करुं, मेरे सामने कुछ प्रूफ उसके होने चाहिए, मेरे सामने कोई प्रूफ ही नहीं हैं ।

श्री सम्पतसिंह : वही निवेदन कर रहा हूं कि जो माननीय सदस्य अन्देशा जाहिर कर रहे हैं । हमने ऐसा कोई नाम नहीं लिया । कांग्रेस में भी अगर गुटबाजी के शिकार स्पीकर होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है । हमने सिर्फ एक जानकारी चाही है कि 11–12 आदमियों को जो अलाटमेण्ट हुआ है वे कौन हैं, उस गांव के निवासी भी हैं कि नहीं, राजस्थान प्रांत के निवासी हैं भी कि नहीं और अलाटमेण्ट कमेटी ने जो प्रकिया अपनायी है वह सही रूप से अपनायी कि नहीं, उसमें विधायक मौजूद थे कि नहीं, उसमें प्रधान मौजूद थे कि नहीं, उसमें बी.डी.ओ. मौजूद थे कि नहीं, उसमें तहसीलदार मौजूद थे कि नहीं, उसमें एस.डी.ओ. मौजूद थे कि नहीं । एस. डी. एम. चेयरमैन होता है अलाटमेण्ट कमेटी का । अध्यक्ष महोदय, वे मौजूद थे कि नहीं और जो बयान आये हैं इस प्रकरण में वालन्टरिली मैं यह कहता हूं, भरतपुर में मैंने कोई पट्टा नहीं कराया, बिरदवाली गांव में अगर मैं पट्टा करा दूंगा जहां का निवासी हूं तो पट्टा करवाऊंगा और अगर पट्टा नहीं होगा तो पैसे से जमीन खरीदूंगा, मैं कोई मुरदार नहीं हूं, +++ अगर मैं वालन्टरिली ऐसा स्टेटमेण्ट देता हूं तो निश्चित रूप से....

श्री अध्यक्ष : यह चीज इसमें मत लाइये, इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री सम्पतसिंह : स्टेटमेण्ट अखबारों में छपा है ।

श्री अध्यक्ष : कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री सम्पतसिंह : मैं वही निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आखिर लोक सभा अध्यक्ष है, मैं उनसे यह रिक्वेस्ट

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करूंगा इस सदन के माध्यम से कि वह इस प्रकार की भाषा का उपयोग स्वयं करेंगे तो हमें क्या प्रेरणा देंगे ? वह अगर यह कहें कि+++तो क्या हम उनकी बात मानलें+++या तो आप यह बतायें कि हम+++और बोलने वाले कम नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिना सबूत के हम लोग पर चार्ज लगा दें।....

श्री भंवरराम सूपका (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल विपक्ष के नेता महोदय बार-बार उठा रहे हैं तो क्या माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेताओं को जो शब्द कहे हैं उसी के कारण से...(व्यवधान) यह निराधार आरोप थोपते जा रहे हैं।

श्री शोपतसिंह : इसका मतलब यह है कि लोक सभा....(व्यवधान) लोगों को, विरोधी पार्टियों को गाली देते हुए, घूमे लोक सभा के अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : माननीय आपको अलग से चान्स दूंगा।

श्री शोपतसिंह : किस बात की इजाजत देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको अलग से चान्स दूंगा।

श्री शोपतसिंह : आपको जानकारी करनी चाहिए कि लोक सभा के अध्यक्ष किस हालत में यह बयान दे रहे हैं।+++ क्या बात है, गाली क्यों दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : +++ इसको कृपया नहीं लिखोगे। +++ इसको एक्सपंज कर दीजिये।

श्री शोपतसिंह : मैं यह इन पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं।....

श्री अध्यक्ष : अब यह टापिक खतम कीजिये।

श्री शोपतसिंह : आप इस बात की जांच नहीं करेंगे क्या ? आप पूछेंगे नहीं क्या ? इस सदन की भावनाओं को आप माननीय अध्यक्ष तक पहुंचायेंगे नहीं क्या कि आप विरोधी पार्टी के लोगों को गालियां देते हुए घूमते हैं। नहीं तो हमारे पास आधार क्या होगा, इसके लिए हम कहां जायें, किसके पास जायें, यह बताओ आप हमें। हम अपनी बात कहना चाहते हैं आप उसको अंकित नहीं होने देते, हम सदन में आपकी मार्फत कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में आप अंकित नहीं होने देते। वे हमको यहां आकर गालियां निकालते हैं, वे हमको अगर कुछ कह दें....

श्री अध्यक्ष : आपने जो नियम बनाये हैं उन्हीं मर्यादाओं का पालन कर रहा हूं।

श्री शोपतसिंह : कहां कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपने जो नियम बनाये हैं उन्हीं मर्यादाओं का मैं पालन कर रहा हूं।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री शोपतसिंह : कहां कर रहे है ? आप पूछे तो सही कि आपने जो बातें कही है, राजस्थान में अगर भाषण देते हो.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सम्पतसिंह ।

श्री नवरंगसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं कहता हूं कि गत माह पलसाना में मीटिंग हुई जहां बलराम जी ने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह गलत बात है, कतई पसंद नहीं करता ।

श्री नवरंगसिंह : उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है उसको अगर कोई दूसरा करें तो....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि वालन्टरिली कोई भी आदमी और वह भी आप जैसी हैसियत के अध्यक्ष महोदय हो, मंत्री महोदय हो, वे अगर कोई बयान देंगे और उसके ऊपर कोई अफवाह शुरु होगी तो निश्चित रूप से सदन में इस बात का या तो खण्डन होना चाहिए या उस पर चर्चा होनी चाहिए जिससे इतने बड़े आसन पर जो लांछन आ रहा है वह साफ हो । मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब 98–100 बीघा जमीन के करीब अलाट हुई और कृषि की डिमाण्ड पर आपको याद होगा हमने निवेदन किया था कि इस प्रांत में कितने भू-दान के नाम से अलाट हुई....

श्री अध्यक्ष : इस पाइन्ट को आप छोड़िये, बहुत हो गया ।

श्री सम्पतसिंह : वह जानकारी आप ले लें कि इसमें बार-बार जो अध्यक्ष जैसे हम इस आसन का आदर करते हैं । ना सिर्फ हम करते हैं साधारण आदमी भी आदर करता है तो लोक सभा के अध्यक्ष के आसन का तो आदर और भी ज्यादा तरीके से करना चाहिए । लेकिन वह अगर व्यक्तिगत कैपेसिटी में यह भाषण देते हैं कि +++

श्री अध्यक्ष : No, no. This is not the point of discussion here.

श्री सम्पतसिंह : तो निश्चित रूप से जानकारी लीजिये कि उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि नहीं दिया और किस जमीन के बाबत दिया, कौन-कौन से नेताओं के बाबत दिया । इस पर सरकार जानकारी लेकर बतायें +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, जाखड़ साहब लोक सभा के स्पीकर हैं, उनके बारे में....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष जी, आप सरकार से जानकारी करके बतायें कि अलवर जिले में जो कुछ कहा गया है....

श्री भंवरराम सूपका : माननीय अध्यक्ष जी, हमने हमारी कांग्रेस से जिस+++ को निकाला, धक्का देकर, वह, खुद तो उनका नेता ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : वी हैव 295. श्री फूलचंद जी ।....(व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री शोपतसिंह : यह बलरामजी जाखड़ का नाम सिर्फ आपको ही सता रहा है क्या? और किसी को दर्द नहीं हो रहा है। बड़े + + + बनना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री फूलचंद जी गुर्जर।

श्री नवरंगसिंह : वहां सीकर में पल-साना की सभा में जो हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री देवीलाल जी को + + + क्या उस (व्यवधान) मामले की जानकारी आप मंगवायेंगे कि इस बात में कहां तक सत्यता है ? उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वह निंदनीय है।

श्री अध्यक्ष : जो बोल रहे हैं, इरेलेवेंट है। माननीय श्री नाथूसिंह जी, आपने अपना समय बर्बाद कर दिया है।

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं। कहां बोला हूं ? आपको यह जानकारी मंगानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बहुत समय दे दिया माननीय सम्पतसिंह।

श्री भंवराराम सूपका : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : यह गलत है।

श्री सम्पतसिंह : हिन्दुस्तान में स्पीकर की कुर्सी का अगर दर्जा कायम रखना है तो आपको टाइम देना चाहिये अध्यक्ष महोदय। और यह सफाई लीजिये सरकार से....

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचंद, कृपया विराजें। आप बोल चुके हैं। जो बोला है इर्रेलेवेंट है।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी सरकार से दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, आप बोल चुके, You have wasted your time. I have give you the time, you have wasted your time.

श्री नाथूसिंह : एक जानकारी और बता दूं।

श्री अध्यक्ष : नो प्लीज।

श्री सम्पतसिंह : यह जानकारी आपको मंगवानी चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सम्पतसिंह जी, बहुत समय दे दिया, अब आप बैठिये।

श्री भंवराराम सूपका : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : यह गलत है। नो..नो.... (व्यवधान) मैंने समय दे दिया है आपको। बहुत समय दिया है आपको अन लिमिटेड..

श्री सम्पतसिंह : हां, लिमिट होनी चाहिये, लेकिन भाषण अनलिमिटेड है। अगर + + + तो आखिर इसकी भी लिमिट होनी चाहिए, कि क्या भाषा बोलनी चाहिये, आम सभा में। + + + यह बयान दे गये कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : No, no. I have not allowed। + + + आपको मजा ही नहीं आता है बिना नमक मिर्च लगाये....I have

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

told you. I have given my ruling.

अंकित नहीं करेंगे।

श्री मोहन छंगाणी : X X X

श्री जगतसिंह दायमा : X X X

श्री सम्पतसिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : मुझे प्रूफ दे दीजियेगा आप। प्रुफ दीजियेगा, आप बैठिये। मुझे राइटिंग में दीजियेगा, वैसे नहीं लगाने दूंगा। किसी की टोपी नहीं उछलेगी। नोट नहीं करेंगे....

श्री सम्पतसिंह : X X X

श्री कालीचरण सराफ : X X X

श्री भंवराराम सूपका : X X X

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे।

श्री फूलचंद गुर्जर : कोई नोट नहीं हो रहा है।

श्री भंवराराम सूपका : X X X

श्री अध्यक्ष : आपका काफी टाइम हो गया। आप देख लीजिये। कृपया सम्पतजी

श्री सम्पतसिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचंद, कृपया पढ़िये। आर्डर प्लीज....

श्री सम्पतसिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जी, इस पर पूरा प्रकाश डाल चुकी हैं, No repetitions. श्री फूलचंदजी....(व्यवधान) नोट, नहीं करेंगे।

श्री भंवराराम सूपका : X X X

श्री नाथूसिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं। कोरस हो रहा है, यह, कोरस। पूरे हाउस को यह सब साथ साथ बोल रहे हैं। आल आर स्टेंडिंग। नोट नहीं करेंगे।

श्री सम्पतसिंह : X X X

श्री शोपतसिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं हो रहा है, आपके 15–20 मिनट हो गये, You are repeating the same thing. इसलिये नहीं हो रहा है कि आप पूरा टाइम नहीं लेंगे, लिमिटेड टाइम है, उसको लेंगे। कह दिया है मैंने I have already instructed कुछ प्रूफ देंगे, तब कहूंगा I want definite proof.

श्री सम्पतसिंह : XXX

श्री भंवरराम सूपका : X X X

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं हो रहा है।

(12.38 म.प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठें आप। एक जना बोले। प्लीज सिट डाउन। दायमाजी, एक मिनट आप बैठें।

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सम्पतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी थी कि हमने अभी अलवर जिले के एक गांव के बाबत.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुन रहा था। प्लीज सिट डाउन । माननीय शोपतसिंह जी, बैठें आप । उसकी मेरे ख्याल से व्यवस्था हो गयी है।

श्री सम्पतसिंह : केवल एक स्पष्टीकरण उसमें रह गया, अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी, हम यह निवेदन कर रहे थे कि इस आसन के लिये जितना आदर हमारे मन में है, जितना आदर माननीय सदस्यों के मनों में है....

श्री जगतसिंह दायमा : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सिट डाउन । Come to order please.

श्री सम्पतसिंह : लोक सभा के जो अध्यक्ष हैं, उस आसन के लिये उतना ही आदर हमारे मनों में है और अगर हम कोई उच्छृंखलता करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी सदस्यता के ऊपर लांछन लगाते हैं और अपने एक नागरिक के ऊपर भी हमको कहने का अधिकार नहीं है । लेकिन अगर पार्लियेंटरिली कोई अध्यक्ष या मंत्री या कोई भी विपक्ष का नेता आम सभा में यह बोलता है, विपक्ष या सरकारी पक्ष के नेता लोग + + + तो वह इस पर भी जानकारी चाहिये, संसदीय मंत्री से यह जानकारी आप लीजिए कि ऐसा + + + अलवर जिले के गांवों में बोले थे या नहीं बोले थे ?

श्री उपाध्यक्ष : This was not the issue. इश्यू आपके अलाटमेंट का है।

श्री सम्पतसिंह : हमने लिख कर के दिया है कि यह बेनामी अलाटमेंट है। सीकर में यह चले गये + + + ने अलाटमेंट कराया है । 98 बीघा जमीन है।

श्री उपाध्यक्ष : जब यह कहा गया कि तीन दिन में स्टेटमेंट आ रहा है, आॅन दीज इश्यूज, तीन दिन में अध्यक्ष जी की व्यवस्था है.... (व्यवधान) नाऊ प्लीज सिट डाउन ।

श्री सम्पतसिंह : कोई भी आदमी संविधान से बड़ा है क्या ?

श्री नाथूसिंह : एक मिनट अलाऊ करें।

श्री जगतसिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस जमीन का अलाटमेंट हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दायमा जी, बैठें आप । आप नाथूसिंहजी, बैठें।

श्री जगतसिंह दायमा : मेरे गांव की जमीन जा रही है और आप मेरे को बैठा रहे हैं और उनको नहीं कह रहे हैं। उन्होंने पट्टे दे दिये और मेरे को कह रहे हैं कि मैं बैठ जाऊं । मैं कैसे बैठ जाऊं ? अगर आप मुझे अलाऊ नहीं करेंगे तो मैं धरने पर बैठूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप, एक

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री उपाध्यक्ष)

मिनट। एक मिनट बैठ जाइये, फिर आपको अलाऊ करता हूं।

श्री सम्पत सिंह : हम एक यही जानकारी चाह रहे हैं कि इसमें ख्वामख्वाह +++ का नाम....

श्री रघुनाथ परिहार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पवित्र सदन की ऐसी स्वस्थ परम्परायें रही हैं कि आसन ने जब–जब व्यवस्था दी है उसके बारे आपत्ति नहीं उठाई गई है....

श्री सम्पत सिंह : आपत्ति कोई नहीं उठा रहे, कोई भी कमेंट्स नहीं कर रहे.... (व्यवधान)

श्री रघुनाथ परिहार : इसलिए मेरा निवेदन है कि अध्यक्षजी ने तीन दिन में भूमि आवंटन के मामले में सरकार को निदेशित किया है कि वह इसके बारे में जानकारी दें तो मेरा निवेदन है कि इस मामले में इस आपत्ति को नहीं माना जाना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब साफ है कि राज्य सरकार की यह तैयारी नहीं है कि इस आरोप का खण्डन कर सके कि यह बेनामी भूमि +++ ने ली है....

श्री उपाध्यक्ष : अब यह तो, इट इज योर....(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आॅर्डर के ऊपर जो आदेश देंगे उनकी सरकार पालना करेगी, आपकी पालना नहीं करेगी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह पालना कर रहे हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही तो चेयर से हुआ है। व्यवस्था करेगी तब होगा न। उन्होंने तो कहा कि हमने जानकारी मांगी है, मुझे तथ्य दीजिए, यह सारा कह दिया अध्यक्षजी ने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुनिये। आप अध्यक्ष की शरण क्यों ले रहे हैं? सरकार यदि सतर्क होती तो सबसे पहले इस मामले का स्पष्टीकरण करती कि यह जो बेनामी आवंटन हुआ है, इस आवंटन से +++ का कोई सम्बन्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसका उत्तर नहीं दिया, अब आपने उनको तीन दिन का समय दे दिया। मैं आसन से जानकारी करना चाहता हूं, सरकार से जानकारी करना चाहता हूं कि क्या सरकार तीन दिन तक +++ यही चर्चा कराना चाहती है? सरकार की पहली ड्यूटी थी कि लोक सभा के अध्यक्ष जिस चीज के अन्दर इन्वाल्व्ड कहे जाते हों उसका स्पष्टीकरण सरकार इस सदन में पहली बार दे। सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर रही और आसन का संरक्षण प्राप्त कर रही है। आप में से कोई सदस्य है जो यह कह सकता हो कि बेनामी आवंटन उनके नाम से नहीं हुआ है? कोई नहीं कह सकता और इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई यह भी तो

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं कह सकता कि बेनामी ग्रावंटन उनके नाम हुग्रा है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैम्बर्स ने ग्रारोप लगाये हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रारोप तो लग सकते हैं लेकिन जब तक इसमें कोई तथ्य नहीं ग्रा जाय....

श्री भैरोंसिह शेखावत : तथ्य नहीं ग्रा जाय, यह बात दूसरी है लेकिन ग्रारोप तो लगे हैं ? ग्रारोप का स्पष्टीकरण करने का ग्रवसर ग्राप सदन में भी देते, सब कुछ बात यहां होती, मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रब ग्रापने तीन दिन का समय दे दिया ग्रौर मेरी जानकारी यह है, ग्राज सुबह मुझे यह जानकारी मिली है कि जिस जमीन का ग्रावंटन किया गया है, गांव वालों ने उस जमीन को काश्त कर ली, जिनके नाम ग्रावंटन हुग्रा है वे दूसरी तरफ हथियार लेकर खड़े हैं ग्रौर जिन्होंने काश्त की है वे दूसरी तरफ ट्रैक्टर लेकर खड़े हैं। एडजोर्नमेंट मोशन का कारण यह था कि वहां झगड़ा नहीं हो जाय, ग्रावंटन उतना बड़ा इश्यू नहीं है। ग्रावंटन के ग्रलावा दूसरा बड़ा इश्यू है कि वहां किसी प्रकार की शांति ग्रौर व्यवस्था भंग नहीं हो जाय। सरकार उस प्रश्न के ऊपर भी नहीं बोलना चाहती, ग्रावंटन गलत हुग्रा है....इस मामले में भी सरकार कहना नहीं चाहती, ग्रावंटन नियमों के विपरीत हुग्रा है, इस मामले में भी सरकार नही कहना चाहती तो फिर सरकार चुप हो, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है कि हम सरकार को मजबूर करें बोलने के लिए। हमने ग्रारोप लगाये, सरकार ने ग्रारोप स्वीकार कर लिये ग्रौर ग्रब ग्राप कह रहे हैं कि तीन दिन के बाद में सरकार उत्तर देगी....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रारोप स्वीकार नहीं किये हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मौनम् स्वीकृति है... (व्यवधान)

श्री रघुनाथ परिहार : स्वीकार करने की बात कहां ग्राई ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : ग्रारोप के विषय में सरकार मौन रहे तो यह मानकर चलिये कि वह स्वीकृति है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं ग्रासन से दूसरे ग्रासन की सुरक्षा की बात कहना चाहता हूं। ग्राप कम से कम +++ को तो बचाइये ग्रौर बचाइये इस रूप में कि सरकार उसका स्पष्टीकरण दे दें तो शायद स्थिति सही क्या है ग्रौर क्या नहीं है, इसकी जानकारी हमारे सामने ग्रा जाय। ग्राप ग्रलवर जिले में जाइये एक नहीं बीस ग्रादमियों ने तो टेलीग्राम दिये हैं। बीस ग्रादमियों ने टेलीग्राम ही नहीं, मई के महीने में यही राजस्थान विधान सभा के सदस्य श्री जगमाल सिंह यादव एक वक्तव्य दे रहे हैं ग्रौर वक्तव्य देकर यह कह रहे हैं कि यह जमीन +++ को ग्रावंटन की जाने वाली है। बलरामजी जाखड़ की मौजूदगी में जगमाल सिंह कहते हैं कि ग्राप जमीन लेने वाले हैं। बलरामजी गुस्से में ग्रा गये ग्रौर गुस्से में ग्राकर बैठ

+++ शब्द माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी गये और कहने लगे कि मैं भिखमंगा नहीं हूं, मैं जमीन खरीदूंगा। आखिर यह सारी बातें हैं जिनका सरकार ने आज तक उत्तर क्यों नहीं दिया? जिस समय जगमाल सिंह यादव ने स्टेटमेंट दिया, सरकार इस बात के लिए सावधान क्यों नहीं हुई, जिस समय सभा में इस प्रकार की गड़बड़ी हुई उस समय सरकार सावधान क्यों नहीं हुई और दो दिन से जब समाचार पत्रों में आ गई, एक विधायक का स्टेटमेंट आ गया, सरकार उसके ऊपर क्यों मौन रही? इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं दाल में काला है और सरकार उस काले को छिपाना चाहती है.... (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : पूरी दाल ही काली है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरी दाल काली है, यह और भी दुर्भाग्य की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : उड़द की दाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आज तीन दिन का समय नहीं रखा जाय और कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है मन्त्री महोदय, आप कलक्टर, अलवर को टेलीफोन करेंगे और टेलीफोन के ऊपर आपको यह जानकारी दे देंगे कि यह आदमी राजस्थान के हैं या नहीं? इनको जमीन अलाटमेंट नियमों के अनुसार हुई या नहीं हुई? 125 लोगों में, जिनमें अपंग हैं, फौजी हैं, विधवा हैं, गरीब है, हरिजन हैं, उन लोगों की एप्लीकेशन्स आपने खारिज की है या नहीं? यह अलाटमेंट किस आधार पर हुआ? यह मैं समझता हूं पांच मिनट में राजस्व मन्त्रीजी या गृह मन्त्रीजी पूछना चाहें तो जानकारी कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर दूं.... (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : बड़े जाटों के नाम कहां से आ गये, कहां से आ गये, बता दिया है हमने जो...

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जो भावनाएं हैं....(व्यवधान) बैठें आप। दायमाजी बैठिये। प्लीज सिट डाउन। प्लीज दायमाजी। मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप बात नहीं कहूं तो आप मत कहना। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो प्रकरण आया है वह स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आया है, इसमें राज्य सरकार ने कोई हमसे समय मांगा नहीं। यह तो आसन की व्यवस्था थी कि इस पर तीन दिन में यह जानकारी हमको दे दें ताकि इस स्थगन-प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया जा सके, Whether it should be accepted or rejected, or it should be allowed to be discussed.

यह तीन इसमें प्रक्रियाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं किन्तु इसके साथ माननीय विपक्ष के नेता ने जो बात कही है वह चिंताजनक बात है कि वहां अलाटमेंट हुआ है वह बेनामी अलॉटमेंट है या कैसा है? उसकी तो जानकारी तीन दिन में आ जायेगी और इस स्थगन-प्रस्ताव पर बातचीत हो जायेगी किन्तु वहां गांव के काश्तकारों ने उस पर काश्त करना शुरू कर दिया और जिनको

(श्री उपाध्यक्ष)

बेनामी अलॉटमेंट हुआ वे वहां ट्रेक्टर लेकर खड़े हैं तो एक सम्भावना जो झगड़े की बन पड़ी है वह सबकी चिंता का विषय है। इसलिए मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि अगर इस किस्म की स्थिति है तो इस पर तुरन्त आप जानकारी भी करें और उस पर कार्यवाही भी कर लें ताकि इस किस्म की वहां पर कोई गड़बड़ी पैदा न हो, झगड़ा पैदा नहीं हो। किन्तु आप तीन दिन में जानकारी देंगे तभी हम स्थगन-प्रस्ताव पर अपनी व्यवस्था देंगे। धन्यवाद। माननीय फूल चन्द जी।

श्री नाथूराम मिर्धा : दो सेन्टेन्स मैं भी कहना चाहता हूं। उपाध्यक्षजी, साधारणतया जो आपने नोर्मल कोर्स में तीन दिन का समय दिया और इनको नोटिस देंगे और जवाब लेंगे। अगर यह कोई साधारण आदमी का मामला होता तो शायद इधर भी इतनी चिन्ता नहीं होती और उधर तो अभी भी मामला इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी चिंता नहीं है। कुल मिलाकर के यह हिन्दुस्तान के बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह ही तो मैं बोल रहा हूं, बहुत ऊंची कुर्सी है और उस ऊंची कुर्सी वाले व्यक्ति के लिए बेनामी जमीन लेने की बात और यहां पर सारी स्थिति विपक्ष के नेता ने कही, इस सरकार को चिन्ता न हो, मेरे ख्याल से ये तीन दिन का समय काहे के लिए लेना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ये नहीं ले रहे हैं They have not claimed. we have given them (व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने समय दिया वह भी+++

श्री उपाध्यक्ष : वे वर्ड्स निकाल दिये जायें।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए आप समय इनको न दीजिए....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो संजीदगी से बात कीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरा निवेदन सुन लीजिए। एक मिनट में कलक्टर से टैलीफोन मिला लें और इनसे नहीं हो तो मुझे कहें, मैं बात करवा दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कर लीजियेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : सवाल यह है कि महत्वपूर्ण मामला है और रोज+++ की यह +++बनावें, यह अच्छा भी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : यह+++शब्द भी निकाल दीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : रोज+++ की बात की यहां घिसाई हो, उसको कह दीजिए, इतने बड़े आदमी की कुर्सी की घिसाई इस सदन में रोज हो, वह अच्छी-उपयुक्त बात नहीं होगी। इसलिए मेरा

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बहुत ही विनम्र निवेदन है कि जो बैठे हैं गृह मन्त्री जी, बहुत सक्षम हैं, इनको कहिये कि कलक्टर से बात कर लें और शाम तक इसका उत्तर दें। या तो कहें कि यह बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है और जिनको अलाटमेंट हुआ है वे जिनाइन लोग हैं और अगर झगड़ा हो रहा है तो इसको रोकें। आज शाम तक हमको हालात बताइये, यह बहुत जरूरी है और मैं आपसे कहूंगा कि +++की आगे भी काफी बदनामी आप करा चुके हैं, अब तो रोकें इसको।

श्री उपाध्यक्ष : Now please sit down. क्या कहना चाहते हैं ?

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष मेरा नाम पुकार चुके हैं। मेरा स्थगन-प्रस्ताव है और स्थगन-प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है....

श्री उपाध्यक्ष : काहे का स्थगन-प्रस्ताव है ?

श्री जगतसिंह दायमा : यह खून-खराबा हो जायेगा इसके लिए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कह दिया न, आप आसन की व्यवस्था को भी मानेंगे तो बात चलेगी नहीं...(व्यवधान) आपके मत के अनुकूल बात की। जो आप कहना चाह रहे हैं उसी को मैंने पहले ही कहकर व्यवस्था दे दी तो आपको मान्य नहीं है....(व्यवधान) जब व्यवस्था आ जाय, तब बोलियेगा। Now please sit down (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : मेरे तीन पाइंट और हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down. Very nice of you. Thank you.

श्री शोपत सिंह : मैंने जो स्थगन-प्रस्ताव दिया है वह इस हालत में दिया है कि कमजोर मानसून होने के कारण आज सारे राजस्थान के अन्दर फिर वापस अकाल की घटायें छाने लगी हैं और वर्षा देरी से हो रही है और अब तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट आयी है सारे राजस्थान की, वह बहुत ही भयंकर हैं, भयानक है और लोग बहुत घबराये हुए हैं। सारे राजस्थान के किसान, लेट वर्षा से....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के बारे में सरकार से जानकारी चाही गयी है।

श्री शोपत सिंह : मैंने जो प्रस्ताव दिया है उसमें मेरी बात को सुनिए। मैं उन परिस्थितियों का जिक्र कर रहा हूं। ऐसी परिस्थितियों में अगर किसानों के ट्यूब वैल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में सीकर जैसे इलाके के अन्दर जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : No, I do take it seriously. Is he connected with this ?

श्री शोपत सिंह : आप क्या बात कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अन-नेसेसरी आप बात कर रहे हैं।

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने वर्षा को रोक रखा है।

श्री शोपतसिंह : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है नियम 50 के तहत....

श्री उपाध्यक्ष : आयेगा तब जब स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी जायेगी, तब आप बोलेंगे। When it will be rejected, then you will be allowed..

श्री शोपतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे इजाजत दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष : You have spoken. You have already spoken.

श्री शोपतसिंह : इसको थ्रेश आउट नहीं कर सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कर सकते हैं।

श्री शोपतसिंह : क्यों ? क्या बात हुयी?

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में नहीं है।

श्री शोपत सिंह : मुझे अध्यक्षजी ने पुकार लिया था, इस बात के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : You have spoken that much.

आप इस पर बोल लिये हैं। इसके अन्दर आपको स्टेटमेंट देने के लिए अलाऊ नहीं किया है। इसको आप तब करेंगे जब रिजेक्ट हो जायेगा।

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे इस बात की इजाजत दी है।

श्री उपाध्यक्ष : नो, प्लीज सिट डाउन।

श्री शोपत सिंह : आप देख लीजिए, आप कार्यवाही में देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपने बोल लिया जितनी परमिशन थी।

श्री शोपत सिंह : क्या बोल लिया ? मैंने क्या कहा ? मकसद क्या है ? इसमें क्या लिखा हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह लिखा है कि कनेक्शन काटे जा रहे हैं, मानसून के फल्योर के बाद....

श्री शोपत सिंह : आप इसको पढ़िए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं पढूंगा।

श्री शोपत सिंह : आप इस तरह की बातों को, बिजली विभाग ट्यूब-वैल के कनेक्शन काट रहा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप बैठिए।

श्री शोपत सिंह : क्या चाहते हैं आप ? मैं नहीं बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज स्टेटमेंट नहीं देंगे।

श्री शोपत सिंह : मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। मैं हालात बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हालात बता दिये ना आपने।

श्री शोपत सिंह : आप सुन नहीं रहे हैं मैं बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कितनी बार सुनूंगा ।

श्री शोपत सिंह : मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप ।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लिये ना आप, देख लीजिए, आप कितना बोल लिये हैं ।

श्री शोपतसिंह : मुझे अफसोस है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक घण्टा गुजर गया एक ऐसे सवाल पर और जब मैं किसानों की बात कहना चाहता हूं....उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर थोड़ी सी भी किसानों के प्रति दिल में जगह है तो मैं बताना चाहता हूं कि कनेक्शन ही नहीं काटे जाते हैं, उन्होंने तमाम खम्भों को, लाइन को तोड़ा....

श्री उपाध्यक्ष : You will speak when it is rejected.

अभी तो आपका पेण्डिंग है ।

Let the report come and then the dicision will be taken.

उस पर निर्णय हो तब कहें ।

श्री शोपत सिंह : इस पर सरकार का जवाब दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष : दिला दूंगा ।

श्री नाथूसिंह : पाइंट आफ ऑर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : No point of order. It is zero hour continuing. No point of order now.

श्री नाथूसिंह : आप सुनिये तो सही ।

श्री उपाध्यक्ष : नो पाइंट आफ ऑर्डर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज नाथूसिंह जी, पाइंट आफ आर्डर इस समय पर नहीं होगा । प्लीज अलाऊ मी टू फंक्शन....

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने आश्वासन दिया था, शुक्रवार को जाटवों की बारात पर हमला हुआ था कठूमर में उस पर स्टेटमेण्ट देने को कहा था बताने की कृपा करें कि स्टेटमेण्ट कब देंगे?

श्री सी.पी. जोशी : एक बार चर्चा हो गयी । रोज–रोज चर्चा हो जाय....(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : स्टेटमेन्ट देने का था ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फूलचन्द जी । पढ़ें आप । नाथूसिंह जी, बैठें आप । नाथूसिंहजी, ओबलाइज मी ।

श्री नाथूसिंह : आप सुनें तो सही ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सुनूं ? पाइंट आफ ऑर्डर का टाइम नहीं है, आपको पता है जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है । Do you know it?

श्री नाथूसिंह : हां पता है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कानून में आ रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : हां, कानून में आ रहा हूं । आप नियम देखिए ।

श्री उपाध्यक्ष : नियम देखें हैं तब ही

(श्री उपाध्यक्ष)

तो मैं आपको रोक रहा हूं। पाइंट आफ ऑर्डर नहीं कहिए, मुझे बोलना है, कहिए।

श्री नाथूसिंह : नहीं बोलना नहीं है, मेरा पाइंट आफ ऑर्डर यह है

श्री उपाध्यक्ष : मैं पाइंट आफ ऑर्डर तो नहीं सुनूंगा। जीरो आवर के बाद पाइंट आफ ऑर्डर होगा।

श्री नाथूसिंह : आपने स्थगन-प्रस्ताव पर अपनी व्यवस्था दी, मैंने 119 के अन्तर्गत एक निंदा प्रस्ताव यूथ कांग्रेस....

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास नहीं है

I will not allow you.

श्री नाथूसिंह : आप पूछें आफिस से। उस पर व्यवस्था नहीं हुयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप अध्यक्ष जी से बात कर लीजिए। मेरे पास नहीं हैं आप बैठिये.. .नाथूसिंह जी की बात रिकार्ड नहीं होगी। Not to be recorded.

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। आप बात कर लीजिए Go and talk to the Honb'le speaker.

माननीय फूलचन्दजी बोलें। प्लीज गो एण्ड सी। आप बात कर लीजिए। I will not allow you.

आप अध्यक्षजी से बात कर लीजिए।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फूलचन्द जी पढ़ें। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने स्थगन प्रस्ताव दे रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अध्यक्ष जी से बात कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बहुत छोटा सा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं करने दूंगा। मेरे सामने नहीं है। मेरे सामने होता तो I would have allowed.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं यह उठाकर बात नहीं कहूंगा। मैं तो नम्र निवेदन कर रहा हूं कि तीसरी से लेकर के...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भार्गव साहब, मजबूर न करें, माननीय फूलचन्दजी बोलेंगे....(व्यवधान) प्लीज भार्गव साहब। भार्गव साहब की बात भी रिकार्ड नहीं करेंगे। प्लीज भार्गव साहब, प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्य आप अध्यक्षजी से बात करके आयें, आप बड़े संजीदा सदस्य हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, आप बैठिए। Not to be recorded. आप अध्यक्षजी से बात कर लें। Please oblige me.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रघुनाथ परिहार : माननीय भार्गव साहब कौन सी व्यवस्था में बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री रघुनाथ परिहार : आसन की ओर से माननीय सदस्य फूलचन्दजी का नाम पुकार लिया है, वह बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप तो नियमों के जानकार हैं, ज्ञात हैं, हमें सिखाते हैं, अब कौन से नियम में आ रहे हैं। प्लीज, भार्गव साहब। भार्गव साहब की बात रिकार्ड नहीं होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

श्री कालीचरण सराफ : पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : What is it now ?

श्री कालीचरण सराफ : हजारों आटो रिक्शा वाले बाहर आये हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कई बार बात हो चुकी है उनसे। आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आपके कण्ट्रोल में नहीं आ रहे हैं। मैं क्या करूंगा ? You have informed the House. Now please sit down.

श्री कालीचरण सराफ : सरकार उनसे बातचीत करें, सरकार समझौता नहीं करना चाहती है। सरकार से कहिए, उन से समझौता करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हाउस में कम टू आर्डर, प्लीज... (व्यवधान) Not to be recorded.

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री हीरासिंह चौहान : × × ×

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। You wanted to inform the House. You have informed.

माननीय चौहान साहब। मेरी तरफ देखिए ऊपर मत देखिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : × × ×

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिए तो बसेज आ रही हैं। अब तो आपके लिए मिनी बसेज की भी व्यवस्था कर रहे हैं। (व्यवधान) तुड़वाइये उनकी स्ट्राइक आप। I name you.

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : × × ×

श्री हीरासिंह चौहान : × × ×

श्री कालीचरण सराफ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, आप बैठिये, मैं आपको नहीं सुनूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : × × ×

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बैठिये, मैं नहीं सुनूंगा ग्रापको। I will not allow. I will name you. इनफोर्मेशन देनी है, ग्रापने इनफोर्मेशन दे दी। ग्राप इस तरह से हाउस को गुमराह करना चाहते हैं। श्री फूलचन्द जी। Now I say sit down.

(1.08 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

नियम 295 के
ग्रन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, नियम 295 के तहत नगर पालिका नीमकाथाना में सचिव ग्रौर प्रशासक की मिली भगत से ग्रन्य पदाधिकारियों द्वारा भूमि ग्रावंटन एवं ग्रन्य कार्यों में हो रही ग्रनियमितताग्रों के सम्बन्ध में सूचना। महोदय, नगर पालिका नीमकाथाना पिछले दो वर्ष से लुटेरों का ग्रड्डा बन चुकी है। नगर पालिका की बेशकीमती भूमि पर पूंजीपतियों का ग्रवैध कब्जा प्रशासक की ढिलाई व सचिव की देख रेख में हो रहा है। यहां तक की बस स्टेण्ड पर ग्राम रास्ते से जहां से जनता गुजरती थी, उस रास्ते के ऊपर जनता के विरोध के बावजूद निर्माण हो गया। बस स्टेण्ड के दूसरे कोने पर भी नगरपालिका की बेश कीमती भूमि पर भी एक पूंजीपति द्वारा कब्जा कर दुकान का निर्माण कर लिया गया यहां तक कि पिछले दिनों नृसिंह मंदिर की भूमि थी उस पर भी रातों रात ग्रतिक्रमणियों ने दुकानों का निर्माण करके पालिका सचिव की मिली भगत से वहां बहुत बड़ी दुकानें खड़ी कर दी यह बहुत ही खेदजनक बात है। जहां एक तरफ पूंजीपति पालिका प्रशासन को पैसे खिलाकर नगर पालिका को चूना लगा रहे हैं। वहीं गरीबों का जीना दूभर हो रहा है....

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज माननीय सदस्य बात–चीत नहीं करें।

श्री फूलचन्द गुर्जर : एक गरीब ग्रादमी की पान शुदा स्टाल को केवल पैसे एंठने के चक्कर में सचिव महोदय उठाकर ले गये जबकि राज्य सरकार के ग्रादेशों के बावजूद ग्रवैध स्टालों को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया तथा सचिव मनमानी करके लूट-पाट में लिप्त है यह ग्राश्चर्य की बात है कि पिछले दो वर्षों में सचिव का तीन बार स्थानान्तरण होने के बावजूद वह वहीं पर डटे रहे हैं तथा जनता में खुले ग्राम कहता है कि एक स्थानान्तरण पर दस–बारह हजार खर्चे का ग्राता है। कोई फर्क की बात नहीं, कोई परवाह नहीं। यहीं से यह पैसे निकलेंगे नगरपालिका में से ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नगरपालिका की मुख्य सड़कें पिछले दो वर्षों से बिना डामर के पड़ी हुई है। नगर गन्दगी का ढेर बन चुका है। थोड़ी सी बारिश होते ही भयंकर गन्दगी हो जाती है जिसके कारण वहां भयंकर बीमारियां फैलने का ग्रन्देशा हो रहा है उन्हें रोकना सम्भव नहीं होगा। नगर में ग्राम रास्तों में बिजली की व्यवस्था नहीं के बराबर है। साथ ही भयंकर गन्दगी के कारण बीमारियां फैल रही है। ग्राधे से ग्रधिक बल्व व ट्यूबलाइटें खराब पड़े हैं।

XXX माननीय उपाध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

साथ ही पालिका कर्मचारियों के पी. एफ. के पैसों में भी भारी अनियमितताओं के होने की शिकायतें बराबर मिल रही हैं । नीम का थाना के बढ़ते व्यापार की तुलना में चुंगी की आय बहुत कम है तथा सचिव की मिली भगत होने के कारण सारा स्टाफ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है । राजस्व की हानि प्रतिदिन लाखों रुपयों की हो रही है। नगरपालिका की आय व्यय का कोई हिसाब नहीं है तथा अफसरशाही फैल रही है। किसी भी सार्वजनिक कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । प्रशासन द्वारा कोई कार्य अच्छी तरह से किसी कार्य को सम्पादित नहीं किया जा रहा है । महोदय, सचिव चुंगी चोरी करने वालों को प्रोत्साहन देते हैं तथा अतिक्रमणियों से अच्छी खासी रकम लेकर उनको पूरी छूट दी जाती है । पूरी नगरपालिका, जनता उनके कार्य–कलापों से दुखी है । सभी पार्टियों में बराबर इनकी शिकायतें, अन्य अधिकारियों एवं प्रशासक की है तथा मांग की है कि उनका स्थानान्तरण यहां से शीघ्र किया जाये । महोदय, जनता इस सचिव से पिण्ड छुड़ाने के लिये बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिये तैयार है क्योंकि उनको बदलने के लिये दस बारह हजार रुपये देने की बात आती है तो इसके लिये भी जनता चन्दा इकट्ठा करके उनके स्थानान्तरण के लिये दस बारह हजार रुपये खर्च कर सकती है । अतः मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट सचिव, जो लगातार तीन चार साल से नगरपालिका को चूस कर खा रहा है और इतना भ्रष्टाचार हैं उनकी बार बार अखबारों द्वारा शिकायतें की गयी हैं और विभाग के लोगों को, इसके बावजूद भी उनको वहां टिकाये रखने से नगरपालिका बहुत हानि में जा रही है । अतः मैं माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मन्त्री महोदय से मांग करता हूं कि सचिव का स्थानान्तरण करके उनके द्वारा किये गये कार्यों की तुरन्त जांच करवायें और उनको सख्त से सख्त सजा दी जायें । यहीं मांग करता हूं ।

श्री सभापति : श्री हंसराज मिढ़ा ।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के तहत स्थगन प्रस्ताव की सूचना । महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना व सी. ए. डी. विभाग की उदासीनता की जानकारी देना चाहता हूं तीस साल से जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है तथा उसका विवरण निम्न प्रकार है:–

1– श्री विजयनगर नगर पालिका की जमीन पर बनाये गये दफ्तर व रिहायशी प्लाटों की कीमत आज तक नहीं दी गयी है इस जमीन की कीमत जल्दी से जल्दी नगर पालिका को दिलायी जावें क्योंकि वहां की माली हालत नगर पालिका की काफी कमजोर हो चुकी है । 4 लाख रुपया असल व बाकी ब्याज, अगर यह रकम नगर पालिका को दिलायी जाये तो मेरे ख्याल में नगर पालिका के हरिजनों को रोटी के लिए पैसा मिल सकेगा ।

2– किसानों से ली गयी जमीन ईंट भट्टों के लिये उस जमीन का लेवल नहीं करवाया जा रहा है इस जमीन का लेवल न कराने से देश का भारी नुकसान हो रहा

(श्री हंसराज मिढ़ा)

है, अनाज बिना लेवल कराये पैदा हो नहीं सकता फसल पानी से कहीं डूब जाती है, कहीं सूख जाती है गरीब किसान को मुआवजा दिया जाये। विभाग को आदेश दिया जावे एक माह के अन्दर किसानों की जमीन लेवल करवा कर वापिस लोटा दी जावे। एग्रीमेंट की कापी किसी किसान को दी नहीं और यह कह देते हैं लेवल कराना हमारा एग्रीमेंट में नहीं है। एग्रीमेंट तो किया है नहीं जबरन जमीन ले ली गवर्नमेंट की तानाशाही सरकार ने।

3– जिन किसानों की जमीन में नहरें निकाली गयी है उन किसानों को मुआवजा उनको भी दिलवायें सरकार लटकाये नहीं, मुआवजा शीघ्र दिलवाये। दीपाराम नायब की जमीन, लिफ्ट केनाल पम्पिग सेट...

श्री सभापति : जो लिखा हुआ है वहीं अंकित करें बाकी अंकित नहीं किया जाये।

श्री हंसराज मिढ़ा : 4– प्रथम स्टेज इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (सीएडी) को नहरों की देख–भाल करने के लिए पक्के खोलों के लिए बजट नहीं दिया गया है वह बजट नहीं देने से नहरों की टेलों पर पानी पूरा नहीं पहुंच सकता जिन चकों में खाले कच्चे हैं, रेतीली जमीन में पानी का काफी नुकसान होता है। जिसका नुकसान किसान व देश का होता है। अन्दाज 250–300 चकों में खाले पक्के बनाने बाकी है।

5– कई जगह नहरों का लेवल सही नहीं है बी जी डी नहर (जे.के.एम.)

श्री सभापति : कृपया पढ़े।

श्री हंसराज मिढ़ा : नहर, और भी कई नहरें है जिनका लेवल सही–सही है जैसे कि शिवपुरी माइनर।

6– चक 2 के पी डी, चक 4 आर टी एम, चक 5 यू डी एम, चक 4 पी चक। जी डी, व कई और भी मोघे (आउटलेट) सही नहीं बने हुये है। इन चकों को पानी पूरा नही लग रहा है इन किसानों को पानी पूरा दिलाया जावे तो उचित होगा।

7– सी ए डी विभाग बनने से पहले जिन किसानों की जमीन को पानी लगता था कच्चे खालों से उस रकबा को पानी दिया जाना चाहिए। मेरे प्रश्न के जवाब में विभाग ने मान लिया है कि 4611–37 हैक्टेयर रकबा अनकमाण्ड हो गया है इस रकबा को पानी तुरन्त दे दिया जावे अगर किसी रकबा को पानी ऊंचा भी लगता है तो किसान को लिफ्ट द्वारा पानी लगाने की छूट दी जावे। पानी की बारी दे दी जावे इस पानी से पेड़ उगाओ हरियाली बढ़ाओ का कार्यक्रम में काफी उन्नति होगी व किसान इस जमीन में बेरी व अन्य फलदार पौधे लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकेगा....

श्री सभापति : जो लिखा हुआ है वही अंकित किया जाये बाकी अंकित नहीं किया जाये।

श्री हंसराज मिढ़ा : वरना बिना पानी के किसान बेकार हो जायेंगे। तथा बिना पानी के किसान बेकार हो जायेंगे। तथा बेरोजगारी से वहां पर अनैतिक व गलत धन्धे पनपने लग गये हैं। क्योंकि उस क्षेत्र का किसान वहां बिना पानी की व्यवस्था के कुछ भी नहीं कर सकता।

(श्री हंसराज मिढ़ा)

अतः मेरा आपसे सुझाव है कि जल्दी जल्दी लिफ्ट द्वारा किसान को पानी की बारी दी जावे। किसानों की जमीन अन-कमाण्ड कर दी गयी है किसानों में इस बारे में भारी रोष व्याप्त है । विभाग की लापरवाही से ऐसी स्थिति हो गयी है। इसलिये सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त शिवपुरी के किलन चक नम्बर 29 जी.बी.ए. व अन्य ईंट भट्टा की अस्थायी अवाप्ति एग्रीमेण्ट की कापी किसान को दी जाये। जो कि जांच चल रही है वह एक माह में फैसला किया जावे या यह केस शिकायत याचिका विधान सभा में ले लिया जावे तो उचित होगा ।

श्री सभापति : श्री डूंगरराम पंवार।

श्री डूंगरराम पंवार (टी.बी.) : सभापति महोदय, कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव यह है कि सिंचाई सचिव श्री बी.पी. भटनागर ने 19 वर्ष की आयु में इन्जीनियरिंग की डिग्री पास कर सिंचाई विभाग में नौकरी कैसे प्राप्त कर ली थी ? जबकि सन् 1947 से 1956 तक के नियमों के अनुसार इंजी-नियरिंग डिग्री के कोर्स में दाखिला लेने की एक शर्त यह भी थी कि दाखिला लेने वाले व्यक्ति की उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। तथा 4 वर्ष का इन्जीनियरिंग कोर्स था। तो इस प्रकार 21 वर्ष की आयु से पहले कोई व्यक्ति सिंचाई विभाग में इन्जीनियरिंग की डिग्री पास कर 21 वर्ष की आयु से पहले नौकरी में नहीं आ सकता । अतः जांच की जावे या तो इनकी डिग्री फर्जी है, या जन्म तिथि फर्जी है। इस प्रकरण का उत्तर मुझे इसी सत्र में दिलवाया जावे ।

श्री सभापति : श्री नवनीत लाल नीनामा ।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : सभापति महोदय, ग्राम कानजी का गड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के सीमा पाड़ो की 4294 जनसंख्या का नाजायज फायदा ग्राम पंचायत घाटोल उठा रही है परन्तु यह ग्राम पंचायत कानजी का गड़ा को दिलाने के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत प्रस्ताव में निवेदन है कि ग्राम पंचायत कानजी का गड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पंचायत है। जिस समय से पंचायत राज की स्थापना हुई है उस दिन से लेकर आज दिन तक प्रशासनिक एवं राजनैतिक दृष्टि से उपरोक्त 4294 जनसंख्या का सारा नियंत्रण ग्राम पंचायत कानजी का गड़ा का का है। लेकिन समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान जो कि विकास कार्यों के लिये पैसा राहत सामग्री आदि का फायदा निम्न पाड़ों का ग्राम पंचायत घाटोल उठा रही है उसे तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर उक्त लाभ पंचायत कानगी का गड़ा को दिलवाया जावे ।

उक्त जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है:-

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

क्र.सं.	नाम पाड़ा	मकान	राशन कार्ड सं.	बड़े मनुष्य	छोटे मनुष्य	योग जनसंख्या
1.	बोदला पाडा	115	115	915	157	1072
2.	बिलवा पाडा	113	113	695	217	0912
3.	घाटी वडला	087	087	405	167	0572
4.	घाटी पाडा	039	039	154	035	0189
5	छोटा सवानिया	025	025	117	035	0152
6.	डूंगरी पाडा	050	050	279	070	0349
7	बाणसिया	040	040	247	069	0316
8.	जाम्बुडी	056	056	336	107	0443
9.	भोणकी की घाटी	028	028	215	074	0289
	योग	560	560	3363	931	4294

इस तरह से 4294 जनसंख्या को जो सामान सामग्री मिल रही है वह कानजी का गड़ा की बजाय घाटोल पंचायत को मिल रही है। इसे तुरन्त प्रभाव से कानजी का गड़ा को दिलाने के लिये निवेदन है।

उपरोक्त विवरण नक्शा क्रमशः 1 से 9 तक दर्शाया गया है। उन 9 पाड़ों के योग मकानात 560 एवम् 560 परिवार गणों को राशन कार्ड योग 918 छोटे व बड़े मनुष्यों की जनसंख्या 4294 का प्रशासनिक व राजनैतिक नेतृत्व ग्राम पंचायत, कानजी का गड़ा करती है। मगर उक्त पाड़ों व जनसंख्या का राजस्थान सरकार से मिलने वाला अनुदान एवं जवाहर रोजगार योजना का नगदी पैसा पड़ोसी ग्राम पंचायत घाटोल उठा रही है। यह एक पिछड़े तबके के आदिवासी व हरिजनों का शोषण हो रहा है।

अतः मैं इस 295 के प्रस्ताव के द्वारा राजस्व मन्त्रीजी व राजस्थान सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि उक्त पाडों की 4294 संख्या को घाटोल पंचायत रिकार्ड से तत्काल अलग कराकर पंचायत कानजी का गड़ा में शामिल करें व अनुदान व राशन सामग्री पंचायत, कानजी का गड़ा को दिलायी जाय। तत्काल इस पर विचार किया जा कर ग्रामीण जनता का असन्तोष दूर किया जाय अन्यथा भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। जनता में फैला आक्रोश कभी भी आंदोलन का रूप ले सकता है तथा कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है जिसकी पूर्व सूचना मैं इस माध्यम से आप को दे रहा हूं। अतः सरकार इस ओर

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

ध्यान दे कर त्वरित गति से कार्यवाही करे।

मान्यवर सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा....

श्री सभापति : अंकित नहीं करेंगे। श्री चुन्नीलाल मेघवाल।

श्री नवनीतलाल नीनामा : × × ×

श्री सभापति : आपने कह दी बात, पढ़ कर सुना दिया। यह सारा मैटर आ चुका है, माननीय सदस्य।

श्री नवनीतलाल नीनामा : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जो बोल रहे हैं सारी बात प्रस्ताव में आ चुकी है। आप का विशेष उल्लेख आ चुका है। धन्यवाद, बैठें। आप कृपया बैठें, मैं कह रहा हूं। यह अंकित नहीं करेंगे। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। समय खराब नहीं करें सदन का। मैं कह रहा हूं आसन की ओर से, बैठें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : × × ×

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं मन्त्रीजी से, आप बैठें।

श्री नवनीतलाल नीनामा : × × ×

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, इस मामले को देखें और न्याय करें।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र सुजानगढ़ के कई गांवों व ढाणियों में पीने के पानी का भयंकर संकट होने के सम्बन्ध में नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर रहा हूं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सुजानगढ़ में कस्बों व गांवों में पीने के पानी का संकट हमेशा बना रहता है। मेरी तहसील में 150 गांवों में से सिर्फ पांच गांवों में ही पीने के पानी का स्थाई स्रोत है। बाकी सुजानगढ़ तहसील का क्षेत्रफल लगभग 125×111 किलो-मीटर है। पूरे क्षेत्र को पीने का पानी नागौर जिले का लाडनूं कस्बे से व सीकर जिले की मगलूण व सेढा की ढाणी से पेय-जल योजना से मिलता है। इनकी पाइप लाइन की लम्बाई करीब बीस किलोमीटर है। इनमें पानी की सप्लाई ऊबड़खाबड़ जगह के कारण कभी पूरी नहीं होती है। इस क्षेत्र के करीब 45 गांव व करीब 15 ढाणियां ऐसी हैं जहां पीने के पानी की पाइप लाइन व हौद बने हुए हैं। विगत करीब चार साल से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। यह मेरा सरकार व सम्बन्धित विभाग को चैलेंज है। मैंने साढ़े चार साल के दरमियान करीब नौ बार सदन में नियमों के तहत यह मुद्दा उठाया जो सदन के रिकार्ड पर है। सुजानगढ़ शहर की जन-संख्या लगभग 69 हजार की है। वर्तमान में 30 वार्ड हैं लेकिन किसी भी वार्ड में नियमित रूप से पानी नहीं जाता है। यह भी मेरा सरकार को चैलेंज है।

पानी में स्कल फार्मेशन पदार्थ होना विभाग के द्वारा बताया गया है जिसके

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

कारण पाइप लाइन चोक हो जाती है। इसकी जांच हेतु सदन में मैंने पाइप का एक टुकड़ा सदन के पटल पर भर रखा था जो पूरा रुका हुआ था। इस हेतु विभाग की ओर से मुझे उत्तर मिलता रहा है कि सुजानगढ़ शहर की पूरी पाइप लाइन को रिप्लेस कर दिया गया है, पूरे गांवों व ढाणियों की स्कीम को फिर से जांचा जा रहा है, जहां भी पानी सप्लाई नहीं होता है इस हेतु नये कुएं खोदे जा रहे हैं व पाइप लाईन को चैक किया जा रहा है। विभाग की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए जो उत्तर मुझे मिले हैं वह केवल अपनी कुर्सी पर बैठे अधिकारियों द्वारा लिखे गये हैं न कि मौके पर जाकर जांच करके। मेरी तहसील की बड़ी टंकियों पर, जो करीब दस साल से बनी हुई हैं, विभाग के लाखों रुपए खर्च हुए लेकिन आज तक इनमें पानी नहीं भरा है। विभाग को भय है कि कहीं पानी भरने से टंकियां गिर न जायं। निम्नलिखित गांवों व ढाणियों में आज तक पानी नहीं गया। ढाणी रिणवा, घोटज, बडावर ग्राम पंचायत के पूरे गांव, करेजड़ा गांव के आस-पास की पूरी ढाणियां, नीमड़ी, चुवास, यूरवास, कोडासर, बिदावतान, कोडासर, जाटान, लाजपुरा, कोलासर, सारोडिया, मालकसर, लालियासर, बसेलास, राजपासर, बारा, नठा व चक हेमासर, अगुणा, हेमासर अथुणा, ढाकली चारिया, चरला, खेजेली, डूगरासर, अथुणा आदि गांव व ढाणियां। मैंने बारबार यह मुद्दा उठाया लेकिन सरकार की तरफ से हमें झूठा जवाब आता है।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : भले ही हम यहां यह आदर्श पाठ पढ़ कर चले जायें, होता कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं होता।

श्री सभापति : पढ़ें इसको।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : हजारों मवेशी मर रहे हैं इस खारे पानी से।

श्री सभापति : लिखा हुआ है वही अंकित करें।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : × × ×

श्री सभापति : जो शेष रहा है उसको पढ़ें।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल : × × ×

श्री सभापति : श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेखनीय मुद्दे जो प्रशासन गांवों की ओर अभियान के तहत हुए भूमि आवंटन में हरिजनों एवं भूमिहीनों को कब्जा न मिलने बाबत है, आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं।

सभापति महोदय, निवेदन है कि प्रशासन गांवों की ओर अभियान में कोटपूतली तहसील की ग्राम पंचायत खेलना में अस्थाई गैर मुमकिन नदी खसरा नम्बर 2216 में कुल 55 आवंटियों को आवंटन हुआ। परन्तु उस पर भूमिहीनों व हरिजनों को आज तक भी कब्जा नहीं दिया गया।

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल)

आज तक भी कब्जा नहीं दिया गया।

प्रशासन ने बड़े भू–स्वामियों से मिल कर उन भू-स्वामियों को तो कब्जा दे दिया जबकि इन हरिजनों को यह कह कर गुमराह किया जा रहा है कि आप कहीं दूसरी जगह कब्जा ले लो। इस सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत, खेलना दिनांक 12.6.1989 को राजस्व मन्त्री श्री नरपतराम बरबड़ से मिले एवं इसके बाद गृह मन्त्री श्री अशोक गहलोत से भी इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि मण्डल मिला। परन्तु राजस्व मंत्री के आदेश के बाद भी वह की वह स्थिति बनी हुई है। जबकि 21–6–1989 को एस.डी.एम. मौके पर गये थे परन्तु उसका भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। जबकि राजस्व मंत्री के आदेश में यह स्पष्ट लिखा था कि 7 दिन में हरिजनों को कब्जा सम्भलवा कर इसकी रिपोर्ट मुझे दें।

अत: निवेदन है कि इस सम्बन्ध में एक निष्पक्ष अधिकारी को भेजकर इस केस की जांच करवाई जावे एवं फोर्स के साथ इन भूमिहीनों एवं हरिजनों को कब्जा दिलवाया जावे तथा एस. डी. ओ. एवं हल्का पटवारी को तुरन्त वहां से हटाया जाकर दूसरे अधिकारी एवं पटवारी वहां लगाये जाय ताकि वह इस मामले को प्रभावित नहीं कर सके।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापतिजी, दिनांक 20 मई, 1989 को तहसील लालसोट के ग्राम गुढ़ा-सम्पतपुरा में एक बैरवा की लड़की की शादी थी। बारात पास के ही गांव लवाण (दौसा) से ही आयी थी। बारात में बैण्ड बाजे एवं घोड़ी सभी साज सामान लाया गया था जिसे देखकर गुढ़ा सम्पतपुरा के कुछ सामन्ती लोगों ने बैण्ड बाजे एवं दूल्हे को घोड़ी पर लाने का विरोध किया। गुढ़ा सम्पतपुरा के बैरवाओं को 1986 में भूमि आवंटन की गयी थी जिस पर प्रभावशाली सामन्ती लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है। सामन्ती लोगों द्वारा बैरवाओं को बेदखल कर गांव से निकालने की धमकी बार बार दी गई। थाना नांगल राजावतान को सूचना देने के बाद भी उनकी सुरक्षा का कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप सामन्ती लोगों ने घोड़ी एवं बैण्ड बाजे वालों को जमकर पीटा तथा लड़की वाले की बारात के लिये बनायी गई रसोई का समस्त सामान घर से निकाल कर बाहर खेतों में फेंक दिया गया तथा बरातियों एवं गुढ़ा सम्पतपुरा के बैरवाओं की जमकर पिटाई की गई तथा दुल्हन के वस्त्र एवं जेवरात भी लूटकर ले गये। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस को समय पर दे दी गई। परन्तु पुलिस द्वारा जेवर एवं किसी भी प्रकार का सामान अब तक बरामद नहीं किया गया। थाना नांगल राजावतान के इन्चार्ज राजपूत जाति का होने के कारण अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सभी बैरवाओं ने अतिरिक्त जिलाधीश दौसा के कार्यालय के समक्ष 15

(श्री परसादीलाल मीणा)

दिन तक धरना देकर उक्त घटना के सम्बन्ध में कार्यवाही करने एवं दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की थी, परन्तु अब तक कोई ठोस कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गयी है।

अतः माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त घटना की जांच करवा कर अपराधी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जावे एवं दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करके हरिजनों के हितों की रक्षा करें तथा उक्त गांव के बैरवाओं की जमीन से अतिक्रमियों को हटाकर बैरावाओं को जमीन पर कब्जा दिलायें।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध है कि आप सदन में जब अलवर काण्ड पर बयान दें तब इस काण्ड का भी उसमें उल्लेख किया जाये।

श्री सभापति : श्री जगजीतसिंह।

श्री जगजीतसिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिला अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक सचिव सी. पी. गोयल द्वारा किसानों की 40 लाख की ऋण पत्रावलियां रोककर किसानों से 500/– रुपये प्रति फाइल स्वीकृत कराने की रिश्वत मांगी। इस प्रकार श्री गोयल द्वारा लाखों रुपये का धन बटोरा गया, यह तथ्य तथा गोयल के विरुद्ध अनेकों भ्रष्टाचार के मामले निरीक्षण में आये हैं। जिनमें गाड़ियों का दुरुपयोग, गबन करने वालों से मिली–भगत, गबन सम्बन्धी राशि वसूल न करना, पदोन्नतियों, नियुक्तियों में गम्भीर अनियमिततायें करना, निजी हितों की पूर्ति में विधान सभा के प्रश्नों की सूचना गलत भेजना, आदेशों की पालना न करना, तथा विभाग के आदेश के बाद भी गबन–कर्ता की एफ.आई.आर. दर्ज न करना, फर्जी लॉग बुकें भरना। डीलरों के साथ मिलकर दो लाख की राशि के पम्पसैट नियमों के विरुद्ध डीलरों से भारी कमीशन खाकर क्रय करना।

गोयल को संचालक मण्डल ने 23 मई को भ्रष्टाचार में लिप्त होने व गम्भीर अनियमितता के कारण कार्यमुक्त कर दिया। विभाग के रजिस्ट्रार ने उसे जयपुर बुलाने के बावजूद गोयल ने बैंक में गुण्डागर्दी का वातावरण बना रखा है। संचालकों व अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा अपने स्कैण्डल के रिकार्ड में हेरा–फेरी करने व उसे गायब करने की नीयत से दो बार बैंक के ताले भी तोड़ लिये, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज है। बैंक के अध्यक्ष व संचालकों ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को न हटाने पर उनके त्याग-पत्र स्वीकार करने का राज्य सरकार को निवेदन कर दिया है।

श्री गोयल व विभागीय उप रजिस्ट्रार बैंक वाहन में भ्रमण कर पूर्व में ही हस्ताक्षर शुदा नोटिस व आदेश की प्रति अपने साथ रखते हैं जिसको दिखाकर चुने हुये प्रतिनिधियों के संचालक मण्डल को भंग करने की धमकी देकर पैसा बटोरते हैं। इन अधिकारियों का कहना है "हम पैसे खाते हैं और खिलाते हैं– सरकार हम चलाते

82

(श्री जगजीतसिंह)

हैं।" गोयल का यह भी कहना है, "चुनाव के लिये भी हमें राजनेता पैसा देते हैं।"

गोयल व उप रजिस्ट्रार के विरूद्ध आरोप व आरोप विवरण पत्रों को दबा दिया जाता है, उनकी गम्भीर अनियमितताओं की जांचों व निरीक्षण की प्रति सदन के पटल पर रखी जावे। गोयल के भ्रष्टाचार के कुछ एक उदाहरण:—

(1) गोयल द्वारा बैंक कर्मचारी प्रमोद मेहता व जगदीश जाटव को बिना विभागीय स्वीकृति व विभागीय पाबन्दी के बावजूद नियमों के विरूद्ध पदोन्नतियां की गयी हैं।

(2) 40 हजार की राशि के गबनकर्ता कर्मचारी से मिली भगत कर 40 लाख की पत्रावलियां रोकी गई, सहायक सचिव के माध्यम से ऋण पत्रावलियां स्वीकृत न करा गबनकर्ता के माध्यम से यह कार्य करा पैसा बटोरा गया।

ऋण पत्रावलियां रोकने के लिये 6 बोर्ड बैठकें बुलाकर भी योजनाबद्ध ढंग से नहीं होने दी।

स्वयं संचालकों की जांच कर ब्लैक मेल करना, षडयन्त्र रचना, मापदण्ड पूरे न करना। ऋण क्षमता 31–31 लाख रु. के विरुद्ध मात्र 9.21 लाख रु. के ऋण वितरण कर कमजोर वर्ग को भारी हानि पहुंचायी।

वाहन 9108 व 9850 का अनेकों बार दुरुपयोग किया गया, फर्जी लाग बुक भरी, जो निरीक्षण में सत्य पायी गयीं।

वाहन 5451 के मालिक की अर्जी के पहले ही गोयल ने वाहन को नियमों के विरुद्ध किराये रख माइलोमीटर खराब होने व बैंक के कार्य पर न चलने पर भी हजारों रुपयों का गलत भुगतान वाहन मालिक (स्वयं के मित्र) को कर दिया। श्री गोयल पूर्व में भी निलम्बित रहे हैं।

अत: मैं इस नियम 295 के तहत माननीय सहकारिता मंत्रीजी से मांग करता हूं कि उपरोक्त गम्भीर अनियमितताओं के दोषी गोयल को तत्काल निलम्बित किया जावे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का मामला भ्रष्टाचार विभाग को दिया जावे व भविष्य में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर नहीं रखा जावे।

माननीय सभापति महोदय, यह बैंक अधिकारी, इस तरह के यह खाली फार्म जिस पर न्यायालय की मोहर लगी हुई है, हस्ताक्षर शुदा हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपने बोल दी, सारी बात आ गयी।

श्री जगजीतसिंह : नहीं मैं आपकी आज्ञा से सदन के पटल पर रख रहा हूं....

श्री सभापति : आप रख दें।

श्री जगजीतसिंह : कि किस तरह से न्यायालय के खाली आर्डर का दुरुपयोग हो रहा है....

श्री सभापति : आप सदन के पटल पर रखें, मैं इजाजत दे रहा हूं....

श्री जगजीतसिंह : अभी माननीय मंत्री महोदय बिराजे हुये हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निलम्बित करने के आदेश दिलावें

(श्री जगजीतसिंह)

साहब, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है....

श्री सभापति : आप चाहें मंत्रीजी को दे दें आप चाहे यहां रख दें, जैसा आप चाहें वैसा करें। मंत्रीजी ने सारी बात सुन ली हैं...

(माननीय सदस्य द्वारा पत्र सदन के पटल पर रखा गया)

श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) माननीय सभापति महोदय, यह मैं सौभाग्य समझूंगा कि माननीय पंचायत राज मंत्रीजी....

श्री सभापति : यहां बिराज रहे हैं....

श्री हीरासिंह चौहान : मैं जो 295 का प्रस्ताव उठा रहा हूं और वह यहां बिराजे हुये हैं।

श्री सभापति : यह सौभाग्य तो आपको रोज ही मिलता है, रोज ही बैठे मिलते हैं वहां यहां।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, आज ही मिल रहे हैं। सवाल इस मुद्दे का है जो बहुत ही गम्भीर है। माननीय सभापति महोदय, 295 के विशेष उल्लेख के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह केवल मेरे से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि राजस्थान में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं....

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री हीरासिंह चौहान : उनसे सम्बन्धित हैं।

श्री सभापति। कृपया पढ़ें।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों के निर्माण के समय राज्य सरकार ने कानूनी प्रावधान करके जो पंचायतें 1959 में बनी थीं।

श्री सभापति : इसको पढ़ें आप।

श्री हीरासिंह चौहान : उस समय 25 पैसे।

श्री सभापति : इसको पढ़ें आप।

श्री हीरासिंह चौहन : पढ़ रहा हूं साहब। आप भी देख लें।

श्री सभापति : देख रहा हूं मैं।

श्री हीरासिंह चौहान : निर्धारित किया था लगभग 20 वर्षों तक सन् 1978 तक उक्त राशि मिलती रही उसके बाद जनता सरकार ने ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 2.50 रुपये प्रति व्यक्ति किया। उनके बाद गत वर्ष के बजट में सिर्फ 0.25 पैसे वृद्धि कर 2.75 रुपये किये जबकि उसी बजट में नगरपालिकाओं के 5 रुपये के स्थान पर 10 रुपये प्रति व्यक्ति करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों व ग्राम पंचायत के साथ खुला पक्षपात एवं भेदभाव किया है। माननीय सभापति महोदय, सरकार का कर्तव्य था कि 2.75 के स्थान पर 5 रुपये करते तो ग्राम पंचायतें अपना कार्य सुन्दर ढंग से कर सकती थीं। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि वर्ष 86–87, 87–88, 88–89 में

(श्री हीरासिंह चौहान)

ग्राम पंचायतों को अनुदान नहीं दिया गया। इस वर्ष ग्राम पंचायतों को अनुदान की एक किश्त की राशि भेजी गयी है लेकिन पिछले तीन वर्षों में ग्राम पंचायतों ने किस प्रकार काम चलाया होगा। बहुत सारे राज्यों में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य इसको पढ़ें। आप पढ़ेंगे वहीं अंकित होगा।

श्री हीरासिंह चौहान : इस वर्ष ग्राम पंचायतों को अनुदान की एक किश्त की राशि भेजी गयी है लेकिन पिछले तीन वर्षों में और ग्राम पंचायतों ने किस प्रकार काम चलाया होगा बहुत सारे राज्यों में ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनके पास अपने स्वयं की कोई इन्कम नहीं है। चपरासी का पैसा कहा से देंगे, ग्राम पंचायत के रख-रखाव का पैसा कहां से देंगे और इन्होंने अब प्रावधान करके माननीय पंचायत राज्य मंत्री जी ने यह भी घोषणा की कि सरपंचों को हम मानदेय, भत्ता भी देंगे लेकिन मानदेय भत्ते को और जो वार्ड पंच और पंचायत में आयेंगे उनको पंचायत अपनी निजी खर्चे से भुगतान करेगी।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री हीरासिंह चौहान : घोषणा होने से पंचायत की नियमित बैठकें होना शुरू हो गयी। कभी दो दो, तीन तीन महीने में करते थे परन्तु आजकल क्योंकि 15 रुपये की आपकी घोषणा है तो महीने में दो दो बैठकें करने लगे तो यह पंचायत पर अधिक भार आ गया। इस अधिक भार को किस प्रकार माननीय मंत्री महोदय या सरकार दूर करना चाहती है इसलिए यह भी जरूरी हो गया कि अनुदान की राशि बढ़ाने के लिए निवेदन किया....

श्री सभापति : पढ़ें इसको।

श्री हीरासिंह चौहान : इसके लिए बहुत जरूरी हो गया कि अनुदान की राशि अधिक बढ़ायी जाय।

श्री सभापति : जो लिखा हुआ है वही अंकित करेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि:-

1. किस किस बजट वर्ष में पिछले वर्षों में किस किस ग्राम पंचायतों को पाली जिले में अनुदान की राशि नहीं दी गयी ?

2. क्या सरकार ग्राम पंचायतों के अनुदान की राशि रोकने व नहीं देने का अधिकार रखती है ? यदि हां, तो नियमों सहित स्पष्ट करें।

3. क्या सरकार रोकी गयी अनुदान की राशि ग्राम पंचायतों को देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

4. अनुदान की राशि में कितनी राशि रोकी गयी तथा उसको किस प्रकार सरकार ने खर्च किया। ग्राम पंचायत को नहीं दिया उन्होंने कह दिया सीधे खर्च करेंगे तो क्या इस प्रकार सीधा खर्च करने का पंचायत के बिना किश्त जमा हुए, अधिकार है। कृपया स्पष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, यह गम्भीर मसला है, यह प्राथमिक इकाई है। हमारे देश के प्रधान मंत्री, टी. वी. में जितना भी

(श्री हीरासिंह चौहान)

प्रसारण होता है, जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से प्रसारण होते हैं। लेकिन पंचायतों की आर्थिक हालत जो दयनीय है उसको जब तक नहीं सुधारा जायेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन संस्थाओं के लिए यह अहम् मसला है जो सुचारू रूप से चले, सुन्दर ढंग से चले। आप यह भी देखें कि कहीं बदमाशी तो नही हो रही है बराबर लेखा जोखा रखा जा रहा है या नहीं जा रहा है। इस व्यवस्था को तुरन्त कीजिए और इसके साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, जो आपने पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षकों को लगाया गया है वह बिलकुल काम नहीं कर रहे हैं और जहां जहां कृषि पर्यवेक्षक लगे हुए हैं वहां बिलकुल काम नहीं होते हैं क्योंकि हर प्रकार से उनको सुधार में लाने की व्यवस्था की जा रही है और सहयोग नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : जो आपने लिखा है वही अंकित हो रहा है।

श्री हीरासिंह चौहान : इस व्यवस्था का सुधार करें क्योंकि यह पूरे राजस्थान का मसला है।

श्री रघुवर दयाल गोयल : सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। पंचायतों को आप एक ओर आर्थिक मदद देने की बात करते हो दूसरी ओर इस प्रकार का शोषण हो रहा है।

श्री सभापति : यह कह दिया उन्होंने।

श्री रघुवर दयाल गोयल : मैं भी इस मामले से थोड़ा सम्बन्धित हूं साहब।

श्री सभापति : नहीं, आप अलग दे दें प्रस्ताव। (व्यवधान) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (व्यवधान) पंचायत का विषय नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय, कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्रीजी कुछ कह रहे हैं, सुन लें। पंचायत राज्य मन्त्री जी।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (पंचायत राज्य मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है। सरकार उनकी चिन्ता को शीघ्र ही दूर करने की व्यवस्था कर रही है। दोनों ही मामलों में, पंचायतों का अनुदान वृद्धि और अनुदान देने के मामले में और यह कृषि पर्यवेक्षकों से जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के मामलों में दोनों मामलों को बड़ी गम्भीरता से लिया है और जल्दी ही इसे दूर कर दिया जायेगा।

श्री सभापति : माननीय सुमित्रा सिंह।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मेरा नम्बर है। आप भूल गये साहब।

श्री सभापति : आप नहीं उठते तो मैं क्या करता।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कैसे नहीं उठा। तीन बार उठा हूं साहब।

श्री सभापति : आप बोलें। मैंने समझा शायद नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करता हूं। महोदय, बीकानेर जिले के नोखा तहसील हैड–क्वार्टर पर अस्पताल भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। वह निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा था परन्तु खेद है कि राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य को अचानक स्थगन आदेश देकर बन्द करवा दिया गया है। जो निर्माण कार्य चल रहा था यह सेठ श्री मांगीलाल जी बागड़ी ट्रस्ट के सहयोग से कराया जा रहा था। अस्पताल भवन के निर्माण कार्य का नक्शा एवं प्लान राज्य सरकार से ही एस्टीमेट स्वीकृति आदेश ले लिया गया था। लागत लगभग 20 लाख रुपये है। यह जो निर्माण कार्य को रोकने का आदेश है इसको तत्काल निरस्त किया जाय क्योंकि इसके रुकने से वहां की लगभग ढ़ाई लाख की आबादी वाला ग्रामीण शहरी क्षेत्र परेशान है। यह क्षेत्र नगरपालिका का है और वहां पर इसी प्रकार की असुविधा है। यह निर्माण कार्य रुकने से वहां की जनता में भारी आक्रोश व अशांति है। यदि इस कार्य को जल्दी पूर्ण नहीं करवाया गया तो इस मुद्दे पर वहां की जनता आंदोलन करेगी जिसका मुकाबला करने में सरकार को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह मामला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से सम्बन्ध रखता है। आशा है समय रहते सरकार निर्माण कार्य को तुरन्त कराने के आदेश पुनः प्रदान करे ताकि निर्माण कार्य करने के लिए तत्काल सेठ श्री मांगीलाल जी बागड़ी ट्रस्ट को आदेश की एक प्रतिलिपि दी जाये जिससे रुका हुआ निर्माण कार्य कराया जा सके। यह मैं एक विशेष उल्लेख के द्वारा सभापतिजी, कह रहा हूं। सभापति महोदय, दुख इस बात का है कि 20 लाख रुपये जो लग रहा है हॉस्पिटल बनाने में, नक्शा एस्टीमेट सारा राज्य सरकार से लिया उसके बाद भी इन्होंने निर्माण कार्य को रोकने के स्थगन आदेश दिये हैं। मैं मांग करता हूं कि इस स्थगन आदेश को वापिस लें ताकि जनता में जो इस तरह का असन्तोष फैल रहा है वह रुक सके।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 में विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहूंगी।

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जयपुर राजस्थान राज्य के काश्तकारों की भूमि के विकास के लिए ऋण सुविधायें उपलब्ध करवाने वाली सहकारी संस्था है जिसमें घाटा होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जब सन् 1986–87 के वित्तीय वर्ष में इस बैंक में 1 करोड़ 67 लाख का लाभ रहा था। वर्ष 1987 से 89 अर्थात् कुल 21 महीने अर्थात् एक साल 9 महीने में इस बैंक में 3 करोड़ एक लाख का घाटा हो चुका है और जिस तरीके से और जिन हालातों में इस बैंक को चलाया जा रहा है उसे रोका नहीं गया तो घाटा तीव्र गति से और बढ़ता जायगा।

माननीय सहकारिता मन्त्रीजी तो हैं नहीं, मैं किसको कह रही हूं, कौन सुन रहा है और क्या कार्यवाही होगी।

श्री सभापति : माननीय गोविन्दसिंहजी साहब सुन रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आपको समुचित उत्तर भिजवा दिया जायगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, प्रश्न रूटीन में जवाब आने का नहीं है। प्रश्न यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जब यहां पर उठाये जाते हैं, उस पर तुरन्त और प्रभावी कार्यवाही अगर नहीं होती है तो हमारे बोलने का क्या मकसद है यहां पर। यह तो बताइये। केवल गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, सभापति महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जीभ हिलाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जुबान से कुछ फरमाइये आप।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, गोविन्दसिंहजी साहब कृपया नोट करें और सहकारिता मन्त्रीजी को सब बात बतायें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्योंकि प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को वसूली हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है जिससे बैंक की वसूली 32 प्रतिशत है, लिखा तो 40 प्रतिशत है लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि 32 प्रतिशत से भी नीचे चली गई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में बात चीत नहीं करें, मंत्रीजी..मन्त्री महोदय, कृपया बात नहीं करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस सदन की परम्परा, सदन के शिष्टाचार, यह सब बातें बतायें आप इन्हें।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं आपकी ओर से। मेरे को भी बहुत चिन्ता है इसलिए कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मन्त्रीजी को संसदीय शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है।

श्री नाथूसिंह : क्या कर लिया आपने। आपकी बात नहीं सुनी। सरकार ने तो आपकी यह हालत कर रखी है। समझती नहीं है सरकार आपको कुछ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्षमा याचना करना तो दूर–

श्री सभापति : आपसे चिन्ता मेरे को अधिक है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नतमस्तक होना तो दूर, वह तो आपकी उपेक्षा करके चले गये।

श्री नाथूसिंह : आप अन्दाजा लगाये सरकार इस चेयर की क्या इज्जत करती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो उपेक्षा करके चले गये आसन की।

श्री सभापति : आसन में बहुत पेशेन्स है। कृपया बोलें।

श्री नाथूसिंह : यह पेशेन्स ज्यादा मत रखिये नहीं तो आपकी क्या हालत सरकार कर देगी इसका अन्दाजा—

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके लिए ही नहीं, सदन की गरिमा भी नष्ट होती है, सवाल केवल आसन का नहीं है।

श्री सभापति : इसलिए मैंने कहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी–

श्री नाथूसिंह : आपने कह दिया और सरकार ने सुना नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब आप मुझे भी बोलने देंगे कि नहीं।

मैं निवेदन कर रही थी, नई कार की आवश्यक खरीद, जबकि संस्था में पहले से ही आवश्यकता से अधिक गाड़ियां हैं, मनोरंजन एवं आवश्यक यात्राओं पर अनावश्यक एवं अनाप–शनाप खर्चा जबकि बैंक घाटे में है। विज्ञापन के नाम पर हर माह हजारों रु. का खर्चा किया जा रहा है और मजे की बात यह है कि विज्ञापन किसी भी राज्य स्तर पर चलने वाले अखबार को नहीं अपितु छोटे–छोटे अखबारों को दिया जाता है।

गाड़ियों का भारी मात्रा में दुरूपयोग, और अनावश्यक संधारण व्यय। राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्तियों पर रोक के बावजूद अन्धाधुन्ध नई नियुक्तियां। चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राईवर जिसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति करके बाद में स्थाई कर दिया जावे वह प्रावधान करके नियुक्ति की जा चुकी हैं।

प्रशासन द्वारा बैंक एक तरफ घाटे में बताया जा रहा है परन्तु 2500/- से अधिक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को 1988 की दीवाली पर 500/– रु. उपहार नगद में वितरित किया गया है और अल्प वेतन भोगियों को बोनस के नाम पर टाल दिया और एक पैसा भी नहीं दिया गया।

इस बैंक के प्रबन्ध संचालक पहले जब जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में प्रबन्ध संचालक थे तब उस बैंक में 12 लाख 64 हजार 840 रुपये के घाटे में यह संस्था रही। जबकि इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष में बैंक लाभ में था। प्रबन्ध संचालक राज्य भूमि विकास बैंक श्री भगोटिया अकुशल ही नहीं अपितु अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी खुलकर कर रहे हैं। अभी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक झुन्झुनू में अपने सुपुत्र श्री अशोक कुमार भगोटिया को वसूली अधिकारी के पद पर अवैधानिक और अनियमित तरीके से नियोजित करवाने में सफल हुए हैं। झुन्झनू प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव पद पर श्री प्यारेलाल भूकर है जो कि श्री भगोटिया के मातहत अधिकारी हैं अपने पद के दबाव से अपने सुपुत्र एवं एक अन्य टाइपिस्ट को नियुक्ति दिलवाई है जबकि राज्य सरकार की ओर से नई नियुक्तियों पर बेन लगा हुआ है।

(1.55 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक सभापति पदासीन)

श्री ओमप्रकाश नानकवाल उप-प्रबन्धक जो कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. रायसिंह नगर के सचिव पद पर कार्यरत थे, उनके कार्यकाल में अवैधानिक तरीसे से ट्रेक्टर नीलामी एवं अन्य भारी अनियमितताओं के गम्भीर आरोप थे। श्री नानकवाल के विरुद्ध धारा 74 के तहत मामला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बीकानेर के यहां विचाराधीन चल रहा है तथा अंकेक्षण अधिकारी बीकानेर के यहां

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मामला विचाराधीन है। तत्कालीन प्रबन्ध संचालक श्री राजपुरोहित द्वारा इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में नानकवाल को आरोप पत्र तथा जांच के आदेश जारी कर दिये थे। इस सम्बन्ध में सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार ने 1 मार्च, 1987 को आदेश प्रसारित किया था कि जिन अधिकारियों के खिलाफ धारा 74 (प्रथम) में मामला सन् 1987 से पूर्व दर्ज हो गया है उनके विरूद्ध विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए परन्तु वर्तमान प्रबन्ध संचालक श्री भगोटिया के द्वारा रजिस्ट्रार के इन आदेशों की अवहेलना करते हुए पूर्व प्रबन्ध संचालक के द्वारा की गई श्री नानकवाल के विरूद्ध कार्यवाही के विपरीत सभी आरोपों को निरस्त कर इन्हें दोषमुक्त करते हुए यात्रा भत्ते एवं आकस्मिक अवकाश भी इनके पक्ष में स्वीकृत कर दिये हैं। यद्यपि श्री नानकवाल प्रबन्धकों की वरीयता सूची में काफी नीचे हैं परन्तु वरीयता में ऊपर लाकर शीघ्र ही क्षेत्रीय प्रभारी के पद पर पदोन्नति देने की अवैधानिक कार्यवाही भी चालू है। 1.7.89 को इस बैंक को नाबार्ड, स्टेट गवर्नमेन्ट और केन्द्रीय सरकार को 15 करोड़ का भुगतान करना था पर इसकी एवज में केवल सात करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

इस तरह की अनेक अनियमित कार्यवाहियां एवं धांधलीबाजी बैंक में चल रही हैं और गरीब किसान के खून और पसीने की गाढ़ी कमाई से ये अधिकारीगण मौज मस्ती और आपा-धापी कर रहे हैं जिसे अविलम्ब रोका नहीं गया तो बैंक का भट्टा बैठ जायेगा।

अतः समय रहते सहकारिता मन्त्री जी इस बैंक को बचाने की कार्यवाही करें।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदया, छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

महोदय,

सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में पिछले शुक्रवार की रात्रि को मुस्लिम समुदाय की जवान लड़की को उसके सर पर से भूत के साये को हटाने की भ्रमित बात कह कर उसके घर वालों ने उसे जिन्दा जला दिया। फतेहपुर कस्बे के मौहल्ला व्यापारियान में 18 वर्षीय युवती मुमताज को उसके पिता कासम, भाई आजम और उसकी मां ने केरोसीन तेल डालकर जिन्दा जला दिया। इन लोगों ने अपने बचाव में कहा है कि प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए हमने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया तथा यह भी कहा कि यह कार्य हमने जिन्न के आदेश पर किया। प्रेत गया या नहीं लेकिन 18 वर्षीय युवती को घर वालों ने केरोसीन तेल डालकर जला दिया। यह घटना दिल दहलाने वाली है, इस विषय पर गम्भीर अनुसंधान आवश्यक है। तथा सामाजिक सुधार एवं अन्य कारणों पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है, यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय गृहमन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय सभापति महोदया, यह मामला इतना ही नहीं, यद्यपि मैंने संक्षेप में उठाया है लेकिन फतेहपुर कस्बे में दिन ही के अन्दर न तो पुलिस वालों ने ओझा को पकड़ा, उन सारे लोगों को जिन्होंने कहा कि इस पर तेल डाल दो। केवल उसके बाप को पकड़ा और मां को गिरफ्तार किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने तेल डालकर इसको जला दिया। पीर-पगार, पण्डित, ओझा, झाड़ फूंक करने वाले इन सारे लोगों को समाज से छूट हो गई है कि जिस प्रकार से महिलाओं को किसी भी रूप में, चाहे दहेज में जला दिया, चाहे सती के रूप में जला दिया, चाहे प्रेत के नाम पर जला दे, जिन्न के रूप में जला दे, इन पर अगर कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आप आसन पर बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह महिलाओं का मामला है, सारी घटना की सरकार जांच कर जवाब दे और सरकार का वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करें। इस प्रकार की बात बहुत ही गम्भीर बात है और जवान लड़की को इस प्रकार जला देना, 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, अन्धविश्वास के नाम पर इस प्रकार जला देना यह महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, ध्यान दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप व्यवस्था करिये आसन की तरफ से। इस तरह महिलाओं को जलाना, अगर आप बरदाश्त करेंगी तो कैसे होगा। एक महिला को इस बात के लिए जला देना, कि उस पर जिन्न....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदया, बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान) अभी तक महिलाओं को ससुराल वाले, दहेज के लिये जलाते थे इसमें तो मां बाप ने स्वयं ने लड़की को जला दिया और इन पीर पगारों के इन ओझों के कहने से कर दिया, बहुत गम्भीर बात है, सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

श्री सभापति : सरकार इसको गम्भीरता से लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तीन दिन पहले का मामला है, सदन चल रहा है यह छोटा सा मामला नहीं है कि लड़की को जला दिया, लड़कियों को जला रहे हैं वह बात तो बहुत गम्भीर है लेकिन किन लोगों ने कहा, और फतेहपुर कस्बे के अन्दर जलाया गया है यह कोई गांव में नहीं जलाया। आप इस बात के लिये सरकार को पाबन्द करें....

श्री सभापति : बात अंध विश्वास की भी है और लॉ एण्ड आर्डर की भी है सरकार विशेष ध्यान दे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : दो दिन बाद, तीन दिन बाद, सरकार से आश्वासन दिला दीजिये....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। यह बहुत गम्भीर मामला है। प्लीज सिट डाउन माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, धर्म की आड़ में बारबा में इन्हीं साधुओं के कहने पर एक बच्चे को जला दिया आखिर यह आडम्बर कब तक चलेगा। आखिर यह पीर पैगम्बर यह हत्यायें कब तक करवाते रहेंगे। यह सरकार कोई पाबन्दी नहीं लगायेगी, तो अभी एक 12 साल का बच्चा बलि तो चढ़ गया, या 18 साल की युवती बलि पर चढ़ गई, ना जाने कितनी महिलाओं की और बच्चों की इस तरह से हत्यायें हो जायेगी, आखिर इन पर अंकुश नहीं लगायेंगे इस सदन से तो किसको जाकर कहेंगे हम लोग। कोई मंत्री नहीं हैं, गृह मंत्री नहीं है....

श्री हरिकुमार औदिच्य : 295 का मतलब यह तो नहीं है कि यहां पर पढ़ दें और सरकार ने सुन लिया, मगर कई तो गम्भीर मसले आते हैं....

सुश्री पुष्पा जैन : कोई गम्भीरता नहीं है इस सदन में....(व्यवधान)

श्री सभापति : बहुत हीनियस क्राइम है सरकार विशेष ध्यान दे (व्यवधान) आर्डर आर्डर माननीय सदस्य। सरकार को बहुत गम्भीर होना चाहिये इस विषय में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जानकारी देने के लिये तो आप निर्देश दें। यह सारी घटना किस प्रकार से हुई है कौन कौन लोग हैं इन्होंने कार्यवाही की है किस जगह नाक में मिर्च डाली जाती है भूत के नाम पर, किस जगह गांव में कुछ किया जाता है यह क्या हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नारी का उत्पीड़न अंध विश्वासों के जरिये कब तक होता रहेगा। यह तो नारी उत्पीड़न का बहुत गम्भीर मामला है अंध विश्वासों के आधार के ऊपर कब तक होता रहेगा....

श्री सभापति : आर्डर आर्डर माननीय सदस्या अंध विश्वास का मामला जहां है वह तो हमारे विचार का है

श्री हरिकुमार औदिच्य : पर महिलाओं के साथ ऐसी वारदात हुई हैं हम सरकार से इतना सा चाहते हैं सरकार अगर आज तैयारी में नहीं है दो दिन बाद जवाब दे दे।

श्री सभापति : सरकार दोषी लोगों को दण्डित करे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह महिला प्रतिनिधि पधारी हैं महिला मंत्री आई हैं, महिलाओं के उत्पीड़न का मामला है। अंध विश्वास के कारण ऐसा हुआ है। कहिये जरा उनको। श्रीमुख खोलें वह।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप कम से कम यह तो फरमायें कि सरकार इस पर वक्तव्य देगी कि नहीं देगी।

श्री सभापति : सरकार को इस पर वार्निंग दी जानी चाहिये कि इसकी तुरन्त कार्यवाही करके सदन को बताये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदया,

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टाईम फिक्स कीजिये, महिलाओं का सवाल है।

श्री सभापति : व्यवस्था हो गई माननीय सदस्य। (व्यवधान) रह रह कर उत्तेजना नहीं करिये, माननीय सदस्य। यह मसला बहुत खराब है और इसके लिये सरकार को कहा है कि जानकारी करके सदन को बताये....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कब ? कब तक ?

श्री सभापति : इसी सदन के रहते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसी सदन के रहते नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे सभापति महोदया, हम। आप कम से कम टाइम लिमिट तो कीजिये, समय सीमा कीजिये, सभापति महोदया, । आप यहां बैठती है तो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील रहती हैं। आसन पर आने के बाद क्या हो जाता है। आसन पर जाने के बाद महिलाओं के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं रहतीं ?

श्री सभापति : इसी सदन के रहते, सदन समाप्त होने के पहले, सदन को सूचित करें।

श्री गिरधारीलाल जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनशील क्यों नहीं रहती आप आसन पर जाने के बाद, यहां तो बड़ी संवेदनशील रहती है यहां तो बहुत लड़ती है उनके हक.... और

श्री सभापति : मैं संवेदनशील तो हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वहां जाने के बाद क्या हो जाता है आपको।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप समय सीमा कर दीजिये, कितने दिन में, कल देंगे, परसों देंगे।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदया, तीन दिन में माननीय गृह मंत्री महोदय इसकी जानकारी दे दें सदन में कि इस केस में क्या कार्यवाही की फैक्चुयल रिपोर्ट क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, इनकी एफीशियेंसी पर डाउट कर रही हैं, यह तो शाम तक जवाब दे दें आपको।

श्री सभापति : जल्दी दे दें तो कोई रोक नहीं है।

सुश्री गिरिजा व्यास : पुलिस कार्यवाही कर रही है।

श्री सभापति : पुलिस कार्यवाही कर सदन को सूचित करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): सभापति महोदया, यह मेरा सौभाग्य है कि यातायात मन्त्री जी, मेरे सामने बिराजमान है कभी-कभी अवसर मिलता है जब मन्त्री सामने बैठा हुआ हो।

महोदया, मैं जयपुर शहर की बिगड़ती हुई यातायात व्यवस्था की ओर सदन का

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ध्यान दिलाना चाहता हूं। जयपुर शहर में सर्कस भी आने को कतराता है....

श्री सभापति : इसमें जो लिखा है वही बोलिये माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वही पढ़ रहा हूं। सर्कस यों नहीं आता है कि यहां पर लोग कट मारते हुए चलते हैं, यातायात की व्यवस्था ठीक नहीं है तो सर्कस वाले भी यहां जयपुर में कमा नहीं पाते इसलिये जयपुर में आते नहीं है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य, प्लीज डू नाट डिस्टर्ब।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर में मिनी बसों की स्पीड पर कन्ट्रोल नहीं होने के कारण रोजाना दुर्घटनायें बढ़ रही हैं। और सम्पूर्ण बाजारों में बने डिवाइडरों पर समुचित प्रकाश व जेबरा लाइन नहीं होने के कारण रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही मिनी बसों व टैम्पों में अनियन्त्रित तरीके के सवारियों के भरे जाने से भी असुविधा बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा जयपुर नगर में परिवहन की समस्या पर गम्भीरता से चिन्तन करने की बात विधान सभा में कही गयी थी इस समस्या के समाधान के विकल्पों के संदर्भ में यह व्यक्त किया गया था कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्त किया जावेगा और ऐसा न होने पर अन्य विकल्प के रूप में राज्य परिवहन निगम की बसें संचालित करने की दिशा में कार्यवाही की जावेगी। सिटी बस चलाने के लिए सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है यह भी आश्वासन इसी सदन में दिया गया था। परन्तु वह पूरा नहीं हुआ है। रोड सिगनलस नहीं होना भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है। जे.डी.ए. द्वारा नैटपैक की योजना पर 30 लाख व्यय हो जाने के बाद भी उस पर क्रियान्विति नहीं हो रही। स्पीड ब्रेकर पर न तो जेबरा लाइन रंग किया गया है और न बोर्ड लगाया गया है और न रात्रि में वहां कोई रोशनी का इन्तजाम है। शहर की पटरिया जो पैदल चलने के लिए बनाई थी उन्हें जरूरत से ज्यादा छोटा कर दिया गया है जिसके कारण राहीगर मजबूरन सड़क के बीच में चलता है। जो भी डिवाइडर बनाये गये है उनमें रास्ता क्रास करने के मार्ग कम है जैसे टोंक रोड, चांदपोल बाजार व किशनपोल बाजार में। चांदपोल हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी सवारी गाड़ियों को चांदपोल बाजार स्थित संजय सर्किल का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। मन्दिरों पर रिफलेक्ट करने वाली फ्लोरोसेंट लाइट चमकीली नहीं लगाई गई है जिसके कारण ट्रक मन्दिरों से टकराते हैं। बाजारों में गाड़ियों के पार्किंग के स्थान नहीं हैं व प्रमुख बाजारों की सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। रिक्शा, आटो रिक्शा व तांगों के निर्धारित स्टेण्डों का अभाव है। लाइट सिगनल्स जो लगे हुए हैं वे अपर्याप्त, ग़लत हैं और उनकी देखरेख भी नहीं होती है। जहां तक मेरी जानकारी है जयपुर में ट्राफिक सिपाहियों की संख्या केवल मात्र 327 है जबकि यहां वी.आई.पी. आते रहते है। विधान सभा चलती है। प्रदर्शनी, मेले उद्घाटन होते रहते हैं। धीरे ट्रेफिक के चलने के लिए सड़कों पर अलग से रेखांकन भी नहीं किया गया है। साइकिल रिक्शाओं,

(९६)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की संख्या सीमित होनी चाहिये और उन्हें नगर परिषद द्वारा लाइसेन्स दिया जाना चाहिये। आजकल लाइसेन्स देना बन्द है। शहर में वाटर वर्क्स द्वारा वाटर कन्ट्रोलर सड़क से ऊपर है और जगह जगह गटर कवर व पानी के कन्ट्रोलर बाल खुले हुए हैं। वन वे सिस्टम जिन मार्गों पर किया गया है उन पर ट्रेफिक का ध्यान नहीं रखा गया है जैसे मिर्जा इस्माइल रोड पर प्रातः काल अस्पताल रोड पर ट्रेफिक को नहीं मोड़ कर सीधे ही पश्चिम में कलेक्ट्री की ओर जाने देना चाहिये था क्योंकि उधर उपनगरों की जाने वाली वसें और महाराजा व महारानी कालेज स्थित हैं। पैदल रोड क्रास करने के स्थानों पर आटोमेटिक क्रासिंग लाइट दिल्ली की भांति लगनी चाहिये। जयपुर में ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी व साइकिल रिक्शाओं पर चमकने वाला शीशा पीछे लगना चाहिये जिससे दूर से ही गाड़ियां नजर आवें। अनाज मंडी और सब्जी मंडी नगर के बाहर होनी चाहिये जिससे ट्रकों का आवागमन परकोटे में कम हो। इसके साथ आवारा पशु की भी बात जोड़ना चाहिये। इनको भी पकड़ा जाना चाहिये।

आजकल जयपुर नगर में 18 रोज से चल रही आटो रिक्शाओं की हड़ताल के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार ने उनके द्वारा विधान सभा पर पहले और आज प्रदर्शन करने पर भी जो मौन साध रखा है और जिसके कारण रेल्वे स्टेशन से आने जाने, मरीजों को अस्पताल ले जाने व शादियों के अवसर पर जो कठिनाई हो रही है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उनकी मांगें परिवहन एवं यातायात विभाग के चालान सिर्फ न्यायालय में ही भिजवायें जायें। जुर्माना अन्य शहरों की तरह प्रति आइटम पांच रुपया होना चाहिये, नम्बर नोट चालान बन्द कर एवं यात्री की शिकायत पर भी चालान हो, अन्य स्टेट की तरह आटो रिक्शा में तीन सवारी, व आटो तांगा में 6 सवारी बैठायी जावे, जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा तक एरिया एवं दर्शनीय स्थान परमिट में अंकित हो, माडल कन्डीशन आटो रिक्शा से अलग किया जावे। मिनी बसें, मेटाडोर, टैम्पों, विक्रम आदि की समय सारणी लागू की जावे। जयपुर आटो स्टेण्ड जो स्वीकृत नहीं है उन्हें स्वीकृत किया जावे। परिवहन विभाग द्वारा बैज की रकम लेने पर भी बैज नहीं मिलता है। आटो रिक्शा के कागजात एक ही ही काउन्टर पर बनने चाहिये और कागजातों की रसीद मिलनी चाहिये। इस हड़ताल को यदि नहीं समाप्त कराया गया तो जयपुर की जनता की असुविधा जो यातायात ठीक नहीं होने के कारण पहले ही बहुत ज्यादा थी और भी बढ़ जायेगी। मैं आटो रिक्शा चालकों से भी अपील करूंगा कि वे मीटर से चलें ताकि जनता को जो असुविधा होती है वह दूर हो सके। मन्त्री महोदय यहां की यातायात व्यवस्था की ओर ध्याद दें। जयपुर शहर यातायात व्यवस्था में पिछड़ा हुआ शहर है। यहां पर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको रोका जावे। यह बात मुझे निवेदन करनी थी।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

श्री शोपत सिंह : सभापति महोदय इनकी हड़ताल हो रही है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय इनकी चार, पांच डिमाण्ड हैं। उनको पूरा करके व्यवस्था को सुधारें। आपने कोई बात नहीं की है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या बिना परमीशन के न बोलें।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय बोलना चाहते हैं।....

श्री सभापति : मंत्री महोदय बोलना चाहेंगे तो परमीशन दूंगी।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय को बोलना पड़ेगा। जयपुर के नागरिकों को परेशानी हो रही है। जो हड़ताल चल रही है उसको तुड़वाना चाहिये। सरकार कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था भी नहीं कर रही है। आखिर लोगों को परेशान क्यों कर रही है। वरना लोग आपकी +++।....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।....

श्री देवीसिंह भाटी : इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार अल्टरनेटिव व्यवस्था करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय ने मौन साध रखा है यह उचित नहीं है। आप कोई सम्मानजनक समझौता करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आसन की तरफ होकर बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे पता नहीं था। जयपुर की व्यवस्था सुधारने के के लिये मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि उन्होंने क्या सोचा है?

श्री शिवराम शर्मा : माननीय सदस्य +++ कैसे बना देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : यह किसकी जिम्मेदारी है। जनता आपकी +++ बना देगी। आप उनके खिलाफ कार्यवाही करो। अल्टरनेटिव व्यवस्था करो। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। +++ रह जाते हैं।....

श्री सभापति : आपस में बातचीत न करें।

श्री शोपतसिंह : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सारे शहर के अन्दर आटो रिक्शा की हड़ताल है, उसको सरकार गंभीरता से ले। आज अखबार में एक विज्ञप्ति जारी की है। हमारे परिवहन सचिव ने कहा है कि हम दिल्ली से ज्यादा दे रहे हैं उसके बावजूद भी हड़ताल कर रहे हैं। हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह मेरी कान्स्टीट्यून्सी नहीं है। यह क्या मामला है। आपकी कान्स्टीट्यून्सी नहीं है तो क्या आप इन लोगों के साथ बैठ कर बात नहीं करेंगे।....

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री शोपतसिंह : मंत्री महोदय यह अच्छी बात नहीं है। मंत्री महोदय कम से कम इस तरह का वक्तव्य न दें। यह गम्भीर बात है। अहम् मसला है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

+++ शब्द/माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार उपलोपित किये गये।

श्री शोपतसिंह : लाखों लोग शहर में आते रहते हैं वे परेशान हैं। उनकी परेशानी की तरफ ध्यान देना चाहिये। गोविन्द देवजी के मन्दिर में जाने में जितना समय लगाते हैं मंत्री महोदय उतना समय इस पर लगा दें तो यह समस्या कभी की हल हो जाती। मेहरबानी करके इस पर ध्यान दें। इनमें हजारों लोग इन्वाल्ड हैं।

श्री सभापति : प्लीज माननीय सदस्य।

बहुत परेशानी है। मंत्री महोदय इसको अर्जेन्टली हल करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्री महो- से निवेदन है कि वे बात करें। जो वाजिब बात है उनको मानें, जिनको नहीं स्वीकार करना है उनको नहीं स्वीकार करें। जनता को कष्ट से मुक्ति दिलावें। यह कहना कि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, कोटा का प्रश्न नहीं है। यह कहां का न्याय है....

श्री शोपतसिंह : आप राजस्थान के मंत्री हैं, आपको मंत्री के नाते व्यवहार करना चाहिये।

श्री सभापति : अब इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। समाप्त करें। आपने काफी बोल लिया है माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह अह–मियत का सवाल है। आप कृपया सरकार को, मंत्री महोदय को पाबंद करें। इसमें दो राय नहीं है, उनकी जो भी मांगे हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप यह बतावें क्या वे मीटर से चलने को तैयार हैं ?

श्री सभापति : अब किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री अमरचंद : ××× (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आसन को कोआपरेट करें। नो टाक। आसन को सहयोग करें। नो टाकिंग प्लीज।.... (व्यवधान) नो इन्टरप्शन प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखिये। बिना पुकारे आसन से उठकर एकदम न बोलें। दूसरे सदस्यों को भी बोलने दें, प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन। दी आनली शी इज नाउ।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : सभापति महोदया, जयपुर विकास प्राधिकरण जहां एक तरफ जनता को नियमों के अन्तर्गत रह कर निर्माण सम्बन्धी कार्य करने का पाठ पढ़ाती है वहीं स्वयं प्राधिकरण के लिये जैसे कोई नियम कानून नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। जयपुर शहर में जितना भ्रष्टाचार स्वयं जे. डी. ए. ने कर रखा है उतना किसी ने नहीं। अधिकारियों व कर्मचारियों ने जे. डी. ए. की आड़ में कानून का मखौल उड़ाया है।

सन् 1983 में कुमारी छाया भटनागर (आर.ए.एस.) ने वैशाली नगर योजना में भू-खण्ड हेतु आवेदन किया। जयपुर कलक्टर ने इसकी मासिक आय 1140)रु. प्रमाणित की जिसके आधार पर इन्हें जे. डी.ए. द्वारा बी–10, 135 वर्ग गज का भूखण्ड आवंटित हुआ जिसकी राशि जमा करवादी गयी।

××× सभापति महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(सुश्री पुष्पा जैन)

इन्हीं कुमारी छाया का विवाह सन् 1988 में श्री साहनी से होने के बाद क्योंकि श्री साहनी की प्रतिनियुक्ति जे. डी.ए. में हुई अत: पद का लाभ देते हुए एक असत्य सर्टिफिकेट देकर जिसमें 1983 की आय को ही 1140) रु. से बदलकर 3500) रु. प्रति माह कर दी, इस तरह साहनी ने असत्य हल्फनामे व आय प्रमाण पत्र के आधार पर जे.डी.ए. में होने के नाते गलत फ़ायदा उठाते हुए 135 वर्ग गज के स्थान पर 319 वर्ग गज का प्लाट आवंटित करवा लिया।

जे.डी.ए. जहां दूसरों को कानून का दर्पण दिखाता है वहीं आवासीय कालोनियों में बाज़ार बनवा दिये जिन पर करोड़ों रु. लगने के बावजूद भी उक्त दुकानें न तो पूरी बिक रही हैं और न ही बिकी हुई दुकानें खुल रही हैं। राजापार्क में वातानुकूलित मार्केट–गली नं. 5, दुकानें अभी भी खाली पड़ी हैं 70 के करीब दुकानों में जे.डी.ए. ने करोड़ों रुपयों का खर्चा किया केवल 10 दुकानें ही नीलामी में बिकी लेकिन उक्त बाजार में आज भी कौवे बोल रहे हैं। हां, मुख्य मंत्री जी का उद्घाटन भाषण अवश्य हुआ जिन्होंने दुकानें ली वो औने पौने दामों में बेचने को तैयार हैं क्योंकि 6) रु. प्रति वर्ग फुट प्रति माह का मेन्टीनेन्स खर्चा आ रहा है जो एक दुकान का करीब 2000) रु. के लगभग पड़ता है किसी भी दुकानदार के लिये भरना मुश्किल है- वह भी खाली दुकान का।

दूसरा कामधेनू काम्पलेक्स जो अजमेर रोड पर बनाया गया है सिर्फ चार दुकानें ही खुली हैं और उसमें भी एक दुकान शराब की है जो शाम 6.00 बजे से मार्केट को दारू का अड्डा सा बना देती है। अत: अन्य दुकानदार मजबूरी में अपनी दुकानें बन्द करके भाग जाते हैं।

400 स्कावयर फीट से अधिक एरिया बुनकर सेवा केन्द्र, वस्त्र मंत्रालय को किराये पर दे रखा है वहां रेस्टोरेन्ट का स्थान बीमा निगम ने ले लिया है और इसमें सारी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जैसे रोड, लाइट, पानी, गार्डन इस तरह उक्त जे.डी.ए. का बाजार अपनी वीरानगी पर रो रहा है।

इसी के सामने केन्द्रीय मंत्री श्री राम–निवासजी मिर्धा के सुपुत्र जिला प्रमुख हरेन्द्र मिर्धा द्वारा बलदेव प्लाजा के नाम से काम्पलेक्स बना है और रूचिकर बात तो यह है कि श्री बलदेव प्लाजा मिर्धा के प्रभाव से अनियमित होते हुए भी सभी दुकानें व आफिस करोड़ों रुपयों में बेच दी गई जबकि कामधेनु काम्पलेक्स खाली पड़ा है।

नेहरू काम्पलेक्स जो टोंक रोड पर बनाया गया है - इसका हाल भी अच्छा नहीं है और अभी खाली पड़ा है।

अम्बाबाड़ी में मेघधन जहां केवल पांच दुकानें ही खुली हैं अब तक।

शास्त्री नगर में कल्पतरू गन्दगी व सडान्ध से सड़ा बाजार कल्पतरू काम्पलेक्स कहलाता है। इस तरह जे. डी. ए. गरीब जनता का शोषण करके स्वयं अधिकारी अपनी जेब गरम कर रहे हैं। प्रश्न यह पैदा होता है कि कालोनियों में जब व्यापा-

(सुश्री पुष्पा जैन)

रिक प्रतिष्ठान नहीं बनाये जा सकते तो क्यों करोड़ों रुपये खराब करके यह काम्प–लेक्स बनाये गये । अतः राज्य सरकार अपनी नीति स्पष्ट करें—

1– कि क्या रिहायशी कालोनियों में इस तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने की छूट है। यदि हां, तो फिर आम जनता अथवा गरीबों के भवनों को क्यों तोड़ा गया । यदि नहीं तो कुछ लोगों को जैसे बलदेव प्लाजा जैसे लोगों को ऐसे भवन बनाने की छूट किस आधार पर दे रखी हैं और स्वयं जे. डी. ए. ऐसे व्यापारिक भवनों का निर्माण करवा रही हैं । सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करें ।

2– साथ ही कुछ भवन बिना इजाजत के पांच–पांच मंजिल तक चढ़ गये जैसे स्टेशन रोड पर नवजीवन काम्पलेक्स आदि ।

मकानों को आम सड़कों को घेरते हुए रास्ते बन्द कर दिये गये हैं। क्या जे.डी.ए. का यह कर्तव्य नहीं कि उन्हें तुड़वा कर आम रास्ते को छोड़ा जाय ताकि जनता को राहत मिले । उदाहरण स्वरूप, सभा–पति महोदया, बनीपार्क से जो सदस्य जीत कर आये हैं, यह जानकारी मैं उनके लिये भी दे रही हूं कि मोती डूंगरी रोड पर नायला हाउस के सामने की मैन रोड जिसमें होकर टेम्पों, बसें, गाड़ियां- वहां पर हर प्रकार के वाहन रात दिन आदर्श नगर और जवाहर नगर, राजापार्क, तिलकनगर आदि को जाते हैं उक्त रोड मोतीडूंगरी का मुख्य रोड है जिसमें होकर कम से कम 10–15 कालोनियों के लिये हर वाहन जाता ही है। साथ ही हर समय हजारों लोग आते जाते हैं लेकिन मोतीडूंगरी मुख्य रोड पर बने सोनारूपा प्रापर्टी डीलर ने अपने व्यावसा–यिक लाभ के लिये उक्त सड़क को अपने प्रतिष्ठान में ले लिया है जिसे वो अपने व्यापारिक लाभ के लिये इस्तेमाल करता है। इसी सड़क के दूसरी ओर एक अन्य परिवार ने उक्त सड़क को अपने मकान में ले लिया जो कि आज तक जे. डी. ए. का कोई अधिकारी इन गलत तामीरात को तोड़ने नहीं आया और न ही कोई कार्यवाही हुई जबकि इस छोटी सी गली में प्रतिदिन यातायात रुक जाता है और दुर्घटनायें होती है लेकिन किसे चिन्ता है क्योंकि सड़क के दोनों ओर जे. डी. ए. अधिकारियों की दोनों जेब गरम हो जाती हैं ।

ऐसे ही रिहायशी कालोनियों में अन–धिकृत निर्माण एक रिवाज सा चल रहा है। लोग अनधिकृत रूप से अपने मकानों को, दुकानों को, शोरूमों में परिवर्तित करके आमद का एक जरिया बनाते जा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर इस तरह के अवैधानिक निर्माण में अग्रणी है लेकिन अब दूसरे शहर व कस्बे भी पीछे नहीं रहे हैं ।

राज्य सरकार व जे. डी. ए. का हाल यह है कि जहां उनका दिल मान जाये वहां जीती मक्खी निगल लें जहां दिल न माने वहां तोड़–फोड कर दें । जाहिर है कि दिल के मानने के पीछे पैसा व उच्च स्तरीय प्रभाव है ।

पिछले लम्बे समय से समाचार पत्रों में व सदन में इन मुद्दों को कई बार उठाया जा चुका है। इस तरह अनधिकृत निर्माण

(सुश्री पुष्पा जैन)

तोड़ के राज्य सरकार अपनी कोई स्पष्ट नीति घोषित करती और अपनी कार्यवाही करती वो तो नहीं हुआ जबकि स्वयं राज्य सरकार व उसकी ऐजेन्सियां इस तरह के अनधिकृत निर्माण करवाने में अग्रणी रही हैं।

अतः इन परिस्थितियों में मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि अनधिकृत निर्माण होने से बचायें और अगर जे. डी. ए. व्यवस्थित नहीं कर सकता तो इसे बन्द कर दें कम से कम इससे अधिक इस शहर की दुर्दशा तो ना हो और गरीबों के साथ होने वाला अन्याय भी रुक सके। साथ ही अमीर लोगों की मनमानी पर भी अंकुश लग सके।

धन्यवाद।

श्री सभापति : 131 के अन्तर्गत श्री नाथूसिह ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

टौंक स्थित स्टेट टेनेरीज लि. को बेचे जाने विषयक

श्री नाथूसिह : सभापति महोदया, मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम (131) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा टौंक स्थित स्टेट टेनेरीज लिमिटेड की एक निजी कम्पनी को कम कीमत पर बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति पर राजकीय उपक्रम मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री राम किशन वर्मा (राज्यमंत्री, राजकीय उपक्रम) : सभापति महोदया, टौंक स्थित राजस्थान टेनेरीज के बारे में सरकार ने किसी निजी कम्पनी को कम कीमत पर देने की जो बात कही गई है, यह निराधार है। जहां तक मैं समझता हूं और उसकी हमने जानकारी की है, यह टेनेरीज लगातार घाटे में चली आ रही थी और घाटे में चलने के कारण यह भार आगे और नहीं वहन कर सकते और इसके ऊपर हमनें एक आइ.ए.एस. कमेटी का निर्माण किया इन्द्र जीत सिंह कावड़िया और उनकी कमेटी का निर्णय यह हुआ। उस आधार पर इसको हमने भारत के अप्रवासी, जो भारत के बाहर रहते हैं, वे इस काम को ज्यादा समझते हैं, उनका एक प्रकार का प्रस्ताव आया और प्रस्ताव के बाद, प्रस्ताव में भी इस प्रकार का प्रस्ताव था कि टेनेरीज की सारी जिम्मेदारियां, लेनदारियां व देनदारियां और जो इसके अन्दर कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के नियमानुसार इन्हीं शर्तों पर हम रख लें।

यह बात देख कर यह प्रस्ताव हमने रखा ही था, अभी उनको दी भी नहीं थी इसके पहले ही टेनरीज के जो कर्मचारी हैं, हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले आये। इस वजह से अभी उसी स्थिति के अन्दर यह है। न अभी इसको दिया है, न कोई बात है, इसके ऊपर न कोई चर्चा थी। ऐसा प्रस्ताव था।

श्री हरिकुमार औदिच्य : देने की योजना भी नहीं है।

श्री रामकिशन वर्मा : देने की योजना मैंने आपसे कहा कि प्रस्ताव तो हमने रखा ही है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है।

श्री दिग्विजय सिंह : एप्लीकेशन तो आई है।

श्री रामकिशन वर्मा : एप्लीकेशन आई हैं, एप्लीकेशन आने के बाद ही हमने यह प्रस्ताव माना हैं....

श्री दिग्विजय सिंह : किस किस की है, आप यह तो बतला दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य। मूर्व करने वाले माननीय सदस्य को पूछने दें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा, इस फैक्ट्री के घाटे मे चलने के क्या कारण हैं? सभापति महोदया, क्या यह सही है कि अच्छा माल नहीं खरीदा गया, खराब माल ऊंची कीमत पर खरीदा गया? आपके पास कोई एक्सपर्ट माल खरीदने के उसमें नहीं थे, चर्म विशेज्ञ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका इश्यू है सरकार द्वारा टौंक स्थित टेनरीज लिमिटेड को एक निजी कम्पनी को कम कीमत पर बेचे जाने का।

I think, you should restrict yourself to that.

श्री नाथूसिंह : हां, इसी में है ना, साहब। क्यों बेचा जा रहा है वह भी तो आयेगा ना इसमें। सभापति महोदया, इस तरह से ज्यादा कीमत पर खराब माल खरीदना, प्रशासनिक खर्चा अधिक आना, टौंक में फैक्ट्री स्थित है, जयपुर में आफिस है, जो आफिसर्स माल खरीदकर लाते थे वह निजी व्यापारियों से लाते थे इस तरह से धीरे-धीरे यह टेनरीज घाटे में चली गई। जितनी इसकी क्षमता थी, पूरी क्षमता से आज तक यह चली नहीं।

माननीय मंत्री महोदय, आप यह बतायें कि इसकी कितनी क्षमता थी और किस क्षमता तक आपने इसका उपयोग किया? कितने तक चलाई? इसके साथ साथ यह भी एक अचरज है, सभापति महोदया, 22 प्रतिशत पशुधन पूरे देश का राजस्थान में है, उसके बावजूद राजस्थान में यह एक मात्र टेनरीज, चमड़ा फैक्ट्री है और यह घाटे में चली जाय। इसके क्या कारण है? क्या आपने इसको बेचने का निर्णय लेते समय, माननीय मंत्री महोदय, इसका वेल्यूएशन कराया? यदि हां, तो किससे करवाया? आपने जो वेल्यूएशन करवाया है वह किसी चर्म तकनीकी संस्थान से कराया या किसी एक व्यक्ति से करवाया? जो वेल्यूएशन करवाया उसके मापदण्ड क्या थे? सभापति महोदया, जैसी मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार जो टोटल कास्ट थी, इस फैक्ट्री की, वह 4 करोड़, 20 लाख 30 हजार रुपये थी। इसके अगेन्स्ट में जो इन्होंने बेचने की योजना बनाई है निजी कम्पनी को, कौशल लैदर इण्डस्ट्रीज को, 1 करोड़ 65 लाख रुपये में यह बेच रहे हैं। इस पर देनदारियां हैं 3 करोड़ 38 लाख 13 हजार रुपये की लेकिन उसमें से 1 करोड़ 19 लाख 44 हजार रुपये की देनदारी आपने बट्टे खाते में डाल दी। यह किस आधार पर बट्टे खाते में आपने डालीं? आप कह रहे हैं, देनदारियों की भी वही जवाबदार हैं। लेनदारियों के लिये भी वह जिम्मेदार हैं, देनदारियों के लिये भी हैं। 1 करोड़, 19

(श्री नाथूसिंह)

लाखे 44 हजार की देनदारियां आपने बट्टे खाते में डाल दी। आप, माननीय मन्त्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें, आखिर इसकी जो देनदारियां हैं उनको बट्टे खाते में डालने के क्या कारण थे ? इसका वेल्यूएशन किसी चर्म विशेषज्ञ संस्थान से नहीं करवा कर किसी व्यक्ति विशेष ने करवाया, क्यों ऐसा किया ? क्या यह सही है कि हाई कोर्ट ने आपको स्टे दिया, जो डायरेक्शन दिये थे कि इसको जब तक आदेश नहीं मिल जाय तब तक नहीं बेचा जाय उसके बावजूद आपने बेचने की बातचीत की, तय कर लिया ? क्या यह भी सही है कि जिन शर्तों पर आपने इसको बेचा है उन शर्तों पर कर्मचारी इस फैक्ट्री को चलाने के लिये एग्री थे ? और क्या यह भी सही है कि इसको जिस रेट्स पर या जिस टर्म्स एण्ड कंडीशंस पर बेचने का आपने तय किया उसके आधार पर इस कम्पनी को 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार का लाभ नहीं होगा ? क्या यह सही है, सभापति महोदया, इस तरह से इस टेनेरीज, जिसको....

श्री सभापति : फर्स्ट तो, माननीय मन्त्री महोदय, इसको बेचे जाने का निर्णय ले लिया गया है ?

श्री रामकिशन वर्मा : प्रस्ताव है, मैडम। मैने तो आपसे कहा है इस बात का सभापति महोदया....

श्री नाथूसिंह : वह तो ले लिया।

श्री सभापति : अगर बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, वह पूरी कीमत....

श्री रामकिशन वर्मा : वह तो सब बता दूं, वह तो बैठें जब बताऊं ना, पहले कहां से बताऊं।

श्री सभापति : आप पूरा खत्म कर चुके हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : खत्म पूरा हुआ ही नहीं है, इन्होंने प्रश्न पूछ लिया उसका जवाब के लिये में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये।

That is very unfair, I thought that he has finished. No. No.

श्री शोपत सिंह : यह तो सहारा लेते हैं। यह आदत है इनकी, थोड़ा सा सहारा मिले और बैठ गये। सबसे चालाक मन्त्रियों में से हैं यह।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, इट इज वेरी बैड। माननीय मन्त्री महोदय, आप अपना वक्तव्य पूरा करके बैठें। उसके पहले बैठें ही नहीं। मैंने सोचा आप पूरा कर चुके। आर्डर आर्डर।

श्री रामकिशन वर्मा : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जो पूछा....

श्री सभापति : पूछा, आप अपना वक्तव्य पूरा कर रहे हैं ?

श्री रामकिशन वर्मा : जवाब दे दूं, वक्तव्य भी पूरा कर दूंगा।

श्री सभापति : आप वक्तव्य पूरा करिये उसके बाद दूसरे सदस्य भी पूछेंगे। आप वक्तव्य अपना पूरा कर दीजिये उसके बाद सदस्य जो प्रश्न पूछेंगे उसका....

श्री रामकिशन वर्मा : वक्तव्य तो मैंने बता दिया आपकी कि हमने जो ऐसे प्रस्ताव आये थे उन प्रस्तावों के अन्दर जो शर्तें थीं, शर्त वाली, हमने वही इकाई मानी जिन्हें हमारी राज्य सरकार की उन शर्तों के ऊपर उन कर्मचारियों को उन्हीं आधार पर रखने के लिये स्वीकृति दी है। सारी लेनदारियां, देनदारियां स्वीकार कीं। तो इस प्रस्ताव को हमने माना ही था, इससे पहले ही टेने-रीज के कर्मचारी हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले आये। तो अभी तो यह बात पूरी भी नहीं हुई, उसके पहले ही कहां से दे दिया और नहीं दे दिया।

श्री सभापति : अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया।

श्री रामकिशन वर्मा : निर्णय नहीं हुआ।

श्री नाथूसिंह : निर्णय का कोई सवाल नहीं है। एक मिनट।

श्री सभापति : बेचने का निर्णय नहीं हुआ तो एक मिनट कैसे होगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हाई कोर्ट में नहीं जाते तो निर्णय हो जाता, यही तो कह रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री सभापति : When it is in the High Court and thereby it has become sub-judice, then how can it be discussed ?

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, मैं कह रहा हूं वह दूसरी बात है। मंत्रिमण्डल ने क्या निर्णय नहीं लिया ?

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदया, एक जानकारी आप बतला दें, जब बेचने का निर्णय नहीं हुआ तो यह बन्द क्यों पड़ी है ?

श्री नाथूसिंह : बन्द क्यों पड़ी है और क्या मन्त्री मण्डल ने निर्णय नहीं लिया इसका। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक-एक करके प्रश्न पूछिये। आर्डर, माननीय सदस्य। बैठें-बैठें बात नहीं करेंगे। आप किससे पूछ रहे हैं ? मन्त्री जी से पूछिये तो आसन की मार्फत। प्लीज।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, क्या मन्त्रिमण्डल ने इस फैक्ट्री को बेचने का निर्णय नहीं लिया ? नम्बर एक। क्या यह सही है, 16.6.88 को सरप्लस मजदूरों को दूसरी जगह एडजस्ट करने का आपको आदेश मिला था ? आपने उस आदेश की क्या पालना की ? जो सरप्लस मजदूर वहां घोषित किये गये फैक्ट्री के अन्दर, उनको क्या आप राज्य सरकार की सेवा में मानते हैं ? यदि मानते हैं तो आपने कहां-कहां उनको एडजस्ट किया ? आप कहते हैं, यह तो हाई कोर्ट का आदेश आ गया, सभापति महोदया, मंत्रिमण्डल ने डिसीजन ले लिया, सारे डाकूमेंट्स तैयार हो गये, एक करोड़ 65 लाख में बेचने का निर्णय ले लिया गया....

श्री सभापति : But it has been stayed by the High Court.

श्री नाथूसिंह : हाई कोर्ट का स्टे तो इस बात पर है, कर्मचारियों ने जा करके एप्लीकेशन लगाई...

श्री सभापति : जिस किसी ने लिया मगर स्टे तो हो गया।

श्री नाथूसिंह : कर्मचारियों का अलग स्टे है। वह कह रहे कि निजी कम्पनी में हमारी सेवाएं नहीं देकर राज्य सरकार हमारी सेवाएं सरकार में माने। इस बात पर स्टे है। काय बात का स्टे है, इनको पूछा है ? क्या यह सरकार ने, मंत्रिमण्डल ने निर्णय नहीं ले लिया ? जब मंत्रिमण्डल ने निर्णय ले लिया तो यह तो समझा जायगा कि आपने बेच दिया इसको। 1 करोड़ 19 लाख 44 हजार की देनदारियों को बट्टे खाते में डालने का आदेश दे दिया इस बेचने के तहत ही। तो मैंने जो प्रश्न पूछे हैं इनका जवाब दिलाइये। उसके आधार पर हम बातचीत करें। नहीं तो यह कह रहे हैं स्टे दे दिया, काय बात पर स्टे दे दिया ? तो इनके क्या–क्या मुद्दे हैं स्टे के अन्दर, क्या–क्या टर्म्स एण्ड कंडीशंस हैं बेचने के अन्दर, इनका जवाब दिलाइये।

श्री सभापति : यह ठीक है प्रश्न। माननीय श्री मानिकचंद सुराना।

श्री मानिकचंद सुराना : सभापतिजी, मैं माननीय मंत्रीजी से सीधा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि इसका विज्ञापन आपने कितने अखबारों में किया ? विज्ञापन में क्या आपने यह सारी शर्तें डाली दीं, देन–दारियां और लेनदारियों की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उस विज्ञापन के विपरीत या उसके रेस्पांस में आपके पास कितनी पार्टीज के आफर्स आये ? वह जो आफर्स आये उनमें क्या सभी आफर्स इसी शर्त पर हैं, अभी जो मूल्य बताया है माननीय नाथूसिंहजी ने, 1 करोड़ 65 लाख या जो भी हो, क्या यह मूल्य सर्वाधिक था ? क्या इस मूल्य के साथ यह आवश्यक शर्त है कि जितनी देनदारियां स्टेट टेनेंरीज के सम्बन्ध में राज्य सरकार की हैं वह सभी यह फर्म चुकायेगी ? चुकाएंगे तो कितने वर्षों में चुकाएंगे, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि बेचने का निर्णय नहीं किया गया है तो एक तो यह बन्द क्यों पड़ी है और भी बतलावें कि क्या हाई कोर्ट डायरेक्शन के अनुसार वहां के कुछ श्रमिकों को तो अन्य जगहों पर एब्जोर्ब कर लिया गया और बाकी श्रमिक अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि देने वाली बात नहीं, निर्णय ही नहीं हुआ तो फिर आपने श्रमिकों को और जगह पर कैसे एडजस्ट कर लिया-कहीं रोडवेज में और अन्य जगहों पर भेजा है तो पूरा, मुकम्मिल बतलावें कि उनमें से कितनों को एब्जार्ब कर लिया और उन कर्मचारियों की क्या शर्त थी इस प्रकार की कि राज्य के जितने भी अण्डर टेकिंग हैं उन में इन कर्मचारियों को कहीं न कहीं एब्जार्ब कर लिया जाएगा।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि फैक्ट्री निरन्तर घाटे में चली आ रही है तो इसका कारण बतलावें और इस फैक्ट्री को इन्स्टाल करने के पहले क्या सर्वे रिपोर्ट में था कि यह लाभ में चलेगी और इस फैक्ट्री को टौंक में लगाना उपयुक्त था ? क्योंकि सर्वे रिपोर्ट होने के बाद ही फैक्ट्री इन्स्टाल होती है। तो क्या यह मान कर चलें कि आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं थी और उसके बिना ही आपने फैक्ट्री

(104)

(श्री दिग्विजयसिंह)

इस्तेमाल कर ली और घाटे की नौबत आई और श्रमिकों को आज वहां से हटना पड़ा। तो आप यह बतलावें कि उन श्रमिकों की, जो आज बेरोजगार हैं, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कब कर रहे हैं और कहां कहां कर रहे हैं ?

श्री रामकिशन वर्मा (मंत्री, राजकीय उपक्रम विभाग) : सभापति महोदया, टोंडा, उनियारा और लूणकरनसर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात की चिन्ता जाहिर की और यह सही है, उनका हक है कि वह इस बात की जानकारी करें कि ऐसा क्यों हुआ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टौंक एक ऐसा जिला था जो इंडस्ट्री के नाम पर जीरो था और यही बात ध्यान में रख कर टौंक में टेनेरीज को लगाने का मुख्य कारण सरकार ने सोचा। दूसरा कारण, इस जिले में अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार देने हेतु भी इसकी स्थापना हमने वहां पर की थी। शुरू में करीबन ढाई वर्ष मद्रास इन्स्टीट्यूट के तकनीकी विशेषज्ञों को लाकर रखने की कोशिश की, काम भी लिया लेकिन इन लोगों ने वहां पर ज्यादा रहना स्वीकार नहीं किया और वह बीच में छोड़ कर चले गये। इन सबके बावजूद जहां तक कच्चे माल का सवाल था, इस टेनेरी के लिए उतना माल उपलब्ध नहीं हुआ। अच्छा माल बनावें और इस टेनेरीज को लगाने का मकसद था, हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें यहां बने हुए माल को। हमें इसके लिए ज्यादा लम्बाई-चौड़ाई वाली खाल की आवश्यकता पड़ती थी वह ठण्डे प्रदेशों में, खास तौर से काश्मीर वगैरह में उपलब्ध होती थी लेकिन वह यहां आकर बहुत महंगी पड़ने लगी। हमारे जो जानवर होते थे उनके कई दफा खेतों में जाने के कारण रास्ते में कांटे लग जाते, उनका शरीर छिद जाता था। तो जिस प्रकार से हम ओवर-कोट, जर्सी पेंट आदि जो गारमेंट बनाना चाहते थे उनकी कीमत उतनी नहीं आती थी। लोग उसको स्वीकार भी नहीं करते थे। यह कई कारण थे जिनकी वजह से हम इसको पूरे लाभ में नहीं चला सके। कई दफा जो विशेषज्ञ मिलते थे वह मद्रास, कलकत्ता में मिलते थे उनको भी यहां रखने की कोशिश की लेकिन वह अपना इलाका, अपना मार्केट नहीं छोड़ना चाहते। विशेषज्ञों से कई दफा इस बात की कोशिश की कि हमें इसकी ट्रेनिंग मिले, जान लें, इससे अवगत हो जायं लेकिन इसमें काफी समय लगता था। तो, सभापति महोदया, यह कारण थे जिनकी वजह से यह लगातार घाटे में चलती रही और घाटा ज्यादा नहीं उठा सके। पिछले 88 तक ही साढ़े चार करोड़ का घाटा इस टेनेरीज को लगा। यह देख कर सोचा कि हमारे ऊपर जो भी देनदारियां हैं उन सब का किस प्रकार से समावेश हो, यहां के कर्मचारियों को किस प्रकार से हम रखें क्योंकि कई दफा इस प्रकार की फैक्ट्रीज, टैनेरीज नही चलती तो कर्मचारियों के साथ भी न्याय नहीं होता। उनको सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तो इस प्रकार के दो प्रस्ताव हमारे पास आए और प्रस्ताव लेने के पहले इन्द्रसिंहजी कावड़िया की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया जो इस बात की जानकारी करें कि इस टेनेरीज को किस प्रकार से लाभ में चला सकें या नहीं

(श्री रामकिशन वर्मा)

और क्या उपयोग हो, क्या निर्णय लें। इस सबके बाद यह निर्णय आया कि इस टेने–रीज को जो भारतीय लोग बाहर विदेशों में रहते है उनसे इस प्रकार के दो प्रस्ताव आये। एक तो 1.1 करोड़ बिना अन्य दायित्वों के और दूसरे प्रस्ताव में 2.10 करोड़ इसके दायित्व लेकर फैक्ट्री चलाने का था....

श्री मानिकचंद सुराना : थोड़ा दुबारा बतावें, उन्होंने देनदारियां देने की हां भरी या सिर्फ मूल्य देने की बात कही। हम इस बात की सफाई चाहते हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : उन्होंने देनदा–रियां देने की भी हां भरी। उन्होंने इस प्रकार की सारी लेनदारियां, देनदारियां जो भी खर्चे थे उन्हें वहन करने की शर्त रखी। उन्होंने सारी लाइबिलिटी अपने ऊपर ली और हमारे मजदूरों को भी उन्हीं शर्तों पर जिन शर्तों पर राज्य सरकार ने रखा था उन्हीं आधार पर रखने की पूरी जिम्मेदारी ली तब जाकर इस तरह के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य हुए और उसके पहले ही हाई कोर्ट से स्थगन आदेश आ गया इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते। अब इस स्थगन आदेश का क्या निर्णय होगा, उसके बाद देखा जाएगा।

श्री सभापति : वह स्थगन आदेश कौन लाये और किस बात पर स्टे आया बेचान पर या उनको बेरोजगार करने पर ?

श्री रामकिशन वर्मा : वह मजदूर लाये। एक प्रस्ताव टेनेरीज के कर्मचारियों ने भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार उनको दे दे तो वह इसको एक साल में ही लाभ में ले आएंगे। लेकिन देनदारियां, खर्चों की व्यवस्था, इनके लिए उनका प्रस्ताव नहीं था कि कहां से चला–एंगे, कैसे लाएंगे यह सारी बातें इस तरह की रही कि उन्होंने कह दिया कि हम इसको लाभ में ले आएंगे आप इसको सहकारिता में दे दें, को–आपरेटिव बना कर कर्मचारी ही इसको चलाना चाहते थे। तो यह कैसे सम्भव हो सकता था ? किस प्रकार से भार वहन कर सकेंगे। इसलिए उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया और दूसरे लोग थे उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, दो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। एक तो हाई कोर्ट से किस बात के लिए स्टे मांगा गया और किस बात के लिए प्राप्त हुआ। दूसरा, सरकार ने 19.12.88 को कौशल लेदर इंडस्ट्री को इस फैक्ट्री को बेचने का निर्णय ले लिया। माननीय मंत्री महोदय, इस निर्णय के बाद इस प्राइवेट इंडस्ट्री पर आपकी लेनदारियां, देनदारियां, जैसा आप कह रहे हैं, मेरे इस सवाल का भी जवाब नहीं आया 1,19,4,000 रुपये इन्होंने बट्टे खाते में डाले हैं, यह क्यों डाले ? क्या इसका कारण यह था कि देनदारियां उस प्राइवेट कम्पनी की कम हो जाय इसलिए बट्टे खाते में डाले। नहीं तो उसका क्या कारण है ? दूसरा उस प्राइवेट इंडस्ट्री पर आपका क्या नियंत्रण रहेगा ? जैसा आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों को राज्य सरकार की शर्तों पर रखेंगे, देनदारियां, लेनदारियां उनकी होंगी। तो आप इस फैक्ट्री को बेचने के बाद इस प्राइवेट इंडस्ट्री पर राज्य सरकार का क्या नियंत्रण

(श्री नाथूसिंह)

रहेगा जिससे वह पेमेन्ट करेगी और कब तक करेगी, क्या क्या टर्म्स एण्ड कंडीशंस होंगी ? कर्मचारियों को देंगे कि नहीं देंगे ? यदि प्राइवेट कम्पनी ने इसको बेच दिया और आपने बट्टे खाते में डाल दिया और उसने फैक्ट्री को बन्द कर दिया और बेच कर चले जाएंगे तो राज्य सरकार का क्या नियंत्रण है ।

अन्त में, मन्त्री जी, आपको मालूम है कि टौंक पूरा जिला, टोडारायसिंह और देवली सबसे ज्यादा पिछड़े हुए इलाके हैं जहां एक भी इंडस्ट्री नहीं है । एक मात्र यह इंडस्ट्री है । इसको भी बन्द कर देंगे और वह बेच कर चले जाएंगे तो इस पर सरकार का क्या नियन्त्रण है ? कृपया यह समझायें ।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं इस संबंध में एक प्रश्न और पूछूंगा । अभी माननीय नाथूसिंह जी ने 1.65 करोड़ की बात कही तो क्या इसके दो टेण्डर आए ? आपने एक टेन्डर 2.10 करोड़ का बताया और एक टेण्डर उससे कम का आया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह रुपया नकद राज्य सरकार प्राप्त करने के बाद ही टेनेरीज में अपना शेयर उनको ट्रांसफर करेगी या इसमें भी कोई इन्स्टालमेंट का सिस्टम है कि 20% दे देंगे और 80% देते रहेंगे ।

इसलिए मैंने पूछा था कि आपने कब टेण्डर फ्लोट किया है, टेण्डर्स की टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स क्या हैं और टेण्डर की टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स में क्या आपने अपनी देनदारियों की बात डाली है ? सभापति महोदया, यह नहीं समझता कि आज कोई भी पूंजीपति इनकी पुरानी देनदारियों के देने के साथ इन्वेस्टमेंट की पूंजीगत मूल्य भी देगा । यह मुझे सम्भव नहीं लग रहा है । इसलिए मन्त्रीजी अपने नोट्स को चैकअप कर लें कि क्या वाकई में देनदारियां जो आने वाले पूंजीपति हैं वे आपके मूल्य 2 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 65 लाख देने के अलावा देनदारियां चुकायेगा या देनदादियां राज्य सरकार के माथे रह जायेगी और आपको सिर्फ 1 करोड़ 65 लाख ही मिलना है ? इस बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

श्री सभापति : श्री गणेशलाल बैरागी ।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिन्डोली) : सभापति महोदया, माननीय मन्त्रीजी ने जो भी जवाब दिया है उसमें एक बात आपने कही है कि वे मजदूर उस फैक्टरी को सहकारिता के आधार पर चलाना चाहते हैं और इस बात को राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया । तो क्यों राजस्थान सरकार को-आपरेटिव के सिद्धांत से अलग हो रही है, एक बात । क्या राजस्थान सरकार का पब्लिक सैक्टर पर विश्वास नहीं रह कर और प्राइवेट सैक्टर पर बढ़ावा देने का चल रहा है ? ये दो बातें मैं जानना चाहता हूं ?

श्री सभापति : श्री दिग्विजय सिंह ।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदया, मैं तो एक ही मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आप फैक्ट्री को कब हस्तान्तरित करते हैं, कब देते हैं या पुनः राज्य सरकार चलाती है या लीज पर देती है ? सभापति महोदया, हास्यापद स्थिति है कि अगर कोई इण्डस्ट्रिएलिस्ट लुक आउट कर देता है तो आप इन्टरवीन

(श्री दिग्विजय सिंह)
करते हैं, लेबर डिपार्टमेण्ट इन्टरवीन करता है और उन श्रमिकों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था भी आप करते हो। सरकार की खुद की फैक्टरी है और इसे करीब साल भर से ऊपर हो गया उन लेबर्स को आज दिन तक कहीं भी आब्जर्व नहीं किया, कहीं श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसमें उनका क्या दोष है। तो सरकार कम से कम यह आश्वस्त करें कि उन लेबर्स को कहीं पर आब्जर्व करेंगे अण्डर टेकिंग में। आपका यह तो साल भर तक ही तय नहीं होगा। जो लेबर वहां पर एब्जार्व हुई थी, आपकी फैक्टरी में लगी थी, सरकार की फैक्टरी में लगी थी वे आज बेरोजगार घूम फिर रहे हैं, आज उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं और शांत रूप से बैठे हैं, आपके समझौते और आपके आश्वासन पर बैठे हुये हैं। आखिर कब तक बैठे रहेंगे। इसलिए, सभापति महोदया, मैं एक जानना चाहूंगा कि मंत्रीजी कैटेगरिकली बतायें, कि उन लेबर्स को कौन से अण्डर टेकिंग के अन्दर आप एब्जार्व करने की स्थिति में हैं और हैं तो कहां पर ? नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय। प्रश्न बहुत स्पष्ट हैं, डाइरेक्ट ही प्रश्न का उत्तर दे दीजिये।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय सभापति महोदया, मैंने तो आपको निवेदन किया कि जिन प्रस्तावों के आधार पर इस फैक्टरी को देने का प्रस्ताव रखा है उनके अन्दर उनके स्पष्ट प्रस्ताव थे कि जो कर्मचारी वहीं पर लगे हुए है वे सरकार की शर्तों के अनुसार उसी टेनेरीज में लगे रहेंगे यदि सरकार के नियमों की पालना सरकार कराती है उनका वे पूरा पालन करेंगे। किन्हीं भी कर्मचारियों को उन शर्तों से अलग नहीं रखा जायेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों ने एप्रीहेन्शन जाहिर किया है कि अगर वे उसकी पालना नहीं करेंगे तो सरकार का क्या नियंत्रण होगा।

श्री रामकिशन वर्मा : सरकार के पास बड़ी शक्तियां हैं, माननीय सभापति महोदया।

श्री सभापति : जो प्रोपोज्ड शर्तें हैं उसके अनुसार क्या नियंत्रण होगा।

श्री रामकिशन वर्मा : शर्तों वाला अभी डिटेल में मेरे पास नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, प्रस्ताव की कापी भिजवा दूंगा।

श्री सभापति : स्टे खत्म होने पर हम इसको फिर से....(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदया, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। हम कहते हैं कि इस पीरियड में लेबर्स क्या करेगी।

श्री नत्थीसिंह : इन्होंने बट्टे खाते में सवा करोड़ रुपये की राशि डाली है।

श्री दिग्विजय सिंह : लेबर्स क्या करेगी, लेबर्स कैसे अपने बच्चे का पेट पालेगी ? यह तो आगे की बात आप कर रहे हैं लेकिन इस इन्टरिम पीरियड में उन लेबर्स का क्या होगा। सरकार के हाथ लम्बे हैं लेकिन....

(108)

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, इन्होंने इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि जो आफर्स आये हैं यह उसको भी गोल मोल रखना चाहते हैं।

जो मूल्य आफर किया है उस मूल्य को प्राप्त किये बिना शेयर्स बन नहीं सकेंगे टैनरीज के। इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय चुप हैं। जो मूल्य सरकार प्राप्त करेगी उसके अलावा वे देनदारियां चुकायेंगे इसी बात पर भी आप मौन है। मैं इन दोनों बातों पर बिल्कुल स्पेसिफिक स्पष्टीकरण चाहता हूं अन्यथा माननीय सभापति महोदया फिर 50 लाख का घोटाला इसमें और होने वाला है, टैनरीज के क्रय–विक्रय में इसी प्रकार का फिर घोटाला होगा।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वश्चन था कि 1 करोड़ 19 लाख 44 हजार की राशि बट्टे खाते में आपने क्यों डाली है? दूसरा, सवाल था स्पेसिफिक कि हाई कोर्ट ने किस–किस मामले पर आपको स्टे दिया और किस मामले पर स्टे माना गया है? तीसरा, सवाल मेरा यह था स्पेसिफिक कि सरकार का क्या नियंत्रण रहेगा, सरकार के हाथ में नियंत्रण करने के लिए कौन सा पावर है? इन तीन बातों का जवाब दे दीजिये।

आप नहीं दे सकते, नहीं तैयार होकर आये तो वैसे बता दीजिये।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय सभापति महोदया, जहां तक देनदारियों का सवाल है। इस प्रस्ताव के माध्यम से ही फैक्टरी की बुक वैल्यू 48 लाख रुपये मात्र है। कुल देनदारियां 1988 तक 3.30 करोड़ रुपये की थी जिसके अन्तर्गत प्रस्ताव 2.10 करोड़ रुपये की देनदारियां चुकाने का प्राप्त हुआ। ये सभी देनदारी 3.30 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की हैं। इन देनदारियों के विरुद्ध ही 2.10 करोड़ रुपये देनदारियों के तैयार हुए हैं।

श्री नाथूसिंह : हां, तो बाकी बट्टा खाते हो गई ना। यह तो मालूम हो आपको कि 1 करोड़ 19 लाख 44 हजार आपने बट्टे खाते क्यों डाल दिये? यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सभापति महोदया, पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, हाई कोर्ट से क्या स्टे मिला?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सभापति महोदया, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि अभी मन्त्री महोदय ने जवाब देते समय यह कहा है कि टेण्डर के प्रस्ताव मेरे पास नहीं है इसलिए जो प्रश्न इन्होंने पूछें उसका जवाब दे नहीं सके। यह काल अटेन्शन है। काल अटेन्शन में जितना भी मसाला इनके पास लिखित में था वह यहां पर लेकर आना चाहिए था और यदि वह लेकर नहीं आये तो मैं समझता हूं कि इस काल अटेन्शन का कोई मतलब नहीं है, वह कोई जवाब नहीं दे पायेंगे फिर गोल माल करते रहेंगे, हल्ला–गुल्ला होगा वह बैठ जायेंगे और वह बैठ जायेंगे तो मामला समाप्त हो जायेगा। जो बातें सदन के सामने आनी चाहिए थी वह आयेगी नहीं। इसलिए या तो यह अपना सामान जो भी इनके पास प्रस्ताव या टैण्टर की नकल है या जो भी है

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

वह मंगवा लें ताकि जरूरत पड़ने पर पढ़ कर सदन को सुना भी दें कि ये हमारी शर्तें हैं। क्योंकि बार–बार सवाल वही हो रहे हैं कि आखिर आपके टेण्डर की क्या शर्तें थी, कितने रुपये आपने बट्टे खाते में डालें। ये सारी बातें वही आ रही है इसलिए इनके पास कुछ है नहीं। मैं समझता हूं कि आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें कि क्या काल अटेन्शन के जवाब में मंत्री महोदय बिना किसी अपने रेकार्ड को लेकर और एक्स–टेम्पो, इन्होंने तो अपना वक्तव्य पढ़ा भी नहीं और एक्स–टेम्पो जवाब दे रहे है। इसका कोई अर्थ नहीं है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर सीधा–सीधा आ नहीं रहा है। बार बार वहीं बात घुमा फिरा कर कर रहे हैं। तो यह उचित है क्या? इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दीजिये।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय सभा–पति महोदय, मैंने तो बहुत, स्पष्ट दिया है, जितनी बातें मुझसे पूछी गयी, जितने उन्होंने क्वश्चन किये उनकी बात का मैंने जवाब दिया है।

श्री सभापति : पूछे तो बहुत सारे प्रश्न हैं। माननीय मंत्री महोदय अपन इसको पोस्टपोन कर देते हैं कल आप इसका नोट डिपार्टमेण्ट से बनवा लें We can post-pone it for tomorrow.

श्री रामकिशन वर्मा : मैंने सबको जवाब दिया है। माननीय सभापति महो–दया, अगर कोई विशेष बात पूछनी हो तो पूछ लें मैं उनका भी जवाब देने को तैयार हूं।

श्री सभापति : वे बार बार रिपीट कर चुके हैं, प्रश्नों के उत्तर सन्तोषजनक नहीं आये हैं। मैं चाहती हूं, आसन चाहता है या तो आप इसको पोस्टपोन करें या उनके जवाब जो भी अगर आपके पास हैं तो वह जवाब दीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : गवर्नमेण्ट का काम बिना रेकार्ड के नहीं होता। आप रेकार्ड देखकर बताये। इनके पास रेकार्ड है, गवर्नमेण्ट के पास पूरा रेकार्ड है।

श्री सभापति : इसको पोस्टपोन कर देते हैं। You can get it prepared by the Department tomorrow.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : करोड़ों का मामला है और आप हवा में चला रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मामला कोर्ट में विचाराधीन हैं, एक तरह से सब–जुडिस मामला है, वैसे भी चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री सभापति : बार-बार सदस्य पूछ रहे हैं कि कोर्ट में विचाराधीन क्या है। इश्यू अगर सामने नहीं आता है तो यह सदन प्रिज्युम करके चलता है कि यह सिर्फ बेचान का मामला स्टे के अन्तर्गत है बाकी प्रश्न बेचान के पहले के तो पूछे ही जा सकते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनका प्रश्न भी बेचान से ही सम्बन्धित है, सभापति महोदया।

(110)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सवाल यह है कि स्टे जो दिया हुआ है, वह मजदूरों को जो आप निकाल रहे हैं उन्होंने अपने हित के लिए स्टे लिया है कि इनको निकाला नहीं जाय ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो इन्होंने बता ही दिया है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इन्होंने यह नही बताया कि स्टे किस बात का मिला है । मजदूरों को निकालने से रोक रहे हैं या इनके बेचान पर रोक लगायी है । यह किस बात का स्टे है ?.... यह बताइये न आप । इनको मालूम ही नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर चर्चा नहीं होगी, यह रूलिंग आपने बार बार दी है ।

श्री नाथूसिंह : कोर्ट का स्टे आर्डर किस बात पर है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, जो इश्यू कोर्ट में विचाराधीन है, या तो वह इसमें लिस्ट ही नहीं हुआ था, अगर आप इसको टोटली कोर्ट के विचाराधीन मानते हैं, और नहीं तो जो इश्यू कोर्ट में जो स्पेसिफिक पांइट है, उसके अलावा Administrative part can always be discussed. I think we should better postpone it.

श्री मानिकचंद सुराना : नहीं, वह मंत्री जी बता सकते हैं, माननीय कल्ला साहब बता सकते हैं । कोई मैटर इसमें....

श्री रामकिशन वर्मा : स्थगन आदेश इस बात का है कि इसको बेचा नहीं जाये, दूसरे को दिया नहीं जाये । मजदूर चलाना चाहते हैं, लेकिन मजदूरों के पास जो प्रस्ताव आये, उस प्रस्ताव के अन्दर कहीं भी यह स्पष्ट नहीं आया कि देनदारों का क्या होगा ? धन कहां से लगायेंगे ? पैसा कहां से आयेगा ?

श्री दिग्विजय सिंह : लेबर्स का चुकारा मंत्री कब करेंगे ? चुकारा करेंगे कि नहीं करेंगे । मंत्री महोदय आपने खुद ने लाकआउट किया है, क्या उसकें पैसे उन को देंगे कि नहीं देंगे ?

श्री रामकिशन वर्मा : नहीं, नहीं । उनको तो हम उन्हीं शर्तो पर रखना चाह रहे हैं । पैसा भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी । किसी भी प्रस्ताव में यह नहीं था कि मजदूरों के साथ अन्याय हो, या उनका पैसा नहीं दिया जायेगा ।

श्री दिग्विजय सिंह : नियम के अनुसार लाक आउट का पैसा तो आपको इम्मीजिएट देना चाहिये । आपने क्यों नही दिया ?

श्री नाथूसिंह : सवाल यह नही है । सवाल सभापति महोदय, यह है कि....

श्री मानिकचंद सुराना : कल पूरी तैयारी से इसका जवाब दे दें ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, इसका जवाब आप माननीय सदस्यों को भिजवा दें, अब चर्चा समाप्त हुई ।

श्री रामकिशन वर्मा : भिजवा देंगे ।

श्री नाथूसिंह : पोस्टपोन करें साहब ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हो गयी। लिखित जवाब जिन माननीय सदस्यों ने इस पर दिये हैं, उनको मिल जाने चाहिये, ग्रार्डर, ग्रार्डर माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको आपने स्थगित किया है....

श्री सभापति : स्थगित नहीं किया है, चर्चा समाप्त हो गयी है।

श्री नाथूसिंह : सरकार भी आप लिखित में ही चलवा लें। इन मंत्रियों को क्यों बना-बना कर बैठे हैं, इनको जवाब भी नहीं देना आता। सरकार भी लिखित में ही चलवा लें, जिनके भी हैं, उनको लिखित में जवाब भिजवा दें।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य। जिनके यह इश्यू हैं, ध्यानाकर्षण हैं, उनको लिखित में जवाब पहुंच जायेगा। चर्चा समाप्त हो गयी माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सम्मानीय सभापति जी, मेरा निवेदन करना है कि राज्य में राज्य सरकार द्वारा संचालित ऐसी सात फैक्ट्रियां हैं, जो राज्य सरकार बेच रही है, लॉस में जा रही हैं, आखिरकार राज्य सरकार इसको गंभीरता से लेना क्यों नहीं चाहती ? जयपुर उद्योग को बेच दिया, जयपुर उद्योग की स्थिति खराब हुई, अरावली उद्योग में इस प्रकार की स्थिति बनी। अब तक राज्य सरकार ने सात उद्योगों को, जो स्वयं संचालित करती थी, अपनी असफलता के कारण धीरे-धीरे बेच रही है। कृपा करके जो आप, जो जवाब दिये जायें, उनके साथ यह भी बतायें कि और भी जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें से किन–किन को बेचा जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज.. चर्चा समाप्त हुई माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : बेचने के क्या कारण हैं और राज्य सरकार ने अपने हाथ में जिन उद्योगों को लिया था, प्राइवेट सेक्टर से निजी उद्योग में इन फैक्ट्रियों का क्या करना चाहती है ?

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य। ग्रार्डर....ग्रार्डर....।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदया, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। मंत्रीजी कल जवाब लिखकर भेजेंगे, तो इनके जो भी प्रस्ताव हमने रखे हैं, उनको भी सम्मिलित कर लेंगे न ?

श्री सभापति : हां, कर लेंगे।

श्री रामकिशन वर्मा : मैं इनके भी जवाब आपको भिजवा दूंगा।

श्री सभापति : यह सवाल जो पूछे गये हैं, उनके जवाब इसमें सम्मिलित करके दिये जायें।.... ग्रार्डर प्लीज....

मांग संख्या 46, सिंचाई पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री दिग्विजय सिंह। (अनुपस्थित), माननीय श्री बृजेन्द्र सिंह....(अनुपस्थित), माननीय श्री हरीश चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं मांग संख्या

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

46 सिंचाई के ऊपर, जो मैंने अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उनके बारे में मंत्री-जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खास तौर से मैं अपने जिले सवाई माधोपुर के बारे में ही निवेदन करूंगा....(व्यवधान) वह सही है, कम से कम अपने जिले के लिए तो कह लूं। राजस्थान पर कहने वाले तो आप हैं। हम तो सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं, हमारे सवाई माधोपुर जिले के अन्दर कुल जो कृषि भूमि है, उसका क्षेत्र-फल 5,83,295 हैक्टेयर है और जो कुल सिंचित क्षेत्र है, उसका 1,66,226 हैक्टेयर है। यानि कि जितनी कृषि भूमि है, जो सिंचाई के साधन हैं, उन माध्यमों में सिंचाई हो रही है। सिर्फ 25 प्रतिशत सिंचाई उस भूमि के ऊपर होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जो सिंचाई के साधन सवाई–माधोपुर जिले में हैं, उनमें मुख्य साधन है कुंआ। सवाई माधोपुर जिले में 110867 हैक्टेयर में कुंओं के द्वारा सिंचाई होती है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि थ्री फोर्थ सिंचाई कुंओं के माध्यम से होती है। लेकिन गत चार सालों से स्थिति यह बनी हुई है कि इन्द्र देवता ने कृपा नहीं की, बरसात न होंने के कारण उन कुंओं का जल स्तर 10 मीटर से 30 मीटर तक नीचे चला गया है। स्थिति यह बनी कि जो कुओं के माध्यम से सिंचाई होनी चाहिये, वह सिंचाई होनी तो दूर रही, बल्कि पीने का पानी भी ग्रामवासियों को उपलब्ध नहीं होता है। इस बात से स्पष्ट जाहिर है कि सवाई माधोपुर जिले के अन्दर सिंचाई के साधनों, जो कुओं के द्वारा होती थी, की क्या स्थिति है? तो आज ऐसी स्थिति बन गयी है कि कुएं सूख गये हैं और सिंचाई के एक मात्र साधन कुएं ही हैं। उनका पानी सूख जाने के कारण वहां सिंचाई नहीं हो पा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि राजस्थान की जो दो महत्व–पूर्ण नदियां-चम्बल और बनास हैं, मैं तो दुर्भाग्य ही कहूंगा कि सवाई माधोपुर जिले के अन्दर से होकर दोनों नदियां जाती हैं, यहां बहती है, लेकिन उस पानी का–चाहे चम्बल हो या बनास, उस एक बूंद पानी का भी उपयोग सवाई माधोपुर जिले के अन्दर नहीं हो पा रहा है। इस पर कई बार इस सदन में भी चर्चा हुई, गत 15 साल से इस सदन के अन्दर इन दोनों नदियों के पानी के उपयोग के लिये बार बार निवेदन किये गये, योजनाएं बनीं, चाहे वह पीपलोट योजना हो, या पीपल्दा योजना हो, या इन्दिरा लिफ्ट योजना हो, यह सम्बद्ध योजनाएं तो बन जाती हैं, योजना का जो सर्वे है, करीबन 7-8 साल से इन्दिरा लिफ्ट की योजना के लिए जवाब यह दिया जाता है कि साहब, गत वर्ष से इस योजना का सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं कि सात सालों में इस इन्दिरा लिफ्ट योजना का सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन उत्तर, जिस तरह के प्रश्न आते हैं, उस हिसाब से तो कभी कृषि विभाग, कभी इलेक्ट्रिक डिपार्ट-मेंट, कभी सिंचाई विभाग के माध्यम से इस योजना का सर्वे कराये जाने का प्रयास कराया जा रहा हैं। जब भी यह प्रश्न पूछते हैं, तो यही उत्तर मिलता है कि अभी इसका सर्वे कराया जा रहा है, जबकि मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि आपने इन्दिरा लिफ्ट योजना, जिसका सर्वे हुआ था, अगर यह योजना सवाई माधोपुर जिले

श्री शिवचरण सिंह (करौली)

16. करौली के इलाके की भरपूर सिंचाई योजना के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी)

17. कोट सोलंकियान-बांध (पाली) को सप्तम पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. सिंचाई उप खण्ड-बाली (पाली) के कोट बालियान-बांध के घोटाले की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. तहसील देसूरी (पाली) में कोट सोलंकियान–बांध को अग्रिम आय के अन्तर्गत स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़)
प्रो. केदार नाथ (श्री गंगानगर)

20. हरियाणा से भाखरा की नहरों में हमारे हिस्से का पूरा पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. घग्घर नदी की बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने से किसानों को सिंचाई कर से मुक्त किये जाने हेतु सिंचाई विभाग से अपने स्तर पर कार्यवाही कराने हेतु चर्चा के लिए।

22. घग्घर नदी की बाढ़ से डिप्रेशन्स के भरे जाने से सेम के खतरे पैदा होने से भयंकर तबाही पर चर्चा के लिए।

23. सिधमुख व नोहर फीडर के शीघ्र निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. गंग कैनाल लिंक चैनल के शीघ्र पूरे किये जाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़)

25. घग्घर नदी के बैड में बांधों पर खर्च होने वाली राशि में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार तथा हरमो नगर क्षेत्र को बाढ़ से बचाने में बरती गई लापरवाही पर चर्चा के लिए।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

26. चिराना-परसराम पुरा की नदी के तटों से पानी के बहाव से जन-धन की हो रही हानि पर चर्चा के लिए।

27. यमुना-गंगा का पानी तेजे वाले हैड से झुंझुनू जिले को नहीं मिलने से कृषि को हो रही हानि पर चर्चा के लिए।

28, किरोड़ी तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू के नये बांध में पानी रोकने तथा देख भाल नहीं करने से कृषि की हो रही हानि पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

29. पंचायत समिति झाड़ोल, उदयपुर में मोहम्मद फलासिया एनीकट को स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिए।

30. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, उदयपुर में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

31. नन्द समन्द सिंचाई योजना के आधुनिकीकरण हेतु राशि उपलब्ध कराने की चर्चा के लिए।

32. माण्डक सिंचाई योजना तथा बाघेरी सिंचाई योजना को अगली पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत कर वित्तीय राशि उपलब्ध कराने की चर्चा के लिए।

(114)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

33. पक्के खाला बनवाने में भारी गफलत व हेरा–फेरी से हो रही वित्तीय हानि पर चर्चा के लिए।

34. सरकार द्वारा तहसील कोलायत जिला बीकानेर के बी.जे.एम. माईनर बजू तेजपुरा को रोही तक पहुंचाने में अफसरों द्वारा किये जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिए।

35. कोलायत व गजनेर में लिफ्ट उच्चाटन योजना के कार्य की शुरुआत न करने से हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिए।

36. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आर. डी. 931 के उत्तर साईड में मोगा लगाने में सरकार द्वारा भारी पक्षपात बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आर. डी. 888 पर बांगड़सर लिफ्ट योजना नहीं बनाने से हरिजन किसानों में उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) :

38. सिंचाई विभाग के अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने बाबत चर्चा के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)
श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)
श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

39. आमेर जिला जयपुर में विभाग के अधिशाषी अभियन्ता एवं साथियों को अकाल राहत कार्यों में घोटाला करते रंगे हाथों सबूत व रिकार्ड सहित पकड़े जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने की चर्चा के लिए।

40. राज्य में अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं के कारण राज्य कोष को हो रही हानि पर चर्चा के लिए।

41. पांचना सिंचाई परियोजना में किये गये घटिया व अवैध निर्माण कार्यों के अवैध भुगतान की चर्चा के लिये।

42. जयपुर जिले में सिंचाई विभाग द्वारा कराये गये अकाल राहत कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये।

43. राज्य में सिंचाई की नहरों के पानी की चोरी को रोकने में सरकार की विफलता एवं अवैध तत्वों द्वारा उस पानी के बेचान की चर्चा के लिये।

44. सिंचाई विभाग के विभिन्न कार्यों में घटिया निर्माण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. सांगानेर स्थित गूलर बांध के पानी को नेवटा व रामसागर बांध की नहरों में सप्लाई की व्यवस्था के लिये जिम्मेदार अधिकारी के भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा के लिये।

46. चाकसू के चांदलाई बांध का पानी यूकिलप्टस की सिंचाई के लिये देने वाले दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के विषय में चर्चा के लिये।

47. सांगानेर के गूलर बांध की सांगानेर नहर के नेवटा मुहाना तक नहरी पानी के अवैध उपयोग, चोरी व बेचान करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

48. माही बजाज सागर योजना में करोड़ों रुपये के घोटालों की चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) :

49. सलूम्बर के सिंचाई उपखण्ड का कार्यालय पुनःस्थापित करने व सर्वे आफिस को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. उपखण्ड सिंचाई सलूम्बर में अधूरा चाटपुर ऐनिकट को पूरा करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह)

51. टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध न करवाये जाने पर चर्चा के लिए।

52. टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी)

53. गरड़दा सिंचाई परियोजना को शीघ्र आरम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. जलोती, करूंदी लघु सिंचाई परियोजनाओं की अग्रिम आयोजना सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत कराने हेतु चर्चा के लिये।

55. सिलवलीया, रेणु, खटकड़ सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा)

56. सपोटरा क्षेत्र के ग्राम रोधई में दरा के नाले पर एनीकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. सपोटरा क्षेत्र के भरपुरा की खोह ग्राम पंचायत निमेटा की सर्वे करवाकर बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. कालीसील बांध को 3 फीट ऊंचा करवाना व नहरों को पक्का करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. सपोटरा के रामधे बांध का तखमीना बन जाने पर भी स्वीकृतति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाने पर चर्चा के लिये।

60. चम्बल नदी के पानी को लिफ्ट द्वारा सपोटरा क्षेत्र में दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

61. सवाई माधोपुर जिले में कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होते हुये भी नहीं देने के कारण व्याप्त भारी असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा)

62. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के अपूर्ण बांध एतेबा छोलावाला बोधलकडू की राहत व नीजरा-मोरेना आदि को शीघ्र पूर्ण करवाने की चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी)

63. इन्दिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ वृत खण्ड रावतसर के सहायक अभियन्ता अधिशाषी अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा अपने अपने मुख्यालयों पर नहीं रहने के कारण जनता को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

64. तहसील लालसोट में अकाल राहत में कराये गये अधूरे एनीकट व बांधों को पूरा करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

65. मोरेल बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने के लिए 6 फीट ऊंचा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. मोरेल बांध की नहरों का कार्य मोरेल उपखण्ड लालसोट को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. लिनौरी सागर बांध के पानी का उपयोग लालसोट के किसानों के हित में नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. लालसोट में पहाड़ों के बीच नायला कुआ के समीप बांध बनाकर लाल–सोट कस्बे के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. मोरेल बांध की लिफ्ट नहर से लालसोट के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रशेखर (खैरथल)

70. खैरथल विधान सभा क्षेत्र में ग्राम भजेडा के चारों तरफ वर्षा का पानी भर जाने पर विभाग द्वारा उसे निकालने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

71. अलवर जिले के ग्राम खानपुर मेवान एवं ग्राम खोहा का बास में बनाये जा रहे बांधों में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

72. खैरथल विधान सभा के ग्राम इस्माइलपुर में भड़क बांध एवं पाटन मेवान के बांध को बनाने के क्रम में चर्चा के लिये।

73. खैरथल क्षेत्र में ग्राम चापरीया के बांध का काम बंद होने से उत्पन्न स्थिति के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (रानीवाडा)

74. जसवन्तपुरा के गांव राजपुरा में बान्ध बन जाने के बाद खेतों में पानी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांव केर के पास नदी पर बांध बनाने पर चर्चा के लिये।

76. जैतपुरा नदी पर बन रहे बान्ध को पुन: शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भूदरमल वर्मा (दौसा)

77. चांदराना बांध को 10 (दस) फीट ऊंचा करके दौसा क्षेत्र के करीब 100 गांवों के क्षेत्र को सिंचित करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

78. सिंचाई विभाग टोंक को उनि–यारा कस्बे में ककोड गेट से रघुनाथ जी मन्दिर तक "सड़क निर्माण" करने हेतु 2 लाख रुपये वर्ष 1985–86 में दिये थे पर आज तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

79. जिला टोंक में सिंचाई योजनाओं पर अधिक धन दिये जाने व अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं जैसे कि खुमरीया बांध, भानपुरा बांध व अन्य को पूरा कराने पर चर्चा के लिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (झालरापाटन)

80. झालावाड़ जिले की विपुल जल सम्पदा का सिंचाई में सदुपयोग करने की विभाग द्वारा योजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. झालावाड़ जिले की वृहद मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

82. झालावाड़ जिले में जलोत्थान योजनाओं की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

83. झालावाड़ जिले की नदियों एवं नालों में एनीकट एवं छोटे बांध बना कर सिंचाई क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़)

84 सरकार द्वारा सिंचाई हेतु पक्के खालों की कीमत माफ करने पर चर्चा के लिये।

85. जिला बीकानेर व श्री गंगानगर में भूदान की जमीन पर सरकारी खर्चे से पक्के खाले बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. सीलवानी, माईनर-हरडास वाली माईनर फुलेजी माईनर संगरासर माईनर उदयपुर माईनर आदि को कच्ची नहरें निकालकर छ:मासी नहरों से पानी दिये जाने पर चर्चा के लिये।

87. के.सी.जी., जी.बी. नहर की टेल पर पानी पूरा नहीं दिये जाने से किसानों के नुकसान का मुआवजा दिये जाने पर चर्चा के लिये।

88. सरपंच व पंच व किसान की देख रेख में कमेटियां बनाकर नहरों की सिल्ट निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विभाग द्वारा गन्ना चावल तथा बागों को अधिक पानी दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. पाइप खालों से किसानों को नुकसान होने पर चर्चा के लिये।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया)

91. जिला उदयपुर में पंचायत समिति धरियावाद व सलुम्बर के क्षेत्र में डूब में आई खाता बन्दी जमीन का मुआवजा नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)

92. पाली जिले में सिंचाई विभाग द्वारा एनिकट बांध व अधूरे कार्यों को पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन)

93. हिण्डौन क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)
श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर)

94. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण की धीमी गति एवं अन्य गतिरोधों पर चर्चा के लिये।

(118)

श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर)

95. विभाग द्वारा ट्यूब वैल बनवाकर झुंझुनू जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

96. हरसोरा बांध से सिंचाई के लिए निर्मित नहरों की मरम्मत पर चर्चा के लिये।

97. बेरोज मुंडावर जिला अलवर के बांध की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. मैनपुर बांस मुंडावर के पहाड़ों से बहने बहने वाले पानी के सिंचाई के उपयोग में लाने हेतु बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. भुनाराड़ा अहीर तहसील मुंडावर जिला अलवर के पुराने बांध के निर्माण के क्रम में चर्चा के लिये।

100. बिरटोली बांध जिला अलवर के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

101. गंगा और यमुना की बाढ़ के पानी को झुंझुनू जिले में लाकर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

102. झुंझुनू जिले में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माणक डाणी (ब्यावर)

103. ब्यावर में फोटर काबरा फीडर की स्वीकृति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा)

104. कालख बांध से आसलपुर मुख्य नहर पर इन्द्रगढ़ के पास पुलिया नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. कालख बन्ध के ऊंचा उठाने पर भराव में आये मकानों का गत 6 साल से आवाद तैय होने पर भी मुआवजा नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

106. गत साल अकाल राहत में सिंचाई विभाग से निर्मित काजीपुरा, इन्द्रगढ़, भैंसलाना, पचकोडिया, कावरों के बास छावड़िया, मच्छर खानी, मुडौती में सामग्री के अभाव में अधूरे रह गये एनिकटों को पूरा नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. लालासर, रेनवाल के बाढ़ बचाव कार्य में सामग्री के अभाव में अधूरे रह जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. जोबनेर में 15 साल पूर्व सिंचाई विभाग की टूटी नहर की मरम्मत नहीं कराई जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. घाटी डूंगरी बन्ध के निर्माण में खारी मिट्टी काम में लिये जाने से बन्ध के टूटने से बचाने का इन्तजाम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़)

110. घग्घर का पानी चक 69 जी. बी. व 70 जी. बी. के सामने रेत के टीले को हटाकर चक 6 पी–4, पी. जी. एम. व

(श्री हंसराज मिढ़ा)

अनूपगढ़ ब्रांच नहर में देने के आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. घग्घर के पानी को अनूपगढ़ तथा सूरतगढ़ बांध के किसानों को देने पर चर्चा के लिये।

112. घग्घर फ्लड के पानी को सड़क व रेल्वे लाइन के नीचे से साइफन रखकर 31 जी. बी. –32 जी. बी. –36 जी. बी., 38 जी. बी. –41 जी. बी. 48 जी. बी., 50 जी. बी. –51 जी. बी. के चकों में वाटर कोर्स या मान्य बनाकर 58 जी. बी. –48 जी. बी. बी–40 जी. बी. 39 जी. बी. 64 जी. बी. -59 जी. बी. -65 जी.बी. 66 जी. बी. 72 जी. बी. के चकों को दिये जाने पर चर्चा के लिये।

113. घग्घर फ्लड का जो पानी बह–कर पाकिस्तान चला जाता है. उसको जी. बी. एरिया में छः मासी नहरें निकालकर दिये जाने पर चर्चा के लिये।

114. छः मासी कच्ची नहरे बनाकर बहते पानी का सदुपयोग करने की आवश्य–कता पर चर्चा के लिये।

115. पंजाब से पूरा पानी लेने की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. अधूरी गंग कैनाल लिंक को शीघ्र पूरी कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. सूरतगढ़ ब्रांच के चक 4 आर. टी. एम. के किसानों को पूरा पानी न मिलने से किसान की फसल नष्ट हो जाने पर चर्चा के लिये।

118. सूरतगढ़ ब्रांच के चक 5 यू. डी. एम. के मोघे से पानी पूरा न मिलने संबंधी शिकायत के बावजूद विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

119. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में चक 2 के. पी. डी. का माघा ठीक नहीं करने उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

120. माइनर को आगे बनाकर चक 5 आर. एम. के किसानों को पानी दिये जाने पर चर्चा के लिये।

121. अमरपुरा–सीलवानी को कोमली वाली ढाणी को अनूपगढ़ शाखा से पानी दिये जाने पर चर्चा के लिये।

122. जी. बी. नहर सिल्ट निकालकर किनारों पर लगाई जाकर 285 क्यूसेक पानी के बजाए 400 क्यूसेक दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. घग्घर फ्लड के पानी से चक 5 जी. बी. हैड रेगूलेटर बनाकर चक 5 जी. बी. 7 जी. बी., 10.11–15–16 जी.बी. 17–18–19–20–21 जी. बी. 27–26–29 जी. बी. 33-34-35, 39-40-48-58 जी. बी. तक नहर निकालने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर)

124. भरतपुर को यमुना का पानी नहीं देने तथा राजस्थान को यमुना जल में हिस्सा निर्धारण नहीं करा पाने की असफलता पर चर्चा के लिये।

120

(श्री नत्थीसिंह)

125. भरतपुर जिले में बाढ़ के प्राबियाना को सरकार द्वारा वसूली स्थगन आदेश के बावजूद वसूल किये जाने पर तथा उस सम्बन्ध में मल्हान कमेटी की रिपोर्ट की क्रियान्विति नहीं करने पर चर्चा के लिये।

126. भरतपुर जिले के बांधों की समुचित देखरेख की कमी एवं सिंचाई के इनन्डेशन सिस्टम के सही रख रखाव की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू)

127. सिंचाई विभाग के अधूरे कार्यों को पूरा करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. सिंचाई विभाग के निलम्बित कर्मचारियों को तुरन्त बहाल करके उन पर विभागीय जांच चलाये जाने की आवशककता पर चर्चा के लिये।

129. राजस्थान नहर को अविलम्ब पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. सिंचाई विभाग से जिन कर्मचारियों को निकाला गया है उनको फिर से नियुक्तियां दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. सिंचाई विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खां (पुष्कर)

132. नदी सराधना II की अपूर्ण रपट को पूरी करने हेतु चर्चा के लिये।

133. अजमेर जिले की सेठन बांध की चद्दर को ऊंची कराने हेतु चर्चा के लिये।

134. अजमेर जिले की ऊंटडा बांध की रामनेर की ढाणी तक जाने वाली नहर को पक्की कराने हेतु चर्चा के लिये।

135. अजमेर जिले में सराधना दर्रे बांध की चैनल फीडर पक्की कराने पर चर्चा के लिये।

136. पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की नदी सराधना की अपूर्ण रपट को पूर्ण करवाने हेतु चर्चा के लिये।

137. अजमेर जिले के गोविन्दगढ़ बांध का विचाराधीन तकमीना सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट की स्वीकृति शीघ्र दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में गत वर्ष सिंचाई विभाग द्वारा कराये गये अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

139. बांसवाड़ा जिले के माही डेम की बांयी मुख्य नहर को माइनर नहर से छोछ गराडिया रामरिया राठौड़ लिफ्ट लगाने के विषय पर चर्चा के लिये।

140. बांसवाड़ा जिले के माही डेम की पक्की नहरों में सीमेंट की कमी से नहरें टूटने पर जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. बांसवाड़ा जिले के गांव वीरपुर में अधूरे एनीकट को पूरा करने पर चर्चा के लिये।

(श्री बहादुरसिंह)

142. बांसवाड़ा जिले में हरेक नाले पर स्टोप डेम बना कर सिचाई की सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

143. बांसवाड़ा जिले के गांव नादिया में लिफ्ट योजना को सर्वे कराने के लिए कई बार प्रस्ताव भेजने पर भी सर्वे नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

144. बांसवाड़ा जिले के गांव अवा–पुरा में लिफ्ट मन्जूर होने के बावजूद कार्य चालू नहीं होने पर चर्चा के लिये।

145. बांसवाड़ा में माही बजाज सागर के बांयी मुख्य नहर पर गांव भापुर, पानियाला, लिमथान, कर्जो इटावा, पाटन आदि लिफ्टों की मन्जूरी आने पर भी कार्य चालू नहीं होने पर चर्चा के लिये।

146. बांसवाड़ा जिले के माही पुल गेमन लिफ्ट योजना की सर्वे नहीं होने पर चर्चा के लिये।

147. बांसवाड़ा जिले के नाथपुरा कलां लिफ्ट योजना की सर्वे करने पर भी मन्जूरी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

148. बांसवाड़ा जिले के गांव छाप–रियां का एनीकट अधूरा छोड़ने पर जांच करा कर कार्य पूरा करवाने पर चर्चा के लिये।

149. बांसवाड़ा सब डिविजन सिचाई विभाग की तरफ से वघेरी बांध का कार्य अधूरा होने पर चर्चा के लिये।

150. बांसवाड़ा जिले में सिंचाई की नहरें पक्की नहीं होने पर कास्तकारों के खेत खराब होने पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

151. जिला टोंक के गलवा बांध को "मोडनाइजेशन" के तहत धन राशि आवंटित नहीं करने से उस बांध का निर्माण कार्य अधूरा ही रहा है उस पर धन राशि अधिक दिलाने पर चर्चा के लिये।

152. जिला टोंक के सिंचाई उप-खण्डों का पुनः निर्धारण न करने से उनियारा व टोंक खण्डों के कृषकों को असुविधा पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर)

153. गंगा जमुना के फ्लड के पानी को नीम का थाना में लाने के लिये वृहद योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

154. तहसील श्रीमाधोपुर में बह रही बरसाती नदियों पर बांध बनाने पर चर्चा के लिये।

155. श्रीमाधोपुर तहसील (सीकर) में विभाग द्वारा बनाये जा रहे खिरोटी व हरदास का बास II बांध का कार्य चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. श्रीमाधोपुर (सीकर) तहसील में सिचाई के लिये बांध बनाने का स्कोप होते हुए भी उस पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

157. पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र की

(122)

(श्री हीरालाल आर्य)

नहरों में क्षमता के अनुरूप पानी नहीं छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

158. पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र की नहरों की टेल पर पानी नहीं पहुंचने से सिंचाई नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

159. चम्बल क्षेत्र में बाराबंदी हेतु राशि आवंटित किये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

160. कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में चल रही सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

161. बूंदी जिले के पापड़ा (वयाकन नदी) मध्यम सिंचाई परियोजना को स्वीकृति में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये ।

162. इटावा (कोटा) में सूंकनी साइफन से पश्चिम की ओर रनोदिया गांव तक सिंचाई हेतु ड्रेन बनाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

163. कोटा बैराज के नीचे बहा दिये जाने वाले पानी का सिंचाई हेतु उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

164. कोटा बैराज में भरी मिट्टी को निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

165. विभाग में अनावश्यक, बड़े पदों को समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

166. चम्बल क्षेत्र में नहरों के रख रखाव एवं देखभाल के लिये पर्याप्त कर्मचारी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

167. चम्बल क्षेत्र की नहरों का रिमोडलिंग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

168. चम्बल क्षेत्र की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

169. चम्बल की नहरों एवं ड्रेनों की खुदाई में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा शीघ्र चुकाये जाने पर चर्चा के लिये ।

170. कोटा एवं बूंदी जिले में हुए केचमेंट की रकम माफ किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

171. कोटा एवं बूंदी जिले में हुए केचमेंट में बरती गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

172. कोटा एवं बूंदी जिले में हुए केचमेंट में किसानों से दो प्रकार की कीमत वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये ।

173. कोटा जिले की दांई मुख्य नहर से लिफ्ट सिंचाई योजनाएं स्वीकृत करने में किये जा रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये ।

174. कोटा जिले की गनेशगंज लिफ्ट योजना को चालू करने विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

175. चम्बल क्षेत्र के द्वितीय चरण के कार्य को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री हीरालाल आर्य)

176. चम्बल क्षेत्र के द्वितीय चरण में किये जाने वाले ड्रेनों के कार्य को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. चम्बल क्षेत्र में ड्रेनों एवं प्राकृतिक ड्रेनों पर पुलियाएं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

178. कोटा जिले के इटावा कस्बे में अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. सिंचाई खण्ड द्वितीय का कार्यालय अन्ता के बजाय इटावा में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. इटावा (कोटा) में सिंचाई अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय हेतु निर्मित भवन के क्षतिग्रस्त होने पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर)

181. तहसील नगर के सीकरी सिंचाई सिस्टम में विगत वर्ष में स्वीकृत राशि का भी विभाग द्वारा कार्य न करवा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. तहसील नगर में अलवर से घाट खूटेटा पर सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ के पानी को रोकने की व्यवस्था कर बाढ़ से नुकसान का बचाव व सूखे में सिंचाई के कार्य में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्री किरोड़ी लाल मीणा (महुआ)
श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार)

183. जयपुर में जल महल के जल को केवल जयसिंहपुरा खोर के खेतों को सिंचाई के लिये रिजर्व किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. गांवों के बड़े बन्धों को जो सिंचाई के योग्य हो सकते हैं उनका विस्तृत सर्वे कर उन्हें सिंचाई योजना में जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. अन्य राज्यों से अपने हिस्से का पूरा पानी लेने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

186. पेयजल बन्ध जमवारामगढ़ से अवैध तरीके से सिंचाई के लिये जल लिये जाने से उत्पन्न व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

187. जयपुर जिले में सिंचाई के सभी श्रोतों का संचय व दोहन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. वृहद सिंचाई योजनाओं का विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. राज्य की बरसाती नदियों की एक एक बूंद सिंचाई कार्यों के लिए सुरक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. सिंचाई योग्य बांधों को और गहरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. कानोता बांध से सिंचाई प्रकरण

(124)

(श्री कालीचरण सराफ)

समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर)

192. कोटा जिले के चम्बल लिफ्ट सोरखण्ड एवं काचरी का कार्य लगभग पूर्ण होने पर भी लिफ्ट योजनाओं हेतु धन आवंटित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

193. कोटा जिले के पंचायत समिति अन्ता में लिफ्ट खुद जाने पर भी किसानों को भूमि एवं फसलों का मुआवजा न देने पर चर्चा के लिये।

194. कोटा झालावाड़ एवं बूंदी जिले को सिंचाई योजनाओं के लिए आवंटित बजट को प्रदेश की अन्य योजनाओं को आवंटित कर देने पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल)

195. कृषि भूमि का माही प्रोजेक्ट बांसवाड़ा द्वारा समय पर मुआवजा नहीं दिये जाने की चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

196. जिला बांसवाड़ा के सिंचाई विभाग द्वारा 5200 बोरें सीमेन्ट के सम्बन्ध में हुई अनियमितताओं की जांच शीघ्र पूर्ण करवा कर दोषी व्यक्ति को दण्डित किये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

197. जिला बांसवाड़ा के खण्ड कुशलगढ़ सिंचाई विभाग द्वारा 1600 बोरी सीमेन्ट को बेच देने पर चर्चा के लिये।

श्री वरसिंह (कुशलगढ़)

198. इमली-झरन एनीकट को पूरा कराने के लिये धन राशि को स्वीकृत कराने की चर्चा के लिये।

199. माही की लिफ्ट योजनाओं को स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)

200. मुख्य इन्दिरा गांधी नहर की आर. डी. 40 से लेकर आर. डी. 642 तक जिन किसानों को पुख्ता रूप से आवंटन है उन्हें उपरोक्त नहरों के भागों से सिंचाई विभाग द्वारा पानी उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. पूंगल ब्रांच को मुख्य वितरिका एवं आउट लेटों पर सिंचाई हेतु खालें नहीं बनाये जाने से उत्पन्न हालत पर चर्चा के लिये।

202. के. जे. डी. नहर क्षेत्र के चकों में खोला नहीं बनाने से किसानों को पानी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

203. दंतोर ब्रांच के चकों में आज तक सर्वे एवं सिंचाई हेतु पक्के खालों का निर्माण नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

204. विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में खालों का डिजाइन नया एवं कमजोर बनवाने से पूरा पानी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

205. सिंचाई विभाग द्वारा सलासर माइनर के निर्माण कार्य को धीमी गति से करने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

206. के. जे. डी. नहर के 18 से 44 तक के चकों में विभाग द्वारा पानी उपलब्ध नहीं कराने से किसानों में उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये।

207. चक 28 के. जे डी. का सिंचाई विभाग द्वारा किए गए गलत सर्वे करवा कर 3-4 चक और बना कर पूंगल ब्रांच के नजदीक के रकबे को सिंचाई हेतु पानी देने पर चर्चा के लिये।

208. चक 16 बी. एल. डी. के ए व बी के चकों में सिंचाई हेतु किसानों को खाला बना कर न देने से हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये।

209. बी. एल. डी. वितरिका के चकों में सिंचाई विभाग द्वारा खाले बना कर किसानों को समय पर पानी न देने से किसानों को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

210. डी. के. डी. वितरिका के चकों में किसानों के सिंचाई हेतु खाले नहीं बनवाने से किसानों को सही ढंग से पानी उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

211. एल. के. डी. वितरिका के लगभग 17 चकों में सिंचाई के लिये विभाग द्वारा लम्बे अर्से तक किसानों को पक्के खाले बनाकर पानी नहीं उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये।

212. बीकानेर जिले के ग्राम नोखा में सिंचाई विभाग कृषि के लिए इस पानी के उपभोग हेतु योजना बनाने में असफल रहा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही)

213. शिवगंज सहायक अभियन्ता सिंचाई को जीप आवंटन कराने बाबत चर्चा के लिये।

214. शिवगंज में सहायक अभियन्ता सिंचाई के कार्यालय के निर्माण की चर्चा के लिये।

215. रघुनाथपुरा बांध की नहर बादला क्षेत्र में नहीं आने से फैले असंतोष पर चर्चा के लिये।

216. कृष्ण सागर बांध की भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. गोडाना बांध ध्रुबाण बांध व काना कोलर बांध के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. सुकडी सेलवाड़ा सिंचाई परियोजना को जनहित में शीघ्र मन्जूर कराने हेतु चर्चा के लिये।

219. शिवगंज तहसील की दुदेला हाडा नाडा बांध खेजडीया बांध, मोचाली बांध, मोरली बांध, बेराबीलपुर बांध, कलदरी बांध जोगापुरा बांध को पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये।

220. फुंगनी बांध, कालन्द्री बांध, बालदा बांध, तेलपीखेडा बांध का सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामलाल सोलंकी)

221. सिरोही जिले में एन.आर.ई.पी. योजना में स्वीकृत सिंचाई कार्यों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. सिरोही जिले में सिंचाई परियोजनाओं का सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. शिवगंज तहसील में जवाई बांध से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

224. कानाकोलर बांध की नहरों को पक्का नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

225. बरलुर बांध वास्ते स्वीकृति के सम्पूर्ण कार्यवाही करने के बावजूद भी धन–राशि आवंटित नहीं करने पर चर्चा के लिये।

226. नवादा, नून, वेलागरी, निम्बोडा, मोहब्बतनगर, राजपुरा बालदा सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

227. माईलागोड बांध सिंचाई परि–योजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. कामेरी बांध को नहर का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

229. काना कोलर बांध की भराव क्षमता के अनुरूप पानी नहीं आने पर चर्चा के लिये।

230. सिंचाई परियोजना पेचदेवल बांध, रोबाडा बांध, बड़गांव बांध बडा बेरा बांध की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

231. शिवगंज तहसील में पिछले पन्द्रह वर्ष से कोई भी नई सिंचाई परियो–जना स्वीकृत नहीं करने पर चर्चा के लिये।

232. सिरोही जिले को अन्य जिलों के मुकाबले सिंचाई परियोजनाओं में धनराशि कम आवंटन करने पर चर्चा के लिये।

233. ओडा बांध के आधुनिकीकरण हेतु मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृति के बाद भी धनराशि आवंटन नहीं करने पर चर्चा के लिये।

234. शिवगंज तहसील के कैलाश नगर बांध की सभी कमियाँ पूर्ण करने के बावजूद बांध के निर्माण की स्वीकृति नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर–ग्रामीण)

235. बारह माह पानी से सिंचाई करवाने हेतु चर्चा के लिये।

236. हरिश्चन्द्र सागर की नहरों व गांवों को जाने वाले रास्तों पर विभाग द्वारा पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

237. हरिश्चन्द्र सागर योजना के तहत कोटा जिले के धाना होडा के यहां सड़क पर कर न लगा कर 3 वर्षों से बाकी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पड़ी हुई को सिंचाई न करने बाबत चर्चा के लिये।

238. कोटा जिले के किसानों को हरिश्चन्द्र सागर में आई जमीन के मुआ–वजों के एवार्ड न देने से किसानों की लाखों रुपयों की बकाया के भुगतान कराने हेतु चर्चा के लिये।

239. झालावाड़ जिले की भीमसागर योजना के कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

240. कोटा जिले की डाहरा चौमा खाती खेड़ा में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा न देने से किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

241. कोटा जिले की डाहरा चौमा खाती खेड़ा योजनाओं पर लाखों रुपया व्यय कर देने के बावजूद लक्ष्य के मुताबिक सिंचाई क्षमता प्राप्त न कर सकने व उक्त बांधों में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

242. चम्बल नहर से दीगोद विधान सभा क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई शुरू करवाने बाबत चर्चा के लिये।

243. चम्बल की दांई मुख्य नहर क्षेत्र में बिल्कुल भी सिंचाई नहीं हो पाने पर चर्चा के लिये।

244. कोटा की चम्बल की दांई मुख्य नहर को सिंचाई सुविधा देने में दिन प्रति दिन प्रति वर्ष क्षमता हीन होती जा रही है इस पर चर्चा के लिये।

245. कोटा नहर स्थित चम्बल को दांई मुख्य नहर के लिए पर्याप्त धन न देने से लाखों गेलन पानी व्यर्थ चले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

246. चम्बल की नहर से व्यर्थ पानी मारल्या के पास से बह कर उक्त ग्राम का रास्ता अवरूद्ध होने से पुलिया ऊंची बनाने बाबत चर्चा के लिये।

247. कोटा चम्बल से सही प्रकार से पानी मिले इस हेतु किसानों की विभाग द्वारा ग्राम समितियां बनाने बाबत चर्चा के लिये।

248. कोटा जिले में सिंचाई की पर्याप्त संभावनाएं होने पर योजनाएं लागू करवाने बाबत चर्चा के लिये।

249. चम्बल के जवाहर नहर का चेचट रामगंज मंडी में निर्माण करवाकर सुविधा मुहैय्या करवाने बाबत चर्चा के लिये।

250. मनोहर थाने के पास काली–सिन्ध सहित तीन बड़ी नदियों पर बांध बनवाने बाबत चर्चा के लिये।

251. जाखम परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

252. बाराबंदी के नाम पर रुपया व्यर्थ ही व्यय कर देने एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

253. चम्बल क्षेत्र में बाराबंदी की व्यवस्था करवाकर काश्तकारों को पर्याप्त पानी पहुंचाने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

254. सिंचाई सम्बन्धी अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. किशोरपुरा नहर के किनारे बनाई गई सड़क की मरम्मत कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

256. चम्बल के प्रथम क्षेत्र में बनी सड़कों के लिए व उक्त कार्य हेतु मरम्मत आदि के लिये पर्याप्त धन का बजट में आवंटन करने बाबत चर्चा के लिये।

257. चम्बल विकास विभाग द्वारा वित्तीय द्वितीय फेज का कार्यक्रम लागू करने बाबत चर्चा के लिये।

258. चम्बल नहर जोन का रास्ता अवरूद्ध होने पर उचित व्यवस्था करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

259. सिंचाई क्षमता के बावजूद नहरों का अपूर्ण कार्य पूरा न करने पर चर्चा के लिये।

260. कोटा जिले की प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

261. माही योजना में लोहे की चोरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

262. बिसलपुर योजना में लाखों रुपयों के घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

263. झालावाड़ जिले की छापी योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

264. चम्बल की नहर में कालीसिन्ध व परवत की नदियों का पानी लिफ्ट करके मुख्य नहर में डालने की बाबत चर्चा के लिये।

265. चम्बल की बांई मुख्य नहर की मुख्य कैनाल से जनता राज्य में कोई कर लगाकर किसानों की सिंचाई सुविधा मुहैय्या करवाने बाबत चर्चा के लिये।

266. चम्बल क्षेत्र की बांई मुख्य नहर के लिए पर्याप्त धन-राशि उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

267. सिंचाई क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कराने से उत्पन्न जन आक्रोष पर चर्चा के लिये।

268. केचमेंट का धन अन्य राज्य सरकारों की तरह सरकार द्वारा वहन करने बाबत चर्चा के लिये।

269. चम्बल के केचमेंट में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

270. कोटा बैराज की भराव क्षमता 2 फुट बढ़ा देने के बावजूद मुख्य नहरों की डिजाइन न बदलने बाबत व प्रस्तावित योजना के तहत 2 फुट और भराव क्षमता के लिए कार्य प्रारम्भ करवाने पर चर्चा के लिये।

271. प्रभावी व्यक्तियों व राजनैतिक दवाब के कारण लाखों रुपया सिंचाई शुल्क वसूल न कर पाने बाबत चर्चा के लिये।

272. कोटा जिले की परवन लिफ्ट योजना का पैसा इसी वर्ष अन्य योजना में

(श्री दाऊदयाल जोशी)

ट्रांसफर कर कोटा जिले के साथ अन्याय करने पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

273. फतेहगढ़ कालवकलां, बेलपना, धौंस के बेरी नदियों का सर्वे कर छोटे-छोटे बांध बनवाने पर चर्चा के लिये ।

274. तहसील रायपुर के गत वर्षों के कार्यों में रेवतसर धामातली खड़ीन कार्य कानूछा चौकी टौला रेलड़ा का अविलम्ब भुगतान करवाने पर चर्चा के लिये ।

275. गिरी नंदा बांध के नहर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किये जाने पर चर्चा के लिये ।

276. दीपावास रायपुर बांध के डूब में आये खातेदारों की भूमि बिना मुआवजा लिये सिवाय चक भूमि को उपलब्ध नियमों के अनुसार खातेदारी देने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये ।

277. पाली जिले के गजनाई बांध का निर्माण कार्य स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये ।

278. दीपावास रायपुर बांध के एरिया में धोली घेड राजस्व गांव तक नहर का विस्तार किये जाने पर चर्चा के लिये ।

279. जैतारण एवं रायपुर तहसील के सहायक अभियंता कार्यालय दोनों तहसीलों के मध्य स्थित कर मुख्यालय पर लाये जाने पर चर्चा के लिये ।

280. झिलमिल बांध बिराटिया खुर्द की कमाण्ड एरिया बिराटिया कलां तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

281. दीपावास रायपुर बांध से गणेश सागर तालाब रायपुर को नहर बना कर भरा रखा जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

282. झिलमिल बांध रायपुर तहसील में पानी की उपयोगिता नहीं होने से प्रस्तावित ताजपुरा की नहर का निर्माण शीघ्र करवाया जाने पर चर्चा के लिये ।

283. गत वर्षों के अधूरे कार्य जवाहर योजना व डी.डी.वी. शीघ्र पूर्ण करवाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)

284. पाली जिले के गांवों को विभाग द्वारा डार्क जोन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

285. पाली जिले में फूटे हुए चिरपटियां बांध को ठीक करवाने एवं पहाड़ी एरिया में एनीकटों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

286. नवनिर्मित अपूर्ण बांध खोखरिया, नारी का नाका, गुलर, डिबोलाई, परबतसर, पीपोलाई बांध गांगवा, पालड़ी कडवा, राबड़ियाद, केवलाद, झरना, पीपलाद, खारीबाली भकरी, भूरावाला नाडा-तोडापीलवा, रघुनाथपुरा, धोंकलिया खारिया, बाजोली, को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री मोहन लाल चौहान)

287. कालीदे वाला, बसी, मुंसाणी वाली, जंजीला, उरेवाला, बेराधोलिया परासियां की ढाणी, नाका, पीलवा पश्चिम, भादड़ा में एनीकट बांधों का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

288. तहसील परबतसर में पुराने बांधों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

289. पंचायत समिति परबतसर में नये बांधों का सर्वे कराकर तकमीना तैयार कराने पर चर्चा के लिये।

290. कुओं का जलस्तर ऊंचा उठाने की दृष्टि से नये बांधों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

291. कलावा (साजियाली पंचायत) बालोतरा में बाढ़ नियंत्रण हेतु बांध बनाने पर चर्चा के लिये।

292. बाड़मेर जिले में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं अधूरी रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

293. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अधिशाषी अभियन्ता का पद सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

294. बालोतरा में सिंचाई विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

295. इन्दिरा गांधी नहर से जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों की सिंचाई में आई बाधाओं पर चर्चा के लिये।

296. बाड़मेर जिले में बांधों द्वारा 3 वर्षों में की गई सिंचाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

297. लूनी नदी पर स्थान स्थान पर बीच में बांध बनाकर नदी के बहाव को रोकने से शेष बाड़मेर–जालोर जिले एवं नेड क्षेत्र में सिंचाई में उत्पन्न गम्भीर संकट के निवारण हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पन्नालाल (बागीडोरा)

298. सिंचाई विभाग द्वारा एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी. के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

299 माही नहर आनन्दपुरी को पूरा नहीं कराये जाने से किसानों को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये।

300. सिंचाई के अधूरे कार्यों को योजना बद्ध तरीके से सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लेकर पूर्ण करवाने पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

301. चम्बल के विकास कार्यों हेतु अगली वित्त स्वीकृति दिलाई जाने एवं अधूरे कार्यों को अतिशीघ्र पूरा करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

302. चम्बल क्षेत्र में नहरों की डिजाइन बदली जाकर सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाने पर चर्चा के लिये।

303. कोटा बेराज में कीचड़ एवं

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

गन्दगी भर जाने से पानी का स्तर कम हो जाने से बेराज की ऊंचाई बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये।

304. चम्बल की नहरों की आवश्यकतानुसार मरम्मत करवाई जाकर बेकार बह रहे पानी को रोक कर सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाने पर चर्चा के लिये।

305 बांई मुख्य नहर चम्बल क्षेत्र कोटा के अधिशाषी अभियन्तों का कार्यालय तालेड़ा एवं केशवराय में रखा जाने पर चर्चा के लिये।

306. बांई मुख्य नहर विभाग के टेल क्षेत्रों के खटियाडी एवं लबान में सहायक अभियन्ता के कार्यालय खोले जाकर कृषक वर्ग को अन्तिम छोर पर पानी दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

307. केशवराय पाटन एवं कापरेन में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं को अपने मुख्यालयों पर रहने के लिये पाबन्द किया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़)

308. सिंचाई विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन नहीं करने से हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये।

309. मंजूरी प्राप्त हो जाने पर भी सिंचाई विभाग के एडीशनल चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ का कार्य शुरू न करने से हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

310. चक नं. 55 जी.बी.–56 जी.बी. 31 जी.बी. 29 जी.बी. 33 जी.बी. के रकबों को सूरतगढ़ ब्रांच व अनूपगढ़ ब्रांच से पानी देने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

311. जी.बी. नहर (किशी जी) की क्षमता 400 क्यूसिक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़)

312. सदियां बांध का अधूरा कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

313. अधिकारियों के खिलाफ गबन व घोटालें बाबत चल रही जांच व मुकदमें पर तुरन्त कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

314. इन्दिरा गांधी नहर निर्माण में बड़े टेण्डर न लगाकर छोटे टेण्डर लगाकर कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

315. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना वृत-III का हैड क्वाटर फलोदी नहीं रखा जाने की महत्वता पर चर्चा के लिये।

316. जोधपुर जिले में एन.आर.ई.पी. व आर.एल.जी.पी. के अधूरे कार्यो को सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़)

317. रायसिंह नगर तहसील के बारानी क्षेत्र को घग्घर फ्लड का पानी सूरतगढ़ ब्रांच में डाल कर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(132)

(श्री हंसराज मिढ़ा)

318. सिलवानी फुलैजी हरडास वाली सिगरासर–उदयपुर-मालेर-राजीयासर आदि गांवों को माइनर निकाल कर पानी नहीं दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

319. चक 5 जी.बी. 7 जी.बी. 8 जी.बी. 10 जी.बी 11 जी.बी. 12 जी.बी. 14 जी.बी. 15 जी.बी. 16 जी.बी. 17 जी.बी. 18 जी.बी. 19. जी बी. 26 जी.बी. 27 जी.बी. 29 जी.बी. 33 जी.बी. 34 जी.बी. 35 जी.बी. 39 जी.बी. 40 जी.बी. 48 जी.बी. 58 जी.बी. 60 जी.बी. व अन्य चक जो अनुपगढ़ ब्रांच व सूरतगढ़ ब्रांच से लगते हैं को पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

320. 29 जी.बी. का चक बहुत लम्बा होने से चक के टेल का रकबा शिवपुरी सब माइनर सूरतगढ़ ब्रांच पर लगाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

321. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किसानों के चकों में कई पौधे बहुत ऊंचे लगे होने के कारण पानी पूरा नहीं दे पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

322. 33 जी.बी. का चक बहुत बड़ा होने से इसके 2 चक किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

323. सवाईमाधोपुर जिले में सिंचाई हेतु उपलब्ध समस्त पानी की योजनाएं बनाकर उपयोग में लेने हेतु चर्चा के लिए।

324. गंगापुर कानी खो.बांध का कार्य अब सिंचाई विभाग द्वारा प्रारम्भ कर पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

325. गम्भीरी नदी पर एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

326. कालीसिल बांध (सपोटरा) को 3 फीट ऊंचा उठाकर गंगापुर क्षेत्र के ग्राम हीरापुर–वाढरायसर टरवाडा, नारा–यणपुर आदि को सिंचाई हेतु पानी दिल–वाने की चर्चा के लिये।

327. चूली का बांध गंगापुर का अधूरा कार्य शीघ्र पूरा करवाने की चर्चा के लिए।

328. दुर्ग बी. कालीधे, चूलीधे, योजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने की चर्चा के लिये।

329. पीपल्दा, पीपलोट योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करवाकर कार्य प्रारम्भ कर-वाने की चर्चा के लिये।

330. इन्दिरा लिफ्ट योजना का सर्वे शीघ्र सम्पूर्ण करवाकर योजना को शीघ्र स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करवाने की चर्चा के लिये।

331. पांचना की नहरों के धौरे शीघ्र बनाकर सिंचाई हेतु पानी दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

332. पांचना बांध से ग्राम कुसाया, रायपुर, मेडी, फुलवाडा ,पावटा, वजीरपुर, सेवा, स्यारोली, भीना बडोदा, घोटा उदेई आदि ग्रामों को लिफ्ट द्वारा सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने की चर्चा के लिये।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

333. पांचना परियोजना की अभी तक स्पील वे का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

334. पांचना परियोजना कटोली को शीघ्र सम्पूर्ण करवाने की चर्चा के लिये।

335. बनास एवं चम्बल नदियों का पानी सिंचाई हेतु सवाईमाधोपुर जिले में दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

336. कापरेन सहायक अभियन्ता कार्यालय एवं चम्बल कालोनी कापरेन में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए।

337. चम्बल की नहरों को प्राथमिकता से मरम्मत कर टूटें फाल, पुलियाएं, साइफनों को फिर से बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

338. बून्दी जिले की स्वीकृत मेज परियोजना को अति शीघ्र चालू करवाने पर चर्चा के लिए।

339. कोटा क्षेत्र में ड्रेनों पर पुलियाएं बनाई जाकर जन समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिए।

340. केशवराय पाटन ब्रांच में घाट का बराना के पास से चम्बल नदी से पानी लिफ्ट करके अन्तिम छोर पर पहुंचाये जाने पर चर्चा के लिए।

341. कापरेन ब्रांच पर बलकासा राजवाह, मलिकपुरा राजवाह, डगारिया राजवाह आदि नहरों की खुदाई करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

342. चम्बल क्षेत्र में ड्रेनों की सफाई कर कृषकों को राहत दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

343. चितावा राजवाह के कानेड़ा, भूबांसा, छरकवोड़ा, कोडीजा, मायजा, बनियानी, करवाला आदि गांवों को नहरों की सफाई कर पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

344. मानोली–कोड़किया, बालाजी भासीजी का बराना आदि गांवों के क्षेत्र स्थित नहरों की सफाई करने पर चर्चा के लिए।

345. मारवीया, बरूवाड़ा, पापड़ी, बड़ा खेडा लबाम देई खेड़ा, डगरिया प्रतापगढ़, रेवारपुरा नाताड़ा, खेड़ा आदि ग्राम पंचायतों के गांवों में नहरें सुधार कर समय पर पानी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

346. धान की फसल के बाड चन्ने की ली जा रही फसल में सिंचाई नहीं होने से सिंचाई शुल्क नहीं लिया जाने पर चर्चा के लिए।

347. बगली, पीपला थाग के राजस्व क्षेत्र में चम्बल पर फाटा खाल पर लिफ्ट सिंचाई द्वारा सिंचाई योजना चालू कर कृषि उपज बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

348. चम्बल में नहरों पर कार्यरत बेलदार, गेजरिडर, मेट आदि के पदों में

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

349. मेज परियोजना को लाखेरी तक बढ़ाया जाकर अधिक गांवों को सिंचाई का लाभ पहुंचाया जाने पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर)

350. भीम सागर बांध झालाबाड़ से निकाले धौरों के निर्माण में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिए।

351. झालावाड़ जिले की छापी परियोजना के धन का व्यय अन्य कामों पर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

352. झालावाड़ जिले की छापी परियोजना का कार्य समय पर पूरा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

353. झालावाड़ जिले के सारोला बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा न मिलने पर चर्चा के लिए।

354. हाड़ौती क्षेत्र की सिंचाई परि–योजनाओं तथा लिफ्ट योजनाओं के आवं–टित धन में कटौती कर लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

355. सिंचाई विभाग के जिन अधि–कारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मामले चल रहे हैं उनको ही पदोन्नतियां दे देने पर चर्चा के लिए।

356. झालावाड़ जिले के भीम सागर बांध द्वारा किसानों को समय पर पूरा पानी नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए।

357. झालावाड़ जिले की छापी परियोजता में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं धन के दुरूपयोग पर चर्चा के लिए।

358. झालावाड़ जिले के हरिशचन्द्र सागर से पास के गांव हीचर बोरदा को पानी नहीं देने पर चर्चा के लिए।

359. नई लिफ्ट योजनाओं का काम हाथ में न लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

360. भीम सागर बांध एवं छापी परियोजना की सैकड़ों बोरी सीमेन्ट ब्लेक में कोटा शहर में बेच देने पर चर्चा के लिए।

361. भीम सागर बांध जिला झाला–वाड़ में सैकड़ों जाली मस्टरोल भरने पर चर्चा के लिए।

362. झालावाड़ जिले के भीम सागर बांध द्वारा ग्राम हरिगढ़ की समस्त भूमि को पानी नहीं देने पर चर्चा के लिए।

363. झालावाड़ जिले के भीम सागर से सभी खेतों तक धौरे न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ)
श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

364. अधिशाषी अभियन्ता, भरतपुर द्वारा वर्ष 1981–82 में वाहन व प्रचार कार्यों पर अपनी शक्ति से अधिक व क्षेत्रा–धिकार से बाहर किये गये राजकीय अप–व्यय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

365. अधिशाषी अभियन्ता, भरतपुर द्वारा वर्ष 1980-81 में अपनी शक्तियों से

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

बाहर ठेकेदारों को 1 लाख 73 हजार रुपये अग्रिम देकर पद का दुरुपयोग व नियमों की अवहेलना करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

366. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत भरतपुर जिले में सिंचाई योजनाओं में मजदूरों को विभाग द्वारा भुगतान नहीं करके रुपया हजम करने व आरोपियों को बचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

367. अधिशाषी अभियन्ता, भरतपुर द्वारा सन् 1981–82 व 82–83 में 190 के विरूद्ध 306 व्यक्तियों को अनियमित रूप से बिना शक्तियों के वर्क चार्ज पर रखे जाने से विभाग पर पड़े 6 लाख रुपये के अति–रिक्त भार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

368. सिंचाई परियोजना खानपुर खण्ड अलवर में बांध निर्माण (240 से 780 मीटर तक) की निविदा 44.15% की दर पर अनियमित रूप से स्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

369. खानपुर सिंचाई परियोजना खण्ड अलवर में बांध के निर्माण में शून्य से 240 तथा 240 से 780 मीटर के भागों में क्रमश: 170% अधिक एवं 44.15% अधिक के अन्तर से हुई वित्तीय हानि से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

370. झिरोली सिंचाई परियोजना खण्ड अलवर में ठेकेदार को 64000 रुपये के सामान की पूर्ति विभाग द्वारा करने के उपरान्त इसी सामान पर 251% की दर से प्रदान की गयी निविदा प्रीमियम से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

371. झिरोली सिंचाई परियोजना खण्ड अलवर में सूट सविल के निर्माण से पूर्व नाले को बन्द कर देने से 7 लाख रुपये के अनावश्यक खर्चे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

372. झिरोली सिंचाई परियोजना खण्ड अलवर के ठेकेदार से काम वापिस लेकर तथा उससे बिना डी–वाटरिंग से होने वाले काम को ना करवाकर दूसरे ठेकेदार को अनावश्यक भुगतान पर विभाग को पहुंचाये घाटे पर चर्चा के लिए।

373. झिरोली सिंचाई परियोजना खण्ड अलवर में ठेकेदार को बजरी के विरूद्ध 1,31,000 रुपये का नियम विरूद्ध सुरक्षित अग्रिम देकर प्रदान की गयी अवां–छनीय वित्तीय सहायता पर चर्चा के लिए।

374. झिरोली सिंचाई परियोजना खण्ड अलवर के नहर निर्माण में ठेकेदार को विभागीय सामान की आपूर्ति पर टेण्डर प्रीमियम के भुगतान से हुई वित्तीय हानि पर चर्चा के लिये।

375. झिरोली सिंचाई परियोजना खण्ड अलवर की नहरों के निर्माण में तक--नीकी कमियों के कारण हुई हानि पर चर्चा के लिये।

376. कानोता सिंचाई परियोजना खण्ड जयपुर में ठेकेदार को 2 लाख 31 हजार को एक्स्ट्रा आइटम स्लिप का अनि-यमित भुगतान करने से विभाग को हुई हानि पर चर्चा के लिये।

377. सिंचाई विभाग द्वारा श्री सीमेंट ब्यावर से देरी से प्राप्त होने पर क्षतिपूर्ति अनियमित ढंग से माफ करके पहुंचाई गयी 4 लाख रुपये की हानि से उत्पन्न स्थितिं पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

378. खानपुर सिंचाई परियोजना खण्ड अलवर में बांध निर्माण (शून्य से 240 मीटर तक) में 170 प्रतिशत की दर पर निविदा स्वीकृत कर प्रचलित सामान्य दर की तुलना में अधिक राशि देकर विभाग को पहुंचाई गई वित्तीय हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

379. खानपुर सिंचाई परियोजना खण्ड अलवर के बांध निर्माण कार्य में अधिशाषी अभियंता, अधीक्षण अभियन्ता तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा एक ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने पर चर्चा के लिए ।

380. सारण खुर्द परियोजना खण्ड अलवर के शूट स्पिलवे निर्माण कार्य के ठेकेदार के पक्ष में अनियमित आवंटन कर विभाग को पहुंचाई गई वित्तीय हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

381. खानपुर सिंचाई परियोजना खण्ड अलवर के बांध के पक्के निर्माण कार्य की आमंत्रित निविदाओं में एक निविदा-दाता ठेकेदार की निविदा की चौथी शर्त निविदा खोलने के बाद नियम विरुद्ध हटा-कर न्यूनतम निविदादाता मानकर ठेका दिये जाने की चेष्टा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

382. गुडगांव मुख्य नहर के कवर्ड बैरल के निर्माण के ठेके अधिक ऊंची दर पर स्वीकृत कर राज्य सरकार को हुई 10 लाख रुपये की हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

383. खानपुर सिंचाई परियोजना खण्ड अलवर में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा नियमानुसार समयावधि वृद्धि तथा सुरक्षा निक्षेप के भुगतान की सक्षमता नहीं होने के उपरांत 3 प्रतिशत राशि रोककर बाकी भुगतान कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

384. अधिशाषी अभियन्ता भरतपुर द्वारा 27-11-79 से 31-10-82 तक प्रचार कार्यों पर बिना डी.पी.आर. के माध्यम के 1 लाख 8 हजार रुपये का अपव्यय किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़)

385. विभाग द्वारा शिवपुरी विलन चक नं. जी.बी. (ए) के किसान की जमीन भट्टा ईंट पकाने के लिये सन् 1978 में ली गई चक 7 ए.एस. जमीन का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

386. शिवपुरी भट्टा ईंट के लिये ली गई जमीन की एग्रीमेंट कॉपी दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

387. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग द्वारा कई भट्टों का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

388. शिवपुरी भट्टा की जमीन का पहले 800 रुपया फी बीघा मुआवजा दिया गया था और अब 7000 रुपया देने पर चर्चा के लिये ।

389. शिवपुरी भट्टा की सन् 1978 में ली गई जमीन का मुआवजा 12 साल बाद भी नहीं देने पर चर्चा के लिये ।

390. सरोजसर माईनर-लालपुरा सब माईनर (30 ए.पी.डी.) (पी.जी.एम.) डूंगीया माईनर-लालगढ़ माईनर-रतनपुरा

(श्री हंसराज मिढ़ा)

माइनर-जोरावर सिंह पुरा माइनर-मलकी–वाला माइनर की टेलों पर पानी पूरा पहुं–चाने पर चर्चा के लिये।

391. बिलोचिया माइनर-शिवपुरी सब माइनर-डबजाल माइनर–ऊदासर माइनर की टेल पर पानी कम पहुंचने से उत्पन्न बाधा पर चर्चा के लिये।

392. विभाग के अधिकारी द्वारा कृषकों को पानी की बारी नहीं काटने पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) :

393, गांव सूरजपुरा पंचायत सेमलिया तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में मजे–डिया पहाड़ियों वाला बांध बनवाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

394. माही डेम को भूंगडा केनाल का स्थगित कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ करने की चर्चा के लिये।

395. दांई मुख्य नहर की 47 के.एम. पर सवा का पाग्ला माइनर का कार्य प्रारंभ करने की चर्चा के लिये।

396. आमली खेडा पंचायत समिति पीपलखूंट के दांई नहर निकलवाकर ठेसला गांव तक पानी खेतों में देने की चर्चा के लिये।

397. मुडी खेड़ा पंचायत समिति पीपल खूंट जिला बांसवाड़ा में दांई नहर निकलवाने की चर्चा के लिये।

398. गांव कुशलपुरा पंचायत सेम–लिया पंचायत समिति पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा में ऐराव नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ करने की चर्चा के लिये।

399. गांव हरो पंचायत कुपडा पंचा–यत समिति पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा में माही सागर पर लिफ्ट सिंचाई योजना प्रारम्भ कराने की चर्चा के लिये।

400. गांव धारणा पंचायत बोरी पंचायत समिति पीपलखूंट जिला बांसवाड़ा में माही नदी के पूर्व किनारों पर लिफ्ट योजना की चर्चा के लिये।

श्री देवीलाल (शाहपुरा)

401. विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा के नाकीयाजी, देवरिया, धेगवा आदि एनीकटों को पूरा करने पर चर्चा के लिये।

श्री मोटाराम (सिवाना)

402. सिवाना विधानसभा क्षेत्र में एनीकट बनाने के लिए सर्वे करने बाबत चर्चा के लिये।

403. छेला एनीकट (सिवाना क्षेत्र) की रिपेयर करने पर चर्चा के लिये।

404. सिवाना क्षेत्र में अधूरे एनीकट को पूरा कराने पर चर्चा के लिये।

405. सिवाना क्षेत्र में मेली फीडर को पक्का बंधवाने बाबत चर्चा के लिये।

406. विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सीलोर्ट का बाढ़ बचाव कार्य करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा)

407. अकाल में बने अधूरे सिंचाई

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

सम्बन्धी एनीकट के बहते पानी को रोकने के लिये विभाग द्वारा पूरा कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)

408. डूंगरपुर जिले में अधूरे एनीकट व बाढ़ बचाव कार्य पूर्ण करने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

409. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में एक ही नाम से जी.एम., आर.एम., एम.एम., डी.एम., बी.एम., आदि प्रणालियों के नाम रखने से किसानों के सामने उत्पन्न कठिन स्थितियों के कारण नाम बदलने में विभाग की उदानीनता पर चर्चा के लिये ।

410. नहर मण्डल द्वारा जापान से अनावश्यक मशीनें खरीद करने की योजना की जांच व औचित्य पर चर्चा के लिये ।

411. कम्पेक्शन रोलर मंगाने के दो वर्ष बाद तक उपयोग में नहीं लेने, रख रखाव पर व्यर्थ खर्च करने की जांच की अवाश्यकता पर चर्चा के लिये ।

412. बन्द पाइप खालों की प्रणाली में नदियों की उपजाऊ मिट्टी खेतों में नहीं पहुंचने, जालियों में महीन घास ठहरने से पानी के फ्लो में गतिरोध उत्पन्न होने, पाइप जोड़ों में रिसाव होने, पाइपों के टीबों में 5" तक दब जाने, मरम्मत कार्य किसान की क्षमता से बाहर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

413. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में खुले खालों की जगह बन्द पाइप से खाले बनाने का परीक्षण सहकारी फार्मों पर कर, कमियां सही कर, उसके बाद ही योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

414. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में 2 ए.डी. के बन्द पाइप से सिंचाई व्यवस्था असफल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

415. बरसलपुर शाखा की बुर्जी 156 पर सीमेंट टाइल प्लान्ट पर विभाग का लाखों रुपया लगने के उपरान्त भी कार्य शुरू कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

416. द्वितीय चरण की बरसलपुर शाखा व चारणवाली शाखा के चकों में मुरब्बा पत्थर गढ़ी नहीं करने से जनता में विवाद पैदा करने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

417. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की गजनेर, कोलायत व पोकरण लिफ्ट सिंचाई योजना की केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति दिलाने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

418. बरसलपुर शाखा, चारणवाली शाखा के पटड़ों पर बेलदारों द्वारा नियमित रूप से मिट्टी लैवल करने, पानी का छिड़काव करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

419. बरसलपुर शाखा की बुर्जी 120 से 142 तक पटड़े पर काली मिट्टी एज़ पर स्पेसीफिकेशन नहीं डालने की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

420. बरसलपुर शाखा में से घास व मिट्टी निकालने के लिए स्थाई रूप से दो पोकलेन मशीनें रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

421. कार्यक्रम के अनुसार नहरों के अन्तिम छोर पर सुचारू पानी नहीं पहुंचाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में व गोपनीय प्रतिवेदन में विपरीत लिखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

422. द्वितीय चरण की नहरों पर नियुक्त अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा छुट्टी से एक दिन पहले व एक दिन बाद तक मौके से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

423. जल वितरण नहर की बुर्जी 76.4, 166.2 व 18.4 की टूट की जांच वर्षों से लम्बित रहने पर चर्चा के लिये।

424. बरसलपुर शाखा खण्ड द्वितीय, बज्जू के नोटिस क्रमांक 9288 दिनांक 26.9.88 की पालना कराने में विभाग के अधिकारियों की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

425. द्वितीय चरण की विभिन्न प्रणालियों पर आवश्यकता से बड़े आउटलेट लगाने से रात को किसानों द्वारा मोघे बन्द करने की प्रवृति को रोकने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

426. बरसलपुर शाखा की विभिन्न प्रणालियों में आवश्यकता से बड़े आउटलेट (मोघे) लगाने से अन्तिम छोर के किसानों को सुचारू पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

427. बरसलपुर शाखा के आखिरी छोर पर पानी की मात्रा नहर टूटने की सूचना अन्य आवश्यक कार्यों के लिये वायरलैस सैट स्थापित करने की नहर मण्डल द्वारा स्वीकृति जारी करने की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

428. लूनकरणसर लिफ्ट नहर की जामसर वितरिका के आखिरी छोर पर नियमित पानी पहुंचाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

429. इन्दिरा गांधी नहर की द्वितीय चरण की भुट्टांवाली वितरिका रावत माइनर के क्षतिग्रस्त स्थलों को लम्बे समय से मरम्मत करने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

430. द्वितीय चरण की नहरों पर किसानों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रत्येक 10 बुर्जी के बाद पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

431. बरसलपुर शाखा की बुर्जी 120 से 132 तक कच्ची टाइल भुरने की जांच व मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

432. बरसलपुर शाखा की अहमद-

(श्री देवीसिंह भाटी)

वाली माइनर, बरसलपुर, वितरिका हाई लेवल माइनर में से शीघ्र मिट्टी निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

433. बरसलपुर शाखा के हाई लेबल माइनर में से मिट्टी नहीं निकालने से किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

434. बरसलपुर शाखा की हाई लेबल माइनर 11 से 13 बुर्जी तक मिट्टी निकाल कर ऊंचे टीबे नहर से दूर हटाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

435. बरसलपुर शाखा के अहमद-वाली माइनर के आखिरी छोर की मरम्मत नहीं करने से किसानों को हो रही आर्थिक क्षति पर चर्चा के लिये।

436. बरसलपुर शाखा की बुर्जी नं.1 के घाट के पास हाल ही में क्षतिग्रस्त होने से नहर टूटने की आशंका उत्पन्न होने के उपरान्त भी मरम्मत नहीं करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

437. बरसलपुर शाखा की बुर्जी 0 से 01 तक तल की लाइनिंग निर्माण के समय छोड़ देने की जांच व लाइनिंग पूर्ण नहीं करने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

438. बरसलपुर शाखा की लाइनिंग जगह-जगह बैठ जाने की शीघ्र मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

439. बरसलपुर शाखा के घटिया स्तर के निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

440. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के बीकमपुर माइनर व गोगडियावाला माईनर में पानी चलाने के लिए मुख्य नहर के पुलों पर भारी दरवाजे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

441. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के बीकमपुर माइनर व गोगडियावाला माईनर को निर्धारित एफ.एस.एल. मिलने से पूर्व ही निर्माण करने की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

442. बरसलपुर शाखा की अधूरी सड़क के विचाराधीन न्यायिक मामले में विभाग द्वारा सही पैरवी करने में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये।

443. बरसलपुर शाखा के समानान्तर सड़क की मरम्मत नहीं करने पर विभाग को ठेकेदारों को उच्च दर देने की मजबूरी से हो रहे अनावश्यक आर्थिक व्यय को रोकने में नहर मण्डल की असफलता पर चर्चा के लिये।

444. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 750 के क्षतिग्रस्त एस्केप बन्धे की शीघ्र मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

445. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 750 के एस्केप बन्धा टूटने से हुई क्षति का किसानों को मुआवजा देने में विभाग के अनउत्तरदायी रवैये की चर्चा के लिये।

446. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

(श्री देवीसिंह भाटी)

की मुख्य नहर बुर्जी 750 के एस्केप टूटने की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

447. इन्दिरा गांधी नहर बुर्जी 243 पर धंसने की जांच व मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

448. उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 2 के चक 27, 28 के एल. डी. को सिंचित मानकर आवंटित की गई पाक विस्थापितों की भूमि असिंचित घोषित कर देने के कारण उन्हीं चकों में राजकीय विशेष श्रेणी की सिंचित भूमि आवंटित करने की छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

449. उपनिवेशन विभाग, बीकानेर के पूर्व सहायक आयुक्त अधिवेशन, कोलायत के विरूद्ध भ्रष्टाचार व नियम विरूद्ध कार्यवाही की जांच में पांच वर्ष से अधिक समय लगाने से जनता में विभाग की कार्यप्रणाली पर अविश्वास की भावना उत्पन्न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

450. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटित भूमि की कुल कीमत पर 6 प्रतिशत ब्याज व अवधि पार किश्तों पर 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत ब्याज लगाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

451. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र की विशेष श्रेणी की कृषि भूमि की कीमत में प्रति वर्ष 15 प्रतिशत बढोत्तरी से भूमि आवेदन कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

452. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में विशेष श्रेणी की जमीने खत्म कर पूंजीपतियों के बदले भूमिहीन किसानों को आवंटन करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

453. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में पास बुक में कृषि भूमि का नक्शा संलग्न नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

454. सेमी सर्कयूलर पाइप खाले की योजना असफल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

455. विभाग द्वारा बरसलपुर शाखा की समानान्तर टूटी सड़क की मरम्मत कर खाला निर्माण कार्य को गति देने व कार्य की ऊंची दरें देने को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

456. सेमी सर्कयूलर पाइप खालों के नीचे रेत का बेस रखने व मिट्टी उड़ने से पाइप जोड़ खुलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

457. विभाग द्वारा चकों में पक्के खाले के सर्वेक्षण करने के बाद पत्थरगढ़ी काफी चकों में नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

458. द्वितीय चरण की बुर्जी 820 के नीचे की प्रणाली क्षेत्र को विभाग के कार्य क्षेत्र में लेने की उदासीनता बरतने से

142

(श्री देवीसिंह भाटी)

विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

459. बरसलपुर शाखा की जमीन सेंडीलूम होने के कारण वाटर अलाउन्स 5.2 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

460. द्वितीय चरण की बरसलपुर शाखा की सेंडी लूम जमीन होने के उपरान्त भी वाटर अलाउन्स 3 प्रतिशत कर देने से परियोजना क्षेत्र में सिंचित रकबा कम होने की उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

461. द्वितीय चरण के पक्के खालों में प्रायः हर खाले में लेबल ऊंचा नीचा होने की जांच व सही करने की आवश्यकता पर चर्चा के जिये।

462. द्वितीय चरण के पक्के खालों के घटिया स्तर के निर्माण को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

463. द्वितीय चरण में पक्के खालों के पुलिया निर्माण 10 से 50 फीट ऊंचे टीबों के किनारे बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

464. द्वितीय चरण के पक्के खालों पर पुलिया निर्माण में पाइप साइफन प्रणाली प्रयोग में ले, डाट प्रणाली हटाकर गाडा गाड़ी के सरल आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

465. निर्माणाधीन पक्के खालों के चकों की चक समिति की सूची जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

466. 5 लाख से ज्यादा की बड़ी जलोत्थान योजनाऐं जिला विकास अभिकरण से अनुदान एवं बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त कर विभाग द्वारा बनाने एवं संचालन के बारे में चर्चा के लिये।

467. बनास नदी पर कोटडी एवं जहाजपुर तहसील में हर 10 कि. मी. पर पिकअप वियर एनीकट बनवाकर आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था सुलभ करवाने हेतु चर्चा के लिये।

468. सिंचाई विभाग के अनेक एनीकट की मरम्मत के अभाव में क्षति होने की संभावना पर चर्चा के लिये।

469. जहाजपुर में स्थापित सर्वे उपखंड को अनावश्यक रूप से अन्यत्र स्थानान्तरित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

470. सिंचाई विकास निगम का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

471. 3 लाख से ऊपर की लागत के एनीकट विभाग द्वारा बनाने की योजना तैयार कर क्रियान्विति करने हेतु चर्चा के लिये।

472. जवाहर योजनान्तर्गत अधूरी सिंचाई योजनाओं को शामिल कर पूरे सिंचाई कार्य को अनुचित ढंग से बड़ी राशि

(श्री रतनलाल ताम्बी)

के तखमीने को तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से उपयोग नहीं होते हुये भी स्वीकार कर किए जा रहे धन का दुरुपयोग पर चर्चा के लिये ।

473. राजस्थान की नदियों एवं नालों के बेकार जाने वाले पानी को रोककर परियोजनाएं निर्माण हेतु विस्तृत मास्टर प्लान बनाने तथा उससे सिंचाई वृद्धि के योजनाबद्ध कार्यक्रम पर चर्चा के लिये ।

474. बडी जलोत्थान योजनाऐं हेतु विभाग द्वारा व्यापक कार्यक्रम एवं धनराशि का प्रावधान कर क्रियान्वित करने हेतु चर्चा के लिये ।

475. भीलवाड़ा जिले के मेजर खंड को कामन रख सारे जिले के तालाबों को मापदंड के अनुसार निकालकर तीनों खंडों को कायम रखत हुये मेजर खंड को नहीं हटाने संबंधी विभाग में विचाराधीन प्रकरण को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये ।

476. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की अधूरी सिंचाई योजनाऐं भीनपुरा, शंकरगढ़, बेड़गंसूला, माकडिया (धोड) पचानपुरा, गुढारोजदीनगेडिया महादेव सागर, लुहारी-कला, हाथीमारा, रतनुपुर, जालरा, सरसिमा, नवरतन सागर, तलोड़ा चारणन, शिवसागर पारोली, सरलासागर रासेड, रतनसागर बडेन्द के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इस वर्ष पूरा कर लाखों रुपये के नुकसान को बचाने हेतु चर्चा के लिये ।

477. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की नवीन एवं सर्वे सुदा योजना रतनगढ़, अमरगढ़, ढंगारिया पन्डेर, पीपलून्द, माकाडिया (धोड) गंघेट, कूंचलवाडा कला, मारेटूकी, नवरतनसागर, तलोडा, रतनसागर बडेन्दा तहसील कोटडी, सुन्दरमाल रोटेडी से लम्बे समय से क्रियान्विति नहीं करने से जनता में उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये ।

478. निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के प्रभावित लोगों को तत्काल मुआवजा भुगतान करने हेतु चर्चा के लिये ।

479. सिंचाई परियोजनाओं हेतु मुआवजा देने के बाद भी भूमि विभाग के खाते में इन्द्राज नहीं होने से मुआवजा प्राप्तकर्ता तथा अन्य द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी : (कोलायत)

480. मुख्य नहर की बुर्जी 1121 के एस्केप के डूब में आई जमीन का विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं करने व जमीन का तबादला दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

481. द्वितीय चरण इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पक्के खाले के सर्वेक्षण के पश्चात किसानों से सहमति लिए बगैर कार्य शुरु करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

482. उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर का

(श्री देवीसिंह भाटी)

महत्वपूर्ण पद लम्बे समय से रिक्त रहने से किसानों की महत्वपूर्ण समस्याओं पर निर्णय नहीं होने पर चर्चा के लिये।

483. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के स्थाई मुख्य अभियन्ता का पद लम्बी अवधि से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

484. जिला जैसलमेर के उपनिवेशन क्षेत्र के भूमिहीन किसानों के लिए एक बार भी स्थाई आवंटन कार्यक्रम नहीं बनाने से जनता में व्यापक असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री मानिकचंद सुराना (लूणकरणसर)

485. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की माइनर्स व वितरिकाओं के मिट्टी से भर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

486. सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई योजनाओं को निरन्तर नजरअन्दाज करने पर चर्चा के लिये।

487. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में कृषि विस्तार हेतु अधिक भूमि में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

488. प्रथम चरण (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) को नजरअंदाज कर द्वितीय चरण की प्राथमिकता देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

489. द्वितीय चरण (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) में निर्मित सिंचाई क्षमता को वास्तविक सिंचाई में परिवर्तित न कर पाने पर चर्चा के लिये।

490. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कनकपुरा माइनर लाखनसर माइनर व देवासर माइनर के मिट्टी से भर जाने पर चर्चा के लिये।

491. लूणकरणसर लिफ्ट के नीचे के क्षेत्र का विकास न किए जाने पर चर्चा के लिये।

492. विभाग द्वारा कल्याणसुन्दरम कारखाने को 15,000 टन सीमेंट खरीद पर पचास लाख से अधिक की राशि अग्रिम दिये जाने पर चर्चा के लिये।

493. कोलायत व गजनेर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की धीमी रफ्तार पर चर्चा के लिये।

494. आवा माइनर पर क्षेत्र के विकास की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46, सिंचाई पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री दिग्विजय सिंह। (अनुपस्थित), माननीय श्री बृजेन्द्र सिंह.... (अनुपस्थित), माननीय श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं मांग संख्या

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

46 सिंचाई के ऊपर, जो मैंने अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उनके बारे में मंत्री-जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खास तौर से मैं अपने जिले सवाई माधोपुर के बारे में ही निवेदन करूंगा....(व्यवधान) वह सही है, कम से कम अपने जिले के लिए तो कह लूं। राजस्थान पर कहने वाले तो आप हैं। हम तो सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं, हमारे सवाई माधोपुर जिले के अन्दर कुल जो कृषि भूमि है, उसका क्षेत्र-फल 5,83,295 हैक्टेयर हैं और जो कुल सिंचित क्षेत्र है, उसका 1,66,226 हैक्टेयर है। यानि कि जितनी कृषि भूमि है, जो सिंचाई के साधन हैं, उन माध्यमों से सिंचाई हो रही है। सिर्फ 25 प्रतिशत सिंचाई उस भूमि के ऊपर होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जो सिंचाई के साधन सवाई–माधोपुर जिले में हैं, उनमें मुख्य साधन है कुंआ। सवाई माधोपुर जिले में 110867 हैक्टेयर में कुंओं के द्वारा सिंचाई होती है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि थ्री फोर्थ सिंचाई कुंओं के माध्यम से होती है। लेकिन गत चार सालों से स्थिति यह बनी हुई है कि इन्द्र देवता ने कृपा नहीं की, बरसात न होने के कारण उन कुंओं का जल स्तर 10 मीटर से 30 मीटर तक नीचे चला गया है। स्थिति यह बनी कि जो कुओं के माध्यम से सिंचाई होनी चाहिये, वह सिंचाई होनी तो दूर रही, बल्कि पीने का पानी भी ग्रामवासियों को उपलब्ध नहीं होता है। इस बात से स्पष्ट जाहिर है कि सवाई माधोपुर जिले के अन्दर सिंचाई के साधनों, जो कुओं के द्वारा होती थी, की क्या स्थिति है ? तो आज ऐसी स्थिति बन गयी है कि कुएं सूख गये हैं और सिंचाई के एक मात्र साधन कुएं ही हैं। उनका पानी सूख जाने के कारण वहां सिंचाई नहीं हो पा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि राजस्थान की जो दो महत्व–पूर्ण नदियां-चम्बल और बनास हैं, मैं तो दुर्भाग्य ही कहूंगा कि सवाई माधोपुर जिले के अन्दर से होकर दोनों नदियां जाती हैं, यहां बहती हैं, लेकिन उस पानी का–चाहे चम्बल हो या बनास, उस एक बूंद पानी का भी उपयोग सवाई माधोपुर जिले के अन्दर नहीं हो पा रहा है। इस पर कई बार इस सदन में भी चर्चा हुई, गत 15 साल से इस सदन के अन्दर इन दोनों नदियों के पानी के उपयोग के लिये बार बार निवेदन किये गये, योजनाएं बनीं, चाहे वह पीपलोट योजना हो, या पीपल्दा योजना हो, या इन्दिरा लिफ्ट योजना हो, यह सम्बद्ध योजनाएं तो बन जाती हैं, योजना का जो सर्वे हैं, करीबन 7-8 साल से इन्दिरा लिफ्ट की योजना के लिए जवाब यह दिया जाता है कि साहब, गत वर्ष से इस योजना का सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं कि सात सालों से इस इन्दिरा लिफ्ट योजना का सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन उत्तर, जिस तरह के प्रश्न आते हैं, उस हिसाब से तो कभी कृषि विभाग, कभी इलेक्ट्रिक डिपार्ट-मेंट, कभी सिंचाई विभाग के माध्यम से इस योजना का सर्वे कराये जाने का प्रयास कराया जा रहा है। जब भी यह प्रश्न पूछते हैं, तो यही उत्तर मिलता है कि अभी इसका सर्वे कराया जा रहा है, जबकि मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि आपने इन्दिरा लिफ्ट योजना, जिसका सर्वे हुआ था, अगर यह योजना सवाई माधोपुर जिले

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

के अन्दर बन जाती है, तो मेरी मान्यता है, जैसा कि सर्वे के अन्दर भी बताया गया था. पूर्व में भी कि इस इन्दिरा लिफ्ट योजना से गंगापुर, हिंडौन, खंडार, सवाई माधोपुर, बानवास, मादोरी-इन सब तह–सीलों को इस योजना के माध्यम से पानी दिया जा सकता है और 22 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती है। जबकि जो और वृहद और मध्यम योजनाएं हैं, इसी पर निर्भर करती हैं-चंबल और बनास के ऊपर। पीपलोट और पीपल्दा योजनाओं का तखमीना बन चुका है और एस्टीमेट बन चुका है और इसके लिये सैंट्रल वाटर बोर्ड कमीशन को स्वीकृति के लिये भेजा जा चुका है। जब भी सवाल करते हैं गत चार सालों से बराबर एक ही जवाब आ रहा है कि सैंट्रल वाटर बोर्ड, आयोग को भेजा जा चुका है, वहां से यह आने के बाद ही इन योजनाओं के बारे में जब भी वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे, तब कार्य कराया जायेगा। मेरी समझ में यह नहीं आता या तो हमारे राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में सैंट्रल वाटर कमीशन से इन योजनाओं की स्वीकृति करा करके क्यों नहीं ला पाते हैं ? यह सवाई माधोपुर जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इस कारण से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई के मामले में बिल्कुल ही अछूता छोड़ रखा है।

सभापति महोदया, हमारे सवाई माधोपुर जिले की ले–देकर एक पांचना परि–योजना बनी है। सन् 1957 के अन्दर इस योजना का प्रारूप तैयार कराया गया, किन्हीं कारणों से उस समय इस योजना को मंजूरी नहीं मिली लेकिन सन् 1976 में यानि करीबन 19 साल बाद जाकर इस योजना पर यहां के काफी माननीय सदस्यों ने इस बारे में काफी आग्रह किया, सन् 1976 में जाकर इस योजना का प्रशासनिक खर्चा दिया गया और इस योजना का प्रारूप तैयार करके इसकी स्वीकृति प्रदान की....

एक माननीय सदस्य : काम भी पूरा हो गया....

श्री सभापति : आर्डर–आर्डर, माननीय सदस्य आपस में नहीं बोलें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : काम कहां हो गया पूरा, सुनो तो सही आगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : जनता राज आ गया था न उस समय....

श्री सभापति : आर्डर–आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : कोई जनता राज नहीं था, राज तो हमारा ही था, हम ही ने इसको मंजूरी दी थी, मैं भी उस समय विधायक मौजूद था महाराज। तब इसके लिये पच्चीस लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन इस योजना का कार्य प्रारम्भ हुआ और इसको बनते–बनते तेरह साल हो गये, जो योजना सन् 76 में शुरू हुई लेकिन न जाने क्यों, इसके ऊपर कौनसा वह बैठा हुआ है कि यह योजना पूरी ही नहीं हुई। आज तक इस योजना की जो एक मुख्य जरूरत है और बहुत ही आवश्यक है वह स्पिल वे आज तक तैयार नहीं हुई है। कौन जाने, क्या कारण बना है, कछुए की चाल से इस योजना को

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

पूरा कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन फिर भी मैं तो इस बात के लिए विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे और क्षेत्रों को पानी मिला हो या नहीं मिला, लेकिन इस पांचना परियोजना से भागीरथी प्रयास से इस वर्ष कम से कम मेरी गंगापुर तहसील की 15 हजार एकड़ जमीन की तो पिलाई हुई। लेकिन उसको भी मैं पूरा इसलिए नहीं मानता कि वह किस तरह हुई, यह तो हम ग्रामवासी और ये लोग ही जानते हैं कि किस तरह पांचना परियोजना से हमको पानी मिला। अब इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाले समय में आयेगी वह यह है। इस सम्बन्ध में अधिकारियों को, मंत्रियों को कई बार निवेदन किया कि कम से कम इस योजना पर जो नहरें हैं, मुख्य नहरें, इनके ऊपर आप तीन-चार जगह लिफ्टिंग पॉइंट बना दीजिए जिससे कि कम से कम जो गांव इस क्षेत्र में आते हैं, जिन ग्रामवासियों ने मुख्य नहर के लिए और नहर के लिए अपनी जमीनें दी हैं, उन ग्रामवासियों को इस नहर से कोई फायदा नहीं मिल रहा। आज ग्रामवासियों में इतना आक्रोश है, वे इस बात को चैलेन्ज के साथ भी कहते हैं, जिस जगह होकर हमारी जमीन गई है, जिस जगह जमीन के ऊपर नहरें बनी हैं, अगर उस नहर से हमको पानी नहीं मिला तो आने वाले समय के अन्दर इस नहर का पानी दूसरे क्षेत्रों में नहीं जायेगा, लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था भी खराब हो सकती है। इसलिए माननीय मन्त्री जी से मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि जिन ग्रामवासियों की इस नहर के मामले में उनकी मांगें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें और लिफ्टिंग योजना बनाकर इस पानी को हमें दिलाने का प्रयास करें।

सभापति महोदया, इसी के साथ-साथ मैं खास तौर से अपने गंगापुर क्षेत्र का निवेदन करना चाहूंगा, वैसे गंगापुर क्षेत्र के अन्दर एक चूली बांध है। उस चूली बांध के अन्तर्गत दो सालों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत हमने काम करवाया, विभाग के माध्यम से कार्य हुआ। काम होने के बाद उसके अन्दर करीबन छह लाख रुपये का मिट्टी का कार्य हो चुका है। इस सम्बन्ध में मैंने कई बार यह निवेदन किया कि राज्य सरकार ने जब छह लाख रुपये खर्च कर दिये हैं तो बाकी जो पैसा बकाया है यानि पक्का काम है उनको भी किसी योजना के माध्यम से, पहले आर.एल.जी.पी. के अन्तर्गत था, वह योजना अब समाप्त हो गई है तो कम से कम जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इसको लेकर पूरा कराने का प्रयास करें। सवाई माधोपुर जिला उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के अन्दर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है लेकिन सवाई माधोपुर जिले की पानी के मामले के अन्दर सबसे बड़ी स्थिति यह बनी हुई है कि अगर सिंचाई के साधन वहां पर पूर्णत: उपलब्ध हो जाते हैं तो मैं यह कहता हूं और इस बात का चैलेन्ज भी दे सकता हूं कि जो हम आज गंगानगर जिले की बात करते हैं कि गंगानगर जिला राजस्थान में क्या हिन्दुस्तान में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो इस बात का भी मैं चैलेन्ज कर सकता हूं कि अगर सवाई माधोपुर जिले में जिस तरह के पानी के प्रचुर भण्डार हैं, पानी के प्रचुर साधन हैं उन साधनों का सही प्रकार से उपयोग ले लिया जाय।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

सभापति महोदया, सवाई माधोपुर जिले में एक सपोटरा तहसील है। सपोटरा तहसील में काली सिंध बांध है, उस काली-सिंध बांध का जो कैचमेंट एरिया है इतना बढ़िया है कि एक ही बरसात में वह बांध अपने आप पूरा भर जाता है और दूसरी बरसात में तो उसमें चादर चलना चालू हो जाती है और वह इस समय करीबन दस हजार एकड़ जमीन की पिलाई करता है लेकिन स्थिति यह है कि इसको पूरा करने के लिए माननीय सदस्यों ने भी कई बार सदन में निवेदन किया, मैंने भी पहले कई बार यह निवेदन किया कि इस बांध के लिए आप तीन फीट....

श्री शिवचरण सिंह : मंत्रीजी को पढ़ा लें जरा, उनका ज्ञान फले।

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैंने निवेदन किया कि इस बांध के लिए कम से कम तीन फीट ऊंचा कर दिया जाय.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर। डोन्ट डिस्टर्ब, माननीय सदस्य।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अगर आप छह फीट नहीं कर सकते तो इसको तीन फीट ऊंचा कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में कई बार प्रश्न रखे। प्रश्नों का उत्तर आया कि इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इसका सर्वे कराया जा रहा है। मेरे यह समझ में नहीं आता कि चार-चार साल के अन्दर न तो इसका आधुनिकीकरण करने की योजना बनी, न इसका सर्वे करने की योजना बनी....

श्री शिवचरण सिंह : इस बार पांचना से सिंचाई नहीं होगी, अटवाल खा गया, सारे पानी को।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : वह भी सही बात है, जो करौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, जो पांच हजार एकड़ जमीन की पिलाई होती थी वह भी आने वाले समय में नहीं होगी। कारण यह है कि जो स्पिल-वे बनाने का काम किया जा रहा था इनको खोद दिया गया। नतीजा यह निकला कि बरसात में वह कार्य पूरा नहीं होगा। जो पांच हजार एकड़ की हमने पिलाई ले ली थी उस पिलाई से हमको वंचित होना पड़ेगा। इसी प्रकार सभापति महोदया, पांचना बाँध बन जाने के कारण से जो गम्भीरी नदी के अन्दर बारह-महीनों पानी आया करता था उसकी स्थिति यह बन गई है कि नदी बिल्कुल सूख गई है। उसके सूखने से स्थिति यह बनी कि गंगापुर तहसील और हिण्डौन तहसील, जो गम्भीरी नदी के किनारे बसे हुए हैं, उन सारे के सारे गांवों के जो कुए थे उनका जल स्तर नीचे चला गया। इस सम्बन्ध में हम सब लोगों ने बार-बार यह निवेदन किया कि गम्भीरी नदी के ऊपर महावीरजी के पास या कहीं भी एनीकट बना दिया जाय। मुझे दुख तो इस बात का होता है कि तत्कालीन सिंचाई मन्त्री सन् 1980 में यह आश्वासन ग्रामवासियों को देकर आये थे कि आपका एनीकट बना दिया जायेगा। इसके बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्रीजी

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

श्री हरिदेव जोशी ने श्री महावीरजी में ग्रामवासियों के बीच एक सम्मेलन में यह आश्वासन दिया था कि आपका एनीकट निश्चित रूप से बनेगा, यानि आश्वासन हमको मिलते रहे। इस सम्बन्ध में जब विभाग से बात की तो विभाग ने कहा कि इसके ऊपर तो छह करोड़ रुपये खर्च होगा, यह खर्चा कौन करेगा ? समझ में नहीं आता कि कम से कम पचासों ग्रामवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर छह करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाती है तो मेरी मान्यता तो यह है कि कोई अधिक नहीं है। इसके अलावा करौली क्षेत्र के अन्दर भी कई इस तरह की योजनाएं हैं। दुर्गशी घाटा है जिसका सर्वे कभी का पूरा हो चुका। सर्वे होने के बाद वहां सिर्फ इतना ही करें कि पांचना बांध के लिए दुर्गशी घाटा में जो पानी एकत्रित होगा वह पांचना बांध के लिये भरेगा और पांचना बांध जो अभी हमारी आठ हजार हैक्टेयर जमीन की पिलाई करेगा लेकिन दुर्गशी घाटा बन जाने के बाद मेरी मान्यता तो यह है कि कम से कम बीस हजार हैक्टेयर जमीन की पिलाई कर सकेगा। इसी प्रकार चूली नहर की योजना थी। सभापति महोदया, सवाई माधोपुर जिले के अन्दर पानी की कमी नहीं है, सिर्फ पानी पहुंचाने वाला चाहिए। आज किसानों की स्थिति यह है–पानी नहीं मिलने के कारण से, सवाई माधोपुर जिले में जो अटूट भण्डार है, उत्पादन की दृष्टि से सवाई माधोपुर की जमीन उपजाऊ है, वहां के कृषक मेहनती हैं, इन सब के बावजूद भी वहां पानी नहीं मिलता है तो इसीलिए मैं तो आखिर में यही कहूंगा कि सवाई माधोपुर जिला जो कि उत्पादन के मामले में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जाय, यही मुझे कहना है। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री गणेश लाल बैरागी।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिन्डोली) : सभापति महोदया, सिंचाई विभाग की मांगों पर अपने विचार रखने से पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज हिन्दुस्तान में अस्सी प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और वही रेश्यो लगभग राजस्थान में है और इस अस्सी प्रतिशत में लगभग पचहत्तर प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। माननीय सभापति महोदया, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद और लगभग 42 वर्ष से और सन् 52 से मैं समझता हूं कि राजस्थान के इस पवित्र सदन में किसानों के बारे में चर्चायें होती रही हैं और चर्चायें होने के बाद आज लगभग 45 साल में भी यदि हम उन्हीं बातों को दोहरायें तो मुझे लगता है कि राजस्थान के किसानों का दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर लगातार चालीस वर्ष तक काम करने वाली सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है। आज शहरों की समस्यायें केवल मात्र यह है कि सड़क खराब है, बिजली नहीं है, या स्कूल नहीं है, समझ में आता है लेकिन जहां तक गांवों का सवाल है। माननीय सभापति महोदया, किसानों के पास कृषि के अलावा कोई साधन नहीं है जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है और कोई उद्योग धन्धा नहीं है और धन्धा

(1509)

(श्री गणेशलाल बैरागी)

भी है तो केवल कृषि पर आधारित है, मवेशी पालन का या कोई दूसरा धन्धा ।

माननीय सभापति महोदया, किसानों को जीवन चलाने के लिए, किसानों को जिन्दा रखने के लिए सबसे पहला साधन चाहिए पानी की व्यवस्था और यह कल्याणकारी सरकार–मैं निश्चित रूप से सरकार पर सीधा आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन यह तथाकथित कल्याणकारी सरकार किसानों के दो बीघा खेत तक पानी नहीं पहुंचा सकी, किसानों के बच्चों को पहनने के लिए चड्ढी की व्यवस्था नहीं कर सके, किसानों के बच्चे पांचवीं कक्षा तक विद्याध्ययन कर लें, इतनी सी ताकत यह किसान को नहीं दे सकी। योजनाएं बन रही हैं बड़ी बड़ी, इन्दिरा गांधी कैनाल का निर्माण हो रहा है और कई योजनाएं चल रही हैं और कई योजनाओं का काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदया, मैं निश्चित रूप से अपनी कमजोरी महसूस करता हूं कि मुझे राजस्थान की पूरी जानकारी नहीं है लेकिन पिछले पांच वर्ष से इसी सदन में और अन्य विषयों पर मैं बोलूं या नहीं बोलूं लेकिन सिंचाई पर निश्चित रूप से अपनी बात कहता हूं लेकिन चार साल में सरकार ने क्या किया है ? वही कट मोशन देना, वही बोलना, न कोई जवाब न कोई उस पर कार्यवाही और प्रश्न वहीं के वहीं हैं।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान की करोड़ करोड़ जनता इस सदन की तरफ ध्यान देकर देख रही है और आने वाले कल में जब समाचार पत्र छपेंगे तो लोग निगाह डालेंगे कि कौन कौन से काम होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है। सभापति महोदया, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं और वह कारण यह है कि या तो सरकार किसानों की भलाई के काम करना नहीं चाहती है और यदि करना चाहती है तो उसके सामने मजबूरियां हैं और मजबूरियां दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो उसके पास पैसा नहीं है यह भी मजबूरी हो सकती है। अगर पैसा नहीं है तो अरबों रुपयों की योजनाओं पर तो मजबूरी समझ में आ सकती है, करोड़ों रुपये की योजनाएं हैं उन पर तो मजबूरी लागू हो सकती है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां पर एक भी मेजर प्रोजेक्ट नहीं है, लघु सिंचाई योजनाएं हैं, छोटी छोटी सी हैं, अगर वहां पर ठीक प्रकार से सर्वे किया जाता तो मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र बूंदी जिले में काम होता। अगर वहां काम हुआ होता तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी काम हुआ होता। लेकिन चार–पांच साल से मेरे इलाके में काम चल रहा है वह अधूरा पड़ा है और जिनका सर्वे करने के लिए भी नहीं है कोई। आज तक सर्वे में प्रगति नहीं हुयी। माननीय सदस्यगण, दूसरा कारण यह समझ में आता है कि इनकी अधिकारी मानते नहीं हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी इनकी नहीं मानते हैं और इसलिए नहीं मानते हैं कि सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों पर सीधा–सीधा चार्ज तो नहीं लगाना चाहता हूं, चाहे जे.ई.एन. हो या असिस्टेन्ट इंजीनियर हो, चाहे अधिशाषी अभियंता हो, चुनाव के टाइम पर लाखों रुपये उनसे लेते हैं और लाखों रुपये लेने के बाद यह उनसे काम करवाना चाहते हैं तो मैं सम–

(श्री गणेशलाल बैरागी)

भता हूं कि किसी भी सूरत में काम नहीं हो सकता है।

मैं चार्ज भी लगाना चाहता हूं अगर मेरा चार्ज असत्य है तो मैं साबित करने के लिए भी तैयार हूं। माननीय सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में नारायणपुरा, आरा, दराका, नया गांव, कुम्हारी नाका, यह बांध अधूरे पड़े हैं। पांच सालों से इन पर कोई काम करने का विचार नहीं है और किशन–पुरा, धोवड़ा, मेड़ी, सलावल्या, डाटूंदा, काबरी, बसोली, ओधन्धा, डाबेटा, भोजगढ़ और कई छोटे–छोटे बांध ऐसे हैं जिनका सर्वे किया जाकर के मेरे इलाके के छोटे–छोटे किसानों को पानी देकर के उनको लाभान्वित किया जावे। इसी प्रकार मराडी, खीण्या, भूण्डधसा, लुछारिया यह ऐसे एनीकट हैं अगर यह बन जायेंगे तो किसानों को इस योजना से वहां किसी भी प्रकार से फायदा दिया जा सकता है। दूसरा सभापति महोदया, प्रश्न यह है कि आखिर यह काम क्यों नहीं होता है ? मैंने निवेदन किया है यह काम नहीं होने के कारण उनका अधिकारियों पर कोई कण्ट्रोल नहीं है और कण्ट्रोल नहीं होने से कई प्रकार की शिकायतें आती हैं। लेकिन शिकायतों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जहां करोड़ों के घपले होते हैं वहां भी वह कुछ नहीं कर पाते हैं तो मैंने निवेदन किया है मेरे यहां पर छोटी योजनाएं हैं उनके सामने लाखों करोड़ों की बात कहूंगा तो कोई महत्व की बात नहीं होगी। लेकिन पांच-पांच, सात-सात साल से लिखित में शिकायतें की हुयी हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

मोटी-मोटी बातें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदया, इनका सिंचाई विभाग किसानों के प्रति कितना संवेदनशील है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। मेरे क्षेत्र में मराडी, भीमला, खेत की बाड़ी, इसी तरह के सात आठ छोटे-छोटे बांध हैं और उन बांधों पर उन्होंने जो सर्वे किया था उस सर्वे के टाइम पर गांवों के गांव कमाण्ड में ले लिये थे। पूरा गांव कमाण्ड में आ गया और कमाण्ड में आने के कारण उनका लगान बढ़ गया। वह जमीन को बेच नहीं सकते हैं, बेचते हैं तो उनको गिरदावरी में कीमत देनी पड़ती है। अलाटमेंट होने में परेशानी आती है और कई तरह की परेशानी होती है। सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में लगभग 1 लाख एकड़ ऐसी जमीन है, जिस पर आज तक पानी नहीं आया और न आने की कभी सम्भावना है। लेकिन उनको आज तक सिंचाई विभाग की तरफ से डी-कमाण्ड नहीं किया है। सारे कमाण्ड में लिये हुए हैं जिन पर पानी जाने की कोई सम्भावना नहीं है।

माननीय सिंचाई मन्त्रीजी आप नये नये पधारे हैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस जमीन को डी-कमाण्ड करने के आदेश प्रसारित करें तो मैं निश्चित रूप से आपका आभारी होऊंगा। एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बीसलपुर परियोजना में बूंदी जिले के ही नैनवा तहसील में लगभग 50-55 गांवों को लिया जाना चाहिए था, उन गांवों को निकाल दिया गया है, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन 55 गांवों को जिनको निकाला गया है, उनको किसी भी सूरत में उस बीसलपुर परियोजना से वंचित नहीं रखें और वंचित रखने की कोशिश की तो

(श्री गणेशलाल बैरागी)

आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है।

सभापति महोदया, मैं कुछ बातें और निवेदन करूंगा कि आखिर यह अधिकारी, सिंचाई मन्त्रीजी, किस तरह से काम करना चाहते हैं। एक तरह के दफ्तर में दो तरह के नियम। माननीय सभापति महोदया, पिछले तीन साल में 8-10 जूनियर इंजीनियर ऐसे हैं जिनका भी ट्रान्सफर हुआ, एक महीने में कैंसिल हो गया, फिर हुआ, 6 महीने में कैंसिल हो गया। आखिरकार कारण क्या है ? अगर प्रशासनिक कारणों से होता है तो एक बार तबादला करने के बाद वापस क्यों भेजते हैं ? अगर वापस भेजते हैं तो फिर क्यों बुलाया जाता है। निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है और मैं तो फिर आरोप लगाऊंगा। इसके पीछे भ्रष्टाचार की बू आती है।

श्री सी.पी. जोशी : यह कौन करवा रहा है।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री गणेशलाल बैरागी : इंजीनियर का तीन–तीन बार तबादला हुआ। पिछले वर्ष खेरकटा एनीकट में फर्जी मस्टर-रोल पकड़े गये, मरगिया पर फर्जी मस्टर-रोल पकड़े गये, रूणकेखाल में फर्जी मस्टर-रोल पकड़े गये और नैनवा तहसील में 25 मरे हुये लोगों की मस्टर-रोल में हाजरियां पकड़ी गई और अभी कुछ दिनों पहले, माननीय सभापति महोदया, नैनवा उप खंड से सिंचाई विभाग का सीमेंट जाता हुआ एक ट्रक बूंदी में पकड़ा गया और बूंदी में पकड़ने के बाद एफ.आई.आर. दर्ज हुई और एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद वह रफा–दफा हो गया। यह कौन इंजीनियर है ? श्री वी.के. जैन, यह सारे जो काम करने वाला इंजीनियर है। अभयपुरा से एक गेहूं की ट्रोली भर करके आई मेट साथ में, मुंशी साथ में इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने ट्रोली गेहूं की पकड़ ली और कलक्टर ने जांच करवायी, सहायक जिलाधीश महोदय ने जांच की इसमें भी प्रमुख श्री विमल कुमार जैन। खेरकटा घोटाला हुआ विमल कुमार जैन, 25 आदमियों की फर्जी हाजरी भरी गई विमल कुमार जैन, वहां से सीमेंट पकड़ा गया विमल कुमार जैन, ट्रान्सफर हो गया फिर आ गया आखिर कारण क्या है ? योग्यता बताने की कोशिश करें आप, आप सुने मेरी इस बात को इस तरह के करप्ट और भ्रष्ट अधिकारी सिंचाई विभाग में हों और बड़े-बड़े अधिकारी आंख मींच कर चलते हों सिंचाई मंत्री जी का ध्यान नहीं, आप किसानों का भला करना चाहते हैं ? आप पैसा लोगे करोड़ों और लगेगा हजारों यह सारा का सारा पैसा मंत्री जी आपके अधिकारी खा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर खा रहे हैं, आपके मेट और मुंशी खा रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, विमल कुमार जैन का जयपुर में मकान बन रहा है, आप जांच तो करवाये इस चीज की कि उसका लोहा कहां से आ रहा है उसका सीमेंट कहां से आ रहा है ? एक जूनियर इंजीनियर है उसका मकान बूंदी में बन रहा है आप उसकी भी जांच करें कि उसका सीमेंट कहां से आ रहा है, उसका लोहा कहां से आया। छोटी-छोटी बातें है और कई लोगों के कोटा में मकान बन रहे हैं खुले आम सीमेंट जा रहा है, कई बार पकड़ा

(श्री गणेशलाल बैरागी)

गया लेकिन जांच कुछ नहीं हुई और जांच नहीं होने का कारण यह है कि ये लोग सुनते ही नहीं है और बात भी सही है भ्रष्ट लोगों के आगे हम कमजोर पड़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों पर कन्ट्रोल करें । हमारे नये–नये अधिशाषी अभियंता वहां पर गये हैं बहुत भोले लगते हैं मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना लेकिन केवल परचेजिंग आश्चर्यजनक बात है करोड़ों की नहीं, कोई फर्म नहीं कोई दुकान नहीं, सीधे–सीधे परचेजिंग कोई बिल नहीं कोई वाउचर नहीं, बाबू की ट्रे में बिल–बुक पड़ी रहती है, कहिये आपको टेण्डर कहां से लेने हैं। चार आदमियों के नाम भर देंगे कोटेशन में और चार में से एक का पास कर देंगे और वहीं पेमेण्ट ले लेंगे और वहीं का वहीं हिसाब–किताब हो जायेगा। आधा तो ले लेते हैं जूनियर इंजीनियर, आधा ले लेंगे मिस्त्री जी और आधा ले लेंगे बाबू । यह सब हो रहा है...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री गणेशलाल बैरागी : तो माननीय सभापति महोदया, इस तरह के लोगों और अधिशाषी अभियन्ता की जब यह हालत है कि एक रात में तो किसी कर्मचारी को सस्पेण्ड करेंगे और सवेरे वापस ले लेंगे। नियम यह है कि कोई भी पटवारी अपने गांव में नहीं रह सकता। जो उनके चहेते पटवारी है वह तो उनके गांव में रहेंगे उस पटवारी की जमीन वहां, मकान वहां वह वहां से नहीं जा सकता। मैंने आपसे निवेदन किया है अभयपुरा से जो गेहूं की ट्रोली पकड़ी गई थी, वी. के. जैन को फिर वहां भेज दिया, वही मेट और वही मिस्त्री उनको फिर वहां लगा दिया तो निवेदन करने का यह है माननीय सभापति महोदया, वास्तव में राजस्थान सरकार यदि किसान का भला चाहती है किसान के खेत में पानी पहुंचाना चाहती है तो पहली बात तो यह है कि उनकी नीयत होनी चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री गणेशलाल बैरागी : और नीयत होने के बाद में उनके नीचे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं उन पर इनका कन्ट्रोल होना चाहिए और कन्ट्रोल होने के लिए यह आवश्यक है कि यह अपने आपको साफ सुथरा रखें और कन्ट्रोल होगा तो जितने पैसे आप विभाग को देंगे उसमें से बहुत अधिक पैसा खर्च होगा और सही खर्च होगा, सही उसका उपयोग होगा तो निश्चित रूप से यह किसान के काम में आयेगा और किसान के लिए बांध बनायेंगे, एनीकट बनायेंगे, लिफ्ट योजनायें बनेंगी और किसान को राहत मिलेगी इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि मेरे यहां एक प्रोजेक्ट सर्वे में पड़ा हुआ है उसका सर्वे आप कृपा करके पूरा करवा दें, अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें काम चलवायें मैंने एक निवेदन किया है मेंडी, मेंडी का प्रोजेक्ट बन रहा है मेरे यहां एक सलावलिया है। माननीय यातायात मंत्री जी गये थे कुछ दिनों पहले वह कह कर आ गये तीन महीने में आपका काम चल जायेगा। माननीय सिंचाई मंत्री जी, माननीय यातायात मंत्री जी कह कर आये हैं सलावलिया

(157)

(श्री गणेशलाल बैरागी)

और मेंडी के लिए आप भी उनकी बात की ताईद करके उनका समर्थन कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा, समय सीमा का ध्यान रखें, सभी पार्टियों के सदस्य बोल सकें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : सभापति महोदया, सिंचाई की मांग संख्या 46 पर सदन में विचार चल रहा है। जल हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां अकाल और अभाव हमेशा बना रहता है, एक–एक बूंद का उपयोग हम कर सकें और उससे राजस्थान की खुशहाली के अन्दर योगदान मिल सके यह हमारे प्रयास होने चाहिए। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें 33 हजार 827 हैक्टेयर भूमि कुल सिंचित क्षेत्रफल है जो केवल हमारी कुल उपलब्ध भूमि का 11% करीब भू–भाग है जिस पर हम सिंचाई विभिन्न साधनों से कर पाते हैं।

माननीय सभापति महोदया, जो बजट 1989–90 के लिए निर्धारित किया गया है उसमें सिंचाई के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए 149.90 करोड़ रुपयों का प्रावधान राजस्थान सरकार ने सिंचाई के लिए निर्धारित किया है। जो कुल वार्षिक योजना का 20.11% होता है। कुल 30 हजार कुओं का इस वर्ष उर्जीकरण करने का प्रस्ताव राज्य सरकार का है। यह राजस्थान के अन्दर लगातार जो अकाल और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसके बावजूद भी, इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी जो राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए प्रावधान किये हैं मैं मानता हूं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदया, समय का अभाव है और इसी बात को ध्यान में रखकर मैं मेरे जिले की जो सिंचाई समस्या है उसकी ओर माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे जिले की जो कुल कृषि योग्य भूमि है, कुल भूमि उपलब्ध है, उसमें 73.26% भूमि इस प्रकार की है जो कृषि योग्य है और जिले के अन्दर जो सिंचित क्षेत्रफल है वह 9.01% जिले के अन्दर जो सिंचित भू–भाग है। माननीय सभापति महोदया, हमारा जिला प्रचुर जल सम्पदा रखता है और राजस्थान में सबसे अधिक जल क्षमता हमारे जिले में है लेकिन यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान जिसमें रेगिस्तान का हिस्सा भी है बहुत बड़ा भाग है उससे भी कम प्रतिशत 9.01 प्रतिशत हमारे जिले के अन्दर सिंचाई हो पाई है। माननीय सभापति महोदया, हमारे जिले के अन्दर जो विपुल जल सम्पदा है उसके आधार पर 5 वृहत सिंचाई योजनायें हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : जो सर्वेक्षण की गई है लेकिन यह दुर्भाग्य है उनमें से एक भी योजना का काम अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। अनेक योजनायें राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को या सेन्ट्रल वाटर कमीशन को भेजी गयी है.... लेकिन उन योजनाओं की स्वीकृति कब तक होगी, कब तक उनके ऊपर काम चल सकेगा इसका अभी तक कोई अन्दाज नहीं लगाया

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

जा सकता है। जो दस मध्यम सिंचाई योजनाएं हमारे जिले में सर्वे की गयी हैं, आइडेन्टीफाइड है उसमें से केवल तीन योजनाओं के ऊपर हमारे जिले में काम चल रहा है, 140 लघु सिंचाई योजनाएं झालावाड़ जिले में आइडेंटीफाइड की गयी हैं उनमें से केवल 9 लघु सिंचाई योजनाएं ही हमारे जिले में इस प्रकार की हैं जिनमें सिंचाई के लिये कार्य चल रहा है सभापति महोदया, विपुल जल सम्पदा के होते हुये भी जिस प्रकार से मैंने निवेदन किया कि हमारी यह जो राष्ट्रीय धरोहर है जल, यह बेकार हमारे जिले से चला जा रहा है। एक ओर जहां हम यह प्रयास कर रहे हैं कि रेगिस्तान जैसे प्रदेश में इन्दिरा गांधी नहर के माध्यम से जल लाकर और हम उस भू-भाग को सिंचित करना चाहते हैं वहीं दूसरा ऐसा भाग हमारे प्रदेश के अन्दर हमारे जिले जैसा है जहां पर विपुल जल सम्पदा बहकर चली जाती है उसका उपभोग हम नहीं कर पा रहे हैं और हरा-भरा प्रदेश भी रेगिस्तान के रूप में आज बदलता जा रहा है। जो बजट प्रावधान हमारी विभिन्न योजनाओं पर किये गये हैं उनको भी अगर हम देखें तो, मैं यह मानता हूं हमारे जिले के साथ इस सम्बन्ध में न्याय नहीं हो पाया है। मैं राज्य सरकार से यही उम्मीद रखता हुआ माननीय मन्त्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारी ओन गोइंग स्कीम्स हैं उन पर अधिक से अधिक बजट प्रावधान किया जाये ताकि वह समय पर पूरे हो सकें। जो हमारी आइडेंटीफाइड स्कीम्स हैं, मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं उनके ऊपर कार्य प्रारम्भ किया जाये और कुछ योजनाएं जो सरकार के विचाराधीन हैं, हमारी स्थिति मध्यप्रदेश से हम जुड़े हुये हैं और मध्यप्रदेश के अन्दर जितनी भी नदियां बहकर हमारे जिले में आती हैं उन नदियों के ऊपर बांध बनाये जा रहे हैं, एनीकट बनाये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश उस सारे पानी को रोकने पर अपनी योजनाएं बना रहा है। यदि धीरे-धीरे उन सारी योजनाओं के ऊपर मध्यप्रदेश सरकार बांध बना देगी तो आज जो हमारी यह विपुल सम्पदा है उसका, हमारा जिला और राजस्थान उपयोग नहीं कर पायेगा। हमारी अनेक योजनाएं मध्यप्रदेश और राजस्थान के विचाराधीन हैं दोनों सरकारों के पूरे कार्य करने के अभाव में अभी तक उन पर काम नहीं चल पाया है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो योजनाएं मध्यप्रदेश सरकार के साथ आपको विचार विमर्श करके शुरू करनी हैं उसके बारे में राजस्थान सरकार की तरफ से पहल की जाये ताकि समय पर जो नदियों का पानी हमारे जिले में है उसका उपयोग कर सकें।

माननीय सभापति महोदया, हमारे जिले में नदियां नालों के जल भण्डार हैं जिनका उपयोग जलोत्थान योजनाओं के माध्यम से अगर हम करें तो बहुत बड़ा भू-भाग हम सिंचित कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के सारे जो स्थल हैं उनका सर्वेक्षण किया जाये, उनकी योजनाएं बनाई जावें और उनको क्रियान्वयन करने के लिये पहल की जाये।

जिला झालावाड़ में वर्तमान में विकास

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

का जो रुख है उसको देखते हुये आज स्थिति इस प्रकार की हो गयी है कि काफी पानी बरसात अधिक होने के बाद भूमिगत जल निरन्तर नीचे चला जाता जा रहा है और कुओं के अन्दर जल स्तर काफी ज्यादा नीचे गिर गया है। सभापति महोदया, हमारे जिले में एनीकट के माध्यम से नदियों नालों पर अगर बड़े बांध नहीं बना सके और अगर इतनी राशि सरकार के पास उपलब्ध नहीं है तो छोटे बांध बनाकर एनीकट बनाकर उस पानी को अगर रोका जाये तो उससे जो भूमिगत जल स्तर नीचे गया है वहां भी पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिले में सिंचाई योजना, पेयजल के अन्दर भी काफी सुविधा हमें मिल सकेगी।

माननीय सभापति महोदया, गत वर्ष अकाल के अन्दर बहुत सारे कुएं, राजस्थान सरकार के द्वारा सारे राजस्थान में खुदवाये गये और कृषकों को अनेक योजनाओं के मार्फत लाभान्वित किया गया लेकिन अकाल राहत के अन्दर जो खुदवाये गये कुएं हैं उनमें से अनेक कुएं अभी भी अधूरे पड़े हुये हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसी न किसी योजना के तहत उनको हाथ में लिया जाये ताकि जो पैसा सरकार का लगा है और जो फायदा सरकार उन किसानों को देना चाहती है उन योजनाओं का और उस पैसे का सदुपयोग हो सके।

मै एक हमारी जो भीमसागर परियोजना है उससे सम्बन्धित एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जिले में खड़ी हो गयी है उसकी ओर भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस मध्यम सिंचाई परियोजना से असनावर को बसाने के लिये एक मास्टर प्लान बनाकर भूमि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी लेकिन जो उस गांव को बसाया जाना था उसमें से अनेक लोग अभी भी इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि उनको सरकार भूखण्ड आवंटित करेगी और उनको बसाया जायेगा। हर बरसात के अन्दर हमारे असनावर में पानी भर जाता है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नावों के माध्यम से, दूसरे माध्यम से प्रशासन के द्वारा उनको निकाला जाता है लेकिन अभी जो नई बस्ती है उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है और वहां के जो स्थानीय सरपंच हैं उनके द्वारा जिन लोगों को पट्टे नहीं मिलने चाहिये थे, मनमानी एक तरफा भारी भ्रष्टाचार की वहां शिकायत है। जिन लोगों को पट्टे मिलने चाहिये थे, जिनको जमीन मिलनी चाहिये थी वह जमीन से महरूम है और दूसरी जो आवंटन सलाहकार समिति थी उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। वहां के स्थानीय सरपंच ने मन माने तरीके से पट्टे और भूखण्ड दे दिये हैं और लोग अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। हमारी सतर्कता समिति के द्वारा जो जिले की है उसके द्वारा जांच की गयी, उनको दोषी पाया गया, राज्य सरकार को भी उस पर लिखा गया लेकिन ऐसे +++ सरपंच के विरुद्ध जो गैर कानूनी काम करता है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यहां कहां सरपंच आ गये। समाप्त करिये।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मध्यम सिंचाई परियोजनाएं विस्थापित लोगों को बसाने के लिये यह भूमि सरकार के द्वारा दी गयी थी और मास्टर प्लान बनाया गया था उस मास्टर प्लान का पालन नहीं किया गया, अवैध कार्य इस तरह से चल रहे हैं उन पर पाबन्दी लगाने के लिये आप कार्यवाही करेंगे यही मेरी गुजारिश है, आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री मानिकचन्द सुराना : आन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर । सभापति महोदया, यह मुख बन्द का समय है, यह चूंकि सिंचाई की बहस शुरू ही हुई है, मेरा निवेदन है कि इसको कृपया आगे बढ़ाया जावे ।

श्री सभापति : बहस समाप्त होने तक ।

श्री मानिकचन्द सुराना : मुख बन्द का समय है चार बजे, इसलिये मुख बन्द को आगे बढ़ायें अन्यथा सिंचाई की बहस ही कुछ नहीं हो पायेगी....

(3.47 म.प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिये मुख को खुला रखें ताकि सिंचाई पर बहस हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख बन्द को एक घण्टे के लिये और बढ़ा....

श्री मानिकचन्द सुराना : दो घण्टे के लिये, उपाध्यक्ष जी, फिर 10-15 मिनट इसी जद्दो-जहद में जायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : हम आपको बोलने देंगे ।

सदन की कार्यवाही

मुख बन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख बन्द का समय 4 बजे से 5 बजे तक बढ़ा दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या मुख बंद का समय एक घण्टे के लिये बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से मुख बन्द का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया गया ।

श्री यदुनाथ सिंह ।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, आज थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी । इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं अपनी ओर से राजस्थान की जनता के लिए दुआ करता हूं कि भरपूर बारिश राजस्थान में हो क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश के और जितने भी राज्य हैं उनसे विपरीत परिस्थितियों में रह रहा है । देश की 13.87 प्रतिशत जमीन कृषि योग्य राजस्थान में है लेकिन जो जल की उपलब्धता है वह हमारे पूरे देश की एक प्रतिशत है यानि सरफेस वाटर 15.87 मिलियन एकड़ फीट है और करीब-करीब हम पूरे पानी का उपयोग कर चुके हैं ।

(श्री यदुनाथ सिंह)

उसमें मास्टर प्लान में आपने 2.93 मिलीयन एकड़ फीट पानी ऐसा बताया है जिसके लिये योजनाएं बनती हैं लेकिन उसके बाद जब मास्टर प्लान तैयार हुआ तो मुझे विश्वास है कि उस पानी को हम करीब-करीब उपयोग में ला चुके हैं।

अण्डर ग्राउण्ड वाटर की जो स्थिति है, हमारे राज्य में 11 मिलियन एकड़ फीट अण्डर ग्राउण्ड वाटर है लेकिन उस में से भी करीब 4 मिलियन एकड़ फीट पानी को हम एक्सट्रेक्ट कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। 7 मिलियन एकड़ फीट अण्डर ग्राउण्ड वाटर हमारे राज्य में बचता है। हम सब जानते हैं कि भूमिगत जल का उपयोग करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वह पानी आया रिचार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस रिज़र्व को हम हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए खाली करके तो नहीं जा सकते इसलिए भूमिगत जल का उपयोग करते समय हमें बराबर बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। भूमिगत जल के उपयोग में पीने के पानी के लिए प्रायोरिटी हम पहले देंगे। इसलिए जब इस प्रकार की स्थिति, भौगोलिक स्थिति राजस्थान की है, राजस्थान के दो तिहाई हिस्से में, 60 प्रतिशत हिस्से में अकाल है तो सिंचाई का विषय राजस्थान के लिए विशेष महत्व का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान कैनाल योजना शुरू की। राजस्थान कैनाल की योजना में हम लोगों ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किया, सात सौ करोड़ रुपए के करीब। तो यह सरकारी तौर पर कहते हैं कि हम खर्च कर चुके लेकिन सी. ए. डी. के वर्क्स को भी देखें, फारेस्ट के वर्क्स को भी देखें, रोड्स के वर्क्स को भी देखें, और वर्क्स को भी देखें तो करीब तीन हजार करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन सिंचाई का पोटेंशल कितना क्रिएट किया? 6 लाख हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई के करीब। फिर जो पोटेंशल हम क्रिएट कर रहे हैं उतना भी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, यह पोटेंशल क्रिएट करने के लिए हमारा करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। राजस्थान कैनाल कब पूरी होगी? अभी पिछले वर्ष ही मेरे को डी. पी. आर. की विज्ञप्ति के मार्फत जाने का, उसको देखने का मौका मिला। उपाध्यक्ष महोदय, डी. पी. आर. खुद मानता है कि जिस प्रकार से फण्ड हम को अलाट हो रहे हैं राजस्थान कैनाल में, अगर यही हाल रहा तो सन् 2025 में हम इस योजना को, अगर भाव इसी प्रकार बढ़ते रहे तो पूरा कर पायेंगे। उसको पढ़ कर मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता। यह थिति है। मुझे कोई गुरेज नहीं लेकिन पूरे राजस्थान की खून-पसीने की कमाई राजस्थान कैनाल में लग जाय, उसमें बंगलिंग होती रहे, उसकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाय, ऐसी स्थिति राजस्थान कैनाल की आज बनी है।

रावी-व्यास के पानी के बंटवारे का सवाल आता है, बिना बात राजस्थान को घसीट कर हर बार बलि का बकरा बनाया जाता है। अभी इराडी कमीशन का एवार्ड आया। इराडी कमीशन के एवार्ड के बाद क्या अधिकार था बी. बी. एम. बी. को कि उसने अपका फाबुलेशन निकाल दिया

(श्री यदुनाथ सिंह)

कि राजस्थान को आठ मिलियन एकड़ फीट पानी ही मिलेगा ? 0.6 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान के पानी को बी. बी. एम. बी. हड़प करने का षड़यन्त्र रचे, ऐसी स्थिति राजस्थान के सामने पैदा हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, परसरामजी मदेरणा यहां बोले थे, उन्होंने कहा था कि हम कोई चूहे नहीं जो बिलों में घुस जायेंगे। यहां भाषण देकर चले जाते हैं लेकिन हमेशा राजस्थान को सताने का काम केन्द्र सरकार करती रहती है, हरियाणा सरकार करती रहती है, उत्तरप्रदेश सरकार करती रहती है, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मेरा कहना है। उस पानी को हड़पने का षड़यंत्र किया। उपाध्यक्ष महोदय, 1984 में समझौता हुआ, छोड़िये बिजली के हिस्से को, भाखड़ा मेन लाइन जो रेस्टोरेशन था उस रेस्टोरेशन को आज तक हम करवा नहीं पाये पंजाब से। केन्द्र सरकार पर दबाव डाल नहीं पाये। हमारी भाखड़ा मेन लाइन टूटी पड़ी है, हमारे पानी को पंजाब हड़प कर रहा है लेकिन हमको इस बात की कोई चिन्ता नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, घग्घर की बाढ़ आती है, घग्घर का पानी आता है, हमारा वह सारा पानी अंधाधुंध बह कर पाकिस्तान चला जाता है। इन्दिरा गांधी कैनाल और राजस्थान के सिंचाई विभाग में इतना कोआर्डिनेशन नहीं कि घग्घर की बाढ़ के पानी को उपयोग में लाने के लिए. उसे राजस्थान कैनाल में वापस डालने के लिए जो रिक्वायरमेन्ट है 3–5 करोड़ रुपये की उसे आपस में तय करके उस पानी को उपयोग में लाने की योजना को कार्य रूप दे सकें। राजस्थान कैनाल की आज यह स्थिति बना दी गयी है। कब पूरी होगी, यह मैंने पहले बता दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आप देखिये, नर्मदा का मामला है, नर्मदा के पानी के उपयोग का मामला है। 1966 में एवार्ड हो गया कि नर्मदा से राजस्थान को 0.5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने से पहले जब प्रपोजल्स रखे गये तो गुजरात सरकार ने कहा कि हम खेड़ा जिले के माही से सिंचित होने वाले एरिया को नर्मदा से सिंचित करेंगे और गुजरात के ऊंचे एरिया में और राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर एरिया में माही के उस पानी को ट्रांसफर करने का वायदा करेंगे। लेकिन अब सरदार सरोवर बांध बन रहा है। उसके बावजूद उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उस एरिया को, उस पानी को नर्मदा की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन्क्लूड नहीं किया और माही के पानी से जो एरिया डीकमाण्ड करना था वह एरिया डीकमाण्ड नहीं किया। 1966 के एग्रीमेंट का वायोलेशन गुजरात सरकार करती चली जाय और हमारे पानी को हड़प करने का गुजरात सरकार इरादा करती चली जाय, यह स्थिति आज हमारे सामने बनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश को लीजिए। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों की मीटिंग हुई थी। राजस्थान के मुख्य मंत्री इतने +++ कि उन्होंने यह मामला तक नहीं उठाया कि मध्य प्रदेश अपने कैचमेंट एरिया में

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(160)

(श्री यदुनाथ सिंह)

बराबर पानी को रोकता चला जा रहा है, सोखता चला जा रहा है। उस तरफ से राजस्थान को किसी प्रकार पानी नहीं मिले, यह सवाल उठाने तक की हिम्मत हमारे मुख्य मन्त्री में नहीं है। यही स्थिति हमारे चम्बल की बनी है। चम्बल की बात करते हैं, मुझे दुःख होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि चम्बल का 10 मिलियन एकड़ फीट पानी बह कर निकलता हुआ यमुना में जा मिले लेकिन चम्बल के पूरे पानी को हम किस प्रकार उपयोग में लायें उस उपयोग की योजनाओं को लागू करने की स्थिति में हम नहीं है, लागू करने की मंशा हम नहीं रखते।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सब योजनाओं का पानी भी हम उपयोग में ले लें, पूरे सरफेस वाटर को उपयोग में ले लें, अण्डर-ग्राउण्ड वाटर का उपयोग कर लें, रावी-व्यास का पूरा पानी ले लें, राजस्थान कैनाल को पूरा कर लें, कडाणा का पानी ले लें, नर्मदा का पानी ले लें, मध्यप्रदेश से भी पूरा पानी ले लें तो भी राजस्थान की जो कृषि योग्य भूमि है 26.7 मिलियन हैक्टेयर, उस में से हम 6 मिलियन हैक्टेयर जमीन की ही सिंचाई कर पायेंगे। इस-लिए, जैसा मैंने कहा, राजस्थान के सामने बहुत विकट स्थिति है। बहुत विकट स्थिति में क्या करें? राजस्थान कैनाल को आप पूरा कर लेंगे लेकिन थीन डैम में आपको कोई पूछ नहीं रहा। राजस्थान कैनाल में पानी की अवेलेबिलिटी थीन डैम की क्या स्थिति बनती है, उसमें हिस्सेदार हैं या नहीं, उस पर निर्भर करती है। जो पानी इम्पाउण्ड होगा उसमें से कितना पानी हम को मिलता है उसके ऊपर सारी सीरिज ऑफ फ्लो निर्भर करेगी। लेकिन थीन डैम में हमको कोई पूछ नहीं रहा। हमारे मुख्य मन्त्री को निमन्त्रण तक नहीं आता, यह स्थिति आज बनी है। हम उसमें इन्वेस्ट कर नहीं रहे। पंजाब उस का निर्माण कर रहा है, पंजाब उस पानी को ही गटकने की योजना बना रहा है और केन्द्र सरकार उसमें सहा-यक बन रही है। जैसा मैंने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम इन योजनाओं का पूरा उपयोग कर भी लें तो भी राजस्थान में हम केवल 6 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई ही कर पायेंगे। तो फिर 20 मिलियन हैक्टेयर जमीन के लिए क्या विचार है, क्या योजना है? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मजाक भी बहुत से लोग उड़ाते हैं लेकिन अगर हमें इस जमीन पर सिंचाई करनी है तो हमें गंगा-यमुना के पानी में से हिस्सा लेने की बात को बहुत मुस्तैदी और दृढ़ता से उठाना होगा। गंगा में हम 12 मिलियन एकड़ फीट पानी की मांग कर रहे हैं और यमुना में 2.55 मिलियन एकड़ फीट पानी की मांग कर रहे हैं। तो उस 14.55 मिलियन एकड़ फीट पानी को प्राप्त करने के लिए हमें पूरे प्रयास करने होंगे। लेकिन मुझे दुःख है, पीड़ा है कि 1962 से इस मामले में चिट्ठी-पत्री और 2-1 मीटिंग चलती रहीं। सन् 1963 में नाथूरामजी मिर्धा भी मीटिंग में मौजूद थे जो केन्द्रीय सिंचाई मंत्री के सामने हुई थी। उस मीटिंग में तय हुआ था कि केशाऊ डैम का निर्माण किया जायेगा और केशाऊ डैम में राजस्थान लग-भग 12 पर्सेण्ट हिस्से का भागीदार होगा। लेकिन केशाऊ डैम का क्या हुआ, केशाऊ डैम बना क्या? केशाऊ डैम के प्रपोजल्स हमने अभी तक क्या दिये? उसमें बिजली

(श्री यदुनाथ सिंह)

की हमारी क्या हिस्सेदारी है, पानी की क्या हिस्सेदारी है ? आपको, उपाध्यक्ष महोदय, याद होगा कि दो साल पहले विपक्ष ने यहां टिहरी डैम का मसला उठाया था कि यह तय होने के बावजूद कि जब तक गंगा-यमुना के पानी में हिस्सेदारी तय नहीं हो जाय, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की, तब तक कोई भी सरकार इन परियोजनाओं पर काम नहीं करेगी, नयी योजना का निर्माण नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार उसका लगातार उल्लंघन करती हुई राजस्थान के पानी को गटकने का काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, ताजेवाला हैडवर्क्स से वैस्टर्न यमुना कैनाल और ईस्टर्न यमुना कैनाल की मार्फत हरियाणा और उत्तर प्रदेश यमुना के पानी को सोख रहे हैं, ओखला से सोख रहे हैं। यमुना के पानी की बात करें, नया ओखला बैराज बना, नये ओखला बैराज में हमने एक करोड़ 38 लाख रुपए आज तक दिये ही नहीं। ओखला बैराज में हम अपनी हिस्सेदारी नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारें क्यों हमारी मांग मानेंगे कि आप हिस्सेदार हैं इस पानी में ? हमारे हिस्से का चुकारा हमें करना चाहिए। उत्तरप्रदेश सरकार अगर लेने से मना करती है तो केन्द्र सरकार के सामने जाना चाहिए और जरूरी हो तो इण्टर स्टेट वाटर डिस्प्युट्स के तहत अपनी बात रखने का काम करना चाहिए। तभी फ्लो और सीरीज बढ़ेगी और 3210 क्यूसेक्स अतिरिक्त पानी हमको मिलेगा ओखला बैराज से।

उस पानी का राजस्थान मे क्या होगा, राजस्थान को कितना हिस्सा मिलेगा उसकी ओर हमारी सरकार और राजस्थान के लोग सचेत नहीं हैं।

आप गुड़गांवा कैनाल को लिंक कैनाल का हरियाणा को पैसा नहीं देंगे, भरतपुर फीडर की लिंक कैनाल का उत्तर प्रदेश को पैसे का चुकारा नहीं करेंगे, तो वह लोग उसका मेन्टेनेन्स नहीं करते हैं। गुड़गांवा कैनाल जो 200 क्यूसेक्स पानी पर टूटने की स्थिति में हो जाती है जहां 500 क्यूसेक्स पानी है। इसी प्रकार गुड़गांवा फीडर भी टूटने की स्थिति में हो जाती है। इसलिये इस समय जितने भी अन्तर्राज्यीय मसले हैं उनके आप कृपा कर पैसे के चुकारे के जो मामले हैं, पैसे चुकारा करने का काम करिये।

मैं इस मौके पर इतना ही कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां-जहां पुरानी ट्रेडिशनल सिंचाई प्रणालियां चल रही हैं, मेरे यहां का बहुत बार जिक्र हो चुका है, आज मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इतना पुनः निवेदन करना आज इस मौके पर उपयुक्त होगा कि भरतपुर की सिंचाई प्रणाली में अगर आपको सुधार करना है, वह सिंचाई प्रणाली संसार की अनूठी सिंचाई प्रणाली है, और जहां-जहां भी ऐसी प्रणाली है उसको भरतपुर प्रणाली बोलते हैं, वहां के रेगुलेशन सिस्टम को समझने वाले इंजीनियर्स को वहां पर लगायें, जो इसको समझें, और लोगों को बतायें ताकि वह परिचित हो जायं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां का रेगुलेशन सिस्टम कम्प्लीट है, यानी पानी को आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं कोई फ्लड की स्थिति आयेगी नहीं और एक-एक इंच जमीन में पानी को पहुंचा

(श्री यदुनाथ सिंह)

सकते हैं। इसलिये रेगुलेशन सिस्टम को आप कम्पलीट करा कर उस अनूठी सिंचाई प्रणाली को जिन्दा रखने का काम करेंगे।

मैं संक्षेप में ब्रोडली बात कर रहा था, इसलिये इतना ही पर्याप्त होगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई (लसाड़िया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 पर सदन में आज चर्चा हो रही है, मैं भी उस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की जो डिमाण्ड है वह बहुत महत्वपूर्ण है, मानव के के लिये, पशु–पक्षियों के लिये जीवन का यह आधार है। राजस्थान हमेशा से अकाल से जूझता चला आ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के लिये जो बजट प्रावधान किया गया है वर्ष 1989–90 के लिये मेरे हिसाब से यह बजट बहुत कम है....(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : यह डिस्टर्ब कर रहे हैं साहब, इन्हें चुप तो करवाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Very good. Suggestion has come from Daniel. कृपया शांत रहें।

श्री कमला भाई : बोलने दें।

यह बजट इससे दुगुना होना चाहिये। कारण हमारे मेवाड़ के अन्दर, जो पहाड़ी क्षेत्र है खास तौर से नदी–नाले हैं, हमेशा पानी बह कर समुद्र में जाता है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है और सिरोही है, इन जिलों की अरावली पर्वत शृंखला है, नदी नाले अधिक होने से वह पानी समुद्र में चला जाता है, इसलिये इन जिलों के लिये मास्टर प्लान बनाकर, लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई के प्रोजेक्ट के लिये मास्टर प्लान बनवाया जाय क्यों कि वहां छोटी छोटी भूमि की जोत हैं, वहां पर सिंचाई हो सकेगी और गरीब और आदिवासी लोगों की गरीबी दूर हो सकेगी, यह मेरी मान्यता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप लम्बा समय नहीं देंगे बोलने के लिये, इसलिये मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात आपको कहना चाहता हूं। जाखम प्रोजेक्ट पर करीबन 50–60 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और जब बारिश होती है तो पानी उसमें से ओवर फ्लो होकर चला जाता है। इसलिये जाखम प्रोजेक्ट की करीब 10 फीट ऊंची हाइट ली जाय तो उस तहसील में जितने गांव वंचित रहे हैं, लेफ्ट और राइट कैनाल बड़ागांव तक जा सकती है। एल. एन. सी. कैनाल, बुरगोनी, बुनागढ़ और भटवा तक पहुंच सकती है। करनई नदी पर पिक अप वीयर बना हुआ है उसकी भी हाइट बढ़ाई जाय क्योंकि सूखली नदी है उसका पानी भी बिल्कुल समुद्र में जाता है। उसको बांध दिया जाय तो अधिक मात्रा में क्षेत्रफल सिंचित हो सकता है और वहां के आदिवासियों और गरीब लोगों की गरीबी दूर हो सकती है....

(समय समाप्ति सूचक–घण्टी)

(श्री कमला भाई)

इसके अलावा, मध्यम और लघु सिंचाई के जो जो फैमिन में कार्य चालू किये हुये हैं, वहां पर मिट्टी डाली हुई है, वह मिट्टी कट कट कर-जा रही है, उन कार्यों को प्लान में लिया जाय और बन्धवाया जाय ताकि जमीन पर जितनी धनराशि खर्च की गयी है वह धनराशि उपयोग में आ सकें, यह मेरी मान्यता है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री कमला भाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका ...

श्री उपाध्यक्ष : आज एक ही घण्टे का समय है, 7 मिनट आपको हो गये हैं इस लिये सभी को थोड़ा थोड़ा बोलने का समय मिलेगा।

श्री कमला भाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रावतबोर का पानी का तालाब, सूखली नदी, नाड़ाबोरा में, गाजना तालाब, मानपुरा तालाब का फैमिन में काम चल रहा था उन तालाबों को लिया जाय। सोम–कमला–अम्बा की जो लैफ्ट कैनाल है वह लैफ्ट कैनाल राटड़ी बगेरोन तक जा सकती है, उसका सर्वे हो चुका है मगर उसका अभी तक काम हाथ में नहीं लिया गया है।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानपुर....

(समय समाप्ति सूचक–घण्टी)

तालाब, गनेरी तालाब है उन तालाबों को बन्धे हुए 20 साल हो गये हैं, आदिवासियों की जमीन, खातेबन्दी की जमीन डूब में आयी थी लेकिन आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं चुकाया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हर कहीं खातेबन्दी की जमीन का तत्काल मुआवजा चुकाया जाता है लेकिन मानपुर और गनेरी तालाब के अन्दर जिन आदिवासियों की जो जमीन डूब में आयी हुई है उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके अलावा सोम–कमला–अम्बा में जिनकी जमीन डूब में आ गयी थी उनको डूंगरपुर के अन्दर 10 हजार रुपया दिया गया है और उन लोगों को 5000 रुपया दिया गया है अतः उन्ही के बराबर मुआवजा मिलना चाहिये, यह मेरी मान्यता है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

माननीय श्री हीरालाल जी आर्य। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : दाऊदयाल जोशी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नाम तो उनका है....

श्री भंवरलाल शर्मा : तीन नाम जो दिये हैं उनमें इनका नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री कमला भाई : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस समय उत्तर दें तो जो मैंने कहा है उसका पूरा जवाब मुझे मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि करीब 47 परियोजनाएं राजस्थान की केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई हैं लम्बे समय से ? दुर्भाग्य है कि पिछले सात साल से सरकार कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्वीकृत कराकर लायी नहीं है और उसी के परिणामस्वरूप हमारी सिंचाई की इतनी बड़ी राशि का योजनाओं में रखने के बावजूद भी सही सही उपयोग नहीं ले पा रहे हैं । मध्यम परियोजनायें भी बड़ी तादाद में केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हुई हैं । मेरे क्षेत्र में पांच बड़ी नदियां हैं । मनोहरथाना योजना के नाम से एक योजना है जहां पर तीन बड़ी नदियां मिलती हैं, जो मध्यप्रदेश और राजस्थान के माध्यम से बनने वाली थी आज उस योजना का क्या हश्र हुआ है ? जनता राज में यह तय हुआ था कि माही प्रोजेक्ट के बाद पूरा का पूरा स्टाफ मनोहरथाना परियोजना पर आयेगा माननीय यदुनाथसिंह जी जो अभी कह रहे थे कि गांधी सागर कैचमेंट एरिया में मध्यप्रदेश ने डैम बनाकर सारे पानी का उपयोग कर लिया । आज गांधी सागर परियोजना समाप्त प्रायः सी हो गयी है क्योंकि ऊपर सौ से अधिक डैम बन चुके हैं । चूंकि हमारे मुख्य मंत्री दब्बू मुख्य मंत्री हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई प्रभाव केन्द्र में नहीं है इसी कारण से मध्यप्रदेश ने कैचमेंट एरिया को डिस्टर्ब किया और यही हश्र मनोहरथाना योजना का होगा । मध्यप्रदेश से बहती हुई जो कालीसिंध नदी आती है वहां जगह जगह कैचमेंट एरिया को डिस्टर्ब किया उससे राजस्थान के एक बहुत बड़े भू-भाग, करीब सवा लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने वाली योजना बनने जा रही थी वह योजना कहां दब गयी है, यह अहम प्रश्न है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरदड़ा योजना का तीन बार बूंदी में शिलान्यास हुआ । पहले मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर पहुंचे, शिलान्यास कर आये । उसके बाद हरिदेवजी जोशी मुख्य मंत्री बने और हरिदेवजी भी वहां पर शिलान्यास का पत्थर लगा आये । फिर शिवचरण जी माथुर पर दबाव डाला, हरिमोहन जी चूंकि विद्रोही कांग्रेसियों में से थे, हरिमोहनजी के दबाव के कारण फिर शिवचरण जी माथुर ने वहां जाकर के शिलान्यास का पत्थर लगा दिया । आज आश्चर्य है कि वह गरदड़ा योजना कहां गयी, कौन उसको खा गया ? तीन तीन बार वहां पर इंजीनियर्स की टीम पहुंच गयी । योजना के लिए श्री हरिमोहनजी बराबर मांग करते रहते हैं लेकिन उस योजना का कोई अता पता नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष जी, चम्बल सिंचित क्षेत्र की योजना मृत प्रायः होने जा रही है । चम्बल से सिंचाई हम बहुत बड़े क्षेत्र की करते हैं और जिस प्रकार का मेन्टीनेन्स के लिए बजट का अभाव है उसको देखते हुए लगता है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र में योजना ने जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह लाभ आने वाले 10 सालों में समाप्त प्रायः हो जायेगा ।

पिछली बार बड़े जोर से हमने यहां चम्बल सिंचित क्षेत्र की राइटमेन कैनाल लेफ्ट-मेन कैनाल की बात उठायी थी ।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

लैफ्ट मेन कैनाल पर तो कुछ फण्ड दिया है लेकिन राइट–मेन कैनाल, जो एक बहुत बड़ी मध्यप्रदेश में जाने वाली सिंचाई योजना है, जो अधूरी योजना है, पर सरकार ने एक कमेटी बनायी, कमेटी यहां से गयी, जाने के बाद उसने रिपोर्ट दी कि चार करोड़ रुपया तुरन्त सरकार को चम्बल सिंचित क्षेत्र की इस योजना को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए दिया जाना चाहिए। उसके बाद यह तय हुआ कि क्षेत्रीय मंत्री श्री रामकिशनजी और सिंचाई मंत्री दोनों उस योजना का सर्वे करेंगे। दुर्भाग्य रहा कि उस समय के तत्कालीन मंत्री हनुमान प्रभाकर जाते रहे और उनके बाद जो दूसरे मंत्री आये उनको फुरसत मिली या नहीं, आज वह 4 करोड़ रुपया जिसकी आज से 6 महीने पहले सिफारिश की हुई है, कहां गया? मई जून के अन्दर चम्बल सिंचित क्षेत्र में काम होते हैं। जब साल डेढ़ साल बाद काम होगा तब क्या होगा। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं तुरन्त अपना प्रभाव बनाकर के राइट–मेन कैनाल के लिए जो चार करोड़ रुपये की कमेटी ने मांग की है वह 4 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, कैचमेंट एरिया के लिए एक तथ्यान्वेषण कमेटी बनी हुई है जिसने तय किया है कि इस बात की जांच करेंगे कि यह कैचमेंट एरिया के डेवलपमेंट का पैसा वसूल करने की बात है इसके लिए हम क्या करें, कौन से तरीके से काम करें। माननीय नये सिंचाई मंत्री जी, मैं आपसे पुरजोर शब्दों में अपील करता हूं और साथ में चेतावनी देना चाहता हूं कि एक फूटी कौड़ी भी हम नहीं देंगे। क्योंकि विकास का काम जो हमें बताया गया था कि ड्योढ़ी से ज्यादा फसल कैचमेंट एरिया में हो जायेगी, आज उस क्षेत्र के सारे किसान माथा पकड़कर रो रहे हैं कि आखिरकार यह सब हुआ क्या। विकास की जगह विनाश हुआ है। जगह जगह अधूरे कार्य छोड़ दिये गये हैं, उसके पाइप कहां के कहां चले गये हैं, रास्ते जो बनाये थे वे सब साफ हो गये हैं। पुलियाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, डीजल में व्याप्त भ्रष्टाचार और सारी की सारी कैचमेंट की योजनाएं आज मृत प्राय: हैं। उसका करोड़ों रुपया किसान के ऊपर बैंक के माध्यम से लाद दिया गया है और बैंक उन लोगों के ऊपर केस बना रहा है। केस बनाकर कुर्कियां निकालने की बात कर रहा है। सरकार में हिम्मत नहीं है कुर्की के द्वारा कोई पैसा वसूल कर ले। हम ईंट से ईंट बजा देंगे कोटा जिले में लेकिन फूटी कौड़ी आपको नहीं देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। चम्बल में एक बहुत बड़ी समस्या आयी है....

श्री उपाध्यक्ष : चेतावनी तो आखिर में दी जाती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जलकुम्भी की समस्या सिंचाई के पानी के साथ में है और नदी में भी है। आप देखिये आखिरकार होता क्या है? साल भर पहले जलकुम्भी आयी, पूरी नदी पर छा गयी। 65 हजार रुपये का ठेका दिया गया, ठेकेदारों ने एक दिन काम नहीं किया। एडजस्टमेंट करके ऊपर से और पानी छुड़वा दिया और जलकुंभी बह गयी, 65 हजार रुपये ठेकेदार

(श्री दाऊदयाल जोशी)

की जेब में चले गये। कौन खा गया ? मेरा निवेदन करना है कि आखिरकार यह सब हुआ क्या ? एक 6 लाख रुपये की मशीन खरीदी गयी कि यह जलकुम्भी को रोकेगी आगे नहीं बढ़ने देगी। आज वह मशीन नदारद है। वह मशीन क्यों खरीदी गयी थी, किसके लिये खरीदी गयी थी ?

अन्त में मेरा निवेदन करना है कि एन. आर ई. पी. के तहत जो छोटे–छोटे बांध बनाने की बातें हुई है । कई जगह आधे अधूरे कार्य निर्माणाधीन पड़े हुए हैं। जवाहर रोजगार योजना पर तो नित्य–प्रति राजीवजी की सूरत के साथ एक ही बात सुनते हैं, जवाहर रोजगार योजना विकास का एक कदम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एन. आर. ई. पी. के तहत जो छोटे-छोटे बांध बने थे, 5–5, 7–7 लाख रुपया एक एक बांध पर खर्च हो चुका है उनका क्या हश्र होगा, उनको कौन बनायेगा, कहां से वह काम होगा ? अन्त में मेरा निवेदन है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र में जो छोटे छोटे बांध बने हैं, चाहे खातीकेड़ा हो, चाहे चौमा हो, चाहे डाहरा हो, इनका दो करोड़ से अधिक मुआवजा किसानों को देना है। कैसे योजना बनती है। डाहरा बांध की योजना बनी। मुझे परसों के दिन जवाब दिया गया कि चार सौ बीघा में सिंचाई होनी थी, डेढ़ सौ बीघा में सिंचाई हुई और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उपाध्यक्ष महोदय, डूब में जमीन कितनी आयी ? 6 सौ बीघा। डूब में 6 सौ बीघा, सिंचाई हुई डेढ़ सौ बीघा में, करनी थी चार सौ बीघा में। 21 लाख रुपये की ऐसी योजना बनायी। आखिरकार यह सारी की सारी योजनायें किस प्रकार से बनती हैं, कौन इन योजनाओं को बनाता है, कैसे योजना बनती है और वे फलीभूत क्यों नहीं होती ? आज मंत्री जी ने कहा है कि साढ़े 13 लाख रुपये हम डाहरा की योजना के लिए फिर से स्वीकार कर रहे हैं चूंकि वहां पर एक चोर है पानी का। माननीय मंत्री महोदय, चोर तो डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, पानी में नहीं बैठे हुए हैं। पानी में चोर है कि नहीं, डिपार्टमेंट में चोर हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कुछ सुधार करें। भ्रष्टाचार में लिप्त आपका डिपार्टमेंट है। यह अच्छा रहा कि भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप हैं वे आज नहीं हैं। कौन नहीं जानता कि इंजीनियर्स के तबादले में कितना रुपया लिया जाता। दो दो महीने बाद यहां से तबादले की लिस्ट जारी की, थोक भाव में। दो दो, चार चार नहीं दो दो सौ, तीन तीन सौ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें कृपया।

श्री दाऊदयाल जोशी : और बड़ी +++ कहते हैं कि हम खाते हैं तो पैसा ही खाते हैं। क्या खाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमरचन्दजी।

श्री दाऊदयाल जोशी : इन्जीनियर्स को लूटा है। इन्जीनियर्स को लूटते हैं। इन्जीनियर्स की जेबें पहली बार पिछले सत्र में कटी हैं। दो दो महीनों के अन्दर लोगों के तबादले होते रहे और पांच हजार से लेकर दस हजार तक लोग खाते रहे।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पोकरलाल परिहार।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दाऊदयालजी ने जो जलकुम्भी वाली बात कही है, शीशरामजी साहब सुनिये, हर साल सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है। जो जलकुम्भी वहां पर है, या तो डिपार्टमेंट यह कह दें कि हम नहीं निकाल सकते। लाखों रुपया सरकार का हर साल खर्च होता।

श्री शीशराम ओला : किसका खर्च होता ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : डिपार्टमेंट का होता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : डिपार्टमेंट का खर्च होता है हर साल, जलकुम्भी को पानी में से निकालने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह पूछते हैं, कहां पर कौनसी जगह पर।

श्री हरिकुमार औदिच्य : चम्बल बैराज के नाम पर। चम्बल नदी में, आपकी कैनाल में सब जगह जलकुम्भी छाई हुई है। उसमें लाखों रुपया खर्च होता है। नहीं निकाल सकते तो पैसा तो खर्च मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमरचन्दजी।

श्री ऋषिकेश मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : बहुत नीचे है, नम्बर नहीं आयेगा।

श्री ऋषिकेश मीणा : नीचे नहीं, आपको नाम तो लेना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। अमरचन्दजी बोलें।

श्री अमरचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46, सिंचाई पर आज चर्चा चल रही है। 89–90 का बजट रखा गया है। जल की एक एक बूंद की कीमत होती है। मनुष्य, पशु और पक्षियों की जल के आधार पर ही जिन्दगी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट आज की विषम परिस्थितियों के अन्दर बहुत ही कम रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में भी आपसे थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। ऊटवारिया बांध पर चार वर्ष से अकाल राहत के तहत काम चल रहा है। गत वर्ष एन. आर. ई. पी. के अन्दर 29 लाख की राशि स्वीकृति हुई लेकिन उस कार्य को बन्द करना पड़ा क्योंकि एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. को जवाहर रोजगार योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। अब उस पर बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

दूसरा कपासन के अन्दर भी रंघेड़ी–संधेड़ी गांव है उसके लिये भी बजट स्वीकृत हुआ वह भी इसके साथ लोप हो गया। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका प्लान बनाकर आपकी सेवा में भेज दिया गया है उस पर तुरन्त स्वीकृति फरमावें। वहां पर बांध बन जाने से लोगों को काफी फायदा मिलेगा और सरकार का जो पैसा

168

(श्री अमरचन्द)

लगा हुआ है अकाल राहत कार्यों के तहत, उसका भी उपयोग हो जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज पानी की दिनोदिन कटौती होती जा रही है। इसके लिए छोटे-छोटे बांध और छोटे–छोटे एनीकट्स बनाकर एक मास्टर प्लान बनाकर उसके आधार पर पानी को रोका जाय तो मैं समझता हूं कि पानी की बहुत बड़ी दिक्कत खत्म हो जायगी, पानी की जो तकलीफ है उससे सदा के लिए लोगों को मुक्ति मिल जायगी।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं, भोपालसागर फीडर काफी लम्बे समय से अधूरी पड़ी हुई है उस पर भी हमारा लाखों रुपया खर्च हुआ है। मैं ज्यादा लम्बा समय नहीं लूंगा। आगे के समय का ध्यान रखते हुए यही कहना चाहूंगा कि उस फीडर का काम अधूरा है, मंत्री महोदय, उसको तुरन्त ध्यान देकर पूरा कराने की कोशिश करें।

मुझे आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लालचन्द जी डूडी।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : उपा–ध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यदुनाथ नाथ सिंह जी ने सिंचाई के ऊपर काफी कुछ प्रकाश डाला है। मैं तो तीन चार मुख्य प्वाइन्ट्स हैं उनके ऊपर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं इन्दिरा गांधी कैनाल के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 17 सौ क्यूसेक की यह फीडर तैयार है और आज तक साढ़े नौ सौ और हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी इसमें नहीं दिया है और हमारा बचा हुआ पानी पाकिस्तान में जा रहा है। पाकिस्तान उस पानी को इस्तेमाल कर रहा है। यह पानी उपयोग में न लेने का कारण मेरे खयाल में आपके इंजीनियर और आप लोग जानते हैं लेकिन इस समस्या को दूर करने का रास्ता नहीं निकालने का क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता। सन 62 से फीडर के अन्दर पानी छोड़ा गया था उस समय तक बहुत कम वितिरिकायें तैयार थीं। 1200 से लेकर 1500 क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया। पानी का वेग कम होने की वजह से सिल्ट जमा होती रही। वह सिल्ट जमा होने से 27 साल के अन्दर ऐसी स्थिति हो गई इंदिरा गांधी कैनाल की कि उसके बीच के अन्दर चाहे घूमकर पशु चरें, चाहे कुछ भी करें। वह कैनाल ऊपर तक सिल्ट से भरकर तैयार हो गई। आपको वह सिल्ट निकालनी पड़ेगी, इंदिरा गांधी कैनाल मंत्रीजी। जब तक सिल्ट को नहीं निकालोगे, शायद आपके दिमाग में यह है कि यह तो हमेशा का प्रोसेस हो गया, निकालेंगे फिर भर जायेगी, मंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि इसका निकालने के बाद पानी फीडर में छोड़ेंगे तो कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा पानी आयेगा, वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी ज्यादा हो गयी तो सिल्ट तो

(श्री लालचन्द डूडी)

बाहर चली जायगी और 25 और 27 साल के अन्दर जो सिल्ट जमा हुई है, शायद अगले साठ साल में जाकर हो। इस वास्ते रोज प्रयास करना पड़ेगा। इस बात के डर से कि इसको डी-सिल्ट न करें, क्योंकि नहरें टूट जायेंगी, नेशन का और राजस्थान का विशेष तौर से, बड़ा भारी नुकसान करेंगे। हमारे पड़ौसी देश, दुश्मन देश पाकिस्तान को पानी देकर उनकी सेवा कर रहे हैं, आप राजस्थान की जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। इस बात की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। इसलिये पहली बात तो यह है कि हमारी इन्दिरा गांधी कैनाल की जितनी कैपेसिटी है उतना पानी हमें लेने की पूरी की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरी बात मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भाखरा सिस्टम का जो अमरसिंह सिस्टम है, उस सिस्टम के अन्दर सिंचाई क्षमता की जो डिजाइन फिक्स है उसके हिसाब से हम सारे टैक्स, सारी फीस और बैटरमेन्ट वगैरह जो है उसका पेमेन्ट करते हैं। तो जो डिजाइन फिक्स की है उसको आप लें। आपका डिपार्टमेन्ट चाहे कुछ भी कहे लेकिन आज भी 32 पर्सेन्ट से ज्यादा उसकी सिंचाई क्षमता नहीं है। इसलिये फालतू जो भी आपके अधिकारी कहते हैं आप निश्चित रूप से मान लें कि वह आपके सामने झूठ बोल रहे हैं और यह भी उस स्थिति में जबकि गेहूं को पकाने के लिए कम से कम 6 पानी चाहिए। आज हमारे अमरसिंह सिस्टम के अन्दर गेहूं के एक सीजन के अन्दर केवल दो और एट दी मोस्ट तीन पानी मिलता है। तीन पानी मिलने के बाद और जो यह 32 पर्सेन्ट क्षमता है उससे आप मुझे बतलाइये, किसान को किस प्रकार से मुनाफा होगा या घाटे में रहेगा। मोतीराम कमेटी जो बनी उसने सिफारिश की थी कि जब तक 80 पर्सेन्ट क्षमता नहीं होगी तब तक किसान घाटे में रहेगा, किसान मुनाफे में नहीं रहेगा। इस अमरसिंह सिस्टम के अन्दर पानी को बढ़ाने के लिए उन्होंने तीन सुझाव दिये थे। पहला इन सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज को पक्का करने का दूसरा इनकी लाइनिंग करने तथा इनके साथ ट्यूबवैल लगाकर पानी लेकर नहर के अन्दर डालने का और तीसरा सुझाव था सिद्धमुख कैनाल का बचा हुआ पानी लेकर इसकी इन्टेंसिटी को इन्क्रीज करने का। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन तीनों सुझावों में से एक भी सुझाव की तरफ हमारी राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और तो और मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं, सिद्धमुख कैनाल और नोहर फीडर के लिए पानी अलाट कर दिया तो उस पानी को जब तक सिद्धमुख कैनाल नहीं आ रही है तब तक अमरसिंह सिस्टम के अन्दर लाकर सिंचाई की इन्टेंसिटी को इन्क्रीज करने में कहां अड़चन आ रही है, यह हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन इस तरह कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरफ ध्यान दें।

तीसरा जो मुख्य मुद्दा है, जिसको सिंचाई मन्त्री जी भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, उस इलाके के अन्दर जिस वक्त श्रीमती कमला जी सिंचाई मंत्री हुआ

170

(श्री लालचन्द डूडी)

करती थीं उन्होंने कहा था कि हमारी सिद्ध-मुख कैनाल को लाने के अन्दर जितनी देरी हुई है उस देरी का कारण हमारे अधि-कारियों की लापरवाही है। यह हाउस में उन्होंने कहा और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि जिस व्यक्ति, जिस अधिकारी की लापरवाही हुई है हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सिद्धमुख फीडर और नोहर फीडर के बारे में जो प्लान बना था, शुरू में 43 करोड़ की कास्ट थी, 87 में 83 करोड़ की हो गई और आज मुझे पता लगा है कि 115 करोड़ की यह योजना हो गई।

तो इस तरह से अगर हमारी सरकार और डिले करती जायेगी....

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

तो आपकी योजना भी महगी होती जायेगी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक सम-झौता कर लिया था कि जब तक हम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकें तब तक उस पानी को पंजाब इस्तेमाल करे या हरियाणा इस्तेमाल करे, यह फैसला करके हमारे मुख्य मंत्री जी हाथ कटा रखे हैं। अगर यही बात रही, अगर लम्बे समय तक पंजाब या हरियाणा इस पानी को इस्तेमाल करता रहा तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से कह देना चाहता हूं कि फिर वह आपको पानी नहीं देंगे, झगड़ते रहना, लड़ते रहना। आज एस. वाई. एल. बनवाने के अन्दर केन्द्र कामयाब नहीं हो रहा है। आप यों समझते हैं कि इतना समय पानी इस्तेमाल करने के बाद पंजाब आपको पानी दे देगा ? इसके लिये आपको सचेत होना पड़ेगा। भारत के कृषि मंत्री जी अन-पढ़ तो हैं मुझे मालूम नहीं उनकी बात कहां तक सच्ची है कहां तक झूठी है, घूमते घूमते कह तो रहे हैं कि हम अगले महीने के अन्दर या 60 दिन के अन्दर राजीव गांधी जी को लाकर के यहां सिद्धपुर नहर का शिलान्यास करायेंगे और फीडर का। दिल्ली वाले तो कह रहे हैं, हमारी सरकार ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की कि वह किसी तरह से उसका शिलान्यास हो रहा है क्या....

एक माननीय सदस्य : वह शिलान्यास तो कभी का हो गया।

श्री लालचन्द डूडी : ठीक हैं, करा दिया होगा। 1 नवम्बर, 1987 को कमला जी ने घोषणा करके काम भी शुरू करवा दिया था और दुर्भाग्य से उसका उदघाटन भी मैं कर आया था। आज दुबारा राजीव जी उदघाटन करेंगे, क्या शिलान्यास करेंगे या सत्यानाश करेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेहरबानी करके उसको जल्दी शुरू करवा दें। धन्य-वाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पोकरलाल परि-हार।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46, सिंचाई, पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है और उसके

(श्री पोकरलाल परिहार)

लिये सिचाई के साधन हमें अधिक जुटाने होंगे। पश्चिमी राजस्थान का मैं आपको रेफेरेन्स देना चाहूंगा कि जब तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पानी लिफ्ट के द्वारा जोधपुर नहीं पहुंचाया जाता तब तक पश्चिमी राजस्थान हराभरा नहीं हो सकता। सिचाई के साधनों में इन्दिरा गांधी नहर की मार्फत मुआयने करवाने पड़ेंगे और जब इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पानी जोधपुर पहुंच जायेगा तो जवाई बांध का पानी पाली की जनता के लिए उपयोग में आ सकेगा।

इसी तरह से मैं अपने क्षेत्र के बारे में भी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पाली जिले की देसूरी तहसील के अन्दर कोट सोलंकियान बांध है ; जिसके अभाव में हमारे देसूरी तहसील के कम से कम 40 गांव के कुओं का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम पिछले चार वर्ष से ; इस बात की मांग लगातार करता आया हूं ; कि कोट सोलंकियान बांध का निर्माण कराया जाये उससे चालीस गांवों के काश्तकारों को लाभ मिलेगा और सिचाई के साधन अधिक से अधिक उपलब्ध कराये जा सकेंगे। कुओं का जलस्तर जो गहरा चला गया है वह ऊपर उठेगा और वहां के लोगों को, जिनके कुएं नहीं हैं उनको नहर के जरिये पानी उपलब्ध होकर के उनके खेतों की सिचाई हो सकेगी। इसलिये मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोट सोलंकियान बांध को जुड़ा करके इस बांध का निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा कराया जाये।

इसी तरह से बेड़ा तला बांध नार्मल देसूरी तहसील के अन्दर है उस नहर से पक्की नहर निर्माण का कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा कराया जाये। बेड़ातला बांध की नहर का काम, अकाल राहत कार्यों में करीब दो किलोमीटर वह नहर बन चुकी है मगर जब तक वह नहर पक्की नहीं बनाई जायेगी तब तक उस नहर को बनाने का कोई उपयोग नहीं है। अब यह स्वीकृत भी हो गई है। मगर जब तक उसको पक्का नहीं बनाया जायेगा तब तक उसका उपयोग काश्तकार नहीं कर सकेंगे।

इसी तरह से सेलीनाग बांध के अन्दर उसका कमाण्ड एरिया बढ़ाया जाये ताकि छोटे-छोटे काश्तकारों को और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों को, जिनकी छोटी जमीन हैं, उन जमीनों को कमाण्ड एरिया में जोड़ा जाय श्रीमाल बांध, जो देसूरी में है, उसका कमाण्ड एरिया बढ़ा करके उनके खेतों को उस कमाण्ड एरिया में जोड़ा जाये।

इसी तरह से मीठाड़ा बांध जो देसूरी तहसील के अन्दर है उसका भी कमाण्ड एरिया बढ़ा कर के ग्राम गोहाड़ी और आसपास के सोलंकियान के छोटे छोटे काश्तकारों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की छोटी जमीनों को कमाण्ड एरिया में शामिल कराया जाये।

इसी तरह से सौलीनाल बांध जो देसूरी में है उसका रेट बढ़वा करके स्वीकृति भी हो चुकी थी, मगर अकाल की वजह से वह काम शुरू नहीं हो सका, इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह मांग करूंगा कि

(172)

(श्री पोकरलाल परिहार)

उस बांध को जिसकी पहले वित्तीय स्वीकृति भी हो चुकी है, शीघ्र शुरू करवा करके काश्तकारों को लाभान्वित करें ताकि देसूरी तहसील के अन्दर किसानों को सिंचाई के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध कराये जा सकें।

इसी तरह से राजपुरा बांध जो सादड़ी के पास आया हुआ है उस राजपुरा बांध का भी कमाण्ड एरिया बढ़ा करके छोटे छोटे काश्तकारों की, जिनकी जमीन वंचित रह जाती है, हर बार जिक्र होता रहता है, उन लोगों के खेतों को भी इस कमाण्ड एरिया में जोड़ा जाये।

अभी हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने एक नई योजना हमारे राजस्थान के लिये, जीवनधारा, की स्वीकृति की है। उस जीवन धारा के तहत प्रधान मन्त्री जी ने जो गरीब लोगों के, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कुएं, पहले उनकी स्वीकृति 17900 रुपये थी अब उनकी स्वीकृति को बढ़ाकर के 25,000 रुपये कर दिया है। उसमें कुओं के खुदवाने के साथ साथ बंधवाने का काम भी शामिल है। इसके लिए हम प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी का आभार प्रकट करते हैं।

इसी तरह से अकाल राहत के अन्दर भीका फी लोगों के कुएं सैंक्शन हुए हैं... मगर मेरी मन्त्री जी से मांग है कि जिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति और छोटे गरीब काश्तकारों के अकाल राहत में कुएं अधूरे रह गये हैं उन कुओं को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करवाने की व्यवस्था की जाये ताकि जो पैसा लगा है उसका उपयोग हो सके। हरिओम सागर बांध जो देसूरी में है उसका कमाण्ड एरिया बढ़ाने के लिये हमने कई बार लिखकर भी दिया है, चीफ इन्जीनियर साहब को भी लिख कर दिया है, मन्त्री जी को भी लिखकर के दिया है कि ट्राइबल एरिया के लोगों के जो खेत हरिओम सागर बांध के आगे आये हुए हैं उन लोगों को उस पानी का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। जो वहां से खाला बनाया हुआ है बड़े बड़े काश्तकारों को वह पानी मिल रहा है और शैडयूल्ड कास्ट के गरीब मीणा लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिये मोतेड़ा के खेतों तक उस नहर का कमाण्ड एरिया बढ़ाया जाये।

इसी तरह से मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि बाली तहसील के अन्दर कोट बालियान बांध का निर्माण हुआ है जिसमें 89 लाख की वित्तीय स्वीकृति हुई है उसमें से 30 लाख रुपये कोट-बालियान बांध पर खर्च हो चुके हैं। उसमें से 18 लाख उन्होंने अकाल राहत में बताये हैं। मगर मुझे मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है कि वहां के सहायक अभियंता ने, जो अकाल राहत में काम किये हैं उसमें फर्जी मस्टर रोल अधिक भरे हैं और वहां काम कम हुआ है। इसकी जांच करवाई जाये और सहायक अभियंता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपत सिंह जी।

(श्री उपाध्यक्ष)

He would be the last speaker. (व्यवधान) अब आप जैसा चाहें।

श्री मानिकचन्द सुराना : हमें भी बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहता था कि सुरानाजी बोलें, आपका नम्बर बहुत ही....

श्री मानिकचन्द सुराना : मेरा नम्बर कुछ भी हो, मैं बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक घण्टा बढ़ाया जाये।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड ऐसी है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि डिबेट को पूरा कर लिया जाये।

एक माननीय सदस्य : दो घंटे बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : जिस तरह से पूरे की बात की है इस तरह से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चलते रहेंगे।

श्री माणक डाणी : उपाध्यक्ष महोदय, एक घंटा समय बढ़ा दिया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down. कृपया बैठें।

श्री पन्नालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें। माननीय शोपत सिंह जी।

श्री माणक डाणी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तय तो हो जाये। उपाध्यक्ष महोदय, दो घंटे के लिये बढ़ा दीजिये।

श्री डूंगरराम पंवार : सिंचाई पर दो दिन रखने चाहिये थे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें।

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाये। दूसरी बातें तो होती रहती है लेकिन मेन काम जो बाकी है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठिये आप माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : सरकार की लापरवाही और अफसरों की लापरवाही से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down.

श्री डूंगरराम पंवार : हम लोग काम कर चुके हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये,

Why are you wasting time ?

बैठिये आप।

श्री शोपतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ चार-पांच पाइंट्स पर आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सबसे पहले हम जो नये बांधों की बात कर रहे हैं, और जो दूसरी चर्चा कर रहे

(श्री शोपत सिंह)

हैं इस सदन में, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंचाई विभाग को लावारिस विभाग बना कर छोड़ दिया गया है। इसका कोई मालिक नहीं है। चाहे हरियाणा से, भाखरा की नहर से पानी मिलता हो, मैं सिंचाई मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसी को इस बात का पता नहीं है कि हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी सूचित करते हैं या नहीं करते हैं, भाखरा बोर्ड को सूचित करते है या नहीं करते हैं, हमारे मन्त्री महोदय को पता है कि हमें भाखरा से हमारे शेयर का कितना पानी मिल रहा है ? मैं सिंचाई मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा भाखरा से इस दफा, जब हमारे कपास की फसल की सोइंग का टाइम था, मई और जून के महिने में हमको 50 प्रतिशत पानी कम मिला है। कोई पूछने वाला है ? सिंचाई विभाग के अधिकारी से कहते हैं, तो वे कहते हैं कि हमने तार भेजा है। जब तक सिंचाई मन्त्री इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि जो हमारे अन्तर्राज्यीय समझौते हैं, जहां से हमारा वास्ता है, भाखरा की तमाम नहरें टेल में पड़ती हैं, हम पंजाब और हरियाणा की मर्जी पर हैं, उनके हैड रीच में हैं और हम टेल में हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि आप नये बांध कितने बनाते हैं और कितने नहीं बनाते हैं मेहरबानी करके जो शेयर हैं, वह शेयर पानी का हमें मिलना चाहिये। हम कहां जायें ? क्या करे हमारा किसान ? फसल के मौके पर 50 प्रतिशत पानी कम मिलता है और फिर नहर में पानी खूब चलता है तो वह किस काम का ? तब हम फसल नहीं बो सकते। इसलिये सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आप जो अधिकारी बैठे हैं उनसे पूछ लीजिये कि ए.सी.सी. सिस्टम से हमको पानी कितना मिला। हरियाणा से कितना पानी कम मिला, क्यों कम मिला इसके बारे में आप गंभीरता से विचार कीजिये। इसके बारे में बातचीत कीजिये। यह बहुत बड़ा नुकसान हमको हमारे टेल की कैनाल्स से हो रहा है।

अब मैं घग्घर नदी की बाढ़ की बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल बाढ़ आई। मुआवजा नहीं मिला। फसलें तबाह हो गई। मजे की बात यह है कि जो हमारी फसलें तबाह हो गई, वह उस वक्त तबाह हो गईं जब फसलें घर ले जाने का टाइम था। पकी हुई फसलें थीं। आज हमारी सरकार उनसे सिंचाई कर वसूल कर रही है। इमदाद की बात तो छोड़िये। हमारे सिंचाई मंत्री यहां पर घोषणा करें कि क्या सिंचाई विभाग उन तमाम फसलों का, जिनकी एक प्रतिशत भी फसल नहीं बची है, तमाम की तमाम फसल तबाह हो गई हैं, उनसे कर वसूल करना क्या यह जस्टिफाइड है ? मुआवजा नहीं दिया। कम से कम मेहरबानी करके आप इस बात की घोषणा करें कि उन तमाम फसलों का, जो 15 हजार हैक्टेयर जमीन में खराब हो गई, का कर नहीं लेंगे, क्योंकि उन अधिकारियों से पूछते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि जब तक राज्य सरकार यह फैसला नहीं करेगी तब तक हम खराबा नहीं छोड़ सकते। सिंचाई कर तब ही छोड़ा जायेगा जब खराबा छोड़ा जायेगा। सरकार फैसला नहीं करेगी तब तक खराबा नहीं छोड़ा

(श्री शोपत सिंह)

जायेगा। इसलिये इस बात की घोषणा करें।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हम को केन्द्र सरकार से रुपया मिला। वह आपने बांधों पर लगाया, कितना लगाया, किस तरह से लगाया मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मगर राज्य सरकार ने यह फैसला किया था कि सीमान्त और लघु सीमान्त किसानों को 50/- रुपया प्रति बीघा की इमदाद दी जायेगी। मेहरबानी करके आप वह तो दीजिये। वह भी आपने नहीं दी है। केन्द्रीय सरकार ने आपको कहा। केन्द्रीय सरकार ने फैसला किया। और आपने घोषणा की है कि लघु और सीमान्त किसानों को हम 50/– रुपया बीघा से उसके अनुसार की भरपाई करेंगे। मेहरबानी करके बताइये कि वह किसानों को आप क्यों नहीं दे रहे हैं। आपने दो–चार गांवों में यह पैसा दिया है। बाकी में क्यों नहीं दिया जा रहा है इसका भी जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली विधान सभा के अन्दर आज से चार महिने पहले घोषणा हुई थी। हमने सुझाव दिये थे। गंग कैनाल, भाखरा और इन्दिरा गांधी नहर, इन तीनों सिस्टम को गंगानगर जिले के अन्दर सिंचाई का विकास करने के लिये, कोआर्डिनेशन हो, इसके लिये जरूरी है कि वहां एक एडीशनल चीफ इन्जीनियर की पोस्टिंग की जाये, जो कोआर्डिनेशन करे। जो तीनों योजनाओं का आपस में तालमेल करे। ताकि वहां पर सिंचाई का इम्प्रूवमेंट हो सके। मुझे मालूम नहीं कि आदेश हुए या नहीं और वह कब जा रहे हैं। परन्तु इसको कतई गम्भीरता से नहीं लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस सदन में घोषणा कर चुके हैं कि वहां पर एडीशनल चीफ इन्जीनियर रहेगा और तीनों योजनाओं में कोआर्डिनेशन करके इर्रीगेशन में इम्प्रूमेन्ट किया जायेगा। तो इसके बारे में भी आप घोषणा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घग्घर कैनाल, लिंक चेनल के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। कभी तो माथुर साहब कहते हैं कि हमने पैसा दे दिया। मेरे पास अभी हरियाणा के मुख्य मन्त्री की चिट्ठी आई है। उन्होंने कहा है कि हमको रुपया नहीं दिया गया है। रुपया बंसीलाल के टाइम में दिया गया था 1986–87 में (व्यवधान) यह+++आपके जिम्मे आ गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। क्या वह पैसा पर्सनल खाते में दिया था ?

श्री शोपतसिंह : उस वक्त देवीलाल की सरकार नहीं थी। कांग्रेस की सरकार थी। मेहरबानी करके जवाब दें तो पूछ लें कब रुपया भेजा है। (व्यवधान) आपने सितम्बर 1987 में भेजा है। इस तरह सदन के अन्दर स्टेटमेन्ट देने का कोई मतलब नहीं है।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय सदस्य, इस तरह से आपको असत्य नहीं बोलना चाहिये। इतना भयंकर असत्य जो बेबुनियाद है, जिसके कोई हाथ पैर नहीं हैं,

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। माननीय सदस्य मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन को गुमराह मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down.

श्री शोपतसिंह : +++ में भेजना ठीक रहेगा।

श्री ऋषिकेश मीणा : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य को थोड़ा कन्ट्रोल करें।

श्री शोपतसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप यह कम्पलीट घोषणा करें कि एक साल के अन्दर, दो साल के अन्दर, 6 महीने के अन्दर, कब आपकी लिंक चेनल पूरी हो जायेगी। राजस्थान में क्या कमी है, हरियाणा के हैड वर्क में, साइफन बनने वाला है, उसमें कितने रुपये की जरूरत है। आपने कितना रुपया जमा करा दिया है। जो रुपया आपने जमा कराया उसमें से करीब एक करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। अब 19 लाख रुपया बाकी है और आप चाहते हैं कि हैड रेगुलेटर बने, आप चाहते हैं कि पुल बने, आप चाहते है कि साइफन बने। इनकी दो करोड़ रुपये की कीमत है। हरियाणा सरकार, जब तक पैसा जमा नहीं कराया जायेगा, कैसे इनको बनायेगी ? कैसे टेन्डर कॉल करेगी ? इसको कौन बनायेगा ? यह महत्वपूर्ण सवाल है। आज लिंक चेनल बन जाती है तो राजस्थान कैनाल, जिसकी आज 2000 क्यूसेक पानी की कैपेसिटी है, वह 2700 क्यूसेक पानी ले सकती है। इतना इम्प्रूवमेन्ट हो सकता है। इतना अनाज पैदा हो सकता है जिसके लिये सोचा नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर में घग्घर की जो बाढ़ आती है वह हमारे लिये नियामत भी है तो परेशानी का कारण भी है। घग्घर नदी में बाढ़ नहीं आये तो हमारी एक मुसीबत यह हो जाती है कि पानी नीचे चला जायेगा, पानी कम हो जायेगा और खास तौर से उस एरिया के अन्दर जहां राइस पैदा होता है, जो राइस बैल्ट है, वहां नुकसान होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

सदन की कार्यवाही मुखबंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं मुख बन्दी का प्रयोग....

श्री रघुनाथ परिहार : दो घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमको भी बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : मुखबंद की प्रक्रिया है। समय बढ़ाने से मुझे कोई परहेज नहीं है। कार्य सूची समाप्त करके ही उठेंगे। मुख बंद का समय बढ़ाया जाये। सदन की सहमति से मुखबंद के प्रयोग का समय दो घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री शोपतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने घग्घर नदी के पानी को जिस वक्त डिप्रेशन में ले जाने का सोचा था, आज समस्या सेम की पैदा हो गई है, उस वक्त यह ख्याल नहीं आया था। आज वहां पर डिप्रेशन ने एक समस्या पैदा कर दी है कि आस पास के खेतों और गांवों में सेम ने तबाही कर दी है। वहां पर काफी पानी है, उसको यूटिलाइज करें। राजस्थान के हर इलाके में, चाहे पानी कहीं से मिले, घग्घर नदी से मिले, किसी तरह से मिले, हमको एक एक बूंद पानी यूटिलाइज करना चाहिये।

उस इलाके को बचाने के लिये एक तो रंग महल का साइफन, रंग महल का एस्केप बनाना बहुत जरूरी है। जब तक रंग महल का एस्केप नहीं बनायेंगे तो उस इलाके को तबाह कर देगी। इसलिये प्रायरिटी के तौर पर रंग महल का एस्केप विदिन सिक्स मन्थ बन जाना चाहिये, वरना बहुत भयंकर तबाही कर देगा। इसे प्रायरिटी के तौर पर लीजिये।

दूसरा हमने जी.बी. एरिया को जोड़ा है, नहर बनाई है हमने, बहुत अच्छी बात है। इस दफा उसका हमें बहुत फायदा मिला। जी.बी. एरिया से बहुत बड़ी इर्री–गेशन बढ़ी है। इसी तरह से डिप्रेसन नं.16 से आपको अनूपगढ़ शाखा तक जोड़ना चाहिये। जब भी पानी आयें हमें उस पानी का यूज करना चाहिये। कुछ लोग कहते हैं 15 नं. में डिप्रेशन चला जायगा। 15 नं. डिप्रेशन से पानी को ले जाना कहीं भी कोई फिजिबल नहीं है, कोई उसमें व्यवहा–रिकता नहीं है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 16 नं. डिप्रेशन में से आप एक अनूपगढ़ शाखा को फीड करने के लिये करें ताकि यह सारा पानी सरप्लस हमारे पास हो जाय तो हम अपनी इर्रीगेशन को इम्प्रूव कर सकें गंग कैनाल और भाखरा एरिया से।

इसके साथ–साथ आखिर में एक तो पक्के खालों की बात करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी हमारे गंगानगर पहुंचे, वहां पर हमारे केन्द्रीय कृषि मंत्री भजन लाल जी भी थे। वहां पर घोषणा मुख्य मंत्री जी ने यह की कि अगर ब्याज छोड़ दिया जाय, पक्के खालों की कीमत में, तो बाकी पैसे छोड़ने पर हम विचार करेंगे। गंगानगर के जल्से के बाद में भादरा में हमारे कृषि मंत्री जी आये, भजन लाल जी और उन्होंने यहां इस बात की घोषणा की कि हम ब्याज छोड़ देंगे। इसलिये बड़ा अच्छा मौका है। वे कह चुके हैं इस बात को, भादरा के आम जल्से में कह चुके हैं कि हम ब्याज छोड़ देंगे। ब्याज का पैसा सेंटर वहन करेगा और बाकी पैसों को हमारी स्टेट वहन करे तो इन खालों के पैसों की आज भी घोषणा हो जाय तो बहुत बढ़िया। इसके साथ-साथ में....

श्री उपाध्यक्ष : No.

श्री शोपत सिंह : ठीक है, धन्यवाद। आपने टाइम दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणक डाणी। संक्षेप में कहियेगा।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की मांग

(श्री माणक डाणी)

के ऊपर मैं अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। सिंचाई एवं विद्युत योजनाओं पर राज्य सरकार ने अपने बजट का 47.9 प्रतिशत पैसा इस वर्ष खर्च करने का जो प्रोविजन बनाया है, उसके लिये राज्य सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 1977–78 में जब जनता पार्टी का शासन था तो सिंचाई एवं विद्युत योजनाओं पर मात्र 11.35 करोड़ का बजट था और उसके बाद 1978-79 में यह बजट बढ़कर 139.35 करोड़ रुपये का हुआ जो कि 1988–89 में 157.40 करोड़ का बजट इन्होंने रखा और आज 1989–90 में जबकि कांग्रेस का शासन हैं, और कांग्रेस की प्रगतिशील नीतियां हैं, उन प्रगतिशील नीतियों के फलस्वरूप इस राज्य में 375. 30 करोड़ रुपये का बजट जो अपने आप में यह दर्शाता है कि कांग्रेस की नीतियां इस देश के किसान के लिये किस प्रकार प्रगतिशील हैं और किस तरह से उनकी हामी हैं। यह सब अपने आप में इस बात के द्योतक हैं कि हमारी सरकार किसानों के लिये शुभ चिन्तक है, किसानों के लिये कार्य करती है और किसानों में सदैव कांग्रेस के नाम को श्रद्धा के साथ लिया जाता है। यही कारण है कि इस देश में जब कभी भी वोटिंग हुआ, उस वोटिंग के अन्दर कांग्रेस को इस बात का लाभ मिला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सिंचाई विभाग के इतने बड़े बजट को देखते हुए जब अजमेर जिले के बजट की और दृष्टिपात करते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। अजमेर जिले के लिये बजट पर अगर हम लोग ध्यान दें तो आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान में कई स्कीमें हैं, केन्द्रीय सरकार की योजनायें हैं, डी. पी. ए. पी. और आपका डी. डी. पी. ये दो योजनायें हैं। जब मैंने प्रगति विवरण देखा तो मुझे इस बात का अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि अजमेर जिला, डी. डी. पी. और डी. पी. ए. पी. दोनों के अन्दर आते हुए भी, इस डिपार्टमेंट की एक योजना भी अजमेर जिले की नहीं है। क्या अजमेर जिले को इस योजना का पैसा दिया जाना उचित नहीं है ? माननीय मंत्री महोदय, क्या डी. पी. ए. पी. और डी. डी. पी. के अन्दर अजमेर क्षेत्र सम्मिलित नहीं है ? क्या पुष्कर और गोविन्द सागर, इधर का जो हिस्सा है, वह सारा जिला अजमेर का इसमें सम्मिलित नहीं होता। क्या डी. पी. ए. पी. के अन्दर जवाजा और मसूदा जो डार्क जोन के क्षेत्र हैं वह सम्मिलित नहीं होते। अजमेर जिले का 50 प्रतिशत क्षेत्र डी. डी. पी. और डी. पी ए. पी. के अन्दर आता है, लेकिन मुझे दुख है यह कहते हुए कि आपके विभाग ने एक भी प्रपोजल अजमेर जिले का नहीं दिया। एक पैसा अजमेर जिले को नहीं है। इससे ज्यादा विश्वासघात, इससे ज्यादा कुठाराघात अजमेर जिले की योजनाओं के साथ कभी नहीं हो सकता है। वह विश्वासघात इस अजमेर जिले के लिये किया गया है।

आज तकलीफ होती है इस बात की। कहा तो जाता है कि साबरमती नदी अजमेर जिले से होकर किसी जमाने में निकलती थी। वह साबरमती लुप्त कहां हो गई इस क्षेत्र की ? यदि आप खोज करें, मैं नहीं

(श्री माणक डाणी)

कहता पी. एच. ई. डी. ने कहां तक खोज की होगी, पानी की समस्या से जूझना हमारा काम है, हम जूझेंगे लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह मानकर चलते हैं कि जब कभी इर्रीगेशन की बात आये तो इर्रीगेशन के अन्दर चाहे हमारे यहां तालाब बनाने की बात हो, कोई बांध बनाने की बात हो और चाहे इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के बजट की बात हो, तो आप आश्चर्य करेंगे, मात्र 5 योजनायें लघु सिंचाई की अजमेर जिले में कार्यरत हैं। पांच योजनाओं में लघु सिंचाई की योजनायें हैं और यह तो भला हो अकाल का, जिसने एन. आर. इ. पी. के तहत 113 योजनायें हमारे यहां अपूर्ण छोड़ दी उस पर कुछ पैसा है, लेकिन वह भी मात्र 7 लाख रुपया का बजट है आर. एल. जी. पी. का उसमें 18 लाख का बजट और आर. एल. जी. पी. की कुछ योजनायें जिस पर 7 लाख का बजट मात्र अजमेर जिले का और पांच लघु सिंचाई योजनायें।

आपने हमारे यहां दो डिवीजन इर्री–गेशन के बना दिये। मुझे खुशी है इस दो डिवीजन के लिये। दो डिवीजन के हिसाब से अगर आप 80–80 लाख रुपया एक डिवीजन पर खर्च करें तो 1.60 करोड़ रुपया हमारे डिवीजन को मिलना चाहिये लेकिन मुझे दुख है यह कहते हुए कि अज–मेर जिले के अन्दर 1988-89 के अन्दर आपने कुल जो पैसा दिया है वह दिया है 18.03 लाख, 17.81 लाख, और 7.76 लाख, जो 43 लाख रुपये के आस पास टोटल योजना का बजट है। यह 1987-88 की स्थिति है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आप योजना बनावें तो आप एग्रीकल्चर में हमारे एरिया के अन्दर पैसा नहीं दें, लेकिन अगर हमारे यहां इन्दिरा गांधी नहर का प्रोजेक्ट नहीं होने के नाते इस एरिया में कोई नहर की योजना नहीं होने देते, आप स्पेशल फण्ड का अलाटमेंट अगर नहीं करें, तो कम से कम जो राजस्थान के समुचित बजट की बैठकर बात की जाय तो सम्पूर्ण अजमेर जिले को आप राज्य के प्रति जिलों को मिलने वाला औसत बजट है वह तो दें। चाहे किसी योजना में हो। अगर इर्रीगेशन में लघु सिंचाई योजना आपकी हमारे यहां नहीं आ पाई, तो आप डी. पी. ए. पी. में तो हमें बजट दीजिये। आप हमें डी. डी. पी. में बजट का अलाटमेंट कीजिये, लेकिन इर्री–गेशन डिपार्टमेंट में हमारी इन योजनाओं को पैसा मिलना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस हालत में और किस हिसाब से हम इसको बक्शें कि हमारे यहां अधिकार होते हुए भी, हरेक प्रकार की योजना होते हुए भी हमको पैसा नहीं मिलता। आपको, मंत्री महोदय, इस बात की जानकारी होगी कि हमारे यहां से कितना एम. सी. एफ. टी. पानी बह करके दूसरे क्षेत्रों को जाता है। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं आपके डिपार्टमेंट के। 388.61 एम. सी. एफ. टी. पानी मात्र मेरे ब्यावर की जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र का बह करके दूसरे क्षेत्रों में चला जाता है। क्यों ? क्या इस क्षेत्र की विकास की एक भी योजना आपके डिपार्टमेंट की तरफ से विचाराधीन नहीं है ? माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, आप कहें सो मैं उसके लिए तैयार हूं, मुझे दुख है इस बात को कहते

(श्री माणक डागी)

हुए, हमारे यहां बजट आता है चार, पांच, दस रुपये का। इस बजट में केवल तनख्वायें चुक जायें अधिकारियों की। आपने हमारे यहां सब डिवीजन और बना दिया, मसूदा। मुझे आपत्ति नहीं है, सब डिवीजन बनना चाहिये, मैं तो धन्यवाद देता हूं हनुमान प्रभाकर साहब को कि ब्यावर का सब डिवीजन मसूदा जाने वाला था लेकिन आपने साहस पूर्वक निर्णय ले करके उसे अपने मकसद के कारणों से रोका और हमारे यहां का सब डिवीजन जो ब्यावर से मसूदा जाता वह ब्यावर में ही रोका। इसके लिये मैं पुनः धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मात्र तनख्वाह चुकाने के लिये, एक ओर हम राजस्थान में बजट की पोजिशन देखें, कर्मचारियों पर होने वाले व्यय की बात करते हैं तो हम कहते हैं 80 पर्सेन्ट व्यय हुआ, दूसरी ओर आपने पुनः वर्गीकरण करके डिपार्टमेंट का लाखों रुपये का बजट और बढ़ा दिया, हमें इसमें भी तकलीफ नहीं। आपके डिपार्टमेंट की व्यवस्थाएं हुई, आपने अच्छा काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि ब्यावर के अन्दर इर्रीगेशन का उपखंड होते हुए मात्र तनख्वाह चुकाने के लिए जितना पैसा आता है, आप आश्चर्य करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर के तीन फीडर, जिन पर आज तक सफाई करने के लिये तीस साल में मरम्मत का एक पैसा नहीं आया। आपके डिपार्टमेंट में अगर आप मरम्मत के नाम पर हमको पैसा देते, मेरी समझ में आता।

आज काबरा कोटरा फीडर को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप डी. पी. ए. पी. में ले लें तो यह मेरी गारंटी है कि जहां डी. पी. ए. पी. योजना में केन्द्रीय सरकार का पैसा यूज होगा वहां थोड़ा पैसा राज्य सरकार का लगेगा। हमारी स्कीम के पूर्ण होने के साथ साथ हमारे जवाजा का जो फूलसागर तालाब है, जो कि ब्यावर उपखंड का सबसे बड़ा तालाब है, उपाध्यक्ष महोदय, 3345 एकड़ जमीन की इससे सिंचाई होगी। उस तालाब के बनने से ले करके आज तक सौ साल का इतिहास उठा कर देख लें, क्या आपका इर्रीगेशन डिपार्टमेंट 1200 एकड़ से ज्यादा जमीन में उससे सिंचाई ले पाया है? शायद कभी नहीं। क्यों, क्या कारण रहे इसके पीछे? इसका कारण यह है और इस तालाब को इस हाल में रखते वहां तक तो उचित है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उस तालाब की आवक बढ़ाने के लिये जो 334 एम. सी. एफटी. का तालाब है, इतने बड़े तालाब आपको राजस्थान में बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, उस 334 एम. सी. एफटी. के तालाब के अन्दर पानी की आवक बढ़ाने का कभी विभाग ने काम नहीं किया, कभी इस ओर सोचा नहीं, इस बात के लिए सर्वे नहीं किया, इस बात की रिपोर्ट बनाने की कोशिश नहीं की। आखिर क्यों? कोई कारण तो होगा? विभाग से पूछना है। ब्यावर का यह सब डिवीजन उनकी इस लिस्ट में कटा हुआ है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ है इस बात की, विभाग इस बात का सर्वे कराये, काबरा कोटरा को मंजूर कराये, डी. पी. ए. पी. के अन्दर इसको ले और डी. पी. ए. पी. के अन्दर इसको ले करके 3345 एकड़ तक की जो सिंचाई

(श्री माणक डागा)

होती है फूलसागर तालाब से, आप बी सी रेश्यो की बात करके मेरी बात को टाल देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी सी रेश्यों को मतलब क्या है ? अगर आप फूलसागर तालाब में काबरा कोटरा से पानी लाकर डालें, 90 लाख रुपये उसकी लागत है लेकिन मेरी गारंटी है कि उसका बी सी रेश्यो फूलसागर जाने की पूरी क्षमता से सिंचाई करने की लिहाज से अगर आप उसको जोड़ लें तो सारा काम हो सकता है। उसका बी सी रेश्यो भी आ सकता है और डी. पी. ए. पी. में उसका काम हो सकता है। आपका जो डेजर्ट डवलपमेंट प्लान है, उनमें हमारे ताजगढ़ के क्षेत्र का भी हिस्सा है, उस सारे हिस्से में आप ले सकते हैं। आपका बीकानेर पंचायत समिति का क्षेत्र है आप उसको ले सकते हैं। आपका अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र का इसके अन्दर आता है, नसीराबाद का कुछ हिस्सा इसके अन्दर आता है। लेकिन डेजर्ट प्रोग्राम की तरफ डिपार्टमेंट का कोई ध्यान नहीं है। कभी स्कीम बनाने का ही उनको याद नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मंत्री महोदय, आप विचार करिये इन सारे तथ्यों की ओर। आप सुन रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट सुन रहा है, मैं चाहता हूं, आप इस ओर कार्यवाही कराइये। इस ओर उचित कार्यवाही कीजिये तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिल सकेगा। आप काबरा कोटरा फीडर के साथ वाली आपर टाउन का भी....

(समय समाप्ति सूचक–घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो तीन मिनट में बैठ जाऊंगा। 569 एकड़ जमीन है आप उस एरिया को इससे जोड़ते हुए, और इसे बी सी रेश्यो में शामिल करते हुए इस योजना को मंजूर कर सकते हैं। आप कहते हैं कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल जी, सुखाड़िया थे। स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया ने हमारे इस बांध की आधारशिला रखी लेकिन इस बांध की आधारशिला रखने के बाद भामाशाह बांध का क्या हुआ ? क्यों नहीं यह टेक्नीकली ठीक था ? ठीक नहीं था तो इसका शिलान्यास कैसे हुआ ? शिलान्यास जब कर दिया तो आज 43 फीट ऊंचा बांध बना पड़ा है लेकिन इस बांध की पूरी ऊंचाई 85 फीट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस 85 फीट तक बांध को पूरा करा दिया जाय तो लिफ्ट इर्रीगेशन के माध्यम से ब्यावर पानी लाया जा सकता है। हम पी. एच. ई. डी. के माध्यम से करोड़ों रुपया बीसलपुर योजना पर खर्च कर रहे हैं लेकिन हमारे अपने ही क्षेत्र में जहां पानी के सोर्स हैं ना तो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट सर्वे करें, ना पी. एच. ई. डी. करें और अगर यह सर्वे कर लें तो पैसे की बातें बता कर उस चीज को समाप्त कर दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमारे यहां लघु सिंचाई योजनाओं पर ध्यान दें, अजमेर जिले की लिफ्ट इर्रीगेशन की ओर आप ध्यान दें। लिफ्ट इर्रीगेशन की अच्छी खासी योजना हमारे यहां पर आ सकती है। इसी प्रकार से जो मैंने आपको दो तीन सुझाव दिये आप इस ओर ध्यान दें। मैं आपसे सारी बातें करता, सारे कागज इसी बात के लिये लेकर आया था कि माननीय मंत्री महोदय को कुछ जानकारी देता लेकिन समय के अभाव में मैं अपनी बात को यहीं समाप्त

(श्री माणक डाणी)

करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंहजी।

श्री मानिकचन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंहजी बाद में बोलें, हम लोग पहले बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पार्टी के हिसाब से चल रहा था।

श्री मानिकचन्द सुराना : आपने परम्परा यह रखी है कि विपक्ष के नेता के बाद फिर सीधा सरकार का जवाब हो। आप परम्परा बदल रहे हों तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। देवीसिंहजी-भाटी। देवीसिंह भाटी का नम्बर है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद दूं या कल्लाजी की होशियारी समझूं कि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण पोर्ट-फोलियो संभाल लिये, क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ है पश्चिमी राजस्थान का, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर का।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लालगढ़ भी कल्लाजी के ही है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत उस क्षेत्र की जनता की जो सबसे बड़ी मांग है, जो गजनेर, कोलायत, पोकरण लिफ्ट परियोजनाएं हैं उसके लिये सन् 84 में इन्हीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्थर लगाये थे कि यह योजनाएं हम तुरन्त चालू करने जा रहे हैं, उसके अन्दर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मैं चाहूंगा, क्योंकि बार बार राज्य सरकार की ओर से, मंत्रियों की ओर से यह स्टेटमेंट अखबार में आ जाता है, भाषण भी दे आते हैं कि यह योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं और शीघ्र ही काम चालू कर देंगे। सन् 84 से आज 89 आ गया उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। जब तक आप सेण्ट्रल वाटर कमीशन से इनकी स्वीकृति नहीं लेंगे, इस पर कार्य शुरू नहीं हो सकता, आप कृपया जनता को गुमराह भी न करिये। आप स्वयं के आंकड़े बता रहे हैं कि आपने इसमें गत वर्षों में दस-दस लाख, पांच-पांच लाख से ऊपर कोई बजट का प्रावधान ही नहीं किया जो कि आपके स्टाफ और मशीनरी के लिये था। इस वर्ष भी आपने गजनेर के अन्दर 30 लाख का प्रोविजन किया है उसमें 20 लाख तो मात्र सड़क और पुल के लिये है, 10 लाख रुपया नहर के नाम रखा है लेकिन काम क्या होगा ? जब तक आपकी स्वीकृति नहीं आयेगी। सेण्ट्रल वाटर कमीशन से, तब तक आप कैसे काम चालू कर देंगे ? मैं चाहूंगा कि आप अपना प्रयास करें और प्रभाव इस्तेमाल करके यह लिफ्ट योजनाएं चालू कर दें तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय आपको और जन प्रतिनिधियों को, सबको मिलेगा, उस क्षेत्र की खुशहाली बढ़ेगी। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि आज समय में बांध रखा है उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिन्दुवार निवेदन करना चाहूंगा। सैकण्ड स्टेज के अन्दर हमारी काफी नहर का निर्माण हो चुका है। उस क्षेत्र में सी.

(श्री देवीसिंह भाटी)

ए. डी. का काम चालू हो गया, वाटर-कोर्सेज बनने चालू हो गये। लेकिन किन्हीं अधिकारियों की स्वार्थ पूर्ति के कारण वह क्षेत्र है जहां सी. ए. डी. ने अपना कार्य चालू कर दिया है वह सी. ए. डी. हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। आई. जी. एन. पी. और सी. ए. डी. वालों का आपस में सामंजस्य नहीं है। बारबार यह पिछले दो साल से आश्वासन मिल रहा है कि हम शीघ्र ही यह सी. ए. डी. को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन आज तक इसके लिये जितनी बार भी प्रयास हुए, यहां तक कि पिछली बार माननीय मंत्री महोदय ने भी कह दिया लेकिन कुछ ऐसे शेषनाग वहां बैठे हैं जब तक उनको इसकी नहरों का सारा कमीशन नहीं मिल जायगा, सी. ए. डी. के हैंड ओवर नहीं होगा तो यह जो आप प्रोग्रेस चाहते हैं, हर बार आप यह टार्गेट दे देते हैं कि इतने वाटर कोर्सेज, इतने किलोमीटर बन जाना चाहिये, नहीं बनेंगे।

इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी कार्य चल रहे हैं वह कृपया सी. ए. डी. को हैण्ड ओवर कर दें तो इसमें द्रुतगति आएगी।

दूसरा मंत्री महोदय, इसमें आप नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं। आपकी जानकारी में होगा कि जो भी ओपन वाटर कोर्सेज बन रहे हैं वह तो क्योंकि वहां रेत उड़ती है और सारा आंधियों वाला क्षेत्र है तो ओपन वाटर कोर्सेज तो चलेंगे नहीं इसलिए इसके अंदर जल्दी प्रोग्रेस दिखाने के लिए हम सर्कुलर पाइप के द्वारा बन्द खालों का निर्माण कर देंगे तो यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी साजिश है जिसके पीछे आज नहीं तो कल यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला सामने आयगा। तो मैं पूर्व में ही आपको आगाह कर रहा हूं। अगर आपको सर्कुलर पाइप के वाटर कोर्सेज बनाने हैं, हमें कोई एतराज नहीं, आप कोई नया सिस्टम लाइये, नई तकनीक हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब तक वह आपके किसी एग्रीकल्चर फार्म या सरकारी फार्म पर दो चार ऐसी टेक्नीक ले लें, उनमें जब तक कामयाब न हों तब तक यदि आप उनको जल्दबाजी में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से करोड़ों रुपये का नुकसान तो होगा ही, पर वह किसान भी बाद में मारे जाएंगे।

इसमें जो व्यवस्था की है कि जो सिल्ट आएगी नहर के माध्यम से जो भी बहुत उपजाऊ सिल्ट होती है और खेतों में जाती है तो हम जो यूरिया वगैरा डालते हैं उसको वह बराबर तालमेल बैठा देती है अगर उससे थोड़ा नुकसान होता है तो नेचुरल सिल्ट आती है दरियाओं की तो हम उसके लिए पहले ही एक गेट रख कर उसको पास कर देंगे, वह खेत में नहीं जाएगी यह व्यवस्था कर दी है। दूसरे जो नहर के अंदर कचरा आता है उसके लिए आपने आगे जालियां लगा दी हैं। हमने वहां अधूरी चक्कियों में जहां शुरूआत की है दीवान साहब ने, वहां हमने जाकर काश्तकारों से बातचीत की, मौके पर जाकर देखा। काश्तकार कहते हैं कि जब पानी की बारी आती है, पानी लगाना शुरू करते हैं तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। हम भाग कर पीछे जाते हैं, दो तीन चक्कर काटते हैं और वह कचरा निकालते हैं तब तक बारी चली जाती है और जहां आपने टीबे काट कर उसके अन्दर सर्कुलर पाइप डाल दिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

अब अगर पाइप लीकेज होगा तो उसको ठीक कौन करेगा ? आप तो बना कर छोड़ देंगे । अभी आपके विभाग वालों ने भी कह दिया कि 6 महीने तो हम सम्भालेंगे उसके बाद तुम्हें ही सम्भालना है । अगर शहर में एक पानी का पाइप टूट जाता है, लीकेज हो जाता है तो उसके लिए बार बार दुकान वाले को कहते हैं तो वह भी दो दिन तक ठीक नहीं होता । यदि काश्तकार का अगर एक पाइप चला गया तो वह तो बरबाद हो गया । उसके अन्दर हम कहते हैं आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, जल्दबाजी, मत कीजिए । अगर कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत करेंगे । इसके लिए आप देखें कि जल्दबाजी में ऐसा न हो जाय क्योंकि जल्दबाजी में यह कहते हैं कि प्रोग्रेस दिखानी है तो प्रोग्रेस के नाम पर बहुत बड़ा धोखा होगा और भ्रष्टाचार होगा ।

दूसरा मंत्री महोदय, हमारे यहां कैनाल बोर्ड का गठन हुआ उसके पीछे उद्देश्य था कि जो भी काम हैं वह द्रुतगति से हो जाय । उसमें कोई बाधा न आये सरकारी तौर पर वहीं पर निर्णय हो जाय चाहे फाइनेंशियल आइटम हों या दूसरे हों । अभी पिछले अर्से का रेकार्ड देखिये कि वहां चीफ आफिस से कब तो कागज पहुंचते हैं, कितने अर्से बाद उनमें निर्णय होते हैं, वहां इस प्रकार की साजिश चल रही है कि जो भी है, आप एक जायज टेण्डर करके बोर्ड के पास भेज दीजिए, जैसे हम ही इसको स्वीकृत करेंगे, जो भी काम हैं, आखिर बोर्ड को इसलिए दिये गये थे कि कोई भी काम है वह वहां से आये, तुरन्त उसकी टेक्नीकली, फाइनेंशियली देख कर उसकी स्वीकृति जारी हो जाय लेकिन वह स्वीकृति वहां से निकलती नहीं जब तक वहां से सौदे नहीं निपट जाते । इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी टेण्डर मंगाये जाते हैं चाहे भट्टों के या अन्य काम के, आप उनको देखें, उसके अन्दर बार बार गड़बड़ क्यों हो रही है और क्यों गतिरोध उत्पन्न हो रहा है ?

(समय समाप्ति सूचक- घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, योजना तो बहुत अच्छी बनी है । मैन कैनाल, भीखमपुर माइनर और गोघड़ियावाली माइनर आज चार वर्ष पूर्व बननी चालू हुई । आपको आश्चर्य होगा कि वह दो माइनर करीब करीब पूर्ण हो चुकी हैं और उनमें अगले 10 से 15 साल तक पानी नहीं चल सकेगा क्योंकि वह जो माइनर बनाई गई है वह आखिरी जो एस. एस. एल. आएगा, जब सप्लाई मैन कैनाल की होगी वहां पानी हैल्ड–अप होगा तब वह गोघड़िया माइनर और भीखमपुर माइनर में चल पाएगा वर्ना नहीं चल पाएगा । दोनों नहरें मिट्टी से भरी पड़ी हैं फिर भी आपका काम चालू है, तराई पूरी होती नहीं है और बाद में यह होगा कि नहरें बेकार बन गई ।

(5.15 बजे अपराह्न)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके लिए आप चाहे अभी टेम्परेरी इसके आगे जो पुल हैं, पुल के ऊपर या तो भारी दरवाजा लगावें या टेक्नीकली राय ले लें कि इन दोनों माइनर्स को चलाया जाना कैसे सम्भव है ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

जब आवश्यकता हो तभी नहरें बनानी चाहिए थी। इतनी पूर्व में बनाने की आवश्यकता क्या थी ? मात्र कमीशन लेने के लिए कि दूसरे डिवीजन में काम हो, जिसके सर्किल में काम हो उसके थ्रू काम हो जाय और उसको अपना कमीशन मिल जाय। आज इन दोनों नहरों के ऊपर हमारा करोड़ों रुपया लग चुका है फिर भी रत्ती भर काम नहीं हुआ है तो इसकी आप जांच करें ताकि इससे लोगों को लाभ मिल सके क्योंकि नहरें हमारी बन चुकी हैं, पानी को हैल्ड अप करके इसको चलायें।

दूसरा एक मैं उदाहरण दूं, क्योंकि लोग बार बार आकर बोलते हैं कि राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में बहुत खराब काम हुआ है। आपने अभी दौरा किया, पूर्व मंत्री दीवान साहब ने भी दौरा किया था, वहां पर बरसिंगपुर ब्रांच है वह इतनी घटिया किस्म की बनाई गई हैं। उसके अन्दर न तो मिट्टी का कम्पलेक्शन हुआ। टाइल्स की सिकाई तक भी नहीं हुई, वह रोकें भी दी गई फिर भी जितनी लगा दी गई उनका कारण आज सामने हैं कि जगह जगह नहर बैठ गई है और इसकी जांच भी की, चीफ आफिस में पड़ी है, अगर आप इस पर कार्यवाही करें और कार्यवाही तो करें ही, साथ ही साथ इसको जल्दी ठीक करवादें तो जितनी क्षमता से इसको चलाना है, वह पानी पूरा चल सकेगा। दूसरा चाहे फर्स्ट स्टेज में हो चाहे सेकेण्ड स्टेज में आखिरी छोर पर जो टैल एण्ड है चाहे ब्रांच की हो, चाहे माइनर की हो, इनमें बराबर, पर्याप्त, सुचारू रूप से पानी नहीं चलता है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि एक तो अधिकारी मौके पर नहीं रहते ज्यादातर छुट्टियां बीकानेर में मनाते हैं इसके लिए मैं चाहूंगा, आप इसका पता करें, जैसे पंजाब के अन्दर यह व्यवस्था की हुई है कि अगर टैल एंड पर सुचारू रूप से पानी नहीं चलेगा तो संबंधित अफसर की सी. आर. में यह लिखा जाएगा कि आपके यहां टैल एण्ड पर बराबर पानी किसानों को क्यों नहीं मिला। यह सुचारू व्यवस्था हो इसके लिए आपको मैंने कट मोशन्स भी दिये हैं, आप इस बात की जिम्मेदारी तय करें, तभी टैल एण्ड पर पानी पहुंच पाएगा और जल्दी आपका सिस्टम कामयाब होगा।

दूसरा एक मैं निवेदन करूं कि जहां फर्स्ट स्टेज में हमारी ब्रांचेज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, और टैल एण्ड के ऊपर वायरलैस लगाये हुए हैं। यह प्रस्ताव काफी अर्से से वहां भी पेंडिंग है जो बरसिंगपुर, धतूर, और आगे चारणवाली के टैल एण्ड पर अगर हमारे वायरलैस सैट बराबर लग जाते हैं तो पानी के गेजेज का या कहीं नहर को खतरा हो तो वहां पर स्थापित हो जाय तो आपकी भागदौड़ बच जाएगी और खर्चा बच जाएगा।

एक सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में आ रही है, यह पूर्व में भी हम नोटिस में लाये थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने बना दिया और इसमें लाखों टन अनाज पैदा होगा, इन-पुट, आउट-पुट सारा परिवहन होगा उसके लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का, रेल्वे का कोई ऐसा सस्ता साधन नहीं है। मैं चाहूंगा आप केन्द्रीय स्तर पर इसके लिए

(श्री देवीसिंह भाटी)

प्रयास करें। मुख्यमंत्री जी से बात करें कि इस मैंने कैनाल के पैरेलल में, पूर्व में कुछ एरियां सर्वेड भी है। अगर यह हो जाता है तो आपका सारा इन पुट, आउट पुट बहुत सस्ता पड़ेगा वर्ना ट्रकों से परिवहन इतने बड़े प्रोजेक्ट में बहुत मंहगा पड़ेगा चाहे किसान के लिए हो, चाहे उपभोक्ता के लिए हो।

(समय समाप्ति सूचक- घण्टी)

मैं समाप्त ही कर रहा हूं। एक निवेदन करना चाहता हूं, चाहे किसी भी गलती से अगर पानी का लीकेज नहर में बढ़ गया या किसी कारण से नहर टूट गई तो आप उस किसान को तो कुछ देते नहीं जिसने अपना सब कुछ खेती में लगा रखा है उसके आर्थिक नुकसान का कौन जिम्मेदार है ? इसके लिए आप कौनसा रास्ता निकालते हैं जिससे उसको सुचारू रूप से पानी मिले और उसका नुकसान न हो। मैंने जो सुझाव दिया अगर उसकी सी. आर. में लिखेंगे तो निश्चित तौर पर सुधार होगा।

सभापति महोदय, दो तीन बातें सी. ए. डी. के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सेकेण्ड स्टेज बन गया, सी. ए. डी. को हैण्ड ओवर नहीं किया, नहर बन गई, खेती हो रही है, उत्पादन हो रहा है लेकिन अभी तक वहां पर कोई भी मण्डी नहीं है किसान अगर बीज, खाद लाता है तो बीकानेर, लूणकरनसर और खाजूवाला से लाता है। उसको यदि माल ले जाकर बेचना है तो 20-30 रुपया किराया देकर माल बीकानेर या लूणकरनसर ले जाओ। वहां मण्डी का विकास हुआ नहीं, सड़कें बनी नहीं न कोई और साधन किसान को मिल रहे हैं तो जब तक सेकेण्ड स्टेज का एरिया सी. ए. डी. को हैण्ड ओवर नहीं करेंगे और विकास का जब तक बजट नहीं मिलेगा तब तक उस क्षेत्र के किसानों को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वहां मण्डी विकास कार्य भी होना चाहिए और साथ ही किसान को आज दिन वहां कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रही है कि वह क्या बीजें, क्रोप पैटर्न क्या हो। मर्जी आये जो आज ज्यादा पानी वाली फसल भी बीज रहे हैं। कोई कहता है, वाटर लोगिंग हो जाएगा, कोई कुछ कह रहे हैं लेकिन किसानों को कोई गाइड लाइन्स नहीं मिल रही है। ज्यादा हमने कहा तो आपने गंगानगर से लेकर उस क्षेत्र में दो-चार पर्यवेक्षक लगा दिये इससे लाभ क्या हुआ।

जब तक आप सेकण्ड फेज को सी. ए. डी. को हैण्ड ओवर नहीं करेंगे, जब तक आप इसका बजट प्रोविजन नहीं करेंगे तब तक न तो उसको गाइडेंस मिलेगी, न सुविधा मिलेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन कृषकों को सही गाइडेंस के लिए भी वहां व्यवस्था हो और वह तभी होगा जब आप सी. ए. डी. के द्वारा इसके विकास कार्य करवायेंगे।

इसी प्रकार मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि सेमी सर्कुलर पाइप वाला है उसमें एक एक्सपेरिमेण्ट हो रहा है। उसको मैंने वहां मौके पर देखा, यह हमें तो जंचा नहीं। उसको सिर्फ आपने बालू मिट्टी के ऊपर टिका दिया है। बालू मिट्टी से वैसे भी हमारी नहर कट रही है, रेत से नहरें भर जाती हैं। तो जब तक

(श्री देवीसिंह भाटी)

उसका बेस सही नहीं होगा, पक्का नहीं होगा तब तक न तो वह आपका ओपन सेमी सर्कुलर पाइप चलेगा और न ही दूसरा पाइप। उसके जाइंट्स हमने देखें हैं, थोड़ी हवा चलती है तो उसके जाइंट्स सूख जाते हैं। तो जो भी आपका एक्सपेरिमेण्ट हो वह किसान की कास्ट पर नहीं हो, उसको न भुगतना पड़े। इसके लिए आप सरकारी फार्म पर और कहीं एक्सपेरिमेण्ट कीजिये फिर उसको लागू कीजिये।

वाटर कोर्सेज के बारे में हम और दूसरे जो वहां के जन प्रतिनिधि हैं, किसान हैं, आप वहां आइये लोगों के बीच में हम आपको सुझाव देंगे और उसके अन्दर निश्चित रूप से सुधार होगा। वाटर कोर्सेज हैं वे आपके निश्चित तौर पर बहुत ही घटिया स्तर के बन रहे हैं। मंत्री महोदय इसमें आप देखेंगे कि जितने भी वाटर कोर्स हैं उनमें आपके 90 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके नीचे, बेड्स में ईंटें लग रही हैं, ईंटों के खोरियें नीचे लग रहे हैं। 90 प्रतिशत ऐसे वाटर कोर्स जो सही नहीं है और इसके लिए निश्चित तौर पर जैसे आपने एक व्यवस्था की है कि चक समिति बनी है। चक समिति की सूचना जो वहां के किसान लोकल हैं उनको मिलती ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जो वहां के रहने वाले हैं, सिर्फ यूं ही अंगूठा लगाकर फारमल्टी पूरी कर देते हैं। वहां जो स्थाई किसान रह रहे हैं उनको चक समिति में शामिल किया जाय। आपका जो स्पेसीफिकेशन खालों का है, उसको भी उस चक समिति को एक कापी दीजिये जिससे वह सही देखभाल कर सके और उसकी निगरानी में खाले बनें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : हां, समाप्त ही कर रहा हूं। दो बिन्दु बोल लेता हूं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उपनिवेशन भी इसमें शामिल हैं इसलिए निवेदन कर दूं। माननीय मंत्री महोदय आपकी जानकारी में होगा कि इतना महत्वपूर्ण पद आपके उपनिवेशन आयुक्त का है वह काफी अर्से से खाली पड़ा है। उस पद पर जो किसान हितैषी हैं और किसान परिवार से सम्बन्ध रखता हो उसको आप उपनिवेशन आयुक्त पद पर पोस्टिंग करिये तो वह किसान के हित में होगा।

दूसरा, आपने एक बहुत बड़ा मजाक किया है समाजवाद की नीति की घोषणा करके। जैसे ही उसको अलाटमेण्ट होगा, आपने एक सर्कुलर निकाला है कि अलाटमेण्ट के साथ ही छह प्रतिशत ब्याज चालू हो जायेगा। आपने कोई बनिये की दुकान खोल रखी है, अथवा आपने कहीं कोई से सौदा खरीदा है। आपके पास कोई ऐसी पूंजी नहीं सिर्फ जो जमीन पड़ी थी वह आपने उसको आवंटित की है, पूर्व में भी ऐसा होता था। अब आपने जैसे उसकी पहली किश्त चालू हुई तब से उसको पूरी रकम का, 45 हजार रुपये के ऊपर छः प्रतिशत ब्याज चालू हो जायेगा और अगर छह महीने निकल जाते हैं तो नौ प्रतिशत ब्याज और अगर साल निकल गया तो आपके 12 प्रतिशत ब्याज। तो यह समाजवादी नीति एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो भूमिहीन गरीब किसान हैं उनसे इस प्रकार से ब्याज कमा

(श्री देवीसिंह भाटी)

कर यह सरकार चलाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करेंगे और जो दोषपूर्ण नीति अधिकारियों ने बनायी है उसके ऊपर रोक लगायेंगे। साथ ही आपने....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : एक स्पेशल आवंटन की एक और दुकान खोल रखी है। हम तो यह चाहते हैं कि जैसे आपकी समाजवादी नीति है उसके अनुसार आप भूमिहीनों को जमीन आवंटित करें और हर वर्ष उसके ऊपर 15 प्रतिशत ब्याज और चालू कर दिया। तो आपका सामान तो पहले ही नहीं बिक रहा है। आप बढ़ाइये, दो लाख कर दो, पांच लाख कर दो। तो आप जो भी नीति बनाओ और अधिकारी सिर्फ आपके पास फाइल रखते हैं उनके ऊपर स्वीकृति न दिया करें, गौर न किया करें....

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : लास्ट ही है। सभापति महोदय, यहां कई मुद्दे आपके सामने आते हैं। कोलोनाइजेशन में अभी आपके सामने यह नोटिस में आया होगा कि रावला क्षेत्र के अन्दर डी. ओ. एल. और पी. एस. टी. का करीबन 100 मुरब्बों का क्षेत्र था। वहां पर एक ए. सी. सी. महोदय ने कमिश्नर के आदेश के बावजूद रोक लगने के उपरांत भी एक ढाणी में बैठकर, तारीख तो तय की हुई थी, एप्लीकेशन मांगी हुई थी, जमीन का अलाटमेण्ट कर दिया। कमिश्नर ने कब्जा देने के लिये मना ही कर दिया था, आर्डर निकाल दिया था लेकिन जो पहुंच वाले थे वह यहां से, आपके सेक्रेटेरिएट में जाकर आदेश निकलवा कर ले गये, आवंटन कर दिया। उस सारे मुद्दे के ऊपर जांच हुई, डिप्टी कमिश्नर ने जांच की। उस जांच रिपोर्ट को आप देखिये, उसमें निश्चित रूप से देखते ही आपकी आंखें खुल जायेंगी। डी. सी. ने कहा है कि उसमें राज्य सरकार को 55 लाख रुपये का घाटा हुआ है। अब बोलिये 55 लाख रुपये। 55 लाख का घाटा हुआ है तो उस ए. सी. सी. की झोली में कितना गया होगा यह आप अन्दाजा लगाइये। क्या करेगा कोई उद्योगपति, क्या करेगा कोई धन्ना सेठ। इस प्रकार आपको जो उदाहरण दिये हैं, ऐसे बहुत कबाड़े हैं उनको आप रोकिये वरना जनता में ये बातें होती हैं कि साहब, यहां सारा खेल पैसे का है, पैसे देओ और काम करवाओ। मैं आपको बताऊं, कोलायत, ए. सी. सी. की 5 साल से जांच चल रही है जिसने किस प्रकार से करीबन 50 किलोमीटर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें, बहुत टाइम हो गया।

श्री देवीसिंह भाटी : तो ऐसे जो मुद्दे आते हैं, आप युवा मंत्री हैं और बीकानेर की जनता पश्चिमी क्षेत्र की जनता आपसे चाहेगी....

श्री सी. पी. जोशी : युवा मन्त्री, बहुत अच्छा। दो युवा हो गये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें गलत क्या है। हमारे हित तो एक ही है। उनसे, आपसे हित जुड़े हुए हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि जो मैंने मुद्दे उठाये हैं निश्चित तौर पर आप उन पर गौर करेंगे और समय-समय पर दौरा करें और लोगों से सुझाव लेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कटारिया। (अनुपस्थित)

श्री ऋषिकेश मीणा।

श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार सिंचाई की डिमाण्ड पर रखे। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के अपूर्ण बांध एवं नवीन स्कीम के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, रायरवली अपूर्ण बांध है। यह बांध सन् 1985 में से विभाग द्वारा एन. आर. ई. पी. के तहत बनाया जा रहा था और इस बांध पर सरकार ने अब तक 6 लाख रुपये खर्च किये हैं तथा इसको पूर्ण करने हेतु 9 लाख रुपये की जरूरत है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बांध का कार्य शीघ्र ही चालू करवाया जाय। वहां की जनता इस बांध को अधूरा देख कर रो रही है।

दूसरा, निखुणिया बांध, लाल बांध अपूर्ण हैं। इन दोनों बांधों का कार्य विभाग द्वारा अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 1985-86 में चालू करवाया गया था। इन पर अब तक सरकार के 1 लाख 70 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं और करीबन इसको 5 लाख रुपये की जरूरत और है। इस बांध के पूर्ण होने से न सिर्फ सिंचाई ही होगी इससे पेयजल समस्या का समाधान भी होगा और उन गरीबों को बहुत राहत मिलेगी। इसी प्रकार देवा बांध अपूर्ण है। इस बांध पर सरकार के अब तक 6 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और इसे पूर्ण करने के लिए करीब 10 लाख रुपये की जरूरत है। इस बांध के बन जाने से इस क्षेत्र की 1 हजार बीघा जमीन सिंचित होगी। मुख्य मंत्री जी 8 जनवरी को केलादेवी पधारे थे तब जनता को बीच रास्ते में रुक कर विश्वास दिया था परन्तु इस बांध का अभी तक कार्य चालू नहीं किया गया है। इसी प्रकार मुराणा बांध अपूर्ण है, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र के सब तहसील मण्डरायल के अन्दर आता है।

इस सम्बन्ध में अब तक सरकार के चार लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इसको पूरा करने के लिए छः लाख रुपयों की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बांध को शीघ्र ही पूरा करवाया जाये जिससे वहां की जनता को सिंचाई हेतु राहत मिल सके।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ऋषिकेश मीणा : आधुनिकीकरण से, बांध भूपेन, सागर, सपोटरा इस कार्य पर सरकार के ढाई लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इसको पूर्ण करने के लिये करीब 20 लाख और रुपयों की जरूरत हैं। इस बांध से वर्तमान में 230 हैक्टेयर जमीन सिंचित होती है, इस बांध को रेज कर

(श्री ऋषिकेश मीणा)

दिया जाये तो नई नहरों से करीब छः सौ बीघा अतिरिक्त सिंचाई हो सकती है। बांध मरम्मत का कार्य 1984-85 में एन. आई. ई. पी. के तहत चालू किया गया था। परन्तु विभाग की लापरवाही, कार्य में रुचि नहीं लेने पर, बजट होते हुए छोटा सा कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। वहां के मजदूर के मस्टर रोल 1986 एवं दूसरे पूर्व के दो अनपेड मस्टर रोल भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। बताया जाता है कि उपर्युक्त अवधि के मस्टर रोल को तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता ने नहीं दिया है जिससे अभी तक उन गरीबों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। अतः सभापति महोदय, मैं खासकर मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस बंधे के मजदूरों ने जो कार्य किया हैं, उसका भुगतान तत्काल करवाया जावे। जखावा नवीन स्कीम, डबगाह की खोह, सब तहसील मण्डरायल की सबसे बड़ी योजना यह विचाराधीन है। इस पर करीबन 60 लाख रुपये खर्च आयेगा। इस बंधे के बन जाने पर इस क्षेत्र के कई गांवों की करीब दो हजार जमीन की सिंचाई होगी और गर्मी के दिनों में इस क्षेत्र में पीने के पानी की भारी समस्या रहती है। इसके बन जाने से पी. एच. ई. डी. विभाग ने पीने के पानी की स्कीम बनाई और पानी लिफ्ट करके आस पास के गांवों को देंगे। वह स्कीम, जो नई स्कीम है, इसको बजट में स्वीकृत किया जावे और तत्काल कार्य चालू किया जाये। बांध कसियारपुर लावरा के पास यह नवीन स्कीम है। मुख्य मन्त्री जी जब मंडरायल क्षेत्र के दौरे पर गये थे, तब कसियापुर ग्राम एवं आसपास की जनता को कसियापुर के नाले का बांध शीघ्र ही बनवाने का विश्वास देकर आये थे।

लेकिन अभी तक इस बांध का कार्य चालू नहीं करवाया है। इस बांध के लिए 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी जावे और मुख्य मन्त्री जी जो विश्वास उन गरीब जनता को देकर आये हैं, तत्काल उनको विश्वास में लिया जावे। बेरपुरा की खोह का बांध नई नवीन योजना है। सब तहसील मंडरायल व करनपुर बांध के बन जाने से करीब 10 हजार एकड़ की पिलाई होगी। इस बांध को बनवाने के लिए शीघ्र ही सर्वे कराया जाय। इस बांध पर ज्यादा से ज्यादा पांच करोड़ का खर्चा आवेगा। यह कालीसिंध बांध सपोटरा के पास सबसे बड़ी दूसरी स्कीम होगी। कालीसिंध बांध को रखें और दूसरे नम्बर पर इस बांध को रख लें। यह जो नवीन बांध की स्कीम सब तहसील करनपुर है, इसका सर्वे करवा करके काम को प्रगति पर लाया जावे।

श्री सभापति : काफी बोल लिये आप। आप देख रहे हैं अभी, पल्लीवाल जी जरूर ब्रीफ कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पल्लीवाल जी अपने क्षेत्र की बात कहलवा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : नहीं विपक्ष के नेता महोदय, मेरे क्षेत्र की बात बिल्कुल नहीं है। इन्हीं के क्षेत्र की समस्या है, एक भी नाम जो इन्होंने लिये हैं, मेरे क्षेत्र का नहीं है।

श्री सभापति : बांध से पानी की नहरें तो आपके क्षेत्र में पहुंचेगी। बांध तो इनके

(श्री सभापति)

यहां बनेगा और पानी इनके यहां पहुंचेगा, विपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं।

श्री ऋषिकेश मीणा : कालीसिंध बांध, सपोटरा बांध से वर्तमान में दस हजार एकड़ की सिंचाई होती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, आप मेरी ओर देखिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको ही देख रहा हूं मैं।

श्री डूंगरराम पंवार : इनको तो टकटकी लगाकर देखें, सभापति महोदय।

श्री ऋषिकेश मीणा : यह बांध सन् 1956 में मात्र 30 लाख रुपये में तैयार हुआ था यह लागत नहर हेतु थी। इस बांध के कमाण्ड क्षेत्र में करीबन 16 हजार एकड़ जमीन पड़ती है। जबकि सिंचाई मात्र 10 हजार एकड़ की होती है। यह बांध अकाल के समय में भी हर साल भरा रहता है। इस बांध का पानी पाल की चादर से निकल करके बाहर चला जाता है। इस बांध को करीबन छः फुट उठा कर रखा जा सकता है। इससे इनकी क्षमता बांध की 22 मिलियन घन फीट हो जावेगी।

श्री सभापति : काफी बोल लिये।

श्री ऋषिकेश मीणा : जबकि वर्तमान में इसकी क्षमता 14 सौ मिलियन घन फीट की है। इस प्रकार इस बांध को रेज करने से छः हजार एकड़ सिंचाई और बढ़ जावेगी। और इसका तकमीना भी तैयार हो गया है। सभापति महोदय, यह कालीसिंध बांध सपोटरा की बहुत गम्भीर समस्या है, इसमें हर साल किसानों को किसानों से ही बंदूक और तलवार की नोक पर लड़ना पड़ता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, पानी दो अब। आप कहो तो बैठ जायेंगे।

श्री ऋषिकेश मीणा : इस बांध की पाल की लम्बाई पांच–पांच सौ फीट है। क्या सरकार के पास इस बांध को रेज करने के लिये पैसा नहीं है? हमने जाना और माना है कि सरकार द्वारा जो पैसा दिया जाता है, शायद 50 पर्सेन्ट इन बांधों के ऊपर पैसा लगता है और बाकी का पैसा ऑफीसरों की जेब में चला जाता है।

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय सदस्य, धमकाओ सरकार को।

श्री ऋषिकेश मीणा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कालीसिंध बांध का जो रेजिंग एस्टीमेट बन चुका है इसको शीघ्र ही स्वीकृत करें। कार्य शीघ्र ही चालू करवाया जाये। जो टैल एंड के गांव हैं, जो हमारे गरीब किसान हैं, उनको सुचारू रूप से पानी मिल सके....

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री ऋषिकेश मीणा : और वे अपने बच्चों का पालन–पोषण सही ढंग से कर सकें....

श्री सभापति : समाप्त करिये ।

श्री ऋषिकेश मीणा : मैं अब ज्यादा से ज़्यादा दो–तीन मिनट और लूंगा । मुख्य मंत्रीज़ी आठ जनवरी को करौली कैलादेवी भी पधारे थे, सलेमपुर में....

श्री सभापति : यह बोल लिया आपने, पहले कह दिया आपने ।

श्री ऋषिकेश मीणा : सलेमपुर में सिचाई हेतु एक ट्यूब वैल की घोषणा की थी । परन्तु वह घोषणा पता नहीं जयपुर की ओर घूम गई या मध्यप्रदेश की ओर । मैं आपके माध्यम से मुख्यमन्त्रीजी और सिचाई मंत्रीजी से ख़ास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि जो घोषणा सलेमपुर ग्राम के अन्दर की ट्यूब वैल की, वह घोषणा जल्दी से जल्दी पूरी की जावें जिससे वहां की जनता को सिंचाई हेतु सुविधा हो सके और सही मायने से पानी मिल सके ।

श्री सभापति : धन्यवाद । समाप्त करें । काफी बोल लिये, अच्छा बोल लिये आप । अब जल्दी समाप्त करिये ।

श्री ऋषिकेश मीणा : सभापति महोदय, अभी एक नवीन बांध रामदेह की स्कीम तैयार करके तखमीना बनवाया गया था । यहां की जनता पिछले बीस सालों से इस बांध को बनवाने के लिए मांग करती आ रही है । इस क्षेत्र में पानी का स्तर बहुत नीचा है, यहां के किसान सिर्फ वर्षा के ऊपर ही निर्भर करते हैं । इस बांध के बन जाने से सीमर, बगीदा, सेवरदा, फतेहपुर, खोहा, हाड़ौती, गढी का गांव, जवाहरपुरा, किराड़ी, भागीरथपुरा. बठोठपुरा, त्रिजटा, फरलोटपुरा आदि गांवों की नौ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी.. .(व्यवधान)

श्री सभापति : काफी बोल लिये, माननीय सदस्य ।

श्री ऋषिकेश मीणा : सभापति महो–दय, आप ध्यान से सुनिये । यह पिछड़े हुए क्षेत्र सपोटरा की जनता की आवाज़ है....

श्री सभापति : आप मेरे ऊपर कृपा करिये, बैठिये आप ।

श्री डूंगरराम पंवार : तथास्तु बचन ।

श्री ऋषिकेश मीणा : और आप सर–कार से कहिये । यह रामदेह के तखमीना की प्रतिलिपि मैं यहां पर लाया हूं, यह मेरे सर के ऊपर है । यह बताइये आप, किसको पेश करुं इसको स्वीकृति के लिए....

श्री सभापति : सर पर नहीं रखें, पटल पर रख दें यहां ।

श्री ऋषिकेश मीणा : यह स्वीकृत होनी चाहिए, मेरी यह मांग है और जल्दी से जल्दी इस बांध का कार्य होना चाहिए ।

श्री सभापति : अब आप इसको सर से नीचे उतार लें । माननीय सदस्य, आगे नाम पुकारूं मैं ?

श्री ऋषिकेश मीणा : और काली सिंध बांध की नहरों की मरम्मत होनी चाहिए । सभापति महोदय, मुझे आपने जो टाइम दिया है उसके लिए तो मैं बहुत ही आभारी हूं....

श्री सभापति : धन्यवाद ।

श्री ऋषिकेश मीणा : लेकिन सपोटरा क्षेत्र की जनता की ओर जब ध्यान जाता है मुझे खेद होता है, खेद होकर मुझे कुछ अन्दर की भावनाओं से कहना पड़ता है।

श्री सभापति : धन्यवाद। बहुत अच्छा बोल लिये, बैठें आप।

श्री ऋषिकेश मीणा : मेरा यह निवेदन है मंत्रीजी, एक दफा मंत्रीजी से भी मिला था, इस बांध के बारे में, मंत्रीजी ने मेरे से यह भी कहा था कि अभी तो मैं इस विभाग के अन्दर आया हूं....

श्री सभापति : कृपया बैठें।

श्री डूंगरराम पंवार : बहुत दिन से हाथ लगी है सरकार, अब नहीं छोड़ेंगे ये।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री ऋषिकेश मीणा : मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अब तो विभाग के अन्दर आ गये, यह तखमीना है....

श्री सभापति : आप दे दें इनको, मंत्रीजी को दे दें। आप कृपया बैठें। श्री मोहन छंगाणी।

श्री मोहन छंगाणी : सभापति महोदय....

श्री मानिकचन्द सुराना : लिस्ट आपके पास कैसे आ गई। मैं पांच बार खड़ा हो चुका हूं। आप नाम देखें पहले।

श्री डूंगरराम पंवार : ऋषिकेश है न वे तो, बहुत दूर पड़ते हैं....(व्यवधान)

श्री हंसराज मिढ़ा : मेरा नम्बर पहले था, पार्टी की लिस्ट मुताबिक मेरा नाम पहले था, सभापति महोदय।

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय सदस्य का स्टाइल ही अलग है।

श्री मानिकचन्द सुराना : सभापतिजी, मैं भूल गया था कि ये निर्दलीय हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : सभापति महोदय, सही बात तो यह है कि इस राजस्थान कैनाल और सिचाई पर सबसे अच्छी तरह से हमारे विपक्ष के नेता बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और आपके जरिये से मैं आज इनसे कहूंगा कि वे जबरदस्त तरीके से बोलें। इस तरीके से बोलें कि यह लगे कि सरकार कितनी निकम्मी है। चाहे आज का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे पहले का चीफ मिनिस्टर हो, इन्होंने राजस्थान केनाल और दूसरी सिचाई योजनाओं का कितना ढर्रा बैठाया है, जिसका कोई अन्दाजा नहीं है। सभापति महोदय, मैं विस्तृत से राजस्थान कैनाल के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं खास तौर से लिफ्ट कैनाल के बारे में बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय, 1976 में नेशनल कमिश्न एग्रीकल्चर ने पहली दफा निर्णय लिया क्योंकि उस समय हमारे काफी लड़ाई चली थी, मैं भी एम. एल. ए. था, मिनिस्टर भी था, काफी लड़ाई चली और प्लानिंग कमीशन में यही लड़ाई थी कि....

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : उस समय तो कांग्रेस में थे न? (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : कि आया नहर का ग्रेडेड फ्लो सही चालू रखा जाय ?

श्री डूंगरराम पंवार : यह इंजीनियर जब से लिफ्ट में शिफ्ट हुए तब से कमाल ही कर दिया ।

श्री मोहन छंगाणी : कि लिफ्ट योजनाओं के जरिये आबादी वाले क्षेत्रों को सिंचित किया जाय । उस समय श्री पाठक इर्रीगेशन के मैम्बर हुआ करते थे, बहुत झगड़ा चला । बहुत झगड़ा चलने के बाद एक शिवरामन, हमारे डी. पी. धर की और पाठक की मुलाकात होने के बाद यह तय हुआ कि नहीं, जहां आबादी का क्षेत्र है, कोलोनाइजेशन की कास्ट बहुत कम आती है तो उस जगह लिफ्ट के जरिये सिंचाई के साधन जुटाये जाय । इस तरह से एक एरिया, पूरा क्षेत्र मुकर्रर हुआ जहां लिफ्ट कैनाल की योजनाएं बनाई जाय । पांच लिफ्टें उस समय तय हुई थी । पांच लिफ्ट तय होकर उनको वेप्को को दिया, वैप्को ने योजना बनाई । वेप्को के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई । उस कमेटी के निर्णय को केबिनेट मीटिंग में लाया गया और 1976 में यह लिफ्ट योजना अप्रुव हुई । वेप्को ने नब्बे मीटर की लिफ्ट की सिफारिश की थी और उस कमेटी ने साठ मीटर की लिफ्ट और करीब साढ़े तीन लाख हैक्टेयर सिंचित एरिया कमाण्ड एरिया में लिया जाय, इस तरह का यह प्रस्ताव 1976, शायद दिसम्बर के महीने में पेश हुआ उस समय मैं भी केबिनेट में था । उसके बाद क्या हालत हुई लिफ्ट की, इसका कोई अंदाजा नहीं है । उसके बाद 78 में फिर सरकार के विचाराधीन आया और फिर सरकार ने निर्णय लिया । इस लिफ्ट पर विचार हुआ, एलोकेशन हुआ । तीन जगह इनके इनवेस्टीगेशन वगैरह के सेन्टर्स बनें– साहवा, बीकानेर और फलौदी में । उन सेन्टर्स की भी क्या हालत है उनका भी वर्णन करने योग्य नहीं है । अगर ए. ई. एन. की लड़की को फलौदी में पढ़ाई की सुविधा नहीं है तो कल्लाजी बीकानेर में ट्रांसफर कर देते हैं, उसे, डिवीजन में । डिवीजन नहीं है तो डिवीजन को तोड़ देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है । आज साल में तीन–तीन दफे डिवीजन जुड़ते हैं और टुड़ते हैं । फलौदी लिफ्ट कैनाल किसलिए है, यह भी पता नहीं है । यह सारा का सारा उस समय डिस्कशन हुआ कि आखिर आप लिफ्ट चाहते क्यों है ? आप इस क्षेत्र को गंगानगर बनाना चाहते हैं, गंगानगर के बहुत सारे भाई बैठे हैं उनका यही सवाल था कि डायर मीटिंग के सारे ग्राहक बनें, सिंचाई की ऐसी योजना बने । आपकी सामाजिक–सोशियल पॉलिसी क्या है ? हमने साफ–साफ कहा था कि हमारी इंटेंसिटी ध्येय नहीं है कि टू हण्ड्रेड इण्टेंसिटी ली जाय, हमारा कभी ध्येय नहीं था ! हमारा ध्येय था कि इस एरिया में एनीमल हसबेन्डरी कंजर्वेशन हो इसलिए इण्टेंसिटी को लो किया जा सकता है, उस इंटेंसिटी में कई उतार–चढ़ाव आये जिसका इतिहास मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है । कभी 110 रही कि हम जमीन बेचेंगे, जमीन बेचकर राजस्थान कैनाल को बनायेंगे । जमीन बेचोगे तो इण्टेंसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, वह इण्टेंसिटी बढ़ाई गई । कभी 150 की गई, कभी 140 की गई, कभी 110 की गई और पिछले जो नहर मंत्री थे माननीय नरेन्द्रसिंह जो भाटी, उन्होंने 90 किया और नई योजनाएं बनी ।

(श्री मोहन छंगाणी)

85 के बाद उस योजना की क्या हालत है वह हमें आज तक पता नहीं है कि यह लिफ्ट कैनाल चालू है या बन रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके मार्फत पूछना चाहूंगा कि फलौदी लिफ्ट पर क्या हो रहा है? क्या है वहां? आपने कितना एलोकेशन किया? आप बदासर से आर. डी. 1109 तक सड़क बनाने के बाद आपने वहां कुछ काम नहीं किया। खैर आज पानी की मांग नहीं है। यह सारा का सारा जो आपने बनाकर रखा है राजस्थान कैनाल के नाम से या दूसरी कैनाल की नाम से उसका कितना उपयोग है? आप इस कैनाल को कब तक पूरा कर पायेंगे। इसका अंदाजा नहीं है। आज गवर्नमेण्ट कहती है कि 21 वीं शताब्दी तक आपके राजीव गांधी कहते हैं तो राजस्थान कैनाल पूरी हो जाये तो वह बात दूसरी है। जिस तरह आप पैसा दे रहे हैं. जिस तरह से आप संगठन का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से आपकी दूरदृष्टि है। इस तरह से आप इसको कभी पूरा नहीं कर पायेंगे और लिफ्ट महज धोखा रहेगी।

कभी फलौदी की लिफ्ट कॉमन केरियर हो जाती है अब उनको पूछो कॉमन केरियर क्या है? पता नहीं कि कॉमन केरियर क्या है। कॉमन केरियर के बाद आप उस लिफ्ट को कैसे पूरा करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शीशराम जी को सब पता है।

श्री मोहन छंगाणी : शीशराम जी को पता नहीं है। डबल कैरियर है उसका मैंने विरोध किया और उस विरोध का परिणाम यह हुआ कि फलौदी तक कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था तो हो गयी। पीने के पानी के बारे में सभापति महोदय, कभी कहते हैं कि 500 क्यूसेक होगा, कभी यह कहते हैं कि 1200 क्यूसेक होगा, कभी यह कहते हैं कि इस एरिया में सिंचित क्षेत्र कितना रखा जाय स्पिल वे काम में लिया जाय, कभी कहते हैं पाले का सवाल, पाले और सेवण घास का कैसे उत्पादन किया जाय, राजस्थान कैनाल के पानी का पूरा उपयोग किया जाय। यह सब बातें होती हैं। मैं सभापति महोदय, आपसे जानना चाहूंगा और सारा सदन जानना चाहेगा कि आपका राजस्थान कैनाल के बारे में क्या कन्सेप्शन है? किस तरह से आप पूरी करना चाहते हैं, किस तौर तरीके से राजस्थान कैनाल तैयार हो, जो कमेटियां बैठी हैं, उन कमेटियों ने क्या-क्या किया, आज लिफ्ट कैनाल बनेगी या नहीं, कभी कहते हैं बाड़मेर से गडरा रोड तक जायेगी, कभी वहां तक, उस कैनाल की क्या हालत है? फलौदी से जोधपुर जायेगी, कभी कहते हैं कि कोलायत से और आगे बढ़ जायेगी। आप कोस्ट बेनीफिट रेशियो, टेक्निकल फिजीबिलिटी आपके पास रिसोर्सेज अवेलबिलिटी इसके बारे में कुछ न कुछ तो सदन को बतायेंगे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या अक्षम हैं। यह सारी सरकार अक्षम है, कम से कम इस बात को तो बतायें कि किस कारण से अक्षम हैं। आप इतना बड़ा संगठन बनाते हैं, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव आउट पुट होता है।

(श्री मोहन छंगाणी)

सभापति महोदय, इसको पूरा करने के लिए लगातार काम चाहिए, यह तो काम चाहता है, काम दो भूत की तरह क्या करे ? विवेकानन्द ने कहा है कि भूत अगर रोज काम मांगे तो कह दो कि बांस पर रोज ऊपर नीचे चढ़े। आज इर्रीगेशन डिपार्टमेंण्ट की यह हालत हो रही है। न छोटी परियोजना बनती है, न बड़ी परियोजना बनती है, न मिडियम बनती हैं, कुछ भी नहीं बनती है। इसलिए सभापति महोदय, मेरा तो एक ही निवेदन है कि आप कम से कम जो भी लिफ्ट योजनाएं हैं चाहे पोकरण हो, चाहे गडरा हो, अब सीकर झुंझुनूं को भी ले लिया। सीकर झुंझुनूं को पानी मिलेगा ? गडरा रोड़ तक पानी जायेगा ? दूसरे एरिया जो लिये हैं वहां तक कैनाल पहुंचेगी ? सदन को तो कम से कम बतायें आप मेहनत करके बतायें कि किस जगह है। ऐसी बनायी है भूल भुलैया जिसमें आप भी फस गये हैं और निकलना भी मुश्किल है।

85 में प्लानिंग कमीशन को योजना भेजी, उसके बाद पता नहीं कि प्लानिंग कमीशन ने इस योजना का क्या किया ? सभापति महोदय, अपने समझौतों के तहत आज पानी मिलना चाहिए। पंजाब हमको पाई भर नहीं गिन रहा है। आज 8 एम एफ पानी मुश्किल से मिल रहा है राजस्थान को उन्होंने परे रख रखा है और राजस्थान का कोई मंत्री ऐसा सक्षम नहीं है, मंत्री परिषद सक्षम नहीं है कि वहां जाकर के लड़ाई करके सेण्ट्रल से लड़ाई करके अपना हिस्सा मांगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप इनको मरवायेंगे।

श्री मोहन छंगाणी : मराने का सवाल नहीं। आज कोई योजना है ? हमारी योजना के अन्तर्गत जो हमारे समझौते हुए, जो हमको पानी मिलना चाहिये आपने कोशिश की, चिट्ठियां लिखी ? सभापति महोदय, हरिदेव जोशी ने कई समझौते ऐसे किए हैं कि हमको शर्म आती है और शिवचरणजी तो उनसे 100 गुणा आगे हैं। वह तो समझौते की बात कहकर सरेण्डर ही करते हैं। अच्छा इंदिराजी ने कहा और यह दस्तखत। राजस्थान क्या है उनको पता ही नहीं। सभापति महोदय, मैं आज देख रहा था, हमारे समझौते के हिसाब से। आप उन पर तफतीश से बोलेंगे। देखिए आप रावी-ब्यास इण्टर स्टेट एग्रीमेण्ट हुआ 1960 में, हमारा भाखरा कैनाल एग्रीमेण्ट हुआ 1959 में, रावी ब्यास सेटलमेंण्ट हुआ 1955 में, घोषणा अवार्ड हुआ, राजस्थान का हिस्सा हर पानी में मिला। हर नदी के पानी में राजस्थान का हिस्सा तय हुआ इन अवार्ड के जरिये, इन एग्रीमेण्ट के जरिये, मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने कब उनको इनफोर्स करने की कोशिश की, शुरूआत में, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि गोविन्दसागर से जब पानी सिंचाई के लिए लेना शुरू किया तो राजस्थान ने कुछ कमजोर आवाज उठायी। कई वर्षों की बात है पंजाब ने सिंचाई के लिए पानी ले लिया और राजस्थान की आवाज दबी की दबी रह गयी। यह आज की बात नहीं है, यह 1962-63 की बात है।

(श्री मोहन छंगाणी)

गोविन्दसागर से पानी मिलने का तय नहीं था हमारे एग्रीमेण्ट में। इस एग्रीमेण्ट के वहत जितना भी पानी मिला, बिजली-घर, तापघर के बारे में तो माननीय विपक्ष के नेता महोदय की जानकारी है परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा अभी आपने अखबारों में एडवरटाइजमेण्ट पढ़ा, जिसमें राजीव गांधी थे, उसमें अपना हिस्सा होना चाहिए था, मैंने लिस्ट निकाली है आप देखिये आनन्दपुर साहिब में हमारा कितना है, कितनी बिजली मिल रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 134 मेगावाट हमारा हिस्सा कानून के हिसाब से अवार्ड के हिसाब से 20 प्रतिशत है। क्या दे रहे हैं, इसके लिये आपने क्या कदम उठाये? थीन में 480 मेगावाट हमारा हिस्सा 52.6 है आपने क्या किया इसके लिए...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किससे पूछ रहे हो।

श्री मोहन छंगाणी : मंत्री महोदय, से पूछ रहा हूं बहुत चहते हैं माननीय शिवचरण जी के।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनसे क्या, शिवचरण जी से पूछो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह पूछो कि यह बीकानेर जिले में है या पंजाब में है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे सब पता है यह कहां पर है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह उनसे पूछा है मैंने।

श्री मोहन छंगाणी : मुगेरिया में 207 मेगावाट की 58.5 प्रतिशत। अपर बाहर दवात कैनाल स्टेज सेकण्ड 45 मेगावाट अपना हिस्सा 52.6 प्रतिशत, कोल की योजना 600 मेगावाट, अपना हिस्सा 51 प्रतिशत, पार्वती में 1900 मेगावाट की योजना है अपना हिस्सा 52.6, नाथपा झाकड़ी 1020 मेगावाट की योजना, अपना हिस्सा 15.22 प्रतिशत, इकहस्ती 3.90 मेगावाट अपना हिस्सा 52.6 प्रतिशत, चमेरा 790 मेगावाट में अपना हिस्सा 52.6 प्रतिशत। मैं पूछना चाहूंगा सभापति महोदय, आज 2500 मेगावाट हमारा हिस्सा है। आपने उनसे कितना हिस्सा लिया जबकि बिजली के उत्पादन की कोस्ट वहां करीब 10 पैसे आती है। आप अपना हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। राजस्थान सरकार इतनी निर्बल हो गयी है कि वह अपनी बात भी नहीं कह सकती है। सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट से लड़ाई भी नहीं कर सकती है। आनन्दपुर साहिब के बारे में आप काफी बोले हैं मेरे ख्याल से भैरोंसिंह जी आपने पहाड़िया जी के समय में बातचीत में हिस्सा भी लिया था, लिया था ना? कई बातें उन्होंने मंजूर की, पर सारी की सारी बात आज धूल में मिल गयी। हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। जब ऐसी सरकार जो राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है, चाहे बिजली में हो या पानी का हिस्सा हो, या कोई भी राजस्थान की योजना हो पूरी नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी सरकार वर्किंग सरकार है, गुड गवर्नमेण्ट है, मुझे यह समझ में नहीं आता है सभापति महोदय, कि आज यह सरकार इसीलिए बैठी है, यह निकम्मी सरकार, क्योंकि हम एक नहीं हैं, सही बात तो यह

(श्री मोहन छंगाणी)

है आप हां में हां मिलाते हैं सभापति महोदय, अच्छी बात है।

श्री सभापति : मैं तो हां में हां नहीं मिला रहा हूं।

श्री मोहन छंगाणी : अगर हम एक हो जाते तो एक दिन ट्रेजरी बेंचेज पर सरकार को बैठने नहीं देते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप यह बतायें कि लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम 78 में बंद किसने की ?

श्री मोहन छंगाणी : मैं 77 में इनके साथ नहीं था।

आपके साथ में दौड़ता था। आप उस समय छोटे लड़के थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई लड़का नहीं था। कालेज में लेक्चरार था।

श्री मोहन छंगाणी : सभापति महोदय,....

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा आज हमारी बहुत सारी योजनायें हैं डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत। आप एक को लीजिए, आज कुओं की सिंचाई को सभापति महोदय, तीन जोन में बांटते हैं : ड्राई जोन, ग्रे जोन, डार्क जोन। 85% से ऊपर होता है वह डार्क जोन, 65-80% ग्रे जोन और बाकी जो है, वह तीसरा जोन होता है। इन जोन में हमारे लिए सिंचाई के लिए क्या सोचना चाहिए, सिंचाई की क्या पॉलिसी होनी चाहिये, कहां तक कुओं का पानी हमें सिंचित क्षेत्र में लाना चाहिए। कितने कुए चल रहे हैं, कितने कुओं को बिजली मिल रही है, कितने कुए डीजल पर चल रहे हैं, आपने इन आंकड़ों को देखा कभी ? और मेरा ख्याल है, अभी आपको मालूम होगा, टेक्नीकल मिशन सेम पित्रोदा के नेतृत्व में आया था। बड़ी टेक्नीकल बातें करता है। एक हमारी कमेटी की दिल्ली में मीटिंग हुई थी जिसमें खास तौर से यह सोचा था कि बड़ी योजनाओं को छोड़कर हम कुओं पर आश्रित हो सकते हैं या नहीं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन छंगाणी : हमारा रिजरवायर कितना है ? आज तक हम जो एक्सप्लोइट कर रहे हैं, सभापति महोदय, उसमें 50% करीब हमारा रिजरवायर जमीन में दबा हुआ है। यह बात दूसरी है कि वह डार्क जोन में आ जाते हैं। अलवर जैसे क्षेत्र, भरतपुर जैसे नजदीक के क्षेत्र, उन्होंने, अनाप-शनाप सिंचित पानी का उपयोग कर लिया....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन छंगाणी : मुझे थोड़ा कहने दीजिए आप। तो मैं यह कहूंगा कि डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत जो भी इन्वेस्टीगेशन हो रहे थे, छोटी सी बात है, हमें गांवों के विकास के लिए, सिंचाई के लिए, पानी का प्रिजर्वेशन करने के लिए, रीजनरेशन ट्यूब वैल करने के लिए, यह सारे के सारे इन्वेस्टीगेशन करके उसके पैसे बन्द कर लिये। 12 जिले थे जिनमें से 9 जिलों में काम बन्द हो गया और आप बोले तक नहीं, कोई भी नहीं बोला। यह तो मामूली बात

(श्री मोहन छंगाणी)

थी। जिस आधार पर हमको पैसे मिल रहे थे, आप देखिये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर कम से कम आपका एरिया, बीकानेर का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा एरिया जहां अनाप-शनाप लाइम स्टोन है आप उसमें ट्रेडीशनल तरीके से किस तरह से पानी रिजर्व कर सकते हैं और पानी परकोलेट होकर किस तरह से जाता है क्योंकि अपने दूसरे सौर्स सूखे हुये हैं नीचे सबटेरेनियन वाटर हैं, वह अपने आप डेजर्ट में सूख जाता है। कई जगह जो आपको मिलता है वह जियोलोजिकल फार्मेशन से मिलता है। अपने यहां फोसिल वाटर है डेड वाटर। कुओं में जो सिंचाई के लिए काम में लाये उसके लिए प्रिजर्वेशन के लिए जो-जो योजनायें हैं डी. पी. ए. पी. देती है आपको, सिंचाई के लिए देती है, इन्वेस्टीगेशन के लिए देती है, आपको पानी रिजर्व रखने के लिए देती हैं जिसमें बहुत थोड़ा पैसा है। यह जो स्मोल इज ब्यूटीफुल का जो नारा है, उसी को आप अपनायें। कम से कम स्माल बनें बड़े नहीं बन सकते हों तो 50 साल में नहीं बने तो अब क्या बड़े बनेंगे। दूसरों को बड़ा बनना पड़ेगा। कम से कम इसको देखिये इसको देख करके आप वहां बड़े-बड़े टांके बना करके....

(समय समाप्ति सूचक-घण्टी)

नेचुरल-वे में बने हुये हैं। इसलिए, सभापति महोदय, एक तो मैं सजेशन दूंगा इस बारे में खास तौर से ध्यान दें।

दूसरा, मैं चाहूंगा कि फलौदी लिफ्ट या दूसरी लिफ्टों की जो मजाक बनाते हों वह मजाक आप खतम करो। राजस्थान कैनाल आपसे पूरी होती है या नहीं होती है उसके बारे में बताओ। हम सदन को यह अवगत करायें पूरा का पूरा डिटेल्स में, हमको डाक्यूमेण्ट 85 में मिले थे, जो ऐसी स्कीम थी जिसमें लोग कहते थे कि केसर उगाने से भी कोस्ट मेन्टेन नहीं कर सकते तो जो भी टेक्नीकल फिजीबिलिटी है, कोस्ट बेनिफिट रेशो है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन छंगाणी : वह सारा का सारा एनिमल हसबेन्ड्री के बारे में, जिस बारे में उस एरिये लिफ्ट जाती है, पानी के बारे में उस बारे में व्यवस्थित रूप से बताने की कृपा करें इतना ही निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री प्रभुदयाल मीणा।

श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई की समस्या के बारे में समस्या बताना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सिकराय में सूरजपुरा में सूरी नदी का बांध बजोरी नदी का बांध, लोंगटा नाला का बांध तीनों के अन्दर अकाल राहत के अन्दर कम से कम 15-16 लाख रुपये का काम हुआ है और डिपार्टमेण्ट के अधिकारी, एक्स ईएन, ए. ईएन इन्होंने मेहनत करके माइनर इरीगेशन की स्कीम बनाई। सिंचाई मंत्री जब प्रभाकर जी थे, इनको मैंने लिखा, मेरे क्षेत्र में गये और इन्होंने दौरा किया। इन्होंने ने भी देखा कि ये तीनों बांध अगर पूरे हो जाते हैं तो कम से कम तीस चालीस गांवों का भला होगा। जल स्तर कुओं का नीचे गया हुआ है और वह पानी बह करके और कटाव लग कर के नले पड़ गये हैं।

(श्री प्रभुदयाल मीणा)

वह पानी बाण गंगा नदी में होकर के भरतपुर होता हुआ जमुना जी में जाता है और जमुना जी में से समुद्र में पहुंचता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह तीनों बांध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ज्यादा खर्चा भी नहीं है जैसे कि डिपार्टमेण्ट के अधिकारियों ने इनका एस्टीमेट बनाया। सूरजपुरा, बिजोरी नदी पर 15 लाख रुपये का खर्चा है। 8 लाख 60 हजार रुपये का काम हो गया अकाल राहत में और 15 लाख का और है। सूरी नदी बाणेकावर खेडा पर 15 लाख रुपये की योजना है इसमें 6 लाख का काम हुआ है। 7 लाख रुपये की लागत है। लोंगटा नाला दुबी का उसके ऊपर 15 लाख का खर्चा है जिसमें 6 लाख का काम हुआ है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है और सिकराय में ही नहीं पूरे राजस्थान में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह छोटे-छोटे जो बांध है या तालाब हैं या एनीकट हैं, इनका पानी रोका जाये। इनका पानी बेअर्थ बह कर नदियों में पड़कर के समुद्र में जाता है और दो तीन साल से अकाल पड़ने की वजह से बहुत ही समस्या है। खेती करने के लिए कुओं में पानी नहीं रहा। ये छोटे–छोटे बांध पूरे राजस्थान में ही अधूरे पड़े हैं और अकाल राहत के अन्दर कहीं 50 हजार का मेटेरियल पड़ा है, कहीं एक लाख का मेटेरियल पड़ा है, कहीं पत्थर पड़े हैं। तो लाखों रुपयों का हिसाब लगाते हुये, पूरे राजस्थान का अगर सर्वे कराया जाये तो करोड़ों का मेटेरियल अकाल राहत के टाइम का पड़ा हुआ है पूरे राजस्थान में। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अधूरे काम जो सिचाई के हैं उनको पूरा कराया जाये ताकि जो किसान हैं उनको पानी मिले और खेती में ज्यादा से ज्यादा उपज हो।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे एक परियोजना बांदीकुई से, जब बी.एन. जोशी एम.एल.ए. रहे, बाद में मंत्री भी रहे, शालोता बांध परियोजना सन् 1976 की बनी हुई है उसके अन्दर बांदीकुई और सिकराय की कम से कम 40% जमीन है रेवेन्यू की वह नला और कटाव पड़-पड़ करके गहरी हो गई और वह कुआ ऊपर रहने से और नला गहरा होने से पानी का जो जल स्तर है वह नीचे गया और जब भी बरसात आती है तो वह गहरे होते ही जा रहे हैं। इसलिए शालोता बांध परियोजना हाथ में ली जाये और माइनर इरिगेशन में ले करके उसका काम चालू करवाया जाये। उस टाइम में बी.एन. जोशी जी ने यह स्कीम बनाई थी उस समय 65 या 70 लाख रुपये की परियोजना थी यह परन्तु मंहगाई बढ़ने के कारण आज वह करोड़ों से ऊपर की हो गई। परन्तु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मंत्री महोदय, अगर यह बांध शालोता बांध परियोजना को पैसे देकर सरकार अगर चालू करती है तो दौसा, बांदीकुई, सिकराय, यह तीनों तहसीलों को पानी सप्लाई कर सकता है और सरकार चाहे तो दौसा की पानी की समस्या है वह भी हल हो सकती है पेयजल की। एक आध ट्यूबवैल खुदता है तो उसके अन्दर कम से कम 6–7 लाख रुपये का

(श्री प्रभुदयाल मीणा)

खर्चा आता है उसके बाद बिजली का खर्चा। अगर इस बांध को हाथ में लेकर के परियोजना को और इसको बना दिया जाये तो दौसा का इण्डस्ट्रियल एरिया भी इससे डवलप हो सकता है। दौसा शहर के लिये भी पानी मिल सकता है और कम से कम तीन पंचायत समिति के 200 गांवों को पानी दे सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो अकाल राहत का मेटेरियल पड़ा है उसका सर्वे करवाया जाये तो करोड़ों रुपये का आये, यह बात मैंने आपको पहले बताई। परन्तु उसके अन्दर दो-दो, पांच-पांच लाख रुपये का खर्चा है और उन बांधों को और उन तालाबों को बना दिया जाये तो किसानों के कुओं में पानी बढ़े और राहत मिले और पेयजल की समस्या भी हल हो।

सभापति महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव की समस्या मैं अच्छी तरह जानता हूं। कुओं के अन्दर जहां बीस बीघा, पच्चीस बीघा खेती होती थी उसके अन्दर आज पीने के लिये नहीं पानी है। इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के मेरा क्षेत्र यह है, उसकी समस्या और पूरे राजस्थान में जो मेटेरियल कम्पोनेण्ट पड़ा है उसके लिये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अधूरे काम पूरे हो जायें और इनको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये। माइनर इरिगेशन के अन्दर मेरे जो तीनों हैं इनके लिये तत्काल प्रभाव से पैसे दिलवाये जावें। मेटीरियल कम्पोनेण्ट कम से कम दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये का पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा है, बजरी पड़ी है इनको जल्दी से जल्दी लागू करवाया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री मानिकचन्द सुराना।

एक माननीय सदस्य : हमें तो मौका दो साहब। जो माननीय सदस्य दस दस बार बोलते हैं उनको तो मौका देते हो और जो सदस्य कभी बोलना चाहे....

श्री सभापति : पार्टी के व्हिप से बात करिये, माननीय सदस्य।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरनसर) : सभापति महोदय, अभी फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्य सरकार की सिंचाई के मुद्दे पर कई नीतिगत बातों पर आलोचना की। सभापति जी, वर्तमान इन्दिरा गांधी मन्त्री चौथे मन्त्री हैं, नरेन्द्र सिंह जी भाटी मन्त्री रहे, श्रीमती कमला जी रह गयी, माधव सिंह जी दीवान रह गये और चौथे मन्त्री श्री बुलाकीदास जी कल्ला। खैर पांच साल में चार मन्त्री इन्दिरा गांधी नहर के जिस राज्य में बदल जायें उस राज्य में किसी बड़ी परियोजना के लिये एक निरन्तर नीति क्या होगी इसका निश्चित रूप से अभाव के अलावा कुछ हो नहीं सकता।

सभापति महोदय, सिंचाई का मुद्दा बहुत बड़ा है, मैं इसमें अधिक बात इन्दिरा गांधी नहर के सम्बन्ध में ही कहूंगा। प्रथम चरण पूरा हो गया, दूसरा चरण चल रहा है। प्रथम चरण में 250 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, साल दो साल पहले की रिपोर्ट्स में आपने कहीं कहीं यह भी कहा कि 275 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो

(श्री मानिकचन्द सुराना)

गया, अब लेटेस्ट आप कह रहे हैं कि 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 359 करोड़ द्वितीय चरण में लग गये और अब यह द्वितीय चरण की योजना आपकी 981 करोड़ 61 करोड़ यानि करीब हजार करोड़ की आपकी योजना है। सभापति महोदय, द्वितीय चरण की योजना राज्य सरकार के लिये मुख्य हो गयी है और द्वितीय चरण की योजना में राज्य सरकार प्रथम चरण की जो भी समस्याएं हैं उनको निरन्तर नजर अन्दाज किये जा रही है। हाल इसका यह है कि यह जो इन्दिरा गांधी बोर्ड है प्रथम चरण का इस बोर्ड से भी कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी नहर बन गयी 0 से 182 किलोमीटर तक, वह आपने सी. ए. डी. सिंचित क्षेत्र विकास के जिम्मे कर दी। द्वितीय चरण में नहर बनाने का काम इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड का, खाले बनाने का काम सिंचित क्षेत्र विकास का और प्रथम चरण की बनी हुई नहर की देख रेख का काम भी आपने सिंचित क्षेत्र विकास को दे दिया। खाले बनायेंगे सी.ए.डी. वाले, एफोरेस्टेशन करेंगे सी.ए.डी. वाले, सड़कें बनायेंगे सी.ए.डी. वाले, मैं यह पूछना चाहता हूं कि बोर्ड आपने बना क्यों रखा है, यह इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड का औचित्य क्या है? जब यह बोर्ड बना, सभापति जी, भारत सरकार ने जब बोर्ड का कन्सेप्ट बनाया, यह जो आपका 1958 का सर्कुलर है, उस सर्कुलर के तहत बोर्ड का फंक्शन ओवर आल सिंचित क्षेत्र में जितना भी विकास, जितना भी उपनिवेशन जितना एफोरेस्टेशन, जितनी मण्डियों का विकास था वह सारा का सारा बोर्ड के तहत सोचा गया। मैं उसका रेलेवेंट पोर्शन आपको कोट करूंगा, यह सर्कुलर भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन का 19 दिसम्बर, 1958 का,

"For purposes of implementing the colonisation policy, the actual field work will be under the administrative control of an officer of the rank of Commissioner who would be appointed by the Government of Rajasthan. The Commissioner would be responsible to and shall in all matters, comply with directions given by the Rajasthan Canal Board from time to time."

भारत सरकार ने यह सोचा कि उपनिवेशन आयुक्त ही हर प्रकार से इस बोर्ड के नीचे रहेगा और समय-समय पर नीति निर्देश कोलोनाइजेशन को बोर्ड देगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बोर्ड का नियंत्रण जब खालों के बनने पर भी नहीं है, खालों के निर्माण पर नहीं है, उसके एफोरेस्टेशन पर नहीं है, उसकी रोड्स के कन्सट्रक्शन पर नहीं है, किस बात का बोर्ड बना रखा है आपने? आप इस बोर्ड को भंग क्यों नहीं करते? या तो आप भारत सरकार के सर्कुलर को इम्पलीमेंट करिये, 19 दिसम्बर, 1958 के सर्कुलर को। यह सारा कण्ट्रोल चाहे वह सी.ए.डी है चाहे वह मण्डियों का विकास है, चाहे वह कोलोनाइजेशन की पोलिसी है यह सारा का सारा इस बोर्ड के तहत हो। मैंने पिछली विधान सभा में जब माधवसिंह जी दीवान इन्दिरा गांधी नहर के मंत्री बने थे और गोविन्द-

(श्री मानिकचन्द सुराना)

सिंह जी गुर्जर बने थे खालों के मन्त्री सी.ए.डी. के, मैंने आलोचना की थी, इसी सदन में मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि यह सारा काम, कोलोनाइजेशन का सी.ए.डी. का, इन्दिरा गांधी नहर का यह एक मंत्री के पास होना चाहिए। खुशी की बात है, इन्सीडेन्टल है कि वह तीनों काम तो आपके पास आ गये, सी.ए.डी. आपके पास, कोलोनाइजेशन आपके पास, इन्दिरा गांधी नहर भी आपके पास, लेकिन, माननीय मंत्रीजी, अभी भी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सी.ए.डी. पर कोई कण्ट्रोल नहीं है, बोर्ड का कोई कण्ट्रोल नहीं है और आपके कोलोनाइजेशन कमिश्नर सी.ए.डी. पर. बोर्ड का कोई कण्ट्रोल नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी एक समन्वित विकास नीति आपको यदि बनानी है तो निश्चित रूप से आपको इसमें मूलभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे। बोर्ड में यदि आपको सैकण्ड स्टेज में सिर्फ नहरें बनानी हैं, तो बोर्ड की क्या जरूरत है, चीफ इंजीनियर के ऊपर बोर्ड के चेयरमैन का मतलब ही क्या है ? यदि इसे नहर निर्माण के अलावा कोई काम नहीं करना और बाकी सब काम सी.ए.डी. के नीचे हैं तो इस लम्बे–चौड़े बोर्ड और उसके प्रशासन की आवश्यकता ही क्या है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रथम स्टेज को निरन्तर नजरअन्दाज कर रहे हैं और सैकण्ड स्टेज को बना रहे हैं।

अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको कहा कि गोगड़ीवाला माइनर बन गयी, दूसरी माइनर्स बन गयीं, कुछ वितरिकायें बन गयीं लेकिन उनमें पानी दो साल बाद भी आयेगा नहीं। यह मिसमैनेजमैंट क्यों है ? यह मिसमैनेजमैंट इसलिए है कि जिसको जहां सूट करता है नहर बना देता है, वितरिका बना देता है, माइनर बना देता है क्योंकि कोआर्डिनेशन नहीं है। हमको तो साल के अन्त में एक रिपोर्ट देनी है कि हमने सिंचाई क्षमता इतनी पैदा कर दी है, एडिशनल इरिगेशन पोटेंशल हमने इतना बना दिया है। माननीय सभापतिजी, 1985–86 की रिपोर्ट में इन्होंने हमको बता दिया कि 26 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता बना दी। 1986-87 में हमको सूचित कर दिया कि 20 हजार बना दी, 1987–88 में 40 हजार हैक्टेयर बना दी, 1988-89 इसी वर्ष में 38 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बना दी। इन्दिरा गांधी नहर में कुल मिलाकर एक लाख चौबीस हजार हैक्टेयर में आपने चार साल में सिंचाई क्षमता बना दी। लेकिन एक्चुअल इरिगेशन कितना हुआ ? 1984-85 में इसी नहर में 4.16 लाख हैक्टेयर में कुल सिंचाई हुई, 1985–86 में 4.64 लाख हैक्टेयर में, 1986-87 में 5.28 लाख हैक्टेयर और 1987–88 में 3.82 लाख हैक्टेयर में कुल सिंचाई हुई। यदि आपने एक लाख चौबीस हजार हैक्टेयर की नयी सिंचाई क्षमता का पोटेंशल बना लिया तो, माननीय मन्त्री जी, इस सरकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि 1989-90 में आप इस पोटेंशल को वास्तविकता में परिवर्तित करने पर नहर का बजट खर्च करिये। आपने सैकण्ड स्टेज में कितनी लाइनिंग कर दी ? 167 किलोमीटर बना दी या 150 किलोमीटर बना दी, इस आंकड़े से द्वितीय चरण में रहने वाले कोलायत, जैसलमेर और

(204.)

(श्री मानिकचन्द सुराना)

मोहनगढ़ के लोगों का पेट नहीं भरेगा। इससे आर्थिक विकास नहीं होगा, आर्थिक उन्नति नहीं होगी। यह हमारा डैड इन्वेस्टमेण्ट है जो आप किये जा रहे हैं। 60 करोड़ रुपए नहर में और 50 करोड़ रुपए सी.ए.डी. में खर्च करके आप इस 110 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेण्ट को जाम किये जा रहे हैं।

मैं कहना चाहूंगा, सभापति जी, कि द्वितीय चरण में अब तक क्या हुआ ? आप ने मार्च, 1986 में इस सदन को सूचित किया कि हमने 379.12 किलोमीटर वितरिकायें बना दीं। और मार्च, 1988 तक आपने 723 किलोमीटर बना दी। यानी दो साल में आपने 160–167–170 किलोमीटर की स्पीड से वितरिकायें बना दीं। बनानी कितनी हैं कुल ? 3155 किलोमीटर वितरिकायें द्वितीय चरण में बनानी हैं। आप क्या यह समझते हैं कि इन वितरिकाओं के बनने से किसान के खेत में पानी जा रहा है ? आप वितरिकायें बनाइये, माइनर्स बनाइये और उसके बाद कमाण्ड एरिया को डवलप करिये और यह सारा काम कोआर्डिनेटेड रूप से करिये। आपको इसमें पैचेज का सर्वे बनाना पड़ेगा। माधव सिंहजी दीवान को एक दिन मैंने कहा था। मैंने कहा कि आप इन्दिरा गांधी नहर के मन्त्री हैं, खालों के उस वक्त वह नहीं थे, कि आप फील्ड में जाकर जहां आप की नहरें बन रही हैं वहां देखिये। उन्होंने कहा कैसे जायं, बहुत डिफिकल्ट एरिया है तो आपके पास स्टेट प्लेन है, आप 10–20 पटरियां बनवा लीजिए, रेत पर मामूली मिट्टी डाल कर पट्टी बनवा लीजिए या हैलीकाप्टर ले जाइये, कुछ भी करिये लेकिन यह 110 करोड़ रुपए का खर्चा और उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं ? मैं कहना चाहूंगा, माननीय कल्ला जी, दीवान साहब आये, 4-6 महीने समझा फिर चल दिये। अब आप आये हैं, पता नहीं आप कब तक रहेंगे और कब कोई दूसरा आ जाय। पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप चुनाव तक रहेंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि आप नियमित नीति के तौर पर जायं चाहे स्टेट प्लेन से जायं या जीप से जायं जहां नहरों का निर्माण हो रहा है, जहां खालों का निर्माण हो रहा है।

मैं कहना चाहूंगा कि खालों का निर्माण राजस्थान में किस तरीके से हो रहा है। आप हमारे 50 करोड़ रुपए को वेस्ट कर रहे हैं। आपने दौरा किया है अभी, तीन दिन घूमे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि सियासर, चौगान के सामने जितने खाले बने हैं कोई काश्तकार वहां जाकर रह सकता है क्या ? उन खालों में क्या पानी चल सकता है ? उन खालों में पानी नहीं चल सकता, सभापति महोदय, और हजारों–लाखों रुपए एक–एक चक में लगा कर खाले बनाये जा रहे हैं। खाले बनने के साल छः महीने तक वहां पर आपने उपनिवेशन के द्वारा कोई कोआर्डिनेशन की व्यवस्था नहीं की कि वहां पर काश्तकार आ जायं। सभापति जी, उपनिवेशन कहीं और चल रहा है, सी.ए.डी. और कहीं चल रहा है, मनमाने क्षेत्र में कमाण्ड एरिया का डवलपमैण्ट कर रहे हैं।

अभी 10 जुलाई को मैं आर.डी. 465 पर था। कनकपुरा माइनर मिट्टी से भरी

(श्री मानिकचन्द सुराना)

हुई है, देवासर माइनर मिट्टी से भरी हुई है, शेरपुरा लालेवाली डिस्ट्रीब्यूटरी आधी मिट्टी से भर चुकी है। आपने इसमें लिखा है कि साढ़े चार करोड़ रुपए हमने प्रथम स्टेज में रखे 1988–89 के बजट में। मैं पूछना चाहूंगा कि 1988–89 में साढ़े चार करोड़ रुपए आपने कहां खर्च किये ? और यदि साढ़े चार करोड़ का ही प्रावधान है और सारा रुपया आपको सैकण्ड स्टेज में ही डम्प करना है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी नियत यह है कि प्रथम स्टेज की नहरें, माइनर्स और वितरिकायें मिट्टी से भर जायं और आप उसकी कोई देखरेख नहीं करेंगे ? यह है सैकण्ड स्टेज की फँसी और प्रथम स्टेज को इग्नोर करना। जब तक आपकी यह 3155 किलोमीटर वितरिकायें सैकण्ड स्टेज की बनेंगी, माननीय मन्त्रीजी, प्रथम स्टेज की नहरों का चप्पा–चप्पा मिट्टी से भरा होगा, आप समझते हैं कि फर्स्ट स्टेज में पूरा पानी फ्लो हुए बिना सैकण्ड स्टेज में पानी चला जायेगा ?

(समय समाप्ति सूचक–घण्टी)

आप थोड़ा–सा मुझे कहने दें।

मैं समझता हूं, सभापतिजी, कि सरकार दिवास्वप्न ले रही हैं और यह 110 करोड़ रुपए का मिसयूज करके आप एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, बिना एक कोआर्डिनेशन पालिसी के। हम कई बार सदन में कह चुके हैं लेकिन न आप कंसल्टेटिव कमेटी बनाते हैं और न आपने दो महिने से सिंचित क्षेत्र के विधायकों को बुला कर बात की है। आपका प्रशासन पर नियंत्रण है नहीं और विधायकों से जो सूचना मिल सकती है कंसल्टेटिव कमेटी के माध्यम से, वह आप लेने को तैयार नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का अब तक आपका रवैया रहा है, मैं आज घोषणा चाहूंगा सरकार से। प्रथम स्टेज की माइनर्स और वितरिकायें जहां मिट्टी से भर गयी हैं, 500 काश्तकार कनकपुरा माइनर पर, 400 काश्तकार देवासर माइनर पर और शेरपुरा लालेवाली डिस्ट्रीब्यूटरी पर 9000 काश्तकार बैठे हैं, आधा पानी भी उनको अपनी बारी का नहीं मिल रहा है और इधर आप उनकी रेट बढ़ाते जा रहे हैं। प्रथम चरण बना कर आपने जो 250 करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि उस 250 करोड़ रुपए का एक–एक पैसा आप प्रथम चरण के काश्तकार से वसूल कर चुके हैं।

यह आपका खुद का रिकार्ड है, सन् 1984-85 की उपनिवेशन की रिपोर्ट के आप स्वयं के आंकड़ें हैं कि 72 करोड़ रुपए आवंटियों से आ चुके हैं और किश्तें आनी अभी चालू हैं। 72 करोड़ रुपए की वसूली 1984–85 में हो चुकी थी और 10 करोड़ रुपए के चालू साल में विशेष आवंटन किये हैं, जिसकी आपने रिपोर्ट दी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनियमित हस्तान्तरणों पर 20 हजार रुपए लगा कर नियमन का जो कानून बनाया, आप ने इस में लिखा है कि हमने एक हजार एप्लीकेशन डिस्पोज कर दी, यानी दो करोड़ रुपए आप को मिले। अभी कितनी एप्लीकेशंस और पैण्डिग हैं ? 10 हजार एप्लीकेशंस पैण्डिग हैं और दसियों हजार और आयेंगी। यह जो एक लाख आवंटी हैं राज्य सरकार का उसमें से 25 पर्सेण्ट आवंटी अपने हाथ

(श्री मानिकचन्द सुराना)

से जमीन खो चुका है। खोने का कारण ? खोने का कारण यह है कि उसको पानी नहीं मिलता, समय पर पानी नहीं, समय पर बीज नहीं, समय पर खाद नहीं। किश्तों की वसूली का जो आपने बना रखा है कि जो जमा नहीं करा सकता उसकी जमीन कैंसिल, कैंसिल होने से पहले बहुत से लोगों ने अपनी जमीनों का हस्तान्तरण दूसरे लोगों को किया।

इसलिये आपसे कहना चाहूंगा कि अभी जो कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया कि 6 पर्सेण्ट ब्याज, आपने अभी कानून बना दिया 27 अक्टूबर, 19-88 को कि प्रथम किश्त काश्तकार को जिस दिन देय होगी उस दिन से उसको मूल अलाटमैंट की कीमत पर, आवंटन कीमत पर 6 पर्सेण्ट ब्याज देय होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सभापति महोदय, 35 हजार रुपये में एक मुरब्बा अॅलाट हुआ है, 6 पर्सेण्ट ब्याज का मतलब यह है कि 15 किश्तें हैं, पहले साल में 2 पर्सेण्ट रुपया जमा कराना था, 35 हजार रुपये का 2 पर्सेण्ट 700 रुपया होता था और अब आप क्या कह रहे हैं कि 700 रुपया तो वह और 31 सौ रुपया ब्याज का, 6 पर्सेण्ट ब्याज से 35,000/- रुपये का ब्याज 31,500/–, 21 सौ रुपया साल का, 15 साल में अब 31,000 रुपया उससे चाहते हैं। साफ साफ कहिये ना कि 35 हजार रुपये मुरब्बे का 70 हजार रुपये की कीमत कर दी हमने, ब्याज के बहाने। फिर उसकी पहली डिफाल्ट होगी 9 पर्सेण्ट लेंगे, 6महीने के डिफाल्ट के बाद 12 पर्सेण्ट लेंगे। आपने जो संशोधन किया है रूल 17 के सब रूल 8 कोलोनाइजेशन एक्ट के नियमों में, मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इस सारे संशोधन को आप तत्काल स्क्रेप करिये और यदि आप इसको स्क्रेप नहीं करते हैं तो मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार कितनी वसूलियां कर पायेगी। इधर तो हम कर्ज मुक्ति की बात कर रहे हैं उधर आप एक आवंटन की कीमत पर दूसरे आवंटन की कीमत डाल रहे हैं। काश्तकार लड़ रहा है ब्याज को खतम कराने के लिये, काश्तकार लड़ रहा है अनुत्पादक कर्ज खतम कराने के लिये और आप उसकी कीमत 35 हजार से 70 हजार, 15 साल में 31,500 जोड़कर आप उसकी कीमत वरच्युअली डबल कर देना चाहते हैं।

मुझे पता नहीं है कल्ला साहब को इसकी जानकारी है या नहीं है, इसके इम्पलीकेशन की जानकारी है या नहीं हैं. आप नये आये हैं आप सारी चीजों को देखेंगे।

माननीय सभापति जी, इनके बोर्ड की फंक्शनिंग कैसी है, मैंने नियम 295 के तहत एक सवाल उठाया कि 15 हजार टन सीमेन्ट बोर्ड ने खरीदी और आपका यह जवाब आया मुझे। सभापति महोदय, 15 हजार टन सीमेन्ट, इस सरकार ने पूरे नोटिस टेण्डर निकालें, टेण्डर आये और उन सब टेण्डर का नतीजा यह हुआ कि 2 मार्च को आपके बोर्ड ने टेण्डर फ्लोट किये, 20 मार्च को टेण्डर आ गये और 20 मार्च को टेण्डर आने के बाद में आपने 15 हजार टन सीमेन्ट के लिये आदेश अप्रेल में दे दिये कल्याण सुन्दरम फैक्टरी को। देश और प्रदेश में और कोई नहीं मिला सिर्फ आपको कल्याण सुन्दरम फैक्टरी ही मिली। उसको आपने 25 पर्सेण्ट रुपया एडवान्स

(श्री मानिकचन्द सुराना)

देकर, दो करोड़ और कुछ रुपये का 25 पर्सेण्ट के हिसाब से 50 लाख कुछ रुपया होता है वह आपने कल्याण सुन्दरम फैक्टरी को एडवान्स पैमेन्ट कर दिया। राज्य सरकार के वित्त विभाग की स्वीकृति आ गयी। मैं, माननीय मन्त्रीजी, यह पूछना चाहता हूं कि बोर्ड में कितने बड़े अधिकारी बैठते हैं कल्याण सुन्दरम फैक्टरी, बांसवाड़ा की मिनि सीमेन्ट फैक्टरी ढाई-तीन साल से बन्द है, क्या बोर्ड में कोई ऐसा नहीं है जिसको यह जानकारी हो कि यह फैक्टरी बन्द है, जिसका बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, जिसने 10 महीने से वहां के मजदूरों को पैमेन्ट नहीं किया है, जिसके पास डीजल तक नहीं है। ऐसी फैक्टरी को चूज करके

(समय समाप्ति सूचक–घण्टी)

मैं यह बात तो कहूंगा कि 50 लाख रुपये जो सरकार यह कहती है कि हमारे पास रुपया नहीं है, अर्थाभाव है। मैं यह पूछना चाहता हूं यह सीमेन्ट आपने, आप जवाब देंगे कि हमने सी.एस.पी.ओ. की रेट से 15 रुपये नीचे खरीदी है। एक दिवालिया फर्म को 50 लाख रुपये की छूट यह कह कर नहीं दे सकते हैं कि हमने 15 रुपये सस्ती ले ली, 15 रुपये टन सस्ती का मतलब क्या है ? 12 आने बोरी सस्ती लेना और एक टन में 20 कट्टे और 15 रुपये टन सस्ती का मतलब 75 पैसे का फायदा होगा, 75 पैसे का फायदा 3 लाख बोरियों पर सवा दो लाख रुपये पर 50 लाख रुपये के ऊपर तीन महीने का ब्याज कितना हुआ ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आंकड़ों का जाल है और यह जो एक प्रशासनिक मशीनरी की लालफीताशाही को, बड़े से बड़े अधिकारी वहां बैठते हैं-आपका फाइनेंशल एडवाइजर डालमिया क्या करता है, आपका ज्वाइन्ट डाइरेक्टर इण्डस्ट्रीज उसमें क्या करता है, आपके मिस्टर राजेन्द्र जैन उसमें क्या करते हैं, आपके यतीन्द्रसिंह को सूचना नहीं है कि यह फैक्टरी बन्द है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के एक हाथ को दूसरे हाथ का पता नहीं हो कि यह 50 लाख रुपये कहां गये ? तीन चैक आपने ले लिये। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कहेंगे। आप, मंत्रीजी, यह सरकार चला रहे हैं या क्या चला रहे हैं ? कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो उसकी मशीनें हैं, उसका प्लान्ट है, वह रीको में आलरेडी मोर्गेज्ड है। रीको में आलरेडी चार्ज्ड है। उसकी क्या कलेक्टिव सिक्योरिटी और आप कहें कि सिक्योरिटी ले ली।

मुझे यह बतायें कि क्या आपने 15 हजार टन सीमेंट इसलिये खरीदी थी कि अप्रेल, मई और जून में 15 हजार टन की आवश्यकता होगी ? इसलिये सी. एस. पी. ओ. की रेट निर्धारित होते हुए सिर्फ सारा नेगोशियेशन करके 15 हजार टन सीमेंट 15 रुपये टन उसके नीचे करके उसको 50 लाख रुपये का देना था इसी नीयत में, मैं साफ तौर से सरकार पर चार्ज करना चाहता हूं कि कल्याण सुन्दरम फैक्टरी को अनावश्यक वजह से 50 लाख रुपये फायदा करने के लिये, उसके हाथ में रुपया देने के लिये और उसकी दिक्कतों को खतम करने के लिये आपने राजकोष के 50 लाख रुपये का नुकसान किया है और वह चैक 16-16 लाख रुपये के तीन चैक्स आपके धूल चाट

(श्री मानिकचन्द सुराना)

रहे हैं। बैंक ने लिखकर भेज दिया कि कम्पनी के अकाउन्ट में पैसा नहीं है। 16 लाख रुपये का एक चैक 2 मई का है, 16 लाख रु. का एक चैक 12 जून का है और 16 लाख रुपये का एक चैक 12 जुलाई का है। अब मंत्रीजी कहेंगे कि चैक रिफ्यूज हो गये हैं। नेगोसियेशन आप इन्स्ट्रूमेंट में फौजदारी मुकदमा कर दिया।

लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि सरकार के तन्त्र में इस तरह की लीपापोती और इस तरह का खेल आपको करना है, इस तरह का खेल आपके मंत्रित्व काल के पहले हो गया, अप्रेल में हो गया आप शायद बाद में आये हैं, जून में आये हैं....

(समय 6.35 सायं)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब इस बात का हुआ कि इन्दिरा गांधी नहर मंत्री को भी इस बात की सूचना नहीं थी कि 50 लाख रुपये का चैक एडवान्स देकर 15 हजार टन सीमेंट ली जा रही है। उनको भी पूछना पड़ा। अब हाल क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, अब हाल यह है कि आज तक फैक्टरी चालू नहीं है। माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि कल रात को 10 ट्रक रवाना हो गये। यह सारी सूचना इनके प्रशासन ने दी है कि साहब 10 ट्रक रवाना हो गये 15 हजार टन की सप्लाई के मुकाबले। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो फैक्टरी अपनी सीमेंट अपनी फैक्टरी में नहीं बनाती है, यह क्या आपने बिचौलिये पैदा किये हैं? जो फैक्टरी 3 टन सीमेंट नहीं बना सकती, तीन टन वह खरीदेगी विक्रम सीमेंट से और वह इसलिये खरीदी की 4 जुलाई को मैंने यहां सवाल विधान सभा में उठा दिया था, 5 जुलाई को आपने मुकदमा पेश कर दिया और सारी बातों की लीपापोती के लिये आप यह कहते हैं कि क्लिकर वहां से खरीदेंगे फिर वह पीसेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इनर प्लास्टर सीमेंट जो 20 और 30 रुपये कट्टे में उपलब्ध है जो 500 रुपये टन में उपलब्ध है वह सीमेंट की सप्लाई कल्याण सुन्दरम करेगा। उसका सारा कान्ट्रेक्ट अप्रेल, मई और जून के लिये था वह निरस्त किया जाना चाहिये और जो फौजदारी मुकदमें आपने उनके खिलाफ किये हैं उनका सम्पूर्ण नतीजा राज्य के हक में आये। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच, आपके पास फाइल आ चुकी है आप भी करें और आप यदि सक्षम नहीं हैं तो मैं नाम भी पेश करूंगा, मैं नाम भी पेश करुंगा पर मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ऐसे घपले करने वाले को माफ नहीं करेगी। यह प्रशासन की लीपा–पोती ...

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें। पूरा आधा घण्टा हो गया।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं दो मिनट में कन्क्ल्यूड कर रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे घोटाले में आप सक्षम कदम उठायें और यह मानकर नहीं चलें कि यह सूचना नहीं थी और एक्सीडेंटली इनकी सूचना नहीं थी कि यह कल्याण सुन्दरम फैक्टरी बन्द हो गयी है, बल्कि यह नियोजित षड़यन्त्र था उनको

(श्री मानिकचन्द सुराना)

रुपया देने के लिये और इसके अधिक विस्तार में इस बारे में नहीं जाना चाहता हूं।

अन्त में आपको यह बात कहना चाहूंगा कि यह जो आपने लूणकरनसर की लिफ्ट की 189 को 445 किलोमीटर में जोड़ रखा है आपकी रिपोर्ट में यह 189 किलो–मीटर कहां है, यह लूणकरनसर लिफ्ट का दूसरी स्टेज से क्या सम्बन्ध है ?

इस लिफ्ट पर यह आपने जो हिस्सा वसूली में देते हैं इसमें हिस्सा आपने उस पर डाला है। लूणकरनसर की लिफ्ट को नियमित बिजली दिलाने के लिए जो सूरत–गढ़ में छोटे मेगावाट के पावर हाऊसेज बने हैं आप उनका उससे लिंक करें ताकि उसकी नियमित सप्लाई हो और जितने भी 163 खाले, आपने विधान सभा प्रश्न में कहा, खराब पड़े हैं, जवाब तो आपने यह दे दिया कि उन कच्चे खालों में से पानी होकर जा रहा है लेकिन उन सारे खालों की मरम्मत जो राज्य का कर्तव्य है, उन सारे कामों को करें सिंचाई को नयी दृष्टि दें और सिंचाई में सिर्फ नहर ही नहीं कोई ट्यूबवैल्स भी मिल सके, ट्यूबवैल्स छोटे किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए मिल सके। ट्यूबवैल्स की व्यवस्था भी सिंचाई विभाग से करें और इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में खास तौर से जहां पानी बहुत गहरा है, कुओं पर अधिक ऋण दिये जाने की आव–श्यकता है। नोखा के क्षेत्र में आपको पता है पचासों काश्तकार लाइन में लगे हुए हैं उनको ढाई फीट गहरे कुओं का ऋण दिया जाय। न तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट व्यवस्था करता है, न सिंचाई विभाग उसकी कोई परवाह करता है और सिंचाई विभाग का कोई प्रोग्राम बनाकर आप उस सिंचाई की तरफ से भी कुछ रुचि लें और अधिक से अधिक आज भी इस बात को समझें कि नहरों के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है उससे भी दुगुना क्षेत्र आज कुओं के द्वारा सिंचित हो रहा है इसलिए कुओं की सिंचाई पर अधिक जोर, ट्यूबवैल की सिंचाई पर अधिक जोर देकर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हमने उठाये हैं उन मुद्दों का स्पष्टीकरण करेंगे और सक्षम नीति सिंचाई की अख्तियार करेंगे, इसी विश्वास के साथ, उपाध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही
मुख बंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को निवेदन करना है कि मेरे पास सूची में करीब आठ माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और उसके अलावा माननीय विपक्ष के नेता का नाम है और मुख बंद का समय सात बजे है तो उसको आधा घण्टा हम बढ़ा सकते हैं किन्तु माननीय सदस्यों की मंशा हो तो माननीय विपक्ष के नेता को सुन लिया जाये और उसके बाद मंत्रीजी को सुन लिया जाय।

मुख बंद का समय साढ़े सात बजे तक के लिए किया जाता है।

माननीय विपक्ष के नेता महोदय। (व्यवधान)

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सिंचाई विभाग बहुत ही उपेक्षित रहा है। जिस

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

विभाग के द्वारा राजस्थान का विकास संभव हो सकता है उस विभाग के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुल एरिया में से सिंचाई क्षेत्र लगभग 12 प्रतिशत आता है और जिस एरिया में फसल होती है उसका लगभग 24 प्रतिशत एरिया सिंचित होता है। अब इस सिंचाई के तीन साधन हैं। एक अपना राजस्थान में जो पानी बहता है उस पानी को रोककर तालाब बनाकर, नहरें बनाकर, दूसरा, जो अण्डरग्राउण्ड वाटर है उस वाटर को लिफ्ट कर, और तीसरा जो राज्य के बाहर नदियां बहती हैं उन नदियों में हम अपने हिस्से का पानी लेकर राजस्थान में सिंचाई करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था है और इसी प्रकार की व्यवस्था बनी रही तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान में न तो हम पूरा अण्डर-ग्राउण्ड वाटर के पोटेंशल को उपयोग कर पायेंगे और न राजस्थान का जो सरफेस वाटर है उसका हम पूरा उपयोग कर पायेंगे। पिछले सत्र में उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आंकड़े देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि सरफेस के ऊपर जितना फ्लो वाटर है उसको हम इमीजिएटली किस प्रकार से हारनेस करें, उसको किस प्रकार से सिंचाई के कामों में उपयोग में लें, इस सम्बन्ध में हमें व्यवस्था करनी चाहिए। हम पंजाब का पानी लें, मध्यप्रदेश से पानी लेने की चेष्टा करें, यह तो एक अतिरिक्त सुविधा है लेकिन जो राजस्थान में पानी बहता है उसका हम उपयोग क्यों नहीं करें ? उस समय की सरकार ने एक आश्वासन दिया कि हम इसके लिए मास्टर प्लान बना रहे हैं। मास्टर प्लान बनाया। हमारा मकसद यह नहीं था कि सरकार केवल मास्टर प्लान बनाये, हमारा मकसद यह था कि राजस्थान में बहते हुए पानी को रोककर इससे सिंचाई की जाय। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से ही जानकारी करना चाहूंगा कि इस फ्लो वाटर का हमने अब तक कितना उपयोग किया है और मास्टर प्लान बनाने के बाद में हमने कितना अतिरिक्त उपयोग किया है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अण्डर ग्राउण्ड वाटर में भी 7.6 मिलियन एकड़ फीट हमारे पास पानी है जिसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर यह 7.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जो अण्डरग्राउण्ड है और 2.43 जो सरफेस फ्लो का वाटर है इन दोनों को यदि राजस्थान में उपयोग करें तो मेरा विश्वास है लगभग 10 मिलियन एकड़ फीट पानी का राजस्थान में उपयोग में हो सकता है। अब आप अंदाज लगा लें, उपाध्यक्ष महोदय, रावी-व्यास और सतलज नदियों से हम 1.6 मिलियन एकड़ फीट पानी ले रहे हैं। उस 1.6 मिलियन एकड़ फीट पानी से राजस्थान में कितनी सिंचाई हो रही है इसका आप अंदाज लगा लें और यदि 10 मिलियन एकड़ फीट का पानी इसको सिंचाई के काम में हम और ले लें तो राजस्थान का विकास कितना होगा, इसका अंदाज लगा लें।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में दो प्रकार की सिंचाई व्यवस्थायें हैं, एक लिफ्ट जिसमें कुएं भी शामिल हैं और दूसरा फ्लो वाटर। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा जहां अरबों रुपया हमने खर्च किया है वह चाहे राजस्थान कैनाल का पानी हो, चाहे गंग–कैनाल का पानी हो, वह चाहे चम्बल की नहरें हों, चाहे माही डेम से सिंचाई होती हो। सब कुछ मिलाकर अब तक 22 लाख हैक्टेयर में हमने फ्लो वाटर से सिंचाई की है लगभग साढ़े 22 भी हो सकती हैं, 23 भी हो सकती है। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कुओं से सिंचाई भी 22 लाख हैक्टेयर। मतलब उस हैक्टेयर सिंचाई में सरकार का पैसा नहीं लगा। काश्तकार कुआ खोदता है, काश्तकार बिजली का कनेक्शन लेता है, बैलगाड़ी से उसकी सिंचाई करता है या अरहट लगाता है। एक तरफ सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हुआ है और किसानों ने 22 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई कर दी और दूसरी तरफ सरकार ने अरबों रुपया खर्च कर दिया और केवल 23 लाख हैक्टेयर और 22 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हुई है। इसका अंदाज लगा लीजिए कि हम कितना रुपया किस क्षेत्र में खर्च करना चाहते हैं, किसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिये।

मेरा विश्वास है, इस अण्डरग्राउण्ड वाटर का सरकार कितना उपयोग कर पायेगी या नहीं कर पायेगी, लेकिन यदि काश्तकारों को सुविधा दी जाय, कुआ खोदने के लिये साधन दिये जाए तो अण्डर ग्राउण्ड वाटर जितना पड़ा है उसका अधि–कांश भाग हम सिंचाई के काम में उपयोग कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की। मुझे तो आपत्ति इसमें भी लगती है कि जहां पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करके हम सिंचाई करते हैं उनसे तो सिंचाई शुल्क लें, मेरी समझ में आता है, लेकिन जो अपनी मेहनत से, अपने साधनों से सरकार का एक पैसा नहीं लगा कर अपनी पूंजी से कुआ खोदता है। उपाध्यक्ष महोदय, जमाना आ गया है कि उस फ्लो वाटर की तुलना में जो कास्ट आ रही है, उस कास्ट की तुलना में जो सरकार की कास्ट आ रही है। जो आदमी अपने पैसे से कुआ खुदवाता है उसको किस प्रकार हम सुविधायें दें इस प्रकार का हमें विचार करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं कहना चाहूंगा, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे यहां तीन प्रकार की व्यव–स्थायें हैं बाहर से पानी लाने की। बाहर से पानी लाने के लिए हमने रावी–ब्यास और सतलज, इन तीन नदियों का पानी राज–स्थान में आये। इन तीन नदियों से पानी लेने के लिए हमने समझौते किये।

1985 का समझौता हुआ, 1981 का समझौता हुआ। उस बीच में समझो। और इन समझौतों के बारे में हमने विचार किया कि हम राजस्थान कैनाल के थ्रू सारा पानी लायेंगे। मैं, मुख्य मंत्री जी, आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल को देखकर उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई राजस्थान के प्रति सिंसियर व्यक्ति होगा तो उस राज–स्थान कैनाल को देखकर रोयेगा। मैं रोने की बात इसलिए नहीं कहता कि उससे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सिंचाई नहीं होती, मैं रोने की बात इस–लिए भी नहीं कहता कि उससे काश्तकारों को लाभ नहीं हुआ, मैं रोने की बात इस–लिए भी नहीं कहता कि उससे काश्तकारों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार आया है।

लेकिन राजस्थान कैनाल के सेकण्ड स्टेज और फर्स्ट स्टेज को देखें तो देखने के बाद ऐसा लगता है कि कैनाल का कोई रखवाला नहीं, उसका कोई मालिक नहीं, उस कैनाल में मिट्टी भरी है। कितनी मिट्टी भरी है, उसका अन्दाज नहीं।

श्री कल्याणसिंह कालवी : शीशम के पेड़ हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शीशम और पीपल के पेड़ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कैनाल का निर्माण इसलिए तो नहीं कराया था कि इसमें शीशम के पेड़, पीपल के और वीड्स इतनी मात्रा में पैदा हो जाय, जिसके कारण से इस कैनाल का स्वरूप ही बदल जाय। आज उस कैनाल का स्वरूप बदल गया और हम बड़े खुश हैं। अभी लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सिंचाई मन्त्री जी ने कहा कि यह बात सही है कि मिट्टी आ गई है, यह बात भी सही है कि उसमें वीड्स पैदा हो गई है, लेकिन जितना पानी चाहिए उतना पानी बह रहा है। अब मेरी समझ में नहीं आया, आज पानी हम क्यों कम ले रहे हैं ? इसका कोई न कोई तो कारण होगा। इसके कारण दो ही हो सकते हैं। या तो हमको पानी कम मिला या हम पानी कम लेते हैं। तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। 8000 क्यूसेक....

श्री कल्याण सिंह कालवी : ग्यारह हजार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 11 हजार की जगह यदि चार हजार का ही हम उपयोग करें तो यह गलती किसकी है ? यह गलती किसी और की नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं कहना चाहूंगा, मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं, राजस्थान की सरकार एक बहुत बड़ा क्राइम कर रही है। यह क्रिमिनल नेगलिजेन्स है राजस्थान सरकार की कि जितना वाटर पोटेन्शियल क्रियेट हो जाय उस वाटर पोटेन्शियल का हम उपयोग नहीं कर पायें। सेकिण्ड स्टेज में 80 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी के आधार पर, मेरा ऐसा विचार है कि यदि एक लाख 28 हजार हैक्टेयर, 80 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी के आधार पर वाटर पोटेन्शियल क्रिएट हो गया लेकिन सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि उस हैक्टेयर के अन्दर सिंचाई हो रही है, केवल दस हजार हैक्टेयर में। एक लाख 28 हजार हैक्टेयर का पोटेन्शियल क्रिएट हो गया और दस हजार हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है। अब आप इसके लिये अपोजीशन को जिम्मेदार बनायेंगे और मैं समझता हूं कि कोई जिम्मे–दार नहीं है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी हैं। जिस मुख्य मन्त्री का नियन्त्रण नहीं, जिस मुख्य मन्त्री की इस बात को देखने की चिन्ता नहीं कि एक लाख 28 हजार हैक्टेयर का पोटेन्शल क्रिएट करने में राजस्थान की जनता ने खून-पसीना एक किया, स्कूल का काम बन्द किया, सड़क का काम बन्द किया, चिकित्सा का काम बन्द किया और राजस्थान कैनाल पर प्रावधान रखकर इस

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कैनाल को बनाया, उसकी सिंचाई क्षमता निर्माण की और उस सिंचाई की क्षमता का हम उपयोग नहीं कर पाते। कोई गलत करने वाला नहीं, गलती है राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी की। मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज एक लाख 28 हजार में से केवल दस हजार हैक्टेयर की सिंचाई हो, इसका कोई आप कारण बता सकते हैं।

श्री शोपत सिंह : शर्मनाक।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लेकिन मैं आपको एक कारण देता हूं। अभी माननीय मानिकचन्द जी सुराणा कह रहे थे कि राजस्थान कैनाल बोर्ड में, सी.ए.डी. में, कालोनाइजेशन में, अफोरेस्टेशन में किसी प्रकार का कोर्डिनेशन नहीं है। यह बात सही है कि कोर्डिनेशन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक-एक माइनर के आंकड़े हैं, मैं समय नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि 27862 हैक्टेयर ऐसी जमीन अॅलाट की है जिसमें 1990 तक पानी नहीं जायगा। और जहां पानी चला गया वहां जमीन अॅलाट नहीं हुई। जहां पानी नहीं जा रहा है वहां अॅलाट हो रही है, जहां पानी जा रहा है वहां अलाटमेन्ट नहीं हो रहा। मुख्य मन्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अलाटमेन्ट का काम तो सरकार को करना है। आप काश्तकारों को तंग करने के लिए ऐसी जमीन दे दें, जहां 1990 तक पानी नहीं पहुंचे, एक्स–सोल्जर्स को जमीन दे दें, गरीबों को वह जमीन दे दें, शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को जमीन दे दें और 1990 तक पानी नहीं पहुंचे। वह अपनी पूंजी लगाकर उस धरती में मर जायेंगे उसकी बात पर चिन्ता नहीं। जमीन जहां पर पानी पहुंचा है उसका अलाटमेन्ट आपने क्यों नहीं कराया? मैं समझता हूं सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : ब्याज और ठोका है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहता हूं, इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, फर्स्ट स्टेज में पोटेन्शल क्रिएट हो गया, 110 की इन्टेन्सिटी के आधार पर, लेकिन 2500 हैक्टेयर जमीन, वह भी ऐसी है जिसके अन्दर सिंचाई हो सकती है जो पोटेन्शल क्रिएट हुआ उसमें कमी है, 2500 हैक्टेयर जमीन की।

आज सारा मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कोई कोर्डिनेशन नहीं है। अब यह कोर्डिनेशन कैसे बैठे, यह राज्य सरकार के विचार करने का विषय है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मानिकचन्द जी ने कहा 1958 का भारत सरकार का सर्कूलर है, वह सर्कूलर मैंने भी देखा है। हम उस सर्कूलर से बंधे हुए नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां जे.डी.ए. है, जयपुर डवलपमेन्ट आॅथोरिटी, उसका चेयरमैन कौन है? उसका चेयरमैन है मिनिस्टर। पहले मुख्य मन्त्री जी थे, फिर एक अमेण्डमेंट आ गया। अमेण्डमेंट आने के बाद रामकिशन जी आ गये। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां अरबों रुपयों का खर्चा हो रहा है वहां हम एक कार्पोरेशन क्यों नहीं खड़ा कर देते? उसका कार्पोरेशन का बहुत जिम्मे-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दार आदमी चेयरमैन हो, जिसका सी.ए.डी. का भी काम हो, कोलोनाइजेशन का भी काम हो, अफोरेस्टेशन का भी काम हो और सारा कोर्डिनेशन का यह काम चलता रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जिक्र किया कि कैनाल में मिट्टी जा रही है। यह कैनाल में मिट्टी क्यों आ रही है? अफोरेस्टेशन का काम फोरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। मैंने इस कैनाल का पूरा चक्कर लगाया। जहां कुछ लोगों ने जिसमें टेरीटोरियल आर्मी को कुछ काम दिया था, उन्होंने मन्चिंग कराया, वह लगता है कि यहां अफोरेस्टेशन की कार्यवाही हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी, लगभग पिछले पांच वर्षों में फोरेस्ट डिपार्टमेंट के मार्फत 25 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहां पर कोई जंगल, पेड़ पौधे, किसी तरह के नहीं है। कोई पेड़-पौधे नहीं दिखते और उसमें मिट्टी आई और नहर के अन्दर चली गई। आज इसको रोकने के लिये आपने 25 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। उसका उपयोग कहां हुआ? कोई उपयोग देखने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, मैं केवल आलोचना ही नहीं करता कि 25 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस नहर को बालू रेत से नहीं बचाओगे तो इस नहर का अता पता नहीं रहेगा। आज भी कुछ वितरिकायें हैं जैसलमेर जिले में, सादा और सुल्ताना की देख लीजिये। पुलिस को रिपोर्ट करेंगे तो पता लगेगा कि सादा और सुल्ताना कैनाल किधर से जा रही है। पिछले दिनों मैं घोटारू और साहगढ़ गया था।

श्री मोहन छंगाणी : आर्कियोलाजिकल डिपार्टमेंट से पूछेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, मुझे लोग कहने लगे कि इधर से नहर जा रही है। मैं पूरी नजर लगाकर देखता रहा, कहीं नजर मिल जाय। वहां गया उस वक्त तो नहर नहीं मिली, वापिस आते वक्त मैंने फिर कोशिश की कि नहर का कहीं न कहीं तो वजूद मिले। तो कहने लगे इस टीबे को खोद लो इसके नीचे नहर है। मेरी समझ में नहीं आता, इसका आपने क्यों खर्च कराया। दो काम हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, नहर का कोई मापदण्ड नहीं हुआ, कोई मापतौल नहीं हुआ। पेमेन्ट कर दिया, नहर में कब पानी जायगा इसकी कोई योजना नहीं। कितनी नहर में मण्डी चाहिए, इसकी कोई योजना नहीं। नहर की खुदाई हो गई, अर्थवर्क हो गया, 6 फीट अर्थवर्क हुआ तो कोई पूछने वाला नहीं, दो फीट अर्थवर्क हुआ तो कोई पूछने वाला नहीं। मिट्टी से पूरी नहर भर गई, दो फीट और 6 फीट सारी की सारी बराबर। उसमें करोड़ों रुपया खर्च हो गया। इस सदन में पहले भी मैंने चर्चा की, उस समय कह रहे थे कि बहुत जरूरी है, पानी आ रहा है मेन कैनाल पूरी हो गई, अब यहां वितरिका नहीं बनाई तो पानी सरप्लस हो जायगा। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कैनाल बन गई और मिट्टी में धंस गई उस कैनाल का पैसा खर्च हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? राजस्थान की सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं कहना चाहूंगा सरकार से आप जल्दी में अपना काम बताने के लिए कर लेते हैं लेकिन उसका फायदा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 88–89 में सात करोड़ रुपया कैनाल के लिए, 44 करोड़ रुपया सी.ए.डी. के वाटर कोर्सेज के लिए, दस करोड़ रुपया दूसरे कामों के लिए, एक करोड़ रुपया कोलोनाइजेशन के लिए, कुल मिलाकर 115 करोड़ रुपया, 115 करोड़ रुपया के अगेन्स्ट में 290 किलोमीटर लाइनिंग का काम करना था 176 किलोमीटर में।

बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने किया। यहां पर सदन में कई बार माननीय सदस्य बोलते थे कि जनता शासन में क्या काम हुआ। मैं समझता हूं और आज कह सकता हूं कि जनता शासन में लाइनिंग का काम और अर्थ वर्क के काम में जो रिकार्ड कायम किया आज तक राजस्थान की सरकार ने नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, पैसा कम, काम ज्यादा और उसी आधार पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कैनाल का काम, वाटर कोर्सेस 70 हजार हैक्टेयर के अन्दर आपको बनाने थे उसके अगेंस्ट में 30 हजार हैक्टेयर में आपने बनाये। न वाटर कोर्सेस बने, न लाइनिंग का काम हुआ। अब एक बात मैं और पूछना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, वाटर कोर्सेस का प्रश्न आता है, कीमत का सवाल आता है। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि कीमत हम नहीं छोड़ सकते। ब्याज के सम्बन्ध में वह भारत सरकार से मिल रहे हैं, प्रधान मन्त्री जी से मिल रहे हैं....

श्री शोपतसिंह : काफी की घोषणा करने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो गंगानगर में घोषणा नहीं कर पाये जो शायद आज कर दें। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि वह घोषणा कर दें। मुख्य मन्त्री जी यह तो जानते हैं कि यह पैसा मिलने वाला नहीं है। न मूलधन मिलेगा, न ब्याज मिलेगा ब्याज चढ़ाते चढ़ाते आप अपने रिसोर्सेज में शामिल करते जायें, वह तो मैं कह नहीं सकता, कि सरकार के इतने रिसोर्सेज है उसमें आप शामिल कर लें उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं और सदन भी जानता है कि वाटर कोर्सेस के पैसे आपको मिलने वाले नहीं है। चम्बल कैचमेंट के पैसे आपको मिलने वाले नहीं है। और नैतिकता का प्रश्न है कि जिस चीज के लिये हमने पैसा खर्च किया उससे ज्यादा अगर कमा लिया तो पैसा वसूल करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वाटर कोर्सेस के और चम्बल कैचमेंट एरिया के यह पैसे वसूल करने की दिमाग में आये तो निकाल दो यह पैसे वसूल नहीं होंगे। मैंने पिछले सत्र में आपको कहा था कि काश्तकार की गलती नहीं, जितने समय के ये वाटर कोर्सेस बनने चाहिये थे, वाटर कोर्सेस बनने के बाद में खेतों में पानी दिया जाना चाहिये था वाटर कोर्सेस बनाने में 18,18 महीने लगे, वाटर कोर्सेस डिफेक्टिव बने वाटर कोर्सेस में मिट्टी आ गई, सिंचाई नहीं हो सकी, उसका ब्याज यदि किसान से

(216)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वसूल किया जाये, यह मेरी समझ में नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है, कि राजस्थान सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पाई कि वाटर कोर्सेस कैसे बनने चाहिये। यह सीमेंट के ब्लाक्स से बनने चाहिये, टाइल्स के बनने चाहिये या पोलिथीन शीट के बनने चाहियें, अमुक कई प्रकार के प्रयोग राजस्थान की सरकार कर रही है। इस राजस्थान कैनाल और वाटर कोर्सेस में आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं तो पाइप लाईन का प्रपोजल चल रहा है, कहीं सीमेंट्स के ब्लाक्स का प्रपोजल चल रहा है। कहीं टाइल्स का प्रपोजल चल रहा है, कहीं पोलिथीन शीट्स का प्रपोजल चल रहा है। मैं मुख्य मन्त्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में, प्रधान मन्त्री के शब्दों में हम 21वीं सदी में जाने वाले हैं, 20वीं सदी में हमने कम से कम इतनी तो व्यवस्था कर ली कि उस डैजर्ट में किस प्रकार की लाइनिंग आवश्यक है। एक बार इसको तय क्यों नहीं करवा लेते। वाटर कोर्सेस इस तरह के बनेंगे। अलग अलग रिसर्च करके फिगर्स दें कि पाइप लाइन सस्ती पड़ेगी और वह ड्यूरेबल है तो पाइप लाइन लाइये। अगर टाइल्स सस्ती है तो टाइल्स लाइये, सीमेंट के ब्लाक्स सस्ते हैं तो वह लीजिये, यह लीजिये, यह बार-बार हर अफसर के साथ में योजना बदले। एक अफसर टाइल्स को लेकर आता है दूसरा कहता है कि नहीं सीमेंन्ट के ब्लाक्स काम में लेंगे। तीसरा दादा गुट निकलता है कि नहीं पाइप चलेंगे चौथा कुछ कहता है। इस राजस्थान की सरकार को इतने वर्ष हो गये कम से कम प्रयोग कर लीजिये, रिसर्च करवा लीजिये। आप नहीं कर सकते तो वापस से पूछ लीजिये। जयपुर से यदि आपको राय नहीं मिलती तो और कहीं से तकनीकी राय ले लीजिये लेकिन एक बार इस चीज को खत्म करिये कि राजस्थान में लाइनिंग होगी अमुक एरिया में लाइनिंग होगी तो टाइल्स से होगी, अमुक एरिया में होगी तो सीमेंट के ब्लाक्स से होगी, अमुक एरिया में होगी तो पाइप लाइन से होगी। यह सारी अफसरों की जगलरी के ऊपर क्यों छोड़कर चलते हैं, मेरी अभी तक समझ में नहीं आता हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं कहना चाहूंगा। अब प्रश्न आता है कि पिछली बार राजस्थान कैनाल का रुपया लैप्स हुआ। यह सदन को सुनकर ताज्जुब होगा। राजस्थान कैनाल के लिये पैसा जो आप भारत सरकार से लें, डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम में लें, बोर्डर रोड्स के नाम पर लें, बोर्डर डवलपमेंट के नाम से लें और कोशिश यह होती है कि राजस्थान कैनाल के लिये किसी भी सोर्स से ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जाये। मैं पूछना चाहता हूं आखिर इसमें पैसा लैप्स हुआ इसके लिये कौन रेसपांसिबल है? यह राजस्थान सरकार या जोशी जी, वह कोई अलग नहीं हैं, जोशी जी और माथुर साहब में कोई अन्तर नहीं है। लैप्स किसके लिये हुआ राजस्थान की सरकार उसके लिये रेसपांसिबल है इस राजस्थान सरकार को उसका उत्तर देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन कर रहा हूं राजस्थान में तीसरा पानी है, एक तो अन्डर ग्राउंड वाटर, दूसरा सरफेस का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फ्लो वाटर और तीसरा हम राजस्थान के बाहर से लाते हैं। मैं समयाभाव के कारण ज्यादा इस संबंध में नहीं कह रहा हूं लेकिन मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं मैं इनसे पूछना चाहूंगा जिस 1981 के एग्रीमेंट पर आपने हस्ताक्षर किये थे, उस 1981 के एग्रीमेंट में क्लाज 5 में लिखा है-

"The agreement reached in paras (i) to (iv) above shall be implemented in full by the Governments of Haryana, Rajasthan and Punjab. If any signatory State feels that any of the provisions of the agreement are not being complied with, the matter shall be referred to the Central Government whose decision shall be binding on all the States. In this respect the Central Government shall be competent to issue such directions or take such measures as may be appropriate to the circumstances of the case to facilitate and ensure such compliance."

मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं क्या इस समझौते का पंजाब ने पालन किया है? क्या इस समझौते के अनुसार जो राजस्थान का हिस्सा है वह पूरा मिल रहा है? और नहीं मिल रहा है तो अब तक आपने क्या किया? क्या आपने कोई प्रोटेस्ट नोट दिया? उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में इस सदन का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष तौर से, मैंने इस सदन में, जिस समय एग्रीमेंट हुआ उस समय भी स्पष्ट रूप से कहा था कि इस एग्रीमेंट के जरिये जो हमारी एक व्यवस्था थी पंजाब रीआर्गेनाइजेशन एक्ट के मातहत कि इनके सारे हैड वर्क्स राजस्थान के कन्ट्रोल में आने चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने हैड वर्क्स कन्ट्रोल में आयें या नहीं आयें, यदि जहां से पानी डिस्चार्ज होगा यदि वहां का मेजरमेंट लेने का अधिकार हमको मिल गया, मिला था माधोपुर हैड के लिये, लेकिन प्रचार यहां जरूर किया कि चाहे हरिके से पानी आये चाहे कहीं से भी पानी आये, उस पानी के मेजरमेंट का अधिकार हमको मिल गया और इसलिये राजस्थान को हैड वर्क्स के बारे में ज्यादा चिन्ता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को मालूम है, इराडी कमीशन के सामने यह मामला उठा था। राजस्थान की सरकार ने इराडी कमीशन को यह कहा कि 1981 के एग्रीमेंट में जो मेजरमेंट वगैरहा लेने की जो व्यवस्था की गई है- डी.बी.एम.बी. उसमें अभी तक सफल नहीं हो पाई है और पंजाब सरकार उसमें सहयोग नहीं कर रही है। उस पर इराडी कमीशन ने यह कह दिया कि भारत सरकार इसके ऊपर विचार करके इसके ऊपर निर्णय करें। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि क्या आपने भारत सरकार को लिखा है जो आपने इराडी कमीशन के सामने बात कही है वह आपने भारत सरकार को क्यों नहीं कही है। इराडी कमीशन एक कमीशन है....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इनको मरवाओगे, भारत सरकार को क्या लिखेंगे?

(218)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछा है 20–11–87 या 2–11–87 का है, हरिके रोपड़ फिरोजपुर के हैडवर्क्स को भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट को सौंपने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें। अब वह विस्तृत विवरण है। पंजाब रीआर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में यह प्रावधान हैं कि हैड वर्क्स भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को सौंप दिये जायें। राज्य सरकार ने इस प्रकरण को केन्द्रीय सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया। नार्थ जोन कौंसिल की बारहवीं मीटिंग में प्रधान मंत्री जी के समक्ष रखा उसके पश्चात भारत सरकार के साथ पत्राचार किया। हाल ही में इराड़ी न्यायाधिकरण ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि हैड वर्क्स पंजाब सरकार को बी. बी. एम. बी. को सौंपने चाहिये, राज्य सरकार भी इस मामले में प्रयत्नशील है। मैं पूछना चाहता हूं इराड़ी कमीशन की रिपोर्ट के बाद राजस्थान की सरकार ने क्या प्रयत्न किया? कोई प्रयत्न नहीं किया। और इतनी बड़ी उपेक्षा की है....

श्री यदुनाथ सिंह : दस्तखत करके आ जाते हैं जब जब बुलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। नो इन्टरवेन्शन प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इराडी कमीशन का फैसला हुआ लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्ष पहले, इराडी कमीशन ने अपने फैसले में कहा था वो लगभग 1.1 है। उस पानी के सम्बन्ध में हमने इराडी कमीशन को मेरी समझ में, मेरी जानकारी में, रिप्रेजेन्टेशन किया या रैफरेंस किया लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, कि इराडी कमीशन गया कहां ?

पिछले डेढ़ वर्ष से इराडी कमीशन की बैठक नहीं हो रही है। मुझे सन्देह हो रहा है कि इराडी कमीशन की स्वीकृति के सम्बन्ध में भारत सरकार मौन साधे बैठी है। इराडी कमीशन का फाइनल अवार्ड आ जाता तो बाइंडिग होगी पंजाब पर, हरियाणा पर और राजस्थान पर। जब तक रेफरेन्स क्लीअर नहीं होता, जब तक वो अवार्ड फाइनल नहीं होता, और जब तक फाइनल अवार्ड नहीं आता है राजस्थान का भाग्य अधरझूल में है। मैं पूछना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी आपने इस सम्बन्ध में क्या अटेम्पस किये ? क्या आपने भारत सरकार को कहा है कि इराडी कमीशन की बैठक जल्दी बुलाई जाये ? क्या आपने भारत सरकार को कहा कि इराडी कमीशन को इस ट्रिब्युनल की अध्यक्षता करने के लिये सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त किया जाये और इस मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा कराया जाये ? उपाध्यक्ष महोदय इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। मुख्य मंत्रीजी समझौता करने के आदी हैं। जिस दिन कोई समझौता हो जाये उसी दिन सबसे पहले प्रेस कांफ्रेंस बुलाएंगे। अपना एचीवमेंट बताने के लिये कि मैंने समझौता कर लिया है, बहुत बड़ा काम किया है। अब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री आये, राजस्थान के मुख्यमंत्री आये। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्य मंत्री का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री का जन्म राजस्थान में हुआ। दोनों पहुंच गये।

श्री पंकज पंचौली : इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा न सौभाग्य है। अब ऐसी स्थिति में समझौता हुआ। प्रेस कान्फ्रेन्स हुई। दूसरे दिन अखबारों में देखा। मैंने सोचा मुख्य मन्त्री ने बहुत जोर का मीर मारा होगा। मैं बाहर था रात को मुझे सूचना मिली कि मुख्य मन्त्री ने मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री से समझौता किया। हमारे मुख्य मन्त्री कोई समझौता करते हैं तो मुझे खतरा होता है। मुझे डर लगता है क्योंकि वे राजस्थान के हितों का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। समझौता क्या किया उपाध्यक्ष महोदय। राहू घाट की जहां पर बिजली उत्पादन की पन बिजली योजना थी उसको पोस्टपोन किया। मैं मुख्य मन्त्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आप सवाई माधोपुर जिले में गये। आपने जोर शोर से वहां पर घोषणाएं कीं। अभी माननीय ऋषिकेश जी कह रहे थे मेरे क्षेत्र में जितनी बार मुख्य मन्त्री जी गये, जितनी बार आश्वासन दिया वह आश्वासन एक भी पूरा नहीं हुआ। खैर यह आपका करेक्टर है मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप वायदा करते हैं और पूरा नहीं करते हैं। आप आश्वासन देने में एक्सपर्ट हैं लेकिन दुनिया में धीरे-धीरे विश्वास पैदा हो गया है कि मुख्य मन्त्री के आश्वासन की कोई कद्र नहीं है। कोई भला आदमी मान ले तो मैं कह नहीं सकता। राजस्थान में जिसके थोड़ा भी मस्तिष्क है वह आपके आश्वासन पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको क्या अधिकार है। आपने यह मामला सी.ई.सी. को भेज दिया। आपने यह मामला प्लानिंग कमीशन को भेज दिया। इस मामले की टेक्नीकल एप्रूवल हो गई। आप यह कहेंगे कि उसके बाद का पानी राहू घाट से निकलेगा जो सारा पानी यू.पी. को सीधा नहीं जावे। मैं यह मानता हूं, आपको बता रहा हूं....

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : समझौता क्या किया। समझौता यह है कि कोटा बैराज के नीचे जितना पानी राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमा से जाता है, उस सारे पानी का उपयोग किस प्रकार करें उसके लिये टैक्नीकल असेस्मेन्ट किया जाये। यह समझौता है। दो महिने में इसकी रिपोर्ट आयेगी। समझौता क्या हुआ यह।

श्री उपाध्यक्ष : It is an understanding.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल्कुल सही है। मुझे खुशी है कि पहली बार आप समझौते से मुकरे हैं। आज तक समझौते से स्ट्रिक्ट रहते थे लेकिन अब इनको गलती महसूस हो गई है कि कहीं न कहीं मैं गलती कर गया हूं।

श्री शिवचरण माथुर : कोई गलती नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान के कोटा बैराज तक का पानी 3.2 मिलियन एकड़ फुट है उसका हार्डिनेस एक तरह से हो। उसके बाद वहां से 6 मिलियन एकड़ फीट हमारे यहां से पानी जाता है, उसको मध्य प्रदेश और राजस्थान मिल कर उपयोग करें इसमें क्या बुराई है।

(श्री शिवचरण माथुर)

आप बाहर तो इसको स्वीकार करेंगे कि ठीक किया है। आपको हाउस में बोलना है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : बाहर भी नहीं कहा मैंने कभी। आप यह धोखा देने की कोशिश न करें। अगर आप बाहर की बात यहां करते हैं तो मैं भी बोल सकता हूं।

श्री शिवचरण माथुर : इस पानी का उपयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश के हित में हो इसमें क्या बुराई है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई बुराई नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय समझौता किया। दूसरे दिन अखबारों में आया, राजस्थान के मुख्यमन्त्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री के बीच चम्बल काम्पलेक्स बनाने का समझौता। मोटे अक्षरों में छपा। समझौता पढ़ते ही मेरे सिर दर्द होने लगा।

श्री शिवचरण माथुर : चम्बल काम्पलेक्स कोटा बैराज तक नहीं है क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : गांधी सागर का है, कोटा बैराज का है, राणा प्रताप सागर का है, सबका है।

श्री शिवचरण माथुर : कोटा बैराज में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार का समझौता है। दोनों की बराबरी की हिस्सेदारी है। अब उसके बाद में कोटा बैराज के नीचे पानी जाता है, उस पानी का उपयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश मिल कर करते हैं तो इसमें क्या बुराई है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बुराई कब बता रहा हूं। 1981 में आपने समझौता किया था तब इस सदन में मैंने क्या बुराई कर दी। जब इराडी कमीशन के सामने गये तब पता लगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री से यह समझौता करने के लिये बैठक हुई थी या राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जितने भी विवादास्पद मामले हैं उनका निपटारा करने के लिये बैठक हुई थी ? मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री चतुराई से आये। आकर के उन्होंने देखा राहू घाट की पन बिजली की योजना बन गई है तो केवल बिजली इनको ही मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने कहा राजस्थान में राहू घाट और मध्य प्रदेश के चार स्थानों पर बिजली पैदा हो सकती है। यह कहा है न ? राजस्थान का एक स्थान मन्जूर किया और मध्य प्रदेश के चार स्थान मन्जूर किये गये। यह आपके इस एग्रीमेन्ट में, मिनिट्स में है।

श्री शिवचरण माथुर : केवल 20 लाइन का है। उसमें यह लिखा है कि दो महिने में बैठ कर, दोनों तरफ के लोग बैठ कर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसकी जांच करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे समझ में नहीं आता मुख्य मन्त्री जी जब अखबार में आया तो आपने उसका खण्डन क्यों नहीं किया एक। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय मैं मुख्य मन्त्री जी को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान का पानी मुख्य मन्त्री का नहीं है। यह राजस्थान की सुविधा केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं है। आप राजस्थान के हितों को गिरवी नहीं रख सकते हैं। राजस्थान में विपक्ष का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सहयोग नहीं लें, कान्फीडेन्स में न लें, यह लोकतन्त्र की हत्या है। मैं पूछना चाहूंगा आपसे हम सब लोग यहां मौजूद थे। क्या चम्बल के बारे में हमको आप से कम जानकारी है। क्या राजस्थान के हित के बारे में हम कम चिन्ता रखते हैं ? आपकी स्प्रिट यह होनी चाहिये थी कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात करें, समभौता करें उसके पहले विपक्ष को विश्वास में लेते। आपने यह नहीं किया। मैंने कई बार इस सदन में कहा है कि इन्टर–स्टेट एग्रीमेंट करें। कमिटमेंट करें राजस्थान की तरफ से मुख्य मंत्री तो वे राजस्थान के विपक्ष का सहयोग लें लेकिन आज तक सहयोग नहीं लिया है। इससे आपने घाटा खाया है।

श्री शोपत सिंह : अकेले 850 करोड़ रुपया अकाल का खा गये। अपने को पूछा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.... जल्दी समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं राजस्थान के हित की बात कह रहा हूं मैं अपनी कान्स्टीट्यून्सी के बारे में नहीं कह रहा हूं। इरीगेशन मिनिस्टर साहब बैठे हैं तो मैं अपनी कान्स्टीट्यून्सी के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि एक डेम है मान सरोवर, सारी तकनीकी बन गई है, यदि आप जाते वक्त कर जायें वरना डेम तो बनेगा ही। इनको शायद पता है। भुंभनू के हैं जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बात कह रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने क्या समभौता किया ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजस्थान में गांधीसागर डेम बनने के बाद, और चम्बल डेम बनने के बाद, चम्बल का कितना पानी है उसका किस तरह से हार्डनेसिंग हो सकता है क्या उसका आज तक सर्वे नहीं हुआ है ? आज सर्वे करने के लिये समभौता कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से यह नहीं पूछा कि चम्बल के केचमेंट एरिया में कितना इन्टरप्शन हो रहा है और आगे इन्टरप्शन की कितनी योजना है। आपने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से यह नहीं पूछा कि परवण, कालीसिन्ध, पार्वती नदियों के बांध की योजना राजस्थान सरकार ने भेज रखी है, उनके ऊपर आपने निर्णय नहीं करवाया। इनका तो निर्णय नहीं कराया और अखबारों में छपा मुख्य मंत्रियों के बीच समभौता। यह काहे का समभौता है। राहू डेम का काम बंद हो गया, यह समभौता हो गया। दो महिने में आप सर्वेक्षण करायेंगे। यह एक विचित्र बात हो गई कि 40 वर्ष के बाद में, इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार ने कोई समभौता करवाया ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि समभौते की बात आप छोड़िये।

लेकिन जो राजस्थान के हक हैं, उसके लिये लड़ो, लड़ने में हम आपके साथ हैं, राजस्थान की जनता आपके साथ है लेकिन हम जरूर चाहते है कि आप इस प्रकार के कोई डिसीजन लें तो राजस्थान की जनता को, और जनता के प्रतिनिधियों को और खास तौर से विपक्ष को उसमें साथ लेने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट के लिये मुख बन्द का समय बढ़वा दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, बढ़वा दो साहब। मेरा भी मुख बन्द हो रहा है।

सदन की कार्यवाही
मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुखबन्द का समय सदन की सहमति से 8–00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मुख बन्द का समय 8–00 बजे तक के लिये बढ़ाया गया। (व्यवधान)

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय मैं दो-तीन छोटी-छोटी बातों की भी जानकारी देवूंगा....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मानसरोवर....

श्री उपाध्यक्ष : मानसरोवर की बात मान ली गई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मान ली तो बहुत अच्छा। धन्यवाद आपको, लेकिन ऐसी मत मानना कि यहां कह गये मान ली। आप अकेले ही बोलते तो विश्वास कर लेता लेकिन मुख्यमन्त्री जी साथ बोल गये तो जैसे ऋषिकेश जी ने कहा, मुझे भी संदेह हो रहा है। खैर, आज तो आपने सदन में कहा मान ली गई, बहुत बढ़िया। धन्यवाद दे देता हूं।

श्री पंकज पंचौली : मुख्य मंत्री जी ने थोड़े ही कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुख्य मंत्री जी को भी देता हूं और उनको भी देता हूं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहूंगा। मैं दो–तीन छोटी–छोटी बातों की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। राजस्थान के कुछ इंजीनियर्स यहां सस्पेन्ड हुए थे, करप्शन के मामले में। मुख्य मन्त्री जी ने या तो करप्शन नहर में बहा दिये या मिट्टी के नीचे दबा दिये। एक उस करप्शन की जांच करने के लिये आफिसर नियुक्त हुए हैं। दो–तीन वर्ष हो गये होंगे, वह जांच हो रही है वह जांच ही खत्म नहीं हुई है। कम से कम उस जांच को तो खत्म करावो। वह जो खर्चा हो रहा है वह तो बचे.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तीन को चार्ज शीट दी गई है और एक को सस्पेन्ड किया है आज तक।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पांचना डेम के संबंध में बहुत चर्चायें हुई। जिसने भी आरोप लगाये थे सरकार ने मना किये। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कन्ट्रोल एण्ड आडिटर जनरल की रिपोर्ट वर्ष 1985-86 की जो अभी हमको मिली है, उसका पैरा 156 व 157, मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता, मैं सदन को केवल एक जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोगों ने जितने आरोप लगाये थे, अकाउन्टेन्ट जनरल ने उन आरोपों को सही माना है, बिलकुल सही माना है। उसमें कोई भी विपक्ष ने जो बात कही है उसको असत्य माना हो, ऐसी बात नहीं है। ब्यौरेवार सारे का एग्जामिनेशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करने के बाद में उस बात को सही माना है। मुख्यमन्त्री जी मैं कहना चाहता हूं कि आपने इसके लिये जो दोषी हैं शायद किसी को एडीशनल चीफ इंजीनियर, किसी को चीफ इंजीनियर बना दिया। बहुत बड़ा काम किया लेकिन जिस दोषी ठेकेदार ने वह डेम का कान्स्ट्रक्शन करने में गड़बड़ की वह इंजीनियर जाता है तो चपरासी के साथ जाता ही है, बाबू साथ जाता है, यह भी समझ में आ गई। उसका पी.ए. भी साथ जाय, यह भी समझ में आ गई लेकिन कान्ट्रक्टर भी साथ ही जाए। उस लोहाती ने जो पांचना डेम का सत्यानाश किया अब राजस्थान में और सत्यानाश करने के लिये उसको ले जाया गया। मेरी समझ में नहीं आता है इस प्रकार की क्या व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, लोग पैसे लूट रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मुझे आज ही एक सज्जन मिले और उन्होंने मुझे लिखकर दिया कि पटवारी द्वारा फर्जी रसीदें लोगों को दी जाती हैं। फर्जी रसीदें, 400) रुपया वसूल किया, उसकी तो तीसरे नम्बर की कापी होगी, उस पर तो चार सौ रुपये लिखे होंगे। सरकारी खाते में 300) रुपये होंगे। सरकार की जो दो होती है पड़त उसमें तो तीन तीन सौ रुपये और तीसरी पड़त उसने अपनी तरफ से छपा ली उसमें चार सौ रुपये। अब काश्तकार कहता है कि मैंने तो 400) रुपये जमा करवाये हैं। सरकारी कागजों में तीन सौ रुपये हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मन्त्री जी आपका समय नहीं लेना चाहता लेकिन यह मेरे पास रसीदों का एक गट्ठा है कि इस तरह से पटवारी फर्जी रसीदें बनाकर काश्तकार से वसूली करते हैं। ज्यादा रुपया लेते हैं और कम रुपया सरकार में जमा करवाते हैं। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में ये कागज दे देवूंगा। मेरा विश्वास है कि सिंचाई मन्त्री जी निश्चित रूप से इसमें काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों धौलपुर गया था। मैं दो ही मिनट आपको निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट के लिये कह दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, दो मिनिट में ही। अब मामला धौलपुर का है। दो मिनिट में निपटे या तीन मिनिट में निपटे, यह आप अन्दाज लगा लें।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट में ही निपटा देंगे ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मुख्य मन्त्री जी उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता जो माननीय मानकचन्द जी सुराणा और मोहन छंगाणी जी ने कहीं हैं। मैं आपसे एक बात की जानकारी करना चाहता हूं कि जितनी भी प्रपोज्ड लिफ्ट्स हैं वह चाहे राजस्थान कैनाल की लिफ्ट हो चाहे और कोई लिफ्ट स्कीम हो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे याद है इसी सदन में जब आप पहले मुख्य मंत्री थे तो आपने कहा था कि धौलपुर की लिफ्ट स्कीम विचाराधीन है। हम इसको टेक्निकल अप्रूवल के लिये भेज रहे हैं। आज वह धौलपुर की लिफ्ट स्कीम कहीं कागज में ही नहीं मिलती, कहीं रजिस्टर में नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिलती। वह गई कहां ? और आप यह मानकर चलिये कि धौलपुर का विकास नहीं होगा। खर्चा उतना का उतना आपका पुलिस पर होगा। रोज डकैतियां पड़ेंगी, रोज लोग मरेंगे, रोज नये डाकू बनेंगे। उन लोगों को रिहेबिलिटेट करना है तो धौलपुर का डवलपमेंट करना पड़ेगा। धौलपुर सेठों का एरिया है आजकल और मैं समझता हूं सब लोग गये हुए हैं। जब भी बरसात आती है तो इतना जबरदस्त फ्लड वाटर फैल जाता है कि उसके कारण से निकलना करना बहुत मुश्किल है। आजकल उस पानी को निकालने की व्यवस्था करने के लिये पैसे रखे थे। वह पहले तो पैसे ले गये बांसवाड़ा और मुख्यमन्त्री जी फिर बांसवाड़ा ले गये। आप कैसे चूकेंगे आप भीलवाड़ा ले गये। (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : कहां ले गये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ले गये, ले गये। आप हिसाब देख लीजिये। मैं तो हिसाब से ही कह रहा हूं लेकिन वह ले गये न.... (व्यवधान) आपको नहीं बताते है वह आपको थोड़े ही बताते हैं। आपने कोई योजना दी रुपये चाहिये। अब रुपये कहां से आयेंगे, कह देते है हम कर लेंगे। अब कर लेंगे तो धौलपुर आया चक्कर में। धौलपुर के पैसे वहां चले गये। यह इस तरह से जो व्यवस्थायें चलती हैं, उन व्यवस्थाओं में मैं कहना चाहूंगा और अन्त में एक बात कहूंगा मुख्यमन्त्री जी इस बार का बजट, आपके हिसाब में आप जितना पैसा इसमें रखते हैं। मैं समझता हूं एक बार इस साल यह फैसला कर लीजिये जितने एनीकट्स हम बनाना चाहें, एनीकट्स बनायें, जितने छोटे मोटे तालाब बनाना चाहें, बनायें, जितना काम करना चाहें, मैं समझता हूं एक बार स्पष्ट प्रयोग करिये तो जैसे कुओं से सिंचाई की मात्रा बराबर एरिया में होती है उसी प्रकार से यदि हमने कुए निर्माण करने की, कुए खोदने की इनकी सुविधायें उपलब्ध करा दी तो राजस्थान में जो अन्डरग्राउन्ड वाटर पड़ा है, उसको हम ले सकेंगे। मैं इसी आधार पर अब उपाध्यक्ष महोदय आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हुआ चाहूंगा कि सरकार उत्तर के समय मेरी बातों पर ध्यान रखे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी....। (व्यवधान)

श्री पन्नालाल (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की आनन्दपुरी कैनाल की समस्या मुझे रखने दें। जनता के हितों की बात है। जहां प्रधान मन्त्री जी का कार्यक्रम हुआ था। दो मिनट मुझे कहने दो आप। आप क्यों इस बात को रोक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) कृपया बैठें।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : सिंचाई की बात पर बोलने नहीं दिया जाता है तो यह जनता के साथ अन्याय हुआ है। (व्यवधान)

श्री पन्नालाल : मैंने कितनी बार निवेदन किया आप मेरी बात को सुनते ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो नाम भी

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं है। नहीं। आपका तो नाम भी नहीं दिया है लिस्ट में। (व्यवधान)

श्री पन्नालाल : मैंने दिया है कि नहीं दिया है बार बार नाम दिया है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : अब बाद में दिया है, बहुत बाद में। (व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी नाम है चूरू की, सीकर की, नागौर की....(व्यवधान) हम तो बोले ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। मैं पांच पांच मिनट बोलने देता हूं सबको। प्लीज सिट डाउन। पन्नालाल जी बोलें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पन्नालाल जी बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : हम भी बोलेंगे, हमारे भी कट मोशन दिये हुए हैं....(व्यवधान)

श्री रमजान खां (पुष्कर) : हम भी बोलेंगे, हमारा भी नाम दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, प्लीज, माननीय रमजान जी आपका नाम आज की लिस्ट में नहीं है। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) बैठिये आप, बैठिये माननीय सदस्य। सबको बोलने दूंगा।

श्री पन्नालाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांग पर मैं मेरे क्षेत्र की जो मांग है उस पर सुझाव रखना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी सन् 85 में, 86 में, 87 में और सन् 88 में माही कैनाल आनन्दपुरी का कार्य राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा कराया गया है जिस पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। एक किलोमीटर से लगाकर 40 किलोमीटर तक नहर की खुदाई हो चुकी है। इस वर्ष बिलकुल काम नहीं होने से काम बन्द पड़ा है। गत साल में जो हमारा बजट था उसमें से बजट की कमी करने से जो मौके पर काम छेड़ दिये गये थे वह काम भी बन्द पड़े हैं, बन्द कर दिये गये हैं और मजदूरों का पेमेंट भी अभी तक नहीं हुआ है। अभी गत महिने में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दौरा किया था बांसवाड़ा का, उसी दिन मेरे क्षेत्र के विजिट के रूप में मैंने सारी समस्यायें बताई थीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी और सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस आनन्दपुरी नहर पर सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और अभी जो हमको थोड़ा सा बजट अगर मिल जाता है तो उस काम को हाथ में लेने से हमारे एरिया की जनता को लाभ मिल सकता है। मैंने सारी रिपोर्ट मुख्य मन्त्रीजी को....

श्री उपाध्यक्ष : नोट हो गई।

श्री पन्नालाल : और सम्बन्धित माही के अधिकारियों को तार में लिखकर सारा अवगत करा दिया है तो मेरा सुझाव है कि जो हमारे काम अधूरे हैं उसको तत्काल बजट देकर पूरा करवायें। तो मेरा सुझाव है कि जो हमारे काम अधूरे हैं उसको तत्काल बजट देकर पूरा करवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बहादुरसिंहजी।

श्री पन्नालाल : माननीय प्रधान मन्त्री राजीव गांधी पधारे थे उस समय उस कैनाल को बताया गया था। इसके साथ साथ मेरी जो अन्य समस्याएं हैं उस मांग को मैं आपके सामने लाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। पन्नालालजी सहयोग करें।

श्री पन्नालाल : उस काम को तीव्र गति से चालू करवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। बैठिये। माननीय बहादुरसिंहजी।

श्री पन्नालाल : आपने मौका दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले के अन्दर एन. आर. ई. पी. और अकाल राहत के तहत जो काम करवाये थे वह सभी काम अधूरे पड़े हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से थोड़ा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिले में अकाल राहत और एन. आर. ई. पी. के तहत जो काम करवाये गये उसमें हरेक तालाब पर सात से दस लाख रुपया खर्चा करने के बाद राज्य सरकार ने उन तालाबों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना पैसा सरकार के खजाने से खर्च किया गया तो उसका उपयोग क्या है? इसके उपयोग हेतु मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एक तो बडली पाड़ा, रामगढ़, डाबडीमाल, भूतपाडा, नवाखेड़ा, नाथपुरा, खरवाली, फेफर, ये ऐसे तालाब हैं, हरेक तालाब पर कम से कम 250–300 एकड़ के लगभग जमीन में पीयत हो सकती है। हरेक तालाब पर कम से कम दस से बारह लाख खर्च हो चुके हैं। राज्य सरकार के बजट के अभाव में उन्होंने काम बन्द कर रखा है। इसलिये जल्दी से जल्दी चालू किया जाय। दूसरा मेरा निवेदन है कि, रूजिया-दानपुर के डी. पी. ए. पी. के माध्यम से काम चलाया गया था। रूजिया-दानपुर का काम कम्पलीट करीब-करीब हो गया है कि साढ़े तीन लाख रुपया मजदूरों का पेमेन्ट नहीं हुआ आज दिन तक। करीब डेढ़ साल हो गया है। जिन लोगों ने ट्रेक्टर, ट्रक लगाया, इंजन लगाया, मजदूरी की, तो डेढ़ साल से आज दिन तक पैसा नहीं मिला है। आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन मजदूरों को जिन्होंने समय पर काम किया, को पेमेंट होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री बहादुरसिंह : दूसरा मेरा निवेदन है कि भूतपाड़ा तालाब एन. आर. ई. पी. में चल रहा था। 35 से 40 हजार रुपया उसका भी बाकी है। उसमें ट्रेक्टर द्वारा काम किया है, जिन लोगों ने इंजिन लगाया, ट्रक लगाया और मजदूरी की है उनका भी करीब डेढ़ साल से ऊपर का समय निकल गया है। अकाल के अन्दर उन लोगों को पालना था उस जगह काम कराया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो उस पर मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री बहादुरसिंह : दो मिनट और

(श्री बहादुरसिंह)

दीजिये। मेरा यह निवेदन है कि माही परियोजना की तरफ लैफ्ट मुख्य नहर पर पांच सात ऐसी स्कीम हैं, जिनका मैं नाम बताना चाहूंगा भापोर, पनियाला, झूपेल, लिमथा, करजी, इटाऊवा, बोड़ीगामा, पाटन आदि का सर्वे हो चुका है उस पर जल्दी काम करवाया जाय ताकि वहां के आदिवासी काश्तकारों को पीयत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें। सहयोग करें।

श्री बहादुरसिंह : दूसरा मेरा निवेदन है कि नाथपुरा कलां का सर्वे हो चुका है यह पहले विधान सभा में किये गये प्रश्न के उत्तर में भी आ चुका है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि स्कीम बन चुकी है, सर्वे हो चुका है। सर्वे आफ इंडिया की पार्टी ने सारा सर्वे कर लिया है। उसमें 3464 हैक्टेयर जमीन पीयत हो सकती है। उसमें 14 गांव कवर हो रहे हैं। ऐसे 14 गांव कवर हो जायं तो वहां आदिवासी लोग हैं, छोटे–छोटे काश्तकार हैं जिनके पास दस से पन्द्रह बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है, वह सारी जमीन सूखी है, ऐसे काश्तकारों के लिये लिफ्ट योजना द्वारा पानी मिले तो वहां के काश्तकार जिंदा रह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, धन्यवाद। माननीय श्री रामधन मीणा। तुरन्त दो मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री रामधन मीणा (राजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में ही बोलना है।

श्री रामधन मीणा : यह तो आधा–आधा घंटा लें, आप दो मिनट में....

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये, जल्दी करिये।

श्री रामधन मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कम समय दिया इसी के अनुसार मैं थोड़ा बोलूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये ना अपनी बात।

श्री रामधन मीणा : मेरे विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में एक बीगोता नाम के एक बांध की स्वीकृति हुई थी। मैं लगातार चार साल से मांग करता आया हूं। उसकी स्वीकृति के बाद टेण्डर भी हो चुके और 88–89 के प्रगति प्रतिवेदन में उसे लघु सिंचाई कार्यों को बीगोता बांध के लिए चालू दिखा रहा है किन्तु आज तक एक इंच भी काम नहीं हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यही निवेदन करूंगा कि जो–जो अभी आये हैं उनसे यह मांग करता रहा हूं और मुझे आश्वासन मिलता रहा है कि शीघ्र ही चालू करवायेंगे। प्रगति प्रतिवेदन में चालू दिखाने के बाद भी वह कार्य चालू नहीं होगा तो कब होगा। समय इतना दिया, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इस कार्य को चलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय श्री नवरंगसिंह जी । इसी तरह से दो मिनट में ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो संक्षेप में ही कहना चाहता हूं और मुख्य रूप से आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि झुंझुनूं में जो यमुना गंगा का पानी आना था तेजेवाला हैड़ हरियाणा जवाहरलाल नेहरू नहर से, दो वर्षों के आश्वासन के बाद भी नहीं आ रहा है । अभी जैसा मैंने एक सवाल पूछा था, राज्य सरकार कहती है हमने 1975 में इसके लिये भारत सरकार से निवेदन किया था लेकिन आज तक कोई इनका फैसला नहीं है । मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि माननीय मन्त्री जी, आप इसलिये भी ध्यान दें जो हिन्दुस्तान खेतड़ी प्रोजेक्ट है वह केवल झुंझुनूं का प्रोजेक्ट नहीं है, सारे राजस्थान का प्रोजेक्ट है । खेतड़ी प्रोजेक्ट ने सारे झुंझुनूं जिले में, खास कर नवलगढ़ सब डिवीजन, खेतड़ी सब डिवीजन का सारा पानी खराब कर दिया है ।

इसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है । मैं पुरजोर शब्दों में मन्त्री जी से कहना चाहूंगा, आप भी लम्बे समय से कभी केदार पाण्डे, कभी किसी के साथ भाषण देते रहे हैं, मैंने पहले भी माननीय कमला जी से भी कहा, झुंझुनूं और खेतड़ी आपकी जन्म भूमि है, आप भी उस ओर गौर कीजिये लेकिन उस सारी परिस्थिति के बावजूद भी झुंझुनूं जिले को जो हक का पानी है वह हक का पानी हम नहीं दिला सके, इससे बड़ा और अन्याय क्या हो सकता है । इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर गंगा-यमुना का पानी तेजेवाला हैड से मिल नहीं सकता है, मिलने में दिक्कत हो, आप दूसरी तरफ जहां भी राजस्थान नहर का पानी है, दूसरी जगह का पानी है वह पानी देकर, हरियाणा सरकार से पानी लेकर झुंझुनूं जिले की मदद कीजिए क्योंकि उस प्रोजेक्ट के कारण से सारे झुंझुनूं जिले का पानी खराब हो गया । काफी पहाड़ी इलाका है, अधिकांश रेगिस्तानी इलाका है, इसलिये मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री जी से कि कि वह इस बारे में कोई न कोई निश्चित आश्वासन दें । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : रामलाल जी सोलंकी ।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेशानुसार बहुत ही लघु समय में दो तीन प्रश्न मंत्री महोदय से करूंगा । माननीय उपाध्यक्ष जी, निवेदन यह है कि हमारे जालौर, सिरोही, पाली जिले में भौगोलिक स्थिति के अनुसार न तो अण्डर ग्राउण्ड वाटर अवेलेबल है, न ऐसी कोई अन्य सुविधा है जिससे वहां सिंचाई हो सके । इस हेतु मैं आपके सामने प्रस्ताव करता हूं, जो नर्मदा योजना, गुजरात के माध्यम से जालौर और सिरोही में पानी आने की व्यवस्था थी उस पर अभी तक राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस योजना की तरफ वह ध्यान दें । शीघ्र इस योजना के बारे में सोचें जिससे सिरोही, जालौर, बाड़मेर जिले लाभान्वित हो सकें । इसी प्रकार एक भैंसासिंह बांध आबू रोड में आया हुआ है । इसके ऊपर सरकार ने 30 लाख रुपया लगा दिया है । मैं आपके

(श्री रामलाल सोलंकी)

माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप खुद मौका देखें, उस पैसे की कोई यूटिलिटी नहीं है। पानी वहां शामिल होता नहीं। वहां अभी तक टंकियां भरी नहीं। उस बांध को पूरा कराने के लिये विधान सभा में मैंने पूर्व मंत्री महोदय से निवेदन किया था, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि इसको पूरा कराने के लिये 40 लाख रुपये लगेंगे। बावजूद आश्वासन के आज तक उस योजना की तरफ कोई भी अधिकारी नहीं गया है तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप समय निकाल कर इस भैंसासिंह योजना को देखें।

जहां ट्राइबल एरिया है, जहां पूरे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं इसलिए इस योजना को देखें और क्रियान्वित करें ताकि इन लोगों को लाभ मिल सके।

एक छोटी सी बात है मेरे शिवगंज तहसील में पिछले 15-20 सालों से सरकार ने सिंचाई का एक भी पैसा नहीं दिया। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एक तो कैलाशनगर बांध है उसकी स्वीकृति करावें। एक नाडेरनाला बांध है, रवाड़ा बांध हैं, खेजड़िया बांध है इनके बारे में मैंने अपने कट मोशन दिये हैं और डिटेल में मेन्शन किया है उनका सर्वे हो गया है, उसका एस्टीमेट बन गया है। और स्वीकृति के लिए पड़े हुए हैं इसलिये मंत्री महोदय, यह बहुत पिछड़ा जिला है और सरकार की यह नीति रही है कि पिछड़े को पहले, यही भावना सरकार की है और इसको आप कार्यान्वित करना चाहते हैं तो वास्तव में हमारे इन जिलों की ओर ध्यान दीजिए क्योंकि यह जिले पिछड़े हुए हैं तो लोगों को लाभ मिलेगा और यहां के लोग उन्नति करेंगे।

अभी हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि खालों के लिए 119 करोड़ रुपया माफ होना चाहिए। सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है यह अलग बात है पर हमारे जिले के लोगों का अगर आप आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं और उनको तरक्की देना चाहते हैं तो जो हमारी मांगें हैं और जो डेम अधूरे पड़े हैं उनकी मंजूरी देवें।

एक उपाध्यक्षजी, पाली जिले का करोटबालियन बांध है जो मंजूर हो चुका है, इस साल पानी रोकना था इसके बारे में मन्त्री महोदय को स्मरण कराऊंगा कि शीघ्र ही इसको रुकवावें। एक सूगड़ीसेलवाड़ा बांध है बहुत महत्वपूर्ण बांध है जिसका सर्वे हो गया है, राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि इसको करावें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज जी मिढ़ा।

श्री हंसराज मिढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1960 में पहली दफा घग्घर फ्लड का पानी अनूपगढ़ में दाखिल हुआ और 30 साल से लगातार यहां से पाकिस्तान जाता रहा अनूपगढ़ तहसील से होकर। अगर हमारी सरकार नींद में सोती रही। अगर इस पानी का युटिलाइज करते तो मेरे ख्याल में अरबों रुपयों की आमदनी होती मगर सरकार ने इस पर कोई तवज्जु नहीं दी। खालों के लिए दो साल से लगातार कह रहे हैं। विधान सभा के अन्दर भूख हड़ताल पर बैठे मगर सरकार उस

(श्री हंसराज मिढ़ा)

पर कोई तवज्जु नहीं देती। कभी तो भादरा में भाषण दे देते हैं कि खालों की कीमत छोड़ देंगे। कभी गंगानगर में कहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे। सरकार इस नशे में नहीं रहे। अगर खालों की कीमत नहीं छोड़ी तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि गंगानगर जिले का आपको एक वोट नहीं मिलेगा। अगर खालों की कीमत छोड़ दोगे तो एक आध आपका आ जाएगा, वर्ना एक भी आपका नहीं जीतकर आएगा।

श्री हनुमानगढ़ में माननीय मंत्री महोदया, ने दो साल पहले हनुमानगढ़ में घोषणा की कि चीफ इंजीनियर का दफ्तर यहां आएगा। दफ्तर हो गया या पैटन टैंक हो गया। बराये मेहरबानी करके चीफ इन्जीनियर का आफिस जल्द से जल्द हनुमानगढ़ खोलने की व्यवस्था करें। इसके बाद 55 भट्टों का मुआवजा और लेवलिंग के लिए 20 साल से लगातार किसान रो रहे हैं सरकार का पता नहीं अरबों रुपये का नुकसान हो गया उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। न उन किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, न उनकी जमीन लेबल की जा रही है। मंत्री महोदय, इनकी जल्द से जल्द व्यवस्था करें।

किसानों की जो जमीन नहरों में आई हुई हैं उसका न तो मुआवजा दिया गया है, न जमीन दी गई है। लिफ्ट के नाम, पम्पिग सेट। (व्यवधान) एक दीपाराम नायक, वह तो मर गया बीस साल से उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, यह इंडिविजुअल केसेज का आप प्लीड नहीं करें। सार्वजनिक बात करें आप। किसी इंडिविजुअल का केस उठा रहे हैं।

श्री हंसराज मिढ़ा : उसको क्यों नहीं मुआवजा दिया गया। उसको जमीन के बदले जमीन दी जानी चाहिए। अगर उसको जमीन नहीं दी जाती तो कोई तो व्यवस्था करें।

जी.बी. नहर के अन्दर इस दफा जो पानी चला। गंग कैनाल से हमें मिला 22,974 क्यूसेक्स, 6 महीनों में सूरतगढ़ ब्रांच से मिला 4646 क्यूसेक्स, पी.बी. एण्ड करणी लिंक कैनाल से मिला 6,477 क्यूसेक्स पानी, कुल 34,091 क्यूसेक्स पानी मिला जो हमें डेली 186.75 क्यूसेक्स हुआ। हमारी नहर का 285 क्यूसेक। तो 98 क्यूसेक्स लगातार पानी हमें कम मिलता रहा। हमारी टेलों पर पानी नहीं पहुंचा जिस कारण लोगों की हालत खराब हो गई। अनूपगढ़ के पास जाकर देखिये, उनकी फसलें नष्ट हो गई, उन्हें मुआवजा देने की व्यवस्था कीजिए।

सिल्ट न निकालने से चक 19,20, 21,22,23, के.डी. टेलों पर पानी नहीं पहुंच रहा है और अगर उनको पानी नहीं पहुंचे तो एक तो वह सरकार की रक्षा करें और वह भूख मरें, दो दो बातें नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें आप।

श्री हंसराज मिढ़ा : मैं कैसे समाप्त करूं जब मेरी कोई बात खत्म नहीं हुई। अनूपगढ़ ब्रांच से जी.बी. नहर को पानी, यह टेल का रकबा है इधर से नालियों से पानी काट दिया, उधर से जी.बी. नहर से

(श्री हंसराज मिढ़ा)

पानी नहीं लगता और इधर अनूपगढ़ शाखा का पानी नहीं दिया जाय। वहां के किसान कहां से पानी अपनी फसल को लगावें। बराये मेहरबानी नहर विभाग को आदेश दें कि जिनको घग्घर नहर से पानी कट हो जाता है उनको अनूपगढ़ शाखा से पानी दिया जाय। यह चक है–11,12,15,16, 18,19,20,21,22,26,29 जी.बी. 33, 34,35,39,40,48 और 58 जी.बी.। यह इतने चक हैं जिनको टेलों से पानी नहीं पहुंच रहा। इनको पानी देने की व्यवस्था करें।

30.1.87 को फैसला किया, 23 दिन धरना दिया विजयनगर सर्किल के आगे और इसके बाद पानी देने की व्यवस्था की अन-कमाण्ड को। एक ए.डी.सी. ने 1.4.87 को फैसला किया...

श्री उपाध्यक्ष : आप सहयोग करें। आज क्या हो गया आपको। इसको पढ़ा हुआ मान लेंगे हम....

श्री हंसराज मिढ़ा : और सरकार यह कहती है कि यह फैसला हमने किया है, पानी देने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाय और सिचाई का जिनमें सिंचाई कर बकाया है उनकी पानी की बारी न काटी जाय। सिंचाई कर में जो किसान की पानी की बारी काट देते हैं उससे वह किसान भी खत्म हो गया और देश की फसल भी खत्म हो गई। सबसे पहले यह फैसला करें। किसान को न गिरदावरी मिलती है न उसको मांग पत्र दिया जाता है और उसकी बारी काट दी जाती है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सहयोग करें। माननीय मंत्री जी-। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। सुमित्रासिंह एक सवाल पूछेंगी। एक सवाल।

श्री हंसराज मिढ़ा : आपकी बात मैं मान लेता हूं मगर इन्होंने जो मेरे 525 फाइलों के जवाब दिये वह जवाब गलत हैं. इसकी जांच विधान सभा द्वारा की जावे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आज आप छोड़िये। आप तो समझदार व्यक्ति हैं, प्लीज।

श्री हंसराज मिढ़ा : यह मैं सदन की पटल पर रखता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को केवल इतना याद दिलाना चाहूंगी कि सात चुनाव मैंने जो लड़ें हैं, हर बार कभी जवाहर कैनाल लाएंगे, कभी गंगा–यमुना फ्लड का पानी लाएंगे और कभी राजस्थान नहर का पानी लाएंगे, सिंचाई की सुविधा करेंगे। हमारे झुंझुनू जिले को यह दिलासा और यह आश्वासन देते आये हैं। अब चूंकि वह सिंचाई मंत्री बन गये हैं और 29 जनवरी, 89 को उन्होंने मण्डेला के अन्दर बलराम जाखड़, मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और गृह मंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में यह कहा था कि मैं राजस्थान नहर को ला रहा था लेकिन चूंकि मैंने हरिदेव जोशी को वोट नहीं दिया था और रामनिवास मिर्धा को वोट दे दिया था इसलिए राजस्थान नहर को हरिदेव जोशी ने झुंझुनू में नहीं लाने दिया....

श्री शीशराम ओला : मैंने कहा आप सच्ची बात कहा करें, गलत बात नहीं कहा करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अखबार की कटिंग हैं। अखबार है मेरे पास। मैं ऐसे नहीं कहती हूं कोई बात.... let me complete. (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रही हूं कि इतने लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कहा, अखबार में आया, मैं कोई ऐसी–वैसी बात नहीं करती हूं। बहुत जिम्मेदारी के साथ.... यह अखबार आपके घर का, मेरे घर का नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी से कि उन्हें जो मौका मिला है सिंचाई मंत्री होने का और झुंझुनू जिले की जनता को इतने लम्बे समय से दिया गया दिलासा और आश्वासन पूरा करने का इसे करके दिखायें।

श्री उपाध्यक्ष : एक सवाल फूलचन्दजी पूछेंगे।

श्री फूलचन्द गूजर (नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं मंत्री महोदय से कि हमारे सीकर जिले में कोई बड़ी नहरें तो नहीं हैं लेकिन जो छोटे–छोटे बांध थे वह 4–4, 5-5 साल से अधूरे पड़े हैं। उनको कब तक पूरा करवाएंगे और एक सवाल और है महत्वपूर्ण, मेरे नीमकाथाना तहसील का ही कि हमारे यहां दो साल से लेबर का भुगतान बकाया पड़ा हुआ है लगातार वह प्रयास कर रहे हैं. उनको आज तक भुगतान नहीं मिला, तो मंत्री महोदय, यह भुगतान आप कब तक करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : एक सवाल श्री पंवार जी पूछेंगे। पूछिये ना, आपसे कह रहा हूं।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे टीबी तहसील जिला गंगानगर के मागकतीबी गांव से प्रवेश करती है राजस्थान कैनाल वहां से लेकर और तलवाड़ा झील से लेकर और कलालों वाली ढाणी तक डबरी कलां, डबरी खुर्द, मसीतांवाली, लुणा सागर वाली ढाणी, कलालां वाली ढाणी, खेदासरी यह सेम से धराशाही हो गये हैं यहां के खेत और उनके खेतों में कोई फसल नहीं हो रही है। कारण इसका यह है कि नहर से इसका पानी सीपेज हो रहा है। उसकी कोई रोकथाम सरकार नहीं कर रही है और जी.एफ.सी. है घग्घर फ्लड कैनाल की दोनों साइड उसकी ऊंची की जा रही हैं क्योंकि उसमें 10 हजार के बजाय 12 हजार क्युसेक्स की क्षमता तैयार की जाय। उसमें काफी समय लगा दिया गया काम शुरू हुए। यह तो बरसात में कुछ छुट्टी दे दी वह काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल जी एक सवाल पूछेंगे।

श्री डूंगरराम पंवार : नहीं तो वह नहर पूरा पानी नहीं ले सकेगी। मेरा यह विशेष कर सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : स्टाप इट प्लीज। माननीय मन्त्री जी बोलेंगे। (व्यवधान) माननीय चुन्नीलाल जी मैं आपको अपोरचुनिटी दे रहा हूं फिर भी आप नहीं पूछ रहे हैं।

श्री डूंगरराम पंवार : मेरा यह तकनीकी सुझाव है। हमारे पड़ौस में फाजिल्का में....

श्री उपाध्यक्ष : नाउ फिनिश इट। अब रिकार्ड नहीं होगा फिर आपका। समाप्त करें। जल्दी समाप्त करें।

श्री डूंगरराम पंवार : इसलिए मेरा सुझाव है इस नहर के पैरेलल ड्रेनेज बना करके ड्रेन सिस्टम से इस पानी को, सेम के पानी को नहर में पम्प करके....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल जी एक सवाल पूछेंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो सुझाव नहीं मांग है। एक ही मिनट में, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय, मंत्री बहुत बैठे हैं, सभी सम्बन्धित मंत्रियों से निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी नहर पूरी की पूरी मिट्टी से भरी हुई है। पूगल ब्रांच हो, चाहे दांतौर हो चाहे बलर हो और चाहे मैन कैनाल हो और उनके अधीनस्थ जितने खाले हैं, आज उपाध्यक्ष महोदय, सब अधिकारियों को पता है कि खाले पूरे के पूरे मिट्टी से भरे पड़े हैं। यदि उस मिट्टी को नहीं निकाला गया तो खेती योग्य कोई पानी है ही नहीं, खेती किसान कर नहीं सकता, पूरे के पूरे खाले मिट्टी से भर चुके हैं। इसलिए मैं मांग करूंगा कि उन खालों की मिट्टी तत्काल निकाली जाय ताकि किसान अपनी खेती कर सके।

सदन की कार्यवाही

मुख बन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय हो तो मुख बन्द का प्रयोग मंत्रियों के जवाब तक बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

मंत्रियों के जवाब तक मुख बन्द का समय बढ़ाया गया। माननीय मन्त्री जी। (व्यवधान) अब कोई नहीं। आप बैठिये। छोड़िये। अब आप बहुत लेट आते हैं। आप लेट जगते हैं प्लीज। आई वुडन्ट अलाउ। माननीय मंत्री जी।

श्री छोगाराम बकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : जरूरी प्रश्न है तो आप सोते रहते हैं क्या हाउस में Why do you come at late stage ? मैं कह रहा हूं जवाब के बाद में पूछने दूंगा। माननीय मन्त्री जी।

मांग संख्या 46 सिंचाई पर विचार

श्री शीशराम ओला (सिंचाई मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सिंचाई विभाग की मांग संख्या 46 पर आज सदन में विचार विमर्श हो रहा है। माननीय सदस्यों ने अपने विचारों से विभाग को बहुत लाभ दिया है। 330 के लगभग कट मोशन थे जिसमें 20–25 माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत कर सके।

(7.55 सायं)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

मैं बाकी के जो नहीं बोल सके हैं और जिनके कट मोशन्स थे, उनके पास विभाग

(श्री शीशराम श्रोला)

से जवाब भिजवा दूंगा। राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसी जगह पर स्थित है जहां खास तौर से पानी उसके हिस्से में नहीं है और डेजर्ट हिस्सा अधिक मिला है। राजस्थान में 276 लाख हैक्टेयर जमीन कृषि योग्य है। भारत में 1630 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य है लेकिन सारे राष्ट्र की भूमि का 16 प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है। और पानी केवल एक प्रतिशत मुश्किल से है। यदि हम सारी जमीन की सिंचाई की बात करें तो कम से कम हमको 100 लाख घन फीट पानी की सिंचाई के लिए आवश्यकता होगी। इसलिए सम्भव नहीं है कि हम सारी जमीन को सिंचित कर सकें। पानी की व्यवस्था नहीं है और पानी के लिए माननीय सदस्यों ने बहुत गम्भीर चिन्ता प्रकट की है कि हमारा पानी बह कर बाहर दूसरे प्रांतों में जा रहा है। जमीन में पानी है उसको ऊपर लाया जाय। उस सारी व्यवस्था के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी पानी उपलब्ध है संशाधन आर्थिक दृष्टिकोण से जुटाने के बाद हम उस पानी को इस प्रांत की सिंचाई के लिए सदुपयोग करेंगे। एक प्लान तैयार हो रहा है, कुछ बना है, कुछ और बनेगा और उसका हम इस प्रांत की सिंचाई के लिए उपयोग करेंगे। इसमें कोई कसर नहीं रखी जायेगी। आप जानते हैं सभापति जी, कि राजस्थान में आये साल पड़ने वाले अकाल से जो योजनाएं सरकार ने हाथ में ली वे सभी धन के अभाव में पूरी नहीं हो सकी। चेष्टा यह होगी सरकार की कि जो कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा किया जाय और उसका लाभ राजस्थान की जनता को सिंचाई हेतु मिले। यहां पर बहुत सारे दूसरे भी चार्ज लगाये गये, यहां गम्भीर बातें कही गयी करप्शन से सम्बन्धित और दूसरी–दूसरी। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं शिकायत है और वह सत्य पायी गयी तो उस शिकायत पर अमल होगा और गलती करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। खास तौर से विपक्ष के नेता महोदय ने एक पटवारी के बारे में काफी फरमाया है। मैं समझता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो विदड्रा करता हूं।

श्री शीशराम श्रोला : मुझे तो पटवारी याद है और होंगे तो और बता दूंगा। तो जो भी है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और राजस्थान जब बना था, राजस्थान के गठन के समय में 4 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होती थी। आज साढ़े बाइस लाख के करीब सिंचाई होती है और इस साल हमारा लक्ष्य 13 हजार 500 हैक्टेयर में और सिंचाई का लक्ष्य है। इसे प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर सिंचाई के क्षेत्र में हम प्रगति की ओर अग्रसर हैं। चेष्टा करेंगे कि अधिक सिंचाई की जाय।

यहां पर भरतपुर के बारे में भी काफी चर्चाएं आयीं। माननीय यदुनाथ सिंह जी यहां बोले थे....

श्री यदुनाथसिंह : मैं भरतपुर पर नहीं बोला।

श्री शीशराम श्रोला : बोले थे भरतपुर के बारे में। भरतपुर की जो व्यवस्था

(श्री शीशराम ओला)

पानी की कुओं की है उनको ठीक ढंग से रख-रखाव के लिए, उनको ठीक करने के लिए विभाग ने 193 लाख रुपये की स्वीकृति दी है और जो अस्त-व्यस्त व्यवस्था होगी उसको व्यवस्थित किया जायेगा, ठीक किया जायेगा ताकि भरतपुर की जो व्यवस्था है जल प्रवाह की वह कायम रह सके और किसानों को इसका लाभ मिल सके।

चम्बल के बारे में भी यही स्थिति है। जहां कहीं ऐसी स्थिति होगी कुछ रख रखाव की वजह से या कुछ पैसे की वजह से कहीं दिक्कत है तो उसको हल करने की पूरी-पूरी चेष्टा की जायेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : चार करोड़ रुपये मांगे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। सुनिये।

श्री शीशराम ओला : मुझे बोलना है आप तसल्ली से सुनिये। यहां पर घग्घर फ्लड के बारे में बहुत सारी बातें कही गयी। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा सभापतिजी आपके माध्यम से कि घग्घर फ्लड को पिछली साल उसमें व्यवस्था यह की गयी थी कि कन्ट्रोल किया जाय जो डिप्रेशन्स भरे हैं, उन्हें पूरे खाली करके सिंचित क्षेत्र को वह पानी दिया जाना चाहिये। इस योजना को अधिकारियों ने बहुत युद्ध स्तर पर कार्य करके पूरा किया। खास तौर से ऐसे समय में जबकि पिछली बार 32 हजार क्यूसेक पानी बाढ़ का आया था। मेरे ख्याल से बहुत कम अवसर ऐसे होंगे की घग्घर में इतनी बड़ी बाढ़ का पानी आया हो। इस तादाद में और सब कहते हैं कि कभी नहीं आया। मैं कभी का तो नहीं कह सकता पर बहुत अधिक आया है। ऐसी स्थिति में काम किया गया और समयबद्ध कार्य उन्होंने किया इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

और उस पानी का नतीजा यह हुआ कि गंग कैनाल में 103 सिंचाई हो सकी और भाखड़ा में 93 प्रतिशत हो सकी, जो अपने आप में एक रेकार्ड, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम यह चेष्टा कर रहे हैं कि जो डिप्रेशंस हैं, उनको हम बरसात आने से पहले सुखा दें और उसका पानी सिंचित क्षेत्र को दे दिया जाये, इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सरकार से धन मांगा हुआ है, मैं आशा करता हूं कि इसके लिये पैसा मिलेगा और यह कार्य पूरा होगा। सिद्धमुख नहर के लिये लालचंद डूडी साहब, इन्द्रसिंह जी और दूसरे बहुत सारे माननीय सदस्य बहुत चिंतित हैं। मैं आपके माध्यम से सभापतिजी, यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिद्धमुख नहर का कार्य जल्दी हम शुरु करने की सोच रहे हैं। अभी यह योजना सी.डब्ल्यू.सी. और प्लानिंग कमीशन के पास दिल्ली में है। पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और मुझे उम्मीद है कि इस महीने, जुलाई के अन्त तक इसकी स्वीकृति आ जायेगी। अगस्त के किसी दिन उसका फाउंडेशन स्टोन ले-डाउन कर दिया जायेगा और इससे चूरू जिले की राजगढ़, तारानगर तहसील और गंगानगर की नोहर तथा भादरा तहसील को सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध हो सकेगा। (व्यवधान) आप जरा तसल्ली

(श्री शीशराम ओला)

तो रखें, मैडम। आप तो घर की मालकिन हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह घर की बात कैसे हुई, यह तो बता दो।

श्री शीशराम ओला : साहब, आपको भी कह रहा हूं, आप भी घर के हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मोहन छंगाणी : बजट में प्रावधान है क्या सिद्धमुख नहर का ?

श्री शीशराम ओला : हां, बजट में प्रावधान है 107 करोड़ रुपये का और 47 करोड़ रुपये, 147 करोड़ रुपये का प्राव–धान है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 147 करोड़ का प्रावधान नहीं है।

श्री शीशराम ओला : हमने प्लान भेजा है। हमने स्वीकृति ली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 147 करोड़ नहीं है।

श्री शीशराम ओला : अब तो 50–50 लाख रुपये दे रहे हैं हम।

श्री मोहन छंगाणी : आपने हमें नहीं बताया ?

श्री शीशराम ओला : आपको क्या बताऊं। पूछेंगे, तो बता दूंगा आपको। It is not necessary that everything be known to you.

आप पूछेंगे तो बताऊंगा। अब हमने इस योजना के लिये अब 50–50 लाख रुपये दोनों नहरों–सिद्धमुख और नोहर फीडर के लिए रख दिया है। कार्य शुरू हो जायेगा, योजना की स्वीकृति हो जायेगी।

यहां पर नर्मदा के लिये भी बहुत सारे माननीय सदस्य चिंतित थे। अभी रामलाल जी सोलंकी ने भी फरमाया, नर्मदा से जालौर और बाड़मेर जिले को लगभग ढाई लाख हैक्टेयर में पानी मिलने की योजना है। इस योजना को हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर रहे हैं। उस योजना के पूरी होने पर लगभग 538 करोड़ रुपये व्यय आने की सम्भावना है। अब अभी जब यह स्वीकृति नहीं मिलती है, तो आज कहां से रुपये दे देंगे ? इसके लिये हमने प्रस्ताव किया है, उस पानी में हमारा हिस्सा है और वह हमको पानी मिलेगा। तो उस पानी से सात लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी। जालौर, बाड़मेर और सिरोही भी, यह सब.... (व्यवधान) यह स्टेट का इन्टरनल मामला है, जरूरत हुई तो सिरोही की भी आ जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पानी नर्मदा से ही आयेगा न, बाड़मेर और जालौर में।

श्री शीशराम ओला : हां, आता ही है साहब और कहां से आयेगा। वह सरदार सरोवर कोई बांध बन रहा हैं उससे सारा आएगा और पानी नहीं है तो न आप पैदा कर सकते हैं, न मैं कर सकता हूं।

श्री सभापति : सरदार सरोवर बंधा

(श्री सभापति)

बना हुआ है। काफी जवाब आ गये, उनको भी कहें।

श्री शीशराम ओला : सरदार सरोवर कोई झील है, उससे पानी आयेगा। कुछ बांधों की भी चर्चा आई, लगभग 80 ऐसे बांध हैं।

श्री माणक डाणी : मंत्री महोदय, ब्यावर काबड़ा, मेजा फीडर पर आ जाओ।

श्री शीशराम ओला : इनके कार्य प्रगति पर हैं, पर पूरा नहीं हुआ और धन के अभाव में उनके कार्य धीमी गति पर हैं। उसकी भी हम चेष्टा कर रहे हैं कि उनको तीव्र गति मिले। यहां पर तीन-चार बांधों की बात थी....

एक माननीय सदस्य : पुराना भुगतान और बताना।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शीशराम ओला : एक भालड़ा बांध बूंदी में है। इसकी स्वीकृति के लिये हमने सी.डब्ल्यू.सी. को यह योजना भेजी है और जल्दी ही स्वीकृति मिलेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। उसके बाद इसका कार्य.... (व्यवधान) आप सुनिये, मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा। यह कार्य शुरू इसलिये नहीं हो रहा है कि उसकी स्वीकृति नहीं थी। आप बात सुनिये, भेजी है स्वीकृति के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : फिर स्वीकृति काहे के लिए दी है ?

श्री सभापति : मन्त्री जी, काफी पाईंट कवर हो गये। जनरल में आपने कह दिया मेरे ख्याल से। समाप्त करें।

श्री शीशराम ओला : यहां मान सरोवर बांध के लिये भी जो निम्बाहेड़ा में है, चर्चा आयी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि उसकी स्वीकृति हमने कल दे दी है।

श्री सभापति : कल दे दी है। अब तो जवाब काफी हो गये मेरे ख्याल से।

श्री शीशराम ओला : अभी तो काफी बाकी हैं और सुमित्रा जी तो मुझे जाने नहीं देगी न ? अभी क्या बात है जी ?

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, जवाब नहीं पूरा हुआ। अभी तो ब्यावर की काबड़ा फीडर को स्वीकृति देने की मंत्री जी घोषणा करेंगे।

श्री भूदरमल वर्मा : ब्यावर में है या जयपुर में ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, सुनें कृपया। हां भर ली, कर देंगे।

श्री शीशराम ओला : बता दिया न कर दूंगा। माननीय डाणी जी की भी एक बांध के बारे में भी हम जल्दी कर देंगे। यमुना के पानी के सम्बन्ध में नवरंग सिंह जी, सुमित्रा सिंह जी और दूसरे कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : दूदू के मेरे क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसलिये आप दूदू के लिये भी बोलें। क्योंकि हमेशा

238

(श्री जयकृष्ण तोसावड़ा)

आप उधर से आते और जाते हैं, अजमेर भी जाते हैं तो दूदू होकर। मेहरबानी करके दूदू के लिये कोई योजना बनायें।

श्री शीशराम ओला : मैं सबसे पहले स्पष्ट सुमित्रा जी से कहना चाहूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : निर्वाचन क्षेत्र का नाम लेते हैं, संसदीय परम्परा है सदस्य का नाम नहीं लेते हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नाम लेते।

श्री शीशराम ओला : आप काहे को एजीटेट हो रही हैं, आप बैठिये। मैं आपके मन की बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : आपका नाम लिया है, आपने भी नाम लिया था, इसलिये आपका नाम लिया है।

श्री शीशराम ओला : मैंने कभी नहीं कहा कि मंडावा में राजस्थान कैनाल या इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी आ रहा है। मैंने यह कहा था कि साहवा से तारानगर तक जो इन्दिरा गांधी की एक शाखा पीने के पानी के लिये आयी है, उसके लिये 10 करोड़ रुपये जर्मनी से मांगा है और उम्मीद है कर्जा मिलेगा तो यह एक गांव है ख्याली, उससे ले करके 58 किलोमीटर तक 105 खारे पानी के जो गांव हैं, मंडावा में उन्हें मीठा पानी दिया जायेगा और ख्याली से झुंझुनूं जिले के लिये पानी प्रवेश करेगा। इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है। कभी मैंने यह नहीं कहा कि राजस्थान कैनाल का पानी आ रहा है।

अब यमुना के पानी के लिए राजस्थान सरकार लम्बे समय से प्रयत्नशील है। निसंदेह झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर, चूरू आदि जिलों की एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हरियाणा इससे लगता हुआ है, हरियाणा के प्रत्येक गांव में पानी है और अलवर, भरतपुर, चूरू आदि के गांवों में पानी न होने से वहां पर किसान अपने खेतों में पानी दे रहा है और यहां पर किसान राजस्थान में सूखे क्षेत्र में खड़ा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्री देवीलाल हैं वहां पर।

श्री शीशराम ओला : अब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यू.पी. के चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है और किसाऊ बांध से 0.25 एम.एफ.सी. पानी मिलने की हमको पूरी उम्मीद है और इससे झुंझुनूं, चूरू आदि को डेढ़ लाख बीघे में पानी सिंचाई के लिए मिलेगा, यह एक योजना है। भरतपुर, अलवर को भी पानी यमुना से मिलने के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं और वह भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इससे सारा सिंचित क्षेत्र लगभग तीन लाख हैक्टेयर होगा और उसके आ जाने के बाद इन जिलों को लाभ मिलेगा, यह आपकी बात का उत्तर है सुमित्राजी।

श्री मोहन छंगाणी : शीशराम जी, यह तरजीह बहुत ज्यादा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : सब बिन्दु कवर हो गये मेरे ख्याल से, मैं दूसरा नाम पुकारूं ? आपका जवाब पूरा हो गया तो मैं बुलाकी दास जी को पुकारूं ? (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : कमिटमेंट होने दो गवर्नमेंट का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिकांश मंत्रियों से अच्छे बोल रहे हैं, जो अच्छे बोल रहे हैं उनको आप रोक रहे हो। बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप जयपुर के बारे में भी तो बोलें, चामुण्डा बांध परियो–जना।

श्री शीशराम ओला : हरीश जी पल्लीवाल ने चूली बांध के लिए कहा, उसकी भी स्वीकृति हो रही है। सी.डब्ल्यू.सी. के पास है, जल्दी ही इसकी स्वीकृति आ जायेगी। और भी ऐसे कुछ बांध हैं जिनका निर्माण जरूरी है, सर्वे हो गया है और पोटेन्शियल है, पानी मिलने के अच्छे चांसेज हैं उनको भी हम पिक–अप करेंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मंत्री महोदय, धौलपुर लिफ्ट का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : उनको भी राज्य सरकार अपने हाथ में लेगी....

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मंत्री महोदय, धौलपुर लिफ्ट का क्या हो रहा है ?

श्री शीशराम ओला : सभापतिजी, कुल मिलाकर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विभाग राजस्थान की जनता को समृद्धशाली बनाने के लिए शत-प्रतिशत प्रयत्नशील है और चेष्टा यह है कि अधिक से अधिक भूमि को सिंचित किया जाय। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस विभाग की मांगों को पारित करें। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मंत्री महोदय, धौलपुर का क्या हुआ ? मंत्री महोदय, आपने धौलपुर लिफ्ट का तो कुछ कहा ही नहीं।

श्री डूंगरराम पंवार : आपने सेम का नहीं बताया।

श्री खंगार सिंह चौधरी: मंत्रीजी सपोटरा का भी ध्यान रखना। बांदी और घिरनाई बांध का क्या हुआ, मिट्टी चन्द्रलोक से आयेगी क्या ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी, आपने जयपुर के लिए कुछ भी नहीं बताया।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास कल्ला। (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : वाटर लोगिंग प्रोब्लम का क्या हाल है ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बकोलिया : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : बहस साथ हुई थी, जवाब साथ आयेगा।

श्री छोगाराम बकोलिया : सभापति महोदय, मुझे उपाध्यक्ष महोदय ने अलाऊ कर दिया था कि मंत्रीजी का जवाब आने के बाद प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास कल्ला। बुलाकी दास जी जवाब दे लें, उसके बाद।

श्री छोगाराम बकोलिया : मुझे कल्लाजी से प्रश्न नहीं पूछना। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सभापतिजी, एक-एक का जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : बहस साथ हुई थी जवाब भी साथ आयेगा। आर्डर प्लीज।

श्री हरिकुमार औदिच्य : एक-एक का जवाब आने दीजिए।

एक माननीय सदस्य : जयपुर के बारे में भी बताने दीजिए, जयपुर के बारे में बोला ही नहीं कुछ भी। (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह : छोटी लिफ्टों के बारे में कोई जवाब नहीं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सभापति जी, एक-एक का आ जाने दीजिए, उसमें सुविधा रहेगी। (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह : माननीय मन्त्री जी के जवाब में उसके बारे में कोई किसी प्रकार का उत्तर नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बहादुर सिंह : जीवन धारा योजना के तहत कुओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उत्तर नहीं है।

श्री छोगाराम बकोलिया : सभापति महोदय, मैं सिर्फ प्रश्न ही पूछूंगा।

श्री सभापति : आप बाद में पूछ लीजियेगा। (व्यवधान) बहस साथ हुई थी, जवाब भी साथ आयेगा। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, सुनें। माननीय सदस्य, सुनें।

श्री बहादुर सिंह : माननीय सभापति महोदय, छोटी लिफ्टों के बारे में अभी तक कोई जवाब माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया है।

श्री सभापति : जवाब आयेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, समय का सदुपयोग करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित नहीं करें।

श्री छोगाराम बकोलिया : ×××

श्री हरिकुमार औदिच्य : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहस साथ हुई थी, जवाब भी साथ आयेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री हरिकुमार औदिच्य : ×××

श्री मुक्तिलाल मोदी : ×××

श्री सभापति : दोनों को साथ पूछ लेंगे। बहस साथ हुई थी। अलग-अलग नहीं हुई बहस। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री हरिकुमार औदिच्य : ×××

श्री छोगाराम बकोलिया : ×××

श्री सभापति : आपको मैं प्रश्न के लिए अलाऊ करूंगा। बहस एक साथ हुई थी,

---

×××माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)

जवाब भी एक साथ आयेगा । श्री बुलाकीदास कल्ला ।

श्री छोगाराम बकोलिया : × × ×

श्री सभापति : आप बाद में कर लेना । (व्यवधान) आप बैठें ।

श्री भूदरमल वर्मा : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठें । मुखबन्द की कोई सेंक्टिटी होती है, रात भर थोड़े ही चल सकता है । पूछें ।

श्री छोगाराम बकोलिया : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पूछने के लिए अलाऊ कर दिया ।

श्री माणक डाणी : माननीय सदस्यों की जुबान बन्द करिये आप, आपने कहा आठ बजे मुखबन्द होगा, जबान पर ताला लगवाइये और मांग मंजूर करवाइये ।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं उसके साथ में केन्द्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बीस जून को जब वे सिरोही पधारे थे तो उन्होंने कृपा करके मध्यम सिंचाई परियोजना शुक्ली सेलवाडा के लिए स्वीकृति की, उन्होंने घोषणा की थी ।

एक माननीय सदस्य : किसने ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय गृह मंत्री बूटा सिंहजी ने । आप सुनिये जरा । मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं । उसके साथ में मैं श्री बृज सुन्दर जी शर्मा और मुख्य मंत्रीजी श्री शिव चरण माथुर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 1984 के बजट भाषण के अन्दर पेज नम्बर दस पर शुक्ली सेलवाडा के लिए प्रोविजन रखने के लिए 15 मार्च को बजट भाषण दिया था, उसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन अब जो बूटा सिंहजी ने घोषणा की है उस स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार क्या पहल कर रही है, उसके लिए कितना प्रोविजन कर रही है ? क्योंकि इस घोषणा के अन्दर उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्रीजी के हाथों से, कर-कमलों से कराऊंगा, तो इसके लिए क्या प्रोविजन इस सरकार ने किया है, जरा मुझे बता दिया जाय ।

श्री नवरंग सिंह : सभापति महोदय, + + + इनसे क्या उम्मीद है कि पानी लायेंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच में न बोलें । आर्डर प्लीज । मन्त्रीजी, जवाब दें । (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह : मेरा भी प्रश्न है, हमारा भी इसके साथ-साथ हो जाय ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सभापति महोदय, सारे प्रश्नों को नोट करके एक साथ जवाब दिलवाइये, हमको मिक्स-अप थोड़े ही करने हैं ।

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री बहादुर सिंह : एक प्रश्न मेरा भी है।

श्री सभापति : एक प्रश्न हरिकुमार जी का भी सुन लें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कोटा जिले में ताकली बांध की योजना सन् 1982 से विचाराधीन चल रही है। राजस्थान मध्य प्रदेश का जो वाटर कन्ट्रोल बोर्ड है उसने फैसला किया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री दोनों मिलकर इस योजना का क्लियरेंस दे देवें। उसके बाद तीन मीटिंगें राजस्थान और मध्यप्रदेश के मुख्य मन्त्रियों की हो चुकी है। उस ताकली बांध की योजना का क्या हुआ, इसकी जानकारी दें दें।

श्री सभापति : श्री बहादुर सिंह प्रश्न पूछ लें।

श्री बहादुरसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि छोटी लिफ्ट की योजना के सम्बन्ध में आपने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन लिफ्ट योजनाओं में हम जब कभी भी इंजीनियर लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका कहना है कि कॉआपरेटिव बेसेज पर ये लिफ्ट लगाई जायेगी और कॉआपरेटिव ही साज-सम्भाल करेगा। तो मेरा यह निवेदन है कि इसकी साज सम्भाल विभाग करेगा या कॉ-आपरेटिव बेसिस पर होगी ?

श्री फूलचन्द गुर्जर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि दो-दो साल से मजदूरों का भुगतान बकाया पड़ा है वह कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सिंचाई मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछले वर्षों में एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. पी. के अन्तर्गत बहुत सारी योजनायें स्वीकृत की गयी थी और उन स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से लगाकर 80 प्रतिशत तक काम हमारे जिले में या हमारे इलाके में खास तौर से हो चुका है। अब इन दोनों योजनाओं को सम्मिलित करके जवाहर योजना एक नयी भारत सरकार ने योजना बनायी है। मैंने जब इस सारी बातों की जानकारी की तो यह अधूरी योजनाएं न तो लघु सिंचाई योजनाओं में सम्मिलित है और न जवाहर योजना के अन्तर्गत इन कामों का प्रावधान किया गया है जिससे करोड़ों रुपया जो इन योजनाओं पर राजस्थान का लगा हुआ है वह बेकार चला जायेगा क्योंकि आपने इस साल लघु सिंचाई योजनाओं के मद पर जहां गत साल शायद 10 करोड़ रुपये रखे थे केवल मात्र 13 करोड़ रुपया रखा है। जबकि इन अधूरी योजनाओं के लिए खास तौर से इस बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है और वह योजनायें समाप्त हो गयी हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि उन योजनाओं के विकल्प में आपने क्या योजनाएं तैयार की हैं, एक सवाल तो यह है। दूसरा, सवाल यह है कि राजस्थान में अकाल राहत के अन्तर्गत इसी प्रकार के जो कामकाज अधूरे रह गये और यह कहा गया था कि अकाल राहत के कामों को हम विभाग के बजट से

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बाद में पूरा करायेंगे। उसकी भी कोई योजना तैयार नहीं की गयी उसमें भी करोड़ों रुपया राजस्थान का लगा हुआ है। बरसात में टूटेंगे, खराब होंगे। कई जगह तो मेटीरियल पड़ा हुआ है वह मेटीरियल लोग अन्यत्र ले जाकर के गायब कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : कैचमेण्ट के कर्जों को माफ करने के लिए सरकार ने तथ्यान्वेषण समिति बनायी थी। उसकी एक भी बैठक आप नहीं कर सके। कृपा करके बतावें कि तथ्यान्वेषण कमेटी की बैठक आप कब बुला रहे हैं ? चम्बल सिंचित क्षेत्र का जो सिस्टम बिगड़ गया है उसके लिए चार करोड़ (व्यवधान) तत्कालीन मन्त्री देने वाले थे, यह तय हुआ था।

प्रवास करने वाले थे वह आप प्रवास कब करने वाले हैं। इन दोनों बातों का आप जवाब दे दें।

श्री सभापति : प्रश्न पूछ लें भाषण नहीं।

श्री लालचन्द डूडी : कट मोशन के जवाब लिखित में आ जायेंगे। आप मंत्रीजी का जवाब दिलायें। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह सब आप लोगों ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, अब होने दीजिए क्या बात है ? सदन चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूं। आप लोग आर्डर पसन्द नहीं करते हैं कि सदन ढंग से चले। (व्यवधान)

पुष्पाजी।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : मेरे दो सवाल है। मंत्री महोदय पहला तो मैं यह जानना चाहूंगी कि मेडा बांध कोट सोलंकियान पाली जिले में हैं और गजनई यह तीन बांध जो अधूरे पड़े हैं वह कब तक पूरे हो जायेंगे और उनकी वित्तीय स्वीकृति आप कब तक भिजवा देंगे ? दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगी कि चिरपटिया और गजनई यह जो बांध टूट गये यह किस के कारण से इस तरह का काम हुआ कि जो बांध पूरे के पूरे खत्म हो गये इसकी रेस्पांसिबिलिटी आपने किस पर फिक्स की और इसको दुबारा बनाने के लिए आप कब तक स्वीकृति दे देंगे।

श्री सभापति : श्री इकबाल अहमद। आप तो सुन लीजिए एक साथ जवाब दे देना। (व्यवधान)

श्री इकबाल अहमद : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से मैं यह प्रश्न करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 19 अप्रेल, 1989 को झालावाड़ जिले का दौरा किया था और उनके साथ इन्दिरा कैनाल के मन्त्री थे, परिवहन मंत्री भी साथ थे। मुख्य मंत्री ने यह बात कही थी कि झालावाड़ जिले में बहने वाली कालीसिंध नदी का पानी जयपुर तक पहुंचाया जायेगा। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि कालीसिंध नदी का पानी जयपुर तक कितने समय में पहुंचा देंगे ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1981 की बाढ़ में मोरेल बांध के टूटने से उसकी भराव क्षमता कम हुयी थी। क्या 19 अप्रेल, 1987 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने इस बात की घोषणा की थी कि इस बांध को छह फीट ऊंचा किया जायेगा उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है ? (व्यवधान) 19 अप्रेल, 1987 को तत्कालीन मुख्य मन्त्रीजी ने मोरेल बांध को ऊंचा करने के लिए यह घोषणा की थी कि इसका प्रस्ताव बनाकर सेण्ट्रल वाटर कमीशन को भिजवा दिया जायेगा। मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या इसको बनाकर भिजवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं भिजवाया ?

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, 1987 के बजट सैशन में माननीय माधोसिंह दीवान का एक तारांकित सवाल था जिसमें माननीय पूर्व सिंचाई मंत्रीजी जो कमलाजी थीं, उन्होंने गजनई बांध के लिए सदन में आश्वासन दिया था कि उसकी आउट ले डिजाइन बन रही है और बहुत जल्दी इसको शुरू कर दिया जायेगा और कम से कम 60 लाख के आसपास इसकी लागत–कीमत होगी। उसको दो वर्ष हो गये, दो वर्ष में इस गजनई बांध की आउट–ले डिजाइन पूरी हुयी नहीं हैं न उसके लिए बजट प्रोविजन किये जा रहे हैं न उस बांध को बनाया जा रहा है। जबकि बहुत ही महत्वर्ण बांध है जिससे हजारों बीघा जमीन की सिंचाई होगी वह पानी यों ही बहता जा रहा है। मैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिले के गजनई बांध को कब तक पूरा किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : यह जवाब नहीं टोरे मार रहे हैं।

श्री सभापति : आसन को सहयोग नहीं करना चाहते हैं माननीय सदस्य, एक साथ सवाल पूछ लें फिर जवाब आ जायेगा।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री सभापति : श्री माणक डाणी। मैं एक एक करके नाम पुकार रहा हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : शुरू करो कहानी। (व्यवधान)

श्री ऋषिकेश मीणा : सिंचाई के लिए कितने करोड़ रुपयों की व्यवस्था की जायेगी और सपोटरा के लिए कितने रुपयों की व्यवस्था की जायेगी ? (व्यवधान)

श्री सभापति : कोई कोपरेट नहीं कर रहा है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति महोदय, आप तो जवाब दिलवायें।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, एक प्रश्न है। बीसलपुर बांध की जब योजना बनी थी। (व्यवधान)

हमारी सरकार ने यह तय किया था कि इसका पानी टौंक जिले को, इसका पानी अजमेर जिले को और इसका पानी जयपुर जिले को दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : भाषण नहीं ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : पाइंट ऑफ ऑर्डर ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि इस बीसलपुर योजना को कब तक पूरा किया जायेगा और इन तीनों जिलों को कब तक पानी सप्लाई किया जायेगा ? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मुखबंद का टाइम हो गया है । आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने अपने पहले जवाब में यह कहा कि सभी कटमोशन्स के जवाब मैं भिजवा दूंगा । इसके बाद माननीय सदस्य यदि कोई नीति सम्बन्ध प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं पर सभी प्रश्नों का हाउस में जवाब देना सम्भव नहीं है । (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : पाइंट ऑफ ऑर्डर ।

आपने निर्णय दिया कि 8.30 बजे मुखबंद का समय होगा ।

श्री रघुनाथ परिहार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय जवाब पूरा होने तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री सभापति : यह टाइम फिक्स करिये आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह पहले ही जवाब होने तक बढ़ा हुआ है ।

(8.30 सायं)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने मुखबंद का समय मंत्रियों के जवाब देने तक बढ़ा दिया था । माननीय मंत्रीजी बोलें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (इंदिरा गांधी नहर मंत्री) माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या–46 सिंचाई पर 25 सदस्यों ने... (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : बी. डी. कल्ला साहब नहीं बोलेंगे । सिंचाई मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । कृपया बैठें आप ।

श्री माणक डाणी : शीशरामजी जब जवाब देने के लिए खड़े हो गये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे आप ।

श्री माणक डाणी : शीशरामजी जब जवाब देने के लिए खड़े हो गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन नाऊ आई से ।

माननीय मंत्रीजी । (व्यवधान) आपके कट मोशन का जवाब आ जायेगा । यह प्रक्रिया है । प्लीज सिट डाउन ।

श्री डूंगरराम पंवार : आपके कट मोशन का जवाब आ जायेगा ।

श्री छोगाराम बकोलिया : पाइंट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री उपाध्यक्ष : नो पाइंट ग्राफ ग्रॉर्डर।

श्री छोगाराम बाकोलिया : ग्रापने मुझे बोलने के लिए पुकार लिया था।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापने जब व्यवस्था दे दी है कि मंत्रियों के जवाब होने तक हाउस चलेगा, मुखबंद नहीं होगा तो लेट हिम रिप्लाई फर्स्ट। फिर ग्रापने इतने क्वेश्चन क्यों पूछवाये। ग्रापने जब व्यवस्था दे दी है कि मंत्रियों के जवाब तक चलेगा। So let him reply all the questions, let him reply.

श्री उपाध्यक्ष : मेरे सामने तो ग्राप खड़े थे। I renew. I renew that. You want that Shri Shish Ram Ola should reply ?

माननीय शीशराम ग्रोलाजी।

श्री शीशराम ग्रोला : माननीय उपाध्यक्षजी, जो कट मोशन ग्राये हैं ग्रौर जिनके उत्तर नहीं ग्राये हैं यहां पर उनके सबके उत्तर भिजवा दूंगा। दो बातें मुझे ग्रौर स्पष्ट करनी है। एक तो जो शिकायत ग्रायी थी कि बांध बन गये, नहर बन गयी लेकिन उन काश्तकारों को मुग्रावजा नहीं मिला। तो जो भी ऐसे केसेज हैं उन सबको मुग्रावजा दिया जायेगा। चले गये शोपतसिंहजी लेकिन मिस्टर डूडी ग्रौर वह सब यहां पर बैठे हैं। राजस्थान सरकार ने हरियाणा को 230 लाख रुपये देने थे जो चैनल बन रही है उसके मुकाबले में 114 लाख रुपये का पेमेण्ट किया जा चुका है ग्रौर ग्रब उन्हें बढ़ाकर 277 लाख रुपये कर दिया, 80 लाख रुपये जल्दी हम ग्रौर दे रहे हैं ताकि उस चैनल नहर का काम पूरा हो सके। (व्यवधान) मैंने ग्रापसे निवेदन किया मैं सबके जवाब दूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बकाया भुगतान के बारे में बता दें।

श्री शीशराम ग्रोला : यह 90 लाख रुपये की योजना है जिससे 500 एकड़ भूमि में सिंचाई होगी इसकी जल्दी स्वीकृति दी जायेगी इसकी हम चेष्टा कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ग्रनकमाण्ड को कमाण्ड करने के बारे में क्या विचार है ग्रापका ?

श्री उपाध्यक्ष : I. G. N. P. Minister.

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में ग्रपने सुझाव दिये। मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शीशरामजी, माननीय शीशराम जी इधर देखें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राजादी से पहले राजस्थान में केवल 4 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी....

श्री उपाध्यक्ष : Order, please. House may come to order. Please,

श्री बुलाकीदास कल्ला : लेकिन आज 22.37 लाख हैक्टेयर भूमि में सिचाई राजस्थान में हो रही है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में 5 लाख 25 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता विकसित करना प्रस्तावित था उसके मुकाबले में गत वर्ष 5.52 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की गयी। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि मूल रूप में यह योजना सन् 1958 में शुरू हुई और उसमें 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर इसके बाद 179 किलोमीटर इन्दिरा गांधी कैनाल का फर्स्ट स्टेज और उसके बाद 256 किलो-मीटर सैकण्ड स्टेज इस प्रकार से 649 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण दिस-म्बर, 1986 में पूरा कर दिया गया। अभी वर्तमान में बीरबल शाखा, सागर मल गोपा ब्रांच का काम, कुछ बिरसलपुर और बंटू डिस्ट्रीब्यूटरी का काम प्रगति पर है। मैं चूंकि सदन का मूड़ ऐसा लग रहा है कि ज्यादा समय हो चुका है इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं जा कर जो सदन में बहस हुई है और जो विषय माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उसका केवल उत्तर देना उपयुक्त समझूंगा। यह हमारी पार्टी के लिए भी अच्छा रहेगा कि जो सदन में प्रश्न उठाये गये हैं निश्चित रूप से उनका उत्तर दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) आप जब बोल रहे थे तो बोलने की स्वतन्त्रता आपको भी थी और मैं जब बोल रहा हूं तो मुझे बोलने का पूरा राइट है। (व्यवधान) विपक्ष ने अपनी बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, नदवई से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि घग्घर बांध का जो पानी है उस पानी का लिंक चैनल बना करके उसको इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में डालने के लिए आपने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने साफ कहा कि इस बार घग्घर डिप्रेशन का पानी करणी नहर में मिलाया गया और उससे उस क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिला है। कुछ काम हुआ है और अब आप जानते हैं कि एक वर्ष में तो सारा काम हो नहीं सकता। इसलिए इस काम के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी और हमारा विभाग, सिचाई विभाग बराबर चिंतित है। इसके बारे में आगे और क्या काम होना चाहिए उस काम को हम शीघ्र विचार करके क्रियान्वित करेंगे। जहां तक दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि नहरों की सफाई नहीं होती और लैफ्ट मैन कैनाल है उसके बारे में सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया गया, राइट मैन कैनाल के बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इसी वर्ष 7 लाख रुपये की लागत से एल.एम.सी. की सफाई के लिए बजट प्रावधान किया गया। राइट मैन कैनाल के बारे में जो दो सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेण्ट को प्रस्तुत की है उस पर विचार कर हम उचित निर्णय लेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, पहले मुझे बोलने दें। मैं आपके बीच में नहीं बोला था।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन, दाऊदयाल जी बैठे।

248

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान कैनाल से मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। सारा का सारा सिस्टम बिगड़ गया। चार करोड़ रुपये की मांग की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दाऊदयाल जी प्लीज सिट डाउन। नोट टू बी रिकार्डेड।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य ने यह कहा कि जवाहर रोजगार योजना जो चालू की गई है....

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सदस्य का कहना इतना सा है कि एल.एम.सी तो छोटी सी है और आर.एम.सी. इतनी बड़ी है' उसके लिए आपने प्रोविजन नहीं रखा।

श्री उपाध्यक्ष : कमेटी बैठा दी है। प्लीज हियर। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जवाहर रोजगार योजना के बारे में माननीय सदस्यों ने आवाज उठाई और कहा कि जो राष्ट्रीय रोजगार योजना के अधूरे काम थे उनको कौन पूरा करेगा। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिस जिले को जितनी राशि आवंटित की गई है उसका 20 प्रतिशत हिस्सा वहां पर जो आई. आर. डी. पी., डी. आर. डी ए. प्रोग्राम है उसके अन्तर्गत जो कमेटी बनी हुई है वह कमेटी वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन कामों के बारे में निर्णय लेगी और उन 20 प्रतिशत राशि से एन.आर.ई.पी. के अधूरे कार्यों को और अन्य जिले के विकास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर ले सकेंगे।

जहां तक भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां सदन में विचार रखें, इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में जो सिंचाई की क्षमता है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है केवल चार हजार अथवा साढ़े चार हजार क्यूसेक्स पानी लिया जा रहा है यह गलत है। हमारा जो हिस्सा है उसके अन्तर्गत हम बराबर पानी ले रहे हैं और नौ साढ़े नौ हजार क्यूसैक्स पानी तो अमूमन हम प्रायः लेते रहते हैं। जहां तक सिंचाई क्षमता का सवाल है लूणकरनसर से आने वाले माननीय सदस्य ने और भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सिंचाई क्षमता की बात बताई। आपने 1987–88 तक की तो बात बता दी लेकिन 1988–89 के बारे में आप चुप रह गये। 1988–89 में 5 लाख 52 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी प्रथम चरण में 5 लाख 25 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने की बात प्रस्तावित थी उससे कहीं अधिक हमने लगभग 110 प्रतिशत सिंचाई सघनता प्राप्त कर ली है और वास्तव में सिंचाई हुई है। जहां तक पक्के खालों के बारे में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने, विपक्ष के नेता महोदय ने और कई माननीय सदस्यों ने सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने और इधर के कई माननीय सदस्यों ने सत्तापक्ष के लोगों ने पक्के खालों के बारे अपनी-अपनी बातें कही। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी गंगानगर में कृषि मंत्री भारत सरकार और केन्द्रीय मंत्रियों से, प्रधान मंत्री जी से भी उन्होंने बातचीत की है और उस बारे में बहुत शीघ्र मैं समझता हूं कि फैसला ले लिया जायेगा, उचित फैसला लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : To be announced at the proper time. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले मैं बोल लू उसके बाद आप क्वेश्चन कर लेना। मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें।

श्री डूंगरराम पंवार : वह पक्के खाले अधूरे पड़े हैं, बनाते–बनाते बीच में छोड़ दिया उनका क्या कर रहे हो ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने और विपक्ष के नेता महोदय ने दो तीन बातें यहां पर कही थी, आप कभी खाले बना रहे हो, कभी कुछ कर रहे हैं। एक चक में हम खालें बना ले या ग्लास फाइबर के नाले बना लें अथवा भूमिगत पाइप डालकर के जहां कम से कम 50-50 फुट, 60–60 फुट ऊंचे रेत के टीले हैं, वर्षों से लोग पपहिये की तरह पानी के लिए इन्तजार कर रहे थे और पानी आ गया उस समय लोगों को पानी नहीं मिले। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमनें एक-एक चक में कुछ अभिनव प्रयोग किये हैं ताकि काश्तकार के खेत में पानी पहुंच सके, वहां सिचाई हो।

श्री सम्पत सिंह : पपहिया की तो सोच ली पर इस+++ का क्या होगा राजस्थान का ?

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह जी प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि हम एक एक, दो-दो चकों में यह अभिनव प्रयोग कर रहे हैं यह भी किसानों के हित में उपयोगी होंगे। इस प्रकार के खाले बनाये जायेंगे नहीं तो बन्द कर दिये जायेंगे। हम यू शेप के खाले, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में बनाये गये हैं वह यू शेप के खाले बहुत ज्यादा तादाद में बना रहे हैं लेकिन एक दो चकों में यह प्रयोग करके यदि यह सफल होंगे तो इस प्रकार के खालों की इकॉनोमिक वायबेलिटी और काश्तकार यदि उनको पसन्द करेंगे तो इस प्रकार के खाले भविष्य में बनाये जायेंगे नहीं तो नहीं बनाये जायेंगे। (व्यवधान) भूमिगत नालों का उपयोग 15 चकों में करने का प्रस्ताव है और अभी तो केवल दो चकों में यह प्रयोग किया गया है। मैं स्वयं अभी दौरा करके आया हूं मैंने देखा है। दो चकों में काश्तकारों को कोई विशेष शिकायत नहीं है।

जहां तक कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने नहर की निर्माण कार्यों के बारे में, इन सब चीजों की गुणवत्ता के बारे में कहा, मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन को विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूं कि मैंने सबसे पहले इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का दौरा किया उसमें अपने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को, इंजीनियर्स को इस बात के लिए कहा कि उस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं और तीसरी आंख आपको देख रही है। गुणवत्ता की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को इस बात को समझ लेना चाहिए कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पूरी सीमेंट का, कोयले का, अच्छी ईंट का उपयोग होगा। लाइनिंग का काम अच्छा होगा और गुणवत्ता का

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विशेष ध्यान रखा जायेगा। किसी भी व्यक्ति ने सीमेंट का या अन्य प्रकार की चोरी करने की कोशिश की तो उसको बख्शा नहीं जायेगा, उसको छोड़ा नहीं जायेगा। जहां तक टेल एण्ड तक पर्याप्त पानी पहुंचाने की अथवा नहरों को, लूणकरनसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें सिल्ट आ जाती है यह बात सही है कि प्रोफेसर सी. एल. ने 1959 में राजस्थान का दौरा किया और उन्होंने राजस्थान के 12 जिलों को अरिड जोन और सेमी एरिड जोन में विभक्त किया। जिसमें बीकानेर चूरू, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर और सीकर एवं सिरोही तक का एरिया आता है। इस अरिड जोन और सेमी अरिड जोन में एक्स्ट्रीम ग्रोयलिटी है और वहां पर रेतीली आंधियां चलती है और कई बार नहरों में सिल्ट आ जाती है उसको समय-समय पर प्रोकलेन मशीन के माध्यम से हटाने का काम जून के बाद हम प्रारम्भ करते हैं और समय-समय पर नहरों की सफाई का काम पर्याप्त मात्रा में हम करते आ रहे हैं। प्रोकलेन मशीनें और हम खरीद रहे हैं और मेरा यह मानना है कि जून से आगे का जो समय है उसमें हम प्राथमिकता के आधार पर नहरों की सफाई को लेंगे और जहां-जहां यह सिल्ट आई है उसको हटाने का काम करेंगे। विपक्ष के नेता महोदय ने जो यहां पर कह दिया— घास वगैरह तो जरूर उगाई है लेकिन पीपल के पेड़ मैंने नहर में कहीं नहीं देखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पीपल तो मैंने देखे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक आध जगह हो तो बात अलग है।

श्री कल्याण सिंह कालवी : सारे ही पीपल हो जाये तो फोरेस्ट न हो जाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप जहां-जहां गये हैं मैं आपके पीछे-पीछे वहां जाकर आया हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : बिल्कुल पीपल के पेड़ और सरकंडे के पेड़ हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विपक्ष के नेता महोदय ने स्वयं इस बात को माना है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में जहां टेरिटोरियल आर्मी वृक्षारोपण का काम कर रही है उन्होंने अच्छा काम किया है और इसी तरीके से इस वर्ष हम लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से अफोरेस्टेशन का काम इन्दिरा गांधी नहर में करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम से जो मिट्टी उड़कर के नहरों में आ जाती है वह उड़ना बन्द होगी। इसी तरीके से वायरलेस सैट के बारे में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह योजना भी विभाग के पास विचाराधीन है, चूंकि इस पर काफी लम्बा वित्तीय भार आयेगा....

श्री सम्पत सिंह : आप तो सोफा सैट पर आ जाओ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सोफा सैट का आदि नहीं हूं, मैं बहुत मेहनती आदमी हूं कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई मण्डी नहीं बनाई मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं खाजूवाला में अभी हाल ही में मण्डी बनाई गई है।

श्री देवीसिंह भाटी : कौन सी स्टेज में ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने स्टेज की बात नहीं कही।

श्री देवीसिंह भाटी : सैकण्ड स्टेज की बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष : Now you correct. सैकण्ड स्टेज की बात कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सैकण्ड स्टेज पर अभी हम काम कर रहे हैं। उत्पादन शुरू हो जायेगा, आवक शुरू हो जायेगी तो वहां पर भी मण्डी बन जायेगी।

जहां तक क्रोपिंग पैटर्न के बारे में माननीय सदस्य ने सुझाव दिया यह सुझाव सही है। जहां सिंचित क्षेत्र का विस्तार होता है वहां पर फसल के स्वरूप के बारे में, कौन–कौन सी फसलें उगाई जानी चाहिए इसके बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से बात करके और, उनसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने अभी कुछ अधिकारियों को भेजा भी है। उस सैकण्ड स्टेज में हम अपने काश्त–कारों को जो वर्षों से बारानी खेती करते आ रहे हैं उनको शहरी क्षेत्र के क्रोपिंग पैटर्न को सिखाने के लिए और वहां कौन–कौन सी फसलें ली जा सकती हैं, इस बारे में पर्याप्त ज्ञान हो उसके बारे में कृषि विकास अधिकारियों को अधिक से अधिक भेज कर, कैम्प लगाकर, शिविर लगा कर किसानों को खेती के बारे में पर्याप्त जान–कारी दिलाने का प्रयास करूंगा। जहां तक फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Let it come. Stop it now. The reply will come.

श्री बुलाकीदास कल्ला : लिफ्ट के बारे में बात कही। 1976 में यह बात कही है कि लिफ्ट की स्कीम मंजूर हुई लेकिन मुझे कहते हुये बड़ा अफसोस है कि जनता पार्टी के शासन काल में पांचों लिफ्टों के निर्माण कार्य को रोक दिया गया अब पुनः इस वर्ष हम 26 कि.मी. लिफ्टों का कार्य प्रारम्भ कर रहे हैं। इसी तरीके से....

श्री कल्याणसिंह कालवी : जनता पार्टी ने क्या किया, इसको जाने दो। अब क्या करने जा रहे हैं वह बता दीजिए ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही अभी वर्तमान में मंत्री परिषद् सक्षम है, मुख्य मन्त्री जी सक्षम हैं और सक्षमता के आधार पर ही हमने फिर निर्णय लिया है कि हम इन लिफ्टों को बनायेंगे इसको कोई नहीं रोक सकेगा।

श्री डूंगरराम पंवार : जनता पार्टी के काम के साथ आप तुलना नहीं कर सकते। उनका एक महीने का काम भी पर्याप्त है आपके पांच साल के लिए।

श्री मोहन छंगाणी : आप लिफ्ट को कैसे बनायेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यहां पर राजस्थान के हितों की रक्षा करने की बात कही है जो समझौता किया गया 1955 में आठ मिलियन एकड़ फुट पानी राजस्थान को मिलने की बात थी और जो समझौता किया गया उसमें 8.6 मिलियन एकड़

(252)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

फुट पानी इससे मिलेगा। 0.6 मिलियन एकड़ फुट इससे राजस्थान को समझौते से ज्यादा मिलेगा। इसलिए राजस्थान के हितों की कोई उपेक्षा नहीं की गई है।

श्री मानिक चन्द सुराना : लिफ्टों के लिए प्रावधान कितना किया गया है वह बता दें। कोलायत में 50 लाख और गजनेर में 50 लाख, इससे कोई लिफ्ट बनेगी आप एक करोड़ रुपया क्यों बरबाद कर रहे हैं? लगाना है तो 50 करोड़ रुपये एक साथ लगाओ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, 8-8 कि.मी. लिफ्ट का निर्माण किया जायेगा।

श्री मोहन छंगाणी : 1985 में जो लिफ्ट का प्रोग्राम राजस्थान सरकार ने दिया था उस पर आप स्टिक करते हैं या नहीं? आप की योजना है क्या, यह जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : डोण्ट डिस्टर्ब हिम। मन्त्रीजी को डिस्टर्ब न करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने पैचेज के सर्वे की बात की, यह बात उचित है, मैं इसका सर्वे कराऊंगा। इन्होंने लूणकरनसर के पास 163....

श्री सी.पी. जोशी : कुछ मुद्दे चुनाव के लिए भी छोड़ दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 163 खालों की मरम्मत के बारे में कहा, इसको मैं व्यक्तिगत रूप से दिखाऊंगा और काश्तकारों के हितों की बात करूंगा।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आपकी जगह गोपालजी जोशी थे, हम सभी सदस्यों को रसगुल्ले खिलाया करते थे। आप क्या कर रहे हो?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उस समय अपन हाकी में ओलम्पिक में जीते थे, अब जीतें फिर खिला देंगे।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : हम जीतते हैं आप खिलाते ही नहीं हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने यहां पर कई मुद्दे उठाये और कहा कि हम ने बहुत बड़ा काम किया।

श्री इकबाल अहमद : दीवाने साहब के कमिट्मैण्ट का क्या हुआ। जोधपुर को कब तक पानी दे देंगे आप?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं दो-तीन जानकारी सदन को देना चाहूंगा कि 1977-78 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में इन्होंने केवल 29 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किये। 1978-79 में 29 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किये और 1979-80 में 25 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किये जबकि इस वर्ष 1989-90 में हम 66 करोड़ 13 लाख रुपए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कार्यों के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं।

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय मन्त्री महोदय को यह भी ध्यान होगा कि रुपए की कीमत क्या हो गयी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 55.83 करोड़ रुपए हम सी.ए.डी. वर्क्स के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह इनके तीनों सालों के खर्चे से कहीं ज्यादा है। इसी तरीके से इन्होंने खालों के निर्माण केवल 19927 हैक्टेयर में 1977-78 में किया, 1979-80 में 21050 हैक्टेयर में खालों का निर्माण किया जबकि इस वर्ष 60,000 हैक्टेयर में खालों का निर्माण हम करने जा रहे हैं। जहां तक उपनिवेशन क्षेत्र में जमीन आवंटित करने की बात है 1977-78 में केवल 10929 एकड़ जमीन किसानों को आवंटित की गयी, 1978-79 में.... (व्यवधान) अब आपकी बात आप क्यों सुनोगे, आपकी पोल खुल रही है इसलिए आप नहीं सुनना चाहते।

श्री कल्याण सिंह कालवी : फिजूल की बात नहीं, हम रिजल्ट ओरिएण्टेड वर्क चाहते हैं, उसका बताइये आप। वह बात कहिये जिससे आप रिजल्ट ले सकते हैं।

श्री लालचन्द डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, हां पक्ष जीता। अब करवा दीजिए, मान ली सारी बात।

श्री उपाध्यक्ष : परफारमेंस के लड्डू आयेंगे कल।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 1979-80 में केवल 10574 एकड़ जमीन इन्होंने बांटी जबकि इस वर्ष डेढ़ लाख एकड़ जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव हैं। इस प्रकार यह कहना कि आपने तो बहुत कुछ किया और हमने कुछ नहीं, यह बात सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने काश्तकारों के हितों के लिए ज्यादा काम किये हैं, ज्यादा जमीन आवंटित की है, ज्यादा नहर का निर्माण किया है।

श्री डूंगरराम पंवार : पार्टी की मान बढ़ायी तो छोड़ो, सही विषय पर आओ।

श्री लालचन्द डूडी : आपने ज्यादा + + + किये, हम कब कह रहे हैं कि आपने कम किये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्टाप इट आई से। माननीय के.सी., प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट में खत्म कर रहा हूं फिर क्या बात है।

श्री उपाध्यक्ष : एक बात सुन लीजिए सिर्फ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस वर्ष चार करोड़ रुपए की लागत से वृक्षारोपण, नौ करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण, 40 करोड़ रुपए की लागत से खालों का निर्माण किया जायेगा जिससे साठ हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता पैदा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : जो खाले अधूरे छोड़ दिये, बनते-बनते छोड़ दिये वह पूरे किये जायेंगे या नहीं, यह जवाब दो।

मुखबन्द

मांगों का पारण

श्री उपाध्यक्ष : मुखबन्द का प्रयोग करते हुए मैं सदन के समक्ष मांगें प्रस्तुत कर रहा हूं।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या–46

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-46 सिचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए चार अरब सोलह करोड़ चौंतीस लाख तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–1, विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए दो करोड़ पचास लाख तैंतीस हजार तक की राशि में जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–2, मन्त्रि-परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए एक करोड़ दस लाख सैंतालीस हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–3, सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए ग्यारह करोड़ बानवे लाख साठ हजार तक की राशि, जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–4, प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए सत्ताइस करोड़ अठ्यासी लाख उन–तालीस हजार तक राशि, जिसमें लेखानु–दान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–5, प्रशासनिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए दस करोड़ सत्रह लाख चौवन हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–6, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए सोलह करोड़ इकहत्तर लाख अड़तीस हजार तक की राशि, जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–7, निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए चौदह करोड़ चौबीस लाख इक्कीस हजार तक की राशि, जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–8, राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए चालीस करोड़ उनचास लाख छियालीस हजार तक की राशि, जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–9

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–9, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए बत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख दो हजार तक की राशि, जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–10, विविध सामान्य सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए बारह लाख बत्तीस हजार तक की राशि जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या–11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–11, विविध सामाजिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए तीन करोड़ पच्चीस लाख तक की राशि जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–12, अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए सात करोड़ तेरह लाख चालीस हजार तक की राशि जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–13, आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 14 करोड़ पिच्यासी लाख सड़सठ हजार तक की राशि जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–14, बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए ग्यारह करोड़ छियासठ लाख पिच्यासी हजार तक की राशि जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–15, पेंशन व अन्य सेवानिवृति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए एक अरब उन्तालीस करोड़ छियानवे लाख सैंतालीस हजार तक की राशि, जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–17

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-17, कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए आठ करोड़ बारह लाख अड़तीस हजार तक की राशि जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–18, जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए दो करोड़ तिरेसठ लाख पैंतालीस हजार तक की राशि जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए एक अरब चौंतीस करोड़ उनहत्तर लाख सत्यासी हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए एक अरब पैंतीस करोड़ अस्सी लाख उनतालीस हजार तक की राशि, जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–22, क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए पिचहत्तर करोड़ छियासठ लाख पैंतीस हजार तक की राशि जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए नौ करोड़ तेंतीस लाख आठ हजार तक की राशि जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या–25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25, कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये बारह करोड़ बाइस लाख पिचानवे हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये एक अरब छियानवे करोड़ चौंतीस लाख इक्यानवे हजार तक की राशि जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–28

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये तिहत्तर करोड़ बयालीस लाख चवालीस हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-31, पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये चौंतीस लाख चौरासी हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-32, नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये चार करोड़ दो लाख बानवे हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–34

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-34, प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में

(श्री उपाध्यक्ष)

किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये तेतीस करोड़ पचास लाख चार हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये इकतालीस करोड़ छियानवे लाख अस्सी हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31, मार्च 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये चौतीस करोड़ दस लाख तियालीस हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39, पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये बत्तीस करोड़ तिरेपन लाख चौदह हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये पांच करोड़ इक्यासी लाख नवासी हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44, लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये नौ करोड़ अठारह लाख चौबीस हजार तक की राशि जिसमें

(श्री उपाध्यक्ष)

लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये तीस करोड़ अड़सठ लाख तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये एक करोड़ अठासी लाख साठ हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये नवासी करोड़ एक लाख इक्यावन हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये नौ करोड़ आठ लाख तेरह हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–50, ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये इक्यासी करोड़ उनतीस लाख इक्यासी हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकृत की गयी।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाला विधेयक, राजस्थान विनियोग (सं.3) विधेयक 1989

माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं।

वापस लिया जाने वाला विधेयक, राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शीशरामजी ओला।

श्री शीशराम ओला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक, 1989 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक, 1989 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक, 1989 को वापस लेता हूं।

शासकीय वक्तव्य

ग्राम मसारी जिला अलवर में एक हरिजन की बरात में मारपीट

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि इसमें गृह मंत्री जी का.... (व्यवधान) नहीं इसमें एक अण्डरस्टैंडिंग थी कि पांच दिन में कठूमर के सम्बन्ध में जो कार्यवाही मंत्री जी करेंगे उसकी जानकारी....

श्री सुंदरमल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट आज ही होने का है और आज का ही विश्वास दिया था हमें। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : क्या है स्टेटमेंट में। आज ही दो। कोई खाने की चीज है क्या स्टेटमेंट। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप मानकर चलिए कि इस समय सवा नौ बज गये हैं, मुझे चिन्ता नहीं आप एक बजे तक बैठें। अगर आपकी तैयारी हो देर से बैठने तक की तो बैठें। मैं आपको इतना निवेदन कर दूं कि इस इश्यू को

(262)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद छोड़ा नहीं जायेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं It is very clear. जो प्रोसीडिंग्स हैं इसमें बिल्कुल साफ था और अण्डरस्टैंडिंग थी कि पांच दिन में आई.जी. से इनवेस्टीगेशन करा कर और कार्यवाही करके सदन को सूचित करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसके आगे नियमों में लिखा हुआ है कि मंत्री महोदय के स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन भी होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Adding this would be an information to the House as committed by the Minister.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देख लीजिए, दोनों बैठेंगे और क्वेश्चन आन्सर कर लेंगे। अगर आप अलाउ करें तो हम उसके लिए तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एकाध क्वेश्चन हो तो..Pertinent questions....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एकाध क्वेश्चन क्या इतना बड़ा मैटर है।

श्री उपाध्यक्ष : I will allow. और डिस्कशन की भी अगर मंशा हो तो....

श्री अशोक गहलोत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पहले जो आपने प्रोसीडिंग्स का हवाला दिया उसके अनुसार मैं पहले अपनी बात कह दूं। उसके बाद जो आप तय करेंगे उसके अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहेंगे कि हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर अलग से एक बहस भी हो सकती है। हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो रख लीजिए।

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष जी, दिनांक 9 जुलाई को ग्राम मसारी थाना कठूमर जिला अलवर के जाटव की पुत्री के विवाह के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा इसी 12 जुलाई को एक वक्तव्य दिया गया था जिस पर सदन में विस्तार से चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप महानिरीक्षक पुलिस (सी.आई.डी.), अपराध राजस्थान को सम्पूर्ण प्रकरण में तथ्यों की जानकारी लेने हेतु नियुक्त किया गया। उनकी रिपोर्ट से जानकारी मिलने पर मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं इस सदन को अवगत कराऊं। मैं उन सभी तथ्यों को दोहराना नहीं चाहूंगा जो कि राज्य सरकार के पूर्व वक्तव्य में शामिल थे। इस घटना की आशंका के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन 15 जून, 1989 को जिला कलक्टर व उसी दिन जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को प्राप्त हुआ। इस पर उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित निर्देश प्रदान किये थे। जिन्होंने ग्राम मसारी के दौरे भी किये और सभी पक्षों से शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए बातचीत भी की। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने 8 जुलाई को भी स्थानीय स्तर पर सामंजस्य कर बारात निकासी के लिए रास्ता निर्धारित करवाने का प्रयास

(श्री अशोक गहलोत)

किया जिससे दोनों पक्ष सहमत थे कि सरपंच जो भी रास्ता तय करेंगे हमें मंजूर होगा, (व्यवधान) पूरा पहले सुन लीजिए। परन्तु अचानक शादी के ही दिन दिनांक 9 जुलाई को बातचीत के माध्यम से तय हुए निकासी के मार्ग गतिरोध उत्पन्न हो गया जिससे ग्राम मसारी में तनाव व्याप्त हो गया।

उपाध्यक्ष जी, मैं आगे कहना चाहूंगा कि बारात की सुरक्षा के लिए कटारा से खेलड़ी, कठूमर, मसारी मार्ग निश्चित हुआ था। इसी मार्ग से ट्रैक्टर ट्राली में बाराती जिसमें दूल्हा भी शामिल था सुरक्षित ग्राम मसारी में जनवासे में पहुंच गये थे। ग्राम कटारा से कुछ बाराती बिना पुलिस और प्रशासन को पूर्व सूचना दिये ही ग्राम भरीतल होकर खेतों के रास्ते से पैदल मसारी आ रहे थे। जहां उनके साथ मारपीट की दुखद घटना हुई। यह मार्ग निर्धारित मार्ग नहीं था परन्तु इस घटना की सूचना मिलते ही ग्राम मसारी में उपस्थित अधिकारीगण मौके पर पहुंच गये। इस सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा नम्बर 81–89 के अन्तर्गत धारा 147 की 23,379 आई.पी.सी. पर 4/7 पी.सी.आर. एक्ट थाना कठूमर में 32 मुलजिम नामजद हुए जिनमें से 22 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और कल ही बाकी बचे दस लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राम मसारी में 9 जुलाई को ही शाम साढ़े छह बजे लीला जाटव को मय हथियार गांव वालों द्वारा पेश करने पर दूसरा मुकदमा नम्बर 89/89 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की धारा 307 आई.पी.सी. में दर्ज किया जाकर उसे गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं के साथ-साथ तनाव और अधिक बढ़ा व आसपास के गांव से लगभग 10 हजार से अधिक लोग ग्राम मसारी के चारों तरफ इकट्ठे हो गये थे। मौके पर उपस्थित अधिकारियों के अथक प्रयासों के उपरान्त भी दोनों पक्षों का विवाद नहीं सुलझ सका तथा कानून व्यवस्था एवं शांति भंग होने की सम्भावना बनी रही। जिला कलक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक भी शाम को ग्राम मसारी पहुंच गये थे और उन्होंने भी दोनों पक्षों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत की। इन अधिकारियों ने मौके की परिस्थितियों को देखते हुए यही उचित समझा कि किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी करने से एक बड़ी दुर्घटना अथवा जातीय संघर्ष की स्थिति बन सकती है। यद्यपि पुलिस के 165 जवान व अन्य अधिकारी मौके पर तैनात थे लेकिन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो कि स्थिति को मौके पर देख रहे थे, उन्होंने यही ठीक समझा कि ऐसी स्थिति में बिना सामंजस्य के रात्रि के समय यदि बारात की निकासी पुलिस बल से करवाये जाने का प्रयास किया जाता तो मौके पर गम्भीर झगड़ा होने की सम्भावना है तथा इस झगड़े में दोनों ओर के व्यक्तियों की जानें भी जा सकती हैं। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए तथा कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, मौके पर संबंधित पक्षों की सहमति से जनहित में निर्णय लिया गया कि बारात अगले दिन सुबह ही निकाली जाय। सुबह मौके पर बारात के साथ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले बात पूरी सुन लीजियेगा। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बैठें।

श्री हीरालाल आर्य : इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज नाऊ हियर इट।

श्री अशोक गहलोत : बैण्ड के साथ घोड़ी नहीं थी। 10 जुलाई को सुबह शादी की सभी रस्म पूरी होने के उपरान्त बारात पुलिस संरक्षण में ग्राम कटारा लौट गई। इस प्रकार शादी के दिन मौके पर उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय जाटव समुदाय के लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किया गया और कानून–व्यवस्था बनाये रखी गई। आई.जी. (सी.आई.डी.) (सी.बी.) के मौके पर जाकर आने से जो तथ्य सामने आये हैं इस कारण इन सब हालातों को जो मैं सदन को बता चुका हूं उसके बावजूद भी राज्य सरकार को खेद है कि एक अनुसूचित जाति के नागरिक द्वारा जिला प्रशासन को पूर्व सूचना दिये जाने के उपरान्त भी उसके नागरिक सुधारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में ढील बरती गई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन नाऊ।

श्री हीरालाल आर्य : : इस शर्मनाक घटना पर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय। क्या मतलब है यह। हरिजनों की सुरक्षा नहीं कर सके यह। लज्जाजनक स्थिति में है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : केवल खेद प्रकट करके बचना चाहती है सरकार।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आप मजबूर न करें। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : राज्य सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्णतया ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। हियर इट।

श्री अशोक गहलोत : इसी सन्दर्भ में हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाओं की मासिक समीक्षा जिला स्तर पर की जाती है। पुलिस मुख्यालय में इस हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ है। यह सत्य है कि इस प्रकार के प्रकरणों का....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नाऊ हियर इट। (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : प्रकोष्ठ किस काम के ? कुछ नहीं कर सकते। आपको इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सुन तो लो भाई।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

एक माननीय सदस्य : बीच में आप डिस्टर्ब करते हो। पहले पूरी तरह सुन तो लो प्लीज। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : ज्यादा बोलना आता है आप लोगों को।

श्री उपाध्यक्ष : बैठें आप ।

एक माननीय सदस्य : सुनें तो सही आप...(व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : माननीय विपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि हाथ का इशारा करके अपने माननीय सदस्यों को बिठाने की कृपा करें ।

राज्य सरकार के स्तर पर तीस दिनों के बाद में विशेष प्रकोष्ठ द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की समीक्षा की जाती है। किसी भी हरिजन पर किसी भी द्वारा, किसी भी प्रकार का अत्याचार अत्यन्त निन्दनीय और समस्त मानव समाज के लिए चाहे वह इस सदन में बैठे हुए किसी भी पक्ष के सदस्य हों, चाहे वे बाहर के मानव समाज के सदस्य हों, उनके लिए शर्म की बात है। जिसको राज्य सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, हियर इट, हियर इट ।

श्री अशोक गहलोत : जिससे हम सबको जूझना है तथा इस प्रकार की सामाजिक विकृतियों पर सामूहिक प्रहार करना है। मैं यह भी मानता हूं कि यह जो रिपोर्ट मिली है इसके आधार पर अगर निरोधात्मक कार्यवाही जो की गई वह समय पर की जाती, ऐसे लोगों को जो शांति भंग करना चाहते थे उन्हें पाबन्द किया जाता एवं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अन्तर्गत समय पर कार्यवाही हो जाती एवं 9 जुलाई के एक दो दिन पहले ही पूरा पुलिस बल का प्रबन्ध कर दिया जाता तो शायद ऐसे हालात पैदा होने से रोका जा सकता था। इसलिए भी इस घटना पर राज्य सरकार स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन का कसूर मानती है, लेप्स मानती है। क्योंकि 15 जुलाई (15 जून) को सूचना मिल जाने के बावजूद भी ऐसे हालात ही क्यों पैदा हो गये कि 9 जुलाई के दिन शादी समय पर सम्पन्न नहीं हो सकी। अतः सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का निर्णय किया गया है। इसके अन्तर्गत वहां के कलक्टर और एस.पी. का ट्रान्सफर करने का निर्णय किया गया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री अशोक गहलोत : डी.वाई.एस.पी.

श्री दाऊदयाल जोशी : ट्रान्सफर इज नो पनिशमेन्ट। यह कोई जुर्माना है, सजा है। +++(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री अशोक गहलोत : सम्बन्धित डी.वाई.एस.पी., ए.सी.एम. व एस.एच.ओ. को निलम्बित करने का निर्णय किया गया है और विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार इस सदन को विश्वास दिलाना चाहती है, इस प्रकार की दुखद घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु उचित कदम उठायेगी। ऐसा भविष्य में, जिस प्रकार साम्प्रदायिक घटनाओं के लिए एस.पी. व कलक्टर को

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री अशोक गहलोत)

जिम्मेवार बनाया गया है उसी प्रकार अनुसूचित जाति व जनजाति के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उन पर होने वाले अत्याचारों के लिए जिला कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराने की भी सरकार घोषणा करती है। मैं उम्मीद करता हूं, उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री अशोक गहलोत : मेरी भावना को समझेंगे....

एक माननीय सदस्य : आपको तकलीफ हो रही है।

श्री अशोक गहलोत : और जिस गम्भीरता के साथ में पिछले वक्त में इस सदन में चर्चा की, अपनी चिन्ता प्रकट की मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने उसी भावना को सामने रखते हुए जो कार्यवाही की जा सकती थी, कार्यवाही की। सदन के माननीय सदस्यों को स्वागत करना चाहिए और सरकार को सहयोग करना चाहिए कि आने वाले वक्त के अन्दर कैसे राजस्थान के अन्दर या राजस्थान के विभिन्न भागों के अन्दर हरिजनों के अत्याचारों की खबरें आती हों चाहे वह बारात निकलने की बात हो, चाहे छुआछूत की बात हो, चाहे जिस घटना की बात हो उसमें सदन के हां पक्ष और ना पक्ष के सभी सदस्य मिलकर के इसके लिए आगे नहीं आयेंगे, जब तक जन सम्पर्क व जनता के मानस को नहीं बदला जायगा तब तक मैं समझता हूं कि यह जो रोग घर कर गया है, उस पर चाहे आप कितनी ही सदन में बहस करवा लीजिये, उसका नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निर्णय करना चाहूंगा कि सरकार ने जो निर्णय किया है, जिस भावना से निर्णय किया है उसी भावना से आने वाले वक्त में हम सबको मिल कर काम करना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भूदरमल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आई विल अलाऊ यू।

श्री डूंगरराम पंवार : +++

श्री भूदरमल वर्मा : मुझे भी राइट है इस पर बोलने का। (व्यवधान) सबसे पहले मेरा राइट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : भूदरमल जी बैठें, मैं आपको देता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खेद है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण नहीं दे सकी। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन को दोषी माना है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से जानकारी करना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इसी परिवार के व्यक्ति ने 13 जून को स्वयं आपको एक आवेदन पत्र दिया था? इसी दिन मुख्य मंत्रीजी के घर भी

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिलने गये, मुख्य मन्त्रीजी से भेंट नहीं हो सकी। तो क्या यह मानकर चले कि जैसे जिला कलक्टर, जिला एस. पी. और स्थानीय एस. डी. ओ. वगैरह यह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहे। क्या गृह मन्त्री के पास आवेदन करने के पश्चात भी उन लोगों को सही प्रकार का संरक्षण नहीं मिला।

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन के माननीय विपक्ष के नेता ने जो बात कही है वह बात सही है, कि यह हम लोगों से मिले थे और एप्लीकेशन दी। तत्काल कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन को भेज दी गई। मैं समझता हूं यह आपकी जानकारी में है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक्शन लिया गया है, जिला प्रशासन पर, जिला प्रशासन की जिस मात्रा में लेप्स थी उसी के आधार पर एक्शन किया गया है। मैं समझता हूं कि इसको अगर आप राजनीतिक रूप देने की कोशिश करेंगे तो इस चर्चा का अन्त नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भूंदरमलजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं। इतना बड़ा सीरियस लेप्स इस गवर्नमेन्ट का है, गवर्नमेन्ट ने कभी भी हाऊस में स्वीकार नहीं किया। और आप यह चाहें कि- (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : इसकी आपको ताईद करनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, और इसलिए मैं उस लेप्स के बारे में नहीं, लेकिन भविष्य में इस प्रकार का लेप्स नहीं हो, एक बात। दूसरा इस लेप्स में जो कमियां रही हैं और जिन कमियों पर यदि चर्चा नहीं हुई तो माननीय गृह मन्त्रीजी के कहने से शान्ति हो जायगी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आप इस मामले को छोटा-मोटा मामला नहीं समझें यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इसको इस फेग एण्ड ऑफ दी सेशन पर नहीं लिया जाय। इस पर जैसा माननीय गृह मन्त्रीजी ने कहा कि इस पर चर्चा करना चाहें तो वह तैयार हैं। मैं चाहूंगा, ज्यादा अच्छा होगा कि इस विषय पर चर्चा सुनली जाय, कहां-कहां लेप्सेज होते हैं, इसमें किस-किस प्रकार के लेप्सेज हैं, इन सारे लेप्सेज के ऊपर चर्चा की जाय तो यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अशोक गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, मैंने स्वयं ने यह प्रस्ताव रखा है। हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं को सभी माननीय सदस्य शर्मनाक मानते हैं। इस पर अगर आप समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मुकर्रर करेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा अवश्य हो।

श्री भूंदरमल वर्मा : माननीय उपाध्यक्षजी, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में ऐसी परम्परा नहीं डालें कि जिस पर आज आपकी रूलिंग के बाद स्टेटमेन्ट

(श्री सी. पी. जोशी)

आ जाय। मतलब ऑपरेटिव पार्ट आगे रखिये उनका। स्टेटमेन्ट नहीं है, एक्शन का पार्ट आ गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने कहा है, इसकी अलग डिबेट करा दी जाय। बाकी आज यदि गलत परम्परा डाल दी हमने, इसको स्टेटमेन्ट के रूप में ले लिया तो सदन में यह परम्परा ठीक नहीं होगी।

श्री अशोक गहलोत : हरिजनों पर अत्याचार को लेकर, अलग विषय को लेकर चर्चा हो जाय–

श्री सी. पी. जोशी : अलग की बहस का निर्णय कर लें। अलग डिबेट कर लें आप, उसमें डिस्कस कर लें। परन्तु आज के ऊपर डिबेट शुरू करवायेंगे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गलत परम्परा हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो चर्चा होगी उसमें यह मामला नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आइसोलेटेड इन्सीडेंस को डिस्कस नहीं किया जायेगा। But generally other incidents plus this incident will be discussed.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक सवाल और पूछना चाहूंगा गृह मंत्रीजी और बता दें।....(व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार दफा उठ चुका हूं मेरी बात सुन लीजिये।....

श्री उपाध्यक्ष : आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री भूदरमल वर्मा : धन्यवाद नहीं, मेरी बात सुन लीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : फिर कर देना, एक बार बैठ जाओ।

श्री भूदरमल वर्मा : जिस दिन यह मामला आया था उस दिन हमने सरकार से निवेदन किया था.... (व्यवधान) आपसे ज्यादा वेदना हमको है। आप लोग इसकी गम्भीरता को खत्म करना चाहते हैं और जिस गम्भीरता से राज्य सरकार ने लिया है उसके लिये हमारा बोलने का हक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अभी दूल्हा और दुल्हन से मिले हैं। क्या उन्होंने आपको यह कहा है कि हमारे फेरे नहीं हुए ? पुलिस की एक लकड़ी खड़ी करके उसके चारों तरफ घुमा दिया गया, क्या आपके सामने उन्होंने कहा कि न पण्डित था न अग्नि थी और न किसी प्रकार के फेरे हुए हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Why do you not want to finish it ? मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं होती तो लेप्सेज कहां होती हैं लेप्सेज के बारे में इसी लिये कहा है....

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, वहां स्वयं भी बैठे हुए थे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भूदर मलजी, अब आप क्या पूछना चाहते है।

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं जैसा

(श्री भूदरमल वर्मा)

मामला था और उसकी गम्भीरता थी उसी बात को गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने जो एक्शन लिया उसके लिये हम सारे राजस्थान के हरिजन राज्य सरकार को, माननीय गृह मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : तो स्टेटमेंट।

श्री भूदरमल वर्मा : इसके साथ मेरा यह निवेदन है अभी यह तय हुआ कि इस विषय पर चर्चा की जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन में यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से चर्चाओं से यह कलंक धुलने वाला नहीं है। यह कलंक भारत के हर नागरिक के ऊपर है कि हम हरिजनों को 40 साल के बाद एक मानव अधिकार जो हमको मिलना चाहिये....

श्री हीरालाल आर्य : फिर काहे का धन्यवाद दे रहे हो....

श्री भूदरमल वर्मा : मेरी बात सुन लीजिये, यह तब ठीक नहीं हो सकता जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, हमको हिन्दू भी मानने को तैयार नहीं हैं।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल मंगलवार, 18 जुलाई, 1989 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9-35 बजे, दिनांक 18 जुलाई, 1989 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 357 की सूची

कार्यालय नगर पालिका, छीपाबडौद (कोटा)
बकाया वेतन स्टेटमेंट

(ऑफिस स्टाफ माह मई 89 से जून 89)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	मई 89	जून 89	कुल योग जो बकाया है।
1.	श्री जगदीश चन्द शर्मा	अधिशाषी अधिकारी	—	2325–00	2325–00
2.	श्री अशफाक अहमद	व.लिपिक		1754–00	1754900
3.	श्री लक्ष्मीचन्द अजमेरा	ए.आर.आई.	—	1784–00	1784–00
4.	श्री बृजराज किशोर त्रिवेदी	क.लिपिक	—	1664–00	1664–00
5.	श्री रामप्रसाद गूर्जर	क.लिपिक	—	1724–00	1724–00
6.	श्री नन्दलाल सुमन	क.लिपिक	1300–00	1300–00	2600–00
7.	श्री यशवन्त कुमार कुशवाह	क.लिपिक	1382–00	1382–00	2764–00
8.	श्री रशीद अहमद	वायर मैन	—	1254–00	1254–00
9.	श्री द्वारका लाल कुशवाह	चपरासी	—	379–00	379–00
10.	श्री जलील अहमद	चपरासी	—	1089–00	1089–00
11.	श्री लक्ष्मीचन्द सुमन	चपरासी	—	1059–00	1059–00
12.	श्री हाशम अली	चौकीदार	—	1002–00	1002–00
	योग		2682–00	16716–00	19398–00

नोटः— नगर पालिका छीपाबड़ौद में मई 89 से पूर्व का किसी प्रकार का वेतन बकाया नहीं हैं।

ह./–
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका छीपाबड़ौद
जिला–कोटा

(271)

कार्यालय नगर पालिका छीपाबड़ौद (कोटा)
(बकाया वेतन स्टेटमेन्ट कर वसूली माह मई 89 व जून 89)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	मई 89	जून 89	योग
1.	श्री सीताराम नागर	नाकेदार	1664.00	1664.00	3328.00
2.	,, कुलदीप कुमार	,,	—	1321.00	1321.00
3.	श्रीमती उर्रहमान	,,	—	1340.00	1340.00
4.	श्री अब्दुल गनी	सब नाकेदार	—	1279.00	1279.00
5.	,, कमलेशकुमार	,,	—	1220.00	1220.00
6.	,, महताब खान	,,	—	1183.00	1183.00
7.	,, सीताराम चौहान	,,	—	1183.00	1183.00
8.	,, माधोलाल	,,	1156.00	1156.00	2312.00
9.	,, रामचरण	,,	—	1156.00	1156.00
10.	,, इशाक मोहम्मद	,,	—	2156.00	1156.00
11.	,, गोपाल लाल	,,	1142.00	1142.00	2284.00
12.	,, अनवर अहमद	,,	—	1183.00	1183.00
13.	,, स्वरूप सिंह	नाकागार्ड	—	1059.00	1059.00
14.	,, अलादीन	,,	—	1059.00	1059.00
15.	,, नेमीचन्द	,,	—	1059.00	1059.00
16.	,, चांद मोहम्मद	,,	—	1059.00	1059.00
17.	,, यूसुफ अहमद	,,	—	1059.00	1059.00
	योग		3962.00	20278.00	24240.00

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, छीपाबड़ौद
जिला कोटा

(272)

कार्यालय नगर पालिका छीपाबड़ौद (कोटा)

(बकाया वेतन स्टेटमेन्ट सफाई कर्मचारी माह मई 89 जून 89)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	मई 89	जून 89	योग
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गिरधारीलाल	जमादार	—	1106.00	1106.00
2.	,, बाबूलाल/मोतीलाल	,,	—	1106.00	1106.00
3.	,, बाबूलाल/मथुरालाल	स.कर्म.	—	1106.00	1106.00
4.	,, अब्दुल हकीम	,,	—	1106.00	1106.00
5.	,, शफी मोहम्मद	,,	—	1106.00	1106.00
6.	,, हफीज अहमद	,,	—	1106.00	1106.00
7.	,, रमेशचन्द/तूफान	,,	1106.00	1106.00	2212.00
8.	,, लट्टूरलाल/मदनलाल	,,	1106.00	1106.00	2212.00
9.	,, श्यामलाल/गोरधन	,,	1106.00	1106.00	2212.06
10.	,, रमेशचन्द्र/बसन्तीलाल	,,	—	1106.00	1106.00
11.	,, रामस्वरूप/मदनलाल	,,	—	1106.00	1106.00
12.	,, बृजमोहन/हीरालाल	,,	1106.00	1106.00	2212.00
13.	,, चन्द्रसेन/किशनलाल	,,	—	1106.00	1106.00
14.	,, रामप्रसाद/ग्यारसी	,,	1106.00	1106.00	2212.00
15.	,, किशनलाल/मथुरालाल	,,	1106.00	1106.00	2212.00
16.	,, चौथमल/भैंरूलाल	,,	—	1106.00	1106.00
17.	,, भंवरलाल/बजीरलाल	,,	1106.00	1106.00	2212.00
18.	,, बाबूलाल/सुल्तान	,,	—	1106.00	1106.00
19.	श्रीमती प्रेमबाई	,,	—	1106.00	1106.00
20.	,, चम्पाबाई	,,	—	1106.00	1106.00
21.	,, भूलीबाई	,,	—	1106.00	1106.00
22.	,, भगवतीबाई	,,	—	1106.00	1106.00
23.	,, भरोसीबाई	,,	—	1106.00	1106.00
24.	,, चिरौंजीबाई	,,	—	1106.00	1106.00

1	2	3	4	5	6
25.	श्रीमती लौंगाबाई	क.कर्म.	—	1106.00	1106.00
26.	,, कमलाबाई	,,	—	1106.00	1106.00
27.	,, शान्तिबाई	,,	—	1106.00	1106.00
28.	,, चमेली बाई	,,	1106.00	1106.00	2212.00
29.	,, बसन्ती बाई	,,	1106.00	1106.00	2212.00
30.	,, गीताबाई	,,	—	1106.06	1106.00
31.	,, कन्याबाई	,,	1106.00	1106.00	2212.00
32.	,, जवाहरबाई	,,	1106.00	1106.00	2212.00
33.	,, रामकन्या बाई	,,	1106.00	1106.00	2212.00
34.	,, मांगीबाई	,,	1106.00	1106.00	1212.00
35.	,, सजनबाई	,,	1106.00	1106.00	2212.00
36.	श्री छोटूलाल	,,	—	1106.00	1106.00
37.	,, रामदयाल	,,	1106.00	1106.00	2212.00
	योग		16590.00	40922.00	57512.00

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, छीपाबड़ौद
जिला कोटा

कार्यालय नगर पालिका, छीपाबड़ौद (कोटा)

(बकाया पी.एफ. स्टेटमेंट जून 81 से मार्च 89 तक) (ऑफिस कर्मचारी)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	कुल राशि	जमा राशि	शेष राशि (जो बकाया हैं)
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगदीश चन्द शर्मा	अ.अ.	10645–00	—	10645–00
2.	श्री अशफाक अहमद	यू.डी.सी.	13252–77	5812–66	7440–11

1	2	3	4	5	6
3.	श्री लक्ष्मीचन्द अजमेरा	ए.आर.आई.	13392–16	5840–71	7551–45
4.	,, बृजराज किशोर	क.लिपिक	7960–94	2465–82	5495–12
5.	,, रामप्रसाद गुर्जर	क.लिपिक	11666–08	5377–00	6289–08
6.	,, नन्दलाल सुमन	क.लिपिक	6010–00	2908–00	3102–00
7.	,, यशवन्त कुमार	क.लि.	7074–40	2976–00	4098–40
8.	,, रशीद अहमद	वायरमैन	3012–00	816–00	2196–00
9.	,, द्वारका लाल	चपरासी	2808–36	1108–00	1700–36
10.	,, जलील अहमद	चपरासी	8323–00	2776–00	5547–00
11.	,, लक्ष्मीचन्द सुमन	चपरासी	6244–52	1104–00	5140–52
12.	,, हाशम अली	चौकीदार	1298–00	—	1298–00
13.	,, हरिशंकर शर्मा	व.लिपिक	3380–44	741–00	2639–44
		योग	95067–67	31925–19	63142–48

ह./–
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, छीपाबड़ौद
जिला कोटा

कार्यालय नगर पालिका छीपाबड़ौद (कोटा) राजस्थान

—बकाया पी.एफ. स्टेटमेंट कर वसूली कर्मचारी जून 1981 से मार्च 89 तक

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	कुल राशि	जमा राशि	शेष राशि जो जमा की जानी बकाया है
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सीताराम नागर	नाकेदार	13478.70	2808.50	10680.10
2.	,, कुलदीप कुमार	,,	11014.58	2703.00	8311.58
3.	श्रीमती उर्रहमान	,,	6993.20	1389.00	5605.20

1	2	3	4	5	6
4.	श्री अब्दुल गनी	सब नाकेदार	9726.14	1829.50	7896.64
5.	,, कमलेश कुमार	,,	7587.72	3230.22	4357.50
6.	,, महताल लाल	,,	10268.72	2093.50	8175.22
7.	,, सीताराम चौहान	,,	9976.72	1788.50	8188.22
8.	,, माधोलाल	,,	10020.22	1624.50	8395.72
9.	,, रामचरण	,,	10033.98	1978.50	8055.48
10.	,, इशाक मोहम्मद	,,	10093.18	1801.50	8291.68
11.	,, गोपाल लाल	,,	7223.56	1478.56	5745.00
12.	,, अनवर अहमद	,,	5486.50	1233.00	4253.50
13.	,, स्वरूप सिंह	नाकागार्ड	8866.36	1396.00	7470.36
14.	,, अल्लादीन	,,	8599.16	1342.00	7257.16
15.	,, नेमीचन्द	,,	8646.00	1418.00	7228.00
16.	,, चांद मोहम्मद	,,	8754.50	1618.00	7136.50
17.	,, युसुफ अहमद	,,	8528.00	1946.00	6582.00
	योग		155307.24	31678.28	123628.96

ह./-
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका छीपाबड़ौद
जिला कोटा

कार्यालय नगर पालिका छीपाबड़ौद (कोटा)
(पी.एफ. स्टेटमेंट सफाई कर्मचारी माह जून 81 से मार्च 89 तक)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	कुल राशि	जमा राशि	शेष राशि जो जमा करानी है
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गिरधारीलाल	जमादार	9013.70	1171.30	7842.00

1	2	3	4	5	6
2.	श्री बाबूलाल/मोतीलाल	जमादार	8303.00	1348.00	6955.00
3.	,, बाबूलाल/मथुरालाल	,,	8541.07	956.07	7585.10
4.	,, अब्दुल हकीम	भिश्ती	6688.00	1023.00	5665.00
5.	,, शफी मोहम्मद	,,	8235.07	908.07	7327.10
6.	,, हफीज अहमद	,,	4909.07	812.07	4097.00
7.	,, रमेशचन्द/तूफान	स.कर्म.	8513.86	1288.74	7225.12
8.	,, लट्टूरलाल/मदन	,,	8265.93	812.07	7453.86
9.	,, श्याम लाल/गोरधन	,,	8201.93	785.11	7416.82
10.	,, रमेशचन्द/बसन्तीलाल	,,	8369.17	810.07	7559.10
11.	,, रामस्वरुप/मदनलाल	,,	8317.57	812.07	7505.50
12	,, बृजमोहन/हीरालाल	,,	8283·73	812.07	7471.66
13.	,, चन्द्रसेन/किशनलाल	,,	7824.38	897.07	6927.31
14.	,, रामप्रसाद/ग्यारसी	,,	8302.07	812.07	7490.00
15.	,, किशनलाल/मथुरालाल	,,	6284.07	812.07	5472.00
16.	,, चौथमल/भेरुलाल	,,	3802.00	—	3802.00
17.	,, भंवरलाल/बजीरलाल	,,	3728.00	—	3728.00
18.	,, बाबूलाल/सुल्तान	,,	8177·28	799.27	7378.01
19.	श्रीमति प्रेमबाई	,,	8361.87	898.77	7463.10
20.	,, चम्पाबाई	,,	8385.17	812.07	7573.10
21.	,, भूली बाई	,,	8235.80	780.27	7455.53
22.	,, भगवती बाई	,,	8197.00	812.07	7384.93
23.	,, भरोसीबाई	,,	8315.87	810.07	7505.80
24.	,, चिरोजी बाई	,,	8358.02	956.07	7401.95
25.	,, लोंगाबाई	,,	8371.83	809.27	7562.56
26.	,, कमलाबाई	,,	8350.97	781.07	7569.90
27.	,, शांति बाई	,,	8300.14	954.13	7346.01
28.	,, चमेली बाई	,,	8250.37	810.07	7440.30

1	2	3	4	5	6
29.	श्रीमती बसन्तीबाई	स. कर्म.	7688.58	782.13	6906.45
30.	,, गीताबाई	,,	5887.07	942.07	4936.00
31.	,, कन्याबाई	,,	1740.00	254.00	1486.00
32.	,, जवाहर बाई	,,	1740.00	—	1740.00
33.	,, रामकन्या बाई	,,	1740.00	—	1740.00
34.	,, मांगी बाई	,,	1740.00	—	1740.00
35.	,, सजना बाई	,,	1740.00	—	1740.00
36.	श्री छोटूलाल	,,	4635.00	1309.00	3326.00
37.	,, रामदयाल	,,	348.00	—	348.00
38.	श्रीमति राजबाई	,,	2239.80	—	2239.80
39.	,, दांखाबाई	,,	7172.90	774.07	6398.83
40.	,, कन्चन बाई	,,	1110.07	—	1110.07
	योग		2,54659.56	27344.25	2,27315.31

ह./–

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका छीपाबड़ौद
जिला कोटा

(2209)

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 358 की सूची

सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में वर्षवार निर्मित गोदामों की विवरणिका

(क्षमता मैट्रिक टन में)

क्र.सं.	योजना	वर्ष	स्वीकृत गोदाम		निर्मित गोदाम		निर्माणाधीन गोदाम	
			संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य योजना							
		1971–72	682	84550	682	84550	—	—
		72–73	220	23050	208	21850	12	1200
		74–75	69	7600	65	7200	4	400
		75–76	149	15950	123	13050	26	2900
		76–77	72	7800	68	7400	4	400
		77–78	68	8450	59	7550	9	900
		78–79	163	17050	149	15650	14	1400
	योग :		1423	164450	1354	157250	69	7200
2.	ई. ई. सी. स्टोरेज प्रोजेक्ट							
		79–80	794	71000	974	71000	—	—
		80–81	875	80400	875	80400	—	—
		81–82	417	34750	416	34650	1	100
		82–83	435	40100	433	39950	2	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83–84	154	13150	154	13150	—	—
		84–85	54	7800	54	7800	—	—
		योग :	2729	247200	2726	246950	3	250
3. जनजाति क्षेत्र उपयोजना								
		76–77	21	2250	21	1250	—	—
		77–78	22	1100	22	1100	—	—
		78–79	8	1200	8	1200	—	—
		80–81	6	300	6	300	—	—
		81–82	10	500	10	500	—	—
		84–85	36	1800	36	1800	—	—
		85–86	2	500	2	500	—	—
		86–87	1	50	1	50	—	—
		87–88	2	650	—	—	2	650
		88–89	15	750	—	—	15	750
		योग :	123	9100	106	7700	17	1400
4. विश्व बैंक/एनसी डीसी-111/ स्टोरेज प्रोजेक्ट								
		85–86	78	12200	73	11750	5	450
		86–87	88	14900	84	14400	4	500
		87–88	132	21650	99	13350	33	8300
		88–89	204	27500	115	14950	89	12550
		योग :	502	76250	371	54450	131	21800
		कुल योग :	4777	497000	4557	466350	220	30650

(280)

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

दूध के भावों में वृद्धि

359. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या दुग्ध विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में विगत 10 वर्ष में दूध के भावों में डेयरी प्रशासन ने कब-कब वृद्धि की ? क्या वृद्धि के समय पशुपालकों से दूध की खरीद दर में भी कोई समानुपातिक वृद्धि की गई ? समय-समय पर वृद्धि व खरीद दर में वृद्धि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डेयरी प्रशासन द्वारा पशुपालकों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा राज्य में विगत दस वर्षों में दूध के क्रय एवं विक्रय मूल्यों में की गयी वृद्धि का विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' पर संलग्न है।

(2) डेयरी प्रशासन द्वारा पशुपालकों को जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से पशु नस्ल सुधार हेतु पशुओं के कृत्रिम गर्भादान, पशु चिकित्सा, संकर पशुपालन हेतु विशिष्ठ पशुपालन योजना, संतुलित पशु आहार, उन्नत चारा बीज की सुविधाओं के अलावा, प्रशिक्षण तथा प्रसार कार्यक्रमों के माध्यमों से नवीनतम तकनीकी का ज्ञान का लाभ पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही डेयरी विकास कार्यक्रम का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उन्हें 'आनन्द' एवं अन्य डेयरी परियोजनों का मौके पर ले जाकर अवलोकन भी कराया जाता है।

परिशिष्ट "क"

विगत 10 वर्षों में डेयरी फैडरेशन द्वारा पशुपालकों से क्रय किये जाने वाले दूध की कीमत में बढ़ोतरी का विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) दूध के क्रय मूल्यों की बढ़ोतरी का विवरण :—

तिथि	दूध की किस्म	दूध के भाव (प्रति लीटर) (रुपयों में)
1	2	3
1·4-79 से 30-6-79	गाय का दूध	1,16 से बढ़ाकर 1.20

1	2	3
1-9-80 से 26-12-80	गाय का दूध	1.20 से बढ़ाकर 1.40
27-12-80 से 5-2-81	,,	1.40 से बढ़ाकर 1.45
,,	मिक्सड दूध	1.20 से बढ़ाकर 1.80
5-2-81 से 7-6-81	गाय का दूध	1.45 से बढ़ाकर 1.55
,,	मिक्सड दूध	1.80 से बढ़ाकर 2.05
27-6-81 से 31-7-81	,,	2.05 से बढ़ाकर 2.40
	गाय का दूध	1.55 से बढ़ाकर 1.75
नवम्बर, 81 से जनवरी, 82	गाय का दूध	1.75 से बढ़ाकर 1.95
	मिक्सड दूध	2.20 से बढ़ाकर 2.34
16-1-82 से 15-3-82	मिक्सड दूध	2.34 से बढ़ाकर 2.40
16-3-82 से 19-9-82	गाय का दूध	1.95 से बढ़ाकर 2.05
	मिक्सड दूध	2.40 से बढ़ाकर 2.60
16-2-83 से 31-3-83	मिक्सड दूध	2.45 से बढ़ाकर 2.58
,,	गाय का दूध	2.05 से बढ़ाकर 2.10
1-4-83 से 15-9-83	मिक्सड दूध	2.58 से बढ़ाकर 2.70
19-12-83 से 15-2-84	मिक्सड दूध	2.70 से बढ़ाकर 2.80
16-2-84 से 15-3-84	गाय का दूध	2.10 से बढ़ाकर 2.17
16-3-84 से 21-6-84	गाय का दूध	2.17 से बढ़ाकर 2.25
	मिक्सड दूध	2.80 से बढ़ाकर 2.90
22-6-84 से 14-4-85	गाय का दूध	2.25 से बढ़ाकर 2.40
—	मिक्सड दूध	2.90 से बढ़ाकर 3.10
15-4-85 से 7-11-85	गाय का दूध	2.40 से बढ़ाकर 2.70
—	मिक्सड दूध	3.10 से बढ़ाकर 320
16-2-86 से 30-4-86	मिक्सड दूध	3.10 से बढ़ाकर 3.30
1-5-86 से 18-8-87	गाय का दूध	2.60 से बढ़ाकर 2.70
	मिक्सड दूध	3.20 से बढ़ाकर 3.30
19-8-87 से 10-9-87	गाय का दूध	2.70 से बढ़ाकर 3.10

1	2	3
	मिक्सड दूध	3.30 से बढ़ाकर 3.80
11-9-87 से 25-10-87	गाय का दूध	3.10 से बढ़ाकर 3.20
	मिक्सड दूध	3.80 से बढ़ाकर 3.90
6-5-88 से लगातार	गाय का दूध	3.20 से बढ़ाकर 3.50
	मिक्सड दूध	3.90 से बढ़ाकर 4.20

परिशिष्ट "ख"

पिछले 10 वर्षों में डेयरी फैडरेशन द्वारा दूध के विक्रय मूल्यों में की गई बढ़ोतरी का विवरण

भाव लागू होने की तिथि	टोण्ड दूध प्रति लीटर (रुपये में)		क्रीमयुक्त दूध प्रति लीटर (रुपये में)	गाय का दूध प्रति लीटर (रुपये में)
	पौली पैक की थैली में	स्वचालित संयंत्र		
1	2	3	4	5
जुलाई, 1979	1.90 बोतल में	—	—	—
4-12-80	2.40	—	—	—
14-4-81	2.60	—	—	—
5-11-81	2.80	2.60	—	—
23-5-83	3.00	2.80	3.60	—
1-6-84	3.20	3.00	3.80	—
13-2-85	3.20	3.00	4.00	—
27-4-86	3.60	3.20	4.50	—
फरवरी, 1987	—	—	—	3.80
19-8-87	4.00	3.60	5.00	4.20
6-5-88	4.50	4.00	5.50	4.70

1		2	3	
1-3-89	5.00 एवम् 5.20 (जयपुर, कोटा एवं उदयपुर के लिये।)	4.80	6.00 एवम् 6.20 (जयपुर, कोटा एवं उदयपुर के लिये।)	5.20

बिजोलिया क्षेत्र में सैंडस्टोन का खनन

360. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मांडलगढ़ तहसील के बिजोलिया क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 तक कितने व्यक्तियों और किन-किन सहकारी समितियों को सैंडस्टोन के खनिज पट्टे जारी किये ? व्यक्तियों के नाम, समितियों के नाम, सदस्यों की सूची मय प्लाट संख्या और, प्लाट का नाप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार को जनता द्वारा प्रश्न संख्या (1) के आवण्टन के विरुद्ध शिकायतें मिली ? यदि हां, तो कब और उन पर क्या-क्या निर्णय हुआ और ऐसे निर्णय की अनुपालना की स्थिति क्या है ? क्या संख्या (1) में वर्णित खनन पट्टों के एग्रीमेन्ट भी हुये हैं ? यदि हां, तो कब-कब किन-किन के साथ ? विवरण व संविदा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसी सहकारी समिति ने राज्य सरकार द्वारा संभावित आवण्टन निरस्तीकरण के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया ? यदि हां, तो याचिका और स्थगन आदेश के दिनांक और स्थगन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसे स्थगन आदेश से राज्य सरकार की सम्भावित निरस्ती पर रोक थी अथवा याचनाकर्ताओं को खनन करने की अनुमति थी ?

(5) क्या प्रथम याचिका के बाद किन्हीं अन्य लोगों ने और याचिका प्रस्तुत की ? क्या दूसरी याचिका में भी कोई स्थगन आदेश हुआ ? यदि हां, तो किस दिनांक को और उस दिनांक तक ऐसे याचनाकर्ताओं के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) बिजोलिया खण्ड की मांडलगढ़ तहसील में जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 की अवधि में खनिज सैंडस्टोन का कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है। इस खण्ड में सैंडस्टोन के केवल क्वारी लाइसेंस जारी किए जाते हैं। जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 की अवधि में एक सहकारी

284

(खनिज राज्य मन्त्री)

समिति मकरेडी अनुसूचित जाति श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. के जिन सदस्यों को क्वारी लाइसेंस जारी किये गये हैं, उनका वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में हैं।

(2) जैसा कि प्रश्न 1 के उत्तर में कहा गया है, खनन पट्टे आवंटित नहीं किये गये हैं, अतः संविदा निष्पादन का प्रश्न नहीं हैं। आवंटन के विरुद्ध शिकायत प्राप्त नहीं हुई, तथापि सहकारी समितियों के सदस्यों को जारी किये गये लाइसेन्स अथवा उस हेतु की गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में दिये गये आदेश पुनर्विचार हेतु वापस लिए गये।

(3) मकरेडी सहकारी समिति ने एवं उनके सदस्यों ने जिन्हें क्वारी लाइसेंस जारी किए गए थे, उच्च न्यायालय में क्वारी के निरस्तीकरण आदेशों के विरुद्ध याचिका दायर कर दिनांक 26-10-88 को स्थगन आदेश प्राप्त किए। स्थगन आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) स्थगन आदेशों में जैसा कि परिशिष्ट 'ख' से स्पष्ट है, निरस्तीकरण आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाई गई है।

(5) एक अन्य सहकारी समिति मेनाल आदिवासी पत्थर खान सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा भी राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की गई एवं 2–11–1988 को स्थगन आदेश प्राप्त किया। यह याचिका समिति के सदस्यों द्वारा उन्हें जारी क्वारी लाइसेंस के स्वीकृति आदेशों को वापस लेने के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी। स्थगन आदेशों में स्वीकृतियों को वापस लेने के आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाई गई थी। याचिका कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रपत्र–क

1. मकरेडी अनुसूचित जाति खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. मकरेडी के सदस्यों को दिये गये क्वारी लाइसेन्सों की सूची

क्र.सं.	नाम सदस्य	क्षेत्र का नाम	प्लाट स. मय साइज मीटर में	क्वारी लाइसेन्स जारी करने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	रामचन्द्र/देवबक्ष ढोली	खेरखेडा	1 के उ. रास्ते के आगे का उ. गेप 45×90	28-9-88
2.	हेमा/कालू रैगर	,,	3 ,, 37.5×90	,,

1	2	3	4	5
3.	हजारी/भंवरलाल रैगर	खेरखेडा	5के उ. रास्ते के आगे का उ गेप 37.5×90	28-9-88
4.	मदनलाल/रामचन्द्र बारेठ	,,	7के ,, ,,	,,
5.	सीताराम/नन्दा बलाई	,,	9के ,, 45×90	,,
6.	किशनलाल/धीसा बलाई	,,	14के ,, 37.5×90	,,
7.	श्रीमती खेमी/ऊकार बलाई	,,	17के ,, ,,	,,
8.	मोडा/उदस बलाई	,,	21 के उ. रास्ते के आगे का प. गेप 75×90	,,
9.	नन्दा/नारायण बलाई	,,	22के ,, 60×90	,,
10.	उदा/नोला बलाई	,,	23के ,, 67.5×90	,,
11.	श्रीमती हरकू/गोकल रैगर	,,	24के उ.प. रास्ते के आगे का कोने का गेप क्षेत्र 8100 व. मी.	,,
12.	,,	,,	24के उ. रास्ते के आगे का उ. गेप 52.5×90	,,
13.	,,	,,	24के प. रास्ते का आगे का प. गेप 82.4×90	,,
14.	नन्दा/भारमल बलाई	देरोली	1के उ. रास्ते के आगे का उ. गेप 75×105	,,
15.	,,	,,	1के प. रास्ते के आगे का प. गेप 52.5×90	,,
16.	,,	,,	1के उ.प. रास्तों के कोने का आगे का गेप 8100 व. मी.	,,
17.	नाथू/नोली बलाई	,,	2के प. रास्ते के आगे का प. गेप 37.5×90	,,
18.	जीतू/नन्दा बलाई	,,	3के ,, 30×90	,,
19.	पन्नालाल/भैरू बलाई	,,	4के ,, 60×90	,,

२८८

1	2	3	4	5
20.	पन्नालाल/भैरू बलाई	देरोली	4के द. रास्ते के आगे का द. गेप 45×90	,,
21.	प्रभुलाल/भारमल बलाई	,,	7के उ. रास्ते के आगे का उ. गेप 67.5×105	,,
22.	नन्दा/घीसा बलाई	,,	10के उ. रास्ते के आगे का उ. गेप 67.5×105	,,
23.	उदयलाल/घीसू बलाई	,,	13के उ. रास्ते के आगे का उ. गेप 75×105	,,

ह./–
सहायक खनि अभियन्ता
बिजौलिया

प्रपत्र 'ख'

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

D. B. CIVIL MISC. WRIT PETITION NO.... of 1988.

in

D. B. CIVIL MISC. WRIT PETITION NO... OF 1988.

PETITIONERS :–

Makredi Anushuchit jati Khan Sarmik Theka, (A–Co–operative Society Limited, Mekrodi) Panchyat Samiti Mandalgarh Distt. Bhilwara.

2. Shri Nanda s/o. Bharmal Balai r/o. Bherupura.
3. ,, Nathu s/o. Nola Balai r/o. Bherupura.
4. ,, Pannalal s/o. Bherua Balai r/o. Bherupura.
5. ,, Jeetu s/o. Nanda Balai r/o. Bherupura.
6. ,, Prabhu s/o. Bharmal Balai r/o. Bherupura.
7. ,, Nanda s/o Gheesa Balai r/o. Bherupura,

8. Shri Udailal s/o. Gheesu balia r/o. Bherupura.
9. " Ram Chandra s/o. Dev Bux Dholi r/o. Satkudia.
10. " Hazari s/o. Bhanwa lal Regar r/o. Satkudia.
11. " Hema s/o. Kalu Regar r/o. Satkudia.
12. " Madanlal s/o. Ramchandra Bareth r/o. Satkudiya.
13. " Sitaram s/o. Nanda Balai r/o. Satkudiya.
14. " Shree Krishnal s/o. Gheesa Balai r/o. Resunda.
15. " Khemi w/o Unkar Balai r/o. Resunda.
16. " Nanda s/o. Narayan Balai r/o. Resunda.
17. Smt. Harku w/o Gokul Balai r/o Resunda.
18. Shri Uda s/o. Nola Balai r/o Bherupura.
19. Shri Moda s/o. Uda r/o. Bherupura.

Tehsil Mandalgarh, Distt. Bhilwara Members of Co-operative Society, petitioners.

Versus

RESPONDENTS :

1. The State of Rajasthan.
2. The Mining Ehgineer, Bijoliya, Distt. Bhilwara

26-10-88 Hon'ble Mr. M. C. Jain, J.
Hon'ble Mr. Sobhag Mal Jain, J.

Mr. H.M. Parekh for the petitioner

Issue notice.

Meanwhile, operation of the mining Engineer's order's dated 17-10-88 Ex. 43 to 65 and the orders of the State Govt. dated 15-10-88 referred to in the said orders, is stayed.

Sd./-

बिरटोली बांध

361. **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मण्डावर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील मुण्डावर जिला अलवर की ग्राम पंचायत सोरखाकलां में स्थित बिरटोली बांध का निर्माण कार्य कब से सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

(2) क्या उक्त बांध के निर्माण के टेण्डर आमन्त्रित किये जा चुके हैं ?

(3) सरकार उक्त बांध का निर्माण कब तक कराना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1987 से विचाराधीन है।

(2) जी हां।

(3) इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट आवंटन के पश्चात निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 362
(स्थगित)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

363. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में उचित मूल्य की दुकानों पर सामान्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिमाह किन-किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है ? वितरित की जाने वाली वस्तुओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वितरित की जाने वाली वस्तुएं केन्द्र सरकार से किस–किस मूल्य पर प्राप्त होती हैं ? उचित मूल्य की दुकानों पर इनका विक्रय मूल्य सरकार ने क्या निर्धारित किया है ? वस्तु के नाम व मूल्य सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में उचित मूल्यों की दुकानों पर जिन वस्तुओं का सामान्यतया प्रति माह वितरण किया जाता है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वितरित की जाने वाली वस्तुयें केन्द्र सरकार से जिस मूल्य पर प्राप्त होती है तथा उचित मूल्य की दुकानों पर इनके विक्रय मूल्य जो राज्य सरकार ने निर्धारित किये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

प्रश्न के भाग (1) की सूची

क्र.सं.	नाम वस्तु
1.	गेहूं
2.	चावल
3.	लेवी चीनी
4.	केरोसीन

(प्रश्न के भाग (2) की सूची)

क्र.सं.	नाम वस्तु	भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य		राज्य सरकार द्वारा निर्धारित खुदरा वितरण दर
1.	गेहूं	204/– प्रति क्विं.		225/– प्रति क्विं.
2.	चावल			
	(1) कॉमन	244/– प्रति क्विं.		268/– प्रति क्विं.
	(2) फाइन	304/– प्रति क्विं.		331/– प्रति क्विं.
	(3) सुपर फाइन	325/– प्रति क्विं.		352/– प्रति क्विं.
3.	चीनी	विभिन्न चीनी मिलों की दरें भिन्न-भिन्न हैं।		525/– प्रति क्विं.
4.	केरोसीन	स्थान	दर	
		जयपुर	2074.20 प्रति कि.ली.	2.42 रू. से 2.70 रू. प्रति लीटर
		उदयपुर	2128.34 प्रति कि.ली.	
		कोटा	2088.83 प्रति कि.ली.	
		अजमेर	2101.43 प्रति कि.ली.	
		हनुमानगढ़	2179.32 प्रति कि.ली.	
		बीकानेर	2185.92 प्रति कि.ली.	
		जोधपुर	2131.63 प्रति कि.ली.	

(उपरोक्त दरों में राजस्थान सैल्स टैक्स ऊपर से है।)

नागौर सैण्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक

364. **श्री रामदेव चौधरी** (मूंडवा) **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर सैण्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय भवन के नीचे गांधी चौक नागौर में खुलती हुई दुकानें हैं और वो किराये पर दी हुई हैं। यदि हां, तो कौन-कौन सी दुकान किस-किस दुकानदार को कब कितने-कितने किराये पर दी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दुकानों को किराये पर देने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई और क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन दुकानों के बराबर बैंक का स्टोर रूम था जिसको खाली करके अभी थोड़े समय पहिले ही दुकान के रूप में किराये दिया है ? यदि हां, तो कब और किस को कितने रुपयों में

(श्री रामदेव चौधरी)

और क्यों ? इसको किराये देने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई और किराये देने का फैसला किस अधिकारी ने कब लिया ?

(4) क्या किराया देने में कोई अनियमिततायें हुई हैं ? यदि हां, तो कब और क्या–क्या ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट–अ)

(2) पूर्व में दुकानों को किराये पर उठाने के लिए संचालक मण्डल ने व्यापक प्रचार कर प्रार्थनापत्र आमन्त्रित कर नीलामी द्वारा दुकानें किराये पर उठाई थीं । 1989 में दुकानें प्रबन्ध निदेशक व अध्यक्ष की सहमति से आवेदक को दी गई थी ।

(3) जी हां । 27.4.89 को श्री नथमल भाटी को 350/- रु. प्रति माह किराये पर दूकान चलाने हेतु दी गई थी । श्री भाटी द्वारा 24.4.89 को दुकानें किराये लेने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रबन्ध संचालक द्वारा अपनी टिप्पणी द्वारा अध्यक्ष बैंक से स्वीकृति प्राप्त कर 27.4.89 को स्टोर रूम किराये पर सौंप दिया ।

(4) वैसे तो यह दुकान 350/– रू. प्रति माह किराये पर दी गई जबकि 1986 में इस स्थान पर बैंक की अन्य दुकानें 149/- रु. से 234/- रु. तक प्रति माह के किराये पर दी गई थी । फिर भी बैंक से इस बारे में पूछताछ की जावेगी ।

दी नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि.; नागौर द्वारा दुकानें किराए पर देने का विवरण

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	दुकान नं.	किराये पर दिये जाने का दिनांक	नाम व्यक्ति/फर्म जिसे किराये पर दी गई	मासिक किराया
1	2	3	4	5
1.	1	6.2.73	श्री पन्ना लाल पुत्र श्री जस्सू माली	212/–
		26.8.86	श्री शिव कुमार पुत्र श्री माखन लाल	234/–
2.	2	6.2.73	श्री भंवर लाल पुत्र बक्तावर मल	176/–
3.	3	7.2.73	श्री राम स्वरूप पुत्र रामदयाल	161/–
		27.9.86	श्री बृज मोहन पुत्र शिव लाल	194/–
4.	4	6.2.73	श्री रामेश्वर लाल पुत्र भंवर लाल	121/–
5.	5	6.2.73	डा. एस.एल. गिरधर पुत्र श्री सेवा दास	125/–
6.	6	6.2.73	श्री राम चन्द्र पुत्र रूपाराम नाई	125/–
7.	7	6.2.73	श्री नन्द लाल पुत्र मांगी लाल	135/–
		26.8.86	श्री रामा किशन पुत्र महेश कुमार	149/–
8.	8	6.2.73	श्री इन्द्र चन्द पुत्र किशन लाल खत्री	175/–
9.	तलघर गोदाम (2 दुकानों में परिवर्तित)	27.4.89	श्री नथ मल भाटी पुत्र मांगी लाल	350/–

291

घग्घर की बाढ़ के पानी का उपयोग

365. **श्री हंसराज मिढा** (सूरतगढ़), **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार को विदित है कि घग्घर की बाढ़ से प्रति वर्ष गंगानगर क्षेत्र में जान–माल आदि की भारी हानि होती है ? यदि हां, तो इस स्थिति के निवारण हेतु क्या सरकार ने बाढ़ के पानी को उपयोग में लेने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ? परियोजना की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तैयार की, तो क्यों ?

(2) सकारात्मक उत्तर की स्थिति में सरकार कब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्रतिवर्ष तो नहीं पर गत वर्ष 1988 में घग्घर नदी की बाढ़ से गंगानगर जिले में फसलों, सामान व मकान आदि को हानि पहुंची। योजना का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग व योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

घग्घर बाढ़ नियन्त्रण योजना की रूपरेखा

राज्य सरकार ने बाढ़ के पानी को उपयोग में लेने हेतु आस पास के इन्दिरा गांधी नहर, भाखड़ा व गंगनहर के सिंचित क्षेत्रों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु डिप्रेशन नम्बर 16 से 310 क्यूसेक क्षमता की पीलीबंगा करनीजी लिंक नहर बनाकर पानी चालू कर दिया है। साथ ही निम्न लिंक नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है:-

1. डिप्रेशन नम्बर 16 के सैडल बन्ध एस–19 से 2285 क्यूसेक की अनूपगढ़ शाखा लिंक नहर।

2. एस–8–ए पर 3000 क्यूसेक का एस्केप रेगुलेटर का निर्माण।

3. कट 15 पर बने रेगुलेटर की क्रेस्ट को 594.00 से 587 (के लेवल) तक नीचा करने का कार्य।

पंचायतों में ग्रुप सचिव

366. **श्री विजेयन्द्रपाल सिंह (आसीन्द):** क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नवीन व्यवस्थानुसार पंचायतों के अन्दर पदेन ग्रुप सचिव का कार्य कृषि विभाग के ग्राम सेवक को सौंप दिया गया है ?

(2) क्या इससे राजस्थान की सभी पंचायतों में कार्य सुचारु रूप से चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि किसी कारण से केवल भीलवाड़ा जिले के अन्दर यह व्यवस्था लागू कर वापस ले ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री विजेयन्द्रपाल सिंह)

(4) उक्त जिले में सरकार क्या व्यवस्था कब तक करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) कृषि विभाग के ग्रामसेवक (कृषि पर्यवेक्षक) सप्ताह में केवल दो दिन ही पंचायत का कार्य करते हैं। इनके कार्य की राज्य स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

(3) भीलवाड़ा जिले में यह व्यवस्था वापस ले ली गई है क्योंकि दिनांक 31.5.89 को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के भीलवाड़ा प्रवास के दौरान इस जिले के अधिकांश सरपंचों ने उन्हें निवेदन किया कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कृषि पर्यवेक्षकों के बजाय नियमित ग्राम सेवक पदेन सचिवों को ही बैंक खाते खोलने व अन्य वित्तीय एवं लेखा संबंधित कार्यों में सम्मिलित किया जावे जिससे इस योजना का कार्य सही और नियमित रूप से करवाया जा सके। इस पर माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने कलक्टर, भीलवाड़ा को पूर्व की भांति पुनः दो पंचायतों पर एक ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव लगाये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में पूर्व की भांति पुनः सभी पंचायतों में ग्राम सेवक पदेन सचिव को सचिव पद पर लगाये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

(4) भीलवाड़ा जिले में दो पंचायतों पर एक ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पूर्व की भांति लगा दिये गये हैं। जवाहर योजना के अन्तर्गत पंचायतों में सचिव उपलब्ध कराने हेतु मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

सीकर एवं अलवर जिले में डोलोमाइट का खनन

367. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल),

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार),

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर व अलवर जिले में किन-किन व्यक्तियों को कब-कब से कितने-कितने क्षेत्र में डोलोमाइट की खान की लीज मिली हुई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे किन-किन लीज होल्डर्स के खिलाफ लीज की शर्तों के विपरीत मार्बल लाइम स्टोन आदि अन्य खनिजों के उत्खनन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) इन शिकायतों के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में डोलोमाईट खनिज की कोई लीज स्वीकृत नहीं है। सीकर जिले में इस खनिज की 6 लीजें स्वीकृत हैं, जिनका वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में है।

(2) सीकर जिले में स्वीकृत किसी भी डोलोमाइट खनिज की लीज से मार्बल, लाइमस्टोन अथवा अन्य किसी खनिज के

(२९६)

(खनिज राज्य मन्त्री)

जो लीज में स्वीकृत नहीं हो, खनन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) चूंकि शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः इस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट "अ"

जिला सीकर में खनिज डोलोमाइट में चल रहे
खनन पट्टों की सूची

क्र.सं.	नाम पट्टाधारी	खनिज	क्षेत्र	क्षेत्रफल	अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नन्दलाल अग्रवाल	डोलोमाइट	नि. ग्रा. मावण्डा तह. नीमकाथाना	32.37 है.	9-11-75 से 20 वर्ष।
2.	श्री बनवारीलाल अग्रवाल	,, ,,	नि. ग्रा. काली डूंगरी (मांकड़ी) तह. नीमकाथाना	114.38 है.	11-6-79 से 20 वर्ष।
3.	सर्वश्री मोदी मिनरल ग्राईंडिंग मिल्स प्रा.लि.	,, ,,	नि. ग्रा. मावण्डा तह. नीमकाथाना	96.56 है.	11-6-82 से 20 वर्ष।
4.	–एजत–	,, ,,	नि. ग्रा. माहवा तह. नीमकाथाना	259 है.	27-10-77 से 20 वर्ष।
5.	सर्वश्री ओरियन्टल टॉल्क प्रोडक्ट प्रा. लि.	लाइमस्टोन डोलोमाइट	नि.ग्रा. रामपुरा तह. नीमकाथाना	41.13 है.	16-2-73 से 20 वर्ष।
6.	सर्वश्री बेस्ट केमिकल लाइमस्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	कैलसाइट लाइमस्टोन डोलोमाइट	नि. ग्रा. जिलो तह. नीमकाथाना	80 एकड़	26-9-75 से

ह./–
सहायक खनिज अभियन्ता,
नीमकाथाना

सवा का पाड़ला-माइनर (माही)

368. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में माही डेम की दांई मुख्य नहर की आर. डी. नम्बर 330 मीटर पर विभाग द्वारा सवा का पाड़ला नाम की माइनर पर 16 फरवरी, 1987 से 28 फरवरी, 1987 तक 172 मजदूरों से नहर का निर्माण कार्य कराया गया था ?

(2) क्या उक्त अवधि का उन मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किस किस को और कितना–कितना विलम्ब के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अब उन श्रमिकों को बकाया का भुगतान कब तक कर देगी ?

(4) क्या अब उक्त माइनर का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अब उक्त माइनर का शेष कार्य शीघ्र पूरा कराकर सवा का पाड़ला की 2000 बीघा भूमि को सिंचित कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग ने अवश्य ग्राम वासियों के अनुरोध से दांई मुख्य नहर की आर. डी. 47.02 किमी. से सवा का पाड़ला ग्राम में सीधे पानी देने हेतु एक माइनर का सर्वेक्षण किया था, जो अभी भी चेकिंग की स्थिति में है एवं मंजूर नहीं हुई है। इसके सर्वेक्षण के दौरान विभाग द्वारा लगाई हुई लाइन पर ग्रामवासियों ने अपने स्तर पर कुछ कार्य किया है।

(2) चूंकि यह कार्य विभाग द्वारा नहीं किया गया अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) माइनर की मंजूरी होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।

(5) माइनर की मंजूरी होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।

नगरपालिकाओं/परिषदों के चुनाव

369. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा), **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार), **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में कुल कितनी नगर परिषद्/नगरपालिकायें व नोटिफाइड एरिया कमेटीज हैं ? श्रेणीवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर परिषद् व नगरपालिकाओं के चुनाव पिछली बार कब हुए थे और अब कब से ड्यू हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें। चुनाव समय पर नहीं कराने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं कि आर्थिक स्थिति व अन्य दृष्टि से

(श्री बिरदमल सिंघवी)

सुदृढ़ बनाने हेतु मुकर्जी कमेटी की नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मुकर्जी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराने के विचार रखती है ? यदि हां, तो इसमें सुझाये गये प्रस्तावों के अनुसार कितना समय और लगेगा ?

(5) क्या राज्य सरकार इन स्वायत्त–शासी संस्थाओं के चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में कुछ 198 नगरपरिषद्/नगरपालिकायें व नोटिफाइड एरिया कमेटीज हैं। श्रेणीवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के चुनाव पिछली बार जब हुए थे और अब कब से ड्यू हैं, का विवरण प्रश्न के भाग एक के उत्तर में प्रस्तुत सूची में अंकित कर दिया गया है। उनके चुनाव समय पर नहीं कराने के कारण संलग्न हैं।

(3) जी हां। मुकर्जी कमेटी द्वारा दी गई प्रथम अंतरिम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) मुकर्जी कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अंतरिम रिपोर्ट अभी विचाराधीन है। इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी।

(5) जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार सभी नगरपालिकाओं के चुनाव 31–8–89 तक कराये जाने के निर्देश है। इन निर्देशों की पालना में चुनाव विभाग द्वारा पूर्ण तैयारी कर ली गई है।

(रिपोर्ट पुस्तकालय में रखी गई)

मीन्डा ग्राम की अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल

370. **श्री हरीश चन्द्र कुमावत** (नांवा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या अधिशासी अभियन्ता जलदाय विभाग खण्ड डीडवाना को अधीक्षण अभियन्ता नागौर का पत्र क्रमांक अअ/वृतना/पी. ए. 3284 दिनांक 4–6–88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी अनुपालना में क्या कार्यवाही की गई ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम मीन्डा में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की बस्ती में पाइप लाइन डालने का काम वर्ष 1987 से लम्बित पड़ा है एवं इस सम्बन्ध में अधिशासी खण्ड डीडवाना को सहायक अभियंता नावां का पत्र क्रमांक 21/3-1/नावां/87–88/1663 दिनांक 19–8–87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी अनुपालना में क्या कार्यवाही हुई ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम बवाली गुढ़ा–ग्राम पंचायत खारडिया में पाइप लाइन डालने का कार्य कब प्रारम्भ हुआ ? यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

(4) क्या ग्राम टोड़ास में 2.10 हजार लीटर पानी क्षमता की टंकी से केवल 15 कनेक्शन घरों में दिये हुए हैं ? यदि हां, तो अन्य आवेदकों को कनेक्शन देने में क्या एतराज है ?

(5) क्या अधीक्षण अभियन्ता नागौर द्वारा अधिशासी अभियन्ता डीडवाना एवं सहायक अभियन्ता नावां को ग्रामीण क्षेत्र में पाइप कनेक्शन के इच्छुक व्यक्तियों को 'एल' फार्म की अनिवार्यता नहीं करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इन निर्देशों की कहां–कहां अनुपालना की गई है ?

(6) नावां तहसील क्षेत्र में अब तक कहां–कहां पर कितने ट्यूबवैल विद्युत कनेक्शन होकर पानी सप्लाई करने से कब से वंचित हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पत्र के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' में दे दिया गया है। पत्र की प्रति परिशिष्ट 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। लाइन डालने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वांछित पत्र की प्रति परिशिष्ट 'द' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) ग्राम बवाली गुढ़ा–ग्राम पंचायत खारडिया में पाइप लाइन डालने का कार्य जनवरी, 1988 में आरम्भ किया गया था। रेल्वे क्रासिंग पर डाली जाने वाली पाइप लाइन के अलावा सारी पाइप लाइन डाल दी गई है। रेल्वे से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। जल सम्बन्ध देने हेतु लम्बित आवेदन पत्र पर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी हां। नागौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अधीक्षण अभियंता के निर्देशों के अनुसार जल संबंध दिए गये हैं। विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) नावां तहसील क्षेत्र में 5 नलकूपों पर विद्युत कनेक्शन जून, 89 में प्राप्त हुए। सूची परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तारांकित प्रश्न संख्या 371
(स्थगित)

जयपुर में नियन्त्रित मूल्य की सामग्री का वितरण

372. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर नगर में कुल कितने यूनिट राशन कार्ड हैं ?

(2) किस आधार वर्ष पर वर्तमान में कितना–कितना सीमेंट, चीनी, खाद्य तेल,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कैरोसिन, कपड़ा व कोयला प्राप्त व वितरण किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 15 लाख 54 हजार 651 यूनिट के 2 लाख 58 हजार 833 राशन कार्ड हैं।

(2) जयपुर नगर में चीनी की प्राप्ति व वितरण अक्टूबर, 1986 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सीमेंट, चीनी, खाद्य तेल, केरोसिन, कपड़ा व कोयला प्राप्ति व वितरण का आधार वर्ष निर्धारित नहीं है। इन वस्तुओं की प्राप्ति व वितरण का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

प्रश्न के भाग (2) का प्राप्ति व वितरण का विवरण

(1) **सीमेंट** :– केन्द्र सरकार द्वारा 1-3-89 से सीमेंट पर से मूल्य एवं वितरण नियंत्रण समाप्त कर देने से सीमेंट का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। अतः वर्तमान में सीमेंट प्राप्ति व वितरण नहीं किया जाता है।

(2) **चीनी** :– जयपुर जिले के लिए 1711 मै. टन का आवंटन किया जाता है और प्रति यूनिट 425 ग्राम चीनी वितरण की जाती है।

(3) **खाद्य तेल** :– माह अप्रेल, 1989 से केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य तेल का आवंटन बन्द कर दिया गया है। अतः खाद्य तेल का आजकल वितरण नहीं किया जाता है।

(4) **केरोसीन** :– जयपुर जिले के लिए माह मई, जून व जुलाई, 1989 के लिए क्रमशः 3950, 3940, 4100 किलो लीटर का आवंटन किया गया है और उपभोक्ताओं को 5 से 10 लीटर के हिसाब से वितरण कराया जाता है।

(5) **कपड़ा** :– केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित कपड़े का आवंटन राज्य सरकार को वर्ष 1988–89 से प्राप्त नहीं हो रहा है। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा जिलों से प्राप्त मांग के आधार पर कपड़ा प्राप्त कर राज्य में प्रति राशन कार्ड 5 मीटर की दर से प्रत्येक तिमाही में वितरित कराया जाता है।

(6) **कोयला** :– घरेलू उपयोग के लिए कोयले की मांग नहीं होने से माह मार्च, 1989 से कोयला नहीं उठाया जा रहा है। अतः प्राप्ति एवं वितरण नहीं हो रहा है।

रेलगांव (दीगोद) सहकारी समिति में गबन

373. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि रेलगांव (दीगोद) सहकारी समिति में लाखों के गबन का परिवाद वर्षो से वसूली व कार्यवाही हेतु लम्बित है ? यदि हां, तो उस हेतु कब-कब क्या–क्या कार्यवाही विभागीय स्तर पर की गई ? विलम्ब के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विवरण सदन के मेज पर परिशिष्ट–1 पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट–1

रेलगांव ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. जिला कोटा में दिनांक 25-9-78 को श्री गोपी पुत्र श्री ओंकार धाकड़ के विरुद्ध 15,699/- रुपये, श्री राम नारायण पुत्र श्री गेंदीलाल के विरुद्ध 14,520/- रुपये कुल 30,219/- रुपये एवं दिनांक 27-12-1978 को श्री मोहनलाल पुत्र श्री रामनारायण गुर्जर के विरुद्ध 65,194.89 रुपये, श्री केसरीलाल पुत्र रामचन्द्र मीणा के विरुद्ध 31,549.33 रुपये, श्री तैयब–अली पुत्र श्री फैज मोहम्मद के विरुद्ध 20,231.23 रुपये व श्री छीतर सिंह के विरुद्ध रुपये 1,89,261.25 पैसे कुल 2,26,236.70 रुपये की वसूली का फैसला राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 (2) के अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार, कोटा द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात वसूली के मामले में वैधानिक प्रक्रियाओं में विलम्ब हुआ है। विलम्ब के कारणों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है।

तत्संबंध में दोषी व्यवस्थापक की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं एवं दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की गई है। गबन के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस केस नं- 42/85 दिनांक 21-5-1985 को थाना सुल्तानपुर में दर्ज करवाया गया जिसमें सी. आई. डी. (सी. बी.) द्वारा कार्यवाही विचाराधीन है।

नीमकाथाना क्षेत्र में सिंचाई योजनायें

374. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जनवरी, 1986 से लेकर अब तक नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में कुल कितनी राशि का कार्य कहां कहां करवाया गया ? कार्य का नाम एवं उस पर जनवरी, 1986 के पश्चात व्यय राशि व कितनी राशि शेष है, का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(300)

(श्री फूल चन्द गुर्जर)

(2) उक्त कार्यों पर कुल कितनी राशि स्वीकृत थी व कुल कितनी राशि खर्च की गई है ? खर्च राशि में कितना भुगतान हुआ तथा कितना शेष रहा ? योजना व कार्य का नाम शेष भुगतान कितने समय से नहीं हुआ बाबत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1986 से लेकर अब तक नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र में सिचाई विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में कुल 35 कार्य चालू रहे। जिन पर जनवरी, 86 से आज तक कुल 55.69 लाख रुपये का व्यय किया गया है। कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त कार्यों की अनुमानित लागत, स्वीकृत व खर्च की गई राशि आदि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

प्रपत्र "अ"

नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्य जो जनवरी, 1986 से जून, 1989 तक स्वीकृत हुए हैं उनका खर्चा

(आंकड़े लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	स्वीकृत राशि	जनवरी, 86 से जून, 89 तक का खर्चा	किया गया भुगतान	शेष राशि	कब से भुगतान बाकी है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	रायपुर जागीर	0.63	0.63	0.43	0.43	—	समस्त
2–	कालिया देह	0.41	0.41	0.23	0.23	—	राशि का
3–	करजो	5.00	2.46	1.86	1.86	—	भुगतान
4–	मोठुंका	5.00	2.00	1.75	1.75	—	माह अगस्त,
5–	किशनपुरा	5.00	1.88	0.45	0.45	—	88 तक
6–	लोअर रैला	1.48	1.48	1.35	1.35	—	किया जा
7–	पाटन एनीकट	0.83	0.83	0.32	0.32	—	चुका है। अब
8–	कोला की नांगल	0.55	0.55	0.25	0.25	—	कोई राशि
9–	टपकेश्वर	1.14	1.14	1.07	1.07	—	शेष नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8
10–	बनियाला	1.61	1.61	1.50	1.50	—	समस्त
11–	सालावाली	2.00	2.00	1.26	1.26	—	राशि का
12–	सोनासर	4.00	4.00	2.00	2.00	—	भुगतान
13–	नानुगवास	2.00	2.00	0.84	0.84	—	माह अगस्त,
14–	गुहाला	2.00	2.00	1.61	1.61	—	88 तक
15–	जिलो	0.55	0.55	0.45	0.45	—	किया जा
16–	पांरा	0.55	0.55	0.58	0.58	—	चुका है।
17–	बांरा	0.55	0.55	0.90	0.90	—	अब कोई
18–	श्यामपुरविहार	0.55	0.55	0.25	0.25	—	राशि शेष
19–	डोकन	0.55	0.55	0.33	0.33	—	नहीं है।
20–	गांवड़ी	0.55	0.55	0.16	0.16	—	
21–	भैरूघाटी	3.60	3.60	1.12	1.12	—	
22–	गणेश्वर	2.00	2.00	0.02	0.02	—	
23–	दरीबा	2.27	2.27	0.89	0.89	—	
24–	नाकावाली	1.91	1.91	1.30	1.30	—	
	योग:—	44.73	36.07	20.92	20.92	—	

प्रपत्र "ब"

नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एन. आर. ई. पी./
आर. एल. ई. जी. पी./ डी. डी. पी. के विभिन्न कार्यों जिन पर जनवरी, 86 से
आज तक खर्चा दर्शाया गया है।

1– एन. आर. ई. पी. (आंकड़े लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	स्वीकृत राशि	जनवरी, 86 से जून, 89 तक खर्च की गई राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान की जाने वाली राशि	बकाया कब से है तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1–	गांवड़ी	6.53	राशि खण्ड के	2.04	2.04	–		
2–	दीपावास	14.21	समस्त कार्यों की	8.20	7.75	0.45	माह जुलाई, 88	
3–	फतेहपुरा	20.53	स्वीकृति की गई	6.99	6.57	0.42	व सितम्बर, 88	
4–	भुजा	5.00	है न कि एक	1.50	1.50	–	की भुगतान की	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5–	झालरा	5.00	विशेष कार्य के	1.56	1.56	–	राशि माह	
6–	शिकारगढ़	4.61	लिए इसलिए	1.87	1.87	–	जुलाई, 89 में	
7–	मांकड़ी	(मरू विकास कार्यक्रम में दिया है)	राशि का अंकन नहीं किया गया है।	2.46	2.46	–	डी.आर.डी.ए. में प्राप्त हुई है। अतः अब सहायक	
8–	रायपुर जागीर	0.20		0.25	0.25	–	अभियंता नीमकाथाना को बकाया राशि रु. 0.87 अब दी जा रही है।	
	योग:–	56.08		24.87	24.00	0.87		
II–	ग्रा. भू. रो. गा. कार्यक्रम (आर. एल. ई. जी. पी.)							
1–	भूदोली	0.50	,,	0.02	0.02	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2–	रायपुर पाटन	4.55		0.30	0.30	—	—	
	योगः–	5.05		0.32	0.32	—	—	
III–	मरू विकास कार्यक्रम (डी. डी. पी.)							
1–	मांकड़ी	22.57	9.00	9.58	9.58	—	—	
	योगः–	22.57	9.00	9.58	9.58	—	—	

प्रशासन शहरों की ओर
बाड़मेर

375. **श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रशासन शहरों की ओर अभियान नगर बाड़मेर में किस तिथि से किस तिथि तक चलाया गया ?

(2) इस अभियान के दौरान नगर में अनाधिकृत अतिक्रमण के नियमन के कुल कितने मामले निपटाये व कितने शेष हैं। वार्डवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त निपटाये गये मामलों में अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के कितने मामले निपटाये गये ? वार्डवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि महावीर नगर से सटी हुई अम्बेडकर कॉलोनी एवं पुराने वार्ड संख्या 24 के भीतर जटियों का बास में अनुसूचित जाति के लोगों के कब्जे होते हुए भी अभी तक उनका नियमन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? इनके प्रार्थना पत्र कब से विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) नगरपालिका बाड़मेर में 'प्रशासन शहरों की ओर' अभियान दिनांक 2-10-88 से 30-11-88 तक चलाया गया था।

(2) इस अभियान के दौरान अनाधिकृत कब्जों के 346 मामले निपटाये गये एवं 672 मामले निपटाने से शेष रहे। वार्ड वाइज संख्या सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) निपटाये गये 346 मामलों में से अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के 117 मामले हैं। इनकी वार्ड वाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। इन दोनों बस्तियों में पुराने कब्जों के बकाया मामलों में नियमन के कई मामलों में कब्जाधारियों के नाप सर्वे में नहीं होने से नियमानुसार नियमन योग्य नहीं होने से तथा कुछ व्यक्तियों के कब्जे की भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार रेलवे के स्वामित्व की होने व आबादी में परिवर्तन नहीं होने के कारण नहीं किया गया। ये मामले नगर परिषद में वर्ष 1987 से विचाराधीन हैं।

वार्ड संख्या	कुल निष्पादित मामलों की संख्या	शेष मामले	अनुसूचित जाति/जनजाति के निपटाये गये मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	—	—	—

1	2	3	4
2.	—	—	—
3.	24	25	—
4. से 11.	—	—	—
12.	1	—	1
13.	24	2	14
14. से 23.	—	—	—
24.	11	28	—
25.	117	311	64
26.	19	33	—
27.	42	78	—
28.	36	86	—
29.	—	—	—
30.	72	109	38
योग :	346	672	117

बनास नदी (टोंक) में बजरी की लीज

376. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर–ग्रामीण) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि टौंक के पास बनास नदी में कुछ लोगों को बजरी लीज या अन्य आधार पर दी हुई है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों को कब-कब से व किस आधार पर कितना-कितना क्षेत्र ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वहां से सम्बन्धित कुछ लोगों के मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। यदि हां, तो किस-किस के कब-कब से किन-किन मामलों से सम्बन्धित ? इनमें अब क्या प्रगति है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त में से कुछ लोगों ने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती-उजला अरोड़ा)

(4) क्या उक्त लोगों में सरकार का लैण्ड टैक्स व अन्य राशि बकाया है ? यदि हां, तो क्या-क्या कितनी-कितनी व कब-कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, स्वीकृत लीज व आर. सी. आर. एल./क्वारी लाइसेंसेज का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

(2) जी हां। श्री भैरू रेगर, श्री कसरी बैरवा व श्री रामदेव बैरवा द्वारा उन्हें स्वीकृत प्लाट नं. 4, 5 व 6 के सम्बन्ध में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टौंक के न्यायालय में माह नवम्बर, 87 में दावे दायर किये गये हैं। उक्त दावे क्वारी होल्डर्स के विरूद्ध उन्हें स्वीकृत प्लाट के सबलेट किये पाये जाने के कारण विभाग द्वारा संभावित कार्यवाही किये जाने के बिन्दु पर दायर किए गये हैं। न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक 5-9-89 निश्चित की गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। विभागीय बकाया की स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'ख' में दर्शायी गई है।

(5) लैण्ड टैक्स से सम्बन्धित बकाया जो संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार है कि वसूली उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगित होने से रोकी हुई है अन्य बकाया के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

परिशिष्ट "क"

टौंक के पास बजरी के स्वीकृत खनन पट्टा एवं आर. सी. आर. एल./ क्वारी लाइसेन्स की सूची

क्रमांक	नाम पार्टी	ग्राम व क्षेत्र	वार्षिक डेड रेन्ट/ रेन्ट	अवधि
1	2	3	4	5
		खनन पट्टा		
(1)	श्री शंकर लाल टौंक	बनास नदी रसद सदर टौंक बोरखण्डी खुर्द व राजस्व सीमा तह. व जिला टौंक	वार्षिक डेडरेन्ट दि. 4.9.84 तक रु. 71,514.00 दि. 5.9.84 से 4.9.89 तक रु. 1,68,107.00 (वार्षिक)	5.9.79 से 30.9.89

1	2	3	4	5
		आर. सी. आर. एल./क्वारी लाइसेन्स		
( )	श्रीमती आशालता	चिरोंज, 120 मि. × नदी की चौड़ाई प्लाट 1	रेन्ट रु. 2000/–	5.4.87 से 5 वर्ष
(2)	श्रीमती भूली देवी	,, प्लाट 2	रु. 2000/–	5.4.87 से 5 वर्ष
(3)	श्री हरिशचन्द्र बैरवा	,, प्लाट 3	रु. 2000/–	5.4.87 से 5 वर्ष
(4)	श्री भैरू रैगर	,, प्लाट 4	रु. 2000/–	1.3.85 से 28.2.90
(5)	श्री केसरा बैरवा	,, प्लाट 5	रु. 2000/–	1.3.85 से 28.2.90
(6)	श्री रामदेव बैरवा	,, प्लाट 6	रु. 2000/–	1.3.85 से 28.2.90
(7)	श्रीमती मुन्नी देवी	,, प्लाट 7	रु. 2000/–	4.4.85 से 3.4.90
(8)	मेजर श्री अनवर शाहखान	,, प्लाट 8	रु. 2000/–	16.2.85 से 15.2.90
(9)	मेजर श्री अनवर शाहखान	,, प्लाट 9	रु. 2000/–	16.2.85 से 15.2.90
(10)	श्री फिरोज खान	,, प्लाट 10	रु. 2000/–	22.2.85 से 21.2.90
(11)	श्री अहमद मियां	मेहगांव, 120 मि. × नदी की उपलब्ध चौड़ाई श्री शंकरलाल टांक के क्षेत्र को छोड़कर प्लाट 11	रु. 2000/–	25.3.85 से 24.3.90

1	2		3	4	5
(12)	श्री कन्जू खां	,,	प्लाट 12	रु. 2000/–	25.3.85 से 24.3.90
(13)	श्री नरेन्द्र कुमार बैरवा	,,	प्लाट 13	रु. 2000/–	5.4.87 से 5 वर्ष
(14)	श्री अहमद मियां	,,	प्लाट 14	रु. 2000/–	6.4.85 से 5 वर्ष
(15)	श्री कन्जू खां	,,	प्लाट 15	रु. 2000/–	6.4.85 से 5.4.90
(16)	श्री जुम्मा खां	,,	प्लाट 16	रु. 2000/–	1.3.85 से 28.2.90
(17)	श्री फिरोज खान	,,	प्लाट 17	रु. 2000/–	23.2.85 से 22.2.90

ह./–

सहायक खनिज अभियंता

टोंक

परिशिष्ठ "ख"

टौंक के पास बजरी के स्वीकृत खनन पट्टा एवं आर. सी. आर. एल/
क्वारी लाइसेन्स की बकाया सूची

क.	नाम पार्टी	क्षेत्र	डेड रेन्ट	रायल्टी	क्वारी रैन्ट	लैन्ड टैक्स 1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	89-90	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	श्री कन्जू खां	आर.सी.आर. एल. बजरी	निल	निल	निल	निल	8436.50	निल	14631.00	निल	23067.50
(2)	श्री फिरोजखान	,,	,,	,,	,,	4911.75	5888.25	714.00	7868.50	,,	19382.50
(3)	श्री अहमदमियां	,,	,,	,,	,,	7035.00	21938.00	9113.60	11759.75	,,	49846.35
(4)	श्री रामदेव बैरवा	,,	,,	,,	,,	738.00	1997.25	587.50	1149.00	,,	4471.75
(5)	श्री भैरू रैगर	,,	,,	,,	,,	247.00	802.50	2742.75	1749.00	,,	5542.00
(6)	श्री मेजर अनवर शाह	,,	,,	,,	,,	5018.25	9598.00	2236.60	9223.75	,,	26076.60
(7)	श्री जुम्मा खां	,,	,,	,,	,,	2409.75	12629.75	14855.00	11158.00	,,	40862.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(8)	श्री केसैरा बैरवा	आर.सी.आर.	निल	निल	2000/-	334.15	2156.25	695/-	निल	निल	3185.40
(9)	श्री हरिशचन्द्र बैरवा	एल.बजरी	,,	,,	निल	निल	374/-	निल	500/-	निल	874/-
(10)	श्रीमती मुन्नी देवी	,,	,,	,,	,,	,,	निल	,,	3308.15	,,	3308.15
(11)	श्री शंकरलाल टांक खनन पट्टा रसद सदर टौंक बोरखण्डी खुर्द राजस्व सीमा		,,	,,	,,	9349.85	118637/-	110007/-	निल	,,	237993.85

ह./-

सहायक खनि अभियंता, टौंक

सुजानगढ़ तहसील के गांवों में पेयजल

377. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू के ग्राम मालासी, ढाठाली, तौलियासर, भांगीवार, शोभासर, मुरंडकिया आदि में पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या इन गांवों की जलापूर्ति योजना के लिए बिजली सीकर जिले से सप्लाई की जाती है ? यदि हां, तो क्या बिजली की सप्लाई नियमित व पर्याप्त है ?

(3) क्या इन योजनाओं को बिजली सीकर के बजाय चूरू जिले से देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक अमल कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बिजली की उपलब्धता में कमी होने के कारण आवश्यक मात्रा में जल वितरण नहीं हो पाता है।

(2) जी हां। बिजली की सप्लाई अपर्याप्त है।

(3) जी हां। कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

सरपंच ग्राम पंचायत, गनवर (मालपुरा) के विरुद्ध शिकायतें

378. **श्री नारायण सिंह** (मालपुरा) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) क्या यह सही है कि एक शिकायत श्री गोविन्द व्यास सरपंच ग्राम पंचायत गनवर तहसील मालपुरा जिला टौंक के विरूद्ध मस्टर–रोल नं. 3035 दिनांक 18.3.1988, नं. 3049 दिनांक 1.4.88 से 15.4.88 तक, नं. 3081 दिनांक 16.4.88 से 30.4.88 तक, नं. 3097 दिनांक 1.5.88 से 15.5.88 तक में गड़बड़ी करने के संबंध में जिला कलक्टर टौंक को की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच उपरिलिखित मस्टर–रोल्स में झूंठे मजदूरों के अंगूठे व हस्ताक्षर कर राज्य सरकार के कोष से मस्टर–रोल्स की धनराशि प्राप्त कर गबन किया है ?

(3) क्या यह सही है कि कलक्टर टौंक ने जनता की शिकायत होने पर उक्त मस्टर-रोल्स की जांच करवाई व जांच होने के पश्चात् उनके विरूद्ध गबन की बात सही पाई गई ?

(4) क्या यह सही है कि कलक्टर टौंक ने गबन की जांच रिपोर्ट आने पर उनके विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के आदेश दे दिये ?

(5) क्या यह सही है कि एफ.आई.आर. पुलिस में श्री व्यास के विरुद्ध हो ही रही थी इसी दौरान राज्य सरकार ने गोविन्द व्यास की पत्रावली (फाइल) मंगाकर एफ.आई.आर. दर्ज कराने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न की ? यदि हां, तो किस कारण ?

(श्री नारायण सिंह)

(6) क्या राज्य सरकार श्री व्यास की फाइल को उचित कार्यवाही करने हेतु वापिस शीघ्र कलक्टर टौंक को भेजेगी ताकि उनके विरुद्ध आगे आवश्यक कार्य–वाही हो ? यदि हां; तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया मेट बजरंग लाल, पंच हरिराम एवं सरपंच गोविन्द व्यास को गलत भुगतान बतलाने का दोषी पाये जाने पर मस्टरोलों पर अंकित अंगूठे निशानी की फोरेंसिक लेबोरेट्री से जांच कराई जा रही है। फोरेन्सिक लेबोरेट्री की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) इसका उत्तर भाग (2) में दिया।

(4) जांच रिपोर्ट के आधार पर संबं–धित पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने एवं मस्टरोलों के अंगूठे निशानी की फोरेन्सिक लेबोरेट्री से जांच करवा कर अंगूठे निशानी सही पाये जाने पर दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 24.4.89 द्वारा जिला कलक्टर, टौंक द्वारा तहसीलदार मालपुरा को दिये गये थे। विभागीय पत्र दिनांक 17.5.89 के द्वारा जिला कलक्टर, टौंक को निर्देश दिये गये थे कि इस मामले में अन्य कार्य–वाही नहीं की जावे।

(5) श्री गोविन्द व्यास सरपंच, ग्राम पंचायत, गनवर द्वारा एक प्रार्थना पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में शिकायतकर्ता राजनैतिक द्वेषता रखते हैं, इसलिए उनके विरूद्ध अन्याय किया जा रहा है। इस प्रकरण में सही कानूनी कार्यवाही हेतु उसकी सही स्थिति की जानकारी हेतु जिला कलक्टर, टौंक से पत्रावली मंगवाई गई थी।

(6) जी हां। विभाग द्वारा कलक्टर, टौंक की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु वापिस लौटा दी गई है।

अजमेर जिले में अकाल राहत कार्य की बकाया

379. **श्री माणक डाणी** (ब्यावर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सं. 2045 में अकाल राहत के कार्यों को एन.आर.ई.पी. में परिवर्तित किया गया था ? यदि हां, तो अजमेर जिले में किस–किस विभाग के किन-किन कार्यों को एन. आर. ई. पी. में परिवर्तित कर कितनी धनराशि कब से कब तक खर्च की और उसका मजदूरों को कितना भुगतान कब–कब किया गया ? कौन–कौन से पखवाड़ों का भुगतान बाकी है और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लम्बे समय तक भुगतान बकाया रहने से मजदूरों में आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है व उनकी आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आती है ?

(3) भुगतान नहीं होने के लिये कौन–

(श्री माणक डागी)

कौन अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी हैं ?

(4) अब यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । संवत 2045 में अकाल राहत कार्यो को एन.आर.ई.पी. में परिवर्तित नहीं किया गया ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल के निर्णय

380. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या व्यवस्था अनुसार सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों/प्रस्तावों का प्रबन्ध संचालक द्वारा अनुपालन किया जाना नियमान्तर्गत है ? यदि नहीं, तो किन स्थितियों में ?

(2) क्या यह सही है कि सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक कोटा के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 14.11.1988 को हुई थी ? यदि हां, तो बैठक में क्या–क्या निर्णय एवं प्रस्ताव लिये गये ? प्रस्तावों एवं निर्णयों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संचालक मण्डल के निर्णयों को तत्कालीन प्रबन्ध संचालक ने लागू नहीं किया तथा सभी निर्णयों को पलट दिया गया ? यदि हां, तो प्रबन्ध संचालक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बैठक में उपस्थित तत्कालीन संयुक्त रजिस्ट्रार ही प्रबन्ध संचालक भी था ?

(5) बैंकों के संचालक मण्डलों को प्रभावशाली बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) संचालक मण्डल की बैठक में लिए गए निर्णयों/प्रस्तावों की अनुपालना प्रबन्ध संचालक द्वारा नियमानुसार की जाती है । किन्तु यदि कोई निर्णय अधिनियम, नियम, उपनियमों तथा रजिस्ट्रार, रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के आदेशों/दिशा–निर्देशों के विपरीत हो तो उनकी अनुपालना नियमान्तर्गत नहीं मानी जा सकती ।

(2) जी हां । संचालक मण्डल की बैठक 14.11.1988 के प्रस्ताव व निर्णय की प्रति परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) बैंकों के संचालक मण्डल वर्तमान नियम/उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार काफी प्रभावशाली है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

सवाई माधोपुर जिले की सिंचाई योजनायें

381. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सवाई माधोपुर जिले में कौन–कौनसी मध्यम व वृहद परियोजनायें हैं जिनका सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पीपल्दा व पीपलोट जलोत्थान परियोजना के तख्मीने बना लिये गये हैं एवं केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति के लिये भेज दिये गये हैं ?

(3) यदि हां, तो अभी तक स्वीकृति क्यों नहीं मिली ?

(4) अगर स्वीकृत हो गये हों, तो कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले की निम्नलिखित वृहद एवं मध्यम योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है :–

1. पीपल्दा जलोत्थान परियोजना ।
2. पीपलोट ,, ,,
3. ओलवाडा ,, ,,
4. हमीर सागर सिंचाई योजना
5. करेली सिंचाई योजना
6. इन्द्रा जलोत्थात योजना
7. गलवा–II सिंचाई योजना
8. कंजोली सिंचाई योजना
9. रेजिग आफ कालीसिल बांध

(2) जी हां ।

(3) योजनाओं पर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त आक्षेपों के उत्तर पूर्व में दिये जाते रहे हैं व वर्तमान में प्राप्त आक्षेपों के उत्तर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग कोटा द्वारा तैयार किये जा रहे हैं ।

(4) अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

बीकानेर शहर की कच्ची बस्तियां

382. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) :

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर शहर में कौन–कौनसी कच्ची बस्ती कब से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रदेश में कच्ची बस्ती घोषणा करने का क्या आधार है व क्या इसमें प्रत्येक जिले में एकरूपता बरती जाती है ?

(3) बीकानेर की कौनसी कच्ची बस्ती कब से आबाद है व सरकार के कब से विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) बीकानेर शहर की उक्त कच्ची बस्तियों को इतने लम्बे समय से विचाराधीन होते हुए भी मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है ? कृपया बस्तीवार व कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त कच्ची बस्तियों को कब तक मान्यता प्रदान कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्याय क्षेत्र में 25 कच्ची बस्तियों को राज्य सरकार ने 1956 से मान्यता प्रदान की है। सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

नगर परिषद क्षेत्र में निम्नलिखित 4 कच्ची बस्तियां सरकार से मान्यता प्राप्त हैं :–

1. गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर
2. नायकों की बस्ती, गंगाशहर
3. हरिजन बस्ती वार्ड 11, गंगाशहर
4. हरिजन बस्ती वार्ड 2, गंगाशहर

(2) कच्ची बस्तियों की घोषणा का आधार वर्ष 1971, 1981 तथा 1985 की जनगणना के आधार पर किए गये सर्वे के अनुसार किसी परिवार का निरन्तर कच्ची बस्ती में मकान अथवा झौंपड़ी बनाकर रहना, जिला प्रशासन द्वारा सम्बन्धित नगर के लिये बनाये गये राशन कार्ड्स में परिवार के मुखिया तथा सदस्यों के नाम राशन कार्ड का होना तथा मतदाता सूची में नाम अंकित होना है।

(3) न्यास क्षेत्र में 25 कच्ची बस्तियां 1956 में राज्य सरकार द्वारा घोषित की गयी है, 17 कच्ची बस्तियां न्यास द्वारा 1974-75 में घोषित की गयी हैं। सूची परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

नगर परिषद क्षेत्र में निम्नलिखित बस्तियों के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे थे :–

1. गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर
2. नायकों की बस्ती, गंगाशहर
3. हरिजन बस्ती वार्ड-11, गंगाशहर
4. हरिजन बस्ती वार्ड-2, गंगाशहर
5. हरिराम मंदिर के पास मौहल्ला कुंभाराम, पुरानी लाइन, गंगाशहर
6. मौहल्ला कुंभाराम नई लाइन, गंगाशहर
7. मौहल्ला कुंभाराम, वार्ड-2 भीनासर
8. मौहल्ला रंगरान, नोखारोड़ वार्ड–5 भीनासर

क्रम संख्या 5 से 8 तक की बस्तियां 1971 के पश्चात् की बसी हुई हैं।

(4) 17 कच्ची बस्तियां न्यास द्वारा घोषित कर दी गई हैं, दस बस्तियां उपनिवेशन विभाग एवं राजस्व विभाग की भूमि पर बसी होने के कारण इन्हें मान्यता दिया जाना संभव नहीं है, जब तक कि उक्त भूमि न्यास को हस्तान्तरित नहीं हो जाती है। इन दस कच्ची बस्तियों का विवरण परिशिष्ट 'ग' में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

नगर परिषद क्षेत्र की निम्नलिखित 4 बस्तियां निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग ने उनके पत्र दिनांक 18.3.83 के द्वारा मान्यता प्रदान की है:–

1. गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर
2. नायकों की बस्ती, गंगाशहर
3. हरिजन बस्ती वार्ड–11, गंगाशहर
4. हरिजन बस्ती वार्ड–2, गंगाशहर

(5) परिशिष्ट 'ग' में वर्णित दस कच्ची बस्तियों की भूमि राजस्व तथा

(नगरीय विकास मन्त्री)

उपनिवेशन विभाग द्वारा नगर विकास न्यास, बीकानेर को हस्तान्तरित हो जाने के पश्चात् उनका सर्वेक्षण करवाकर इन्हें नियमानुसार कच्ची बस्तियां घोषित करने के प्रस्ताव न्यास द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये जा सकेंगे।

परिशिष्ट "ख"

कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

राजस्थान राज्य सरकार, जयपुर दिनांक 5.9.56 क्रमांक डी/10503/एफ 1 (क) (1) एलएचजी/55 के अन्तर्गत 25 कच्ची बस्तियां घोषित की गई है। यह कच्ची बस्तियां सन् 1971 के पूर्व की हैं :–

1	2
1.	मौहल्ला पंजीबगिरान
2.	मौहल्ला घोसियान
3.	मौहल्ला भूटान
4.	मौहल्ला धावड़ीयान
5.	मौहल्ला बागवानान
6.	रानीसर मालियान
7.	मेघवालान रोशनीघर
8.	हलाल खोरान
9.	टिकलियान स्वाभियान
10.	जसोलाई मेघवालान
11.	हरिजनान इस्ट आफ भटिण्डा रेल्वे लाइन
12.	मेघवालान आउट साइड पाबूबारी
13.	हरिजनान बड़ी गुवाड
14.	नायकान गजनेर रोड
15.	जस्सूसर बास मालियान और मेघवालान
16.	नत्थूसर बास मालियान एवं भाटान
17.	हरिजन आऊट साइड नत्थूसर गेट
18.	नायकान गंगाशहर रोड

3/18

1	2
19.	हरिजनान आउट साईड गोगा गेट
20.	अमरसर वैल
21.	रानी बाजार मालियान
22.	मेघवालान अमरसिंहपुरा
23.	नियर रेल्वे टैंक
24.	रानीसर मालियान आउट साइड शीतला गेट
25.	नायकान हनुमान हत्था

परिशिष्ट "ख"

कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर

न्यास द्वारा समय–समय पर घोषित कच्ची बस्तियों का विवरण निम्न है:–
यहां कच्ची बस्तियां सन् 1971 के बाद घोषित हुई हैं।

क्रमांक	बस्ती का नाम	न्यास द्वारा घोषित दिनांक
1	2	3
1.	सादुलगंज	17.10.74
2.	मौहल्ला पंचमुखा हनुमानजी	22.12.75
3.	मौहल्ला गुजरान कब्रिस्तान	"
4.	मुक्ताप्रसाद योजना (रामपुरा)	"
5.	बंगला नं. 10 के पीछे	"
6.	इण्डस्ट्रीयल एरिया	"
7.	चोखूंटी सांसियान	"
8.	कच्ची बस्ती इनसाई मघाराम	"
9.	जस्सूसर गेट बाहर	"
10.	मौहल्ला हरिजन कोरियान	
11.	सर्वोदय बस्ती नरसिंह सागर	"

1	2	3
12.	कमला कॉलोनी	22-12-75
13.	सुभाषपुरा	,,
14.	फतीपुरा मेघवालान	,,
15.	हमालों की बारी भादापियों की बगीची के बाहर	,,
16.	इन्द्रानगर कच्ची बस्ती	,,
17.	पाबूबारी प्रताप बस्ती हरिजन बस्ती	,,

परिशिष्ट—"ग"

अघोषित बस्तियां

1. सागर रोड
2. भाटों का बास
3. गुजरात का कब्रिस्तान के पूर्व में
4. कसाइयों की बारी बाहर खटीकान
5. गुजरान गोगागेट
6. गेरसरियान लाइन के पास
7. रोशनीघर चीलों के पास
8. रथखाना नाले के पास
9. बंगला नगर
10. आदर्श कॉलोनी

सहायक अभियंता सूरतगढ़ (गंगानगर) का अवैध चयन

383. **श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) श्री जीतसिंह सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखंड सूरतगढ़ पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह के अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे से चयनित सहायक अभियन्ता पद पर अवैध चयन के सम्बन्ध में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति श्रीगंगानगर द्वारा इस घपले की जांच की जा रही है ?-यदि हां,

(320)

(श्री डूंगरराम पंवार)

तो कब तक यह जांच सम्पन्न कर ली जायेगी ?

(2) जांच के बिन्दु क्या-क्या हैं ?

(3) श्री जीतसिंह के पिता श्री लक्ष्मणसिंह जो कि साउथ खण्ड गंग नहर श्री गंगानगर में गेज रीडर के पद पर पद स्थापित हैं की जाति क्या है ? क्या यह जाति अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है ? यदि नहीं, तो श्री जीतसिंह अनुसूचित जाति के कैसे हुये ?

(4) श्री जीतसिंह के शैक्षणिक अभिलेख के आधार पर इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मणसिंह है या कुछ अन्य ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भी जांच प्रारम्भ कर दी है जो शीघ्र पूरी करली जावेगी।

(2) जांच के बिन्दु परिशिष्ट 'क' में दर्शा दिये गये हैं।

(3) श्री लक्ष्मणसिंह के सेवा अभिलेख में उसकी जाति का कोई वर्णन नहीं है। श्री लक्ष्मणसिंह ने अतिरिक्त जिला दण्डनायक श्री गंगानगर द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण-पत्र परिशिष्ट "ख" प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार श्री जीतसिंह परिगणित अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

(4) शैक्षणिक अभिलेख के अनुसार श्री जीतसिंह के पिता का नाम श्री लक्ष्मणसिंह है।

परिशिष्ट 'क'

(1) श्री जीतसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह एक स्वर्ण जाति का रायसिक्ख परिवार का सदस्य है जिसने सरकार को सरे आम धोखा देकर जालसाजी से परिपूर्ण अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया और सरकार उसके इस तथाकथित जाति प्रमाण-पत्र से धोखे में आ गई और उसे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अनुसूचित जाति के कोटे में नियुक्ति दे दी।

(2) कितनी भारी विडम्बना है कि रायसिक्ख परिवार के इस व्यक्ति ने जाति प्रमाण-पत्र इस आशय का बनवाया कि वह रावल जाति का है और तत्कालीन अतिरिक्त जिला दण्डनायक ने यह प्रमाणित किया कि वह 'प्रगणित अनुसूचित जनजाति का सदस्य है यह परिगणित जाति भारतीय संविधान के अन्तर्गत परिगणित जाति आज्ञा 1950 के संविधान में परिगणित जाति भाग 1 प्रदेश की आज्ञा 1951 में परिगणित जाति मानी गई हैं।

(3) अब आप ही इस प्रमाण-पत्र का अर्थ निकालें कि यह प्रमाण पत्र-अनुसूचित

जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है या किसी परिगणित जाति का है।

यह सही है कि सरकार इस प्रमाण–पत्र को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र मानकर अनुसूचित जाति के कोटे की एक वैकेन्सी श्री जीतसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह को देकर उसे नाजायज तौर पर फायदा पहुंचाया है जो गहन जांच का विषय है। इस मूल प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्नक 'ए' है।

(3) कितनी हास्यास्पद बात है कि श्री जीतसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह के पिता श्री लक्ष्मणसिंह सिंचाई विभाग में गेज रीडर गंगनहर में जो कि आजकल साऊथ उपखण्ड गंगनहर श्री गंगानगर के हलका लाधुवाला में पदस्थापित है और राजकीय अभिलेख के मुताबिक इस श्री लक्ष्मणसिंह की जाति रायसिक्ख है जो मैंने स्वयं के सिंचाई विभाग के अधिकारियों से सत्यापित की है।

(4) इतना ही नहीं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में मैं यहां यह भी अंकित करना चाहूंगा कि श्री जीतसिंह की बहिन का नाम सरोज है जो श्री बालासिंह ग्राम साबीकी मोड तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर को ब्याही गयी है। इन दोनों पति–पत्नी का नाम पंचायत मतदाता सूची 1986 ग्राम साबीकी मोड के क्रम संख्या 49 व 50 पर अंकित है। मतदाता सूची की फोटो प्रति संलग्नक "बी" है।

इसी तथ्य की पुष्टि में श्री बालासिंह के पिता श्री हरनामसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति रायसिक्ख निवासी साबीकी मोड के परिवार कार्ड की फोटो प्रतिलिपी संलग्नक "सी" है। इस परिवार कार्ड में परिवार के सदस्यों की सूची में क्रम संख्या-3 पर श्री बालासिंह व क्रम संख्या-4 पर सरोज का नाम अंकित है जो श्री हरनामसिंह रायसिक्ख के क्रमशः पुत्र और पुत्रवधू हैं और जीतसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह के क्रमशः बहनोई व बहिन है।

(5) श्री करतारसिंह व श्री जीतसिंह एक पिता श्री लक्ष्मणसिंह के पुत्र हैं और चूंकि लक्ष्मणसिंह की जाति रायसिक्ख है। अतः इन दोनों भाईयों की जाति भी रायसिक्ख है। इन्हीं श्री करतारसिंह भाई श्री जीतसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह के पास 15 एल.एम. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा जमीन है और सिंचाई विभाग के रिकार्ड से स्पष्ट है कि श्री करतारसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह की जाति रायसिक्ख है।

(6) विडम्बना बड़ी दर्दभरी हैं क्योंकि एक तरफ तो इस देश का प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री (राजस्थान) सभाओं में, मीटिंगों में और सम्मेलनों में रेडियो और टी.बी. पर यह भाषण देते हैं कि अनुसूचित जाति का हक है अनुसूचित जाति

322

को ही मिलेगा, उसका हक छीनने वाले के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी। दूसरी ओर, इन्हीं प्रधानमंत्री के राज में और मुख्यमंत्री के राज में यह श्री जीतसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह सरे आम चन्द लोगों की मिलीभगत से उन्हें रिश्वत देकर कनिष्ठ अभियंता के पद पर अनुसूचित जाति के कोटे में नियुक्ति प्राप्त कर गये और रोस्टर-प्रणाली की धज्जियां उड़ाते हुए अनुसूचित जाति के लोगों के हक को छीनते हुए सहायक अभियंता पद को भी अपने बेशुमार पैसे और दौलत के सहारे लेकर बैठ गये। आपके सुलभ संदर्भ के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दिनांक 3.1.79 के आदेश से जारी वरिष्ठता सूची संलग्नक "डी" पर है जिसके क्रम संख्या—235 पर श्री जीतसिंह का नाम अंकित है व इसके नाम के आगे "एस.सी." अंकित है और सरेआम कहते घूम रहे हैं कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हर माह मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जयपुर को किश्त पहुंचाता हूं और अपने अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत—श्री गंगानगर को किश्त पहुंचाता हूं कोई ऐसी—वैसी बात होगी तो वे अपने स्तर से अपने आप में निबट लेंगे। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता।

परिशिष्ट "ख"

प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री जीतसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति रावल ग्राम श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान प्रदेश में प्रगणित अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

यह परिगणित जाति भारतीय संविधान के अन्तर्गत (परिगणित जाति) 1950 के संविधान में प्ररिगणीत जाति भाग एक प्रदेश की आई 1951 में परिगणित जाति मानी गयी है।

ह./—
अधिशासी अभियन्ता
जन स्वा. अभि .विभाग

ह./—
अतिरिक्त जिला दण्डनायक

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 490 की सूची

परिशिष्ट–"अ"

सी.ओ. बाली के क्षेत्राधिकार में वर्ष 1985 से वर्ष 1988–89 तक
धार्मिक मंदिरों/स्थानों में चोरियों का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	स्थान जहां चोरी हुई	मु.नं. व दिनांक, धारा व थाना	चोरी गई सम्पत्ति का विवरण	बरामदगी	अदम बरामदगी	जेर तफतीश	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1987	कस्बा खिमेल अम्बा माता का मंदिर	25/20-4-87,379 भादंसं थाना बाली	चांदी का मुकुट व छत्तर रु.400/–	रु.400/–	—	—	एफ.आर. अदम-पता मुलजिम
2.	,,	मंदिर गुडालारा	74/10-8-87 धारा 379 भादंसं थाना बाली	चांदी के छत्तर व अन्य सामान रु. 2300/–	—	2300/–	—	एफ.आर. अदमपता मुलजिम व माल
3.	1988	मंदिर पातावा	59/7-6-88 धारा 457 भादंसं व 380 भादंसं थाना बाली	मूर्ती व चांदी का मुकुट रु.250/–	—	250/–	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	1989	कस्बा बाली (मंदिर)	13/24-1-89, धारा 457/380 भादसं थाना बाली	मूर्ती की आंख व तिलक रु.3300/–	—	रु.3300/–	—	एफ.आर. अदम-पता मुलजिम का माल
5.	1985	जैन मंदिर मौजा डायलाना	6/18-2-85 धारा 457/380 भादसं थाना मगर तालाब	भगवान की मूर्ती की आंखें चुराना रु. 1500/–	—	रु.1500/–	—	,, ,,
6.	1988	मंदिर सिवास	34/20-8-88 धारा 379 भादसं थाना मगर तालाब	मूर्ती शिव की रु. 250/–	250/–रु.	—		चालान दिनांक 13–8–88
7.	1985	मंदिर रणकपुर	39/9–6–85 धारा 380 भादसं थाना सादड़ी	मूर्ती की आंखें रु. 2200/–	2200/–रु.	—	—	चालान दिनांक 4–7–85
8.	1987	मंदिर रणकपुर	39/21–7–87 धारा 380 भादसं थाना सादड़ी	मूर्ती की आखें रु. 475/–	475/–रु.	—	—	एफ.आर. अदम–पता मुलजिम व माल
9.	,,	भादरास	68/26–11–88 धारा 380 भादसं थाना सादड़ी	हनुमान जी की मूर्ती के चांदी के छत्तर रु. 200/–	—	200/–रु.	—	,, ,,
10.	,,	जैन मंदिर सादड़ी	69/6–12–87 धारा 454, 380 भादसं थाना सादड़ी	मूर्ती के छत्तर व मुकुट रु. 500/–	—	500/–रु.	—	,, ,,

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 491 की सूची

(प्रश्न के भाग 1 की सूची)

क्र.सं.	नाम पंचायत	उचित मूल्य के डीलर का नाम मय पिता के नाम एवं पता
1	2	3
1.	करवाड़	ग्राम सेवा सहकारी समिति, करवाड़
2.	इटावा	ग्राम सेवा सहकारी समिति, इटावा
3.	गेंता	ग्राम सेवा सहकारी समिति, गेंता
4.	बोरदा	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बोरदा
5.	बम्बुलिया कलां	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बम्बुलियाकलां
6.	ढीपरी चम्बल	ग्राम सेवा सहकारी समिति, ढीपरी
7.	मियाना	ग्राम सेवा सहकारी समिति, मियाना
8.	तलाब	ग्राम सेवा सहकारी समिति, तलाब
9.	जोरावरपुरा	ग्राम सेवा सहकारी समिति, जोरावरपुरा
10.	रजोपा	ग्राम सेवा सहकारी समिति, रजोपा
11.	जटवाड़ा	ग्राम सेवा सहकारी समिति, जटवाड़ा
12.	लुहावद,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, लुहावद
13.	दुर्जनपुरा	ग्राम सेवा सहकारी समिति, करजोदा
14.	ककरावदा	ग्राम सेवा सहकारी समिति, ककरावदा
15.	खातोली	ग्राम सेवा सहकारी समिति, खातोली
16.	पीपल्दाकलां	श्री विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री छीतर सिंह, राजपूत, निवासी पीपल्दाकलां।
17.	नोनेरा	श्री दिनेश कुमार आ. श्री भैंरुलाल जंगम, निवासी नोनेरा
18.	बागली	महावीर प्रसाद पुत्र गुलाबचन्द महाजन निवासी बागली।
19.	अयाना	रामबाबू आत्मज श्री मूलीलाल शर्मा, निवासी अयाना।

1	2	3
20.	लक्ष्मीपुरा	हरिश्चन्द्र ग्रा. मथुरालाल ग्रा. लक्ष्मीपुरा।
21.	ख्यावदा	प्रेमचन्द ग्रा. दानमल माली नि. पीपल्दाखुर्द।
22.	बिनायका	ग्रोमप्रकाश कलाल ग्रा. प्रहलाद सा. गणेशगंज।
23.	जलोदा खातियान	हरिप्रकाश ग्रा. माधोलाल कलाल, जलोदा–खातियान।
24.	रनोदिया	प्रभूलाल ग्रा. गणेशराम कलाल, नि. इटावा।
25.	गणेशगंज	ग्रोमप्रकाश प्रहलाद कलाल, गणेशगंज।
26.	बालूपा	ग्रोमप्रकाश मथुरालाल महाजन, नि. मियाना।
27.	फूसोद	रामबाबू ग्रा. मूलीलाल शर्मा सा. ग्रयाना।
28.	ग्रयाना	रामबाबू ग्रा. मूलीलाल शर्मा, सा. ग्रयाना।
29.	इटावा	शिवराज शर्मा ग्रा. भंवरलाल शर्मा, इटावा।
30.	इटावा	हरिशंकर ग्रा. हीरालाल कलाल, इटावा।

लाइसेंस प्राप्त केरोसिन तेल व्यापारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत	डीलर का नाम
1	2	3
1.	इटावा	श्री बद्रीलाल गोयल, इटावा।
2.	इटावा	श्री ग्रोम प्रकाश महेन्द्र कुमार, इटावा।
3.	इटावा	परसमल मनूमल, इटावा।
4.	इटावा	बृजेन्द्र कुमार महेन्द्र कुमार, इटावा।
5.	इटावा	नन्द लाल कैलाश चन्द, इटावा।
6.	इटावा	चतुर्भुज शिव नारायण, इटावा।
7.	इटावा	हीरालाल बद्रीलाल, इटावा।
8.	ग्रयाना	सुरेश कुमार चतुर्भज, ग्रयाना।
9.	लुहावद	रामेश्वर प्रसाद सुवालका, लुहावद।

1	2	3
10.	पीपल्दा	लोकेश किराना स्टोर, पीपल्दा ।
11.	इटावा	दिनेश कुमार, इटावा ।
12.	खातोली	बद्री लाल शर्मा, खातोली ।
13.	खातोली	राजेन्द्र कुमार हरीश कुमार, खातोली ।
14.	खातोली	बाबूलाल पालीवाल, खातोली ।
15.	खातोली	अब्दुल हमीद लुकमान, खातोली ।
16.	खातोली	मुरारी लाल मांगी लाल, खातोली ।
17.	ढीपरी	प्रेम शंकर, ढीपरी ।
18.	गेंता	देवी लाल, गेंता ।
19.	तालाब	बाबू लाल राजेन्द्र कुमार, तालाब ।
20.	जोरावरपुरा	चतुर्भुज जोरावरपुरा ।

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 494 की सूची

परिशिष्ट–अ

बारां चूना, ईंट भवन निर्माण वस्तु उत्पादक सहकारी समिति को वर्ष 69-70 व 70-71 में उपलब्ध कराये गये ऋण का विवरण

ऋणदात्री संस्था का नाम	दिनांक	योजना	ऋण
राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर	11-11-69	छोटा भट्टा यूनिट	
		(1) पूंजीगत व्यय हेतु ऋण	500.00
		(2) कार्यकारी पूंजी ऋण	2000.00
,,	5-4-71	कार्यकारी पूंजी ऋण	3000.00
,,	24-4-71	,,	2500.00
		योग :	8000.00

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न सं. 496 की सूची

सूची 'अ'

न्यायालय ए. एम. जे. हिण्डौन के मालखाना से चोरी गये हथियारों की सूची निम्न प्रकार से है :—

1. एक चाकू एफ. आई. आर. नं. 78/85 थाना टोडाभीम।
2. एक कट्टा देशी 303 बोर मु. नं. 23/85 थाना हिण्डौन।
3. एक कट्टा 303 बोर मय तीन कारतूस मु. नं. 324/84 थाना हिण्डौन।
4. एक कंडिया मु. नं. 313/84 थाना हिण्डौन।
5. एक कट्टा देशी टोपीदार मु. नं. 101/84 थाना हिण्डौन।
6. 5 कारतूस 12 बोर मु. नं. 59/84 थाना हिण्डौन।
7. एक रिवाल्वर 38 बोर मु. नं. 59/84 थाना महुवा मय 6 कारतूस।
8. एक कट्टा 12 बोर 2 कारतूस 12 बोर मु. नं. 49/83 थाना हिण्डौन।
9. एक शिल्ड कट्टा 303 बोर मु. नं. 70/80 थाना महुआ।
10. एक कट्टा देशी मय 8 कारतूस मु. नं. 67/82 थाना सलेमपुर।
11. खाली कारतूस 23 बारा बोर मु. नं. 47/82 थाना हिण्डौन।
12. एक कट्टा देशी मु. नं. 27/80 थाना महुवा।

अनुसूची–ब

रिपोर्ट इत्तिला सम्मन (प्रथम सूचना)
(नियम 288 रा. पु. रे.)

(जो काबिज तत्सम्बन्धी पुलिस जुर्म में हस्ब 114 जा.फो. जाने पर चाक होती है)

हिण्डौन	जिला	सवाई माधोपुर
एवं (कुर्की में) 115/86	और वक्फ वकुआ	16/17-3-86

तारीख और वक्फ मय प्रतियां हुई मय रिपोर्ट नं. विवाद का नाम	नाम वकुआ और फासला और सिम्स जाने से मय नाम हल्का अगर कोई दूसरा हो	तारीख व वक्त रवानगी होने के
तारीख 17-3-86	अदालत, माल खाना, हिण्डौन	जरिये डाक

(330)

1	2	3
समय 10.50 A.m. रपट नं. 1068 से आ.	सिटी व जानिब उत्तर व फासला ½ Km. थाने से	
नाम व हल्का नं. 104		हल्के में बकुआ नम्बर 52

नाम मकबूल जिला कुनिन्दा और मुस्तगीस सूचना देने वाले	नाम और बकुआ मुल्जिमान (निवास स्थान अपराधी)	मुख्तसिर हालात जुर्म जो	कार्यवाई तफतीस जब्त में पाई गई और वजह देरी जो इत्तला करने में हुई हो	नतीजा कदम
श्री किशनाराम s/o घासीराम जाति कोली उम्र 30 साल सा. औड मीना हाल सहायक नाजिर M.J.M. हिण्डौन		सारकान ने अदालत के मालखाना का ताला तोड़कर नकद रुपये का सरका किया धारा 457 380 IPC	रिपोर्ट तहरीरी प्राप्त होने पर फौरी मुकदमा कायम कर तफतीश शुरू की गई	

अदालत अनुसूची 'ब' SHO PS HDN

M J. M. 15123, 17-3-86

प्रेषिति थाना अधिकारी पुलिस थाना हिण्डौन सिटी, महोदय निवेदन है कि आज सुबह पौने दस बजे श्री किशनराम सहायक नाजिर मुन्सिफ कोर्ट हिण्डौन ड्यूटी पर आये तो देखा कि मजारा मालखाना मुन्सिफी हिण्डौन के कमरे का कुन्दा टूटा हुआ है तथा नजारत के अन्दर रखी गोदरेज की आलमारी में रखा केश बोक्स में से दो हजार चौसठ रुपये सत्तर पैसे गायब हैं। वा डबल लोक की नाजिर वाली एक चाबी से नजारत में रखे डबल लोक की तिजोरी को खोलने का प्रयास किया गया है। क्योंकि नाजिर वाली डबल लोक की चाबी डबल लोक की तिजोरी के छेद में फंसी हुई हैं। मुन्सिफी का मालखाना तथा अन्य सामान व

रिकार्ड की सूचना वेरीफिकेशन के पश्चात दी जावेगी, अतः मुकदमा दर्ज कर तुरन्त मोके पर पहुंच कर कानूनी कार्यवाही करें। भवदीय S/d चन्द्र प्रताप सिंह मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन 17-3-86।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री किशनराम S/o श्री घासीराम जाति महावर उम्र 30 साल नि. अौड मीना थाना महुआ हाल सहायक नाजिर M. J. M. कोर्ट हिण्डौन सिटी ने हाजिर थाना होकर पेश की, जिसकी नकल अक्षा से की गई, मजबून रिपोर्ट से मामला सरेदस्त जुर्म धारा 457/380 IPC का बकुं में आना पाया जाता है। अतः मु. नं. 115/86 वदफा मजकूर कायम कर तफ्तीश में मन SHO श्री नारायण शर्मा मशरूफ तफतीस हुवा प्रतियां FIR नियमानुसार जारी की गई।

Sd./-
SHO PS, HDN

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 498 की सूची

मार्च, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक जयपुर स्थित शराब के ठेकों पर मारे गये छापों एवं दर्ज किये गये मुकदमों की सूची

क्र.सं.	अभियोग संख्या	दिनांक	नाम व्यक्ति/फर्म
1	2	3	4
1.	16	11–8–88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी अनुज्ञाधारी।
			2. कैलाश पुत्र लालसिंह
2.	18	3–9–88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी
			2. राजेन्द्रकुमार पुत्र रणजीत सिंह
			3. उमराव सिंह पुत्र विजयसिंह
3.	19	13–9–88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी
			2. भगवान सिंह पुत्र गोपालसिंह
			3. जगदीश पुत्र रामेश्वर दयाल
4.	32	3–9–88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी
			2. श्यामसिंह पुत्र नाथूसिंह
5.	20	6–9–88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी
			2. अलाऊदीन
6.	23	2–10–88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी
			2. ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल
7.	28	3–10–88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी
			2. राजेन्द्र कुमार एण्ड पार्टी
			3. कुशालदास पुत्र लीलाराम सिन्धी
8.	47	4–10–88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी
			2. नेमीचन्द पुत्र रामलाल
9.	32	21–10–88	1. सुरजीत सिंह पार्टी
			2. इन्द्रसिंह पुत्र सिंगराम

1	2	3	4
10.	33	22-10-88	1. सुरजीत सिंह पार्टी 2. सीताराम कल्याण सहाय
11.	34	23-10-88	1. सुरजीत सिंह पार्टी 2. दिलीपसिंह पुत्र फूलचन्द
12.	23	25-10-88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी 2. अजयकुमार पुत्र रामचन्द्र
13.	24	25-10-88	1. सुरजीत सिंह पार्टी 2. सुनील पुत्र गोपाल लाल
14.	25	25-10-88	1. सुरजीत सिंह पार्टी 2. आत्माराम पुत्र बाला बक्श
15.	29	18-11-88	1. सुरजीत सिंह पार्टी 2. मूलसिंह पुत्र बने सिंह
16.	40	18-11-88	1. सुरजीत सिंह पार्टी 2. गोपालसिंह पुत्र सवाई सिंह
17.	41	18-11-88	1. सुरजीत सिंह पार्टी 2. प्रभुनारायण पुत्र शिवजीरा
18.	43	18-11-88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी 2. रामनिवास पुत्र रूपाराम
19.	30	23-11-88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी 2. नाथूसिंह रामचन्द्र
20.	31	23-11-88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी 2. जगदीश पुत्र रामेश्वर
21.	32	23-11-88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी 2. अमरनाथ पुत्र मिल्खसिंह
22.	44	23-11-88	1. सुरजीत सिंह पार्टी 2. गोपालसिंह पुत्र सवाई सिंह

1	2	3	4
23.	45	23-11-88	1. सुरजीत सिंह पार्टी 2. रघुवीर सिंह पुत्र हनुमानसिंह
24.	46	23-11-88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी 2. विनोदकुमार पुत्र बनवारी
25.	38	29-11-88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी 2. आत्माराम पुत्र रामचन्द्र
26.	39	29-11-88	1. सुरजीत सिंह पार्टी 2. ओमप्रकाश भरतसिंह
27.	42	29-11-88	1. सुरजीत सिंह पुत्र एण्ड पार्टी 2. गंगासिंह पुत्र प्रतापसिंह
28.	37	29-12-88	1. सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी 2. राजाराम पुत्र जौहरी लाल

नोट :—सुरजीत सिंह एण्ड पार्टी में निम्न भागीदार हैं।

1. सुरजीतसिंह गुर्जर सिंह।
2. सुनील टाक पुत्र चिरंजीलाल।
3. पुष्पराज
4. सुबीरसिंह पुत्र अमरचन्द।
5. सुनील पारवानी पुत्र भांगीराम।
6. हंसराज पुत्र सुरजाराम।
7. टेकसिंह पुत्र सुरजीत सिंह।

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 500 की सूची

दिनांक 1.4.1988 से 31.3.1989 तक दुर्घटनाओं की जिलेवार सूचना

क्र.सं.	नाम जिला	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	घायल हुये व्यक्तियों की संख्या	सरकारी वाहनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	706	188	793	39
2.	भीलवाड़ा	153	103	72	8
3.	नागौर	137	36	173	4
4.	जयपुर शहर	1120	190	1049	86
5.	जयपुर ग्रामीण	725	313	941	85
6.	झुन्झुनू	134	53	163	6
7.	सीकर	173	55	189	2
8.	टोंक	180	54	269	2
9.	भरतपुर	165	80	80	12
10.	अलवर	332	107	313	25
11.	सवाईमाधोपुर	167	32	134	15
12.	धौलपुर	83	29	92	2
13.	बीकानेर	192	70	170	14
14.	चूरू	106	34	131	6
15.	गंगानगर	442	191	547	38
16.	जोधपुर	433	149	456	27
17.	जालौर	107	29	162	10
18.	जैसलमेर	57	16	67	7
19.	बाडमेर	180	60	260	18
20.	पाली	276	116	379	8

1	2	3	4	5	6
21.	सिरोही	166	30	275	9
22.	कोटा शहर	464	47	469	6
23.	कोटा ग्रामीण	201	80	156	17
24.	बूंदी	141	53	253	7
25.	झालावाड़	117	35	153	2
26.	उदयपुर	757	206	777	11
27.	बांसवाड़ा	185	46	328	11
28.	चित्तौड़गढ़	293	116	781	11
29.	डूंगरपुर	157	49	196	15
30.	जी. आर. पी.	116	–	–	–
	योग	8465	2567	9828	503

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 501 की सूची

परिशिष्ट "क"

चौकड़ी अनुसार हैण्डपम्पों की सूची

क्रम सं.	चौकड़ी का नाम	कुल हैण्डपम्पों की संख्या	अनुपयोगी हैण्डपम्पों की संख्या	कार्यरत हैण्डपम्पों की संख्या
1.	चौकड़ी मोदीखाना	20	1	19
2.	चौकडी विश्वेश्वर जी	22	1	21
3.	चौकडी घाटगेट	45	1	44
4.	चौकडी गंगापोल	26	1	25
5.	चौकडी तोपखाना हुजूरी	51	2	49
6.	चौकडी रामचन्द्र जी	41	–	41
7.	चौकडी बास बदनपुरा	11	2	9
8.	चौकडी लक्ष्मीनारायणपुरी	26	2	24
9.	चौकडी आमेर रोड (पूर्व)	4	–	4
10.	चौकडी आमेर रोड (पश्चिम)	11	–	11
11.	चौकडी तोपखाना देश	45	1	44
12.	चौकडी सरहद	23	–	23
13.	चौकडी पुरानी बस्ती	42	–	42
14.	चौकडी ब्रह्मपुरी	21	1	20
15.	चौकडी जालूपुरा, न्यूकालोनी इत्यादि	18	2	16
	कुल योग–	406	14	392

परिशिष्ट "ख"

पिछले एक साल में जयपुर शहर में डाली गई पाइप लाइनें

क्र.सं.	स्थान का नाम जहां पाइप लाइन डाली गई	साइज (मि.मी.)
1	2	3
1.	जमनालाल बजाज मार्ग से सिविल लाइन फाटक से एस. पी. मार्ग	300
2.	सिविल लाइन फाटक से राज. रोडवेज मुख्यालय से अजमेर पुलिया	300
3.	गोल चक्कर गीता भवन से बर्फखाना चौराहा	250
4.	जमना लाल बजाज मार्ग एस. पी. मार्ग चौराहा से सुभाष मार्ग	250
5.	बजाज नगर	200
6.	गांधी नगर में "ई" टाइप क्वाटरों के सामने, बी–6 से "एफ" टाइप क्वाटर, इन्टर लाइन से मैन रोड, बजाज नगर	200
7.	बाइस गोदाम से जमना लाल बजाज मार्ग	200
8.	बाइस गोदाम चौराहे से ज्योतिनगर टंकी तक	200
9.	अजमेर रोड से खातीपुरा रोड वाया हसनपुरा	200
10.	विद्युत मण्डल कार्यालय से ललिता शास्त्री नगर	200
11.	महावीर मार्ग से पृथ्वी राज मार्ग	200
12.	पागल खाने से सिंधी कॉलोनी	150
13.	नोड नं. 272 से शांति पथ, बजाजनगर पुलिस थाना	150
14.	पागल खाने से जनता कॉलोनी	150
15.	आदर्श नगर पम्पगृह से श्मशान भूमि तक	150
16.	परनामी मन्दिर से बर्फखाना	150
17.	नोड नं. 536 से मैन रोड गांधीनगर रेल्वे स्टेशन	150
18.	टौंक रोड से नेहरू प्लेस	150
19.	शास्त्री नगर पुलिस अकादमी रोड	150

1	2	3
20.	खण्डेला कालेज से पी. एण्ड टी. क्वाटर	150
21.	नोड नं. 570 से रामनगर टंकी तक	150
22.	बड़ी चौपड़ से विधानसभा भवन	150
23.	झोटवाड़ा में लता सिनेमा हाल से रेल्वे क्रासिंग, खातीपुरा रोड	200
24.	नोड नं. 103 से 373 (शास्त्री नगर)	200
25.	गांधीनगर मोड से राजेन्द्र मार्ग चौराहा	150
26.	स्टेशन रोड से कांती चन्द्र मार्ग	150

परिशिष्ट "ग"

शेष स्थान (जयपुर) जहां पर पाइप लाइन आवश्यक हैं।

क्र.सं.	स्थान का नाम
1	2
1.	नोड नं. 106 से शास्त्री नगर पुराना पम्प हाउस
2.	गणेश मार्ग चौराहे से राजेन्द्र मार्ग, दुर्लभ जी अस्पताल
3.	कांति चन्द्र मार्ग
4.	इमली वाले फाटक से लालकोठी स्कीम
5.	बनीपार्क में तुलसी मार्ग चिकारा केन्टीन के सामने से बिहारी मार्ग चौराहा
6.	महावीर मार्ग सब्जी मण्डी से जय क्लब चौराहा
7.	झोटवाड़ा रोड से बस्ती सीतारामपुरा
8.	ध्रुव मार्ग से गुरू नानकपुरा गली नं. 2 एवं 3
9.	घोड़ा निकास रोड से फूटा खुर्रा
10.	जगन्नाथ शाह का रास्ता फूटा खुर्रा दूसरा चौराहा
11.	दूसरा चौराहा धाबाई जी का रास्ता से दूसरा चौराहा फूटा खुर्रा
12.	स्टेच्यू सर्किल से भगवान दास मार्ग एवं पृथ्वीराज मार्ग

(3.40)

1	2
13.	दुलर्भ जी अस्पताल से जे.डी.ए. चौराहा
14.	नोड नं. 104 से नोड नं. 373 (शास्त्री नगर)
15.	मिनर्वा सिनेमा हाल से एम.आई. रोड
16.	सेठी कॉलोनी में
17.	उनियारों का रास्ता म. नं. 2976 से 300 मि.मि. व्यास की लाइन के समानान्तर
18.	आई.टी.आई. से इन्दिरा कॉलोनी
19.	बोराज ठाकुर का रास्ता किशन पोल बाजार
20.	एस.पी. मार्ग से रेजीडेन्सी कॉलोनी
21.	लुहारों का रास्ता घाटगेट
22.	मुसाफिरों की गली चौकडी रामचन्द्रजी
23.	कोलियों की गली चौकड़ी घाटगेट
24.	नुमोरी हाउस से कन्हैयालाल कोली का मकान से रहीम बक्स का मकान
25.	रामगंज चौपड से छोटी चौपड

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या–502 की सूची

नगरपालिका, नवलगढ़ में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	नियुक्ति तिथि
1.	श्री सुभाष पुरोहित	कर निर्धारक	15.12.1983
2.	श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा	पैरोकार	15.7.1980
3.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	15.12.1983
4.	,, बिहारीलाल जानू	नाकेदार	16.2.1982
5.	,, विजय कुमार मिश्रा	नाकेदार	15.12.1983
6.	,, पोकर मल शर्मा	सब नाकेदार	3.3.1981
7.	,, जगदीश प्रसाद सैनी	सब नाकेदार	1.5.1981
8.	,, प्रमोद कुमार डोकवाल	सब नाकेदार	15.12.1983
9.	,, सज्जन कुमार शर्मा	सब नाकेदार	15.12.1983
10.	,, नटवर लाल शर्मा	सब नाकेदार	15.12.1983
11.	,, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	नाकागार्ड	15.12.1983
12.	,, झाबर मल सैनी	नाकागार्ड	14.2.1982
13.	,, महावीर प्रसाद जाट	नाकागार्ड	15.12.1983
14.	,, मखन लाल जागृत	नाकागार्ड	15.12.1983

दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची

1.	श्री रवि प्रकाश शर्मा	सब नाकेदार	2.5.1984
2.	,, श्यामसुन्दर शर्मा	,,	18.1.1984
3.	,, सज्जन कुमार शर्मा	नाकागार्ड	2.3.1985
4.	,, पवन कुमार शर्मा	सब नाकेदार	11.6.1984
5.	,, केदारमल सैनी	ड्राइवर	4.4.1984
6.	,, सीताराम सैनी	बागवान	18.5.1984
7.	,, सत्यनारायण सैनी	च.श्रे. कर्मचारी	2.3.1984

नोट:–इस पालिका में फिक्स वेतन पर कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

342

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 508 की सूची

परिशिष्ट ',क''

जिला नागौर में लगाये जा रहे विलवणीकरण (डिसेलीनेशन) संयंत्रों की सूची

क्र सं.	गांव का नाम	आबादी 1981 जन-गणना के अनुसार	अभिरुपित आबादी पर शुद्ध पेयजल 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से आवश्यकता (घनमीटर प्रतिदिन)	संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन शुद्ध पेय-जल वितरण के लिये 8 घंटे बिजली मिलने पर (घ.मी. प्रतिदिन
1	2	3	4	5
1.	अलाय	6653	93	100
2.	भदवासी	1846	26	30
3.	गोगेलाव	2167	30	30
4.	सींगड	1952	27	30
5.	भदाणी	952	14	20
6.	कालारी	954	14	20
7.	खडूली	1232	17	20
8.	पिन्डीया	1385	20	20
9.	हुवचर	822	12	20
10	खरवालिया	1026	14	20
11.	पलारा	2603	37	50
12.	नारायणपुरा	644	9	10
13.	कालबा छोटाबास	1032	14	20
14.	मांजी	1941	27	30
15.	खोखर	1249	17	20
16.	इंदोखा	1558	22	30
17.	रघुनाथपुरा	250	4	10
18.	सूपका	1431	20	20
19.	डुगोरदासा	450	7	10
20,	पाटन	487	7	10

(543)

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न सं. 515 की सूची)

नगर परिषद, अलवर में दिनांक 22-10-87 से 30-6-89 तक हुए सेवा निवृत कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी व पद	सेवा निवृत दिनांक	कारण
1.	श्री रामधन, सब नाकेदार	21-10-87	मृत्यु से
2.	,, बाबूलाल पुत्र मोती, ड्राईवर	31-8-88	सेवा निवृत
3.	,, बूघा पुत्र कल्ली, स. कर्मचारी	8-2-88	मृत्यु से
4.	श्रीमती लल्ली पत्नी सुमरिया, स.क.	13-2-88	मृत्यु से
5.	श्रीमती शांति पत्नी सूरजमल, स.क.	28-2-88	सेवा निवृत
6.	श्री राधेश्याम पुत्र प्रभाती, स.क.	6-3-88	मृत्यु से
7.	,, घीसा पुत्र सिमरू, स.क.	23-3-88	मृत्यु से
8.	श्रीमती कलावती पत्नी गोविन्दसहाय च.श्रे.क.	30-5-88	मृत्यु से
9.	श्री ईश्वरलाल, फायरमैन	31-8-88	सेवा निवृत
10.	,, परसा पुत्र सगरू, स.क.	31-8-88	सेवा निवृत
11.	,, ख्वाजा पुत्र पन्ना, भिश्ती	30-9-88	सेवा निवृत
12.	,, भौंरूलाल पुत्र प्रभाती, स.क.	30-9-88	सेवा निवृत
13.	,, रमेश चन्द, सब नाकेदार	7-10-88	मृत्यु से
14.	,, कन्हैयालाल, नाकागार्ड	31-10-88	सेवा निवृत
15.	,, धापू पुत्र भाना, स.क.	31-10-88	सेवा निवृत
16.	,, रामस्वरूप बोहरिया, स.क.	30-11-88	सेवा निवृत
17.	,, डिल्लू पुत्र लालजी, स.क.	6-12-88	मृत्यु से
18.	,, विश्म्भरदयाल, मैकेनिक	3-1-89	मृत्यु से
19.	,, मुंशी पुत्र गफूर, भिश्ती	28-2-89	सेवा निवृत
20.	,, रामस्वरूप पुत्र कृपा, भिश्ती	1-4-89	कम्पलसरी रिटायरमेंट
21.	,, सुखाराम पुत्र रिखाराम, गैंगमैन	31-5-89	सेवा निवृत
22.	,, पदम पुत्र चिरंजीव, गैंगमैन	15-6-89	मृत्यु से
23.	,, पुरूषोत्तम, नाकेदार	30-6-89	सेवा निवृत

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 520 की सूची

नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ द्वारा सार्वजनिक कार्यों का वर्ष 1984–85 से 1988–89 तक का विवरण

क्र.सं.	नाम कार्य	कार्य पर व्यय हुई राशि	वित्तीय वर्ष
1	2	3	4
1.	ईदगाह मस्जिद से श्मशान भूमि तक सड़क निर्माण कार्य	92,626.00	वर्ष 83–84 में 21,192/– वर्ष 84–85 में 71,434/–
2.	जाजोदियों की बगीची से पौद्दार गेस्ट हाउस तक सड़क निर्माण	4,853.00	वर्ष 1984–85
3.	पोद्दार गेस्ट हाउस से मन्दिर भूतनाथ तक सड़क निर्माण	9,134.00	,,
4.	सीकर रोड से शीतला के मन्दिर तक (हरिजन बस्ती)	16,128.00	,,
5.	जाजोदिया की बगीची से अली–बक्स खां भाटी के मकान तक सड़क निर्माण कार्य	55,032.00	,,
6.	खुर्रा निर्माण कार्य वार्ड नं. 1 (खटीक बस्ती)	18,954.00	,,
7.	ईदगाह मस्जिद से पन्ना तेली के मकान तक नाली निर्माण	15,902.00	वर्ष–1985–86
8.	पन्ना तेली के मकान से यासीन तेली के मकान तक नाली निर्माण	15,100.00	,,
9.	बेली की दुकान से पुरानिया कुंआ तक (निर्माण नाली)	3,787.00	,,
10.	खुर्रा निर्माण यासीन काली मास्टर की गली	16,248.00	,,

1	2	3	4
11.	गूजर गौडों की गली वार्ड नं. 8 नाली निर्माण कार्य	9,672.00	वर्ष 1985–86
(ए)	खुर्रा निर्माण मोहम्मद शफी के मकान से मदरसा तक वार्ड नं. 5	10,702.00	,,
12.	अन्य कार्य	20,192.00	,,
13.	सड़क के मेन्टीनेन्स हेतु	1,668.00	वर्ष 1986–87
14.	अनु. जाति व जनजाति के गरीब व्यक्तियों के लिए दुकानों का निर्माण	1,04,500.00	,,
15.	,,	27,811.00	,,
	जोहड़ खुदाई वार्ड नं. 19 व 24		
	–बस स्टेण्ड के क्षेत्र में नाली निर्माण		
	–रामदेवरा से श्री रघुनाथ अस्पताल के रास्ते पर नाली निर्माण		
	–लाल कुंआ से ध्यानदास के कुएं तक नाली निर्माण		
	–वार्ड नं. 22 में अब्दुल गली से खेलजी के कुएं के रास्ते पर नाली निर्माण		
	उपरोक्त कार्यों पर कुल व्यय		
	(1) मजदूरी पर व्यय	40,702.00	वर्ष 1987–88
	(2) मजदूरी पर व्यय	52,553.00	वर्ष 1988–89
	(3) सामग्री पर व्यय	26,165.00	वर्ष 1988–89

(340)

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 521 की सूची

जिला बांसवाड़ा के सिंचाई विभाग द्वारा शुरू किये पिक अप वीयरों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम (पिक अप वीयर)	पंचायत समिति	अनुमानित लागत (संशोधित) (लाख रु.)	खर्च हुए (लाख रु.)
1	पाटडिया	सज्जनगढ़	9.00	2.49
2.	वनेला	बागीदौरा	10.00	0.83
3.	रेलपाड़ा	पीपलखुंट	12.00	6.76
4.	कलवानी	,,	7.00	0.90
5.	पन्थोल	,,	36.00	0.79
6.	धारन	,,	12.00	2.78
7.	पनासी	गढ़ी	6.00	2.76
8.	कुवाडिया	,,	6.00	2.44
9.	बोमियां	,,	6.00	2.69
10.	पाटेलिया	,,	6.00	0.53
11.	आमजा	,,	6.00	1.21
12.	भंवरखड़ा	,,	7.00	1.60
13.	चरखनी	,,	5.00	3.03
14.	डाबर	,,	5.00	0.70
		योग:–	131.00	29.51

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 523 की सूची

प्रपत्र–"अ"

मास्टर प्लान में करौली उपखण्ड के अन्तर्गत सिंचाई योजनायें :

क.सं.	पूर्ण हुई योजनायें	सिंचित क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3
1.	धावली	20 हैक्टेयर
2.	दाफलपुरा	963 हैक्टेयर
3.	रिन्डपुरा	182 हैक्टेयर
4.	बंधारा	590 हैक्टेयर
5.	रातियापुरा	61 हैक्टेयर
6.	शारदा	61 हैक्टेयर
7.	मामचरी	20 हैक्टेयर
8.	मदन सागर	106 हैक्टेयर
9.	मदनपुर	958 हैक्टेयर
10.	हैडाहोली	414 हैक्टेयर
11.	फतहसागर	996 हैक्टेयर
12.	बनीपुर	60 हैक्टेयर
13.	दी दागीपुर	54 हैक्टेयर
14.	जांगिलपुर अपर	13 हैक्टेयर
15.	जांगिलपुर लोवर	14 हैक्टेयर
16.	विजयपुर-II	13 हैक्टेयर
17.	कपिना टैंक	351 हैक्टेयर
18.	नीरमोहाल	88 हैक्टेयर
19.	मिजाऊ वाला	11 हैक्टेयर
20.	बंगवाला	425 हैक्टेयर

1	2	3
21.	भाटा	37 हैक्टेयर
22.	टाली	16 हैक्टेयर
23.	रासूकलन्दा	74 हैक्टेयर
24.	कोनियां	20 हैक्टेयर
25.	नयाताल	53 हैक्टेयर
26.	किना बंध	11 हैक्टेयर
27.	टिडावार	13 हैक्टेयर
28.	भोम्रागर	7 हैक्टेयर
29.	विजयपुर	7 हैक्टेयर
30.	डूंगर	3 हैक्टेयर
31.	विजयपुर–III	7 हैक्टेयर
32.	खैर बंध	7 हैक्टेयर
33.	धौलीबाडा	27 हैक्टेयर
34.	सिरातीबंध	17 हैक्टेयर
35.	लखीमपुर	9 हैक्टेयर
36.	बानसागर	20 हैक्टेयर
37.	बनापुर	20 हैक्टेयर
38.	सोहनगिरपुरा अपर	11 हैक्टेयर
39.	सोहनगिरपुरा लोवर	11 हैक्टेयर
40.	धाकर लोवर	11 हैक्टेयर
41.	धाकर अपर	20 हैक्टेयर
42.	विजयपुर–I	20 हैक्टेयर
43.	विजयपुर–II	13 हैक्टेयर
44.	धोकरा लोवर	20 हैक्टेयर

निर्माणाधीन	सिंचित क्षेत्र हैक्टेयर
(1) पांचना	9985 हैक्टेयर

क्र.सं.	प्रस्तावित	सिंचित योग्य क्षेत्र	विशेष विवरण
1.	दोरिका तालाब	270 हैक्टेयर	सर्वे होना है।
2.	मेरिना	73 हैक्टेयर	,,
3.	दोलिलपुर	86 हैक्टेयर	,,
4.	देपुरा	97 हैक्टेयर	,,
5.	बैड डेम	103 हैक्टेयर	,,
6.	भालूपूर डेम	8 हैक्टेयर	,,
7.	भादर वाला	44 हैक्टेयर	,,
8.	सेपुरा डेम	67 हैक्टेयर	,
9.	बदोईवाला	54 हैक्टेयर	,,
10.	गुबारडा	67 हैक्टेयर	,,
11.	डाबलिया	810 हैक्टेयर	,,
12.	रोधीन लिफ्ट	7761 हैक्टेयर	सर्वे कार्य प्रगति पर हैं।

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 525 की सूची

सेवा में,

श्रीमान् थानेदार साहब, थाना सपोटरा

विषय:–एक अज्ञात औरत पेड़ से लटकी हुई है।

उक्त विषय में निवेदन है कि मैं आज दिनांक 14-6-89 को प्रात: 5 A.M. पर खेतों की तरफ टट्टी करने गया हुआ था। तो मुझे मनोहरलाल शर्मा के कुंआ पर बबूल के पेड़ से एक अज्ञात औरत लटक रही है। जो मरी हुई है। अत: सूचनार्थ रिपोर्ट सेवार्पित है।

भवदीय
रामेश्वरपाल
14-6-89
5.30 A.M.
रिटायर अध्यापक, सपोटरा।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री रामेश्वरपाल S/o बद्रीपाल उम्र 55 साल जाति राजपूत हाल रिटायर अध्यापक P/o सपोटरा ने हाजिर थाना होकर पेश की जिसकी नकल मर्ग F.I.R. में अक्षर सं. अक्षर की गई। मजमून रिपोर्ट से मामला सरेदस्त मर्ग इन्सान का वकू में आना पाया जाता है। अत: मर्ग F.I.R. 2/89 U/S 174 I.P.C. में किता की जाकर वास्ते कार्यवाही 174 I.P.C. A.S.I. श्री रामकिशन सिंह को मामूर किया गया प्रतियां F.I.R. नियमानुसार जारी हुई।

(पोस्ट मार्टम की मूल प्रति अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

परिशिष्ट—18

अतारांकित प्रश्न संख्या 527 की सूची

परिशिष्ट "1"

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जीन्स द्वारा सम्पादित कार्यों का प्रगति विवरण 1.12.88 से 31.3.1989 तक

क.सं.	विषय	कुल प्राप्त प्रकरण	कुल निष्पादित प्रकरण
1	2	3	4
1.	भवन निर्माण स्वीकृति हेतु	1521	1202
2.	खाली भूमि का नियोजन :		
	(1) केसेज	12	11
	(2) क्षेत्रफल (लाख वर्गमीटर)	2.20	2.13
3.	भूखण्डों का उप विभाजन/पुर्नस्थापना	20	16
4.	भूखण्डों का डिमारकेशन/साइट प्लान एवं कब्जे दिये		
	(1) भूखण्ड का डिमारकेशन	294	294
	(2) साइट प्लान बनाये और सुपुर्द किये	135	135
	(3) कब्जे पत्र जारी किये	279	279
5.	प्रवर्तन कार्य		
	(1) कुल रजिस्टर्ड केसेज	451	
	(2) नोटिस जारी किये		974
	(3) मकान ध्वस्त किये गये		315
	(4) अभियोजन हेतु केस भेजे गये		896
	सरकारी/जेडीए भूमि पर अतिक्रमण		
	(1) कुल केसेज	457	
	(2) सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाये गये		373

1	2	3	4
	(3) जेडीए/सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए गये		259
6.	विनिमय/पुनर्ग्रहण/निरस्तीकरण		
	(1) भूखण्डों का विनिमय	19	19
	(2) ,, का हस्तान्तरण	30	30
	(3) पट्टे जारी किये	53	53
	(4) लाइसेंस डीड जारी किये	468	468
7.	काउण्टर केसेज	2158	1513
8.	वी.आर. केसेज	186	160
9.	कच्ची बस्ती की प्रगति रिपोर्ट		
	(1) आवंटन पत्र जारी किये	383	383
	(2) भवन निर्माण स्वीकृति की प्रगति	72	68
	(3) काउण्टर केसेज की प्रगति	231	194
	(4) वी.आर. केसेज की प्रगति	19	19

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

जोन्स में कार्य विवरण।

कर्मचारी का विवरण (सुपरवाईजिंग कार्य)	जोन नं.1	जोन नं.2	जोन नं.3	जोन नं.4	जोन नं.5	जोन नं.6	जोन नं.7	जोन नं.8	जोन नं.9
प्रभारी अधिकारी	1	1	1	1	1	1	1	1	1
इन्जिनियरिंग कार्य	2	2	2	1	3	2	1	3	–
टाऊन प्लानिंग	1	1	1	1	2	2	1	1	1
स्कीम कार्य	4	8	4	3	7	5	2	4	3
प्रवर्तन कार्य	2	2	2	1	2	2	1	1	4
लैण्ड रिकार्ड	2	2	1	1	2	1	1	–	–
वृक्षारोपण एवं पार्कों का रख रखाव ।	3	2	2	1	5	–	1	–	–

नोट:– जोंस में संख्याओं की विभिन्नता कार्यभार की दृष्टि से है।

359

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 529 की सूची

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR.

(1) Parks developed upto 1983.

S.No.	Name of Park/Scheme	Total No. of Parks.	Area in acres.	Location
1	2	3	4	5
1.	Nehru Balodyan.	1	1.6 acres	On Tonk Road, opp. Engg. Institute.
2.	Mahavir Udyan.	1	4.5 acres	opp. OTS building JLN Marg.
3.	Moti Park.	1	1.04 ,,	Moti Marg, Bapunagar.
4.	S.S.I. Park.	1	0.5 ,,	Near ESI Dispensary Bapunagar, Jaipur.
5.	Satsang Bhawan, Park.	1	0.4 ,,	Bapu Nagar Jaipur.
6.	Janta Store Park.	1	0.2 ,,	Janta Store Bazar, Bapu Nagar.
7.	Office Campus Park.	1	1.0 ,,	In JDA building, Bapu Nagar.
8.	Tilak Park.	1	5.8 ,,	On Raman Marg, Tilak Nagar.
9.	Shivaji Park.	1	1.09 ,,	Behind Shanti Park Tilak Nagar.
10.	Mehta Park.	1	0.2 ,,	On Govind Marg.
11.	Anandpuri park.	1	0.7 ,,	Opp. Moti Doongari Jaipur.

1	2	3	4		5
12.	Shopping Centre Park.	1	0.3	,,	Opp LBS College.
13.	Sethi Colony Park.	1	0.6	,,	Sethi Colony Jaipur.
14.	Janta Colony Park.	1	0.5	,,	Opp. Janta School Janta Colony.
15.	St. Anjila Park. (Janta Colony Park)	1	0.3	,,	On Agra Road, near church school, Jaipur.
16.	Laxmi Narayan puri, Park.	1	0.2	,,	Laxmi Narayan puri, Jaipur.
17.	Chardarwaja Park.	1	0.2	,,	Chardarwaja Scheme Jaipur.
18.	Jorawarsingh Park.	1	0.5	,,	On Amer Road, outside Jorawar-singh gate.
19.	Kailash Park.	1	1.3	,,	On Kanti Chandra road, Bani park, Jaipur.
20.	Park-House Park.	1	0.3	,,	Near Khier Sagar Hotel, Jaipur.
21.	Labour Colony Park.	1	0.6	,,	On Jhotwara road, Jaipur.
22.	Sindhi Colony Park.	1	0.5	,,	Opp. FCI Colony, Bani park, Jaipur.
23.	Sudhash Park.	1	1.7	,,	On Kailash Marg, Near TB Santorium, Jaipur.
24.	Gandhi Statue circle	1	0.7	,,	Near Kanodia College, Jaipur.
25.	Indira circle.	1	0.5	,,	In front JDA building, office.

1	2	3	4	5
26.	Rambagh circle.	1	0.2 ,,	On Bhawani Singh Marg, Jaipur.
27.	K.J. circle.	1	0.5 ,,	On Bhawani Singh Marg, near 22 godown, Jaipur.
		27	41.06 acres	

23 parks
4 circles
27

Sd./-
HORTICULTURISTS
JAIPUR Dev. Autho.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR.

(2) Parks Developed during 1984–85

S.No.	Name of Park/ scheme.	Total No. of parks.	Area in acres.	Location.
1	2	3	4	5
1.	Malviya Nagar, scheme	14	15 acres	Malviya Nagar, Jaipur.
2.	Bapu Nagar, Jaipur.	4	1.00 ,,	(1) On Savitri Path (2) On Ganesh marg. 2 parks, (3) Near Jain Mandir, Bapu nagar.
3.	Bajaj Nagar, scheme.	1	0.4	Bairva basti park.

1	2	3	4	5
4.	Bajaj Nagar Ext. scheme	1	0.6	Near PHED boring, Bajaj Nagar scheme Jaipur.
5.	'C' Scheme, Jaipur.	1	0.2	Residency circle,
6.	Circle on Sardar Patel, marg.	1	0.2	'C' Scheme, Jaipur.
7.	Bani Park scheme	1	0.5	Madho singh circle.
8.	New colony singhdwar.	1	0.8	Near Panch Batti, Jaipur (Left for play ground)
9.	Jayanti market scheme.	2	0.24	Two gardens, Jayanti bazar
10.	Lal Kothi scheme.	9	7.00	Lal Kothi scheme.
11.	Truck stand park.	1	0.3	On Agra Road, Jaipur.
12.	Amritpuri scheme.	1	0.8	Amritpuri K.B. Jaipur.
13.	Janta colony scheme	1	2.1	Gokhale park, Janta colony
14.	Janta Colony circle	1	0.5	Janta colony main circle.
15.	Moti dungari scheme circle.	1	0.2	Circle on Shanti path
16.	Subash nagar scheme.	1	0.9	On Nalla, near TB Hospital.
17.	Bani Park Ext. scheme.	2	1.3	(1) Rashtra patti maidan park. (2) Mochion ki chhabil park (partly developed)
18.	Amba-bari scheme	1	0.7	Durga park near mandir
19.	Nahari ka naka scheme (Park No. 5)	1	0.8	Opp. C-30 Kesav park.

1	2	3	4	5
20.	Nahari ka naka Main circle.	1	0.5	On Main road of N. ka Naka.
21.	Basti Sitarampura scheme.	1	1.1	Near plot No E–30
22.	Rishi galav nagar	3	0.8	Near Galta Ghati Rishi Galav nagar K.B.
		50 Nos.	36.44 acres	

44 parks
6 circle
———
50

Sd/–
Horticulturist,
Jaipur Development Authority
Jaipur.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

(3) PARKS DEVELOPED DURING 1985–86

S.No.	Name of park/ scheme	Total No. of parks	Area in acres	Location
1	2	3	4	5
1.	Bajaj nagar scheme	1	0.3	Park in Berwa Basti
2.	Hathroie bawari scheme	1	0.5	Near Hathroie fort
3.	Bani park Ext. scheme circle	1	1.6	Shastri nagar main circle
4.	Ambabari circle	4	4.3	
5.	Ambabari main circle	1	0.3	Main circle, On main road.

1	2	3	4	5	
6.	Sikar house scheme	2	0.3	(1) Opp plot. No.B-2 (2) Opp plot. No.B-11	
7.	Nahari ka naka scheme	7	6.2	1. Plot No. D-8 near 2. Plot No. C-68 3. near plot No. 754 4. near plot No. 138 5. near plot No. 78 6. near plot No. 258 7. near plot No. A–15	
8.	Bassi Sitarampura scheme	4	2.9	1. near B-130 2. near B-16 3. near A-253 4. near Madir	Re-plantation to be done in 3 parks
9.	Vaishali nagar circle	1	0.5	Main circle on main road.	
		22 No.	16.9 acres		

Park 19
Circle 3

TOTAL 22 Nos.

Sd./–
Horticulturist,
Jaipur Development Authorrty,
Jaipur.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

(4) Parks developed during 1986–87

S.No.	Name of parks/ scheme	Total No. of parks	Area in acres	Location
1	2	3	4	5
1.	Bajaj nagar scheme	1	0.6	Triangle near Khadi Udyog
2.	Bani park old scheme	2	0.7 0.6	1. Sindhu balodhyan
3.	Bani park old scheme circle	1	0.2	Circle on collectorate road (Shiv circle)
4.	Lal Kothi scheme	1	0.5	At JDA flat.
5.	Ambabari scheme	1	0.5	Park No.5 E-72 to 81.
6.	Nahari Ka Naka	1	0.3	Park no. 1 Opp–HNC–38 to C–40
7.	D.P. colony	2	0.2	Park No. 1 Opp. shop No. 1 to
8.	Vaishali scheme	7	0.9	Park No. 4 Hn C-75 to 80.
			0.4	Park No. 1 Opp Hn D–127 to 127
			1.5	Park No. 12 block A–157 to 187
			1.1	Park No. —
			1.5	Park No. 3 D–66 to 70
			2.0	——
			0.5	Park No. 190 pp E–786 to 795.
			0.3	Park No. 23 Opp. E–258

1	2	3	4	5
9.	Vaishali scheme circle	2	0.2	back of 92 to 106
			0.2	back of 34 to 40
10.	Triveni Scheme	2	2.3	Opp house No. 11 or 24
11.	Park in civil lines	2	2.0	Park near Governor house(2)Income Tax colony
12.	Park in kutchi basties	8	0.1	Kartarpura park
			0.2	Park in Ramji pura
			0.1	Park in Madrampura
			0.3	Park in Hasanpura 'A'
			0.2	Prrk in Hasanpura 'C'
			0.5	Park opp PMG office.
			0.2	Jhalana phase III
			0.1	Jhalana phase I
13.	Park in co-operative sectors	2	1.5	Park in Vidhut nagar
			0.3	Shyam Nagar
14.	Kalwar scheme	2	0.02	park in kalwar scheme opp
			0.01	fateh singh ki dharmshala
15.	Regional Nursary	1	6.00	Near TB hospital
		36 Nos.	26.33	

Sd/-
Horticulturist,
J.D.A. Jaipur

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

Park developed during 1987–88

S.No.	Name of park/ scheme	Total No. of park	Area in acres	Location
1.	Laxmi Narayanpuri scheme	1	0.9	Laxmi Narayanpuri
2.	Raja park Gali No. 5	1	2.5	Gali No. 5 Raja park
3.	Ambabari Scheme	3	0.2	Park No. 4, 8, 9
			0.2	
			0.1	
4.	Parasrampuri scheme	1	0.1	By pass near park No.
5.	Nahari ka naka	1	0.1	Park no. 2
6.	Bassi Sitarampura	1	0.5	Park no. 4
7.	Shopping centre Bani Park	4	0.5	Park No. at Sopping centre
			0.1	near C–88 bus stand
			0.05	near C–60
8.	Gurunanakpura	1	0.4	near plot No. A–26
			1.00	
		13 Nos.	7.25 acres	

Park–13 No. (Plantation to be done)

Sd/–

363

LIST OF THE PARKS PARTLY DEVELOPED DURING THE YEAR 1988–89

S.No.	Name of the Scheme	No. of the Parks.	Area in acres
1.	Vaishali Scheme	3 Nos.	1.5
2.	Murlipura Scheme	1 No.	1.00
3.	Mahaveer Nagar,	1 No.	0.5
4.	Sanjay Bhatta Basti	2 Nos.	0.6
5.	Jhalana K.B.	2 Nos.	0.7
6.	Chomu House.	1 No.	0.1
	Total:–	10 Nos.	4.6 Acres.

Sd/–

List of the Parks transferred from Rehabilitation Dept.

S.No.	Name of the Park	
1.	Bhagatsingh Park–	5.3 Acres.
2.	Shankar Park–	1.2 "
3.	Shivaji Circle–	8.5 "
4.	Hemu Park–	1.0 "
5.	Saket Colony Park	1.0 "
6.	New Raja Park	0.5 "
7.	Shiv Mandir Park–	0.5 "
8.	Rawal Ji ka Bandha–	2.5 "
9.	Shastri Market Park–	0.1 "
		12.6

Total No. of the Park– 9,

Total Acres– 12.6

Grand Total:–

Number of Park
under maintenance= 153 Nos.
Number of the circles– 14 Nos.

Sd/–
13–7–89

Year	No. of Park	No. of Circle	Total
1983	23	4	27
1984–85	44	6	50
1985–86	19	3	22
1986–87	36	–	36
1987–88	13	–	13
1988–89	10	–	10
Park transferred from Rehabilitation Deptt.	8	1	9
Grand Total	153	14	167

Sd/–

परिशिष्ट "ब"

LIST OF PARKS WHERE STATUE ARE INSTALLED.

S.No.	Name of Park	Name of Statue
1.	Nehru Baloudhyan (Gandhi Nagar)	Sh. Ravindra Nath Tagore
2.	Tilak Park (Tilak Nagar)	Sh. Bal Gangadhar Tilak
3.	Laxminarian Puri Park. (Laxmi Narayan Puri)	Sh. Ram Kishore Vyas

1	2	3
4.	Hemu Park. (Adarsh Nagar)	Shri Hemu
5.	Jhanda Circle (opposite Kanodia Circle) Crossing JLN Marg	Shri Mahatma Gandhi
6.	J.K. Circle (Gandhi Nagar) (Crossing on Bhagwan Das Road & Bhawani Singh marg	Dr. B.R. Ambedkar.

Sd/-

परिशिष्ट 'स'

List of Parks where Fountains are Installed.

S.No.	Name of Park	Location
1.	Nehru Baloudhyan	On Tonk Road
2.	Indira Circle	Opposite J.D.A Office
3.	Jhanda Circle	Near Kanodia College.
4.	Rambagh Circle	–
5.	J.K. Circle	Near High Court.

Sd/-

परिशिष्ट—20

अतारांकित प्रश्न संख्या 530 की सूची

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक:एफ 17 (30) खावि/विधि/79 जयपुर, दिनांक 10–10–1988

समस्त जिला कलक्टर्स (रसद),
राजस्थान ।

विषय:–राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1979 के तहत कार्यवाही बाबत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पाद की सुगम उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1979 को विखण्डित करने का निर्णय लिया है। इसके विधिवत् आदेश औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जारी किये जा सकेंगे, जिसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक है । अतः विखण्डन के औपचारिक आदेश जारी होने तक उक्त आदेश के अन्तर्गत निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण आदि की कार्यवाही नहीं की जावे ।

भवदीय,
ह./–
शासन उप सचिव,
राजस्थान, जयपुर ।

परिशिष्ट— 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 219 की सूची

वर्ष 1985 से मार्च, 1989 तक जिन होटलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई, उनकी सूची।

1—जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति :

(1) श्री आर.एस. विजयवर्गीय, 2-भवानीसिंह रोड, जयपुर।

(2) श्री वी.एन. काक, हाउस होटल, टोंक रोड जयपुर।

(3) मैसर्स होटल गोयल, ए-2, वनस्थली मार्ग, जयपुर।

(4) राजपूताना होटल्स, एम.आई. रोड, जयपुर।

(5) श्री विनोद कुमार पी. पुरोहित, होटल प्लाट, सेठी कालोनी, आदर्श नगर, जयपुर।

(6) जयमहल पैलेस होटल, जैकब रोड, सिविल लाइन, जयपुर।

(7) श्री इकबाल सिंह राम प्रकाश, प्लाट नं. 18, वनस्थली मार्ग (कोहिनूर होटल)

(8) श्री रामगोपाल तिवारी, 17-मोतीलाल अटल रोड, जयपुर (होटल संगम)

(9) मैसर्स आर. एस. शर्मा एण्ड कम्पनी प्रा. लि., होटल डी. सी., लालकोठी स्कीम

(10) श्री सतीश चन्द्र सुरेश चन्द्र कुमावत, 17-वनस्थली मार्ग, जयपुर (होटल कंचनदीप)

(11) रेखा मंगल, अन्जना मिता एण्ड जय मंगल (मंगल पैलेस) स्टेशन रोड, जयपुर।

(12) होटल नवयुग, वी-5, सी-स्कीम, जयपुर (मानचित्र वी पी सी-द्वितीय की बैठक में स्वीकृत कर दिये गये हैं परन्तु मानचित्र जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं।)

(13) श्री जे. के. अटल., स्टेशन रोड, जयपुर (मानचित्र स्वीकृत कर दिये गये हैं, मानचित्र जारी करने की कार्यवाही चल रही है।)

368

2—नगर विकास न्यासों द्वारा दी गई स्वीकृतियां :–

(1) भरतपुर–कोई होटल निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई ।

(2) अलवर–एक होटल निर्माण की स्वीकृति दी गई -झन्कार होटल, ग्राम खोहरा तहसील अलवर दिल्ली रोड ।

(3) जोधपुर–कोई स्वीकृति होटल निर्माण हेतु नहीं दी गई ।

(4) अजमेर–होटल अजयमेरु, वैशाली नगर अजमेर ।

(5) बीकानेर–कोई होटल निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई ।

(6) उदयपुर–कोई होटल निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई ।

(7) कोटा–कोई होटल निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई ।

(8) श्रीगंगानगर–कोई होटल निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई ।

(9) भीलवाड़ा–कोई होटल निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई ।

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 537 की सूची

पाली जिले की रायपुर तहसील में ऑडिट रिपोर्ट अनुसार नियम विरुद्ध बकाया का विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम सेवा स.स.लि.	ऑडिट वर्ष जिसमें गबन पाया गया	दोषी व्यवस्थापक/ अध्यक्ष का नाम	राशि
1	2	3	4	5
1.	देवेली महाराज ग्रा.से.स.स.लि.	74–75	श्री भंवरलाल व्यव.	1000/-
2.	लिलम्बा ,, ,,	76–77	,, खेमचन्द व्यवस	4456/-
3.	,, ,, ,,	,,	,, सावरलाल व्यव.	7470/–
4.	,, ,, ,,	,,	,, चिमुककुमार व्यव.	780/–
5.	,, ,, ,,	,,	,, हनुमानदास व्यव.	432/–
6.	,, ,, ,,	,,	,, पुखाराम कोषा.	316/–
7.	पुरानी बाडी ,, ,,	76–77	,, पाबूराम व्यव.	7463/–
8.	बूटीबास ,, ,,	76–77	,, मानसिंह मंत्री आदूराम कोषा.	3573/–
9.	बालमुकुन्द (विटारिया)	76–77	,, शंकरलाल व्यव.	7179/–
10.	,, ,,	,,	,, छैलदास विक्रेता	289/–
11.	,, ,,	,,	,, भकमचन्द मंत्री ,, शंकरलाल व्यव.	5913/–
12.	,, ,,	,,	,, उपरोक्त दोनों संयुक्त	20000/-
13.	,, ,,	78–79	,, भकमचन्द मंत्री	6609/–
14.	,, ,,	,,	,, देलदास विक्रेता	8498/–
15.	पुरानी बावड़ी ,,	74–75	,, पांचूराम मंत्री	7152/–
16.	सबलपुरा ,, ,,	78–79	,, मुकनाराम व्यव.	158433/–
17.	पुरानी बावड़ी ,,	77–79	,, भंवरसिंह	
17.ए	पुरानी बावड़ी ,,	77–79	,, रामनिवास व्यव.	5074/–

1	2		3	4	5
18.	पुरानी बावड़ी	विटारिया	77–79	श्री सावरराम व्यव.	150/–
19.	,,	,,	,,	,, पाबूराम अध्यक्ष	135713/–
20.	रायपुर	,,	73–76	,, मोहनलाल व्यव.	987/–
21.	,,	,,	73–76	,, लालमोहम्मद मंत्री	274/–
22.	,,	,,	73–74	,, प्रबन्धकारिणी	8320/–
23.	मोहरा	,,	75–76	श्री जोगाराम अध्यक्ष	3151/–
24.	मोहराई	,,	,,	,, हेमाराम व्यव.	300/–
25.	मोहरा	,,	,,	,, हीरालाल व्यव.	125/–
26.	अमरपुरा	,,	76–77	,, पूरू कोषा.	584/–
27.	देवलीकलां	,,	,,	,, पूनाराम सदस्य	4500/–
28.	भूठा	,,	75–76	,, मदादान कोषा.	2531/–
29.	सेन्दड़ा	,,	75–76	,, मीठूसिंह व्यव.	8954/–
30.	अमरपुरा	,,	76–77	,, सांवलराम मंत्री	36426/–
31.	मोहराकलां	,,	,,	,, दूलीचन्द व्यव.	1696/–
32.	,,	,,	,,	,, चम्पालाल व्यव.	1875/–
33.	बर	,,	73–78	,, बाबूलाल व्यव.	7832/–
34.	सूमेल ग्राम सेवा स.स.लि.		77–78	,, गोविन्दनारायण	604/–
35.	पिपलिया	,,	76–77	,, भंवरसिंह नि. (का.)	560/–
36.	सुमेर	,,	77–78	,, लक्ष्मीनारायण कोषा.	393/–
37.	रामपुरा	,,	77–78	,, हनुमान कोषा.	2648/–
38.	नानणा	,,	76–77	,, सुखाराम कोषा.	201/–
39.	बूटीवास	,,	77–78	,, नारायणसिंह व्यव.	1181/–
40.	,,	,,	,,	,, रूगदास व्यव.	1129/–
41.	,,	,,	,,	,, चम्पालाल कोषा.	2903/–
42.	बिराटयाखुर्द	,,	79–80	समस्त प्रबन्धकारिणी	8636/–
43.	,,	,,	,,	श्री बृजमोहनसिंह व्यव.	2397/–
44.	,,	,,	,,	,, मीठालाल मंत्री	1872/–
45.	सेन्दड़ा	,,	80–81	,, रामगोपाल व्यव.	7473/–

1	2		3	4	5
46.	सेन्दडा	स. स. लि.	80–81	श्री नन्दराम मंत्री	8522/–
47.	बिराठियांकलां	,,	,,	,, शंकरलाल व्यव.	2916/–
48.	,,	,,	,,	,, भीकमचन्द मंत्री	4476/–
49.	कायूजा	,,	,,	,, माणकचन्द अध्यक्ष	12100/–
50.	,,	,,	,,	,, हनुमानदास व्यव.	2264/–
51.	रायपुर	,,	81–82	,, पाबूसिह विक्रेता	1504/–
52.	,,	,,	,,	,, ताराचन्द विक्रेता	1854/–
52.	(ए) भूंठा	,,	81–82	,, जगदीशचन्द्र व्यव.	5100/–
53.				,, देवीचन्द व्यव.	7245/–
53.	(ए) कायूजा	,,	82–83	,, मोहनसिह व्यव.	7487/–
54.	,,	,,	,,	,, रामसिह व्यव.	3842/–
55.	गिरी	,,	,,	,, खेमचन्द व्यव.	52411/–
56.	,,	,,	,,	,, इकबाल व्यव.	8963/–
57.	,,	,,	,,	,, सुखदेव व्यव.	3479/–
58.	,,	,,	,,	,, भीकमचन्द मंत्री	
59.	,,	,,	,,	,, ओमप्रकाश व्यव.	750/–
60.	निम्बेड़ा	,,	83–84	,, नरपतसिह अध्यक्ष	7866/–
61.	,,	,,	,,	,, चैनसिह व्यव.	1833/–
62.	सेन्दड़ा	,,	83–84	,, सतीश अध्यक्ष	2404/–
63.	,,	,,	,,	,, पूनमसिह व्यव.	4260/–
64.	बर	,,	,,	,, हनुमान व्यव.	29190/–
65.	,,	,,	,,	,, शंकरलाल व्यव.	8537/–
66.	रायपुर	,,	82–83	,, मोहनलाल व्यव.	85206/–
67.	निम्बेड़ा	,,	83–84	,, चैनसिह व्यव.	14616/–
68.	,,	,,	,,	,, भगवतसिह अध्य.	6467/–
69.	,,	,,	,,	प्रबन्धकारिणी	4161/–
70.	बूटीवास	,,	,,	श्री चम्पालाल अध्यक्ष	4795/–

1	2	3	4	5
71. बूटीवास स. स. लि.		83–84	श्री सुखदेव सैन व्यव.	28227/–
72. ,,	,,	,,	,, चम्पालाल अध्यक्ष	1480/–
73. बर	,,	,,	,, शंकरलाल व्यव.	33831/–
74. ,,	,,	,,	,, भंवरसिंह व्यव.	467/–
75. बिराठियाकलां	,,	82–83	,, शंकरलाल व्यव.	872/–
76. रायपुर	,,	83–84	,, मोहनलाल व्यव.	189454/–
77. ,,	,,	,,	,, ताराचन्द विक्रेता	35035/–
77.ए ,,	,,	,,	,, बद्रीलाल विक्रेता	538/–
78. ,,	,,	,,	,, बाबूसिंह विक्रेता	4514/–
79. ,,	,,	,,	,, भंवरलाल विक्रेता ,, मोहनलाल व्यव.	4591/–
80. हाजीवास	,,	83–84	,, बृजमोहनसिंह व्यव.	23623/–
81. कोहरकला	,,	,,	,, भीखाराम व्यव.	16714/–
82. लिलाम्बा	,,	84–85	,, जगदीशप्रसाद व्यव.	96588/–
83. सेन्दड़ा	,,	,,	,, सतीश अध्यक्ष ,, मदनदास व्यव.	3500/–
84. निम्बेड़ा	,,	,,	,, चैनसिंह व्यव.	2583/–
85. लवांचा	,,	,,	,, रामगोपाल व्यव.	3483/–
86. बिराठियाकलां	,,	,,	,, शंकरलाल व्यव.	179101/–
87. रामपुरा	,,	,,	,, सोहनलाल व्यव.	1348/–
88. भूंठा	,,	,,	,, देवीचन्द व्यव. ,, जगदीशकलाल व्यव.	50748/–
89. देवली कलां	,,	,,	,, पूनमाराम व्यव. ,, जयरामद्र विक्रेता	1078/–
90. बिराटियांखुर्द	,,	,,	,, ज्ञानचन्द अध.वगैरह	27454/–
91. रामपुरा	,,	,,	प्रबन्धकारिणी	34354/–
92. बूटीवास	,,	,,	श्री चम्पालाल अध्यक्ष	14339/–
93. देवलीकलां	,,	85–86	,, बाबूलाल व्यव.	3335/–

1	2		3	4	5
94.	हाजीवास ग्राम स. स.		82-83	श्री सुखदेव व्यव.	11468/-
95.	,,	,,	84-85	,, बृजमोहनसिंह व्यव.	4543/-
96.	,,	,,	85-86	,, ,,	4050/-
97.	,,	,,	82-83	,, लक्ष्मणसिंह व्यव.	2957/-
98.	सबलपुरा	,,	86-87	,, नरपतसिंह व्यव.	1642/-
99.	कुशालपुरा हाथ क.ब.उ.स.स.		80-87	,, पूनाराम कोषा.	10091/-
100.	रामपुरा ग्रा.से.स.स.लि.		83-84	,, घनश्याम अध्य.	5000/-
101.	,,	,,	,,	,, नारायण अध्य.	292/-
102.	,,	,,	,,	,, सोहनलाल व्यव.	23160/-
103.	,,	,,	,,	,, केसरमल व्यव.	1758/-
104.	,,	,,	,,	,, ढगलाराम व्यव.	453/-
105.	,,	,,	,,	,, मदनलाल व्यव.	2270/-
106.	बाबरा	,,	84-85	,, ढगलाराम व्यव.	50667/-
107.	कारणजा	,,	87-88	,, मिश्रीलाल व्यव.	12552/-
108.	बाबरा	,,	84-85	,, पुखराज व्यव.	3742/-
109.	कुशालपुरा	,,	85-86	,, मलाराम व्यव.	23054/-
110.	,,	,,	,,	,, दीपाराम विक्रेता	2502/-
111.	भूंठा	,,	86-87	,, शंकरलाल व्यव.	765/-
112.	अमरपुरा	,,	84-85	,, शोतानाराम व्यव.	253/-
113.	नानणा	,,	82-83	,, विरेन्द्रसिंह व्यव.	18958/-
114.	,,	,,	,,	,, ,,	13928/-

(329)

रायपुर तहसील में ऑडिट के अनुसार नियम विरुद्ध बकाया की धारा 74 के अन्तर्गत निर्णित मामलों की वसूली का विवरण

क्र.सं.	नाम दोषी पदाधिकारी कर्मचारी	सहकारी समिति का नाम	वसूली की दिनांक	राशि
1.	श्री देवराज भू.पू. मंत्री	बर ग्रा.से.स.स.लि.	22.6.89	900.00
2.	श्री चैनसिंह भू.पू. व्यव.	निम्बेड़ाकलां ,,	19.12.87 28.6.86	3770.71
3.	श्री मदादान कोषाध्यक्ष	झूंठा ग्रा.से.स.स.लि.	25.7.85	2531.75
4.	श्री छैलदास पुत्र श्री मथुरादास वैष्णव विक्रेता (सैल्समैन)	बिराठियांकलां ,,	28.9.85	4374.00

रायपुरा तहसील में ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार नियम विरुद्ध बकाया के अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत वसूली की जारी कार्यवाही का विवरण।

क्र.सं.	नाम समिति	ऑडिट वर्ष	दोषी अध्यक्ष/ व्यवस्थापक का नाम	राशि
1	2	3	4	5
1.	लवाचा ग्रा.से.स.स.लि.	74-75	श्री भंवरलाल व्यव.	1000/-
2.	लिलाम्बा ,,	76-77	,, खेमचन्द व्यव.	4456/-
			,, सांवरलाल व्यव.	7470/-
			,, चिम्बुक कुमार	780/-
			,, हनुमानदास व्यव.	432/-
			,, पुखराम कोषा	316/-

1	2	3	4	5
3.	पुरानी बावड़ी ग्राम से स.स.लि.	76–77	श्री पाबूराम व्यव.	7463/–
4.	बूटीवास ,,	,,	,, मानसिंह मंत्री	3573/–
			,, आदूराम कोषा.	
5.	बिराठियाकलां ,,	,,	,, शंकरलाल व्यव.	7179/–
			,, छैलदास सैल्समैन	209/–
			,, भीकमचन्द मंत्री	5913/–
			,, शंकरलाल व्यव. संयुक्त दोनों	20000/–
6.	बिराठियाकलां ,,	78–79	श्री भीकमचन्द मंत्री	6609/–
			,, छैलदास सैल्समैन	8498/–
7.	पुरानी बावड़ी ,,	74–77	,, पाबूराम मंत्री	7152/–
8.	सबलपुरा ,,	78–79	,, मुकनाराम व्यव.	158435/–
			,, भंवरसिंह नि.का	
9.	पुरानी बावड़ी ,,	77–79	,, रामनिवास	5074/–
			,, सावरराम व्यव.	150/–
			,, पाबूराम अध्यक्ष	135713/–
10.	रायपुर ग्राम ,,	73–76	,, मोहनलाल व्यव.	987/–
			,, लालमोहम्मद मंत्री	274/–
			प्रबन्धकारिणी	8320/–
11.	मोहराकलां ,,	75–76	श्री जोगाराम अध्यक्ष	3151/–
12.	मोहराई ,,	,,	,, हेमाराम व्यव.	300/–
13.	मोहरा ,,	,,	,, हीरालाल व्यव.	125/–
14.	अमरपुरा ,,	76–77	,, पीरू कोषा.	584/–
15.	देवली कलां ,,	,,	,, पूनाराम सदस्य	4500/–
16.	सेन्दड़ा ,,	75–76	,, मीठूसिंह	8854/–
17.	अमरपुरा ,,	76–77	,, सांवलराम मंत्री	36426/–
18.	मोहराकलां ,,	,,	,, दुलीचन्द व्यव.	1696/–
			,, चम्पालाल व्यव.	1875/–

1	2		3	4	5
19.	बर ग्राम से.स.स.लि.		73–78	श्री बाबूलाल व्यव.	7832/–
20.	सुमेल	,,	77–78	,, गोविन्दनारायण	604/–
21.	पिपलियां	,,	76–77	,, भंवरसिंह निरीक्षक	560/–
22.	सुमेर	,,	77–78	,, लक्ष्मीनारायण कोषा.	363/–
23.	रामपुरा	,,	77–78	,, हनुमान कोषा.	2648/–
24.	नानणा	,,	76–77	,, सुखराम कोषा.	207/–
25.	बूटीवास	,,	77–78	,, नारायणसिंह व्यव.	1181/–
				,, रूपदास व्यव.	1129/–
				,, चम्पालाल कोषा.	
26.	बिराटियाखुर्द	,,	,,	,, बृजमोहनसिंह व्यव.	2397/–
				,, मीठालाल मंत्री	1872/–
27.	सेन्दड़ा	,,	80–81	,, रामगोपाल व्यव.	7473/–
28.	बिराटियाकलां	,,	,,	,, शंकरलाल व्यव.	2916/–
				,, भीकमचन्द मंत्री	4476/–
				,, शंकरलाल व्यव.	
29.	काणूजा	,,	,,	,, माणकचन्द अध्यक्ष	12100/–
				,, रनुमानदास व्यव.	2264/–
30.	रायपुर	,,	81–82	,, पाबूसिंह सेल्समेन	1504/–
				,, ताराचन्द सेल्समेन	1854/–
31.	भूठा	,,	,,	,, जगदीशचन्द व्यव.	5100/–
				,, देवीचन्द व्यव.	7245/–
32.	काणूजा	,,	82–83	,, सोहनसिंह व्यव.	7487/–
				,, रामसिंह व्यव.	3942/–
33.	निम्बेड़ा	,,	83–84	,, भगवतसिंह अध्यक्ष	7867/–
				,, चैनसिंह व्यव.	1835/–
34.	सेन्दड़ा	,,	82–83	,, सतीश अध्यक्ष,	2404/–
				,, पूनमसिंह व्यव.	4260/–
35.	बर	,,	,,	,, शंकरलाल व्यव.	8537/–

1	2		3	4	5
36.	लिम्बेड़ा ग्राम से.स.स.लि.		83–84	श्री भगवतसिंह अध्य.	6467/–
				प्रबन्धकारिणी	4161/–
37.	बूटीवास	,,	83–84	श्री चम्पालाल अध्यक्ष	4795/–
38.	बर	,,	,,	,, शंकरलाल व्यव.	33881/–
				,, करणसिंह व्यव.	467/–
39.	हाजीवास	,,	,,	,, बृजमोहनसिंह व्यव.	23623/–
40.	मोहराकलां	,,	,,	,, भीखाराम व्यव.	16714/–
41.	सेन्दड़ा	,,	84–85	,, सतीश अध्यक्ष	3500/–
				,, मदनलाल व्यव.	
42.	श्री निम्बेड़ा	,,	,,	,, चैनसिंह व्यव.	2503/–
43.	दिवलीकलां	,,	,,	,, पूनाराम व्यव.	1076/–
				,, दयाराम विक्रेता	
44.	देवलीकलां	,,	85–86	,, बाबूलाल व्यव.	3335/–
45.	हाजीवास	,,	,,	,, बृजमोहनसिंह व्यव.	4050/–
46.	हाजीवास	,,	82–83	,, लक्ष्मणसिंह व्यव.	2957/–
47.	बाबरा	,,	84–85	,, जुगराज अध्यक्ष	3742/–

परिशिष्ट–23

अतारांकित प्रश्न संख्या 538 की सूची

(प्रश्न के भाग (1) की सूची)

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम अधिकृत संस्थाएँ/एवं व्यक्ति व स्थान
1	2	3
1.	सोजत	श्री सेसाराम पोकर गांची, सोजत
2.	,,	,, मोहनलाल, सीमाराम, सोजत
3.	,,	,, देवाराम पूरब जी, सोजत
4.	,,	,, मीठालाल मदनलाल, सोजत
5.	,,	,, धर्मचन्द हस्तीमल, सोजत
6.	,,	,, कालूराम सेसाजी, सोजत
7.	,,	,, भंवरलाल, छगजी, सोजत
8.	,,	,, गोबिन्दलाल धनजी, सोजत
9.	,,	,, हरीराम हिम्पता, सोजत
10.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सोजत, चक नम्बर, 1,11
11.	,,	सहकारी भण्डार, सोजत, सोजत
12.	,,	मैथ्यू अब्राहम जार्ज अब्राहम, सोजत
13.	,,	के.वी.वी.एस., सोजत रोड, I, सोजत रोड
14.	,,	के.वी.वी.एस. सोजत रोड II, सोजत रोड
15.	,,	के.वी.वी एस., सोजत रोड, III, सोजत रोड
16.	,,	के.वी.वी.एस. सोजत रोड, पाचुन्दा, सोजत रोड
17.	,,	के.वी.वी.एस. सोजत रोड, भैंसाना,
18.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, धाकडी
19.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सुरायता
20.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, धनावास
21.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, शिवपुरा

1	2	3
22.	सोजत	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सरदार समन्द
23.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, राजोला
24.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, चोपड़ा
25.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, चाडवास
26.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, रूपावास
27.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, हींगावास
28.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, खेडावास
29.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, खारीयानींव
30.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, मन्डला,
31.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, अतपडा
32.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति I, चण्डावल
33.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति,, II, चण्डावल
34.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सान्डिया
35.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, खोखरा
36.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बासना
37.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, देराणी हुल्या
38.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, करमावास
39.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, गुढारामसिंह
40.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बड़ा गुडा
41.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, हरियामाली
42.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सियाट
43.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, अलावास
44.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, खारियासोड़ा
45.	,,	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बगडी
46.	,,	श्री मोतीलाल माणकचन्द बगडी
47.	,,	श्री जोगाराम वीरम, बगडी
48.	,,	श्री नन्दाराम वीरम, बगडी

(380)

1	2	3
49.	सोजत	दलपत सिंह नाथूसिंह, मेव
		जी.एस.एस. मेव
50.	,,	चैनराज जुगराज, विलावास
51.	,,	मांगीलाल हमीरमल, अटपड़ा
52.	,,	मांगीलाल हमीरमल, अटपड़ा
53.	,,	नन्दाराम वीरम, केलवाद
54.	,,	अमरसिंह भीकसिंह, गुढाविजा
55.	,,	पूनाराम जोधाराम, रथोडिया
56.	,,	क्रय विक्रय सहकारी समिति, सोजत रोड़
57.	रायपुर	श्री घीसूलाल राम रतन, रायपुर
58.	,,	श्री मदन लाल घेवर चन्द कुमावत, रायपुर
59.	,,	बोदुराम रामपाल, रायपुर
60.	,,	श्री मांगीलाल, जवानजी सुथार, लवाचा
61.	,,	श्री दीपसिंह शेरसिंह रावत, दीपावास
62.	,,	श्री रामपाल सुखदेव सुथार, कालवकलां
63.	,,	श्री मांगीलाल अमोलक चन्द जैन, पचानेपुरा
64.	,,	श्री करण सिह खेतसिंह रावत, कलालियां
65.	,,	केसूनाथ जगन्नाथ आसन जिलेलाव
66.	,,	महेन्द्र सिंह मोती सिह कोटकिराना
67.	,,	श्री कन्हैयालाल मोतीजी रैगर, भूंठा
68.	,,	श्री भंवर लाल मनीराम गुप्ता, बांसिया
69.	,,	श्री जीवन राम हापूराम बावडी, मोख
70.	,,	श्री भीकम चन्द जसराज पालीवाल, खुशालपुरा
71.	,,	पृथ्वी राज घेवर चन्द रेलडा
72.	,,	श्री मंगल सिंह चन्द्र सिह सेदड़ा
73.	,,	लाखा काना रावत, चिताड
74.	,,	श्री राम चन्द्र भाटी, सैलपुरा (बाघरा)

1	2	3
75.	रायपुर	श्री सत्यनारायण रामदेव अग्रवाल, मोडरा कलां
76.	,,	व्यवस्थापक, जी.एस.एस. लि., रायपुर
77.	,,	,, जी.एस.एस. लि., लवाचा
78.	,,	,, जी.एस.एस. लि., पीपलिया कलां
79.	,,	,, जी.एस.एस. लि., देवली कलां
80.	,,	,, प्रेम नगर औद्योगिक सहकारी उप-भोक्ता भण्डार, पीपलिया कलां
81.	,,	,, जी.एस.एस. लि., रायपुरा कलां
82.	,,	,, जी.एस.एस. लि., निम्बेड़ा कलां
83.	,,	,, जी.एस.एस. लि., कुशालपुरा
84.	,,	,, जी.एस.एस. लि., लिलाम्बा
85.	,,	,, रायपुरा कोपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, लि., रायपुर शाखा, बर
86.	,,	,, जी.एस.एस. लि., घिराटिया कलां,
87.	,,	,, जी.एस.एस. लि., घिराटिया खुर्द,
88.	,,	,, जी.एस.एस. लि., घूटिवास,
89.	,,	,, जी.एस.एस. लि., गिरी,
90.	,,	,, जी.एस.एस. लि., अमरपुरा
91.	,,	,, जी.एस.एस. लि., सुमेल
92.	,,	,, जी.एस.एस. लि., घाघरा,
93.	,,	,, जी.एस.एस. लि., नानगांव,

382

(प्रश्न के भाग (2) की सूची)

तहसील रायपुर एवं सोजत में जनवरी, 1988 में जून, 1989 तक वितरित की गई खाद्य सामग्री का विवरण

तहसील सोजतः–

क्र.सं.	नाम दुकानदार मय स्थान	खाद्य सामग्री			
		गेहूं क्वि.	चावल क्वि.	चीनी क्वि.	खाद्य तेल टीन
1	2	3	4	5	6
1.	सेसाराम पोकर, सोजत	1450	40	1761	40
2.	मोहनलाल सीमाराम, सोजत	2750	90	534	158
3.	देवाराम पूरबजी, सोजत	2300	40	331	102
4.	मीठालाल मदनलाल, सोजत	4800	60	518	124
5.	धर्मीचन्द हस्तीमल, सोजत	2200	46	170	58
6.	कालूराम सेसाजी, सोजत	2375	37	282	94
7.	भंवरलाल छगजी, सोजत	1700	12	294	100
8.	गोबिन्दलाल धनजी, सोजत	2000	35	201	48
9.	हरीराम हिम्मता, सोजत	1100	15	111	--
10.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सोजत	900	—	64	—
11.	सहकारी भण्डार, सोजत	450	—	9	—
12.	मैथ्यू अब्राहम जार्ज अब्राहम, सोजत	900	—	42	—
13.	के.वी.वी.एस. I, सोजत रोड	7500	127	1132	242
14.	के.वी.वी.एस. II, ,, ,,				
15.	के.वी.वी.एस. III, ,, ,,				
16.	के.वी.वी.एस. पांचुना ,,				
17.	के.वी.वी.एस. मेहसाना	2000	—	286	8

1	2	3	4	5	6
18.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, धाकड़ी	3500	10	321	24
19.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सुरायता	1500	10	274	16
20.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, धीनावास	2300	15	184	24
21.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, शिवपुरा	1400	—	187	24
22.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सरदार समन्द	2500	5	306	24
23.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, राजोला	3600	—	377	32
24.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, चोपड़ा	2550	5	331	32
25.	ग्राम सेवा सहकारी समिति चाडवास	2700	—	322	16
26.	ग्राम सेवा सहकारी समिति रूपावास	2700	10	176	16
27.	ग्राम सेवा सह. स. हींगावास	1800	5	203	24
28.	ग्राम सेवा सह. स. खेडावास	2000	—	257	32
29.	ग्राम सेवा सह. समिति खारिया नीव	1400	5	180	8
30.	ग्राम सेवा स. स. मण्डला	2200	—	370	8
31.	ग्राम सेवा स. स. अटपड़ा	1850	17	221	27
32.	ग्राम सेवा स. स. I चण्डावल	,,			
33.	ग्राम सेवा स. स.II चण्डावल	4350	56	398	60
34.	ग्राम सेवा स.स., सांडिया	2800	30	266	32
35.	ग्राम सेवा स.स., खोखरा	1650	10	404	—
36.	ग्राम से.स.स., खोखरा बासना	,,	,,	,,	—

(384)

1	2	3	4	5	6
37.	ग्राम सेवा स.स., देवली हुल्या	2200	—	285	8
38.	ग्राम सेवा सह.स., करयावास	1800	5	217	8
39.	ग्राम सेवा स.स., गुडारामसिंह	4500	—	624	16
40.	ग्राम सेवा स.स. गुडारामसिंह बड़ा गुडा	,,	,,	,,	,,
41.	ग्राम सेवा स.स., हरियामाली	1800	—	275	—
42.	ग्राव सेवा स.स., सियार	1500	5	235	—
43.	ग्राम सेवा स.स., अलावास	1250	8	186	16
44.	ग्राम सेवा सह.स., खारिया सोडा	1300	—	288	8
45.	ग्राम सेवा स.स. बगडी	1750	6	228	—
46.	मोतीलाल माणकचन्द बगडी	2450	35	217	47
47.	जोगाराम वीरस बगडी	2350	26	243	40
48.	नन्दाराम वीरस बगडी	1650	27	209	40
49.	दलपत सिंह नाथू सिंह मेव जी.एस.ए. मेव	850	—	73	24
50.	चेनराज जुग राज बिलावास	1900	30	294	32
51.	मांगीलाल हमीरमल अटपड़ा	3500	48	364	53
52.	मांगीलाल हमीरमल अटपड़ा				
53.	नन्दाराम वीरम, केलवाद	2200	28	189	24
54.	अमरसिंह भीकसिंह, गुडावीजा	2150	20	344	32
55.	पूनाराम जोधाराम, खोडिया	2450	38	427	32
	तहसील रायपुर				
56.	श्री घीसूलाल रामरतन, रायपुर	1760	139	24	103
57.	श्री पूर्व मदन लाल/ घेवर चन्द, रायपुर	1382	119	16	84

1	2	3	4	5	6
58.	हाल अस्थाई बोदूराम रामपाल बोदूराम रामपाल, रायपुर (स्थाई)	1536	125	9	—
59.	व्यवस्थापक जी.एस.एस. लि., रायपुर	2199	387	44	116
60.	मांगीलाल जवान, सुधार लवाचा	120	75	—	20
61.	दीपसिंह शेरसिंह रावत, दीपावास	353	154	—	20
62.	रामपाल सुखदेव सुथार, कालब कलां	550	129	—	20
63.	मांगीलाल अमोलक चन्द जैन, पचानपुरा	1090	200	19	93
64.	कारणसिंह खेतसिंह रावत, कलालिया	1520	211	13	33
65.	मांगीलाल अमोलक चन्द जैन, पचानपुरा (अस्थाई) आसन जिलेलाव कैम्प (स्थाई) केशुनाथ जगुनाथ ने कार्य आरम्भ नहीं किया है।	35	—	—	—
66.	महेन्द्र सिंह मोती सिंह, कोट किराना	1945	230	10	13
67.	कन्हैयालाल मोतीजी, रगेर भूंठा	2322	394	33	126
68.	कन्हैयालाल मोतीजी अस्थाई, गुडिया	220	42	—	—
69.	कन्हैयालाल मोतीजी अस्थाई, सिबलपुरा	1352	145	—	63
70.	जी.एस.एस. लि., पीपलिया कलां	1079	160	12	83
71.	प्रेमनगर ग्रो.स.उ. भण्डार, पीपलिया कलां	822	194	22	—

1	2	3	4	5	6
72.	जी.एस.एस.लि., देवलीकलां	1480	355	36	106
73.	जी.एस.एस.लि., रामपुराकलां	220	72	—	—
74.	भंवरलाल मनीराम गुप्ता, बाँसिया	1490	191	18	73
75.	जीवन राम हापुराम, नोख	160	105	—	20
76.	जी.एस.एस.लि., निम्बेडाकलां	459	281	12	50
77.	जी.एस.एस.लि., कुशालपुरा	983	312	51	56
78.	भीकमचन्द जसराज पालीवाल, कुशालपुरा	3620	464	58	146
79.	जी.एस.एस. लिलाम्बा, वास्ते लिलाम्बा	748	180	8	66
80.	जी.एस. लिलाम्बा, वास्ते बागीयाडा	290	128	7	—
81.	रा.को.मा.सो. लिमिटेड रायपुर, शाखा बर	1574	243	—	26
82.	जी.एस.एस. बिराटिया खुर्द	452	144	—	33
83.	जी.एस.एस. बिराटिया कलां	472	182	—	—
84.	जी.एस.एस., बूंटिवास	200	32	5	—
85.	जी.एस.एस., गिरी	1825	388	40	66
86.	श्री पृथ्वीराज घेवर चन्द स्थाई रेलड़ा	280	186	—	43
87.	,, ,, अस्थाई हाजीवास	480	212	—	13
88.	जी.एस.एस. अमरपुरा	580	61	—	20
89.	जी.एस.एस. अमरपुरा वास्ते चांग	1175	208	—	20
90.	मंगल सिंह चन्द्र सिंह सेदड़ा	2945	382	40	53
91.	लाखा काना चिताड़	1600	270	15	53
92.	लाखा काना अस्थाई सुमेल	1200	268	—	40

1	2	3	4	5	6
93.	जी.एस.एस. सुमेल (स्थाई वर्तमान में)	200	—	—	—
94.	भंवर लाल मनीराम गुप्ता अस्थाई झालाकी चौकी	945	117	3	63
95.	,, ,, ,, अस्थाई कानूजा	1645	242	—	93
96.	जी.एस.एस. लि., बाबरा	1900	451	40	33
97.	राम चन्द्र भाटी सैलपुरा (बाबरा)	300	15	8	20
98.	सत्य नारायण रामदेव उ.मू.दु. मोहरा कलां	1320	148	23	63
99.	सत्य नारायण रामदेव उ.मू.दु.	1320	148	23	63
	करवामा मात्रियान्	858	148	15	43
100.	जी.एस.एस. लि., बूंटिवास मेसिया	—	—	—	—
101.	जी.एस.एस. लि., नानणा	835	170	15	28
102.	जी.एस.एस. लि., सबलपुरा	—	—	—	वर्तमान में कार्य बन्द (अक्षमता से) है।
103.	जी.एस.एस. लि., बाबरा वास्ते रातडिया बरबरा	—	—	(जी. एस. एस. बाबरा द्वारा ही वितरण किया जा रहा है।)	
104.	जी.एस.एस. मोहराकलां	—	—	(अक्षमता से कार्यरत नहीं है)	
		48521	8714	601	2001 टीन

परिशिष्ट—24

अतारांकित प्रश्न संख्या 171 की सूची

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (1) से
सम्बन्धित सूची

क्र.सं.	नाम जिला	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	अधिक्य
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	135	131	4	–
2.	अलवर	230	232		2
3.	बांसवाड़ा	106	105	1	
4.	बाड़मेर	132	104	28	
5.	भरतपुर	157	164	–	7
6.	भीलवाड़ा	180	172	8	
7.	बीकानेर	66	65	1	
8.	बून्दी	72	71	1	
9.	चित्तौडगढ़	157	157	–	
10.	चूरू	103	98	5	
11.	धौलपुर	74	74	–	
12.	डूंगरपुर	91	86	5	
13.	गंगानगर	210	203	7	
14.	जयपुर	316	306	10	
15.	जैसलमेर	93	76	17	
16.	जालौर	116	112	4	
17.	झालावाड	109	107	2	
18.	झुन्झुनू	134	128	6	
19.	जोधपुर	139	128	11	

1	2	3	4	5	6
20.	कोटा	155	154	1	
21.	नागौर	192	185	7	
22.	पाली	162	163	–	1
23.	स. माधोपुर	202	202	–	
24.	सीकर	158	158	–	
25.	सिरोही	70	69	1	
26.	टोंक	109	103	–	4
27.	उदयपुर	287	278	9	
	योग :–	3945	3831	128	14

शुद्धि-पत्र

क्रम सं.	स्कम्भ सं	पंक्ति सं	अशुद्धि	शुद्ध
1.	87	29	भू-खड	भू-खण्ड
2.	136	3	श्री उपायक्ष	श्री उपाध्यक्ष
3.	190	2	ा ाननीय सदस्य	माननीय सदस्य
4.	191	19	श्रो शोपत सिंह	श्री शोपत सिंह
5.	194	फोलियो	विशेष उल्लेल	विशेष उल्लेख
6.	197	20	ध्यान आकर्षण	ध्यानाकर्षण
7.	242	29	श्री हीगलाल आर्य	श्री हीरालाल आर्य
8.	503	1	यी बुलाकीदास कल्ला	श्री बुलाकीदास कल्ला
9.	516	6	लांग संख्या 31	मांग संख्या 31
10.	561	3	श्री हंसराज मिढा	श्री हंसराज मिढ़ा